राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 8 वां दिवस [संख्या 6

मंगलवार,

दिनांक 9 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मांगीलाल मेघवाल।

चम्बल कालोनी कापरेन में भू-आवण्टन

150. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 16–12–1982 को चम्बल कालोनी कापरेन में भू-आवण्टन की एवं अन्य क्या राजस्व कार्यवाही की गयी है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अडीला पटवार क्षेत्र में कितने कृषकों को भू-आवंटन किया गया?

(3) क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कब्जे दे दिये गये, अगर नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) दिनांक 16–12–1982 को चम्बल कालोनी कापरेन में किये गये भू-आवंटन में कुल 12 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था। राजस्व कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अडीला पटवार क्षेत्र के कुल 11 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कब्जे दिये जा चुके हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या अलाटमेंट कमेटी में दो सदस्यों के उपस्थित रहने से ही अलाटमेंट किया जा सकता है। घाट का बारा में जो अलाटमेंट किया गया है वहां लोगों को कोई जानकारी नहीं। जवाब दिया गया है कि

Page No.2

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

घाट का बराना में कापरेन सरपंच उपस्थित नहीं था। उसको तो सूचना ही नहीं थी वह किस तरह से उपस्थित होता।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को और उसके जबाब को देखकर मैंने विभाग से यह जानकारी की है कि एडवाईजरी कमेटी के अन्दर एस. डी. ओ; प्रधान, तहसीलदार, विधायक, बी. डी. ओ और सरपंच ये सब इसके अन्दर सदस्य हैं। उनमें सिर्फ एस. डी. ओ. और तहसीलदार वहां पहुंचे हैं। मैंने उनसे पूछा कि विधायक नहीं हैं, प्रधान नहीं है, बी. डी. ओ. सरपच नहीं, गांव के लोग नहीं खुद उन्होंने भी लिखा है कि कोई अडीला गांव का आदमी नहीं था और सरपंच भी नहीं था। मैंने इसके विवरण के बारे में पूछताछ की है कि इस तरह कैसे अलाटमेंट किया कि जिसमें दो अधिकारी पहुंचकरी अलाटमेंट करके चले गये हैं। उसका विवरण मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इस प्रकार के अलाटमेंट को क्या आप सही मानती हैं ? नहीं, तो रद्ध करिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पन्ना पुत्र मांगीलाल मीणा को जो जमीन दी गयी है वह खलिहान की है। गांव में विरोध हुआ उस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है अनुसूचित जाति के सदस्यों में जो रामचन्द्र और राम करण बलाई को जो कब्जा दिया है उसकी मैंने कापी करके संबंधित अधिकारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को, जिलाधीश आदि को रजिस्ट्री से पत्र भेजा है, उसको आज तक कब्जा नहीं दिया गया है केवल मात्र अपने रिश्वत के पैसे बटोरने के लिए दोनों अधिकारियों को वहां एक कार्यक्रम लेना था 16. 12. 1982 से ठीक 15 दिन बाद 31. 12. 1982 को प्रशासन गांवों की ओर का कार्यक्रम तय था, उसकी घोषणा हो चुकी थी। मैं राज्य कर्मचारी होने के नाते स्वयं कमेटी में उपस्थित था उसके बाद भी यह फर्जी कार्यवाही रचकर जो कार्य किया है उसके लिए मैं–माननीय राजस्व मंत्री जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि उसको रद्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगी कि अधिकारियों ने षड्यंत्र करके एस. सी. और एस. टी. के लोगों को जमीन न देने की योजना बनाकर जन प्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी, गांव वालों को सूचना नहीं दी गयी और यह अलाटमेंट जो किया गया है यह एकदम अवैधानिक है, फर्जी है। यह जो हरिजनों की सूची दी है कि कब्जा दिलाया है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी कब्जा अगर दिला दिया हो तो, केवल नाम का कब्जा है और वास्तव में वहां पर दूसरों का कब्जा है। यह मंत्री महोदय, बराबर सदन को गुमराह करती हैं, कोई कारगर कार्यवाही नहीं करती हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रमुख सवाल यह है कि क्या आप इस अलाटमेंट को अवैध मानते हैं और यदि

Page No.3

(श्री हरीश शर्मा)

मानते हैं तो क्या ग्राप इस ग्रलाटमेंट को निरस्त करेंगे ? यदि इसको ग्रवैध नहीं मानते हैं, तो क्यों ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, क्या यह बतायेंगे कि यह जो मीटिंग हुयी उसके लिये कोई कोरम निश्चित है ग्रौर यदि है, तो कितने का है ग्रौर क्या यह मीटिंग कोरम के पूर्ण होने पर की गयी है ? नहीं, तो क्या ग्राप इसको ग्रलाटमेंट मानेंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जाट।

श्री रामचंद्र जाट (बनेड़ा) : माननीय राजस्व मंत्री महोदया, क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि कमाण्ड एरिया के ग्रलाटमेंट के रूल्स में कोरम की ग्रावश्यकता नहीं रहती है ग्रौर क्या यह सरकार को जानकारी है कि सूचना देने पर ग्रगर कोई कोरम का सदस्य नहीं है तो ग्रलाटमेंट ग्रथोरिटी जो एस. डी. ग्रो. होता है, वह ग्रलाटमेंट कर सकता है ? ग्रगर इस तरह का नियम है, तो क्या सरकार इसमें ग्रावश्यक संशोधन करके कोरम की ग्रनिवार्यता रखेगी ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ा मालानी) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रलाटमेंट एडवाईजरी कमेटी जो है इसमें जैसा मंत्री महोदया ने बताया विधायकों को, प्रधान को मेम्बर रखा है लेकिन हमारे बाड़मेर जिले में तो....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो लिमिटेड क्वश्चन है। यह प्रश्नकाल है।

श्री हेमाराम चौधरी : विधान सभा के दौरान मीटिंग रखकर रेगुलराइज कर दिया या ग्रलाटमेंट कर दिया ग्रौर विधायक यहां बैठे रहते हैं राज्य सरकार के ग्रादेशों की भी पालना नहीं कर के वहां पर मीटिंग करते हैं उनका क्या करेंगे। क्या इसको वापस मीटिंग बुलायेंगे या इनको निरस्त करेंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया कि न तो मौके पर जमीन है ग्रौर इस तरह की विवादास्पद जमीन....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप रीपीट क्यों कर रहे हैं ? माननीय सदस्य सवाल पूछ चुके हैं उत्तर ग्राने दें।

श्री हीरालाल ग्रार्य : मेरा निवेदन है कि सरकार ने केवल ग्रांकड़े बढ़ाने के लिए यह किया है। कब्जा नहीं दिया। केवल ग्रांकड़े बढ़ाने ग्रौर दिखाने के लिए कि हम ग्रलाटमेंट कर रहे हैं। न जमीन मिलती है ग्रौर न कुछ होता है। यह ग्रांकड़ों की सरकार है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। उत्तर ग्राने दें।

Page No.4

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कब्जा दिखाने का सवाल है मुझे जो सूचना दी गयी है उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि दिनांक 29-12-1982 को उन्हें कब्जा दिलाया जा चुका है। जिनको ये जमीनें अलाट हुयी हैं माननीय सदस्य का यह कहना है कि पन्ना पुत्र मांगीलाल मीणा है उसको अलाटमेंट दिया गया है, जिसका कब्जा भी बताया गया है। यह खलिहान की जमीन है और गांव वालों ने कब्जा नहीं देने दिया है तो ऐसी स्थिति में तो मैं जांच करके बता सकती हूं। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्यों ने बात उठायी है कि बिना कोरम के एडवाईजरी कमेटी में दो सदस्य ही कैसे अलाटमेंट करके चले आये। क्या यह बड़ी बेकायदे चीज नहीं है? एडवाईजरी कमेटी है उसमें कोरम का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन गांव में दो आदमी बैठकर गांव के आदमी नहीं हैं, पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव नहीं हैं तो उनको अलाटमेंट करना नहीं चाहिए था इसलिए मुझे भी शंका हुयी है। इसकी जानकारी मैंने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन व्यक्तियों जो को अलाटमेंट हुआ है उससे मुझे भी शंका हुयी है। एक को सिर्फ 16 बिस्वा हुयी है, एक को सिर्फ एक बीघा हुयी है और एक को एक बीघा और 19 बिस्वा हुयी है। यह जमीन अलाटमेंट हुयी है या पहले से जमीन है उसकी क्षति पूर्ति है, क्या स्थिति है इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी खुद अपने स्तर पर मैंने पूछताछ करवायी है। अभी सूचना उपलब्ध नहीं है और सूचना आने पर मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगी। जहां तक बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में राज्य सरकार का यह सख्त आदेश है कि विधान सभा जब चलती हो उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई कमेटी या समिति की बैठकें नहीं रखी जायं जिसमें विधान सभा के सदस्य, हों।

श्री हेमाराम चौधरी : बैठक रखी थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं पूछ देता हूं। आपको जो जानकारी दी गयी है, उसमें गलती होने पर आप कार्यवाही करेंगी क्या?

श्रीमती कमला : सूचना यदि गलत है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उन्होंने कहा कि कई बातों की जानकारी नहीं है और वे स्वयं उनसे कनविन्स नहीं हैं। मैं भी दो सवाल करना चाहता हूं। इसको स्थगित कर दिया जाय क्योंकि इसके अन्तर्गत और भी सवाल हैं। आपको जानकारी है कि दो लोगों ने कब्जा कर लिया, उन लोगों को मार पीटकर भगा दिया। पुलिस में रिपोर्ट भी की गयी....

श्री अध्यक्ष : अलाटमेंट अगर गलत हुआ है तो माननीय मंत्री ने कह दिया कि कार्यवाही करेंगे तो स्थगित करने का प्रश्न कहां आता है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच तो उन बातों की जायेगी, जिनका जिक्र होगा।

(व्यवधान)

Page No.5

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सदस्य बोल रहे हैं। कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ताकि हमको जो और सवाल करने हैं जिसके ऊपर....

श्रीमती कमला : जवाब मांग लूंगी। आप अभी कर लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या मंत्री महोदया को यह जानकारी है कि जो व्यक्ति वहां गये कब्जा करने के लिये उनको मार पीटकर वहां से भगा दिया, कब्जा लेने नहीं दिया। ये पूछना है....

श्रीमती कमला : कौन से केस की बात पूछ रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : कौन से केस की बात पूछ रहे हैं आप यह मंत्री महोदय को कह दें।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन क्वश्चन पूछे जाते हैं बाकी सारे क्वश्चन्स रह जाते हैं। हम आपसे चाहेंगे कि सप्लीमेंटरी के बाद मौका दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप मंत्री महोदय को जानकारी दे दीजिये, जांच हो जायेगी। नेक्स्ट।

राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रतिशत

151. **श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(1) राजस्थान के विश्वविद्यालयों के इस वर्ष जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत कितना है ?

(2) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, और उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि अनेक हरिजन विद्यार्थियों के छात्रावास में रहने के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर उन्हें छात्रावासों में स्थान नहीं दिया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की वर्तमान संख्या व प्रतिशत से संतुष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय, जानकारी पूरी नहीं हो तो आप स्थगित करा दें। मैंने जवाब पढ़ा है इसलिये कह रहा हूँ आप पहले पार्ट में कह रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आये हैं अत: उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री पंकज पंचोली (बेगू) : How do you know the answer ?

श्री मानिकचन्द सुराना : I have seen the reply of the question.

शिक्षा मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) अभी तक सभी विश्वविद्यालयों के

Page No.6

(श्री रामपाल उपाध्याय)

समस्त परिणाम घोषित नहीं हुए हैं अतः वांछित प्रतिशत के विषय में उत्तर देना संभव नहीं है

(2) राजस्थान में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सत्र 1984-85 में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 3361 थी। इनमें से 588 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र थे।

(3) बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता है किन्तु 17 अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश स्थानाभाव के कारण नहीं दिया जा सका था।

(4) विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकाधिक प्रयत्नशील है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जिन-जिन विषयों का दिया गया है उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है और उनकी संख्या क्या है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने माननीय सदस्य को शुरू में निवेदन कर दिया था कि क्योंकि पूरे विषय के रिजल्ट्स नहीं आये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : अनुसूचित जनजाति में जो इस वर्ष पास हुए हैं उसकी संख्या क्या है ? जो रिजल्ट्स आये हैं····

श्री अध्यक्ष : आपने कम्प्लीट मांगा है। आपने किसी विषय विशेष का पूछा होता। आपने तो कम्प्लीट जानकारी मांगी है तो भेद नहीं किया जा सकता····

श्री मानिकचन्द सुराना : आप क्वश्चन को तो देखें....

श्री अध्यक्ष : यह नहीं पूछा आपने कि किन विषयों में पास हुए हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये कहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है उसका आधार क्या है ? पिछले वर्षों बढ़ी है या घटी है ?

श्री अध्यक्ष : वृद्धि की बात की है....

श्री मानिकचन्द सुराना : ये कह रहे हैं कि निरंतर वृद्धि हो रही है।

श्री अध्यक्ष : वृद्धि तो है ही हर साल..

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर तीनों हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालय, हैं। इसमें केवल राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 5% का आरक्षण है। इसकी बजाय उन्होंने इस वर्ष 8% छात्रों को प्रवेश दिया है। दूसरा निवेदन करना चाह रहा था कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस साल 322

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जिनमें से अनुसूचित जाति 170 अनुसूचित जनजाति 144 । जोधपुर विश्वविद्यालय में 1113 में से 204 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में, जिनमें से अनुसूचित जाति 59 और अनुसूचित जनजाति 145 । इस प्रकार का दिया था मैं क्षमा चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मेरे पास गत वर्ष के आंकड़े नहीं हैं लेकिन निश्चित तौर पर इसमें वृद्धि हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराना : क्या राज्य सरकार इस बात का जवाब देगी जब अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में 12 और 6, 18 % है तो सिर्फ 5 % आरक्षण राजस्थान विश्वविद्यालय में किये जाने का कारण क्या है और इस प्रतिशत में, आरक्षण के प्रतिशत में वहां जो विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है उसमें बढ़ोत्तरी करने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं सरकार निश्चित तौर पर यह विचार करेगी यद्यपि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है फिर भी निश्चित तौर पर विचार करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस आरक्षण को सुव्यवस्थित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । माननीय सदस्य....

श्री मानिकचन्द सुराना : अनुसूचित जाति के 17 वद्य थ र ों को प्रवेश नहीं मिला, क्या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग प्रवेश चाहते हैं यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों में उनके लिये समुचित व्यवस्था की जाय और ऐसा कोई एक भी विद्यार्थी न रहे जो छात्रावास में प्रवेश चाहता हो उसको प्रवेश न मिले ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इस अनिश्चयात्मक स्थिति के बारे में यहां कुछ कहना नीतिजन्य तो ठीक है मगर व्यवहारजन्य ठीक नहीं है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी आते हैं उनमें उनका पर्सेण्टेज बढ़ाने पर कितने बचते हैं वैसे, जैसा आपको मालूम है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से जिस तरह से इन विद्यार्थियों को बाहर और अन्दर, छात्र और छात्राओं को जिस प्रकार से स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप चाहें तो मैं इस विवरण को भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं लेकिन आपकी इस मान्यता में सरकार का विश्वास है और निरन्तर इसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न हो रहा है।

श्री ग्यारसी लाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति के छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उन पर प्रति छात्र, प्रति मन्थ कितना पैसा खर्च होता है ?

श्री अध्यक्ष : पृथक से प्रश्न है, माननीय सदस्य । यह अलग सवाल है।

श्री अशक अली

श्री अशक अली टांक (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय

(श्री अश्क अली टाक)

ने अभी बताया कि अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो मैं यह पूछना चाहूंगा, किस नीति के अन्तर्गत, किस प्रकार से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, फंक्चुअल पोजीशन पूछिये, नीति वीति मत पूछिये आप, फंक्चुअल प्रश्न पूछना हो पूछ लीजिए। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। नीति की बात बता दी अभी मन्त्री महोदय ने।

श्री अश्क अली टाक : महोदय, विश्वविद्यालय में अभी इस प्रकार की क्लासें चल रही हैं जो कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाती हैं इस प्रकार से प्रिलिमनरी एग्जामिनेशन के लिए 500 रुपए फीस ली जाती है इस प्रकार के एग्जामिनेशन में 500 की फीस अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी दे नहीं पाते हैं, वहां जरूरी है इन विद्यार्थियों का होना क्योंकि कम्पीटीशन में वह भी भाग लेते हैं वहां पर उनको लिया नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में क्या, जब राज्य सरकार यह महसूस करती है कि हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो क्या उन क्लासों में उन विद्यार्थियों का होना जरूरी नहीं ?

श्री अध्यक्ष : समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आया हो तो आप जवाब दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं, कौन-कौन से कदम उठाते हैं ? प्रश्न यह है इनका कि प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न बहुत हैं आज। मन्त्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात को एक बार फिर दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। अश्क अली पूछ रहे हैं। उनका सवाल नहीं समझ में आया है, फिर पूछ रहे हैं।

माननीय सदस्य, आप जितना लम्बा पूछेंगे आपके क्वश्चन रह जायेंगे। आप सप्लीमैन्ट्री में अपने आप कटौती करना चाहें तो ठीक है वरना मुझे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। सहयोग करें, सप्लीमैण्ट्री में अपने आप पर संयम रखें थोड़ा।

श्री अश्क अली टाक : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहती है, विश्वविद्यालय में कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन की टीचिंग के लिए कोचिंग क्लासें चलती हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पृथक से प्रश्न हैं अलग से सवाल है, माननीय सदस्य। इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री अश्क अली टाक : विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त जो क्लासें चल रही हैं।

Page No.9

श्री अध्यक्ष : मैं आप से कह रहा हूँ, इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है, जो आप पूछ रहे हैं। कृपया बैठ जायं। श्री सी. पी. जोशी। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न यह पूछना है, राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में जो फिगर दिये हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जोधपुर यूनिवर्सिटी के और उदयपुर यूनिवर्सिटी के, शिड्यून्ड ट्राइब्स का उसका पर्सेण्ट 01 पर्सेण्ट भी नहीं आता है, जो फिगर दिये हैं उसका। 144 छात्र उदयपुर विश्वविद्यालय में, जिस उदयपुर की ट्राइबल की जनसंख्या इतनी ज्यादा है वहां मात्र 144 स्टूडेण्टस् हैं ?

श्री अध्यक्ष : विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं उन्हीं से काम चलेगा। पॉपुलेशन से उसका आधार नहीं बनायेंगे। आप इसका पॉपुलेशन से कैसे आधार बनायेंगे। इसका पॉपुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उनको एनरोल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जितनी जनसंख्या राजस्थान के अन्दर है उसके अनुपात में विश्वविद्यालय में छात्र नहीं आ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार क्या योजना अपने विचाराधीन रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय। माननीय सदस्य, बहुत प्रश्न हो गये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, के यू. जी. सी. के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्कॉलर शिप और हॉस्टलर्स की स्कॉलरशिप में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, पृथक से प्रश्न है। अलग से सवाल है।

श्री नवरंग सिंह : अलग नहीं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के पास रिकॉर्ड है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय ले रहे हैं, कृपया बैठ जायं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, प्रश्न काल के बाद जब कई माननीय सदस्य मुझसे मिलते हैं तो वे मुझे बराबर शिकायत करते रहते हैं। आसन पैरों पर हो तब माननीय सदस्य खड़े नहीं हुआ करते। माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्य बराबर यह कहा करते हैं कि हमारे प्रश्न नहीं आते।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सप्लीमैण्ट्री पर आप अपने आप में संयम नहीं बरतेंगे। सप्लीमैण्ट्री उचित और बहुत जरूरी हो उसे ही पूछें। केवल सप्लीमैण्ट्री की खातिर सप्लीमैण्ट्री कर यदि प्रश्न को लम्बा करेंगे तो कई माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे ही रह जाते हैं, फिर रह जायेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर आने आप नियंत्रण करें तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि ज्यादा माननीय सदस्यों के प्रश्न इसमें आ सकें।

मन्त्री महोदय। आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं।

श्री रामपाल उपाध्याय : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि मेरे पास तीनों विश्वविद्यालयों के जो तथ्य थे उनको मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। उसके बारे में जनसंख्या के आधार पर कितना क्या है वह तो प्रवेश लेने पर, उनकी योग्यता के आधार पर, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर कई सामाजिक मामले खड़े हुए हैं इसलिए इसका कोई निश्चित उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रवेश के मामले में कोई आर्थिक-सामाजिक नहीं। मन्त्री महोदय इस प्रश्न को गलत ढंग से इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनसंख्या के साथ नहीं जुड़ा हुआ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं, आपके राजस्थान में ट्राइबल की इतनी पॉपुलेशन है। इसके अनुपात में विद्यार्थी विश्वविद्यालय में नहीं आ रहे है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं? आर्थिक-सामाजिक का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक यह पूछ लें, विद्यार्थी आये हों और लौटा दिये गये हों तो समझ में आता है लेकिन जनसंख्या के आधार पर यह प्रश्न नहीं जोड़ा जा सकता।

आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी जनसंख्या के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में नहीं आयें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की क्या नीति निर्धारित है?

श्री डूंगरराम पंवार : (टी बी) अनुसूचित जाति के बारे में सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। 152

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें। कृपया आपस में बात नहीं करें माननीय सदस्य।

नेक्स्ट क्वश्चन। 152

Page No.11

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान की खरीद

152. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : व **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 6.3.1984 को स्लेटें, लालटेन, कैंची गिनती फ्रेम, साइन बोर्ड, ढोलक, अल्मूनियम के बर्तन आदि के लिए करीब 28 लाख की निविदायें आमंत्रित की गयी थीं? यदि हां, तो कृपया निविदा की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ फर्मों को निविदायें स्वीकार कर उन्हें माल सप्लाई का आदेश दिया गया? यदि हां, तो किस-किस फर्म को कौन-कौन सा सामान कितने-कितने रुपयों की सप्लाई करने का आदेश दिया गया?

(3) किस किस फर्म ने कितना कितना माल सप्लाई किया? किस-किस संस्था को कितना-कितना भुगतान कर दिया गया, किस-किस का कितना-कितना भुगतान बाकी है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा स्लेटें, लालटेन, कैंची, गिनती फ्रेम, साइन बोर्ड ढोलक, अल्मूनियम के बर्तन के लिए करीब 28 लाख की निविदायें दिनांक 5.3.1984 को आमंत्रित की गयी थीं। निविदा खोलने का दिनांक 6.3.1984 रखा गया था। निविदा सूचना दिनांक 20-2-1984 को जारी की गयी थी। निविदा सूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) जी हां, जिस फर्म को जितनी राशि का जो सामान सप्लाई करने के आदेश दिये गये, वह इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम पार्टी	सामग्री दर	मात्रा	अनुमानित लागत
1.	मै० एम. एल. ट्रेडर्स, जयपुर	स्लेटें 1. 80 प्रति	2777800	499860
2.	जयपुर स्टील प्रोडक्टस	गिनती फ्रेम 16.25 प्रति बिक्री कर अति	24600	162500
3.	गुडएज मैन्यू० कम्पनी, जयपुर	साइन बोर्ड 44/प्रति बिक्री कर अतिरिक्त	2000	95040
4.	राजस्थान प्रकाशन जयपुर	लालटेन 9.84 प्रति	7000	74390

5.	कट्टा मैटल वर्क्स, जयपुर	एल्मूनियम के बर्तन		
		1. भगोने 45/- प्रति किलो बिक्री कर प्रति.	3000	
		2. चम्मच 57/- प्रति किलो बिक्री कर प्रति.	2000	
		3. प्लेट 45/- प्रति किलो बिक्री कर प्रति.	150000	
		4. गिलास 45/- प्रति किलो बिक्री कर प्रति.	2000	
		5. लोटे 43.81 प्रति किलो	4000	1176513.99

(3) सूचना सदन के पटल पर परिशिष्ट 'ब' में रख दी गयी है।
(निविदा सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से पहला प्रश्न तो यह पूछना चाहूंगा कि करीब 30 लाख रुपये के माल के लिये अल्पकालिन निविदा सूचना आमंत्रित क्यों की गई, पूर्ण कालिन निविदा सूचना आमंत्रित क्यों नहीं की गई और अखबारों में इसको प्रकाशित क्यों नहीं कराया गया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पकालीन निविदा (शार्ट टर्म टेण्डर) करने का कारण यह था कि आई. सी. डी. एस. प्रोग्राम लागू किया था, उससे सामान पर्चेज करना बहुत आवश्यक था और टेन्डर इन्वाइट करने के कारण, और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की कानकरेन्स के अनुसार ही इसका टेन्डर इन्वाइट किया था। एफ.डी. की डाइरेक्शन्स एफ. डी. (33) एफ. डी./जीआर.-ए। 79 दिनांक 21 अप्रेल, 1981 के तहत रूपीज फाइव थाउजेन्ड से ऊपर उसके तहत हमने टेन्डर इन्वाइट किया था। इस लिये अवहेलना की बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है इस सामान की इनको बहुत जल्दी आवश्यकता थी इसलिये उन्होंने अल्पकालीन निविदायें सूचना आमंत्रित की, तो क्या यह सारा सामान, जिस काम के लिये जरूरत थी उस काम के लिये भेज दिया गया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इस सामान का पैसा और अभी देना बाकी है इसलिये सामान भेजा नहीं,

(श्री छोगाराम बकोलिया)

आई. सी. डी. एस. सेन्टर पर नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब सुन लीजिये पहले।

श्री छोगाराम बकोलिया : जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि यह टेण्डर शार्ट टर्म में इन्वाइट क्यों किया गया? पहले हमने टेण्डर इन्वाइट किया 17-11 1983 को नम्बर 14773 के तहत और दिनांक 3-12-1983 लास्ट डेट थी और 5-12-1983 को टेण्डर खुलने थे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अखबारों में छपने से कैंसिल कर दिया—

श्री छोगाराम बकोलिया : अखबारों में.... टेण्डर कैंसिल करके दुबारा टेण्डर इन्वाइट करने....

श्री शोपत सिंह : दुबारा वाला-वाला ही टेन्डर कर दिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : दुबारा पूर्ण टाइम में टेण्डर इन्वाइट किया था जो नम्बर 2570 दिनांक 20-2-1984 के द्वारा किया था और जिसकी 15 दिन की क्लियर नोटिस दी गई थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह सही है कि मैसर्स राजस्थान प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर और गुडएज मै. न्यू० कं०, आतिश मार्केट, जयपुर को पूर्ण भुगतान कर दिया गया जबकि समिति की रिपोर्ट यह थी कि इनका मैटेरियल सब-स्टेण्डर्ड था। नम्बर तीन मैसर्स कट्टामैटल्स वर्क्स, जयपुर को आंशिक पेमेन्ट कर दिया गया?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया है कि इनको आंशिक भुगतान हुआ है। मेरे पास भी इस प्रकार की इत्तला पहुंची थी, दूसरे टेण्डर्स के सप्लायर्स, हैं उनको भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण मेरे पास भी शिकायतें पहुंची और उन शिकायतों की पत्रावली देखी। पत्रावली में कुछ पर्चेज में कमी महसूस करते हुये उनका सारापेमेन्ट रोका गया। इसकी पूरी इन्क्वायरी होगी और जो कोई भी रेस्पोन्सिबिल अधिकारी होगा उसके अगेन्स्ट एक्शन लिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने आदेश दिये थे कि मैसर्स एम. एल. टेडर्स को भुगतान कर दिया जाय किन्तु आपके आदेशों के बाद भी भुगतान नहीं किया गया क्या, यह सही है?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैंने इस प्रकार के आदेश बिना पत्रावली की गहराई में जाकर पहले न तो दिये और न देने की बात थी। केवल मात्र उसके ऊपर इन्क्वायरी की कि क्या मैटर है, Matter should be brought my to notice और उस नोटिस पर पत्रावली आई, मेरे पास पत्रावली आई तो उसमें देखा तो पाया कि शेडूयल ऑफ पावर्स में पर्चेज नहीं की गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये तो सही, थोड़ा धीरज रखें।

श्री छोगाराम बकोलिया : शेड्युल ग्रॉफ पावर्स बिजनेस में शेड्युल ग्राफ पावर्स डिप्टी सेक्रेटरी को दिये गये हैं उस बिजनेस के ग्रन्दर रुपीज 25 थाउजेण्ड के लिये जी. ग्रो. डिप्टी सेक्रेटरी हैं उसके बाद ग्रप टू रुपीज 2 लैक्स डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एण्ड मिनिस्टर कन्सर्न्ड के पास फाइल ग्रानी चाहिये ग्रौर दो लाख से ऊपर की पर्चेज के ग्रन्दर फाइल मिनिस्टर के पास ग्रानी चाहिये। क्योंकि उसमें मिनिस्टर की एप्रूवल नहीं थी, इसलिये हमने उसके ऊपर इन्क्वायरी की ग्रौर रेस्पोन्सिबिल ग्रॉफिसर जो भी उसके ग्रन्दर हैं ए. ग्रो. ने भी पेमेन्ट कर दिया तो उसके ग्रगेन्स्ट भी कार्यवाही कर रहे हैं, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स ग्रप करके मुझे इतला करें यह मैंने लिखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है, वास्तविक बात यह है कि मैसर्स राजस्थान प्रकाशन, मैसर्स गुडएज मैन्यू० कं० ग्रातिश मार्केट, जयपुर ग्रौर मैसर्स कट्टा मैटल्स वर्क्स, जयपुर पहले ग्रखबारों में वाइड पब्लिसिटी करके जो टेण्डर्स निकाले गये उन टेण्डर्स को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद में 3 ग्रल्पकालीन निविदायें निकाल कर 30 लाख रुपये का माल इन लोगों से मिलकर इस शर्त को वेव करके केवल एप्रूव इण्डस्ट्रीज से माल खरीदा जाय इसको वेव कर दिया ग्रौर ग्रापस में, डायरेक्टर ने मिलकर, साजिश करके इस माल को पर्चेज किया। ग्रापको सुनकर ताज्जुब होगा, ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने तो इसको रोका है, जांच कर रहे है उसकी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, ग्रध्यक्ष महोदय, पर्चेज कर लिया ग्रौर पर्चेज करने के बाद में....

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो ग्रनियमितता हुई है उसकी जांच कर रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैसर्स एम. एल. ट्रेडर्स, जयपुर जो इनकी गैंग में नहीं था, फंस गया। तीनों को पेमेन्ट कर दिया गया। मंत्री महोदय मैं ग्रापको याद दिलाता हूं कट्टा ब्रदर्स को ग्रापके पेमेन्ट रोकने के ग्रादेश के बाद में पेमेन्ट किया गया ग्रौर 6 पर्सेन्ट कमीशन ग्रापके सेक्रेटरी शर्मा ने लेकर उसका पेमेन्ट किया। मैसर्स एम. एल. टेडर्स जब वहां पर गये तो उन्होंने कहा कि 6 पर्सेन्ट ग्राप भी दे दें तो ग्रापका भी पेमेन्ट हो जायेगा। ग्रापके सारे ग्रधिकारी इसमें मिले हुये हैं। जब ग्राप मंत्री नहीं थे उसके पहले जांच चली थी, ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको सुनकर ताज्जुब होगा कि सारा का सारा माल जो 30 लाख रुपये का है वह बारिश ग्रौर गर्मी में सूखने के लिये समाज कल्याण विभाग के बाहर पड़ा–पड़ा खराब हो रहा है। 30 लाख रुपये का माल, डायरेक्टर जो खरीदने के समय में थे उन्होंने ग्रौर भूतपूर्व मंत्री ने साजिश करके चूना लगाया ग्रौर ईमानदार ग्रादमी जाये, जो ग्रापको 6 पर्सेन्ट कमीशन नहीं दे रहे हैं उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो लोग ××× में शामिल नहीं है उन लोगों का पेमेन्ट रोका गया। इस प्रकार से 30 लाख रुपये का जो चूना लगाया गया आपके समाज कल्याण विभाग द्वारा उसकी निश्चित रूप से जांच की जाय और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उन्हें दण्डित किया जाय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना मैं जान गया हूं और गंभीरता से जो बात उन्होंने बताई है उसके तहत इन्क्वायरी कन्डक्ट करने के लिये कहा गया है और फिर जो जानकारी मेरे को दी है, उसमें यदि अनियमितता बरती गई है तो उसके लिये गहराई से और जांच कराऊंगा और हाई लेविल, सेक्रेटरी लेविल पर जांच कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामसिंह विश्नोई।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित डाक्टर्स

153. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) व **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में दिनांक 31-3-1985 को कितने डाक्टर डेपूटेशन पर लगे हुए थे ? कृपया जिलेवार सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) डेपूटेशन के नियमों की क्या आदेश करते समय पालना पूरी तरह की जाती है ?

(3) डेपूटेशन पर कार्यरत डाक्टरों के कार्य का मूल्यांकन किये जाने की क्या कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना की जा रही है ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) दिनांक 31-3-1985 को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की सूची संलग्न हैं।

(2) जी हां।

(3) विभाग/संस्थान जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है, उनमें प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले डाक्टरों के कार्य मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग/संस्थान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उनमें प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले डाक्टरों के कार्य का मूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। इन निर्देशों की सामान्यतया पालना की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन डाक्टर्स को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : बटन दबा दीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह देवड़ा : उनकी कोई समयावधि निश्चित की गई है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति पर जो भी डाक्टर्स गये हैं उनकी समयावधि निश्चित रूप से रहती है और उसके बाद में आवश्यकता और रहती है तो एक्सटेंशन के लिये संस्थान हमें लिखते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो एक्सन्टेशन और दिया ज ता हैं।

श्री मानसिंह देवड़ा : जिन-जिन औषधालय में उनको भेजा गया हैं क्या उनको बदला है या उन्हीं संस्थानों में लगे हुये हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेन्टल प्रतिनियुक्ति का है फिर इसके लिये दिनांक 7-6-1985 आदेश क्रमांक 1551 के द्वारा आदेश जारी कर दिये हैं कि जो भी प्रतिनियुक्ति पर इस प्रकार के डाक्टर्स हैं। वह इमीडियेटली अपनी जगह पर उनका पदस्थापन हैं उस जगह पर ज्वाइन करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल कितने डाक्टर्स के पद हैं और उनमें से कितने डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े है ? नम्बर दो....

श्री अध्यक्ष : यह इसमें नहीं आता है, आपने सवाल प्रतिनियुक्ति का पूछा है....इसका जवाब तो ये नहीं दे पायेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रतिनियुक्ति पर तो आपके पास जब एक्स्ट्रा होंगे तभी तो भेजेंगे नहीं तो कहां से भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कहीं बहुत जरूरी हो तो प्रतिनियुक्ति पर भी भेजे जा सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : गांवों और शहरों के अन्दर स्थान रिक्त पड़े रहते हैं, जिससे राजस्थान की जनता का नुकसान होता है। हमारा प्रश्न पूछने का इरादा, मकसद यही था। पद रिक्त पड़े रहते हैं, गांवों में डाक्टर जाते नहीं, मैन्युपलेट करके डाक्टर्स प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, राजस्थान के अन्दर पद रिक्त पड़े रहते हैं। क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि अपने सेवा काल में डाक्टर 5 साल 10 साल गांवों के अन्दर जायेगा उसके बाद ही वे शहरों में लग सकेंगे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्त स्थानों का प्रश्न है यह अलग से प्रश्न है। लेकिन 84 डाक्टर्स ऐसे हैं जो डेपूटेशन पर कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके दो हिस्से कर दीजिये एक तो वो जो डिपार्टमेन्ट से डिपार्टमेन्ट में ही काम कर रहे हैं और दूसरे जो डेपूटेशन पर हैं और काम दूसरी जगह कर रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं बता रहा हूं, इस प्रकार के 84 डाक्टर्स हैं और हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि जो

(श्री छोगाराम बकोलिया)

इण्टर डिपार्टमेण्टली डेपूटेशन पर हैं उनको शीघ्र अपने पदस्थापन की जगह पर आने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके डिपार्टमेन्ट में कितने हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : डिपार्टमेन्ट में 84 हैं

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितने ऐसे हैं जिनकी गांवों में नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष : वही कह रहे हैं कि 84 हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं यही तो कह रहा हूं कि 84 डाक्टर शहरों में काम कर रहे हैं और उनको डाइरेक्शन दे दिये गये हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग जाय मैं निर्देश करूंगा कि within seven days, वो अपने पोस्टिंग की जगह ज्वाइन करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसे कितने डाक्टर्स कितने समय से शहरों में डेपूटेशन पर है, और गांवों में इससे चिकित्सा व्यवस्था सफर हो रही है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही समाप्त हो जाता है जब मैंने डाइरेक्शन दे दी ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मूल प्रश्न है उसकी भावना यह है कि गांवों में लगे हुए डाक्टर्स शहरों में अपना डेपूटेशन करा लेते हैं और तनख्वाह उनको गांवों से मिलती है और गांव वालों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमें जो सूची दी गई है वह डिपार्टमेन्ट के अलावा जो दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स में गये हैं उनकी दी है। डिपार्टमेन्ट से डिपार्टमेन्ट में जो डेपूटेशन पर गये हैं और जो लोग शहरों में लग गये हैं उनकी इन्टीरियर सूची नहीं दी है इन्टीरियर जो गांव हैं वहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है इसलिए आयन्दा के लिए आप डेपूटेशन के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोटेन्ट प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : डाक्टर झूठी हाजरी करके पैसा उठा लेते हैं, मैंने देखा है....

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन डाक्टर्स को शहरों से गांवों में लगाया जाता है उनको निर्वाह भत्ता भी दिये जाने का प्रावधान है, क्या मन्त्री महोदय ने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें इस प्रश्न की भी जानकारी दी गई है, आपके अधिकारियों ने आपको मिसगाइड़

(श्री माणकचन्द डाणी)

किया हैं। अजमेर जिले में कितने डाक्टर्स ऐसे हैं जिनको गांवों से शहरों में लगाया गया है ?

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने पूछा उसका उत्तर तो दीजिये, पैसा उठा लेते हैं झूठी हाजरी करके।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्षमहोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री छोगाराम बकोलिया : 16 डाक्टर्स अजमेर जिले में प्रतिनियुक्ति पर हैं और उसके कारण भी बता सकता हूं, मेरे पास कारण हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बताता हूं कारण, पैसा देकर शहरों में रहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहे हैं आप, कृपया बैठें आर्डर प्लीज, बैठें, माननीय सदस्य बैठें। नियमों का पालन करें, कृपया।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : चालीस साल तक किसी के समझ में नहीं आया है कि गांवों में जानवर रहते हैं उनको कोई डाक्टर की आवश्यकता नहीं है, 84 डाक्टरों को शहरों में डेपूटेशन कर देते हैं और गांवों को कोई फायदा नहीं मिलता। यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले सबको सुन लें।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या गांवों में डाक्टर भेजने के लिये अलग से कोई भत्ता देने की सरकार की योजना है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : बिल्कुल है, गांवों में डाक्टर्स नहीं रहते, क्या उनको अलग से भत्ता देने की योजना है ? दूसरी बात, क्या उनको अलग से नियुक्त करने की योजना है ताकि डाक्टर की नियुक्ति उस पर्टिकुलर स्थान पर हो ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई साहब का प्रश्न है कि लिस्ट दूसरी दे दी गई, मैं निवेदन करना चहता हूं कि प्रतिनियुक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, इण्टर डिपार्टमेन्टल, विदिन डिपार्टमेण्ट और अब्रोड। उन्होंने पूछा है कि डेपूटेशन पर कार्यरत डाक्टरों के कार्य का मूल्यांकन किये जाने की क्या कोई व्यवस्था है ? इसका मतलब इण्टर डिपार्टमेन्टल का है और उसकी सूची मैंने दी और वह इन्कम्पलीट इन्फार्मेशन नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अगर कम्पलीट लिस्ट है तो चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के गांव बिडियारा से एक डाक्टर को सुजानगढ़ में डेपूटेशन पर लगाया गया है, वह कब से डेपूटेशन पर है और उसको वापिस कब रतनगढ़ तहसील में लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जनरल क्वश्चन है।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अगर आपकी सूची में इतने नाम हैं तो यह भी होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर को बदनोर में लगा दिया जिसकी सी. एम. एच. ओ. को रिपोर्ट भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल को मैंने ओवर रूल कर दिया है। अब इस प्रश्न पर काफी प्रश्न हो गये हैं, मुख्य भावना यह थी कि डेपूटेशन की प्रथा गलत है, यह नहीं होना चाहिये। मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है कि विदिन सेवन डेज यह सारी व्यवस्था समाप्त करने के लिए डाइरेक्शन दे देंगे। इससे सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये। इस प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं।

नेक्स्ट।

(व्यवधान)

नेक्स्ट श्री थानसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि आगे से भविष्य में किसी भी डाक्टर को गांव से शहर में डेपूटेशन पर नहीं रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आगे की बात तो क्या कह सकते हैं अभी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या आगे से बिल्कुल ही प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाये जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर, आर्डर। श्री थानसिंह।

सरपंच, बामनियां (सलूम्बर) के विरूद्ध शिकायतें

154. श्री थानसिंह मीणा : (सलूम्बर) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सलम्बर में मजमा-ए-आम में सरपंच, बामनियां के खिलाफ कितने मामले पाये गये ?

(2) उक्त सरपंच के खिलाफ अनियमितताओं की कितनी रिपोर्ट दी गई ? उक्त रिपोर्ट पर एस. डी. ओ. सलूम्बर ने क्या कार्यवाही की ? यदि, नहीं की तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सरपंच के खिलाफ अब क्या कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री शीशराम ओला) :

(1) श्री अमरचन्द जो सहकारी समिति इटाली खेड़ा का सदस्य है तथा ग्राम पंचायत बामनियां का सरपंच भी है के विरुद्ध एक मामला पाया गया।

(2) एक रिपोर्ट प्राप्त हुई उस पर एस. डी. ओ. सलूम्बर ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत निर्णय देते हुए श्री अमर चन्द को दोषी ठहराया।

(3) नियमानुसार वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अश्कअली।

नगरपालिकाओं को प्रदत्त अनुदान में अभिवृद्धि

155. श्री अश्कअली टाक (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार अल्प आय वाली नगरपालिकाओं को आर्थिक दशा में सुधार हेतु अनुदान बढ़ाने का विचार रखती है ?

(2) ऐसी नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा में सुधार हेतु अनुदान के अतिरिक्त सरकार और क्या प्रयास करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, सामान्य अनुदान की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) अल्प आय वाली नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिये राजस्थान नगरपालिका वित्त निगम अथवा राजस्थान नगरपालिका वित्त बोर्ड का गठन तथा नगरपालिकाओं में चुंगी दरों का एकीकरण जैसे प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अश्कअली टाक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पंचायतों को प्रति व्यक्ति पांच रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है उसी तरह से नगरपालिकाओं के क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा जो पांच रुपया प्रति व्यक्ति सहायता दी जाती है उस राशि को क्या राज्य सरकार बढ़ाने का विचार

(श्री अश्कअली टाक)

रखती है ? और जिस प्रकार गांवों में आई. आर. डी. पी. और एन. आर. ई. पी. जैसी विकास की योजना चलती हैं, उसी तरह की कोई योजना क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्रों में भी चलाने का विचार करेगी जिससे कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को, जिनको कि आठ-आठ दस-दस महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिलती हैं वह मिल सकेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बैठें जरा जवाब देने दीजिये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नगरपालिकाओं को प्रति व्यक्ति पांच रुपया अनुदान दिया जाता है पर अब इस पांच रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर दस रुपये देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव मैंने आपको बताया कि अल्प आय वाली नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिये राजस्थान नगरपालिका वित्त निगम अथवा राजस्थान नगरपालिका वित्त बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है उसका मसौदा तैयार किया गया है और उसमें 49 प्रतिशत तो शेयर नगरपालिकाओं के होंगे और 51 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के होंगे जिससे की उनके डवलपमेंट के कार्यक्रम को चलाया जा सके जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आई. आर. डी. पी. और एन आर .ई. पी. के कार्यक्रमों का जो उदाहरण वहां पर लागू करने के लिये दिया है वह नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हो सकता है यह तो योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ही हैं। दूसरे जो बोर्ड या निगमों के द्वारा ही यहां पर विकास के कार्यक्रम होते हैं……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो अल्प आय वाली नगरपालिकायें जिनकी कि आय का कोई अन्य साधन नहीं है वहां पर कर्मचारियों की बहुत ही दयनीय स्थिति है क्योंकि उनको आज डेढ़ साल से तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं उसके लिये क्या सरकार अनुदान देने का विचार करेगी ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है क्योंकि उन नगरपालिकाओं के पास जो जमीनें थीं वह तो वह बेच चुकी हैं तो अब वह आय भी नहीं रही तो अब वह किस प्रकार से आय उपलब्ध करें, मेरा निवेदन यह है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र ऐसी नगरपालिकाओं को अनुदान दे ताकि वह अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें चुका सके और अपने क्षेत्र का विकास भी कर सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें मन्त्री महोदया जवाब दे रही हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, विकास के लिये एक तो सरकार नगरपालिकाओं को अनुदान देती है, नगरपालिकायें अपने यहां पर हाउस टैक्स लगा सकती है, दूसरे पर्यावरण के सुधार के लिये सरकार पैसा देती है सफाई व्यवस्था के लिये भी पैसा देती है और भारत सरकार भी कुछ अनुदान देती है यह सभी साधन हैं। पर यह सभी साधन मिलाकर भी कम हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि नगरपालिकायें अपने यहां पर अधिक कर्मचारी रख लेती हैं जिससे उनको तनख्वाहें भुगतान करने में मुश्किल होती है। अब एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, कृपया बैठें।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने कहा कि पांच रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि दी जाती है पर हमारे क्षेत्र में वह भी नहीं दी जाती है। दूसरे ऐसे ग्राम जहां पहले ग्राम पंचायतें थीं और अब उन ग्रामों को पालिकाओं की सीमाओं में मिला लिया है लेकिन वहां के रहने वाले लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है और वहां जिस प्रकार से राज्य सरकार राजस्व अभियान चलाती है वह अभियान हमारे अजमेर जिले में भी चल रहे हैं पर हमारे वहां पर क्यों नहीं चलाये जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं एक तो उन लोगों को रुपया नहीं दिया गया उसके लिये तो व्यवस्था की जा रही है आम तौर पर जनरल सवाल का तो नहीं पर कोई विशेष नगरपालिका के बारे में जिसमें नहीं दी गयी है वह तो मैं बता सकती हूं।

श्री रमजान खां : अजमेर ?

श्रीमती कमला : यह बात सही है कि कई गांवों और ढाणियों को नगरपालिका क्षेत्र में मिला दिया गया है उससे उन लोगों को जो लोग ढाणियों में या गांवों में रहते हैं तकलीफ अधिक हो गयी है और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो गयी है। क्योंकि उनको जो पंचायती राज से अनुदान मिलता था वह भी नहीं मिलता है और सफाई व्यवस्था भी उनकी हम करते हैं। अब वह गांव और ढाणी नगरपालिका की सीमा में आ गये हैं पर राजस्थान में ऐसे कौन-कौन से गांव और ढाणियां हैं, सभी के बारे में आप पूछना चाहें तो मैं नहीं बता सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह पूछना

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चाहता हूं कि आपके यहां पर चुंगी की समान दरों को लागू करने की प्रक्रिया कब से विचाराधीन है और यह कब से लागू होगी ? वरना इससे बहुत परेशानी होती है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इससे परेशानी होती है क्योंकि इसकी शिकायत कई नगरपालिकाओं की तरफ से भी आई और इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों ने भी की है क्योंकि कहीं पर चुंगी वजन पर ली जाती है कहीं पर कीमत पर चुंगी ली जाती है तो कहीं पर नगों पर चुंगी ली जाती है। इस मामले में विभाग की तरफ से कैटेगरीज बनायी गयी हैं कि किन-किन मदों पर किस-किस प्रकार का टैक्स लगाया जाय, कितने वजन के आइटम पर टैक्स लगाया जाय और किन चीजों पर नगों के हिसाब से टैक्स कितना लगाया जाय। चूंकि अभी तक इस पर पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है इसलिये अभी मैं जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार की घोषणा सदन में करने की स्थिति में नहीं हूं।

(12.00 मध्याह्न)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कब तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

एक माननीय सदस्य : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये। नियमों की पालना कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो अनुदान दिया जाता है वह अल्प आय वालों को दिया जाता है। क्या कारण है कि 1983 के बाद जो सड़कों के मामलों में अनुदान देने की नीति रही है, ब्यावर नगर पालिका और नगर परिषद् को अनुदान नहीं दिया गया है ? आपने सार्वजनिक नलों के ऊपर जो अनुदान दिया जाता है वह आज तक ब्यावर नगर परिषद को नहीं दिया। 1981 तक दिया। 1983 में देने की व्यवस्था नहीं की गई, क्यों ?

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत मामले नहीं, जनरल प्रश्न पूछिये। श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : अनुदान की राशि राजनीतिक आधार पर दी जा रही है। विपक्ष के जहां चेयरमैन हैं, वहां राशि नहीं दी जा रही है। मैं उदाहरण दे सकता हूं। उनका विकास नहीं हो रहा है। यदि विपक्ष के लोग जीतकर आ जायें तो पैसा नहीं देते हैं। यह लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के चेयरमैन हैं वहां दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्षजी, इतनी देर में तो हमारा प्रश्न भी आ जाता।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूँ जो म्यूनिसिपैलिटी में ओवर स्टाफिंग है उनको हटाने के लिए क्या सरकार कोई नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? क्या बिलाड़ा और पीपाड़ा नगरपालिका, जो अल्प आय वाली नगरपालिकायें हैं, को विशेष अनुदान देने का विचार रखते है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि अनुदान राजनीतिक आधार पर दिया जा रहा है, मैंने सीधी-सी बात बताई कि जनसंख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है, अब जन संख्या के ऊपर तो कोई राजनीतिक लेबल नहीं लगा होता। जितनी जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जाता है।

श्री हरीश शर्मा : कोटा में नहीं दिया, मेरे पास प्रमाण है कोटा का सत्यानाश कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठिये, आप प्रमाण बता दीजिए।

श्रीमती कमला : दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि जो ओवर स्टाफ है उसको हटाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। आम तौर पर विभाग की तरफ से नगरपालिकाओं को एक निर्देश दिया गया है कि आपकी जितनी आमदनी है, उससे अधिक स्टाफ है उसके आधार पर आप विचार करके उनको कम करें और आमदनी के मुताबिक ही खर्चा करने की चेष्टा करें। अभी उनको हटाये या नहीं हटायें जाने की स्थिति में नहीं हैं, टर्म्स एण्ड कंडीशन के सम्बन्ध में क्या-क्या बातें हैं यह मैं खड़े-खड़े नहीं कह सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदया ने अनुदान की केवल चर्चा की है, स्पेशल अनुदान जो दिया जाता है वह मार्च के अन्त में दिया जाता है और वह राजनीतिक आधार पर दिया जाता है। पिछली बार 20 भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिकायें थीं उनको स्पेशल अनुदान राजनीतिक आधार पर दिया गया, यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने मुझे पुकारा था.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य बैठिये, मेरी मजबूरी है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

177. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा):–क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 29 नवम्बर, 1984 को फरीदाबाद की पत्थर खानों से कितने परिवारों के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कितने बंधुआ मजदूर मुक्त करवाकर बाड़मेर लाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन परिवारों को कहां-कहां बसाया गया ? प्रत्येक मजदूर को कितनी धनराशि मंजूर की गई एवं कितनी धनराशि प्रत्येक मजदूर तक पहुंची है ? पूरी धन-राशि नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इन मजदूरों को मकान, रोजगार इत्यादि सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं एवं क्या इन परिवारों के पुनर्वास का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 29 नवम्बर, 84 को नहीं अपितु 18 दिसम्बर, 1984 को 89 मजदूर अपने परिवार सहित फरीदाबाद की पत्थर खानों से मुक्त करवा कर बाड़मेर लाए गए । इनके अलावा 8 बन्धक श्रमिक सपरिवार इससे पूर्व इन्हीं खानों से मुक्त होकर स्वयं बाड़मेर आ गए थे । अन्य एक बन्धक श्रमिक जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा गुजरात राज्य से मुक्त कराकर बाड़मेर लाया गया । इस प्रकार कुल 98 बन्धक श्रमिक सपरिवार बाड़मेर लाए गए । सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) इन परिवारों को ग्राम खतोल, आनियाना एवं सिन्दरी में बसाया गया । प्रत्येक मजदूर को संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार अंकित धनराशि मंजूर की गई । इनमें से प्रत्येक मजदूर को परिशिष्ट "ब" के अनुसार स्वीकृत 500 रुपये तक की तात्कालिक सहायता खाद पदार्थ, सिरकी, ठहरने की व्यवस्था एवं नकद राशि के रूप में व आवासीय सहायता हेतु 1000/– रुपये निर्मित तथा निर्माणाधीन मकानों के लिए उपलब्ध कराए जाने के अलावा परिशिष्ट "ब" में अंकित विवरण के अनुसार आर्थिक इकाई 54 बन्धक श्रमिकों को जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण बाड़मेर द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है । शेष के लिये कार्यवाही जारी है । प्रत्येक मजदूर को स्वीकृत तात्कालिक सहायता की पूरी राशि उपलब्ध करायी गई है । स्वीकृत यूनिट कोस्ट से कम राशि की आर्थिक इकाई उपलब्ध होने से इस हेतु स्वीकृत राशि एवं उपलब्ध करायी गई राशि में अन्तर रहा है ।

(3) जी हां । स्वीकृत आवासीय सहायता के अलावा 5 को राजकीय सेवा में भी लगाया गया है । 43 व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं वन विभाग के कार्यों पर लगाया जाकर रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है ।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में गर्ल्स कालेज

178. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली)—क्या महाविद्यालय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(सुश्री पुष्पा जैन)

पाली जिले में कहां-कहां पर लड़कियों के राजकीय कालेज हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों और अब कब तक कालेज खोलने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

पाली जिले में अलग से लड़कियों के लिये कोई राजकीय कालेज नहीं है। राजकीय महाविद्यालय पाली एवं एस. पी.यू. महाविद्यालय, फालना में लड़के तथा लड़कियों के लिए शिक्षण व्यवस्था तथा जोधपुर में छात्राओं के लिये अलग से उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अत: वर्तमान में सरकार का पाली में लड़कियों के लिये अलग से कालेज खोलने का विचार नहीं है।

आई. टी. आई. में प्रशिक्षणाधीन अनुसूचित जाति के छात्र

179. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)--क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि आई. टी. आई. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में सरकार ने बढ़ोतरी की है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब से ?

(2) क्या सभी आई. टी आई. केन्द्रों पर उक्त बढ़ी हुई दर के अनुसार छात्रवृति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कोटा आई. टी. आई के छात्रों को उक्त प्रशिक्षण की राशि समय पर नहीं चुकाये जाने क्या कारण है तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 15 रुपये प्रतिमाह वर्ष 1981-82 से।

(2) जी हां।

(3) कोटा आई. टी. आई. से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की सूचना निर्धारित प्रारूप में समय पर प्राप्त नहीं होने से धन राशि आवंटन नहीं की जा सकी। अब सूचना प्राप्त हो गई है और दिनांक 2.7.85 को भुगतान हेतु राशि आई. टी. आई. के प्राचार्य को भिजवा दी गई है।

पचायत समिति, श्रीमाधोपुर में वन विकास योजनाए

180. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):--क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में गत 4 वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत में धन विकास योजनाए स्वीकृत की गई ? कृपया सूची तारीखवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन विकास योजनाए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर ही स्वीकृत की जाती हैं ?

Page No.27

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

(3) ग्राम पंचायत अरनिया की योजना कब मंजूर हुई तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

(4) क्या ग्राम पंचायत अरनिया की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों तथा उसमें जिला स्तर पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) ग्रामीण ईंधन व चारागाह विकास वृक्षारोपण के बारे में ग्राम पंचायत अरनिया का प्रस्ताव दिनांक 4-3-83 जिलाधीश सीकर की स्वीकृति के लिए दिनांक 23-4-83 को प्रेषित किया गया इस पर कार्य किये जाने की मौलिक स्वीकृति जिलाधीश, सीकर ने दिनांक 16-5-83 को दी और उनके अनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया जिस पर रुपये 4833/–व्यय किये गये।

(4) जी हां। यह कार्य कितने क्षेत्र पर किया जावे इस सम्बन्धी विवाद को लेकर कार्य बन्द कर दिया गया था। अब इस कार्य को पंचायत समिति के माध्यम से पूरा कराने का निर्णय जिला स्तर पर किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

बीकानेर डेयरी संयंत्र के उत्पादन

181. श्री मानिक चंद सुराना (लूणकरणसर) :–क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर में डेयरी संयंत्र में दूध आधारित कौन-कौन से उत्पाद बनाने की मशीनें उपलब्ध हैं ?

(2) क्या बीकानेर के डेयरी संयंत्र में दूध आधारित विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कौन-कौन से उत्पादों की मशीनरी का एक बार भी आज तक उपयोग नहीं हुआ ?

(3) विगत 5 वर्षों में बीकानेर के डेयरी संयंत्र में घी व दुग्ध पाउडर का उत्पादन किस किस वर्ष में कितना कितना हुआ व उत्पादित माल का विक्रय किस-किस वर्ष में कितना-कितना हुआ व किन-किन दरों पर हुआ व उससे कितना लाभ हुआ ?

(4) उत्पादित माल का विक्रय किन-किन स्थानों पर हुआ ?

उत्तर

(1) बीकानेर डेयरी संयंत्र में मक्खन, घी, केसीन व दुग्ध पाउडर का उत्पादन करने की मशीनें उपलब्ध हैं।

(2) जी हां, बीकानेर डेयरी संयंत्र में आवश्यकतानुसार मक्खन, घी एवं दुग्ध पाउडर का उत्पादन किया जाता है तथा सभी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

Page No.28

(श्री पशुपालन मंत्री)

(3) बीकानेर डेयरी संयंत्र में विगत 5 वर्षों में घी व दूध पाउडर के उत्पादन, विक्रय व दरों संबधी विवरण तालिका "अ" पर संलग्न है। अमुक उत्पादन पर कितना लाभ हुआ, यह निकाला जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी उत्पादनों पर पूरे वर्ष का लाभ सम्मिलित रूप से निकाला जाता है, जिसमें बीकानेर और देहली में विक्रय किये जाने वाले दूध का लाभ भी सम्मिलित है। विगत् 5 वर्षों में समग्र रूप से हुये लाभ-हानि का विवरण तालिका "ब" पर संलग्न है।

(4) उत्पादित माल का विक्रय राजस्थान, देहली, कलकत्ता, बम्बई व गोहाटी में किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

वनों में अवैध चराई

182 सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर):– क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष लगभग 75 हजार मवेशी मारवाड़ के रेबारियों द्वारा उदयपुर डिविजन के झाड़ोल, गोगुन्दा तथा कोटड़ा क्षेत्र में चराई के लिए लाये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि रेबारियों की कुल्हाड़ियों के वार से बांस के पेड़ का एक ठूंठ भी नहीं बचता ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर डिवीजन के झाड़ोल, गोगूंदा तथा कोटड़ा क्षेत्र में रेबारियों द्वारा चराई के लिए लाये जाने वाले पशुओं की औसत संख्या 23830 रही है।

(2) प्रश्न अनुमानवाचक है। वास्तविकता में चराई कराने वालों को बांस काटने अथवा शाखा तराशने की अनुमति नहीं है। वनों में बांस के भिड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

ग्राम रोड़ला (जालौर) की भेड़ उत्पादक समिति

183. श्री मगराज चौधरी (आहोर) : क्या भेड़ एवं ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जालौर जिले में भेड़ उत्पादक समिति ग्राम रोड़ला के सभी सदस्यों ने समिति की सदस्यता से स्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोसायटी को भंग कर गोचर भूमि को पुनः ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। ग्राम रोड़ला जिला जालौर की भेड़ उत्पादक समिति के सदस्यों का स्तीफा अध्यक्ष/सचिव, सहकारी समिति अथवा सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जालौर जिले को प्राप्त नहीं हुआ है।

(भेड़ एवं ऊन मंत्री)

प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों के स्तीफे अगर प्राप्त होते हैं तो सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

बांसवाड़ा में वृक्षारोपण

184. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :–क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वन विभाग के माध्यम से वर्ष 1980 से लेकर मई 1985 तक कितने पौधे लगाये गये ? कृपया वर्षवार वन खण्डवार संख्या सूची सदन पटल पर रखें।

(2) इनमें से कितने पौधे जीवित रहे ? कृपया वन खण्डवार विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) पौधों के संरक्षण पर वर्ष 1980 से मई, 1985 तक कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया वर्षवार विवरण सदन पटल पर रखें। इसका आर्थिक लाभ जिला बांसवाड़ा को कितना मिलने वाला है ?

(4) इस अवधि में वन विभाग के माध्यम से निजी खातेदारों को कितने पौधे दिये गये एवं सरक्षण हेतु कृषकों को कितनी राशि दी एवं कितने कृषक लाभान्वित हुये ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वन विभाग द्वारा वर्ष 1980 से 1984 तक 48·20 लाख पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 1985 का वृक्षारोपण अब वर्षा ऋतु में किया जावेगा। लगाये गये पौधों की वर्षवार एवं वनखण्डवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) लगाये गये पौधों में से 35.52 लाख पौधे जीवित रहे। जीवित रहे पौधों की वन खण्डवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) लगाये गये पौधों पर वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक 93.66 लाख रुपया व्यय किया गया है। वर्ष वार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। इन वृक्षारोपण कार्यों में जिला बांसवाड़ा में 8·32 लाख श्रमिक दिवस रोजगार सृजित हुआ तथा औसतन प्रतिवर्ष प्रति हैक्टर दो टन घास प्राप्त होती है वृक्षारोपण के परिपक्व होने पर प्रति हेक्टर 50 टन जलाउ लकड़ी प्राप्त होगी।

(4) वर्ष 1980 से 1984 तक वन विभाग के माध्यम से 32.76 लाख पौधे निजी खातेदारों को दिये गये एवं संरक्षण हेतु 6099 कृषकों को 5.79 लाख रुपये की राशि देकर लाभान्वित किया गया है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

चिकित्सालयों को भवन निर्माण हेतु मुख्य मंत्री कोष से सहायता

185. श्री फूलचंद (नीमकाथाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :–क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.30

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) गत 5 वर्षों में मुख्य मंत्री सहायता कोष से राजकीय चिकित्सालयों को भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि किन-किन चिकित्सालयों को कब-कब आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसके आवंटन का मापदण्ड क्या है ?

(3) क्या श्री कल्याण अस्पताल सीकर को उसको आवश्यकता होते हुए भी राशि आवंटित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष के संलग्न नियमानुसार राशि स्वीकृत की जाती है।

(3) श्री कल्याण अस्पताल, सीकर के निर्माण कार्यों के लिए कोई राशि के आवंटन की मांग नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

तुहियर (भरतपुर) में मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु

186. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर):–क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तुहियर तहसील व जिला भरतपुर में श्री गोकुलचन्द के परिवार के चार व्यक्ति फरवरी-मार्च, 1985 में अचानक मस्तिष्क ज्वर से मरे थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु आवेदन पत्र जिलाधीश, भरतपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, किन्तु चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसे मामलों में कोई आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में हरिजन कर्मचारी

187. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायात):–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में कुल कितने सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने स्थाई व कितने अस्थाई सफाई कर्मचारी हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सफाई कर्मचारियों की सूची मय नाम, पिता का नाम, जाति उम्र, वर्तमान में कार्यरत वार्ड नम्बर व सेवा में नियुक्ति की तिथि सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में हरिजन सफाई कर्मचारियों के

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्थान पर सवर्ण जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पी. बी. एम. चिकित्सालय बीकानेर में कुल 133 सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, कुल सेवारत 123 कर्मचारियों में 97 स्थाई एवं 26 अस्थाई हैं तथा 10 पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की नामवार सूची मय अन्य विवरण के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 2 सवर्ण जाति के व्यक्तियों को आदेश दिनांक 9–3–84 के द्वारा हरिजन/फर्राश के पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी गई थी। इन आदेशों के अंतर्गत नियुक्त कुल 26 व्यक्तियों में से 14 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं जो आरक्षित पदों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक है तथा हरिजन (फर्राश) पद किसी हरिजन जाति विशेष के लिए आरक्षित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

आयुर्वेदिक औषधालय कोट किरावत

188. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):– क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा पाली जिले की तहसील रायपुर में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय कोट किरावत में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया और वैद्य सहित पूरे स्टाफ ने नवम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 तक कार्य किया था ?

(2) क्या कारण था कि उक्त पहाड़ी क्षेत्र के गांव का उक्त औषधालय खोलकर बंद कर दिया गया ? क्या राजस्थान सरकार इस वर्ष उक्त आयुर्वेद औषधालय को पुनः प्रारम्भ करना चाहेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम तिमावा जिला सवाई माधोपुर जहां से औषधालय परिवर्तित किया गया था उसे प्रशासनिक कारणों से पुनः ग्राम तिमावा में परिवर्तित किया गया। इस वर्ष के आयोजनामद में नवीन औषधालय खोले जाने हेतु प्रावधान प्रस्तावित नहीं है, अतः चालू वर्ष में यहां औषधालय खोला जाना सम्भव नहीं होगा।

उदयपुर नगर में देशी शराब की दुकानें

189. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़):– क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर क्षेत्र की देशी शराब की 85 दुकानों को चलाने का वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 का ठेका दिनांक 16-1-1984 को टेण्डर द्वारा दिया गया। जिसके लिये सर्वोच्च टेण्डर एक व्यक्ति का रुपये 1,92,12,000/–का था व द्वितीय सर्वोच्च टेण्डर दूसरे व्यक्ति का रुपये 1,54,00,000/–का था ?

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(2) क्या सर्वोच्च टेण्डर देने वाला व्यक्ति बैंक आउट कर गया, तब एक तीसरे व्यक्ति, जिसने कुछ दुकानों के लिये टेण्डर दिया था, ने आबकारी विभाग को लिखा था कि वह इस परिस्थिति में नेगोसियेशन करने, अमानत राशि के तौर पर आठ लाख रुपये जमा कराने तथा द्वितीय सर्वोच्च टेण्डर देने वाले से अधिक राशि देने को तैयार है ?

(3) क्या उक्त तीसरे व्यक्ति से नेगोसियेशन नहीं करके द्वितीय सर्वोच्च रुपये 1,54,00,000/– का टेण्डर स्वीकार कर लिया गया जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को रुपये 38,12,000/– की हानि हुई ?

(4) यदि हां, तो राज्य कोष को हानि पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी एवं उपरोक्त हानि की राशि उक्त सर्वोच्च टेण्डर देने वाले से कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त तीसरे व्यक्ति द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में प्रस्तुत की गई रिट संख्या 281/84, में राज्य की तरफ से विरोध करके राज्य हित को हानि पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर नगर में केवल 56 दुकानों के लिए टेण्डर आमंत्रित किये गये थे।

(2) यह सही है कि सर्वोच्च टेण्डर देने वाला व्यक्ति बैंक आउट हो गया किन्तु यह सही नहीं है कि एक अन्य व्यक्ति, जिसने केवल दुकान मल्लातलाई के लिये टेण्डर दिया था, ने आबकारी आयुक्त को इस आशय की सूचना दी कि वह 1,6,-1,00,000 रुपये की गारन्टी पूर्ति पर निगोसियेशन करने व ठेका लेने के लिये तैयार है। वास्तव में उक्त व्यक्ति इस निगोसियेशन के लिये अधिकारी नहीं था। क्योंकि उसने ग्रुप की समस्त दुकानों के लिये पूर्व में टेण्डर नहीं दिया था। उक्त व्यक्ति श्री चम्पालाल कुमावत ने 21-1-84 को एक तार इस आशय का कराया जो दिनांक 22-1-84 को रविवार होने के कारण 23-1-84 को आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 21-1-84 को ही टेण्डर की शर्तों के अनुसार दूसरे सर्वोच्च टेण्डर देने वाले व्यक्ति का टेण्डर 1,54,00,-000 का नियमानुसार आयुक्त आबकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका था। मात्र निगोसियेशन के लिये तार दे देने से कोई पार्टी इसके लिये हकदार हो जाती हो ऐसा नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि पक्षकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 281/84 में प्रदत्त निर्णय से हो जाती है। इसकी रिट राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में खारिज हो गई।

(3) तीसरे व्यक्ति से निगोसियेशन नहीं करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि की बात केवल अनुमान पर आधारित है। दिनांक 21-1-84 को दूसरे व्यक्ति का टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् निगोसियेशिन करने का कोई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

औचित्य नहीं था। आयुक्त आबकारी द्वारा यथा समय टेण्डर स्वीकृत कर देना उचित एवं नियमानुसार था। इससे राज्य सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) राज्य कोष को कोई हानि नहीं हुई। तो अधिकारियों के दोषी होने का व उन्हें दण्डित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो व्यक्ति उच्चतम टेण्डर देने वाला था उसके बैंक आउट होने के कारण उसकी अर्नेस्टमनी रु. 7,00,000.00 जब्त सरकार कर ली गई।

(5) यह तो सत्य है कि तीसरे व्यक्ति द्वारा के राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 281/84 प्रस्तुत की गई, किन्तु यह सही नहीं थी, इस रिट में राज्य की ओर से विरोध कर राज्यहित को हानि पहुंचाई गई हो। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यह रिट याचिका खारिज की गई है। इससे स्पष्ट है कि तीसरे व्यक्ति का कोई क्लेम इस ठेके के सम्बन्ध में नहीं बनता, उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश समग्र परीक्षण के पश्चात् ही प्रकरण में निर्णय देते हैं, किसी के समर्थन या विरोध के आधार पर नहीं। अत: किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता।

डीग महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा

190. **श्री सम्पत सिंह** (नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डीग महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा क्यों नहीं है ?

(2) महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने की जमीन का जो अधिग्रहण किया जाना था वह हुआ या नहीं ?

उत्तर

(1) भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रावास की सुविधा नहीं है।

(2) ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर न्यास द्वारा भूमि के सब डिविजन की स्वीकृति

191. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 10-6-1981 से अब तक नगर सुधार न्यास, जोधपुर को राजस्थान अरबन एरियाज (सब डिविजन, रिकान्स्टीट्यूशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट आफ प्लाट्स) रूल्स, 1974 के अन्तर्गत जितने आवेदन पत्र भूमि के सब डिविजन के प्राप्त हुए हैं, उनके सम्बन्ध में कृपया सूचनायें सदन के पटल पर रखें:—

(क) आवेदक का नाम, पता व आवेदन का दिनांक।

(ख) आवेदन में दर्शाई गई सब डिविजन की भूमि का स्थान व क्षेत्रफल।

(ग) अस्वीकृत, स्वीकृत या विचाराधीन आवेदन।

(घ) आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक द्वारा नियम 30 के अन्तर्गत जमा कराई गई डवलपमेन्ट कोस्ट।

Page No.34

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ आवेदकों से बिना डवलपमेन्ट कोस्ट जमा कराये, नियम 30 की अवहेलना कर, सब डिवीजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी एवं बकाया डवलमेंट कोस्ट कब तक जमा करवाली जायगी या सबडिविजन प्लान अस्वीकृत कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 18-6-81 से अब तक नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेट एरियाज (सब डिविजन रिकान्स्ट्टीयूशन एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ प्लोट्स) ? 1974 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूचना वांछित प्रपत्र में संलग्न की, जाकर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन मामलों में विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करायी गई है उसकी सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के साथ जो प्रपत्र संलग्न किया है उसमें सूचना उपलब्ध है। न्यास को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे इन व्यक्तियों से नियमानुसार विकास शुल्क की राशि वसूल करें तथा न्यास से यह भी पूछा जा रहा है कि विकास शुल्क की राशि लिये बिना योजना मानचित्र कैसे अनुमोदित हो गये और उनके लिए कौन जिम्मेदार है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

घाटोल (बांसवाड़ा) के विद्यालय

192. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा के घाटोल राजकीय सैकण्डरी कन्या स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

इस वर्ष 1985-86 में नये विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अतः राजकीय सैकेण्डरी कन्या विद्यालय घाटोल जिला बांसवाडा को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नाहरी का नाका (पूर्व) क्षेत्र, जयपुर के पब्लिक पार्कस्

193. श्री बाबू लाल बैरवा (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नाहरी का नाका (पूर्व) योजना में पब्लिक पार्कस हेतु कितने स्थान नियत हैं ? इनमें से कितने पार्कों का विकास कर दिया गया है और कितने ड्राई पार्क ही हैं ? शेष पार्कों को विकसित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ? अब इन्हें कब तक उन्नत कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना के बीच में 'आदर्श पार्क' के नाम से भी एक पार्क बना हुआ है, जिसमें राम नगर नौ दुकान स्थित कच्ची बस्ती के निवासी शौचादि जाते हैं और कूड़ा करकट

(श्री बाबूलाल बैरवा)

डाला जाता है ? क्या इससे उस कालोनी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार निवासियों के उपयोग हेतु इस पार्क को कब तक उन्नत करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नाहरी का नाका पूर्व योजना में पब्लिक पार्कस् हेतु 15 स्थान नियत हैं। इनमें से एक पार्क आंशिक रूप से विकसित किया गया है व 14 पार्कों का विकास किया जाना शेष है सभी पार्कों का विकास कार्य बजट के कारण नहीं किया जा सका। वर्ष 1985-86 में 7 पार्कों का विकास किया जावेगा व शेष 7 पार्कों का विकास वर्ष हैं। 1986-87 में किया जाना प्रस्तावित हैं।

(2) उक्त आवासीय योजना नाहरी का नाका में बने हुए किसी भी पार्क का नाम आदर्श पार्क प्राधिकरण द्वारा नहीं रखा गया है। इस आवासीय योजना के सात पार्कों का विकास इस वर्ष करने हेतु विचाराधीन है।

जयपुर नगर में सफाई व्यवस्था

194. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् में कुल कितने अस्थाई व स्थाई सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और सफाई कार्य पर वार्षिक व्यय कितना किया जाता है ?

(2) उक्त नगर परिषद् में कुल कितने ट्रक, गाड़ियां व सफाई के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं और निकट भविष्य में क्या और उपकरण खरीदे जाने की योजना है ?

(3) क्या जयपुर नगर में सफाई व्यवस्था आधुनिक सफाई उपकरणों से कराये जाने की योजना है ?

(4) क्या परिषद् द्वारा वर्षा आने से पूर्व बड़े नालों, नालियों और गन्दी गलियों को साफ कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ?

(5) क्या परकोटे के अन्दर स्थित गन्दी गलियों को सीमेन्ट से पक्की करने के लिए टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कौन-कौन सी कालोनियां जयपुर नगर परिषद् को ट्रांसफर कर दी गई हैं और क्या उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर परिषद् में 1,174 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी एवं 4849 स्थाई सफाई कर्मचारी के अलावा स्वास्थ्य अधिकारी दो, स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी एक, मुख्य सफाई निरीक्षक चार, सफाई निरीक्षक व सहायक सफाई निरीक्षक 36 एवं जमादार 126 कार्यरत

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

हैं। सफाई कार्य पर करीब 5 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होते हैं।

(2) नगर परिषद में सफाई हेतु निम्न-लिखित गाड़ियां व उपकरण हैं :—

डम्पर्स-ट्रक	–18
ट्रेक्टर्स	–31
बिन्स	–30
मेकेनिकल रोड स्वीपर	– 2
हाईड्रोलिक कैरियर	– 2

उपरोक्त के अलावा 20-25 ट्रेक्टर्स प्रतिदिन किराये के भी सफाई कार्य हेतु किराये पर लिये जाते हैं। नगर-परिषद द्वारा एक एस्कोर्ट, फ्रन्ट एण्ड लोडर, कैरियर ट्रेलर्स एवं कैरियर कन्टेनर्स (डस्टबिन्स) क्रय किये जाने की योजना है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) आवासन मण्डल द्वारा जवाहर नगर, नाहरी का नाका, ज्योति नगर एवं मालवीया नगर के सैक्टर 1 से 4 तक को जयपुर नगर परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गई है। सफाई की नियमित व्यवस्था है।

भोपालगढ़ तहसील में उपलब्ध खनिज

195. श्री नारायणराम बेडा (भोपालगढ़):—क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील के रामपुरा व आसोप ग्राम में कौन-सा खनिज उपलब्ध है ?

(अ) रामपुरा व आसोप में किस-किस को खनन पट्टे दिये गये और कब ?

(ब) क्या यह सही है कि आसोप व रामपुरा गांव में पिछले छः वर्ष से लाइम स्टोन का अनाधिकृत खनन कार्य चल रहा है।

(2) विभाग द्वारा अनाधिकृत खनन के कितने मामले बनाये गये हैं और किस किस के विरुद्ध बनाये व क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में खनिज चेजा पत्थर व लाइम स्टोन उपलब्ध है।

(अ) रामपुरा व आसोप में श्री अजीत-राज मेहता को लाइम स्टोन का एक खनन पट्टा स्वीकृत है जो दिनांक 2.1.85 से प्रभावशील है।

(ब) विभाग की जानकारी में अनाधिकृत खनन का कोई मामला नहीं आया है।

(2) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

Page No.37

श्री गंगानगर जिले की मंडियों में पेयजल व्यवस्था

196. श्री हंसराज (सूरतगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मंडी रावला, जिला श्री गंगानगर, में पेयजल योजना द्वारा मंडी की समस्त बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मंडी रावला जिला श्रीगंगानगर की अधिकाश बस्तियों में पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं दिनांक 5.6.85 से नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरस्वती योजना, जोधपुर में भू-खण्डों का आवंटन

197. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी):– क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में सरस्वती योजना में भू-खण्डों के आवंटनों को रद्द करने के पश्चात् पुन: उन्हीं व्यक्तियों को आवंटन कर दिया गया जिससे न्यास कोष को रु. 70,095.60 का घाटा पहुंचा ? क्या इसका उल्लेख लोकल फण्ड आडिट ने भी अपने आक्षेप संख्या 22 में किया ? कृपया सम्बन्धित ऑडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऑडिट हुए 15 माह का समय हो चुका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा 93 (ए) के अन्तर्गत उपरोक्त हानि की राशी कब तक वसूली कर लेगी, एवं उन के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड के अनुसार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने आक्षेप संख्या 22 में वित्तीय वर्ष 1982-83 में सरस्वती योजना में भू-खण्डों के आवंटन को रद्द कराने के पश्चात पुन: उन्हीं व्यक्तियों को आवंटन करने पर नगर विकास न्यास, जोधपुर कोष को रुपये 70,095 का घाटा बताया सम्बन्धित ऑडिट आक्षेप की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) न्यास से प्रतिपालना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा आडिट आदेश एव प्रतिपालना रिपोर्ट के सन्दर्भ में इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(आडिट आक्षेप के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

जयपुर की गलियों को पक्का करना

198. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की 5000 गन्दी गलियों को पक्का किये जाने के लिये

(डा. उजला अरोड़ा)

कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? कृपया ब्ल्यूप्रिंट सदन के पटल पर रखें ?

(2) वर्ष 1985 में 1 जून, 1985 तक कुल कितनी गलियां पक्की की जा चुकी हैं, तथा शेष कब तक पक्की कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1985-86 में बजट में विकास मद में 1, 52, 18,000 का प्रावधान नगर परिषद, जयपुर ने प्रस्तावित किया है, उसी में से गन्दी गलियों को पक्का करने का कार्य कराया जावेगा। गलियां एक समयबद्ध कार्यक्रम (Phased Programme) में पक्की कराई जायेगी। इस समय 936 गलियों को पक्का कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा विभाग द्वारा नगर-परिषद से इन 936 गलियों को पक्का कराने के एस्टीमेट व प्रस्ताव पर दिनांक 4.5.85 को 21.09 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन गलियों को पक्का करने हेतु नगर परिषद्, जयपुर द्वारा बनाये गये एस्टीमेट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1985 में 1 जून, तक गलियाँ पक्की नहीं की गई है, क्योंकि नगर-परिषद् द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई थी, परन्तु कोई निविदा नहीं होने के कारण पुन: निविदाएं आमन्त्रित की गई। जिनमें दरें काफी अधिक है। अब नगर परिषद द्वारा निगोसियेशन की कार्यवाही चल रही है।

(एस्टीमेट की प्रति विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दीगोद व पीपल्दा क्षेत्रों में केचमेंट कार्य

199. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दीगोद तहसील व पीपल्दा क्षेत्र के लिए किए गए केचमेंट के कार्यों के तहत कितनी-कितनी भूमि मेन ड्रेन व केरियर ड्रेन में किस-किस व्यक्ति की अवाप्त की गई ? क्या उक्त जमीन का मुआवजा दिया जाना था ? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें। शेष लोगों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है कि किन-किन को मुआवजा दिया जाना था। परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया कि किन-किन को मुआवजा दिया गया है। अवाप्ति अधिकारी से अवार्ड प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया जावेगा।

(सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री)

(सूचना विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लाडनूं के जागीरदार द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

200. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):– क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा लाडनूं के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा आबादी भूमि विक्रय कर पट्टा बहियां किस-किस वर्ष की किस-किस के द्वारा एस. डी. ओ. कोर्ट, डीडवाना में कब जमा कराई गई ?

(2) पट्टा बहियों के अलावा रोकड़ बही आदि कौन-कौन सा रिकार्ड एस. डी. ओ. के पास जमा है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या भूतपूर्व जागीरदार द्वारा जो पूरा रिकार्ड सरकार के पास जमा कराना था, कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या-क्या कहां-कहां पर कब-कब, और नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि पूरा रिकार्ड जमा नहीं कराया गया है, तो इस सम्बन्ध में सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) कस्बा लाडनूं के भूतपूर्व जागीरदार की सम्वत् 2011 की नकल पट्टा बही तहसीलदार, लाडनूं ने प्राप्त कर अपने पत्र दिनांक 27.3.57 के द्वारा एस. डी. ओ. कोर्ट, डीडवाना में जमा कराई।

(2) नकल पट्टा बही सम्वत् 2011 के अलावा अन्य कोई रोकड़ बही एस डी. ओ. कोर्ट में जमा नहीं हुई।

(3) जी नहीं।

(4) पुनर्ग्रहित जागीर लाडनूं का दावा जिस समय पेश हुआ तथा 23.2.57 को जब निर्णित हुआ उस समय राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर-पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अन्तर्गत जागीरदार का रेकार्ड रोका जा सके। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 में धारा 22, (ए) दिनांक 28.7.59 को जोड़ा जाने के पश्चात् जागीरदार को समस्त रेकार्ड पेश करना था, परन्तु इस नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि जो केसेज निर्णित हो चुके हैं उनका भी रेकार्ड जागीरदार से आ जाये अथवा जागीरदार को प्रस्तुत करना अनिवार्य हो।

कृषि उपज मंडी समिति, सीकर

201. श्री घनश्याम तिवाडी (सीकर)
श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):— क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सीकर में वर्तमान में पदस्थापित कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं एवं शिकायतों के आधार पर जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक इसके लम्बित पड़ी रहने के क्या कारण हैं, व जांच किसके द्वारा की जा रही है ?

(1) क्या वर्तमान जांच कर्त्ता वहीं पदस्थापित हैं जिसके कारण जांच निष्पक्ष

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

एवं सही समय पर नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य निष्पक्ष व्यक्ति से जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पूर्व में उक्त सचिव के खिलाफ किन्हीं सरपंच द्वारा भी शिकायत की गई थी ? क्या उसके आधार पर जांच की गई ? कृपया शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो जांच प्रकरण चल रहे हैं। एक जांच पूर्ण हो चुकी है एवं इस हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। दूसरी जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जांच उप निदेशक, कृषि विपणन (परिज्ञान) द्वारा की जा रही है।

(2) दोषी अधिकारी वहीं पदस्थापित है। प्रथम जांच में सभी तथ्य सामने आ चुके हैं। जांच अभी जारी है।

(3) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत की जानकारी नहीं है।

पाली जिले में मेजर मिनरल के पट्टे

202 श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में दिनांक 1-2-1980 से 29-3-1980 तक किन-किन को मेजर मिनरल के किस-किस पट्टाधारी के पट्टे किस आधार पर खण्डित किये गये व किस-किस तारीख को उस क्षेत्र का कब्जा लिया गया ?

(2) उक्त क्षेत्रों में से किन-किन को मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के नियम 58 के अन्तर्गत कब रिक्त घोषित किया व उनमें से किन-किन मामलों में नियम 54 के तहत निगरानी पेश की गई ? जिन-जिन क्षेत्रों को रिक्त घोषित नहीं किया उसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार को अपने द्वारा पारित आदेश को रिव्यू करने या उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पाली जिले में 1980 में खण्डित किये गये पट्टे को रिग्रान्ट हेतु नोटिफाई करने से रोका ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.2.80से 29.3.80 तक राज्य सरकार द्वारा 3 खनन पट्टे खण्डित किये गये। तीनों ही खनन-पट्टे इस कारण खण्डित किये कि गये पट्टेधारियों द्वारा वैधानिक नोटिस के उपरान्त भी राजकीय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार के खनन पट्टा खण्डित करने के आदेशों की तिथि व तिथि जब क्षेत्र का कब्जा पट्टाधारियों से लिया गया निम्नानुसार है :—

(खनिज मन्त्री)

पट्टाधारी का नाम	खनिज	पट्टा खण्डित करने के आदेश की तिथि	क्षेत्र का कब्जा लेने की तिथि
1. श्री गुमान सिंह ढ़ड्डा	क्वार्टज व एसबसटस	8–2–80	22–6–80
2. श्रीमती उषा ढ़ड्डा	केलसाईट, मायका, सोपस्टोन	23–2–80	31–5–80
3. श्रीमती रामसुखी राठी	फैल्सपार, मायका व केलसाईट	6–3–80	5–10–83

(2) उक्त वर्णित तीनों खनन पट्टों को मिनरल कन्सेशन रूल्स के नियम 59 के तहत पुन: अनुदान हेतु रिक्त घोषित करने की कार्यवाही निम्नानुसार की गई—

1. श्री गुमान सिंह ढड्ड़ा का क्षेत्र दिनांक 2–7–81 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

2. श्रीमती उषा ढ़ड्डा ने जिस बकाया राशि के लिए पट्टा खण्डित किया गया था, वह राशि जमा करा दी अत: क्षेत्र को रिक्त घोषित करने की कार्यवाही स्थगित की गई तथा भारत सरकार को प्रार्थना की गई कि पट्टा बहाल करने की अनुमति प्रदान की जाय, इसलिए यह क्षेत्र रिक्त घोषित नहीं किया गया।

3. श्रीमती रामसुखी राठी का क्षेत्र दिनांक 29–3–84 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(3) उपरोक्त पट्टाधारियों में से किसी ने भी नियम 54 के अन्तर्गत निगरानी याचिका प्रेषित नहीं की हैं। यह मान्य नहीं है कि प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यह मान्य है कि जब तक भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, पारित आदेशों को रिव्यू कर पुन: संशोधित आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। वर्ष 1980 में श्रीमती उषा ढ़ड्डा के खनन पट्टे के खण्डित आदेश बाद क्षेत्र मुक्त करने की कार्यवाही इसलिए नहीं की गई कि पट्टाधारी द्वारा बकाया राशि जमा करा दी गई थी एवं मामले में भारत सरकार से निवेदन किया गया था जैसा कि भाग–2 के उत्तर में अंकित है। भारत सरकार ने पत्र दिनांक 4–3–85 से खण्डित आदेश वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन

203. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

Page No.42

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में विशेष अभियान में अनुसूचित जाति के लोगों में आवासीय भूखण्ड वितरित किए गए थे ? अगर हां, तो कब किन-किन लोगों को कहां पर आवासीय भूखण्ड आवन्टित किए गए थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय भू-खण्डों पर कितने लोगों ने कब-कब कब्जा कर अपने मकान बनाये हैं ? कितने भूखण्ड अभी तक खाली पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि परखा पुत्र केहरा मेघवाल निवासी गांव घूडवा को भी उक्त अभियान में सांचौर में एक आवासीय भूखण्ड अलाट किया गया था ? अगर हां, तो कब एवं कहां पर ? क्या उसको उक्त आवन्टित भूखण्ड का कब्जा दिया गया ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ? अब उक्त भूखण्ड का कब्जा उसको कब तक दिला दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका सांचौर द्वारा बनाई गई आवासीय योजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्त नहीं होने तथा भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं होने के कारण आवासीय भूखण्ड आवन्टन नहीं किया गया।

(2) नगर पालिका सांचौर की आवासीय भूमि में किस्म परिवर्तन नहीं होने से आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी हां। परखा पुत्र केहरा मेघवाल निवासी गांव घूड़वा का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त अभियान के अन्तर्गत भूखण्ड एलोट बाबत प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवंटन नहीं हो सका।

धौलपुर क्षेत्र में भूमिहीनों को पट्टों का वितरण

204. श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1983–84, 1984–85 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में किन-किन स्थानों में कितने भूमिहीनों को पट्टे वितरित किये गये ? कृपया पंचायत वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) भूमिहीनों का चयन तथा पट्टे वितरण की क्या प्रणाली है, तथा किस स्तर पर किया जाता है ?

उत्तर

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983–84 में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 418 व 84–85 में 191 भूमिहीनों को पट्टे वितरित किये गये। ग्रामवार व पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन व्यक्तियों के पास में आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होती है, ग्राम पंचायत द्वारा उन व्यक्तियों का चयन किया जाकर

Page No.43

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरपंच के द्वारा निःशुल्क पट्टे वितरित किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

मोहल्ला कोलियान जयपुर में पेयजल व्यवस्था

206. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मोहल्ला कोलियान चौकड़ी तोपखाना हजूरी जयपुर में पानी की पाइप लाइन नहीं है? जिसके कारण वहां के नागरिकों को, दूसरी बस्तियों से पानी लाना पड़ता है।

(2) क्या सरकार वहां पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। मोहल्ला कोलियान चौकड़ी तोपखाना हजूरी के कुछ भागों में पानी की पाईप लाईन नहीं है। यहां के नागरिक पास में स्थित सार्वजनिक नल से पानी लेते हैं।

(2) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार शीघ्र ही पाईप लाईन डाली जा सकेगी।

बीकानेर का मास्टर प्लान

207. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) : **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या बीकानेर का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है? यदि हां, तो कृपया मास्टर प्लान की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर आयोजना विभाग राजस्व व उपनिवेश क्षेत्र का आयोजन कार्य भी देख रहा है? यदि हां, तो राजस्व व उपनिवेशन क्षेत्र के किस-किस ग्राम व क्षेत्र का आयोजन कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है? कृपया नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) उपनिवेशन व राजस्व क्षेत्र में धीमी गति से कार्य होने के क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार ग्रामीण आंचल का समय पर सही व्यवस्थित आयोजन का कार्य देखने हेतु अलग से ग्रामीण आयोजना का सह विभाग खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, मास्टर प्लान की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं?

(3) ग्रामीण आयोजना का सह-विभाग अलग से खोलने का अभी राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(मास्टर प्लान होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खनिजों पर रायल्टी दर

208. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) :

Page No.44

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में खनन किये जा रहे प्रधान एवं अप्रधान खनिजों पर दिनांक 1–4–1977 को रायल्टी की दरें क्या थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1–4–1977 के बाद दोनों ही तरह के खनिज की रायल्टी में कब-कब वृद्धि की गई और दिनांक 31-1-1983 को दरें क्या थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राजस्थान में खनन किये जा रहे प्रधान एवं अप्रधान खनिजों की दिनांक 1–4–77 को रायल्टी की जो दरें लागू थी, उनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में दिया गया है।

(2) दिनांक 1–4–77 के पश्चात् प्रधान खनिजों की रॉयल्टी भारत सरकार द्वारा दिनांक 23–7–81 को संशोधित की गई। अप्रधान खनिजों पर दिनांक 23-9-79 व 20-12-79 को रॉयल्टी की दरों में संशोधन किया गया दिनांक 31–1–83 को प्रधान व अप्रधान खनिजों पर लागू दरें क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में अंकित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

कापरेन ब्रांच पर पुलिया का निर्माण

209. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

श्री हरिश शर्मा (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कापरेन ब्रांच पर पुलिया चेन नं. 1101 पर अडीलाबोरदा भाल मार्ग पर पुलिया अब तक कितनी बार बनवायी गयी है ?

(2) उक्त पुलिया पर हर बार अलग-अलग कितना-कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या एक ही कार्य पर बार-बार सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक बार।

(2) वर्ष 1960–61 में पुलिया के बनाने में रु. 7,600/– की लागत आई थी। इस वर्ष (1985–86) पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मरम्मत करवाई गई एवं उस पर 5,560/– रुपये व्यय किये गये।

(3) नहीं। सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

अलीपुरा (अजमेर) में ट्यूब वैल्स

210. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या ग्राम अलीपुरा, पंचायत समिति पीसांगन-अजमेर, की आबादी डेढ़ हजार से अधिक है ? क्या इस गांव में पानी का स्तर बहुत नीचा है ? जिसके कारण विभाग द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प कामयाब नहीं हो रहे हैं ?

(श्री रमजान खां)

(2) क्या ग्राम नागेलाव, जिसकी आबादी ढाई हजार से अधिक है, में किसी भी प्रकार की कोई पेय जल सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई ?

(3) क्या ग्राम अलीपुरा और नागेलाव एक ही पंचायत के गांव हैं ? क्या ग्राम नागेलाव व अलीपुरा के बीच की दूरी केवल एक किलोमीटर है ?

(4) क्या ग्राम नागेलाव एवं अलीपुरा को मिलाकर आबादी तीन हजार से अधिक है ? यदि हां, तो सरकार ने इतनी बड़ी आबादी को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई योजना बनाई है ?

(5) क्या ग्राम नागेलाव में जल स्तर काफी ऊँचा और पर्याप्त मात्रा में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों गांवों की संयुक्त स्कीम बना कर ग्राम नागेलाव में ट्यूबवैल खुदाकर पी एन. टी. स्कीम लागू करके पेय जल समस्या का निदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

ग्राम अलीपुरा में पानी स्तर 15 मीटर भूतल से नीचे है एवं विभाग द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प कामयाब हैं।

(2) जी हां।

ग्राम नागेलाव को वर्ष 1979–80 में परम्परागत स्रोत योजना से लाभान्वित कर पंचायत को सौंप दिया था।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

ग्राम अलीपुरा एवं नागेलाव को पारम्परिक जल स्रोत योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा ग्राम अलीपुरा को दो हैण्डपम्पों द्वारा भी पेय जल सुलभ कराया गया है।

(5) ग्राम नागेलाव में कुए का जलस्तर 5 मीटर है व 5,000 लीटर प्रति घण्टे की क्षमता है, जो इस ग्राम हेतु पर्याप्त है। दोनों ग्रामों को पेय जल से लाभान्वित किया जा चुका है। अत: कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

कोटा में तरणताल का निर्माण

211. श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा में न्यास द्वारा तरण ताल निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? तथा उस समय निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान कितने रुपयों का था तथा इसके निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तरण ताल का निर्माण कार्य 20–5–80 से प्रारम्भ किया गया था। इस निर्माण पर व्यय होने वाली राशि का अनुमान

(नगरीय विकास मन्त्री)

23,40,000 का था। इसके निर्माण पर अब तक 16,04,178/– व्यय हो चुके हैं।

(2) यह कार्य वर्तमान में राजस्थान स्टेट ब्रिज कारपोरेशन से करवाया जा रहा है इस कार्य हेतु उक्त संस्था को लगभग 30 लाख की और आवश्यकता है। न्यास की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कार्य 31–12–86 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

सांगानेर नगरपालिका का क्षेत्र

212. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सांगानेर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में विभिन्न प्रकार की कितनी भूमि कहां-कहां आती है? कृपया सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति की भूमि पर कहां-कहा अतिक्रमण के विवाद किस-किस के मध्य चल रहे हैं एवं कब से चल रहे हैं? कृपया सूची सदन के पटल रखें।

(3) उन विवादों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें?

उत्तर

(1) सांगानेर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में चारागाह 106 बीघा 3 बिस्वा, सिवायचक 207 बीघा 18 बिस्वा, श्मशान व कब्रिस्तान 12 बीघा 8 बिस्वा, रास्ते 87 बीघा 16 बिस्वा अन्य सरकारी महकमे जोत 252 बीघा 18 बिस्वा, गैर खातेदार 147 बीघा 3 बिस्वा, आबादी भूमि 265 बीघा 17 बिस्वा भूमि है। सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र का मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नम्बर 10 में भूमि पर अतिक्रमण का विवाद 23–3–79 से है, जो श्री रूपनारायण पुत्र बालूराम बलाई व श्री चतुर्भुज माली पुत्र श्री नारायण माली के मध्य न्यायालय में चल रहा है।

(3) भाग 2 में उल्लेख कर दिया गया है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के कई ग्रामों में जिस्म का व्यापार होने व उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) डॉक्टर किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से महुआ के थानाधिकारी द्वारा जंगल में हिरण, रोज व वन गऊ के शिकार पर कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोती लाल मीणा, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की पिटाई व मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर, चूरू तथा उदयपुर डिवीजन के आदिवासी क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य नाम मात्र के प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मी नारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा क्षेत्र के 34 प्रभावग्रस्त गांवों में केवल 2 अकाल राहत कार्य खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) डॉक्टर उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री के मजदूरों की छंटनी के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री रमजान खां और श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर तीर्थ के घाटों पर होटल बनाये जाने तथा उन पर मांस-मदिरा का विक्रय किये जाने से तीर्थस्थल की पवित्रता नष्ट होने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को बसाई गई भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री केदार नाथ, सुश्री पुष्पा, श्री घनश्याम तिवाड़ी और श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के एक रीडर के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय में रीडर द्वारा लगाये गये आरोपों को असत्य माने जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक ए. एन. एम. के साथ केन्द्र के कम्पाउण्डर द्वारा बलात्कार की कुचेष्टा करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय कपिल चिकित्सालय की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में।

(12) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोलायत तहसील क्षेत्र में जारी ओरी से बच्चों की मृत्यु और वेक्सीन उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सम्पत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा गोपालगढ़, जिला भरतपुर में दूषित पानी वितरण से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में।

(14) श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ क्षेत्र में ओदरी के प्रकोप से बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(15) श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा

Page No.48

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से ग्राम ककड़ावदा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश होने के बावजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय न खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल बरुपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जायल में हरिजन बस्ती में बिजली नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री लालचन्द और श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील भादरा की जलप्रदाय योजना में अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(4) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावासों में प्रति माह दी जा रही छात्रवृत्ति कम होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से फल विकास अधिकारी का कार्यालय कोटा से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घूलेंट, सांगोद, दहीखेड़ा व मांगरोल में दंगों के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि झालावाड़ जिले में पूर्णतया साम्प्रदायिक शान्ति है। उपरोक्त स्थानों पर हुए झगड़ों के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

(2) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से बागावड़ निवासी छोटूडी के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में। सरकार ने सूचना दी है कि छोटूडी के परिजनों ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और डॉक्टरी रिपोर्ट में इसे बलात्कार नहीं माना है।

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझनू में साक्षात्कार के लिए आये व्यक्तियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि केवल राजस्थान के अभ्यार्थियों को ही चयन करने की सूचना देने पर हरियाणा से आए व्यक्तियों ने पुलिस लाइन के कुए पर लगी मशीन में तोड़फोड़ शुरू कर दी, और पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इन 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें से 10 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया।

अनुसन्धान जारी है।

(4) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की मिनी बसों में अधिक सवारी भरने और तेज गति से चलाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि बसों की संख्या 1985 में बढ़ाई गई है। पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। अधिक सवारी भरने पर रोक हेतु चेकिंग कर चालान किये जाते हैं।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के न होने के कारण इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री मानिक चन्द सुराना, श्री दिग्विजयसिंह, श्री नाथूसिंह तथा श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले में अपर्याप्त अकाल राहत कार्य व पशुओं के लिए तूड़ी व चारे का प्रबन्ध न करने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 45,000 पशुओं के पशु पोषण केन्द्र और 5,000 पशुओं के लिए शिविर खोले हैं। 16,800 श्रमिकों के लिए 198 राहत कार्य खोले हैं। 12 टैंकर और 7 ऊंट गाड़ी से पानी प्रदाय किया जा रहा है। पशु मरने और पानी के अत्यधिक अभाव की कोई रिपोर्ट नहीं है।

अत: उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मा. सदस्यों को अकाल की मांग पर सदन में चर्चा के समय बोलने की अनुमति दी जायेगी।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव मैने अभी निरस्त किये हैं उन माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि वह अपनी बात दो-दो मिनट में कह दें।

व्यवस्था का प्रश्न
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखा सदन पटल पर नहीं रखा जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है ....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, पाइन्ट ऑफ आर्डर ही कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर किस विषय पर ? कौन सा सबजेक्ट चल रहा है अभी सदन में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पाइन्ट ऑफ आर्डर यों नहीं। आप नयी बात को रेफर करना चाहें तो अलग से....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रेफर नहीं करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एनुअल स्टेटमेण्ट ऑफ अकाउण्ट्स, अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. का हमको वितरित किया गया, भेजा गया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रूल्स और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत .....

श्री अध्यक्ष : क्या चीज ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह एनुअल स्टेटमेण्ट आफ अकाउण्ट्स जो आर.एस.ई.बी. का है वह प्रेस और माननीय सदस्यों को सभी को वितरित किया गया है। कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत सबसे पहले यह हाऊस की टेबल पर ही होना चाहिए था और हाउस की टेबल पर ले नही हुआ। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको पढ़कर सुनाता हूँ....

श्री अध्यक्ष : हाउस की टेबल पर ले हो गया होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं हुआ साहब,

श्री अध्यक्ष : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, नहीं हुआ।

Page No.50

श्री अध्यक्ष : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं रखा गया है, अध्यक्ष महोदय।

"The accounts of the Board as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person authorised by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and the Govt. may issue such instrnctions to the Board in respect thereof as it deems fit and the Board shall comply with such instructions."

श्री अध्यक्ष : डिस्ट्रिब्यूट कैसे हो गया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिस्ट्रिब्यूट पत्रकारों को और सब को हो गया। अखबारों में चर्चा हो गयी। इस पर सब आ गया, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

मैं इसको देखूंगा पहले। आपने जानकारी दी है। यह विधान सभा से सीधा सम्बन्धित मामला है। इसको यहां न उठायें। कृपया मेरे पास चर्चा कर लें। कृपया बैठें।

आर्डर प्लीज....

अंग्रेजी भाषा के अधिनियम में हिन्दी भाषा में संशोधन विधेयक

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था 24 घंटे बीत गये और हमारे पास अंग्रेजी में वह दोनों बिल आने चाहिए थे। अभी तक नहीं आये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको इसके कारण से इनमें संशोधन देना असम्भव हो गया है। इस पर निर्णय कब लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज एक बिल का तो कोरीजेन्डम आया है। आपने कार्य सूची देखी हो तो। एक का कोरीजन्डम आज आ गया है। एक का कोरीजेन्डम आज निकल जायेगा और कल पहुंच जायेगा आपके पास। आज पहुंच गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसको वापिस लीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने डिसीजन दे दिया उस पर सोच समझकर कानूनी चीजों को देखकर डिसीजन दिया है और कोरीजेन्डम आपके पास पहुंच चुका है और दूसरा कोरीजेन्डम भी कल डाक में आपके पास पहुंच जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर सर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने रिजेक्ट किया है। कृपया बैठें।

Page No.51

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने यूनिवर्सिटी के मामले में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उसका नम्बर आयेगा तब ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कह रहा हूं कि उसमें सारी बात फैक्ट हैं । उसमें हाई कोर्ट का जजमेन्ट बिलकुल साफ है और मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट के जजमेन्ट के साफ होने के बाद···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जानकारी के लिए क्यों भेजा है । मेरी व्यवस्था का कारण समझ लीजिए । आपने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए आपने चाहा है । हाई कोर्ट का फैसला हो गया उस फैसले के मुताबिक आगे क्या कार्यवाही हो उस पर जिस व्यक्ति के खिलाफ कुछ बातें कही गयी हैं उसके आचरण के हिसाब से क्या कार्यवाही हो यह आपने चाहा है । इसकी जानकारी तो मुझे लेने दीजिए ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर इतने साफ हैं और पंच को उन्होंने बिलकुल झूठा कहा है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुनिये आप ।

श्री अध्यक्ष : अब तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने जानकारी चाही हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हाई कोर्ट का जजमेन्ट तो हुआ है पब्लिकली ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं इनका तो सम्मान करो । आपकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं इनका तो सम्मान करिये आप ।

आर्डर प्लीज ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इतना स्पष्ट फैसला होने के बाद सरकार के पास सिवाय इसके कि उनके खिलाफ एक्शन ले और कोई चारा बचा नहीं है । क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : यही तो जानकारी लेनी है कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है । क्या किया है क्या नहीं किया है । जवाब आ जाने दीजिए । मैं इस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, वह भी तो कुछ कहें । उनको जानकारी है या नहीं आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जानकारी के लिए भेजा है । शिक्षा मन्त्री जी भी कहें कि उनको कुछ जानकारी है या नहीं है । वह कुछ जवाब देना चाहते हैं या नहीं ? आपने व्यवस्था दे दी हम मान लेते हैं लेकिन गवर्नमेण्ट साइलेन्ट स्पेक्टेटर के नाते इन चीजों को टालरेट करती रहे···

श्री अध्यक्ष : स्पेक्टेटर की तरह टालरेट करने का प्रश्न नहीं है। मैंने भेजा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वैसे आप मुझे क्षमा करें रूल्स में जिस प्रकार की व्यवस्था है, मैं आपकी समस्या को समझता हूं और यह समस्या हमारी भी है। एडजर्नमेन्ट मोशन को जितनी इम्पारटेन्स देनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही है। लेकिन उसमें से आपको सलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। इस सेशन में मैंने देखा है कि इसमें गवर्नमेण्ट किसी भी एडजर्नमेण्ट मोशन के लिए तैयार नहीं है। आप यह कह कर कि एडजर्नमेन्ट मोशन इतना इम्पारटेन्ट नहीं है, क्या गवर्नमेण्ट को तैयारी की आवश्यकता नहीं है। क्या गवर्नमेन्ट आधा घण्टे में इसकी सूचना एकत्रित नहीं कर सकती ?···

श्री अध्यक्ष : मैं कल तक इस पर व्यवस्था दे दूंगा। जानकारी मंगा करके इसकी व्यवस्था दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था और चाहूंगा। मुझे क्षमा करें मैं थोड़ा सा रूल्स के दायरे के बाहर बोलूंगा लेकिन एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने कल राजस्थान पत्रिका में देखा होगा इसी सन्दर्भ में जो छपा है। उस पत्रिका में इस बात का उल्लेख किया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए राज्यपाल महोदय ने रामपाल जी उपाध्याय को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उनसे कहा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करें और आपके रिप्रेजेण्टेटिव को भी कहें कि वे शिष्टता से वहां बिहेव करें। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में यहां जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे कहा कि मैं कल इसकी जानकारी कर लूंगा जानकारी के सम्बन्ध में जो भी मेरा निर्णय होगा मैं आपको कल बता दूंगा।···

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपका भी सीधा सम्बन्ध है इससे आपके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त हैं, माननीय सदस्यों में से उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने लिखा है कि उनका अशिष्ट व्यवहार है वहां···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह सीधा सदन पर भी रिफ्लेक्ट होता है हमारे प्रतिनिधियों के बारे में राज्यपाल महोदय लिखें कि उनका अशिष्ट व्यवहार है यह बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी के लिए भेजा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : जानकारी ले लीजिए आप। 500 लोग

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आज घरने पर बैठे हैं और पूरे राज्य कर्मचारी आन्दोलित हैं ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी आने दीजिए इस सम्बन्ध में ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : जानकारी आने दीजिए लेकिन उसके लिए आप समय निर्धारित कर दें कि कब तक यह जवाब आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अभी निश्चित नहीं कर सकता । इसके बारे में मुझसे बात कर लीजिए उसके बाद । श्री हरीश शर्मा ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है कि सरकार से उत्तर आया है । चारे आदि की व्यवस्था कर दी गयी है । मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि मैंने विशेष तौर से कल भी निवेदन किया था कि ऐसे टीबे वाले क्षेत्रों में जहां आंधियां चलने से गत डेढ़ माह से चार बाई चार के टैंकर्स वहां पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं । उस स्थिति में लोग वहां प्यासे मर रहे हैं और लोगों ने गांव के गांव छोड़ दिये हैं मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार से स्पेसिफिक जवाब आता लेकिन आपने जनरल व्यवस्था दे दी है कि अकाल के समय बहस कर लें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चार बाई चार के टैंकर्स गत डेढ़ माह से वहां सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और दो माह पूर्व ऐसे इलाकों में ऊंट गाड़ों से व्यवस्था की जा रही है लेकिन इन गांवों में चार बाई चार के टैंकर्स की व्यवस्था करने के उपरान्त क्योंकि डेढ़ माह से लगातार आंधियां चल रही हैं, सारे रास्ते ब्लाक हो गये हैं । इसलिए मैं यह चाहता था कि राज्य सरकार तुरन्त ऊंट गाडों से पेयजल की व्यवस्था करे । इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से इसके लिए कोई आश्वासन तुरन्त आज की आज दिलवायें और व्यवस्था करावें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें । श्री हरीश शर्मा ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो आप सुन लें···

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना है आपका निवेदन····

श्री देवीसिंह भाटी : निवेदन सुन लिया लेकिन इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने व्यवस्था दे दी है । स्पेसिफिक डिमाण्ड आयेगी तब आप बोलेंगे और उस पर मन्त्री जी उसी हिसाब से जवाब देंगे । और यह महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार सुन रही है । इतनी महत्व की बात है और विचार करने की बात है तो सरकार व्यवस्था करेगी । इस सम्बन्ध में कोई बात हो तो मुझसे बात कीजिए । मैं आपकी मन्त्री जी से बात करवाऊंगा । श्री हरीश शर्मा ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) अध्यक्ष महोदय, अकाल के कार्य पर मेरा भी प्रस्ताव दिया हुआ है इसके लिए अभी तक व्यवस्था नहीं है ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने 3 तारीख को सवाल दिया है। मेरी रायपुर तहसील में पांच पंचायतों में अकाल राहत का कोई भी कार्य नहीं चल रहा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज....

श्री हीरासिंह चौहान : और आपने उस दिन व्यवस्था दी कि मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई व्यक्तव्य नहीं आया है और अकाल के कारण सभी आदमी दुखी हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं। चारा और पानी के लिए दुखी हो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत कार्यों पर और अकाल की सारी बातों के ऊपर पूरे दिन की डिमाण्ड है। उस पर चर्चा होगी और आप बोलेंगे और मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : लोग दुख पा रहे हैं...

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, वह डिमाण्ड क्या अकाल खत्म हो जाने के बाद ली जायेगी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। तारीख निश्चित हो चुकी है, माननीय सदस्या।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी नहीं हैं, वह भी बीमार हैं मेरी तरह। झालावाड़ जिले में गांव ककड़ावदा में मिडिल स्कूल खोला गया था। 95 विद्यार्थी है और भवन भी पर्याप्त है लेकिन पंचायत समिति के प्रधान एवं गांव लीमी के लोगों ने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ को रिश्वत देकर गांव लीमी में स्कूल खुलवा दिया और ककड़ावदा का नाम कटवा दिया। जबकि लीमी में न छात्रों की संख्या है न भवन है। जिला शिक्षा अधिकारी ने राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर लीमी में स्कूल खोलने के आदेश दे दिये। यह झापट दिया शिक्षा मन्त्री के गाल पर। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा मन्त्री क्या होते हैं आदेश तो मैं निकालता हूं। परिणाम यह हुआ कि गांव ककड़ावदा के और लीमी के लोगों में झगड़ा हो गया और स्कूल खोलने के लिये लीमी के लोग कुछ झालावाड़ पड़े रहे और कुछ जयपुर पड़े रहे। गांव के लोगों का कितना समय और धन बरबाद हुआ होगा केवल जिला शिक्षा अधिकारी की भ्रष्ट नीतियों के कारण। मैंने शिक्षा मन्त्री को ककड़ावदा में स्कूल खोलने और जिला शिक्षा अधिकारी की अनियमित कार्यवाही के बारे में पत्र दिया था। उन्होंने उस पत्र को अपने पी. ए. को दे दिया। शिक्षा मन्त्री ने आज तक उसको देखा तक नहीं। परिणाम यह हुआ कि इन दोनों गांवों में अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं उनमें जिन्दगी भर की लड़ाई ठन गई। मूछें खिंच गई क्योंकि प्रधान, पंचायत समिति खानपुर रुपये लेकर शिक्षा अधिकारी से मिला। इसलिये ककड़ावदा में मिडिल स्कूल नियमानुसार खोलना चाहिये।

दूसरा, मेरा स्थगन प्रस्ताव है जिसका सरकारी जवाब आज आया है। मांगरोल

Page No.55

(श्री हरीश शर्मा)

घुलेट, सांगोद व दही खेड़ा में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में। उस बारे में मेरा निवेदन है कि जिला झालावाड़ के ग्राम दही खेड़ा में, अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि गृह मन्त्री जी यहां विराजमान हैं। दही खेड़ा गांव में हमारा दुर्भाग्य मानो या सौभाग्य मानो कि अकलेरा में एस. डी. ओ. कुरेशी मुसलमान हैं जिसने सीलिंग की जमीन जो सरकारी कब्जे में आयी उसने मुसलमानों को और सरकारी कर्मचारियों को बांट दी। इससे दंगों की शुरुआत हुई। इस स्थिति में दही खेड़ा में दंगे हुए। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं एक गूजर को एक मुसलमान ने गोली मार दी। रिपोर्ट दर्ज हुई। 8 दिन लगातार लोग डी. आई. जी के यहां पड़े रहे, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एस. डी. ओ. मुसलमान और एस. पी. भी मुसलमान थे। एस डी. ओ. बन्दूकों के लाइसेंस केवल मुसलमानों को देते थे और हिन्दुओं को नहीं देते थे। दो मुसलिम कर्मचारी जो एक माध्यमिक विद्यालय में कार्य और एक प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं इस गूजर को गोली मारने में शामिल थे। गिरफ्तार हुए मगर इनको सस्पेण्ड नहीं किया गया। अगर हिन्दू होते तो उनको टरमीनेट कर दिया जाता किन्तु मुसलमान होने के नाते उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। गिरफ्तार होने के बाद उनको सस्पेण्ड नहीं किया। जबकि नियम है कि गिरफ्तार होने के बाद सस्पेण्ड करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि साम्प्रदायिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये और दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाये।

इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे दाऊ दयाल जी जोशी जब विधान सभा का चुनाव जीते, 7 मार्च को दुलहण्डी (होली का दिन) था उस दिन दाऊ दयाल जी का जुलूस निकलना था तो वहां घुलेट में मुसलमान लोगों ने कह दिया कि हम जुलूस नहीं निकालने देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह तो कमी है सरकार की। अगर यह शुरूआत हिन्दू करते तो सब दल वाले कहते इनको बन्द कर दो, मार दो। और दंगे होने का कारण यही है। अध्यक्ष महोदय, दाऊदयाल जी के जुलूस पर पत्थर फेंके। शर्म आनी चाहिये। जो हिन्दू-हिन्दू बोलते थे, हिन्दुओं की जय बोलते थे वे आज सब मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं चाहे वे गलती करें या न करें। अध्यक्ष महोदय, यह दंगे घुलेट से सांगोद गांव में फैले। परिणाम यह हुआ कि दो दिन बाद ही सांगोद में तेजाब छिड़क दिया। फिर सांगोद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इसके बाद फिर मांगरोल में दंगा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी दलों के नेताओं से यह कहना है कि अगर साम्प्रदायिक आग बुझानी है तो शुद्ध रूप से भारतवासी बन जाओ और जिस किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ कहो। फिर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो।

अध्यक्ष महोदय, मांगरोल में, एक मन्दिर के लिये जमीने नापने के लिये सरकारी कर्मचारी गये जिनमें एस. डी. ओ., तहसीलदार और अन्य विभागीय कर्मचारी थे उन पर मस्जिद से पत्थर फेंके....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : आप संक्षेप की बात करते हैं मैं अपनी बात ही समाप्त कर रहा हूं परन्तु यह दंगे हैं। बारां, अन्ता, शीशावाली आदि जगह में फैल जायेंगे। पूरी हाडौती जल जायेगी अगर तत्काल नियन्त्रण नहीं किया तो। वहां से कर्मचारी हाथ जोड़ कर भाग कर वापिस आ गये। मस्जिद वालों ने हिन्दुओं पर आक्रमण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं ने फिर बराबर मुकाबला किया। हिन्दुओं की कहां गलती है, लेकिन गिरफ्तार सब हिन्दुओं को किया गया। मैं न्याय चाहता हूं अगर हिन्दुओं की गलती है, हिन्दू अपराधी हैं तो हिन्दुओं को बेशक सजा दो, पटक दो इनको अन्दर लेकिन अगर किसी मुसलमान की गलती है, तो उनको सजा दो लेकिन यह नहीं कि निर्दोष हिन्दुओं को सजा दो···

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बन्द ही करने वाला हूं।

मगर वहां पूरी हड़ौती में आग लगी हुई है। जब भिण्डरवाला जिन्दा था तब मैंने भिण्डरवाला का कोटा में पुतला जलाया था। कोटा में डी. आई. जी. जो हैं वह पंजाबी हैं। उन्होंने कहा मैं इसका बदला लूंगा इसलिये वह मुझसे और हिन्दुओं से जलता है। डी. आई. जी ने थानेदार अकलेरा और थानेदार खानपुर से कहा कि हरिश शर्मा को मार दो, मैं निपट लूंगा, चिन्ता मत करो। मेरा थानेदार अकलेरा से एक बार झगड़ा भी हुआ। डी. आई. जी. ने थानेदार की पूरी सुरक्षा की, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने दी। भगवान की मेरे ऊपर भी कृपा है पुलिस और कर्मचारी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है जिधर सत्य है उधर मैं हूं और जिधर मैं हूं पराजय का सवाल ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, डी. आई. जी. साहब ने मांगरोल में जाकर दंगों को भड़काया और दाऊदयाल जी जोशी के खिलाफ झूठा केस बनाना···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : संक्षेप में ही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

यह एक गम्भीर घटना है। मांगरोल में आज तक शांति नहीं हो पाई, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाये डर के मारे, इतना भय व्याप्त है और जिन निर्दोष हिन्दुओं को बन्द कर दिया उनके घर में चूल्हे नहीं जले और आप संक्षेप की बात कर रहे हैं। मैं बन्द ही करता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि निर्दोष को सजा नहीं मिले और जो दोषी हैं जिन्होंने दंगों की शुरूआत की, इस आग को बढ़ाया, चाहे वह नेता हो या और कोई हो सवाल यह है कि वहां के एस. डी. ओ., अकलेरा प्रधान, जिला प्रमुख इस आग को बढ़ाने में शामिल हैं और, अध्यक्ष महोदय, एक राजनेता, एक माननीय सदस्य ने मैं नाम नहीं बताना चाहता पर माननीय सदस्य····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : मैंने नाम नहीं लिया।

(श्री हरीश शर्मा)

हथियार और रुपये बांटे दही-खेड़ा, मांगरोल और सांगोद में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आग बढ़ाने वाले इन नेताओं को गिरफ्तार किया जाये जो मासूम लोगों की हत्या करवा देते हैं और अपनी रोटियां सकते रहते हैं क्या सरकार में उनके खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत है? यह स्थिति भयंकर होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि डी. आई. जी. और राजनेता जो इस आग को बढ़ा रहे हैं और एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं। हाड़ौती में शुरूआत इन मुसलमान लोगों ने की है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट और राज्य सरकार की रिपोर्ट है; हर दंगे की शुरूआत आज दिन तक मुसलमानों ने की है एक भी दंगे की शुरूआत हिन्दुओं ने नहीं की फिर सजा हिन्दुओं को क्यों दी जा रही है, उनको क्यों फंसाया जा रहा है इसका जवाब दो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिये···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव दिये थे। आज नहीं आये तो बोलेंगे कैसे चैयर से इजाजत नहीं मिलेगी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। अलग से बात कर लें।

श्री देवीसिंह भाटी : जिनके कटौती प्रस्ताव नहीं आये हैं उनके लिये क्या व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि तहसील जायल जिला नागौर में बिजली के 50–60 पोल्स और तार फरोख्त किये गये लेकिन अभी तक हरिजन बस्ती में बिजली नहीं पहुंचाई इसका जनता में आक्रोश है। मेरा निवेदन है कि मुझे इस सदन में कहने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक छोटी सी कविता पेश करता हूं—

निर्जन बाकी, सघन कुंज मै सिंह पड़ा एक सोता था।
कभी कभी चूहा आकर के निदरों में बाधक होता था।
एक बार दिख होकर जब सिंह ने उसको पकड़ लिया।
चूहे ने निज मृत्यु जान कर मिड़गिड़ाय विनय किया।
क्षमा करो, छोड़ो जी मुझको प्राण दान दो आज
काम समय पड़े बदला दूंगा मैं ही तुमको पशु राज।

(श्री मोहनलाल बारुपाल)

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं—

सुनत चूहे के वचन सिंह ने हंस कर उसको छोड़ दिया।
चूहे के निज कृतज्ञ होकर अपने बिल का मार्ग लिया।
कुछ शिकारियों ने एक दिन जंगल में जाल लगाया था।
देव योग से उसी सिंह को उसमें वहां फंसाया था।
गर्ज गर्ज कर बड़े शोर से सिंह वहां चिल्लाया था।
बन्धा हुआ सिंह उस जाल फास में पड़ा बिलखाता था।
सुनकर उसका अन्तंनाद चूहा पहुंचा ही तत्काल।
जल्दी जल्दी निज दांतों से काटा उसका जाल।
सिंह हुआ स्वच्छन्द मद में यह क्या चूहा बकता है
पर देखो यह सिद्ध हो गया ऐसा भी हो सकता है।
ईश्वर की माया विचित्र सबही काम कर जाते है।
कभी-कभी छोटे जन से भी बड़े काम सध जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भाखरा तहसील के बाजा क्षेत्र में जल प्रदान योजना में हो रही धान्ध-बाजी के बारे में दिया था। अध्यक्ष महोदय, जहां पानी अवेलेबल नहीं है. जहां साधन अवेलेबल नहीं है, उस जगह पर अगर पानी नहीं मिले तो मेरे ख्याल से हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जहां सब प्रकार के साधन हैं और जहां की सरकारी मशीनरी उन सब साधनों की उपेक्षा करके अपनी अकर्मण्यता की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से या किसी और गैर नैतिकता के कार्यों की वजह से पीने के पानी की समस्या हल नहीं करे तो यह समस्या और मामला गंभीर बनता है। इसी तरह भादरा तहसील के बारे में निवेदन करूं पिछली दफा जब उग्रवादियों ने नहर काट दी थी और भादरा तहसील में पानी का श्रोत केवल अमरसिंह का रह गया था तो नहर को पाटने के लिये सरकार ने थोड़ी बहुत मदद, यानी 11 लाख रुपये की अनुदान राशि दी ताकि वहां तुरन्त व्यवस्था की जा सके। उस 11 लाख रुपये में से ज्यादा से ज्यादा दो ढाई लाख रुपये वहां खर्च किये। बाकी सारा पैसा ए. ई. एन., एक्स. ई. एन., जे. ई. एन, और ठेकेदारों ने मिलकर हड़प कर लिया। ऐसी स्थिति में···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मामला काफी गंभीर है, थोड़ा सा तो समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : डिमान्ड पर आप बोल

Page No.59

(श्री अध्यक्ष)

सकेंगे, डिमान्ड भी है। अभी संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जब ऐसी परिस्थितियों में घोटाला किया गया है उसके बाद वहां पीने के पानी के लिये, पानी स्टोर करने के लिये जो डिग्गियां बनाई जाती हैं, सरकार की तरफ से उस पर मसाले का अनुपात होता है 1 : 4 का, गांव की डिग्गियों में जब पानी नहीं ठहरा तो गांव के लोगों ने उन कारीगरों, ए. ई. एन., जे. ई. एन. को पकड़ा और जब उनसे पूछा गया कि किस अनुपात का मसाला मिला रहे हो तो, अध्यक्ष महोदय, खुलासा कहते हैं 1 : 14 का मिला रहे हैं, 1 : 14 का अनुपात तब हमने उनसे कहा क्यों पैसे खर्च कर रहे हो जब इससे पानी एक दिन भी नहीं ठहरेगी तो कहते है हम क्या करें आधा कट्टा सीमेन्ट का आता है। उसमें से भी कुछ लोग और खा जाते हैं मिलता नहीं। 1 : 4 है तो मंजूर लेकिन 1 : 4 का लगाये कहां से। हमें पूरा मसाला मिलता नहीं है। ये बातें ठेकेदार और वहां के मजदूर और मिस्त्री लोग बोलते हैं। अब आप अन्दाजा लगा लीजिये पीने के पानी की स्कीम में जिसको मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण स्कीम माना गया है और जो 100 साल तक काम आने वाली है, कई पीढ़ियों तक काम में आने वाली है और इसी हिसाब से डिग्गियों का निर्माण किया जाय। इसके अन्दर 15 दिन तो क्या तीन दिन पानी ठहर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जब काम होगा और उसके ऊपर कई दफा लिखा-पढ़ी की लेकिन सरकार ने और विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह की जो वाटर वर्क्स की स्कीमें बनी है उनकी खुलासा जांच की जाय तो आपको बिलकुल मालुम हो जायेगा और चीज सामने आ जायगी कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे चौथाई पैसों में कहीं ज्यादा कामयाबी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं एक स्कीम जोगीवाला माइनर से पाइप लाइन ले जायी गयी निनाना गांव के वाटर वर्क्स के लिये। पहले तो पाइप लाइन जमीन के नीचे से डालकर ले गये जब पानी नहीं पहुंचा है तो उसको थोड़ा ऊंचा किया, फिर भी पानी नहीं पहुंचा तो फिर उसको थोड़ा बीच में से ऊंचा करके ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, कई टैक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं क्या उनको इस बात के लिये ही लगाया जाता है कि बार बार सरकारी धन का दुरुपयोग करते रहे। टैक्निकल स्कीम है, टैक्निकल लोग हैं उसके बावजूद तीन मील लम्बी लाइन को चार दफा तोड़ कर बनाया जाय। यह सरकार के पैसों का कितना दुरुपयोग है। अध्यक्ष महोदय, यह उनसे वसूल किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लालचन्द डूडी : भादरा तहसील के अन्दर पानी की सप्लाई ठीक करें। आपने उन गांवों को घोषित भी कर दिया और ऐसे 15 गांव होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कि इस प्रकार के 15 गांव है वहां पर

(श्री लालचन्द डूडी)

जिनमें आज दिन तक एक तोला पानी नहीं पहुंचा है। गांव के लोग उन पाइपों से अपने ऊंट बान्धते हैं, उन पाइपों से अपने पशु बांधते हैं या उन पाइपों को उठा कर ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बहुत सारी अव्यावहारिक बातें हैं। मेरी तहसील में एक मुतफरिक गांव है, अध्यक्ष महोदय, 600 घरों का गांव है। तीन पाइप लाइन है···

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा इस समय संक्षेप में ही कहें। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था है। डिमान्ड पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : इस वक्त तो पानी की दिक्कत है। बरसात हुई नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी सारी बात।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आखिर में यही निवेदन है कि मुझे समय नहीं दिया जाय तो सारा लिखित में देकर उनको पहुंचा दूं मुझे आश्वासन इतना ही दें कि उनकी जांच कर ठीक से कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : जरूर पहुंचा दे।

श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम पंवार (टी. बी.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की असफलता का ब्यौरा देता हूं। जो स्कीम बनी हुई है वह भी सुचारु रूप में नहीं चल रही है। इसमें क्या टेक्निकल मिसटेक है, आज तक कोई पता नहीं लगाया गया और बार बार ग्राम वासियों की ओर से सम्बन्धित अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता जो भी सम्बन्धित है और जिनकी ड्यूटी है, उनको प्रार्थना पत्र दिये हैं। डेपुटेशन लेकर किसान आये दिन मिलते रहते हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स के कानों तक जूं नहीं रेंगती है। जो नई स्कीम की बात करते हैं लेकिन गांव में, टी. बी. विधान सभा क्षेत्र जो मेरा एरिया है अधिकतर सिंचित है—उसके पास के जो ग्राम है उनको वहां से पानी दिया गया है। इसमें एक तो यह है कि जो डिस्ट्रिब्युरीज माइनर कैनाल से लिंक है वह भी नियमित रूप से नहीं चलती है, और वाटर वर्क्स लाइन डाल रखी है। इसमें न तो उन्होंने ऊंचा नीचा का ध्यान रखा है, न ज्वाइन्ट ठीक मिलाये हैं, न पाल सही है। हर दिन लीकेज होता है और पानी पीछे ही बह जाता है। पानी अगर उन गांवों में जाता भी है तो केवल एक घंटा या डेढ़ घंटा। गांव की औरतें महिलाएं वहां पर मटके फोड़ लेती हैं और आपस में लड़ती हैं और पानी किसी को मिलता नहीं। यह स्कीम कौन सी है आपको इसका भी ब्यौरा देता हूं···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : गदली, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ही और है। सात्रा चैनल जो है उससे लालपुरा पाइप लाइन डाली है

(श्री डूंगरराम पंवार)

उसमें केवल 15 मिनट या 20 मिनट पानी जाता है कभी जाता ही नहीं। हालत यह है। इसमें नयी स्कीम को तो छोड़िये जो पहले से एक स्कीम है वह भी इनसे सुधारी नहीं जाती न पानी जाता है और रेगुलर दिखाते हैं कि वह चल रही है। ऐसे झूठ बोलने वालों की पोल कब तक खोलेंगे? यह मैं गारण्टी लेता हूं, न मैंने कोई डिप्लोमा किया है, और न कोई डिग्री ली है लेकिन मैं थोड़ी सी ईरिगेशन के बारे में जानकारी रखता हूं, मेरे साथ में कर दीजिए इन लोगों को या आप एक जांच टोली बना दीजिए इरिगेशन और फिर पी. एच. ई. डी. की पोल खोलता हूं क्या एक्शन लें, जो लापरवाही से लोगों को प्यासा मारते हैं। गांवों में बिटोड़े कहते हैं न बिटोड़े, वह बिटोड़े से बना रखे हैं। न तो उसमें पानी जाता है और वह भी कामयाद है तो इस प्रकार की उनकी स्कीम जांच करायी जाकर उनको पुन: लागू किया जाय और जो विभाग के आफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही का उनको पनिशमैन्ट किया जाय तब तो सरकार है नहीं तो मैं यह कहूंगा आज न कोई सरकार है, न कोई एम. एल. ए. है, न कोई मिनिस्टर है यह प्योर ब्यूरोक्रेसी है जो कभी नहीं सुनती किसी की?

श्री अध्यक्ष : आप अपने आपको भी नहीं मानते?

श्री डूंगरराम पंवार : जब तक इनको कन्ट्रोल नहीं किया जाय तो मैं सरकार को निष्क्रिय और अपंग मानता हूं और जो लाबी में बैठे रहते हैं अधिकारी, सुनते रहते हैं चुपचाप जाकर के अपनी खिल्ली उड़ाते हैं और सदन को रामलीला मण्डप समझते हैं। जब तक ब्यूरोक्रेसी को टाइट नहीं किया गया तब तक कोई सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री ग्यारसीलाल।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मसले को सरकार के सामने लाना चाह रहा हूं जहां एक तरफ सरकार यह कहती है कि वह अनुसूचित जन-जाति की हिमायती है और हिमाकत करती है···

श्री अध्यक्ष : हिमाकत नहीं हिमायत करती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : करती तो हिमाकत ही है।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : बिलकुल कर रही है, हिमाकत करती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : बनती हिमायती है करती हिमाकत है।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : अनुसूचित जन जाति के लड़कों के लिए वह सब कुछ करती है, और कर रही है मगर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपको छोटी पंचायतों में या तहसील स्तर पर जो अनुसूचित जाति के छात्रावास और वहां जो अनुसूचित जाति के छात्र रहते हैं उनके विषय में बताना चाह रहा हूं। उन छात्रों को कक्षा 6 से लेकर के 9 तक सौ रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र को दिया जाता है, कक्षा 9 से लेकर के 11 तक प्रति छात्र को प्रतिमाह 106 रुपया दिया जाता है और यह सन् 82 से चला हुआ

(श्री प्यारसीलाल परिडवाल)

आ रहा है। अब, अध्यक्ष महोदय, हम इस पर विचार लगायें कि इस मंहगाई के जमाने में क्या एक छात्र पर सौ रुपया या 106 रुपया वाजिब है? क्या सौ रुपये या 106 रुपये से उस छात्र का महीने का खर्चा पूरा हो सकता है, उसमें भी सरकार ने इतनी चीजों, भोजन, वस्त्र, कपड़े की धुलाई, तेल साबुन, कटिंग, स्पेशल डाइट, जूते और अन्य जितने भी सामान आ सकते हैं वह सभी उन्हीं सौ रुपये या 106 रुपये में ही आते हैं। उसके बाद छात्रों को जो स्पेशल डाइट दी जाती है या उसका जैसे एक नियम बना रखा है कि छात्रों को 15 दिन के अन्दर एक स्पेशल डाइट दी जाय वह बिलकुल नहीं दी जाती। आज जिन भवनों के अन्दर यह छात्र रहते हैं, उसमें यह कन्डीशन है कि बरसात के समय में वह लड़के इस तरीके से एक दीवारों के नीचे ऐसी जगह ढूंढते फिरते हैं कि पानी न आवे क्योंकि ऊपर से बरसात का पानी बरसता है टपटप कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो छात्र जिन छात्रावासों में रह रहे हैं और उनके लिए सरकार ने जो पैसे निर्धारित किये हैं उसको बढ़ाया जाकर डेढ़ सौ रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह किया जाय क्योंकि ये छात्र, मकान का किराया, जिसमें वह छात्रावास है उन्हीं पैसों में से देते हैं उन्हीं पैसों से चाहे वहां कोई औरत उनका खाना बनाने के लिए आवे या कोई आदमी नियुक्त किया जाता है येन-केन कैसे भी करके उन्हीं पैसों में से उनको तनख्वाह भी दी जाती है। अब इसमें यह सोचने की बात है कि इस महंगाई के जमाने में एक छात्र पर सौ रुपये क्या वाजिब है? इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसलों को अति आवश्यक समझकर, यह एक अनुसूचित जाति और जन जाति के बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इतने से पैसों में वह कुछ नहीं कर सकते और न पढ़ सकते हैं। छात्रावासों के अन्दर जो छात्र रहते हैं उनमें वही बच्चे आते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है जिनके पास जमीन नहीं होती या उनके पास आय के साधन नहीं होते या उनका कोई संरक्षण नहीं होता या उनका कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं होता या बिल्कुल गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन्हीं छात्रों की छात्रावासों में भर्ती किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि यह सन् 1962 के, सन् 1982 के जो नियम है इनको बदलकर राशि में कुछ बढ़ोतरी की जाय ताकि इन लोगों का जीवन कुछ सुधरे और सुखमय गुजरे।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू, जो सदन में शायद कोई कार्य कर रही हैं...

श्री अध्यक्ष : आप चालू रखें। आप जारी रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कृषि मन्त्री महोदया अपना इस ओर ध्यान दें...

श्री अध्यक्ष : आप तो जारी रखें आपका ध्यान डाइवर्ट हो जायेगा अन्यथा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि फिर राजनैतिक भेदभाव करने की प्रक्रिया चल पड़ी है। कोटा ऐसा क्षेत्र है जो फलों के विकास की दृष्टि से सारे राजस्थान में अत्यन्त प्रसिद्ध है। झालावाड़ के, भवानी मण्डी के सन्तरे आज नागपुर के सन्तरों की जोड़ में आकर खड़े हो गये हैं। बहुत बड़ी पैदावार वहां हो रही है और इसी कारण से प्रारम्भ में फल विकास अधिकारी का जो आफिस है, कार्यालय है, उसकी स्थापना कोटा में की गयी थी। क्यों पता नहीं कौन से कारण हैं, मैं राजनैतिक कारण कहना चाहता हूं एक प्रक्रिया चल पड़ी है कि कोटा में जो फल विकास अधिकारी का कार्यालय है उसको वहां से स्थानान्तरित करके जयपुर ले आया जाय। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ..

श्री अध्यक्ष : कोटा फलों में विकसित है यहां विकास करना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके सामने यह बात इसलिए कहने जा रहा हूं और कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी जो संयुक्त निदेशक, उद्यान की दृष्टि से जो पद सृजित हुआ है उसका आफिस जयपुर रखा गया है, इतना ही नहीं कोटा में जो सहायक वन विभाग अधिकारी है उनका पद तोड़ दिया गया है। एक ही कल्पना है, एक ही दुख है और यह प्रस्ताव बन गया मुझे डर है कि कहीं इस विधान सभा के सत्र समाप्ति के पश्चात् सहायक कृषि अधिकारी जो फलों का काम देखते हैं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी जो कोटा में कार्यरत हैं, इसी दृष्टि से लेखाकार और लिपिक इनके पद की समाप्ति के प्रस्ताव जयपुर में तैयार हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फलों की दृष्टि से कोटा अत्यन्त प्रसिद्ध, एक तरफ वह पद सृजित हुआ वह जयपुर में हो गया, सहायक फल विकास अधिकारी का पद समाप्त कर दिया। इन नये पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल पड़ी है, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनैतिक भेदभाव न रखें। फलों के विकास की दृष्टि से प्रमुख केन्द्र है कोटा, बूंदी और झालावाड़ और इसी दृष्टि से कार्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बारे में राजनैतिक प्रक्रिया चल पड़ी है, वह न करें। इस कारण से बहुत बड़ा नुकसान, जो फल बड़े परिमाण में यहां कोटा क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं इसमें बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। अनुसंधान पीछे रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी जानकारी वहां के कृषकों को, फल उगाने वालों को जो हो सकती है वह नहीं होगी। कृपा करके यह जो प्रक्रिया चल पड़ी है इस कार्यालय के समाप्त करके जयपुर लाने की, रहम करिये थोड़ा सा राजनैतिक भेदभाव न करें और कार्यालय को तोड़ने की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है, उसको समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष : मोहनलाल चौहान।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव झुंझुनू

(श्रीमती सुमित्रा)

में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की भर्ती के साक्षात्कार के लिए आए हुए युवकों और अभ्यार्थियों पर जिस प्रकार से पुलिस ने डण्डे बरसाए और जिस प्रकार से बिल्कुल निरपराधों को जिस तरीके से परेशान किया उसकी ओर था । ने सरकार की ओर से जो उत्तर और जो कुछ भी आया है वह अपूर्ण है और आपने इसमें आसन की ओर से यह व्यवस्था की है कि सरकार इस बारे में अपनी जांच करवा रही है । तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यह बात पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिये थी कि इस भर्ती के अन्दर किस प्रान्त के और किस तरह के लोग आयेंगे । यह एक कारण बता करके कि वहां पर हरियाणा के लोग आ गए, हरियाणा के लोगों ने आ कर वहां पर इस तरीके से अव्यवस्था फैलाई, मैं समझती हूं कि यह तर्क बिल्कुल गलत है । गलत बात है । वहां पर, यह सही बात है कि जब रोजगार की स्थिति ऐसी हो, एक तरफ सेवा निवृति की आयु सरकार ने 55 वर्ष से बढ़ा कर के 58 वर्ष कर दी । आज भी रोजगार की ऐसी स्थिति है । आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि केवल तीस स्थानों के लिए भर्ती होनी थी, तीस स्थानों की भर्ती के लिए पन्द्रह हजार अभ्यार्थी वहां पर साक्षात्कार के लिए आए थे । इसी बात से आप अन्दाजा लगा लीजिए कि आज राजस्थान में रोजगार की क्या हालत है और बेरोजगारी किस कदर यहां पर व्याप्त है ।

तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से झुंझुनू की पुलिस ने साक्षात्कार के लिए आए हुए युवकों और अभ्यार्थियों पर जिस प्रकार से डण्डे बरसाए, जिस प्रकार का व्यवहार किया तीन-चार घण्टों तक झुंझुनू की सड़कों को जिस तरीके से वीरान कर दिया, लोगों को परेशान किया, 14 लोगों के तो चोटें आईं, अस्पताल में भर्ती हैं । इस तथ्य को राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है । लेकिन 14 लोग ही नहीं, सवाल यह है कि यह वारदात अभ्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रही, आम आदमी भी, जो सुस्ता रहा था पेड़ के नीचे बैठा हुआ, आम आदमी जो सड़क पर जा रहा था, पुलिस ने बिना इस बात की जांच किए, बिना इस बात में भेद भाव किए कि यह कौन है, किस लिए आया है, उन्होंने तो अपनी कार्यवाही की, निर्ममता के साथ डण्डे से पीटना, सड़क पर चलते हुए, पेड़ की छाया में सुस्ताते हुये लोगों पर भी डण्डे बरसाए । और जिस तरीके से जन-जीवन पांच-छः घण्टे तक एकदम वहां पर ठप्प कर दिया, यह मैं समझती हूं कि निहायत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए । इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस बात की अच्छी तरह से जांच की जाय और जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जावे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, वे अस्वस्थ हैं यह आप भी जानते हैं । इसको स्थगित कर दें, वे आयेंगे तब बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इसमें स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे बोलना चाहेंगे इस पर।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। वे 12 तक तो छुट्टी पर हैं। He is on leav.

सुश्री पुष्पा जैन। आपने 295 के अन्दर रेफर करने की बात की हैं, मैं आपको स्वीकृति देता हूं।

नियम 295 के तहत उठाया गया प्रश्न

विभिन्न स्थानों पर हुए गोली कांडों के प्रतिवेदन सदन की मेज पर नहीं रखा जाना

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ इस सदन में मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी यह बात फिर कहनी पड़ रही है कि 1980 से लेकर आज तक राजस्थान के भिन्न-भिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली काण्ड हुए हैं और समय-समय पर इसकी आवाज विधान सभा में उठाई गई है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में मुख्य मन्त्रीजी ने बराबर आश्वासन दिए कि भिन्न-भिन्न जांच जो बिठाई गई, उनकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। मुझे अफसोस है, इसके बाद विधान सभा हो चुकी और इस सैशन में भी दूसरी बार विधान सभा हो रही है, आज तक सरकार ने अपनी तरफ से कोई दायित्व नहीं समझा कि जो गोली काण्ड की जांच हुई उनकी रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी जाती। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कई जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी हैं, कई की रिपोर्ट अधूरी पड़ी हैं। इसमें सरकार की नेग्लीजेंस रही है। मैं आरोप लगाना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार पर कि सरकार ने सुविधायें नहीं दी जांच के लिए। सरकार ने जांच की घोषणा कर दी उसके बाद जिनको जांच के लिए नियुक्त किया गया उनके पास पत्र नहीं पहुंचा। उनके पास अधिकार पत्र नहीं पहुंचने के कारण जांच शुरू नहीं हो पाई। जब विधान सभा में दुबारा बात उठाई गई, दुबारा आवाज उठाई गई, उसके बाद सरकार ने अपोइण्टमेंट लेटर दिया और जांच शुरू हुई। इसमें जो कुछ केसेज हुए उनमें से कुछ के नाम लेकर मैं पढ़ना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त, 84 को कठूमर, अलवर जिले में गोली काण्ड पुलिस ने किया जिस में कई लोग घायल हो गए। सितम्बर, 80 में आमेसर, भीलवाड़ा जिले में गोली काण्ड हुआ जिसमें 3 व्यक्ति मौत के शिकार हुए, अनेकों घायल हुए। अध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी, 84 को अलवर में गोली काण्ड हुआ, 26 जनवरी, 84 को खैरथल में गोली काण्ड हुआ जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, कई व्यक्ति घायल हुए, जनवरी, 84 में नवगांव, अलवर जिले में गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा जिसमें कई लोग घायल हुए, 28 जनवरी, 84 को हरसोली जिला अलवर में गोली काण्ड हुआ जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, कई लोग घायल हुए, मई, 80 में बीकानेर जिले के नोखा गांव में गोलिया चलीं, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति मारा गया। इसकी जांच, अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के रिटायर्ड सदस्य,

(सुश्री पुष्पा जैन)

श्री के. वी शंकरन साहब को सौंपी गई थी और मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि जांच पूरी हो चुकी। सरकार ने अपना दायित्व नहीं समझा कि उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, नवम्बर, 83 में घाना भरतपुर में पुलिस ने बड़ी निर्दयता से गोली चलाई जिसमें पशुपालक छ: मारे गए और 24 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें न्यायमूर्ति, श्री दिनकर मेहता को जांच के लिए अपोइन्ट किया गया। अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 83 में लूणियावास, जयपुर जिले में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई लोग घायल हुए, 16 अगस्त, 1983 भिवंडी अलवर जिले में गोली चली जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, कई लोग घायल हुए जिसकी जांच जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी। 18 जुलाई, 83 में बूंदी जिले के खेड़ागांव में गोली चली जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और कई घायल हुए। जांच ए. डी. एम. को सौंपी गई। मार्च, 83 डीड़वाना, नागौर जिले में गोली चलाई गई जिसमें 9 से ज्यादा लोग घायल हुए जिसकी जांच एडीशनल एस. पी., सी. आई. डी. अपराध शाखा को सौंपी। अप्रेल, 83 में धौलपुर में गोली काण्ड हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। मकराना में 13 मई, 83 को गोली चलाई गई जिसकी जांच एडीशनल एस. पी. को सौंपी गई। जनवरी, 84 में कोटपूतली में, जिसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें तीन छोटे-छोटे मासूम बच्चे मौत के शिकार हो गए। जिसकी जांच जस्टिस, श्री जी. के. शर्मा को सौंपी गई और उस जांच को जिस तरह से लेट किया और जान बूझकर लेट किया। यहां पर घोषणा करने के बावजूद न्यायमूर्ति श्री जी. के. शर्मा साहब को यह जानकारी नहीं थी कि उनको इसकी जांच के लिए अपोइन्ट किया गया है और फिर विधान सभा में इसकी गूंज हुई और इसके बाद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए। उसमें भी मालूम नहीं अभी तक क्या हुआ। मार्च, 84 में टपूकड़ा में पुलिस ने गोली चलाई, एक व्यक्ति मारा गया, कई घायल हुए; मई, 84 में मामेर में गोली चली जिसमें कई लोग घायल हुए। सितम्बर, 84 में निम्बाहेडा में दो व्यक्ति मारे गए और सात व्यक्ति घायल हुए। जांच ए. डी. एम. साहब को सौंपी गई। 12 मार्च, 1984 को कुचामन में गोली काण्ड हुआ पुलिस द्वारा जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। 82-83 में जीणमाता, सीकर जिले में गोली काण्ड हुआ जिसमें तीन व्यक्ति मारे गए। 29 अगस्त को भरतपुर में गोलीकाण्ड हुआ जिसमें तीन लोग मारे गए। 1 जनवरी, 85 को बहरोड़ में गोली काण्ड हुआ जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। आदि आदि।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सरकार हमारी कितनी संवेदनशील है, जनता की कितनी फिकर है इन लोगों को जिसमें दुबले होते जा रहे हैं। कल चीफ सैक्रेट्री महोदय के·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : विवाह, शादी, सालगिरह काण्ड के विषय में मैं कहना इसलिए चाह रही थी जब चर्चा हो रही थी तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इसकी जांच कराऊंगा। हमारा इसरार था कि आप

(सुश्री पुष्पा जैन)

जल्दी से जल्दी कराइये, आप कितने दिनों में करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, उसमें आसन ने यह व्यवस्था दी कि जब मुख्य मन्त्रीजी यह कह रहे हैं कि वे जांच करवायेंगे और उस पर एक्शन लेंगे······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने 295 में रेफर किया है उसी तक सीमित रखिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आसन को भी यह बताना चाहती हूं कि सरकार कितनी गम्भीर है·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझे मजबूर न करिये।

(1.00 म. प.)

सुश्री पुष्पा जैन : बात इतनी गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए बार-बार कहना पड़ता है कि सरकार को अपनी घोषणाओं की कोई चिन्ता नहीं, जनता के प्रति कोई हमदर्दी नहीं; अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में मैं पूछना चाहती हूं, कि इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों में से किसी माननीय सदस्य का भाई, बहन, मां गोली का शिकार हो गयी होती तो क्या चुप-चुप बैठे होते? अध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकार में ईमानदारी होती तो कोई जरूरत नहीं थी जांच की, सीधे 302 में मुकदमा चलता अगर पुलिस अधिकारी बिना वजह गोली चलादे तो क्या पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया है सरकार ने कि वह जिस किसी पर गोली चलादे, छोटे-छोटे बच्चों पर गोली चलाये, किसने अधिकार दिया है ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर सरकार गम्भीरता से एक केस में कोई एक्शन ले लेती, एक केस में अगर पुलिस वालों को सजा मिल जाती तो दावे के साथ मैं कहती हूं कि उसके बाद इस तरह के केस लगातार होते नहीं और लोग बिना वजह से उनके शिकार नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : आज जिस प्रकार से माताओं की गोद हमेशा-हमेशा के लिए सूनी हो गयी क्या सरकार कुछ कह सकती है कि वह उनको वापिस लौटा सकती है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग हताहत हो गये छोटे-छोटे बच्चे उनके लिए क्या प्रोवीजन किया है सरकार ने, यह मैं पूछना चाहती हूं। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार जरा भी गम्भीर होती, जरा भी संवेदनशील होती तो मैं निवेदन करती हूं कि इसी सेशन में, इसी सत्र में जितनी भी जांच पूरी हो चुकी हैं, उनकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाय और जो जांच चल रही है उनके बारे में जानकारी दी जाय कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो जांच, सरकार ने प्रस्तावित की हैं उनकी जानकारी दी जाय मेरा इतना ही निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) :

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था क्या दे रहे हैं पुलिस डिमाण्ड आ रहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपने रेफर किया है इसमें व्यवस्था क्या होगी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था इस बात की चाहता हूं कि आप भी कई बार कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि जांच कर रहे हैं। आप के आश्वासन पर हम लोग बैठ जाते हैं। वह जांच होती है या नहीं होती लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं आती तो आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें कि सरकार भविष्य में इस प्रकार कोई आश्वासन दे कि हम इस मामले पर जांच कराएंगे तो हमें उसकी बात का भरोसा करना चाहिए या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, जो ओब्लीगेटरी है सरकार के लिए अण्डर दी लॉ वह तो रिपोर्ट जरूर दी जानी चाहिए लेकिन जो ओब्लीगेटरी नहीं है उनका मुझे पता नहीं । अब आपने जितनी रिपोर्टस पूछी हैं उनमें कौन-सी ओब्लीगेटरी है और कौन-सी नहीं है यह तो मुझे भी देखना पड़ेगा जो ओब्लीगेटरी हैं उनका जरूर करेंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे एकबात बता दीजिए कि सदन में मैम्बर्स की रिक्वेस्ट पर, जो मैम्बर कोई मामला उठाए उस चर्चा के सन्दर्भ में जिसमें सरकार की ओर से अश्योरेंस दिया जाता है कि इसकी जांच करवायेंगे.........

श्री अध्यक्ष : सदन में उसका जवाब आना चाहिए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जवाब आना चाहिए इसीलिए जितने मामले उठाए गए उनमें एक-एक को अगर आप देखें और हाउस की प्रोसीडिंगस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जिसमें सरकार ने हर बार आश्वासन दिया है कि इसकी जांच हमने ए. डी. एम. को दे दी । मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं अभी निम्बाहेड़ा गया और निम्बाहेड़ा के ए. डी. एम. साहब को मैंने लिखित में एप्लीकेशन दी कि आपने जांच की होगी उसकी रिपोर्ट दीजिए तो कहते हैं कि जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास चली गई हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते । तो यह जांच रिपोर्ट आयगी कहां से ?

श्री अध्यक्ष : जो सदन में आश्वासन दिया है उसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए यह तथ्य है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही आप सरकार को कह दीजिए,

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रहा हूं, तथ्य है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पुलिस की डिमाण्ड जिस दिन हो उसके पहले-पहले सारी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह मुझे देखना होगा कि जो रेफर की गई उनमें से कौन-सी ओब्लीगेटरी है कौन-सी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप मान कर चलिए कि राजस्थान की विधान सभा में विरोध पक्ष कितना सतर्क रहा है, जहां भी गोली चली है वह मामला विधान सभा में एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए या काल अटेन्शन मोशन के जरिए से वह उठाया गया है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अमुक प्रकरण में अमुक अधिकारी के जरिए जांच करवा रहे हैं और उसके ऊपर मामला शांत हुआ है। कोई मामला ऐसा नहीं है कि विधान सभा में रेफरेंस में नहीं आया हो और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया हो।

श्री अध्यक्ष : मुझे देखने दीजिए इस विधान सभा की प्रोसीडिंग्स् को देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे और गवर्नमेंट के बीच में मत आइए यह हमारा और गवर्नमेंट का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बीच में तो बैठा दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में इसलिए बैठाया है कि आप तो केवल रेगुलेट करें, गवर्नमेंट कह दे कि कौन-से में एश्योरेंस नहीं दिया। आप इस झंझट में पड़ेंगे तो मैं आपको प्रोसीडिंग्स् में बता दूंगा लेकिन सरकार ने...... –

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट को रेफर किया है उसको भेजें तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट तो यहीं बैठी है किस को भेजेंगे आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने यहां से गवर्नमेंट को भेजूंगा, जो आपने रेफर किया है उसको मैं भेजूंगा तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी सीकर में एप्लीकेशन दी, जीण माता में हम सब लोग गए और एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दिलवा कर रिपोर्ट की कापी लेने गए तो उत्तर मिला कि कापी नहीं दे सकते। कापी राज्य सरकार को भेज दी है वहां से प्राप्त करें। मुख्यमन्त्रीजी को मैंने जीण माता और निम्बाहेड़ा के मामलों के सम्बन्ध में पत्र लिखा था कि आप मुझे इसकी जांच रिपोर्टस् भेज दें। रिपोर्ट भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा पत्र उनको मिला इसकी रिसीप्ट भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि विधान सभा में दिए गए एश्योरेंस, यदि गवर्नमेंट उनका ब्रीच करती हो तो हमारे पास क्या रास्ता है उसके बारे में आप ही जानकारी देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बता दिया है कि विधान सभा में दिये गए एश्योरेंस हैं उनके लिए तो विधान सभा में बताना है कि जो एश्योरेंस दिया है उसकी क्या पूर्ति हुई है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हम इसको देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो अगले साल रिपोर्ट आएगी। आप जो एश्योरेंस देखेंगे वह अगले साल रिपोर्ट आएगी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह जरूरी नहीं है इसलिए एश्योरेंस का तुरन्त फैसला होना चाहिए ।

श्रीमती कमला : कोई भी एश्योरेंस जो हाउस में दिया गया है उसका बाकायदा असेंबली की तरफ से तकाजा किया जाता है और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है । इसलिए सिर्फ कह कर छोड़ दिया जाता है ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या मैं गवर्नमेंट की तरफ से मान कर चलूं कि जो रिपोर्ट की गई उसका स्पष्टीकरण कर देंगे कि इतने में गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था और रिपोर्ट भेज दी गई है......

(व्यवधान)

और इन फायरिंग के केसेज में कोई एश्योरेंस नहीं दिया है।

श्रीमती कमला : किस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह तो मैं नहीं कह सकती लेकिन यह जो प्रोसीजर लिया गया है कि कोई भी एश्योरेंस खाली नहीं जाता है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसीजर हमको भी मालूम है लेकिन प्रोसीजर का वॉयलेशन हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्या ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई वैसे नहीं लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से राज्य सरकार को निर्देश दिये जाये कि इन रिपोर्टस् के बारे में वह पुलिस डिमाण्ड की चर्चा हो उसके पहले गवर्नमेंट अपनी पोजीशन क्लियर करे कि फायरिंग के केसेज में कितनी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और उनमें क्या कार्यवाही हो रही है इसकी जानकारी गवर्नमेंट को दे ।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट की तरफ से दिलाई जाएगी । मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदया ।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम खाराबेरा पुरोहितान. पंचायत समिति लूणी में दूषित पेय-जल से हुई मृत्यु

श्रीमती कमला (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुखद घटना है कि दिनांक 29. 6. 85 को जिला जोधपुर की पंचायत समिति लूणी के ग्राम खाराबेरा पुरोहितान में पीने का पानी जो तालाब का था उसके पीने से 8 व्यक्तियों की विशेषत: बच्चों की मृत्यु हुई । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके तथ्य, उसके सम्बन्ध में की गई जांच के निष्कर्ष और उस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही इन सारे विवरण को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं ।

जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी के ग्राम खारा- बेरा के सरपंच द्वारा कलक्टर को दिनांक 29. 6. 85 को यह सूचना दी गई कि इस गांव के तालाब के पानी के पीने से 8 बच्चों की मृत्यु हो गई तो तुरन्त ही चिकित्सा विभाग के एक चिकित्सक दल तथा प्रशासनिक अधिकारी को घटना स्थल

(श्रीमती कमला)

पर जांच करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। चिकित्सक दल ने वहां के पानी के सेंपल्स जांच के लिए लिए तथा प्रारम्भिक जांच की व बच्चों की मृत्यु के कारणों की जांच-पड़ताल की। चिकित्सक दल ने उस ग्राम में तथा आस-पास के ग्रामों में टीके लगाये तथा अनेक रोगियों का उपचार भी किया। इसमें जो बच्चे और स्त्री मरे उसमें से पुरोहित जाति के तीन, राइका जाति के दो, मेघवाल व बलाई 1-1, जाट व नाई जाति के एक-एक, इस प्रकार, 9 बच्चों की मृत्यु हुई जिनकी आयु 3-4 वर्ष की थी। उसमें दो बच्चे व एक महिला की मृत्यु बाद में हुई। इस प्रकार 11 बच्चे व एक महिला की मृत्यु जून और एक जुलाई के बीच में आंत्रशोथ की बीमारी के कारण हुई। दूषित जल पीने से मृत्यु होने की सम्भावना के कारण चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी जांच के अनुसार कुछ रोगियों को जोधपुर में दिनांक 3. 7. 85 को अस्पताल में भर्ती कराया। उनमें से दो व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हुई। इस प्रकार से कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

ग्राम की आबादी को देखते हुए एक भू-तल जलाशय का इस ग्राम में निर्माण किया हुआ है जिसमें से नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस ग्राम को पानी ग्राम जलप्रदाय योजना खेजड़ली और मोड़ी से उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामवासी पेयजल के पानी का भी उपयोग करते हैं। लेकिन परम्परागत आदत के मुताबिक तालाब से भी पानी पीते हैं। भू-तल जलाशय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस पानी की घटना के सात दिन पूर्व ही फिल्टर किया गया था और खेजड़ली और गोड़ी जलप्रदाय योजना का पानी कुछ समय पहले ही फिल्टर किया था।

इस मामले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सक अधिकारी, जोधपुर के अनुरोध पर सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, जोधपुर द्वारा जांच करने के लिए गई एक टोली ने 1 जुलाई, 1985 से दौरा किया एवं मृत्यु के कारणों की जांच की। मेडीकल कालेज की टोली ने रोगियों के मल की भी जांच की जिसमें से कुछ के हैजे के किटाणु पाये गये। रोगी उल्टी-दस्त के रोग से पीड़ित थे। जांच के कुछ सैम्पल में पाजिटिव फाइंडिंग के आधार पर टीम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह इन्फेक्शन बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के माध्यम से वहां आने से और उसके कारण जल दूषित के फलस्वरूप हुआ है।

सरपंच की सूचना के उपरान्त गांव में जितनी भी चिकित्सा सुविधाएं थीं वह उपलब्ध करायी गई और तमाम् लोगों के निरोधक टीके आस-पास के गांवों में भी और उस गांव के अन्दर भी लगाये गये तथा पूरे समय में लगभग 1800 व्यक्तियों के टीके लगाये गये और 300 से अधिक व्यक्तियों का वहां पर उपचार किया गया। कुछ रोगियों को उम्मेद अस्पताल, जोधपुर भी लाया गया और उनकी चिकित्सा की गयी। वर्तमान में सारी स्थिति नियन्त्रण में है और कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि जिसको गम्भीर अवस्था कही जा

(श्रीमती कमला)

सके। और उस तालाब के पीने के पानी के लिए चाहें मवेशी हों, चाहें मनुष्य हो, पाबंदी लगा दी गयी है। उसके पानी को खाली करके उस तालाब को शुद्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। पानी के लिए जलप्रदाय योजनाओं के अलावा टैंकरों की भी व्यवस्था की गयी है और अनेक चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अभी भी वहां पर कार्यरत हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस घटना पर बहुत दुःख प्रकट किया है और उन्होंने मृतक के परिवारजनों को प्रति परिवार एक हजार रुपये का अनुदान भी जारी किया है। मैं यह समझती हूं कि जो इसकी जांच की गयी है और जो परिणाम आये हैं उसके कारण से स्थानीय कोई कारण उसका उपलब्ध नहीं होता और आप हम इस बात को जानते हैं कि आमतौर पर तालाबों से कई जगहों पर लोग पानी पीते हैं लेकिन उससे मृत्यु नहीं होती। जरूर कोई इन्फेक्शन इस तालाब में आया जिसके कारण से यह दुर्घटना घटी जिसके लिए राज्य सरकार को बहुत खेद है और अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अपना वक्तव्य यहां दिया। मैं कुछ बातें आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं व कुछ प्रश्न उनके सामने रखना चाहता हूं। 28 जून को छः व्यक्ति मर गये। मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदया से कि इस बात की जांच करायें उन्होंने 29 जून को कहा है, 29 जून को सरपंच ने शिकायत की है। यह बात सच है किन्तु पहली डेट्स 28 तारीख को शाम के 6, 7 और 8 बजे के बीच में हुई है और यह 8 की संख्या बढ़ कर, 6 से बढ़कर 8 हो गयी, 29 तारीख को हो गयी जब सूचना पहुंची अधिकारियों के पास, उसके बाद मरने वालों की संख्या 11 हो गयी। उसके बाद एक जुलाई को मरने वालों की संख्या 13 हो गयी. उसके बाद 6 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 14 हो गयी। जिस बात की चर्चा मन्त्री महोदया कर रही हैं और विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव यहां जिस दिन मैंने प्रस्तुत किया था उस दिन 8 लोगों की सूचना दी थी मरने की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतनी एडवांस्ड जहां चिकित्सा व्यवस्था है, जोधपुर में और सूचना मिलती है 29 तारीख को 8 लोगों की, वह बढ़ कर 14 की संख्या तक पहुंच गयी है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक पहला सवाल मन्त्री महोदया से करना चाहता हूं। इन्फेक्शन हो गया यह बात बिल्कुल गलत है। जो सी. एम. एण्ड एच. ओ. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदूषित पानी पीने के कारण जो गैस्ट्रो एन्टरटाइटस हो गया है इसके कारण यह मौत हुई है। जो बीमारी है, जिस बीमारी की चर्चा सिसोदिया साहब ने अपने वक्तव्य में की है, वह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। एक बात व्यर्थ हो सकती है, समझ में आ सकती है उसके नेग्लीजेन्स की मैं दूसरे विभाग से बात करूंगा। किन्तु यह संख्या 6 से बढ़ कर 14 तक हो जाय। सूचना पहुँचने के पश्चात् भी क्या राहत दी गयी, क्या व्यवस्था की गयी? मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदया से जब इस वक्तव्य के बारे में अपना जवाब दें तब मेरी स्पष्ट इस बात का उत्तर देने की कृपा करें।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं यह गांव खाराबेरा पुरोहितान इसके दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है खेजड़ली गांव है, सात लाख रुपया लगा कर, शायद उस समय माननीय मुख्य मन्त्री श्रीमान् हरिदेव जी जोशी थे या बरकतुल्ला साहब थे, इसका तो ध्यान नहीं मुझे, उस समय सात लाख रुपया लग कर यह योजना बनी खेजड़ली गांव से। आज तक इस गांव के पास जो फिल्टर लगा हुआ है, एक बार फिल्टर में से पानी निकल कर साफ हुआ, फिर कभी साफ नहीं हुआ। इस पिछले इतने वर्षों से बड़ी मुश्किल से एक वर्ष में एक बार या दो बार रॉ-वाटर बिना फिल्टर किये हुए इस गांव में, पुरोहितान गांव में लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदया से कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो काम कर रहा है यह जो फिल्टर लगाया हुआ है क्या उसने इतने वर्षों में काम किया, क्या जल उससे साफ होकर कभी एक वर्ष में एक-दो बार आया है, रॉ-वाटर ही आया है, प्रदूषित वाटर ही आया है। यह गांव दूसरी तरफ एक ओर जुड़ा है, 1979 में छोटी-सी घटना उस समय भी हो गई थी, उसी तालाब का पानी पीने के कारण पशु मर गये थे उस समय विज्ञान मोदी यहां हुआ करते थे, राज्य मंत्री के नाते। यह सूचना आयी और उस सूचना के आधार पर वह वहां तक पहुंच गये और जाने के पश्चात् खाराबेरा जो भीमावसान है, जो इस कैनाल के सहारे दो किलोमीटर दूरी पर है, जंवाई कैनाल के सहारे। वहां सारी व्यवस्था जो थी, उनका कहना था कि एक-दो बार मुश्किल से एक वर्ष में खेजड़ली गांव में पहुंचा है वह हाइपर है, आगे पहुंचना सम्भव किसी व्यक्ति से नहीं होगा। इसका कोई उपयोग ही नहीं है। इसलिए भीमावसान से एक दूसरी पाइप लाइन लगायी गयी, एक फिल्टर लगाया गया, उस फिल्टर ने भी थोड़े समय काम किया और 1980 से वह दूसरा फिल्टर भी बन्द है। जब कभी पानी जाता है इस भीमावसान से वह भी रा-वाटर ही जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि 80 से लेकर आज तक केवल थोड़े समय तक वाटर छना है, साफ हुआ है।

इस विभाग की जिम्मेदारी है, रॉ-वाटर इसमें से होकर लगातार खाराबेरा पुरोहितान के गांव के होद में डाला गया। दो स्कीम हैं, दोनों स्कीमें लगातार इस नाते से काम नहीं कर रही हैं। कौन विभाग जिम्मेदार है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यहां के दोनों फिल्टर हाऊस जो लगे हुए हैं जिसमें एक पर 7 लाख रुपये इतने वर्ष पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका है और ढाई तीन लाख का इन्वेस्टमेन्ट पांच साल पहले हो चुका है। ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। जो रॉ-वाटर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीन मार्च को एक बार पानी इस भीमावसान से इस तालाब में डाला गया था। इसके बाद कोई पानी नहीं डाला गया और जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ। यहां एक बार जब घटना कुछ पशुओं के मरने की हो गयी। यह बात ध्यान में आयी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वहां लगातार इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं करता रहा कि दोनों फिल्टर

Page No.74

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लगातार चलें। खेजड़ली में तो ज्यादा सम्भावना नहीं थी इस भीमावसान से रेगुलर होद में पानी डाला जाता। और लोगों के पीने के पानी के लिए उपयोग में आता। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि इससे भी एक बार यहां मौतें हो चुकी हैं। यह प्रश्न पहले ही खड़ा हो चुका है पशुओं के मरने का। ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो आरोप लगाना चाहता हूं कि उसी पानी के कारण मृत्यु हुयी है। और उसके कारण से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको न केवल सस्पेंड करना चाहिए। उनकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी है। इस नाते से किस-किसी अधिकारी की ड्यूटी थी। कौन जिम्मेदार है, निर्धारित करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि 302 में मुकदमा चलाने की उसमें निश्चित रूप से प्रक्रिया इस नाते खड़ी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वही बात बता रहा हूं। जिला कलेक्टर ने जाकर कहा कि खेजड़ली से लगातार पानी आ रहा है। वक्तव्य दिया। जुलाई को अखबारों में छपा है। 30 जून को वक्तव्य दिया, वह अखबारों में छपा है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य खेजड़ली से पानी बिल्कुल नहीं गया। पिछले कई महीनों से पानी बिल्कुल नहीं गया। और वहां के कलेक्टर महोदय इस प्रकार लगातार वक्तव्य देकर, लगातार भ्रमित कर रहे हैं। और उसके कारण जो आपके सामने मैंने दिये थे कि कलेक्टर क्लियर होता, उस नाते से पूरी तैयारी करते कि 8-9 बच्चे मर गये तो उसके बाद 14 तक वह संख्या नहीं पहुचती उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की है जिन्होंने जनता को गुमराह किया स्वयं गुमराह रहे, लोगों को गुमराह में डालने के कारण इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे जिसका परिणाम यह आकर खड़ा हुआ।

मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि हजार रुपया जो दिया गया है वह बिल्कुल कम है। कम से कम पांच हजार रुपये दिये जाते। अगर आप देखेंगे वह सूची, मेरे पास है। बूढ़ी महिला भी है केवल बच्चे ही नहीं हैं। यह जो स्थिति आकर उत्पन्न हुई उसका एक मात्र कारण दूषित पानी है और दूषित पानी की जानकारी विभाग को किसी प्रकार नहीं होने के कारण, न फिल्टर करने के कारण ऐसी भयंकर दुर्घटना हुयी है। इससे ज्यादा कोई भी शर्मनाक बात किसी राज्य सरकार की नहीं हो सकती है कि एक बार चेतावनी देने के पश्चात् भी एक छोटी सी बीमारी के कारण 6 व्यक्ति मर जायें। डायरेक्ट रेसपोंसबिलीटी है। कृषि मंत्री स्थानापन्न हैं, वर्ना कोई लज्जा मानने वाला जन-स्वास्थ्य मंत्री होता तो निश्चित रूप से उनको इस विषय पर अपना त्याग-पत्र देना चाहिए

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उनकी गैर जिम्मेदारी है इर-रेसपोंसबिलीटी है। उनको निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया करनी चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कुछ सवाल खड़े किये हैं मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय उनके जबाब दें। मेरी स्पेसिफिक बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा सिंह।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि खाराबेरा पुरोहितान में जलदाय विभाग की ओर से पानी आ रहा है। अभी भी आपने जो स्टेटमेंट दिया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गांव है वह किसी भी योजना से जुडा हुआ नहीं है। सन् 1977 में खेजड़ली ग्राम में एक टंकी बनायी गयी थी जो 77 में ही टूट गयी उसकी न तो जांच की गयी न उससे आज तक खाराबेरा गांव को पानी दिया गया। जैसा चतुर्वेदी साहब ने फरमाया 3 मार्च को इस गांव में जवाई बांध से पानी भरा गया था और पानी इतना कम हो गया था कि कोई भी आदमी पीये, जानवर पीये, उस पानी के पीने से उनकी मौत हो सकती थी। पानी की बहुत थोड़ी मात्रा हो गयी थी। पानी का दूसरा कोई किसी प्रकार का स्रोत नहीं था जिससे वहां के लोग वहां के बच्चे पानी पीते। जैसा स्टेटमेंट दिया गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यह दूषित पानी था जिसके कारण मौतें हुयी हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर, डी. आर. वर्मा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डाक्टर लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने बताया कि यह सब मौतें शुक्रवार की रात हुयीं। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में पेयजल का अन्य कोई स्रोत नहीं है। गांव वालों ने पिछले दिनों जवाई बांध का पानी गांव के सूखे तालाब में भर लिया था। इस तालाब के पानी को नहाने और धोने के काम में लिया जाता था और दिन में पशु भी उस तालाब में बैठा करते थे। आगे इसी पत्रिका में बताया है कि जिला कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे गांव में पेचिस का प्रकोप शुरू हुआ देर रात तक 8 बच्चों की मृत्यु हो गयी। ये बच्चे 3 से 12 माह तक की आयु के थे। जिसमें 4 पुरोहितान, 3 रायकां और एक हरिजन जाति के थे। उनके परिजनों को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से जैसा मन्त्री महोदया ने बताया— एक हजार रुपया मंजूर किया है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है। गांव के तालाब के पानी का शुद्धिकरण करने के बाद अब किया गया है। आगे जिला कलेक्टर ने पत्रिका में बताया है कि गांव में पेयजल की स्थायी व्यवस्था पहले नहीं थी और मैं निवेदन करूं कि लूणी पंचायत समिति के अन्दर यह गांव अकाल में आता है वहां पर टेंकर की व्यवस्था पहले से कर रखी है लेकिन वहां पानी नहीं दिया जाता है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और आरोप लगाना चाहता हूं कि इस गांव में पिछले चुनाव में 75 वोट कांग्रेस को आये थे और शेष वोट बी. जे. पी. को आये थे इसलिए इस गांव के साथ पक्षपात किया जा रहा है। और इस गांव में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंदे पानी से मरने की पुष्टि राजस्थान पत्रिका के 4 जुलाई के अंक से होती है। इस प्रकार के गंदे पानी के पीने से मृत्यु हुयी है। मैं निवेदन करूं कि इस हादसे

(श्री हीरासिंह चौहान)

के लिए स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार दोषी है क्योंकि जनकल्याणकारी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आज आजादी को मिले कितने वर्ष हो गये हैं। सरकार ने कभी यह जानकारी नहीं ली कि कितने गांवों में पीने के पानी की कमी है और इन गांवों को पहले पानी दिया जाय। मैं हमेशा यह सुनता हूं कि जनता राज में राजस्थान का विकास नहीं हुआ लेकिन राजस्थान के गांवों का सर्वांगीण विकास जनता राज में हुआ था जिसका एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : जनता राज में एक प्रकार से राजस्थान में यह तय किया था कि पांच हजार तक की आबादी वाले गांवों को सबसे पहले पानी देना चाहते हैं। इसका एक नमूना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, कृपया।

श्री हीरासिंह चौहान : भीम तहसील में एक कूकड़ा गांव है छोटा होते हुए भी वहां पर जलदाय विभाग के अधिकारी गये और अधिकारियों ने वहां जाकर के सर्वे किया और पांच हजार की आबादी की ढ़ाणियों के गांव को पानी मुहैय्या कराया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन यह सरकार किसी प्रकार भी संवेदनशील नहीं है। फिर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अटपड़ा के पंचायत में खारा पानी है जहां कुशालपुरा से बनी योजना से पानी मुहैय्या करवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जलदाय विभाग की मांग नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : आठ मासूम बच्चे मरे हैं इन मासूम बच्चों के लिए जैसा मन्त्री महोदय ने फरमाया है। क्या 1 हजार की राशि पर्याप्त होगी? इस सरकार ने इसके प्रति आज के पहले दुःख प्रकट नहीं किया न किसी प्रकार का स्टेटमेंट आज से पूर्व दिया। आज पहली बार इस बात को सरकार ने कहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं इन बच्चों की जो मौत हुयी उसके लिए स्पष्ट रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है तथा दोषी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : घटना बड़ी दुःखद हुयी यह सरकार ने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, उन्हें कृपया न दोहरायें।

श्री बिरदमल सिंघवी : नहीं दोहराऊंगा।

इस घटना में दुःख की बात है कि राजनैतिक कारण थे। अर्थात् इन गांवों के लोगों को जहां से पानी की सप्लाई हो सकती थी उस गांव को पानी उस तरह से सप्लाई नहीं किया गया है। इस गांव की पानी की जो योजना बनी, जवाई बांध से वहां पानी आता है, उस नहर से पानी सप्लाई की योजना बनी थी। उसका ढलान पाली की तरफ से जोधपुर की तरफ है। गांव के लोग चाहते

(श्री बिदरमल सिंघवी)

थे किइस गांव में मोडा-सोमला नहर में जो पानी आया हुआ है वहां से पानी डाला जाय, वहां से इसकी व्यवस्था की जाय मगर राजनैतिक कारणों से उसको वहां से न लेकर खेजड़ली नल योजना से जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि खेजड़ली नल योजना, जोधपुर का खेजड़ली गांव मोडा-सोमला की तरफ से होकर जोधपुर की तरफ बढ़ता है वहां से ढलान पर आया हुआ है। ये गांव सारे ऊपर आये हुए हैं। वहां से पानी पहुंचना असम्भव था, सम्भव नहीं था। परन्तु केवल हठधर्मी के कारण राजनैतिक हठधर्मी के कारण गुढ़ा होकर योजना जानी चाहिये इस योजना को खेजड़ली से जोड़कर पानी देने की कोशिश की गयी और इसका कारण यह हुआ मोडी सोतड़ा से जो पानी दिया जा सकता था वहां से पानी नहीं दिया गया और खेजड़ली में जो प्लांट बना जैसा माननीय सदस्य ने कहा उससे पानी पहुंचा नहीं। इसके कारण 1979 में फिर मोडी सोतड़ा के पास दूसरा खाराबेरा के वहां पर प्लांट लगाया गया और उससे पानी दिया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा राजनैतिक उद्देश्य के कारण जो प्लांट्स लगे, जो पावर हाउस बने

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : जो मशीनें लगी, मशीनों के पुर्जे निकाल लिये गये और वहां पर प्लांट को चलने नहीं दिया। इसके कारण न खेजड़ली से पानी आ सकता था और न मोडी सोतड़ा से आ सकता था। इसको जान-बूझ कर फैल कराया गया। उसके कारण जो पानी आ रहा था वह बन्द हो गया लोगों को इस बार भयंकर पानी की तकलीफ हुई, टैंकर्स भी नहीं पहुंचे। एक कच्ची नहर जो परम्परागत पहले से चलती थी, उस नहर से जो अनफिल्टर्ड पानी दिया गया और जो गांव में पानी आलरेडी सड़ा हुआ पड़ा था, उस तालाब में जो पानी आया अनफिल्टर्ड वाटर, क्योंकि इधर खेजड़ली से पानी आ नहीं सकता था मोडी-सोतड़ा से जो पानी आ रहा था उसके जो प्लांट्स लग चुके थे, जिसके कारण जो कच्ची नहर में जो पानी मिला वह पानी सड़ा हुआ पानी पीने को मिला, जिसके कारण ये मौतें हुयीं और उस मौत के पीछे ये कारण था कि जो नल योजना सही रूप में होती थी उस योजना को जान-बूझकर रोका गया। वह अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने इस योजना को पानी नहीं दिया...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य....

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं निवेदन करूंगा अब भी जो पानी लाया जा रहा है कि टैंकों से वह पानी बहुत कम है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यदि ये योजना बराबर काम कर रही है जैसा कहा जाता है कि दो योजनाओं से जुड़ी है उधर से योजना काम कर रही है तो टैंकर से पहुंचाने की क्या व्यवस्था होती है। यह स्वयं में विरोधाभास है जो बता रहा है कि टैंकर से आज जो पानी पहुंचाया जा रहा है इसका अर्थ यह है कि दोनों से उधर मोड़ी की योजना बन्द कर दी गयी। खेजड़ली से पानी नहीं पहुंचता है और इसी के कारण से आज टैंकर से पानी पहुचाने की व्यवस्था की बात की गयी है बाकी अगर सही बात होती और....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य....

श्री बिरदमल सिंघवी : योजना से जुड़ी हुई है तो आज आपको टैंकर से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती । मैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य....

श्री बिरदमल सिंघवी : एक दो वाक्य और निवेदन करूंगा । बड़े दुख की बात है इसमें जिस प्रकार से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य । बैठें तो सही ।

श्री बिरदमल सिंघवी : इसके साथ गलती की गयी है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर बड़े शर्म की बात तो ये है कि ऐसे बीमार हुए लोगों को भी दवाइयों और मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं । राजस्थान पत्रिका में, ये सात तारीख का पत्र है इसमें वहां के लोगों ने मांग की है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री बिरदमल सिंघवी : संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं । बड़े महत्व का सवाल है कि ऐसे में भी जिस प्रकार से सरकार व्यवहार करती है, दवाइयां नहीं देती है गांव के सरपंच, गंगासिंह राजपुरोहित ने एक विज्ञप्ति राज्य सरकार को दी है, बीमारी में गांव को....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दीजिये । अखबार पढ़ने से क्या होगा ? आप कह दीजिये जो आप जानते हैं । कृपया बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, विज्ञप्ति है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तो अनुभवी हैं....

श्री बिरदमल सिंघवी : ये आरोप है कि बीमारी का उपचार कर रहे हैं, चिकित्सक मजदूरों को दवाइयां लिख करके पर्चा थमा देते हैं और कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई सहायता नहीं देते हैं । उनको अपने पैसे से दवाई लेनी पड़ती है उनके पास पैसा है नहीं । ऐसे समय में भी उनके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है । सरपंच ने लिखकर मांग की है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य । आपका ध्यानाकर्षण है, मुझे मालूम है ।

श्री बिरदमल सिंघवी : इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव आये हुए हैं, ध्यानाकर्षण हैं उनको भी निबटा दें....

श्री बिरदमल सिंघवी : उनको फ्री-चिकित्सा की व्यवस्था करायी जाय और राज्य सरकार से कम से कम 10–10 हजार रुपये का मुआवजा दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें । श्री नवरंग सिंह ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

Page No.79

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य। बहुत संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : मैं दो तीन स्पेसिफिक क्वश्चन्स पूछना चाहता हूं कि सरपंच ने और गांव के लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : उनका स्थगन प्रस्ताव था।

श्री नवरंग सिंह : विभाग को जो सूचना दे दी उसके बाद भी बार-बार विभाग की लापरवाही के कारण वहां मौतें होती रहीं माननीय मंत्री जी इसका कारण बतायें....

श्री अध्यक्ष : ये तो पूछ लिया है।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में कि जान बूझकर वहां के जो बड़े अफसर जलदाय विभाग के हैं और वहां के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने लापरवाही की है जिसके कारण ये मौतें हुई हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये खाली जोधपुर में नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय, खेजड़ली का एक अलग से स्थगन-प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष : वह अलग है माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : इसलिये वहां पानी पीने से मौतें हुई हैं और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी हो रही हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार ठीक तरह से अपना कर्त्तव्य पालन करके और अधिकारियों को सचेत करके बीमारियों की रोकथाम की चेष्टा नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, खाराबेरा पुरोहितान पंचायत का मुख्यालय जोधपुर तहसील में लूणी विधान सभा क्षेत्र में आता है। बड़े दुख की बात है कि दिनांक 27 जून और 2 जुलाई के बीच में खराब पानी पीने के कारण, जो तालाब में पानी नहर से भरा गया था और कुछ पुराना पानी भी उसमें था बरसात का, उस पानी के पीने से या उसमें कोई दूसरी बीमारी के पैदा हो जाने से करीब 15 बच्चे और कुछ बड़ी उम्र के आदमियों की मौत हो गयी थी और ये बात समस्त अखबारों में आयी है। मेरे ख्याल से राजस्थान के करीब-करीब समस्त लोगों को यह विदित हो गया है। लूणी विधान सभा क्षेत्र है वहां पर सौ पर्सेण्ट गांव योजना से केवल एक डोली गांव को छोड़ करके किसी भी गांव के अन्दर पानी का स्रोत नहीं है सिवाय इस तालाब के अलावा और मैं इस बात के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि करीब-करीब 90% गांवों के अन्दर सरकार की जलदाय योजना बनी हुई है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य श्री बिरदमल सिंघवी ने कहा है योजना तो बनी हुई है लेकिन वहां पर पिछले 10 वर्ष से योजना बनी हुई पड़ी है लेकिन पानी इसमें पहुंचना नहीं है। यह बात सत्य है लेकिन नहीं पहुंचने के कई कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो बिजली समय पर नहीं मिलती है, दूसरी इसकी देखभाल ठीक नहीं है या लाइन को इधर से उधर फोड़ दी जाती है। कहीं पर छोटी लाइन पड़ जाने से भी ये बात भी होती है लेकिन इतने कोई खेजडली कल्ला से अथवा मोडी सूथरा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

से स्कीम से नहीं, सही देखभाल करने से ही पानी पहुंचाया जा सकेगा। अधिकारियों के सही देखभाल नहीं रखने, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही करीब-करीब मेरे एरिये में क्या राजस्थान के अन्दर 60% योजनायें हैं वे ठप्प पड़ी हुई हैं। इसकी वजह से वहां गांव के अन्दर ऐसा ही खराब पानी है जिसे बाध्य होकर के लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है उसके कारण से 15, 20 आदमी ही नहीं मरे है। बल्कि पानी के अभाव में जानवर भी मरते रहते हैं। ये बात आप भी जानते है और सब दुनिया जानती है। यह खबर यहां विधान सभा में नहीं आयी वह अलग बात है लेकिन कई माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं कि गांव के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये, राजनैतिक कारणों से उस गांव में ऐसा हुआ, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि गंगासिंह राजपुरोहित हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और पिछले 15 साल से रेगुलर वह वहां पर सरपंच भी जीतकर आता रहा है। मेरा ख्याल है कि मेरा सब से ज्यदा लाड़ला गांव है इसलिये यह बात आप कह ही नहीं सकते। यह बात जरूर है कि यह बात आपने पैदा कर दी इसलिये मैं तो खुद राजी हूं अगर यहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाती है मुझे कहां आपत्ति है, उसमें अगर हमारे कांग्रेस का गांव हैं वहां पर व्यवस्था हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार की ओर से पानी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुई मेडिकल विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की इसको मैं भी नहीं मानता। मैं खुद गांव में गया हूं। मैंने वहां पर जाकर देखा है सरपंच और पूरे गांव के लोग मेडिकल ऐड जो मिल रही है उससे वह संतुष्ट हैं लेकिन गन्दे पानी की वजह से ये मौत हुई है और पानी वास्तव में नहीं जाता। यह 15 साल....

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से पूछें कि कांग्रेस के गांव भी होते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री रामसिंह विश्नोई : से गांव के अन्दर योजना बनी हुई है और वहां पर आल्टरनेटिव वे में भी पानी पहुंचता है तो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमेशा लोग दो-दो महीने तक, तीन-तीन महीने तक गर्मियों के अन्दर जहां पानी का कोई जरिया नहीं है, सोर्स नहीं है पानी के नहीं पहुंचने से बड़े दुखी हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : वहां पर यदि पानी नहीं पहुंचा तो बहुत खेद और दुख की बात है। इसलिये अब पानी आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, जब खेजड़ली की टंकी बनी थी वह उस टाइप की टंकी बनी हुई उस टाइप की राजस्थान में 5–6 टंकी बनी हैं, राजस्थान के अन्दर वह एक ही इंजीनियर के द्वारा बनायी गयी थी और उस टंकी के फट जाने से, गिर जाने से उसमें पानी आने से गिर गयी, वापस निर्माण हुआ नहीं, बनी ही नहीं। इसलिये मेरे ख्याल से इसी वजह से पानी नहीं पहुंचता है, बिजली समय पर नहीं पहुंचती।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इसका प्रशासनिक कंट्रोल ठीक नहीं होने से वेस्टेज होता है और बाकी कई बातें हैं जिससे गांव की जो योजनायें हैं लंबी-लंबी 30–30,20–20 गांवों को जो मिला दिया है उसकी वजह से गांव में पानी जाता नहीं है। गांव के लोगों को बहुत भारी तकलीफ होती है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में....

श्री रामसिंह विश्नोई : और बाध्य होकर ऐसा पानी पीना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामसिंह विश्नोई : वास्तव में 15 आदमियों की मौत हुई है। एक-एक घर में तीन-तीन बच्चे जिनके थे, जिनका कि पूरा परिवार नष्ट हो गया, इस तरह की जो बात हुई है यह बहुत बुरी बात है। मैंने भी मुख्य मंत्री जी से कल निवेदन किया था कि 5 हजार रुपये कम से कम एक व्यक्ति को जिसकी मौत हुई उसके परिवारजन को दिया जावे। किसे क्या देंगे, कितना देंगे, क्या घोषणा आपने की ? मैं यहां पर था ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं एक हजार रुपए तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलते आदमी की मौत होने से ही हो जाते हैं। इसलिये 10 हजार रुपए कम-से-कम मिलने चाहिए थे लेकिन चूंकि सरकार की स्थिति ऐसी है नहीं इसलिए मैं नहीं कहता कि 10 हजार दें लेकिन पांच हजार तो कम से कम प्रति व्यक्ति मिलने ही चाहिए। पानी का है, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, वास्तव में मोडी सूतरा, अभी सिंघवी साहब ने कहा कि कई इलाकों में स्कीम उल्टी बनी है उनको इन गांवों का ज्ञान नहीं है लेकिन मैं बता दूं, वास्तव में कोई मोडी सूतरा से योजना इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि उस समय गांव में बिजली नहीं थी। खेजडली कल्ला के अन्दर बिजली आई हुई थी, टंकी भी बनी हुई थी। खेजडली कल्ला से खाराबेरा के बीच में गुडा गांव आता नहीं है इसलिए माननीय सदस्य, कोई गांव की नॉलेज प्राप्त कर लो वह बीच में आता ही नहीं है वह तो सीधा खेजड़ली से राजपुरिया, राजपुरिया से घींग और घींग से खाराबेरा जाता है। आपको किसी ने गलत रिपोर्ट बता दी, वह तो इधर ही रह जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम आपको गांव का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आपने हमारी बात पैदा की है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। नये सिरे से इस स्कीम को बनाया जाना चाहिए। एक खाराबेरा नहीं, ऐसे सैंकड़ों गांव हैं मेरे एरिया के अन्दर, जहां पानी नहीं पहुंचता है। हमेशा मेरी शिकायत रहती है लेकिन अब बार बार कहने से कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि यह सुनते तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामसिंह विश्नोई : संक्षेप में नहीं, जिस क्षेत्र के अन्दर, राजस्थान के अन्दर हजारों आदमी, हजारों मवेशी हमेशा मरते

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं। मालूम है आपको सब जानकारी होने के बावजूद एक्शन नहीं लेते केवल भाषण देने से तो काम चलता नहीं है, कम से कम देखना चाहिए, कौन सी योजना है। 10 साल पहले बन गयी थी। मैंने कितनी बार कहा है. 10 साल पहले जो बन गयी थी उसमें एक दिन भी पानी नहीं गया, एक दिन भी उस योजना में पानी नहीं गया है, करोड़ों रुपए खर्च हो गये हैं सरकार के। सरकार की बदनामी होती है, पार्टी की बदनामी होती है, यहां चुने हुए माननीय आदमी आते हैं उनकी बदनामी होती है फिर भी आप यहां पर केवल यह कहकर कि हम इस पर गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। इससे कोई लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। आपको उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने 10 साल पहले स्कीम बनायी थी, एक-एक करोड़ रुपये जिस स्कीम पर खर्च हुए हैं, गांव में पानी नहीं पहुंचता है कम-से-कम उनकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी के रहते यह बात हुई है, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया, पानी क्यों नहीं पहुंचा, यह सारी बातें हैं। जब तक आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस हादसे की वजह से कम-से-कम दस आदमियों को आज निलम्बित करते, उनके खिलाफ जांच बैठाते तो कोई बात होती। वैसे आदमी भूख से मर जाते हैं, पानी की प्यास से मर जाते हैं यह बात समझ में आती है। कई आदमी मरते हैं लेकिन जहां पर आपकी स्कीम बनी हुई है, जहां आज सरकार एक करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है वहां पर भी अगर पीने के पानी के अभाव में लोग मरते हैं तो बहुत शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो हम जितनी भी भर्त्सना करें, थोड़ी है। पानी के अभाव में लोग मरते हैं, भूख से मरते हैं, हमारे समझ में आती है लेकिन पानी पड़ा है, पानी की स्कीम बनी हुई है, सारे गांव जुड़े हुए हैं उसके बावजूद वहां पर अगर व्यवस्था नहीं होती तो इसमें किसका दोष है। इसमें सरकार कोई बात या स्टेटमैण्ट छुपाती है कि हमारी तरफ से सब स्कीम बनी हुई है, कभी-कभी पानी जाता है। मैं कहता हूं, कभी पानी नहीं जाता। पानी गया ही नहीं और पानी गया नहीं इसलिए मैंने व्यवस्था करके, एक तो खाराबेरा-भीमपवता और खाराबेरा-पुरोहितान के अन्दर नहर से पानी दिलाया था। और वह इसलिए कि मुझे मालूम था कि यह पानी आप भेज नहीं सकते। उन्होंने कहा, साहब हमारी स्कीम बनी हुई है तो हम इसमें पानी कैसे भेजेंगे। मैंने कहा, पानी कैसे भेजोगे, पानी आपका जाता ही नहीं है। इसलिए लिखो कि हम यहां पानी भेजने में असमर्थ हैं, बिजली पूरी मिलती नहीं है। इन कारणों से पानी मोडी सूतरां को वहां दिया गया, तालाब भरे गये। लेकिन तालाब भरने के बावजूद कोई इन्फेक्शन हो गया। उन से बच्चे मर गये। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा, कम से कम पांच हजार रुपए एक-एक मृतक के परिवार जन को दिये जाने चाहिए। स्कीम है, वास्तव में टंकी, जो कई बरसों, 5–6 बरसों से बनी हुई है वहां उसको अतिशीघ्र बनाने

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के लिए आप आदेश जारी करावें, स्कीम को नये सिरे से बनाने के आदेश दिलावें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

जिनके स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं उनको बोलने दीजिए। संक्षेप में, माननीय सदस्य, रिपोर्ट नहीं करें क्योंकि स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत बातें रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं तो दो-तीन खास-खास बात ही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी मसला जब सदन में उठाया जाता है तो सरकार का ध्यान उस ओर जाता है। आपने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि तालाब को शुद्ध करने की व्यवस्था की जा रही है। और उसी वक्तव्य में आगे आपने कहा है कि सात दिन पहले उस पानी को फिल्टर किया गया था। इन दोनों में विरोधाभास है कि नहीं? तो, जो वक्तव्य आपको लिखकर दिया गया है वह वक्तव्य सही नहीं है।

श्रीमती कमला : तालाब और टंकी में फर्क है, यह भी आप समझ लें।

श्री नाथूसिंह : नहीं, टंकी से तालाब में भेजा है न आपने।

श्रीमती कमला : जी नहीं, तालाब और टंकी का कोई ताल्लुक नहीं है, गांवई तालाब और टंकी का क्या ताल्लुक है?

श्री नाथूसिंह : आपने कहा, दो फिल्टर लगा रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन में वक्तव्य देने आये हैं। यह तो निश्चित बात है कि नेग्लिजेंस उन अधिकारियों की रही है जो भी अधिकारी इस मामले से सम्बन्धित हैं। इनके यहां डिपार्टमेण्ट में व्यवस्था है कि हर गांव में पहले पानी की जांच करें कि किसी गांव में पानी कहीं गड़बड़ है खराब है, कोई उचित व्यवस्था है कि नहीं। इस वर्ष, आपको यह मालूम है कि पीने के पानी की बहुत बड़ी अव्यवस्था है। इसलिए अधिकारियों को ज्यादा सजग रहना चाहिए। तो, अधिकारी सजग नहीं रहे और उन्होंने उस पानी की जांच नहीं की। उनके विरुद्ध आपने अब-जब यहां मांग हो गयी, तब आप कार्यवाही करेंगे, तब उस पूरे मामले की आप जांच करायेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले आपने क्यों नहीं मामले की जांच कराई और उन अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्यों नहीं कार्यवाही की। इस समय आप यह कहते कि यह कार्यवाही करके मैं यहां आयी हूं। अध्यक्ष महोदय, यह एक सवाल नहीं है वहां जोधपुर का। यह तो एक घटना है, उसका एक एडजॉर्नमेण्ट मोशन दे दिया और उसको उठाया है। पूरे राजस्थान के अन्दर रोज समाचार-पत्रों में आप पढ़ते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीमित रखिये, अपने आप को।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीमित ही रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आदमी मर जायेंगे उसके बाद हम स्थगन-प्रस्ताव विधान सभा में लायेंगे। उस समय आप सरकार से वक्तव्य दिलायेंगे। उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थान-स्थान के जो आंकड़े हैं हमारे पास, अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ के अन्दर एक गांव-डाबला गांव में तीन आदमी मर गये, छः आदमी गम्भीर हालत में हैं। कोटा के अन्दर पशु मर गये। आदमी बीमार हुए। सुजानगढ़ के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने आप को अपने ध्यानाकर्षण तक सीमित रखें।

श्री नाथूसिंह : आदमी मर गये। मैं तो यह कहना चाहता हूं अजमेर, भरतपुर, स्थान-स्थान पर लोग पीने के पानी की अव्यवस्था के कारण मर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जलदाय विभाग की डिमाण्ड के दिन आप कहिये। जलदाय विभाग की डिमाण्ड आयेगी उस दिन आपको जो कहना हो कह सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदया, यह तो एक मामला है जिस पर हमने स्थगन-प्रस्ताव दिया है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है....

श्री अध्यक्ष : उसी पर जवाब देंगी आज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो लोग मर गये उन पर बोलो, जो लोग मरने की इन्तजार में बैठे हैं उन पर मत बोलो, अध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी व्यवस्था दें, मुझे यहां रोक दें कि उस घटना पर बोलो इसका मतलब यह है कि स्थान-स्थान पर, मैंने पहले भी कहा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जनरल डिबेट नहीं इसलिए कहा था। आप उस पर सीमित—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गवर्नमैण्ट की लेप्सी भी है कि लोग मर रहे हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, वह तो उदाहरण दे रहे हैं कि खाराबेरा में ही नहीं पूरे राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों पर लोग मर गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनरल आप कह सकते हैं। जनरल वे में आप कहिये। आप तो एक-एक घटना बताते जायेंगे फिर तो डिबेट खतम नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय तक जनरल डिबेट आयेगी, 50-00 आदमी और अन्य स्थानों पर मर जायेंगे।

(श्री नाथूसिंह)

और उस समय जो आदमी मरेंगे उनका क्या होगा । आपने मुआवजे की बात कही कि मुआवजा एक हजार रुपए । एक हजार रुपए तो हम दे देंगे, अध्यक्ष महोदय ट्रक का एक्सिडेंण्ट हो जाय, बस का एक्सिडेंण्ट हो जाय आप 15 हजार रुपए उसको मुआवजा दे देते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था करने का सरकार का उत्तरदायित्व है, उससे सरकार मुकर रही है । एक हजार रुपए दान में दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने मजाक किया है उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ । मासूम बच्चे गन्दा पानी पीने से मर जायं और सरकार को शर्म नहीं आये । यहां विधान सभा में आकर वक्तव्य दे दे कि हमने एक-एक हजार रुपए उनको मुआवजे के दे दिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह टेण्डेंसी बन गयी है अधिकारियों की, अधिकारी नेग्लिजेंस बरतते हैं, गलत काम करते हैं और उसके बाद ट्रान्सफर कराके भाग जाते हैं । सरकार यहां आकर कह देती है कि हम जांच करवा रहे हैं । और जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है । 3-4 साल हो जाते हैं जाच के बाद वापस उन अधिकारियों को ले लिया जाता है । मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं अलग-अलग विभागों के उदाहरण दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, नदी का पानी पी रहे हैं लोग । पिछला सेशन हुआ, अभी पिछले दिनों पत्र लिखा मुख्य मन्त्री जीको इस मामले में । अधिकारियों, चीफ इन्जीनियर से बात की, एक्स ईएन. से बात की । नदियों का पानी पी रहे हैं लोग, नदियों में गड्ढा खोदते हैं और उस पानी को पीते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री नाथूसिंह : तीन-तीन किलोमीटर से जाकर नदी से पानी लाते हैं । अध्यक्ष महोदय, कूबड़े हो रहे हैं लोग, लोग मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आदमी जायं उसके बाद स्थगन प्रस्ताव लाओ और सदन में विचार व्यक्त करो तब यह सरकार जवाब देगी । मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य आया है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि पहली प्रायोरिटी पीने के पानी को देंगे । मुख्य मन्त्री बनते ही सैक्रेटेरिएट में अधिकारियों की मीटिंग ली और मुख्य मन्त्री जी ने कहा पीने के पानी की समस्या के लिए जोरदार तैयारी रखें पहले से, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सब जगह अधिकारी सजग रहें । यह मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं । उसके बाद सजगता अधिकारियों ने यह दिखायी कि स्थान-स्थान पर पानी पीने से लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं । लोग पानी-पानी चिल्ला रहे हैं । मन्त्री महोदया अच्छी तरह से जानती हैं, जब दौरों पर जाती हैं तब आप उन स्थानों पर, यह मेरे पास पी. एच. ई. डी की रिपोर्ट है जो उन्होंने जांच की है पानी की स्थान-स्थान पर, वह रिपोर्ट पड़ी है । अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि कई

(श्री नाथूसिंह)

गांवों के अन्दर पीने का पानी पीने से गम्भीर बीमारियां हो जाती हैं, आदमी मर सकते हैं कई गांवों के अन्दर पीने योग्य पानी नहीं है और कई गांवों के अन्दर पानी का अभाव है। इसलिए मैं आप से बेसिक सवाल यह पूछना चाहता हूं, आखिर इस सरकार में तो पानी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए जिस सरकार में पानी नहीं उस सरकार से हम अपेक्षा नहीं करते कि वह सरकार जनता को पानी देगी। यदि सरकार में थोड़ा सा पानी है तो हवा के बाद कम से कम जीने के लिए आदमी को पानी की आवश्यकता होती है। आप पानी की व्यवस्था तो कम से कम करो। भूख से लोग मरें यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पीने के पानी से लोग मर जायं और सरकार आकर यहां यह कह दे कि 14 आदमी मर गये हैं 29 जून से 6 जुलाई, 1985 तक, तो क्या 7 दिन में वहां पर उन लोगों को मरने से रोका नहीं जा सकता था, कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं लिये जा सकते थे? अगर नहीं लिये तो इसके लिये कौन दोषी हैं, आपने क्यों नहीं इसकी जांच करवाई। मरने के बाद अधिकारी पहुंचे। ए. ईएन. क्या कर रहा था, जे. ई एन. क्या कर रहा था वहां और अन्य अधिकारी क्या कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिये, गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिये। एक जगह का सवाल नहीं है मंत्री महोदया, पूरे राजस्थान में लोग मर रहे हैं जगह-जगह पर मर रहे हैं। उन स्थानों पर आप क्या व्यवस्था करेंगे, जनरल डाइरेक्शन्स अधिकारियों को क्या देंगे और जहां-जहां पर यह स्थिति हुई है उसकी रिपोर्ट मंगायेंगे और अधिकारी जो नेग्लिजेन्स बरत रहे हैं इस मामले में, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन।

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है। यदि आपकी अनुमति हो, तो एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : अनुमति मैं आपको दूंगा....

श्री लक्ष्मणसिंह : एक मिनट से कम में बोलना चाहूंगा। अगर आपकी अनुमति नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति है। माननी सदस्य कृपया बैठें।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो मुझे एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि यह एक गंभीर खेदजनक घटना है, यह जनहित से सम्बधित है, यह एक इन्सानियत का प्रश्न है, इसमें कोई पार्टी के वाद-विवाद का प्रश्न हो, ऐसा मैं नहीं समझता । आज के युग के अन्दर, मैं विशेष समय नहीं लूंगा, अगर जनता को जहर पिलाया जाय, 6 मृत्यु पहले हो, कुछ दिन के बाद 8 की मृत्यु हो इसकी सूचना सरकार प्राप्त करे। तत्पश्चात् 14 की मृत्यु हो । जो व्यवस्था सरकार ने की है इस प्रदूषण को गन्दे पानी को रोकने के लिये वह विफल हो चुकी है यह । मेरी मान्यता है क्या सरकार आइन्दा भविष्य में ऐसे कदम, ठोस कदम उठायेगी और उत्तर दायित्व अपने उपर लेगी कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में न घटे ? इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन, संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, दूषित पानी के पीने से जिन आदमियों की अकाल मौत हुई वह निश्चित रूप से एक मानवीय प्रश्न है । यह सवाल दूसरा है कि यहां विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति इससे राजनीति जोड़ने का प्रयास करते हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, क्लैरीफिकेशन्स नहीं करें माननीय सदस्य जो बोले हैं उस पर टिप्पणी नहीं करें मंत्री महोदय ने जो....

(व्यवधान)

वक्तव्य दिया है उसी के सम्बन्ध में....

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य बोले हैं वह कांग्रेस पार्टी के हैं । इसमें राजनीति क्या होती है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपस में विवाद वाली बात नहीं है। समझ का अन्तर हो सकता है । मैंने सबसे पहले इस प्रश्न को उठाया है। मैं तो आज के दिन केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दूरदराज की जो पानी की योजनायें बनाई हैं, जिन पर राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है इसके बावजूद भी व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, की मार्फत् राजस्थान के जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह हर स्थान पर जायें, दूरदराज में जाने का उनका कार्यक्रम बनता नहीं, उन गांवों की जिन गांवों की स्कीम फेल है जिसके कारण गन्दा पानी ग्रामीणों और शहर वालों को पीने को मिल रहा है उनको देखने की व्यवस्थित योजना बनायें पूरे राजस्थान की, स्थान-स्थान पर जाकर देखें कि स्थनीय अधिकारियों द्वारा, सहायक अभियन्ता द्वारा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है इस पर कन्ट्रोल किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय

(श्रीमती विद्या पाठक)

मंत्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है उनके विषय में तीन प्रश्न पूछना च हूंगी। एक तो यह है, ठीक है कि आपने मुआवजा भी दिया है, ठीक है आपने मेडिकल टीमें भी भेजीं पर एक मौलिक प्रश्न जो होना चाहिये वह यह है कि क्या इस बारे में आपने उस गांव में यह सब वाकयात होने के बाद पानी की कोई जांच करवाई है? जो भी पानी है वह चाहे तालाब का हो, चाहे टंकी का हो जो उस वक्त वहां पर पीते थे लोग उसकी जांच करवाई है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने कहा है कि अब टैंकर भेज रहे हैं इसका मतलब यह है कि टैंकर की जरूरत पहले भी महसूस हो रही थी, तो फिर तब क्यों नहीं भेजे अब क्यों भेज रहे हैं, पहले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि अधिकांश स्थानों पर, क्या आपकी जानकरी में है कि बहुत सारे इंटीरियर विलेजेज में लोग, जो मलवे के खड्डे बने हुये हैं उनमें से पानी छान-छान कर पी रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदया हमारे हिन्दुस्तान के पानी का स्टैण्डर्ड पूरी दुनिया के पानी के स्टैंडर्ड से कम है, उससे भी कम राजस्थान का है जिसकी परमीशन आप लोग अब केन्द्र से ले रहे हैं। यह आपने जो गांव में टंकियां पानी की बनाई हैं उनमें से 90 प्रतिशत टंकियों में पानी नहीं भरता है। इसलिये इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता नहीं है और लोगों को गन्दा पानी पीने के लिये मोहताज होना पड़ता है। एक सुझाव देना चाहूंगी और आपका विभाग कटघरे में भी है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई सिर्फ विभाग की सूचना पर निर्भर मत रहिये, अखबारों में आ रहा है, लोग आपको कह रहे हैं। जैसे ही मंत्री महोदया अखबारों में आये कान चौकन्ने होने चाहिये कि ऐसी घटना वहां पर हो रही है, तुरन्त उसकी जानकारी होनी चाहिये, रहनी चाहिये। प्राइमरी कार्यवाही हो जाती है, घटना के पूर्व भी क्या आपने ऐसे विलेजेज को आइडेन्टिफाई किया हैं, जहां पर दूषित पानी के पानी से लोगों के मरने की संभावना है, आदमी मरते है तो उसकी खबर तो आ जाती है लेकिन मवेशियों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां। संक्षेप में।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से केवल दो प्रश्न ही पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि क्या खाराबेरा गांव अकालग्रस्त घोषित था और यदि था तो अकाल राहत मत्री महोदय ने पेयजल की बाबत वहां पर क्या कार्यवाही की? एक बात तो यह है।

दूसरा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खाराबेरा गांव के अन्दर क्या कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है? और यदि है, तो कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी 28 तारीख को वहां पर नियुक्त थे और उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कार्यवाही की और जोधपुर के मेडिकल विभाग को

(श्री रमजान खां)

क्या रिपोर्ट दी, राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट दी ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री रमजान खां : मेरे प्रश्नों का जवाब तो आने दीजिये पहले ।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जायेगा । बैठ जायं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, घटना वास्तव में काफी गंभीर है और एक तरह से शर्मनाक भी है कि दो योजनाओं पर धन खर्च करने के बाद भी उस गांव के लोगों को पीने का पानी शुद्ध नहीं दे सके । कमलाजी का ख्याल है कि इस तालाब में बरसात का पानी होगा । मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है । जवाई बांध से हेमावास होकर जोधपुर पानी की जो नहर के रास्ते में कई गांव आते हैं उन गांवों के तालाब में उस नहर का पानी डाल दिया जाता है । यह खाराबेरा गांव के तालाब में भी उस नहर का पानी डाला गया था । वहां पानी की तादाद इतनी कम थी और एक स्टेज में ऐसा गया कि वह पानी खराब हो गया इसलिये गांव वालों में यह सारी बीमारी पैदा हुई और उनको स्वर्ग जाना पड़ा । सवाल यह था कि टंकी तो पहले ही टूट गई जहां से पानी खेजड़ली से जाना था, बहुत वर्षों के बाद भी उसका इलाज विभाग ने नहीं किया । दूसरी जगह से जहां से पानी फिल्टर करके, नहर का पानी फिल्टर करके इसी गांव को पानी देने की जो योजना थी उस योजना पर अमल नहीं हुआ और पानी वहां पर जाने नहीं लगा । कुल मिलाकर यह स्थिति पिछले 5-7 वर्षों से गुजर रही है और 5-7 वर्षों के बाद, विभाग के इंजीनियर्स ने इतना धन खर्च किया फिर भी गांव में पानी नहीं पहुंचा । एक नहीं 8-10 गांव ऐसे हैं

2.00 बजे म. प.

जहां आज भी पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है । जहां लाखों रुपये खर्च करके भी यह स्थिति है तो यह विभाग और सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसा खर्च कर दिया और पानी पहुंचा नहीं । इस विभाग के द्वारा कितनी क्या योजना बनाकर पानी पहुंचाया गया, इसे विभाग के सीनियर लोगों को आप चुस्त बनाकर दौरा कर नहीं देखेंगे तो इस समस्या का निराकरण नहीं होगा । दूसरे, जहां तक जानकारी है वहां पर लोकल ऐसे कई आदमी बैठे हुए हैं, कई स्कीम्स के ऊपर, जो अपनी मनमानी करते हैं लाभ की दृष्टि से भी और राजनीतिक छक्के-पंजे की वजह से भी सब कुछ उन लोगों के हाथ में होता है । योजनाओं के ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो वक्त के ऊपर पानी देने के लिए वहां आपने बैठा रखें जब बिजली आये तब तो चुपचाप बैठे रहें और और जब बिजली नहीं आवे तो कहें कि बिजली नहीं आई । तो इस तरह की योजनाओं में बैठे हुए लोकल लोग, बहुत छोटे दर्जे के लोग, छोटे कर्मचारी यह सब इन योजनाओं में आपको फेल करने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं । उन लोगों को जो वहां पर जमे-जमाये बैठे हैं उनको वहां से बदलकर अच्छे आदमियों को वहां पर जब तक नहीं बिठायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है । कुछ परिवर्तन करने से भी कई परिवर्तन आ सकते हैं, कई दिनों तक जमे रहने से वेस्टेड इण्ट्रेस्ट बन जाते हैं वह लोग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पानी भी तब छोड़ते हैं जब कोई न कोई उनको लाभ पहुंचाया जाय।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि वहां का स्टाफ बदला जाय। इतनी बड़ी घटना हुई है, इन्जिनियर्स जो इतने वर्षों से वहां बैठे हैं, जिन्होंने इस योजना में इतना धन खर्च होने के बाद भी पानी नहीं पहुंचाया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और यह व्यवस्था तुरन्त इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए जो नहर का पानी का, पानी फिल्टर करके दिये जाने की योजना है, सीधा पानी तालाबों में कहीं नहीं डाला जाता नहर से पानी तालाबों में आता है। अनाप-शनाप फालतू पानी खर्च होता रहता है और कच्चे तालाबों में पानी बेड में जाकर खराब हो जाता है। वह भी पानी बड़ा कास्टली है जो जवाई से आ रहा है। उस पानी को भी खालों से एक अमुक पाइन्ट पर लेजाकर फिल्टर करके डिस्ट्रीब्यूशन के उपाय को भी ठीक कराने की जरूरत है। जिन गांवों के लिए आप जवाई नहर की योजना से जोड़ना चाहते हैं, चाहे वह पाली जिले के हों चाहे वह जोधपुर जिले के हों। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आफिसरों को सतर्क बनाइये और जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जानी चाहिये। इतने आदमी मर जायं, फिर सदन में इतनी बातें आ जायं और उसके बाद भी कोई दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी सरकार के लिए और समस्त राजस्थान के लिए।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। इतने बच्चों के मरने के बाद आपके द्वारा वहां के किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई, एक तो यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप देरी से आये सदन में, यह सब बातें हो चुकी हैं।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है कि इस तरह की गम्भीर घटना हो जाय आखिरकार किस की जिम्मेदारी है? उस गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था है या नहीं। यह बहुत ही दर्दनाक बात है, यह एक गांव की घटना नहीं है। एक गांव की घटना तो रोशनी में आ गई मगर क्या इस तरह से गन्दे पानी के पीने से और घटनाएं नहीं हुई हैं? सैंकड़ों लोग सैंकड़ों हजारों जानवर आज इस तरह का पानी पी-पी कर मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की जो चिन्ता है और जो दर्दनाक घटना हुई है उसके लिए जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में कोई भी दो राय नहीं हो सकती। इतने बड़े पैमाने पर मौत हो जाने पर तकलीफ हुए बिना नहीं रह सकती और राज्य सरकार भी इस बात को बहुत गंभीरता और दुख के साथ में लेती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है और यह बात भी हम सब जानते हैं कि राजस्थान की विकास की योजना में आज भी तमाम प्रगति की बात करते

Page No.91

(श्रीमती कमला)

हुए भी अगर कोई प्राथमिकता आज इस राज्य की है तो पेयजल की व्यवस्था है। जिसके लिए कल भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा और अन्य अनेक मौकों पर भी कहा। वह इसीलिए कहा है कि अब भी अनेक ऐसे गांव है जहां पर पानी इतना खराब है जिसके पीने से मवेशी मर सकते हैं इन्सान बांके टेढें हो सकते हैं। और बीमारियां भी सकती हैं। उसको बराबर काम में काम में लेते रहें और बरसात का पानी न मिलाकर पीया तो मनुष्य भी मर जायं। जो योजनायें बनाई गई हैं वह भी बहुत सी जगहों पर आज अच्छी तरह से नहीं चल रही हैं। यहां तक कि बहुत से हैण्ड पम्प्स के जो फिगर्स दिये गये थे कि खराब हैं तो इन सारे व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी गई है और जैसाकि माननीय मुख्य मन्त्रीजीने कल कहा कि जितने भी क्षेत्र थे जहां पानी अच्छा था, ऊंचा था, उसको तो खुदवाकर काम में ले लिया लेकिन डिफिकल्टी यह है कि जहां पर पानी खराब है दूरदाज से लाना है और वहां पर कहीं मूल पानी का सोर्स है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त की चर्चा से क्या होगा; बस सुन लिया हमने जवाब, सवाल यह आता है दो दो योजनायें चालू होने पर....

श्रीमती कमला : आपके इतने ज्यादा बोलने से बात जल्दी होगी क्या; शान्ति रखिये।

(व्यवधान-दो पानी की शीशियां श्री ललित किशोर चतुर्वेदी सदस्य विधान सभा द्वारा सदन की मेज पर रखी गई।)

आप तो मर्जी आये जो बोलें बोलें और हम कायदे की बात भी न बोलें....

श्री अध्यक्ष : शान्ति से जब आप सवाल पूछ रहे थे तो शान्ति से सुनिये।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आपका जवाब नहीं आये तब कहना।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदया सिद्धान्त की।

(व्यवधान)

सातवीं पंचवर्षीय योजना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब नहीं आवे तब कहना, जवाब आयेगा। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं सुनिये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : क्या वाकई में डिफिकल्टी है।

(व्यवधान)

लेकिन क्या करें पैसा नहीं, इस जवाब का क्या करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह सरकार क्या है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 6 दिन में 14 लोग और मर गये और सिद्धान्त की चर्चा कर रही हैं।....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये बोतलें पब हाउस की प्रोपर्टी हैं इनका एनेलेसिस कराइये इसमें पानी है या क्या है....

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस सरकार के राज में लोग मर रहे हैं, पिछले साल अकाल में जोधपुर जिले के अन्दर 15सौ लोग भूख से मर गये, इस बार पानी की वजह से 13 मर चुके 6 और मर रहे हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी और उनकी सरकार कितनी संवेदशील है, सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जवाब तो सुनिये ...

श्री नाथूसिंह : 50-60 लोग मर गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाहते, मन्त्री महोदया को जवाब तो देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो बतायें आप क्या कर रही हैं। इसके अलावा राजस्थान में जैसा कि आप स्वयं मानती हैं कि कई जगहों पर ऐसी हालत हो रही हैं। उन्हें रोकने के लिये क्या प्रकाशन्स उठाये हैं, क्या मन्त्रिमन्डल का कोई सदस्य वहां पर गया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जवाब तो सुनें। आप तो जवाब सुने पहले ही सभी बातें कह रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी आप जवाब तो सुनें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर, ग्रार्डर।

माननीय सदस्य ग्रापने प्रश्न पूछे हैं उसका मंत्री महोदया को जवाब तो देने दीजिये ग्रार्डर, ग्रार्डर....

(व्यवधान)

ग्रंकित नहीं हो.... ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी, माननीय श्री नाथूसिंह जी, माननीय श्री नाथूसिंह जी। मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय जो कुछ देखने लायक नजारा मिला, जो लोग ग्रपने ग्रापको वरिष्ठ, विवेकशील ग्रौर इतना ग्रनुभवी सदस्य कहते हैं—

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ग्रौर बजाग्रो तालियां, बहुत ग्रच्छा है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मनानीय सदस्य। ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रंकित नहीं हो।

× × × माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : × × ×

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, ग्रासन पैरों है। कृपया शान्त रहें। ग्रार्डर, ग्रार्डर।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको गम्भीरता से ग्राप हम सभी को लेना चाहिये था मुझे खेद है कि हम उसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं। ग्राप लोगों ने जब शान्ति से प्रश्न पूछे हैं ग्रौर जब सरकार की तरफ से जवाब ग्रा रहा है?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : छोटी-छोटी बातें उधर से ग्रा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या। ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रासन पैरों पर है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो जवाब ग्रा रहा है उसे ग्राप सुनें। सरकार से भी मैं यह यह ग्रपेक्षा करूंगा कि जिन बिन्दुग्रों पर स्पष्टीकरण चाहा गया है उन बिन्दुग्रों तक ही सीमित रह कर ग्रपना जवाब देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ग्रब ताली नहीं बजाई।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्राप तो कमेण्ट करो।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : इतना ही भाषण

(श्रीमती कमला)

करना था, तो भाषण सुनने की क्षमता भी रखिये। बस इतने ही शब्द कहने जरूरी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस पृष्ठभूमि में राजस्थान की बात कही है उस सन्दर्भ में इस मुद्दे पर कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठायीं। उसमें एक बात तो यह कही कि इसकी जानकारी होने के बाद आपने लोगों को मरने क्यों दिया गया? अध्यक्ष महोदय, सूचना 29 तारीख को एक बजे कलेक्टर के और जिला चिकित्सा अधिकारी के यहां पर मिली। जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही उसी समय जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, जन अभियान्त्रिकी विभाग की तरफ से और सभी की तरफ से तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जितने व्यापक पैमाने पर बीमारी की रोकथाम के लिये जो बीमार थे उनकी चिकित्सा के लिये, चिकित्सा की व्यवस्था की वह न केवल उस गांव की ही बल्कि उस गांव के आस पास के 8–10 किलोमीटर में, जो दूसरे गांव थे, उनके अन्दर भी इसकी रोकथाम के लिये काम शुरू कर दिया गया। उनके उपचार के काम के लिये वह अपने हिसाब से जितना जरूरी था, जितनी गम्भीरता और आवश्यकता थी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गयी। इस दौरान बीमारी की रोकथाम के लिये टीके लगवाये गये। केवल खाराबेरा पुरोहितान, में हीं ही नहीं बल्कि खाराबेरा, भीमावता धीगान, और राजपुरिया के आसपास की सभी ढाणियों में करीब 3531 लोगों के टीके लगाये गये हैं। जिससे आसपास के गांवों की लोगों में इन्फेक्शन नहीं हो और उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़े।

इसी प्रकार से जो जो चिकित्सा व्यवस्था की गयी वह भी तमाम गांवों के लिये की गई जिनमें लगभग 764 लोगों का उपचार किया गया। वहां के स्थानीय स्कूल में बाकायदा कैम्प लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की दो टोलियां वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ वहां पर काम कर रही हैं। और जो जांच उस वक्त की गयी उसमें 440 व्यक्ति थे उनमें दस को उल्टी और दस्त के केस दर्ज किये गए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय उस गांव के आसपास के दस किलोमीटर के गांवों में 112 टांकों का, 8-9 तालाबों का, लगभग 8-9 नालियों का और कुओं का शुद्धिकरण भी किया गया। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पानी था। सभी का शुद्धिकरण किया गया कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पानी जिन लोगों का इलाज नहीं हो सका उन्हें जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में ले जाया गया। इस प्रकार से हर चन्द कोशिश की गयी कि जानकारी में आने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं मरे आप यह समझते है कि इतनी कोशिश के बावजूद अगर कोई मर जाय तो वह लापरवाही के कारण से या ध्यान नहीं देने की वजह से या कोई समुचित चिकित्सा नहीं होने के कारण नहीं मरे। अध्यक्ष महोदय, कई बार चिकित्सा होते होते कोई व्यक्ति मर जाते हैं और वह डाक-

(श्रीमती कमला)

टर की सीमा के बाहर हो जाते हैं। दूसरे एक बात यह उठायी कि खेजरली और मोड़ी सतूरां जल प्रदाय योजना से यह गांव जुड़े हुए नहीं हैं। यह झूठी बात कही गयी है वहां पर जल प्रदाय योजना काम नहीं करने के कारण यह ऐसी घटना हुइ हो ऐसी बात नहीं है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि दोनों योजनायें काम करती हैं, लेकिन खेजरली की जो योजना है वह इतनी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाती जितना कि मोड़ी की योजना काम करती है। मैं तारीख वाइज बता सकती हूं कि इस गांव में कौन-कौन सी योजनाओं से, कितने-कितने घण्टे पानी प्रतिदिन मिला है। मैं सारी तारीखें तो नहीं, लेकिन दो-पांच दिन आगे और दो-पांच दिन पीछे की बताना चाहती हूं जैसे 19-6-85 को खेजरली से 12 घण्टे पानी मिला है और मोड़ी योजना से 6 घण्टा पानी मिला है, इसी तरह से 20 तारीख को 11 घण्टे मोड़ी से पानी मिला, 21 तारीख को खेजरली से नहीं मिला, मोड़ी से 14 घण्टा पानी मिला है। इसी तरह से 22 तारीख को खेजरली से पानी नहीं मिला मोड़ी से 15 घण्टे पानी मिला है, इसी प्रकार से 23 तारीख को खेजरली से 18 घण्टा पानी मिला और मोड़ी से 6 घण्टा पानी मिला है ...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह क्या पढ़ रही हैं आप ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चैलेंज करता हूं आपको....

एक माननीय सदस्य : आप तो रोज ही चैलेंज करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्रीमती कमला : यह जल प्रदाय विभाग के रजिस्टर में रोजाना जो पानी की आवक दर्ज की गई है उसमें से आपको पढ़कर बता रही हूं, इसी तरह से....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : उन्होंने यह कहा है कि वहां पर जल की योजना काम ही नहीं करती....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसीलिए पानी नहीं आया, मैं चैलेंज कर रहा हूं।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : यह सारी रिपोर्ट गलत है, आपके ए. ईन. और एक्स. एन. भी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कच्ची नहरें बना दी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य धीमे बोलिये.... (व्यवधान)

श्री हंसराज मिढ़ा : कल शक्तावत साहब भी × × × आंकड़े दे रहे थे, आज कमला जी भी आंकड़े दे रही हैं, बात कहकरसदन में नहीं बोलना चाहिए।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के अनुसार अपलोपित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द एक्सपंज किया जाए।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपको चैलेंज करना है तो कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदया ठीक कह रही हैं।

श्रीमती कमला : इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख को....

श्री रामसिंह विश्नोई : कौन-से वर्ष की बात है ?

श्री अध्यक्ष : इस वर्ष की जून की बता रही हैं।

श्रीमती कमला : 16 घण्टे और 14 घण्टे मोरड़ी योजना से पानी मिला है, जिस तारीख को यह घटना घटी है उस तारीख में 29 तारीख को 6 घण्टा पानी खेजरली से और 8 घण्टा पानी मोडी से प्राप्त हुआ है।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सदन की कमेटी बना दी जाये, मंत्री महोदया की अध्यक्षता में ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नत्थीसिंह : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं एक तरफ माननीय मंत्री महोदया आंकड़े दे रही हैं और कह रही हैं कि इन योजनाओं से पानी आया, दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो उधर से आते हैं, इधर के हैं सब कह रहे हैं कि पानी कतई नहीं आया....

श्रीमती कमला : आप इसको चैलेंज करिए:—

श्री नत्थीसिंह : 15 मौतें हो गई, क्या जांच करायेंगी। आपको यह जो सूचना मिली है वह गलत सूचना मिली है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इसकी जांच करायेंगी और जिन्होंने सूचना दी है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगी ? 15 आदमी मर जायें, सदस्य कहें कि पानी नहीं आया, आप कहें कि पानी आया है।

श्रीमती कमला : आप इसमें फर्क नहीं कर रहे हैं। उस गांव के अन्दर जो टंकी बनी हुई है उन दोनों योजनाओं के अन्दर से उसमें पानी आता है, लेकिन जो मरे हैं वह तालाब का पानी जो नहर से आता है उससे मरे हैं। आप दोनों बातों को एक क्यों करते हैं, समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर टंकी से पानी आता तो यह गंदा पानी क्यों पीते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

श्री नत्थीसिंह : अगर टंकी में पानी पहुंचता तो मरते क्यों, उन्हें मौत थोड़े ही बुलानी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया थोड़ा ध्यान रखिये।

माननीय मंत्री महोदया मैं पूछ रहा हूं, माननीय सदस्य कह रहे हैं, पानी बिलकुल नहीं आया, आप कह रही हैं कि इस तरह से तारीखवाइज पानी आया है, यह सूचना है आपके पास, इसकी जांच आप करायें कि यह सही है या गलत, अगर गलत है तो कार्यवाही करें, अगर सही है तो ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदन की कमेटी बना दीजिए, मंत्री महोदया की अध्यक्षता में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसमें सदन के लोगों की कमेटी बनाकर वहां भेजो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : वहां पानी कतई नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कह दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो तारीखें बताई हैं मैं यह नहीं कहता कि खेजरली और मोड़ी मथूरा के अन्दर इनकी बिजली चली गयी होगी, इतने घण्टे पानी दिया होगा, लेकिन आपने बताया कि इतने घण्टे पानी दिया यह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं सच कहता हूं एक-एक गांव में, ढाणी का मुझे ज्ञान नहीं है, 15 साल से बराबर यह बात कहता आया हूं कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता जहां जहां योजना बनी हुई है। यह बात, आज से तीन-चार साल पहले जब राजीव गांधी वहां आये थे तब मैंने राजीव गांधी तक से यह बात कही थी कि हमारे यहां एक-एक करोड़ रुपये की योजना बनी थी, मदेरणा साहब उनके साथ थे, मगर पानी नहीं पहुंचता है इससे सरकार की और कांग्रेस पार्टी की बदनामी होती है। हम गांव में जा नहीं सकते, गांव में जाते हैं तो गांव वाले सिवाय इसके कि पानी नहीं पहुंचता कोई दूसरी बात हमसे नहीं कहते। आप पानी नहीं पहुंचाते हैं दूसरी तरफ तारीख बताकर आप और नाराज करते हैं। मैं यह मानता हूं कि किन्हीं कारणों से हो सकता है स्कीम डिफेक्टिव हो, बिजली नहीं मिलती हो, लाइन छोटी हो सकती है, नहर से पानी नहीं आ सकता, इस बात को मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आपने जो 6, 12 घण्टे पानी पहुंचना बताया है, मैं मानता हूं बिजली के अन्दर मोटर चलता हो, मोटर चलती हो, लेकिन खाराबेरा के अन्दर पानी नहीं जाता तो वहां पर नहर बनाने की क्या जरूरत पड़ी है

(श्री रामसिंह विश्नोई)

क्यों बनाते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है खारावेरा में, आप कह रहे हैं कि टंकी भेज रहे हैं. जब हमारी योजनायें 12 घण्टे चल रही हैं तो फिर आप टंकी क्यों भेज रहे हैं ? सारी बातें, आप असत्य बात कहते हैं, सदन के अन्दर जो अधिकारी लोग हैं वह गुमराह करते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं और अपनी बेईमानी को, गलतियों को यहां पर छुपाते है। मैं कहता हूँ आपको गलत रिपोर्ट भेजी है।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं, आर्डर प्लीज, मन्त्री महोदया।

श्री रामसिंह विश्नोई : इनको कम से कम सही बात कहनी चाहिए, जो गलत रिपोर्ट पढ़ती हैं उससे बदनामी होती है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्री लक्ष्मण सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को अत्यधिक विश्वास लालफीताशाही पर नहीं करना चाहिए, सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं। निष्पक्ष रूप से स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में सरकार यदि नहीं है तो बड़ी खेदजनक बात है। मैं पुरजोर शब्दों में आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वस्तु-स्थिति की जानकारी लाल फीताशाही की मार्फत न करके निष्पक्ष लोगों के द्वारा करवायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दोनों योजनाओं से इन तारीखों में कितने-कितने घण्टे पानी जारी किया गया है उसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया है वास्तव में इस गांव के अन्दर इस पानी का कितना हिस्सा पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इर्रेलेवेंट। क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : आप ढंग से सुनना तो चाहते नहीं, इसको पूरा सुनिये तो सही।

एक माननीय सदस्य : आप × × × आंकड़े दे रही हैं ...

श्रीमती कमला : वास्तव में इस प्रकार से कितना पानी पहुंचा है और कितना नहीं पहुंचा है खेजरली की जो लाइन है वह इस गांव से काफी दूर-दराज में है......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर क्यों बोल रही हैं, इसका मतलब क्या है।

श्रीमती कमला : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आप बार-बार क्यों बीच में बोलते हैं, शांति रखिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप अपनी बात से कौन-सा तात्पर्य निकाल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्रीमती कमला : एक नौजवान आदमी जो हाउस में पहली बार आया हो वह

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्रीमती कमला)

बार-बार खड़ा हो और ऐसे चढ़े तो समझ में आता है आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इस तरह से करते हैं ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदया दिल जलता है आपके वक्तव्य को सुनकर ।

श्रीमती विद्या पाठक : हाउस को रेगुलेट करने का अधिकार आपका है ? मन्त्री महोदया इस तरह नहीं कह सकती ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी दिला दें कि जिस गांव का विवाद चल रहा है वह खाराबेरा का उस गांव में जून के महीने में कितना पानी पहुंचा ? जो पानी पहुंचा क्या उसका फिल्टर हुआ ? तीसरे जिस तालाब के पानी के पीने के कारण से लोग मरे हैं उस तालाब में कहां से पानी आया ?

श्री शोपत सिंह : वह तालाब कहां है ? आबादी में है या कहां है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह गांव खेजरली योजना से काफी दूरी पर है। तो जितना पानी इन्होंने इन तारीखों को चलाया उसमें से इस गांव में बाद में कितना पानी उसमें उपलब्ध हुआ है इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं .....

(व्यवधान)

इसमें क्या शेम की बात है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज... माननीय सदस्य कृपया बैठें ...

एक माननीय सदस्य : यह जवाब शुरू में ही दे देती तो इतनी बात नहीं बढ़ती...

श्रीमती कमला : टैंकों का पानी पीने से लोग मरे नहीं। इसमें वैसे टैंकों के पानी पीने से लोग नहीं मरे हैं। तालाब के पानी को पीने से लोग मरे हैं। हमारे टैंकों का पानी तो हमेशा पीते रहे हैं और कहीं इस तरह की घटना नहीं घटी है और जैसी कि विभाग की तरफ से सूचना दी गयी है कि जब कभी भी पानी चलाया जाता है उसको फिल्टर करके चलाया जाता है और....

एक माननीय सदस्य : टैंक में पानी नहीं आया तो पीने का प्रश्न ही क्या होता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मौतें हुई हैं और दूसरी तरफ जो उस कार्य के लिए जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं सीधा साधा यह बता दें ? सदन का समय क्यों जाया कर रही हैं। एक तो आदमी मर गए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं या नहीं ? कार्यवाही करने से लोग अपने कार्यों को देखेंगे और आगे घटना नहीं घटेगी ।

श्रीमती कमला : जिस तालाब के पानी को पीने से लोग मरे उस तालाब का पानी कहां से आया, वह दूषित कैसे हुआ इसकी जांच कराई जा रही है और उसके बाद ही

(श्रीमती कमला)

दोषी अधिकारियों का पता लग सकेगा कि उस तारीख को जो पानी का इन्तजाम था ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने अपने जवाब में कहा कि इस तालाब में बरसात का पानी आया....

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा कि यह गांवाई तालाब है। यह टैंक नहीं है यह कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपने कहा था कि इस तालाब में बरसात का पानी आया है।

श्रीमती कमला : नहीं, यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो आप यह बताइये कि दो वर्षों से वहां बरसात तो हुई नहीं फिर यह तालाब में कहां से पानी आया ?

श्रीमती कमला : नहर से पानी हमेशा हर साल डाला जाता है लेकिन कभी मौत नहीं होती, इस साल ही पानी डालने से कैसे मौत हुई है, क्या इनफैक्शन आया है, क्या बात हुई है इसकी जांच की जा रही है। जैसे ही जांच का पता लगेगा जिनके खिलाफ एक्शन लेना है एक्शन लिया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : जब टैंक का पानी था तो तालाब का पानी पीने की जरूरत क्या पड़ गयी ?

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, पानी का इन्तजाम नहीं हुआ इसके लिए अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की। चीफ इन्जीनियर को जब तक सस्पेण्ड नहीं करेंगे तब तक नीचे के अधिकारी दुरुस्त नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उसी कांग्रेस पार्टी की मेम्बर हैं जिसमें रेल दुर्घटना होने पर श्री लालबहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनने की कृपा करें। आर्डर प्लीज....

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उसी कांग्रेस पार्टी की मेम्बर हैं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दिया था। 15 लोगों के मर जाने के बाद यह इस्तीफा देने के बजाय चीफ इन्जीनियर और जो लोग दोषी हैं उनको बचाने का काम यह सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : किसी को कोई बचाने का काम नहीं है क्योंकि पानी हर साल दिया जाता है और कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मन्त्री महोदया, सुनिये। इनके तर्कों का जवाब हम तर्क से दे सकते हैं लेकिन जिस ढंग से आप इस मामले को लाइटली ले रही हैं...

श्रीमती कमला : मै कहां लाइटली ले रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अगर गम्भीरता

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

से लेती होतीं तो स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करतीं...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लोग मर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम टीके लगा रहे हैं। 1227 लोग बीमार पड़े हैं और 700 का इन्होंने इलाज किया है। सब जगह टीके लगवा रहे हैं और सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी वहां जाकर इस बात की जांच नहीं करता कि जो रिपोर्ट वहां से आ रही है वह सही है या नहीं। अब यह सारी बात आप यहां बता नहीं सकतीं

श्रीमती कमला : कौन सी रिपोर्ट पर भरोसा करके इनके तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इनके पास इनफार्मेशन नहीं है कि उस गांव में जलदाय योजना का पानी कितना पहुंचा। जो इम्पारटेण्ट सूचना है वह नहीं है लेकिन उस गांव में पानी पहुंचा या नहीं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें बहुत चर्चा हो चुकी है इसमें। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 आदमी मर गए। अधिकारियों ने जांच नहीं की तो क्या मन्त्री महोदया सदन की कमेडी बनाने को तैयार हैं ? ऐसे दोषियों को दण्ड मिलना चाहिए इसके लिए क्या मन्त्री महोदया तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। इस तरह से चर्चा का कोई अन्त नहीं होगा। फिर मुझे चर्चा समाप्त करके आगे की कार्यवाही शुरू करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य जरा शांति से सुनें। काफी चर्चा हो चुकी है। दोनों पक्षों से काफी कहा जा चुका है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मन्त्री महोदया ने कहा है।...आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।...

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया ने स्पष्ट कहा है कि जांच चल रही है। जांच होने पर जिन किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ यह पाया जायेगा कि उनके कारण से यह पानी दूषित हुआ है, उनकी नेग्लिजेन्स से दूषित हुआ है तो आपने स्पष्ट कहा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ..

श्री नाथूसिंह : किस एजेन्सी के द्वारा जांच होगी ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की जो एजेन्सी होगी उसी के द्वारा तो होगी, माननीय सदस्या आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

मन्त्री महोदया आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य मैंने काफी समय दिया है।

आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह भी पूछा गया कि जब पानी की कमी नहीं थी तो टैंक काहे के लिए भेजे जा रहे थे। मैं निवेदन करना चाहती

(श्रीमती कमला)

हूँ कि मैंने यह मूल उत्तर में, स्टेटमेण्ट में यह बताया है कि इस तालाब का पानी क्योंकि दूषित हो चुका है, उसके कारण से घटना घट चुकी है इसलिए इस तालाब में और आसपास के तालाबों में, किसी भी तालाब के पानी को या कुए के पानी को उपयोग में लाने के ऊपर पाबन्दी लगा दी है और जब यह पाबन्दी लगाई है तो मवेशियों का पानी रुक गया है और दूसरे काम के लिए जो पानी उपयोग में लाया जाता है वह भी रुक गया है। इसलिए पीने के पानी के टैंकर्स लगाये गये थे इस लिए भी और दूसरी आवश्यकताओं के लिए भी

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : कितने टैंकर्स लगे हैं ?

श्रीमती कमला : टैंकर्स कितने लग रहे हैं यह मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन जितने पानी की आवश्यकता है उसके अनुसार ही टैंकर्स लगे हुए हैं और मैं सदन को फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, भरोसा दिलाना चाहती हूँ, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि इन तालावों में हर साल जवाई बांध से पानी डाला जाता है और कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती है फिर इस साल यह दुर्घटना उस पानी से क्यों घटी है ? यह अपने आप में एक विशेष मुद्दा है। जिलाधीश जोधपुर और हमारा पर्सनल विंग काम करता है उसकी देख-रेख में इसकी जांच कराई जा रही है कि इस पानी के दूषित होने का कैसे कारण बना, कौन अधिकारी या कौन एजेन्सी इसके लिए दोषी है जैसे ही सूचना आयेगी, हम तत्परता से मगायेंगे और जैसे ही आयेगी उसके बाबत में गति से कार्यवाही की जायेगी। इसमें किसी को बचाने का या कोई कोताई बरतने का कहीं कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई माननीय सदस्य आर्डर प्लीज...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन करना चाहता हूं। यह मामला इतना विवादास्पद हो गया कि आपने जो कहा वह सदन के विरोधी पक्ष के सदस्य और खास तौर से कांग्रेस के सदस्य जो लूनी से आये हैं उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं यह कह सकता हूं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जानकारी इस मामले की श्री **रामसिंह जी विश्नाई** को है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खेजरली के टैंक टूटे हुए हैं। आपने सारी फिगर्स डेटवाइज दे दी और यह तथ्य है कि आपकी पाइप लाइन स्कीम से पानी उस गांव में, खाराबेरा में नहीं पहुंचा और शायद है अगर पहुंचा होता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकारी अधिकारी आपको उस इन्फार्मेशन को देते जिस इन्फार्मेशन के आधार पर यह कह सकते थे कि खाराबेरा के अन्दर इतना पानी पहुंचा। पानी तो नहीं पहुंचा यह तथ्य है। अब यह कहते हैं कि फिल्टर करके पानी दिया जाता है। अब पानी पहुंचा नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि पानी हो तो फिल्टर का सवाल पैदा हो लेकिन बिना पानी राजस्थान की सरकार फिल्टर कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि उनकी पाइप लाइन की स्कीम चलती रही। यहां भी वह गलत चली है और उसमें जो खर्चा हुआ है उस खर्चे को दूसरी तरह से अकाउन्ट फॉर किया गया है। उधर फिल्टर किया गया, बिना पानी के फिल्टर हुआ है उसका खर्चा भी इसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से हुआ है। फिल्टर हो गया। वह दोनों ही प्लांट खराब हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदया का दामन साफ है, जैसा वे कह रही हैं तो इस मामले की विधान सभा की एक जांच समिति क्यों नहीं नियुक्त कर दी जाये? वह जांच समिति इस सारे प्रश्न के ऊपर जांच करलें, आपका भी संकट मिटे और सरकारी अधिकारियों को भी पता लग जाये कि यह विधान सभा केवल मंत्री महोदय को इन्फार्मेशन देना ही जरूरी नहीं, विधान सभा इतनी पावरफुल है कि यह कुछ भी कागनीजैंस लेकर इस मामले की जांच कर सकती है। मैं समझता हूं इस मामले की सीरियसनैस को सीरियसनैस से लेंगे। 11, 12, 13 आदमी मर जायें उसके बाद आफिसर्स गलत इन्फार्मेशन से मिनिस्टर को फीड करें परन्तु मेरा निश्चित रूप से मानना है कि माननीय मन्त्री महोदया इस बात को स्वीकार करेंगी, आप चाहे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की समिति नियुक्त कर दें, मुझे आपत्ति नहीं लेकिन विधान सभा में हम आपको गलत कहें, आप हमें गलत कहें इसकी कोई तो सीमा होनी चाहिये। उसकी मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। तो विधान सभा की मर्यादा के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 आदमियों के मरने के बाद और यह विवाद बन जाये कि आदमी किस तरह से मरे, किस जगह से उनको पानी मिला, पानी फिल्टर हुआ या नहीं हुआ, तालाब का पानी पीने से मरे या नहीं मरे, मरने के कारण से जो प्रिवेन्टिव एक्शन लेने चाहिए थे वे लिये या नहीं लिये, आगे से क्या इन्तजाम किया? यह सब चीजें ऐसी हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा इस प्रकार की सदन के सदस्यों की एक समिति गठित की जाये। आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप उस समय सदस्य होंगे। बाड़मेर और जैसलमेर में गैस्टोएन्टाइटिस से काफी आदमी मरे। मरने का विवाद चला। मैंने 41 हजार आदमियों की लिस्ट इसी सदन में प्रस्तुत की थी और प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ने जाकर सब्मिट की थी। फिर उसके बाद में विधान सभा की गिरधारी लाल जी व्यास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, मैं भी उस समिति का एक सदस्य था, कोई प्रेस्टिज नहीं थी। मैं समझता हूं आपको भी प्रेस्टिज का मामला नहीं बनाना चाहिए। आपकी और मेरी प्रेस्टीज से ज्यादा प्रेस्टिज इस विधान सभा की है। विधान सभा में जब इस वक्तव्य को चैलेन्ज किया गया है और आप खुद भी धीरे-धीरे बैक आऊट कर रही हैं। मैं केवल एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनायें, इस बात की आप यहां घोषणा कर दें और अगर वह नहीं करती हैं तो. अध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है कि गवर्नमेंट की खुद की इनएफीशियेन्सी के कारण इन 11 आदमियों की मौत नहीं हुई है सरकार ने इनकी हत्या की है। × × × यदि इस मसले पर, ऐसे मौन रहकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की जाय यह सदन का बहुत बड़ा अपमान है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती कमला)

महोदय, न तो सदन को गुमराह करने की कोई चेष्टा कर सकता है न करनी चाहिये और न कोई तथ्यों को दबाना या किन्हीं अधिकारियों को बचाने का सवाल है। जिस एजेन्सी का मैंने नाम लिया है उसका पी.एच. ई.डी. से कोई ताल्लुक नहीं है कलेक्टर की देख-रेख में जांच की जायेगी उसका पी एच. ई.डी. से कोई ताल्लुक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कलेक्टर दोषी है...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी जिक्र किया है भाषण में....

श्री नत्थी सिंह : विधान सभा के सदस्यों की कमेटी क्यों नहीं बनाते ?....

श्रीमती कमला : मुझे यह बतायें अगर कलेक्टर ने वहां ले जाकर पानी डाला हो तो कलेक्टर दोषी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : मैंने पूछा था कि वहां पानी पहुंचना था वह नहीं पहुंचा है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्रीमती कमला : पीने के पानी की जो योजनायें बनी हुई हैं उससे पानी पहुंचाने का जिम्मा पी. एच. ई. डी. का था और यह पानी ...

(व्यवधान)

खाराबेरा ही एक ऐसा गांव नहीं है जो इस लाइन के ऊपर हो, बहुत सारे गांव इस लाइन के ऊपर हैं जिनको पानी दिया जाता है और यह बिल्कुल टेल पर गांव है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : We want committee सदन की कमेटी बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरि कुमार औदित्य (रामगंज-मण्डी) : मंत्री महोदया को अपने अधिकारियों के ऊपर विश्वास है सदन की कमेटी पर विश्वास नहीं है इस लिए कमेटी बनाने से कतरा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं समिति बनादें।

एक माननीय सदस्य : तालाब के अन्दर जो पानी आता है नहरों से, जो पानी आया है उसका जिम्मेदार कलेक्टर स्वयं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

एक माननीय सदस्य : हमें इस सदन की कमेटी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर काफी चर्चा हो गई है

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो। आर्डर आर्डर।

सरकार के द्वारा इसके बारे में जांच करवाई जा रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सरकार की तरफ से कोई प्रेस्टिज पाइन्ट बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर इस तरह की बात होती तो न तो जांच की बात होती, न कार्य-वाही करने की बात होती। इस बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हठधर्मी है सरकार की।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कमेटी क्यों नहीं बनाती आप ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री कालवी। आप बोलना चाहते हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस विषय पर काफी चर्चा हुई है और होनी ही चाहिये। दूषित पीने के पानी से जो अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई यह सबसे बड़ा अहम मसला है और इसके ऊपर बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मन्त्री महोदया इस प्रश्न का जवाब देने में टालमटोल कर रही हैं। जहां सदन की कमेटी बनाने की मांग की गई है उस कमेटी के ऊपर इनको विश्वास करके कमेटी बना देनी चाहिये। प्रश्न इतना सा उठा कि इस खारावेरा गांव के अन्दर जहां खेजरली और मोड़ी से पानी आना चाहिये था वहां पानी पहुंचा नहीं और पहुंच नहीं रहा है तो उसका सीधा सवाल हम पूछ रहे हैं मन्त्री महोदया से कि उस गांव में इस पिछले महीने में कितना पानी पहुंचा उसकी आज इनके पास में जवाब देने की कोई तैयारी नहीं है। सवाल यही था कि पीने का पानी नहीं पहुंचा। दूषित पानी के पीने से जो मृत्यु हुई है उसका जवाब देना चाहिये उस बात का यह जवाब नहीं दे रही हैं और जवाब जो दे रही हैं वह सदन को गुमराह करने वाला जवाब दे रही हैं। हमारी सीधी सादी मांग यह है कि इस सदन की कमेटी बनाई जाये जो वहां जाकर जांच करे कि हकीकत में वस्तु-स्थिति क्या है सबके सामने सारी बात स्पष्ट हो जाये, इसको दबाने की क्यों कोशिश की जा रही है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राज-स्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आज भी बहुत से गांवों के अन्दर नहरों से पानी तालाबों में डाला जाता है, वह पिया जाता है...

श्री भंवरलाल शर्मा : We want commi.tec····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : सवाल यह है कि इस पानी को हर साल काम में लेने के बावजूद भी इस साल यह दूषित होने का क्या कारण पैदा हुआ और क्यों लोग मरे वह तो ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया को विभाग ने उस गांव की सारी स्थिति का ज्ञान नहीं दिया और जो असल मुद्दा है उसको छोड़ रही हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तालाब में पानी थोड़ा हो गया, नहर से पानी छोड़ा गया, समझ गये। प्रश्न इस बात का नहीं था। पानी थोड़ा रहने से कन्टेमिनेशन हो सकता है, कन्टेमिनेशन पानी का हो गया और उससे आदमी मर गये। यह बात ठीक है। प्रश्न यह नहीं है। उस गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई वह इसलिए हुई कि इस गांव के लिए दो योजनाओं के होते हुए भी आज तक पानी पहुंचाने की स्थिति नहीं है। आप जो आंकड़े बोल रही हैं, आपका जो विभाग बता रहा है। इस नल योजना से कई गांव लिंक्ड हैं और कई गांव लिंक्ड होने से आपका इन्जन चलता है और इन्जन के जो घण्टे आप बता रही हैं वह ठीक है। आप इनसे सीधा सवाल पूछें कि भाई आप इतने वर्षों से यह इन्जन चलाते हैं क्या इससे खारावेरा गांव को पानी पहुंचा कि नहीं और अगर नहीं पहुंचा है तो यह आंकड़े देने का मतलब क्या? क्योंकि जो कुछ घटना है वह खारावेरा गांव की है। अगर खारावेरा गांव में आपका शुद्ध पानी नहीं पहुंचा, पानी फिल्टर जो हो नहीं सकता, फिर तालाब की जांच करायेंगे कि कैसे हो गया इन्फेक्टेड? उससे क्या नतीजा निकलेगा। इन्फेक्टेड आदमी ने तो किया नहीं, कोई जानवर से हो गया, कोई कीड़ा पैदा हो गया, थोड़ा पानी रह गया लोग मर गये। मजबूरी से पी रहे थे उस तालाब का पानी। वहां पानी आ नहीं रहा था इसलिये मुद्दा बिल्कुल साफ है। पी.एच.ई.डी. द्वारा इतने लाख रुपया खर्च करने के बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। विभाग की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। अब इस मामले का साफ जवाब नहीं दे पाई हैं और आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो इस सदन की कमेटी, जैसा माननीय विपक्ष के नेता ने कहा आप पांच आदमी ही बैठा दें, 10 बैठा दीजिये, 7 बैठा दीजिये, हमको कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु रामसिंह जी को तो सारी स्थिति पता है जो वे बता रहे हैं। वे इस विधान सभा के मेम्बर हैं और अगर दुर्भाग्य से आप हमारी बात को नहीं मानती हैं तो असत्य बात को ही पकड़ लें और विभाग को अगर आप छोड़ दें तो यह दुर्भाग्य की स्थिति है इसलिए कमेटी बना दें। कमला जी जिद्द करने की कोई बात नहीं है। उसमें कई तरह के फैक्ट्स आपके सामने आ जायेंगे, उसमें किसकी गलती है वह आप पहचान लेना और नहीं गलती हो तो छोड़ देना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विभाग को पकड़ने का इसलिए सवाल नहीं है कि दो मुद्दे हैं—एक तो उन अधिकारियों को सजा दीजिए जिनकी लापरवाही से यह सारी घटना घटी। उनको सजा हम तभी दे सकते हैं जब यह पता लगे कि यह पानी दूषित किस तरह से हुआ····

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि····

(श्रीमती कमला)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मन्त्री महोदया बोल रही हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री जय किशन तोषावड़ा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया सही उत्तर दे रही हैं। जब किसी कर्मचारी या अधिकारी ने गलती की है और अगर वह दोषी पाये जाते हैं तो पूर्ण रूप से उनको सजा दी जायेगी, यही तो मन्त्री महोदया कह रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मन्त्री महोदया बोल रही हैं।

श्रीमती कमला : दूसरा मुद्दा यह है कि अगर यह नल योजनायें सही ढंग से कार्य करती होतीं, इस गांव में पानी आता होता तो ये लोग इस पानी को पीने के लिये मजबूर नहीं होते। इसलिये नल योजना सही ढग से नहीं चली, पानी नहीं पहुंचा इसलिये इस विभाग के जो अधिकारी है और कर्मचारी हैं वे किस सीमा तक उसके दोषी हैं, वास्तव में वहां कितना पानी पहुंचाया और कितना पानी उनको मिला? अगर यह योजना बनाने के बावजूद भी कारगर नहीं है तो इस योजना को बदला जाय और इस बीच में कोई और योजना बनाकर इस गांव को पानी पहुंचाया जाय, यह एक दूसरा मुद्दा है इसलिए इन दोनों मुद्दों की जांच करा कर जो भी व्यवस्था सरकार को तत्परता से करनी होगी वह की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

माननीय मन्त्री महोदया, प्रश्न यह है कि खाराबेरा गांव को आपकी योजना से पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो यह पानी दूषित कैसे हुआ और अगर पानी नहीं पहुंचता है तो यह बात दूसरी होती है। मैं यह चाहूंगा कि इस सदन की कमेटी की अपेक्षा मन्त्री महोदय के साथ विपक्ष के नेता महोदय स्वयं जाय, दोनों जायं और जा करके मौके की स्थिति को देखकर जो भी स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को देखकर अवगत करा दें। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

व्यवस्था

कटौती प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का अवसर

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक, 1985–86 की मांगों पर विचार से पूर्व मैं कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था देना चाहूंगा कि इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती के प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं वे यह मान लिये जाते हैं कि वे सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा यहां पर आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। उनमें से उनको बोलने की इजाजत दी जाती है और जब मांग प्रस्तुत की जानी होती है, मांग जब वोटिंग के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापिस ले लिए गए हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। इस परम्परा को बताने के लिए ही माननीय सदस्यों के सामने यह व्यवस्था दी है। अब मैं माननीय मन्त्री महोदय को····।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इस परम्परा में एक परम्परा यह भी है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये वे किसी भी कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, यह है। परम्परा रही है लेकिन प्रोवाइडेड, प्रोविजो के साथ सचेतक या मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा उनके नाम आसन को मिलेंगे। वे स्लिप भेज देंगे, उस स्लिप का कोई कन्सीडरेशन नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : बहुत से कटौती प्रस्ताव होते हैं। जो कटौती प्रस्ताव दें, उन्हीं के नाम लिए जायं, यह तो ठीक नहीं होगा। थोड़े से नाम हम देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन सदस्यों को तो जरूर मौका दिया जाय, उनमें तो कटौती नहीं की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय देखना पड़ेगा। परम्परा बता दी, आपके दल के नेता ने बता दी है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार आश्वासन दिए जाते हैं कि कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों को भेजे जायेंगे लेकिन यह × × × सरकार····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सरकार के लिए जो शब्द कहा गया है उसको एक्सपंज किया जाय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आवेश में आकर शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं। शान्ति से भी अपनी

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.109

(श्री अध्यक्ष)

बात कह सकते हैं। अनावश्यक बात करते हैं। इसमें आवेश में आने की बात ही नहीं थी। आप यूं ही अपनी एनर्जी खराब करते हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कटौती प्रस्तावों का जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, समझ गया मैं। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। उसका अलग तरीका है बात करने का। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि····

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : जिन माननीय सदस्यों को बजट के ऊपर नहीं बोलने दें और उनके जवाब भी नहीं आये तो····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आपसे कि आपने फरमाया कि × × × सरकार शब्द को एक्स-पंज कर दिया जाय····।

श्री अध्यक्ष : किस सन्दर्भ में कहा गया, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : इस सरकार को × × × सरकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?

श्री अध्यय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री दिग्विजय सिंह : यह अन-पार्लिया-मेंटरी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बतायें तो सही क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अकर्मण्य शब्द काम में ले सकते हैं। झूठ के लिए असत्य बोलते हैं इसी तरह निकम्मी के लिए अकर्मण्य है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह अन-पार्लिया-मेंटरी तो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। नो पाइन्ट ऑफ आर्डर।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No.110

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। कोई सब्जेक्ट ही अभी मेरे सामने नहीं है माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मुझे मजबूर न करें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। सिंचाई मन्त्री जी।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : मुझे बता दीजिये, आप अन-पार्लियामेन्टरी शब्द को निकाल सकते हैं बाकी तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आदेशों की पालना करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : मुझे बता दीजिये न ।

श्री अध्यक्ष : यह तो मेरे समझने की बात है। आर्डर प्लीज।

अन-पार्लियामेण्टरी शब्द को ही निकाला है। कृपया बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अकर्मण्य सरकार कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज। सिंचाई मन्त्री जी।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 46-सिचाई
मांग संख्या 38-लघु सिचाई एवं भूमि संरक्षण

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सिचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि मांग संख्या 46 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 अरब 8 करोड़ 32 लाख 22 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 38 लघु सिचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22 करोड़ 74 लाख 51 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आंकड़ों को पढ़िये तो सही, आपने बजट में क्या दिया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं।

हिसाब का मामला है, आपके समझ में नहीं आयेगा। हिसाब का मामला है माननीय सदस्या।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक सिचाई

के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को क्रियान्विति की धीमी गति पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतं राम (श्री डूंगरगढ़) :

श्री रामदेव (मूंडवा) ;

2. चुरू जिले की सिचाई योजना को क्रियान्वित के लिए व नौगा लिफ्ट को जल्द पूरी करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :

3. नाउसर (जोधपुर) में लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने को आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) :

4. एन.जी ई. भाखरा की नहर का पानी इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में डाल कर नहरों में पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. भाखरा की नहरों को पक्का किया जावे ताकि भाखरा क्षेत्र में पानी की क्षमता बढ़ सके इस पर चर्चा के लिये।

6. सिंचाई कर समय पर अदा न किये जाने पर किसान को पानी की बारी काटे जाने पर चर्चा के लिए।

7. गंगा नहर चेनल के शीघ्र निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :

8. जजपुर के पास स्थित जमुवा रामगढ़ के बांध की ऊंचाई बढ़ाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली):

9. पांचना सिंचाई परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा धन के अपव्यय को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री राम सिंह (लूनी) :

10. राज्य की वे नदियां जो बड़े-बड़े गांवों व शहरों के पास से निकलती हैं उनका सर्वे करवाकर एनिकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमजान (पुष्कर) :

11. देवाता फीडर को पूरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

12. माही परियोजना बांसवाड़ा के अन्तर्गत छोटी नहरों व धोरों को पक्का नहीं करने से काश्तकारों के खेत खराब होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

13. बांसवाड़ा के माही परियोजना के डूब में आने वाले विस्थापितों को मुआवजा दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

14. जिला बांसवाड़ा को माही परियोजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों में

(श्री बहादुर सिंह)

भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

15. मांडल निर्वाचन क्षेत्र में देलास एनीकट की स्वीकृति के बावजूद भी कार्य चालू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. मांडल निर्वाचन क्षेत्र में बील्ड नाती डांग का बांध न बनाने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

17. मांडल निर्वाचन क्षेत्र में कोठारी नदी पर पामडिया एनिकट बनाकर नवलपुरे के तालाब को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. मांडल के वोड़ास की अधरी लिफ्ट सिंचाई योजना को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. मांडल निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

20. जयपुर जिले के सिंचाई के बांधों के रख-रखाव में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

21. जमवा रामगढ़ तहसील के पापडी पंचायत के साऊ गांव में सिंचाई के बांध के निर्माण को बीच में ही बन्द कर देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान में सिंचाई का मास्टर प्लान बनाये जाने के अभाव पर चर्चा के लिये।

23. राजस्थान को बरसाती नदियों के जल को बांध कर सिंचाई के उपयोग में लाने के अभाव पर चर्चा के लिये।

24. जयपुर जिले में सिंचाई की वृहद योजना के अभाव में कृषकों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

25. सिंचाई सम्बन्धित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की विभाग द्वारा की जा रही अवहेलना पर चर्चा के लिए।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

26. सरकार द्वारा मोतीलाल कमेटी की सिफारिशें लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 1 0 पी. सी. इन्टेनसिटी आफ वाटर कम करने से फूलों द्वारा काबिलेकाश्त रकबे में कमी आ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. राज्य सरकार द्वारा लिंक चैनल (गंग केनाल) के निर्माण में समुचित राशि न देने से आम काश्तकारों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

29. साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना एवम् सिधमुख नहर का कार्य ठप्प होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द (भादरा) :

30. भादरा तहसील में सिधमुख नहर का पानी सिंचाई हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) :

31. खैरथल विधानसभा क्षेत्र में ग्राम-खोल बास के बांध निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी) :

32. थानागाजी-ग्रामका बन्ध के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अश्कअली (फतेहपुर) :

33. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट इरिगेशन द्वारा नोहर-भादरा, जिला-श्री गंगानगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. रेगिस्तानी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सिंचाई प्रावधान रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) :

35. दातारामगढ़ क्षेत्र में सर्वेशुदा छोटे-छोटे बांधों की योजना की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयकिशन (दूदू) :

36. सिंचाई विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

37. बड़गांव जेततुरा नदियों के पानी को नहर के जरिये सांचौर क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. नर्मदा नदी घाटी योजना की शीघ्र क्रियान्विति कर जिला जालौर में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. लूणी नदी इनंनडेशन योजना के अन्तर्गत बांधे गये बांधों की मरम्मत के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

40. इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण शीघ्र करवाकर रेगिस्तान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण की अनावश्यक पुरानी योजना में परिवर्तन कर नहर एवं लिफ्ट सिंचाई की नई योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. जेतपुरा-बड़गांव नदियों के पानी को गुजरात में जाने से रोक कर राज्य में बांध निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल (हिण्डोली) :

43. बून्दी जिले में सिंचाई की अव्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री परसादी (लालसोट) :

44. मोरेल बाँध की भराव क्षमता को बढ़ाकर ग्राम काकरिया बगडी, महारिया, खुर्रा, किशोरपुरा क्षेत्र के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

45. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

46. जयपुर जिले की रतन गंगा नदी के पानी को रोक कर शीघ्र बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. जयपुर जिले में खारली नदी पर बाँध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. ढूंढ नदी पर स्वीकृत कानोता प्रोजेक्ट के लिये वर्ष 1984-85 में आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने एव बाँध निर्माण में अनावश्यक विलम्ब करने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

49. कोटा बैराज को 4 फुट ऊंचा न करने के कारण हजारों यूक्सेक्स पानी के व्यर्थ में बह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. सुल्तानपुर क्षेत्र के टेल एरियाज मदनपुरा, कोटड़ा दोपासिंह के एवरा वरलायता एवं कल्याणपुरा माईनर के निमोदा में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. कोटा-चम्बल नहरों के निर्माण कार्य के समय से जगह-जगह पड़ी मशीनरी को नीलाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. चम्बल विकास योजना को पुन: शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. कोटा चम्बल सिंचित क्षेत्र के जिन टेल एरियाज में पानी समय पर नहीं मिलता है वहां मरू क्षेत्र की भांति सुविधा मुहैया करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (केशोराय पाटन) :

54. केशवराय पाटन सिंचित क्षेत्र में पानी के भराव की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

55. केशवराय पाटन क्षेत्र को चम्बल एवं मेज नदियों से और अधिक सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. केशवराय पाटन तहसील के नहरी क्षेत्र के पानी के सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

57. जालोर जिले में जवाई नदी के तट को आहोरे सनवाड़ा गांव के निकट बाँध लिया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कुमारी गिरजा व्यास (उदयपुर) :

58. उदयपुर शहर की सिंचाई में काम आने वाली झीलों की भराव क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) :

59. जयसमन्द नहरों का आधुनीकीकरण कर सिंचाई सुविधा में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

60. गोगांव मसीत बांध में नदी का पानी पहुंचाने सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में साई कलां बाँध की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के खिदरपुर बाँध के मिट्टी भर जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

63. कालिया के बाँध की मोरियाँ समय से पूर्व खुल जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. खिदरपुर बाँध की टचिंग में विभाग द्वारा चिकनी मिट्टी की जगह बालू रेत भर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. तिजारा विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर निर्मित भसानी बैराज में राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

66. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के बन्धों पर गेस्ट हाउस के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कोटकासिम कस्बे के आस-पास साहबि नदी का पानी रोक कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम गोतोली का बाँध को ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कालियाची बाँध को ऊपर उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के झिवाणा बाँध की मोरी खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. हमीरा का बाँध का विस्तार तिजारा तक करवाने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में खिदरपुर, जमरोली व हमीरा का बाँध का कार्य पूर्ण न होने से पूर्व ही नहरों की खुदाई पर चर्चा के लिये।

73. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के जमरोली, हमीराका, सारे कलां बाँधो के निर्माण

(श्री जगमालसिंह यादव)

कार्यों को पूर्ण कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

74. झुंझुनू जिले में यमुना नदी का पानी सिंचाई के लिए लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

75. चम्बल क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा केचमेंट के नाम पर गलत कार्य करके किसानों के नाम लिख दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) :

76. लघु सिंचाई मद में एनीकट बनाने में न्यूनतम भू-एकड़ सिंचन की शर्तों के हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगर राम (टी. वी.) :

77. हनुमानगढ़-सूरतगढ़ वृत्त में पक्के खालों में अनियमितता, लापरवाही बरतने, सीमेंट चोरी एवं घटिया किस्म के निर्माण से खालों के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

78. इन्दिरा गांधी नहर को समय पर पूरा करने में राज्य सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

79. चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत बांधों के निर्माण को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

80. भरतपुर जिले के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान को लागू करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

81. भरतपुर फीडर तथा गुडगावां कैनाल के लिए निश्चित पानी का हिस्सा तय कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

82. सिंचाई साधनों में शेखावाटी क्षेत्र के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

83. शेखावाटी जनपद सीकर झुंझुनू जिलों के साथ सिंचाई में राज्य सरकार द्वारा बरती जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश (खानपुर) :

84. अधिशासी अभियन्ता, झालावाड़ द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से छापी बांध का कार्य अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. झालावाड़ जिले के भीम सागर बांध, हरिश्चन्द्र सागर बांध में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सामानों की चोरी पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिश)

86. भीम सागर बांध से किसानों को समय पर पानी नहीं छोड़ने से फसलें सूख जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. झालावाड़ जिले में छापी बांध के लिए बनाई जा रही सड़क किसानों के खेतों के मध्य से बनाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

88. कोटा जिले को पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिचाई योजना के लिए टेण्डर हो जाने के बाद भी वर्क्स आर्डर नहीं मिलने से योजना का कार्य प्रारम्भ न होने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

89. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर प्रस्तावित व्यय से ज्यादा व्यय होने पर चर्चा के लिये।

90. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. लूनकरणसर लिफ्ट परियोजना में समुचित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में यातायात की समुचित व्यवस्था करने के क्रम में चर्चा के लिये।

93. इन्दिरा गांधी नहर के आरावाली, कुमाखाली, डेरी, बहुवाला एवं शेरपुरा द्वितीय पर स्थित ईंटों के भट्टों में स्टाक पर शेष बताई गई टाइलों के गबन की जांच करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. इन्दिरा गांधी नहर कमाण्ड एरिया में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसको डिस्ट्रीब्यूटरी व माइनरों की टूट-फूट की मरम्मत कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. मुख्य नहर व उपशाखाओं के गलत स्तर (लेविल) को सही कर अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. अच्छी किस्म का कोयला व सीमेंट की कमी के कारण इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य धीमा पड़ने पर चर्चा के लिये।

98. इन्दिरा गांधी नहर में पानी की कमी को देखते हुए एवं एस्केप में पानी न छोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बांई ओर सिंचाई सम्भव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर. डी.

(श्री देवीसिंह भाटी)

800 से 1060 तथा बरसलपुर ब्रांच, चारणवाला ब्रांच, तथा इनकी वितरिकाओं व माईनरों पर सिंचाई हेतु मोघे (आउट लेट) शीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य में मिट्टी कोच का विभागीय स्पेसीफिकेशन अनुसार कम्पेक्शन नहीं करने से नहरों के अस्तित्व को उत्पन्न खतरों पर चर्चा के लिये।

102. इन्दिरा गांधी नहर को लूनकरणसर लिफ्ट नहर जगासर वितरिका में गत दो माह से पानी नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण के दौरान ग्रामवासियों के आवागमन हेतु रास्ते न छोड़े जाने व पुल निर्माण करने में देरी व लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

104. इन्दिरा गांधी नहर चारणवाला शाखा की फूलासर माईनर आर. डी. 20 से 22–1/2 के मिट्टी कार्य में एक्स. ई. एन. चाखवाला प्रथम द्वारा ठेकेदार को अनियमित रूप से फायदा देने से राज्य कोष के दुरुपयोग को रोकने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. इन्दिरा गांधी नहर की बरसलपुर शाखा की आर. डी. 142 से 145 पर ठेकेदार द्वारा मिट्टी के कार्य में दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 837 बरसलपुर शाखा छोलां वितरिका की आर. डी. 5 के निर्माण कार्य में विभाग के एक्स. इ. एन. की मिली भगत द्वारा गलत निर्माण कार्य करने से रोकने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

107. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 800, 807 से 811, 815 से 813, 837, 855 व 910 पर पानी के निरन्तर रिसाव से उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

108. जिला गंगानगर में अधिकारियों की लापरवाही से घग्घर चैनल टूटने व किसानों की फसलों के नुकसान से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

109. जिला गंगानगर में गत फरवरी में घग्घर चैनल टूटने से फसलों के नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

110. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर व शाखा व उपशाखाओं पर पानी की खेली घाट, पेड़ियां न होने से हजारों पशुओं जीवों की डूबकर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य निश्चित समय पर पूरा नहीं होने व धीमी गति से कार्य होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. जिला बीकानेर, तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा की रोही के चक नम्बर 3 व 4 के बन्धों की नहरों की

(श्री देवीसिंह भाटी)

मरम्मत कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा से पिलाप बन्धे को जाने वाली नहरों की मरम्मत न करने से कृषि उत्पादन में हुई क्षति पर चर्चा के लिये ।

114. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के बंधों की मरम्मत काफी समय से न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

115. बीकानेर तहसील कोलायत के पुराने बंधों व नहरों की मरम्मत कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के मगरा क्षेत्र में सिंचाई बंधे बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर. डी. 811, 815 से 818, 888 व आर. डी. 910 तथा कई अन्य स्थानों पर नहर से निरन्तर पानी के रिसाव (वाटर लोगिंग) से मुख्य नहर को खतरा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) :

118. इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर जिले तक बढ़ाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पन्नालाल (बागीडोरा) :

119. माही परियोजना में आनन्दपुरी क्षेत्र को लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) :

120. बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा (पाली) :

121. सवाई माधोपुर जिले के पांचना बांध में निर्धारित मिट्टी नहीं लगाये जाने की बात स्वीकार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) :

122. वर्तमान में टीड़ी नदी पर तालाब पर एक मीटर पाल न बढ़ाये जाने से नागरिकों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

123. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की बाघेरी सिंचाई योजना को सातवीं योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

124. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के नन्द समन्द बांध की नहरों का आधुनिकी-

(श्री सी. पी. जोशी)

करण कर योजना में स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की माण्डक योजना की इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में चीकलवास-सिचाई योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र को भैंसरोडगढ़ सिचाई योजना को वर्ष 1985–86 में स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. उदयपुर जिले की सभी तहसीलों में बी. सी. रेशों को 1 : 1 की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राज्य की सिंचाई योजनाओं के स्वीकृत मापदण्डों में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल (बागीडोरा) :

130. बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र में सिचाई हेतु मास्टर प्लान बनाकर सिंचाई के साधन जुटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

131. राज्य की सिचाई योजनाओं के निर्माण व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद (झालरा पाटन) :

133. झालावाड़ जिले में सिचाई क्षमता के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल (कोटपूतली) :

133. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अनुरक्षण पर हो रहे अपव्यय को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

134. कठूमर क्षेत्र के बांधों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

135. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वृहद सिचाई योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

136. गंगानहर की जीर्णशीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये।

137. सिचाई दरों में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर जिले में सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बनास नदी योजना को क्रियान्विति में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण कार्य में हो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140 सिंचाई विभाग के कर्मचारियों व संगठनों की वाजिब मांगे माने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. रामगढ़ बांध की पांच फुट ऊची दीवार बनाने से ग्रामीणों की भूमि कुए व निवास डूब में आ जाने की आशंका से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

142. राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्दिरा गांधी नहर में (लिफ्ट केनाल योजना) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. बहुदेशीय नदी परियोजनाओं की क्रियान्विति में हो रही देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

144. बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत जयपुर के पहाड़ों के पानी को एकत्रित कर सिंचाई के काम में उपयोग लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. अन्तराज्यीय जल योजनाओं में राजस्थान के हितों की सम्पूर्ण निगरानी बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. सिंचाई विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (हवा महल) :

147. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

148. भरतपुर जिले में सन् 1972, 1975, 1979 तथा उसके बाद के बाढ़ का आबियाना किसानों से जबरन गैर कानूनी रूप से वसूल करने पर चर्चा के लिये।

149. भरतपुर फीडर तथा गुडगांवा कैनाल से नियमित रूप से पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोरवा) :

150. पूगल ब्रांच से निकली दातनवाला वितरिका की टेल तक पानी देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

151. पूगल ब्रांच से निकली सियासर माइनर की टेल पर सिंचाई के लिये पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. पूगल ब्रांच में से निकली बल्लर वितरिका पर बनने वाले खाले सही नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. लो लेवल अनूपगढ़ शाखा ए. एस. में पानी नहीं छोडने से किसानों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

154. पूगल ब्रांच की आर. डी. 216 600 से निकलने वाली के. एल. डी. व डी.

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

डब्ल्यू. डी.के किसानों को सिचाई के लिए पानी देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

155. चक 13 के. जे. डी. व 14 ए और 14 बी. के. जे. डी. में खाले सिचाई के लिये सही नहीं बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (पूगल ब्रांच। की आर. डी. 151 पर सिचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. इन्दिरा गांधी नहर (मुख्य नहर) आर. डी. 650 सियासर के काश्तकारों को सिचाई हेतु पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

158. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में समय पर सिचाई के लिये खाले नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. इन्दिरा गांधी नहर आर. डी. 550 से 682 पर आज तक काश्तकारों को सिचाई के लिये पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

160. जयपुर जिले में अखेपुरा बांध की मोरी एवं नहर का निर्माण न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनप्रकाश (राजाखेड़ा) :

161. चम्बल नदी पर धौलपुर लिफ्ट योजना के निर्माण कराने में सरकार को अक्षमता पर चर्चा के लिये।

162. जमुना व गंगा नदी के जल में प्रदेश का हिस्सा लेने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

163. धौलपुर जिले में चम्बल नदी के जल से सिचाई कार्य हेतु कमांड ऐरिया बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :

164. रूपारेल नदी के अनियंत्रित जल के बहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. अलवर जिले की नदियों पर बांध बंधवा कर जल का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. मुडावर क्षेत्र में त्रिरटोली, बेरोज तथा सानौली के बांध का सर्वे हो जाने के बावजूद बांधने की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

167. हरसौरा बांध जिला अलवर में पानी रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नाई (सांचोर) :

168. नर्मदा नदी घाटी योजना के तहत नौगांव का गुजरात में बांधा जाने वाला बांध गुजरात-राजस्थान समझोते

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के अनुसार नहीं बांधे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

169. छापरवाड़ा बांध, कालख सागर, दोतरी बांध के नाम पर मस्टर रोल पर लगे श्रमिकों द्वारा सम्बन्धित बांध पर कार्य न करने पर भी भुगतान देने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) :

170. छबड़ा क्षेत्र में वृहद सिंचाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पार्वती नदी से छबड़ा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई की परियोजना शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

172. इन्दिरा गांधी नहर की लूणकरणसर लिफ्ट योजना के गलत लेवलिंग पर चर्चा के लिये।

173. इन्दिरा गांधी नहर को नोहर, साहवा नहर पर मशीनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

174. इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 1202 से 1254 में 30 लाख घटिया टाइपटाईल उपयोग में लेने पर चर्चा के लिये।

175. इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 1275 से 1340 आर. डी. तक मिट्टी का पूरा कम्पेकशन नहीं करने व भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए समय से पूर्व पानी छोड़ने की तैयारी को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

176. इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 1125 से 1195 आर. डी. के बेड में पीली व निम्न स्तर की टाईल उपयोग में लेने से नहर के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

177. इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में मिट्टी के कार्य को दुगनी से तिगुनी रेट अधिक देने पर चर्चा के लिये।

178. इन्दिरा गांधी नहर में देवा गांव को भट्टे के लिए मिट्टी का परिवहन का 1·25 लाख का ओवर पेमेन्ट करने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिए।

179. इन्दिरा गांधी नहर में सीमेन्ट ब्लॉक के लिए परिवहन में 20 से 50 प्रतिशत बी. एस. आर. से अधिक रेट देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. इन्दिरा गांधी नहर में सीमेन्ट ब्लॉक को 5 प्रतिशत से अधिक टूट-फूट कार्य में लेने की अनुमति देने से नहर के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे व अनियमितता की स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. गंग केनाल (गंगानगर) के पुराने चक 3 एल. सी. माईनर को ईंटें चोरी करने व पेड़ों की चोरी छिपे कटाई पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

Page No.124

(श्री देवीसिंह भाटी)

182. इन्दिरा गांधी नहर की बरसलपुर शाखा की सड़क के बर्म की कंकरीट पूरी नहीं करने डालने व जमावट नहीं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

183. इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 723, 739, 755 प्रथम व 755 आर. डी. के चारों ईंट भट्टों के सम्बन्ध में ठेकेदार को अधिक भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

1. भूमि संरक्षण के नाम पर हो रहे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

2. करौली क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों का तत्काल सर्वे कराये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

3. लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत टूटे हुए तालाबों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. कृषि भूमि पर बढ़ती हुयी बालू मिट्टी की रोकथाम हेतु चर्चा के लिए।

5. पुष्कर क्षेत्र में तालाबों की चद्दरों को ऊँचा लेने बाबत चर्चा के लिए।

6. लघु सिंचाई के नवीन स्रोतों का सर्वेक्षण एवं निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

7. जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का विकास न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यों में बरती जा रही ढिलाई व घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

9. जिला बांसवाड़ा का लघु सिंचाई योजनान्तर्गत तालाबों पर चल रहे कार्यों में व्याप्त भारी घोटालों के संबंध में चर्चा के लिए।

10. जिला बांसवाड़ा के ग्राम सांकड़ी नाल ऐनीकट कार्य के अधूरे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. जिला बांसवाड़ा के ग्राम छापरिया तालाब के लिए स्वीकृत धन राशि से अधिक राशि खर्च करने पर भी कार्य अधूरा रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुसार लघु सिंचाई कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

Page No.125

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

13. जमवारामगढ़ गांव से लेकर भानपुर-कला तक, जमवारामगढ़ से लेकर जयपुर तथा गलता के पीछे के पहाड़ों से हो रहे भूमि कटाव को रोकने में सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिए ।

14. वर्षा से हो रहे भूमि कटाव से पहाड़ों के नजदीक रहने वाले किसानों की भूमि को हो रही क्षति से, व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए ।

15. भूमि संरक्षण हेतु किये जा रहे व्यय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

16. भू-जल विभाग द्वारा नागौर जिले के काश्तकारों के पैसे जमाकर लेने के बाद भी नलकूप नहीं खोदने पर चर्चा के लिए ।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

17. लघु सिंचाई और भू-संरक्षण के कार्यों को आवश्यक महत्त्व न देकर बजट की राशि का विभागीय लापरवाही के कारण हो रहे अपव्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री अश्क अली (फतेहपुर) :

18. फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर क्षेत्र में लघु सिंचाई के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री राजेश (थानागाजी) :

19. थानागाजी में पिपलाई बान्दरोल मणोह में छोटे बन्ध के निर्माण के सम्बन्ध में ।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़) :

20. ग्राम गोवटी, डकिया, रेटा, नागल, नीमावास, सोमावती में लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिए ।

श्री जय किशन (दूदू) :

21. विधान सभा क्षेत्र दूदू के कालख बान्ध की ऊँचाई बढ़ाने पर चर्चा के लिए ।

22. विधान सभा क्षेत्र दूदू में छापरवाड़ा बान्ध की ऊँचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

23. भू-संरक्षण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

24. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के मोरीजा बांध के अतिरिक्त बरवाड़ा के पास बांडी नदी के उद्गम स्थान पर एक और बांध के निर्माण पर चर्चा के लिए ।

25. चौमूं क्षेत्र में मैढा नदी के कटाव से ग्राम हस्तोडा, भूतेडा, ढाढेसर आदि पंचायतों की भूमि के भू-संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (साचौर) :

26. जिला जालोर में लघु सिंचाई के स्रोतों के विकास के प्रति सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

27. ढ़ींगपुरा, नलदका, गुडहिया, रालीफा, केरिया प्रथम, ठिकरिया आदि टूटे हुए बांधों की मरम्मत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

28. तहसील सांचौर में भूमि के कटाव को रोकने में सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

29 जिला जालौर में खड़ीन खुदाई कार्य एवं मेड़ बन्दी कार्यों को पूर्ण करवाने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिए।

30. नैनोल सिंचाई बांध से बड़गांव जैतपुर नदियों से गुजरात में जा रहे पानी को रोकने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

31. चीतलवाला (रामपुर) सिंचाई बांध को शीघ्र पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश लाल (हिण्डोली) :

32. बून्दी जिले में सिंचाई साधनों का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरलाल सिंह (श्री माधोपुर) :

33. ग्राम गीदरवाला में खड़ीन व भू-संरक्षण के लिए सर्वे होने के बाद भी कार्य नहीं शुरू करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. ग्राम हरीपुरा तन झाडली ग्राम सुरानी तहसील श्री माधोपुर में बांध बनाकर कृषकों को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कमला भाई (सलूम्बर) :

35. जिला उदयपुर तहसील सलूम्बर के ग्राम मानपुर एवं जिधनी दोई तालाब के डूब में आई जमीन का मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसादी (लालसोट) :

36. लालसोट तहसील में विनोरी तालाब व दक्षिणी तालाब को मिलाकर जल-स्तर को बढ़ाकर सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) :

37. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम कुतीना एवं आनन्दपुर में बांध निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. ग्राम धीलोठ निमोर, सिलारपुर, कोलिला, माढन, आनन्दपुर, कुतीना एवं बेलनी में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम बनहड़, धीलोठ, खुदरोठ, कोलिला,

(श्री सुजानसिंह यादव)

मिलारघपुर, बेलनी, में एनीकटस् के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री भूदरमल (दौसा) :

40. गेटोलाव बान्ध की खुदाई करवाकर गहरा करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

41. दौसा निर्वाचन क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों का सर्वेक्षण करवाकर कृषकों को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

42. सीकरी में अन्डर ग्राउन्ड ट्यूबवैल नहीं लगाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए ।

श्री हरिकुमार औदिच्च (रामगंज-मण्डी) :

43. मन्दिर गढ़ (तहसील लाडपुरा) में पुराने तालाव को बांध कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

44. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के सहायक अभियन्ता, सिंचाई कार्यालय को जयपुर से हटाकर बस्सी में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

45. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के सिंचाई कनिष्ठ अभियन्ताओं का मुख्यालय जयपुर शहर के स्थान पर क्रमश: बस्सी एवं चाकसू में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

46. बांसखोह पहाड़ से मानसर खेडी बांध में पानी लाने के लिए वर्षों पूर्व बनी नहर की मरम्मत करवाकर कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

47. जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू की भू-संरक्षण कार्यों में विगत 5 वर्षों से सरकार द्वारा बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिए ।

48. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम वैनाडा में प्रस्तावित भू-संरक्षण कार्य नहीं करवाने से हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि बेकार हो जाने पर चर्चा के लिए ।

49. जयपुर जिले में सिंचाई के कुओं में पानी की कमी को दूर करने हेतु नदी व नालों का सर्वे करवाकर लघु सिंचाई योजना की क्षमता में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

50. कोटा स्थित बड़े तालाब में उगी कुमोदिनको को नष्ट करने में विभाग को असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

51. सरकार द्वारा सावन भादो प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त धनराशि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति से चर्चा के लिए ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

52. चम्बल एवं काली सिंध के बाढ़ से रिवाइन्स को राज्य सरकार द्वारा रोकने पर असमर्थता पर चर्चा के लिए।

53. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में बहनेवाले पीप्ल्या खाल एवं खायरा नामक खालों को बनवाकर कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. कोटड़ा दीपसिंह में बढ़ते रिवाइन्स को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

55. भू-संरक्षण के लिए सप्तम पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु राज्य सरकार की केन्द्र सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल (केशोराय पाटन) :

56. केशवराय पाटन तहसील में भू-संरक्षण के तहत खाल को समतल (लेवल) करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुलताना राम (जैसलमेर) :

57. जैसलमेर जिले के कम वार्ष गये खडिनों को बंधवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील में खडिन गुडी व एका बंधवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. जैसलमेर जिले में रेगिस्तान को कम करने के लिए पेड़ों को लगाने हेतु और अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

60. जालोर जिले में लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे करने एवं उन्हें स्वीकृत करने बाबत आवश्यक धन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

61. सांगानेर स्थित क्षतिग्रस्त गूलर बान्ध की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. सांगानेर तहसील में टहमीकलां अजमेर रोड़ पर प्राकृतिक जल स्रोत पर बांध बनाकर बहते व बेकार जाते पानी को उपयोग करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. सांगानेर तहसील में सिंचाई बान्ध व क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासीया) :

64. जिला उदयपुर तहसील झाडोल फलासिया में लघु सिंचाई स्रोतों का सर्वेक्षण करवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

65. पानी जिले में सिंचाई स्रोतों का सर्वेक्षण कराकर योजना को स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री श्रृंगार सिंह चौधरी)

66. पाली जिले में खारची देसुरी तहसीलों में लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे करवाकर उन्हें लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (सूरतगढ़):

67. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को लघु सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. झुन्झुनू जिले में लघु सिंचाई योजनायें बनाने के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद):

69. अजमेर तहसील के ग्रामों में एनीकट निर्माण में सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री थान सिंह (सलूम्बर):

70. तहसील सलूम्बर में अधूरे एनीकट का कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर);

70. (क) सिंचाई के साधनों का समुचित लाभ गरीब तबके के लोगों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा):

70. (ख) ग्राम मालीपटक्षट्ट, सिरोलीखुर्द, हुमीराका इन्दौर में भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. (ग) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना बन्द करने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये।

70. (घ) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम घोतोली में भूमि के कटाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

70. (ङ) तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में साबी नदी के कटाव से शिव मन्दिर एवं अन्य गांवों की कृषि भूमि को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

71. जयपुर जिले और पूर्वी राजस्थान के अन्य कई जिलों में लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण की योजनायें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम (टी. बी.)

72. टी.बी. एवं हनुमानगढ़ में बने नये ट्यूब वैल से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई):

73. लघु सिंचाई योजनाओं की अवेहलना कर राज्य में समुचित सिंचाई प्रबन्ध

(श्री यदुनाथ सिंह)

न कर पाने से सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

74. राज्य भू-संरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में सरकार के असक्षम रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल (बागीडोरा)

75. शेहर तालाब के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर लघु सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

76. शोभावती नदी पर लघु सिंचाई एवं भू-संक्षरण हेतु बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. सीकर तहसील के शिवे-ताखाद क्षेत्र के भूगर्भ जल से लघु सिंचाई कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश (खानपुर)

78. लघु सिंचाई के लिए दिये जा रहे ऋणों में किसानों से ली जा रही रिश्वत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. कोटा एवं झालावाड़ जिले में भू-संक्षरण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

80. बाड़मेर जिले में सुकड़ी नदी की बाढ़ से सिधासवा हरनियान के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बाड़मेर जिले के रूपजी गोदाराधाला, घुडजीवाला, छतरवालों वाला, उनाम, मनमोडा खडीनों का शीघ्र निर्माण कर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा (पाली)

82. लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निर्माण में शिथिलता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराडा)

83. तहसील सराडा के जावद में महादेवजी नाथा एवं अजबरा में बद्रीनाथ के तालाब के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. टीडी नदी पर एनीकट बनाकर क्षेत्र के निवासियों की सूखी भूमि पर सिंचाई कराई जाने पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सराडा एवं गिर्वा में भूमि का कटाव को रोकने हेतु भू-संरक्षण एवं जल-संरक्षण कार्यों को प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. उदयपुर जिले में भू-संरक्षण योजना की क्रियान्विति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूलाल मीणा)

87. सातवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना हेतु अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरचन्द (गंगरार)

88. विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के ग्राम आजवारिया, सोमी को मास्टर प्लान बनाकर लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

89. लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तार एवं अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता न देने तथा योजनाओं के सर्वेक्षण में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी)

90. बूंदी विधान सभा क्षेत्र की गरड़दा लघु सिंचाई योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देकर कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. बूंदी विधान सभा क्षेत्र की बडदू, डोरा लघु सिंचाई योजना को आरम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुक्तिलाल (कोटपूतली)

92. भूमिगत जल का सर्वेक्षण, कुओं, तालाबों के निर्माण, और गहरा कराने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

93. तहसील जमवा रामगढ़ के मूडला बांध की मरम्मत न कराए जाने से सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

94. भूमिगत जल का सर्वेक्षण कराकर लघु सिंचाई हेतु कुए गहरे किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं को गहरा कराये जाने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

96. लघु सिंचाई योजना का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने हेतु छोटी सिंचाई योजनाओं का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. भू-जल विभाग द्वारा जमवा रामगढ़ तहसील व जयपुर तहसील क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. जयपुर जिले के भानपुर कलां के बन्ध की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. तहसील जमवा रामगढ़ की रूपवास पंचायत के 1981 की बाढ़ में टूटे बंध घाटूपुरा, रामपुरा, रूपवास, राहोरी कांकड़, मुडता की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

101. नायला बन्धे की 1981 के बाद से आज तक मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की मरम्मत न किये जाने से जल भराव क्षमता के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

103. जयपुर जिले में भूमि के कटाव को रोकने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. तहसील जमवा रामगढ़ की पंचायत पापड़ के बन्धे के निर्माण में तथा साऊ के एनिकट बनाये जाने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

105. सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमिगत जल का सर्वेक्षण न कराये जाने के अभाव पर चर्चा के लिये।

107. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जमवा रामगढ़ के पहाड़ों के जल से हो रहे कृषि भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. जयपुर के जल महल की जल भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

109. जयपुर-जमवा रामगढ़ सड़क पर स्थित लाली ग्राम के पास लाली के नाले पर बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

110. भरतपुर जिले में सिंचाई हेतु सरकार द्वारा नलकूप नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

111. लघु सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

112. कुओं से लघु सिंचाई में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

113 जयपुर जिले की तहसील बस्सी में सिंचाई के कुओं में पानी का स्तर निरंतर घटने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

114. जयपुर जिले की तहसील बस्सी तथा दौसा की सिंचाई सुविधा से वंचित ग्रामों में ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनप्रकाश (राजाखेड़ा)

115. राजाखेड़ा क्षेत्र में शाहपुरा बांध, धारापुरा बांध का निर्माण कार्य नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

Page No.133

(श्री मोहन प्रकाश)

116. राजाखेड़ा क्षेत्र में चम्बल के बीहड़ों को समतल कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

117. राजाखेड़ा क्षेत्र में बांध बनाकर भू-संरक्षण कार्य कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर)

118. मुण्डावर क्षेत्र में भूमि कटाव को रोके जाने हेतु छोटे-छोटे बंध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. लघु सिंचाई कार्यों में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा)

120. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में अन्धेरी व रेतली नदी से लघु सिंचाई में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

121. पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में लघु सिंचाई बंधों के जरिए नालों का पानी रोककर सिंचाई में उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रणवीर व्यास (भीलवाड़ा)

122. सिंचाई तालावों का जीर्णोद्धार नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा)

123. छबड़ा क्षेत्र के ग्रामों में लघु सिंचाई के लिए नई योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

एक माननीय सदस्य : हर बार ओपनिंग बैट्समैन यही होते हैं।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : ऐसा ही मान लो आप। मांग संख्या 46 और मांग संख्या 38।

श्री अध्यक्ष : ओपनिंग बैट्समैन हमेशा एक ही होता है।

श्री सी. पी. जोशी : पिछले पांच वर्ष से राजस्थान नहर के बारे में विरोधी पक्ष के नेता और अन्य विरोधी दल के नेताओं के भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला है। और मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता है कि उनको भी ढाई वर्ष तक सत्ता में रहने का अवसर मिला और पिछले पांच वर्ष से चाहे राजस्थान कैनाल की रामसिंह आयोग की बात हो....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान कैनाल नहीं इन्दिरा गांधी नहर।

श्री सी. पी. जोशी : इन्दिरा गांधी नहर, राजस्थान कैनाल थी उस समय, उसके रामसिंह आयोग की रिपोर्ट की बात हो, चाहे आज उसके चेयरमैन के

(श्री सी. पी. जोशी)

भ्रष्टाचार की बात हो या और किसी विभाग के अन्दर कार्यरत एस. ई., एक्स. ई. एन. और ए. ई. एन. की बात हो पिछले 35 वर्ष से हमने यह देखा है कि इर्रीगेशन और पावर के अन्दर राजस्थान के अन्दर हमने लगभग 2,057 करोड़ रुपये खर्च किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना को हम देखें, तो छठी पंचवर्षीय योजना हमारी करीब 2,025 करोड़ की थी। छठी पंचवर्षीय योजना की जितनी राशि थी उतनी राशि केवल मात्र हमने इर्रीगेशन और पावर के अन्दर खर्च की। 2,057 करोड़ रुपये जो हमने खर्च किये, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एक बात हमने देखी है। पिछले 35 साल से हमने एक बात देखी कि यहां पर एस. ई. जो काम करने वाला है वह भ्रष्टाचार करता है। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बराबर आरोप लगाते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वह ठीक ढंग का काम नहीं है। 2,057 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के बाद यदि राजस्थाद में जितना हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते थे उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं कर पाये तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें गम्भीरता

(मं वं. 3-02)
(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस बात को सोचना पड़ेगा कि यह जो हमारा एमाउण्ट है यह डे टू डे इन्क्रीज होता जायेगा। यह इन्क्रीज होने के बाद नया आउट-लेट है वह राजस्थान को कितना मिल पायेगा उस दृष्टि से मैं सदन के सभी साथियों से चाहूंगा कि अपने विचार रखें उसमें एक बात को गम्भीरता से लें कि यह जो एस. ई., एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. हैं यह कोई आज की देन नहीं हैं। ढाई साल के जनता पार्टी के शासन काल में इनमें से कुछ एस. ई. थे कुछ इनमें से चीफ इन्जीनियर थे कुछ इनमें से एडीशनल चीफ इन्जीनियर थे लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आयी, जो मैंने देखी भी है और सुनी भी है इस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर जिस आदमी ने जे. ई. एन. की पोस्ट जोइन की, उसने ए. ई. एन. बनने तक, जिसने ए. ई. एन. की पोस्ट जोइन की उसने एक्स. ई. एन. बनने तक और जो एक्स. ई. एन. एस. ई. तक बनता है, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया की है, इस राजस्थान से गरीबी मिटी या नहीं मिटी हो, सड़क पक्की बनी हो या नहीं बनी हो, अस्पताल खुला हो या नहीं खुला हो लेकिन विभाग के सब अधिकारियों के मकान पक्के जरूर बन गये। उस दृष्टि से यदि हम एचीवमैन्ट देखें तो पिछले 35 वर्ष में इस विभाग ने बहुत बड़ी उन्नति की है उसके लिए तो मैं जितना कहूं उतना कम है। लेकिन यदि हम आधार मानें, उपाध्यक्ष महोदय, तो इससे राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो पायेगा। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस इर्रीगेशन के मसले को दूसरे ढंग से सोचें। मैं एक नयी थ्योरी जो आपके सामने रखना चाहता हूं। इर्रीगेशन का मसला हमने पिछले 35 साल में जो हमारी नदियां थीं, नदियों के किनारे पर बसने वाले जो काश्तकार हैं, जिनमें ट्रेडिशनल सोर्स कुए थे और जिनके आधार पर खेती करते थे ऐसे लाखों आदमियों को खेती से उजाड़ा है और हमने बड़े बांध बनाकर एक नयी क्लास डवलप की है। बड़े-बड़े बांध बनाये हैं हमने और बड़ी-बड़ी नहरें बनायी हैं उसका एक ही फायदा हुआ है राजस्थान में 35 साल

(श्री सी. पी जोशी)

पहले, पहली विधान सभा में जहां कल्याण सिंह जी कालवी साहब जैसे साफा पहनते हैं ऐसे 144 में से 100-125 आदमी इस विधान सभा के सदस्य थे लेकिन 35 साल बाद जब से हमने बड़े-बड़े बांध बनाये हैं, कैनाल बनायी हैं तब से एक-दो ही मुश्किल से साफे वाले आदमी नजर आते हैं, यह हमने एक नयी क्लास डवलप की है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सोशल कन्फिल्ट है इस इर्रीगेशन के आधार पर उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम विधान सभा में खड़े हो करके यह बात कहें कि राजस्थान कैनाल के इंजीनियर ने भ्रष्टाचार किया है। सवाल इस बात का है कि एस. ई. ने भ्रष्टाचार किया है यह तो 35 साल से सुनते-सुनते हमारे कान पक्के हो गये। इससे राजस्थान की उस इर्रीगेशन का सुधार नहीं हो पायेगा, इर्रीगेशन का सुधार करना है तो हमारी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा और आमूल-चूल परिवर्तन इस आधार पर करना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान में क्या हुआ, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं आप कभी जाइये पंजाब के अन्दर, जिस पंजाब में आजादी के पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी हमने 35 साल में इनपुट दिया है वहां पर इर्रीगेशन डवलप करने का, आज जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसके अन्दर भिण्डरवाला पैदा हुआ जिससे आज हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ी हुई है। उसे गुरदासपुर के अन्दर हमने इतनी इर्रीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है वहां 3-3 इर्रीगेशन होती है एक आदमी की जमीन पर, पानी का पक्का एश्योरेन्स उसकी खेती को····

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : आपने क्या किया है।

श्री सी. पी. जोशी : आपने क्या किया है सी. पी. एम. वालों ने। आप तो अकेले एक आदमी जीतकर आये हो 35 साल में। तो कुछ भी नहीं किया आपने।

श्री शोपत सिंह : आप करो तो राजस्थान में करो। पंजाब में आपने यह किया कि आपने भिण्डरा वाला पैदा किया। आपने पंजाब में किया × × × कि भिण्डरा वाला पैदा किया × × × यह किया !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी शक्ति का व्यय नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : राजस्थान में शोपत सिंह जो पैदा किया है गंगानगर में।

श्री सी. पी जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़कर आये है। इनको शायद मालूम नहीं है कार्ल मार्क्स ने यह कल्पना नहीं की थी कि कम्युनिस्ट गंगानगर में पैदा होगा। कम्युनिस्ट तो पैदा होना चाहिए था बांसवाड़ा के अन्दर।

श्री शोपत सिंह : होना चाहिए था बांसवाड़ा में मगर हो गया इधर। दिस इज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.136

(श्री शोपत सिंह)

दि वेंड लक। होना तो चाहिए था उदयपुर डिवीजन में हो गया गंगानगर में, यह मेरे लिए खुशी की बात है। होना चाहिए था यहां पैदा तो हो गया वहाँ यह मेरे वस की बात नहीं है यह बात बदनसीबी × × × है।

श्रीमती हमीदा बेगम (नूह) : माननीय सदस्य, कृपया आसन से मुखातिब होकर बात कहें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू) : लोगों ने पागल बनावो।

श्री शोपत सिंह : लोगों ने पागल थे बनावो। × × × करना आसान है कम्युनिस्ट बनना मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य : आप कम्युनिस्ट कहां के हो आप तो लेण्ड लोर्ड हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी, आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था शायद शोपत सिंह जी आपको बात मेरी समझ में नहीं आ पाये। हमने पिछले 35 साल में जो इरींगेशन का मैनेजमेन्ट किया है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमने इरींगेशन का मैनेजमेन्ट चाहे राजस्थान का हुआ है या अदरस्टेट में क्या हुआ है। आज पंजाब के अन्दर हमने पिछले 35 साल के अन्दर जितना इनपुट इरींगेशन दिया है उस इनपुट के कारण वहां इन्फ्लुएंस बढ़ा है और इन्फ्लुएंस के कारण आज वहां क्या स्थिति पैदा हुई है वहां का नोजवान बच्चा, जहां जमीन के ऊपर तीन इरींगेशन मिलते हैं साल में, जिसके अन्दर पर कैपिटा इनकम दो-चार पांच लाख हो, वहां बच्चा निश्चित तौर पर पढ़ेगा नहीं, वह आदमी वह काम करेगा जो भिण्डरावाला ने करवाया है। आज हमने पिछले 35 साल के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है गंगानगर के अन्दर जहां से हमारे शोपत सिंह जी आये हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस राजस्थान कैनाल को बनाने के अन्दर मेवाड़ के रहने वाले आदमी का टैक्स नहीं है, हमने पैसा दिया है राजस्थान की गवर्नमेन्ट के अन्दर लेकिन हमारे यहां पर इरींगेशन की फेसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई, है, हमने इरींगेशन की फेसिलिटी पैदा की है गंगानगर के अन्दर, कोटा के अन्दर। और उसका नतीजा क्या हुआ, आज गंगानगर के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चौथाई आदमी जो राजस्थान का रहने वाला नहीं है उसने आकर गंगानगर में जमीन कब्जे में करली है। इससे हम क्या डवलपमेंट करना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : हिन्दुस्तान रहने का वाला है वह, राजस्थान का रहने वाला नहीं है हिन्दुस्तान का रहने वाला है तो राजस्थान कोई अलग है।

श्री दामोदरदास आचार्य (नागौर) : सुनने की क्षमता नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो····

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.137

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी, बीच-बीच में इन्टरप्शन नहीं करें कृपया।

श्री शोपत सिंह : सुनने की क्षमता है, मगर ये बात ऐसी कह रहे हैं कि जैसे राजस्थान अलग है, हिन्दुस्तान अलग है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलती इनकी उम्र की है मेरी गलती नहीं है। 60 साल का आदमी सोच सकता नहीं है मेरी उम्र सोचने की है। इर्रीगेशन वाटर टैक्नोलोजी को डवलप करने लिए के हमको अपना कन्सैप्ट बदलना पड़ेगा। मैं आपके सामने इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मैंने उदाहरण दिया पंजाब का, मैंने उदाहरण दिया गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का, मैंने उदाहरण दिया गंगानगर का, मैंने उदाहरण दिया कोटा का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 35 साल के अन्दर यह रीजनल इम्बैलेंस हुआ है और इसका पहला कारण यह है कि वाटर मैनेजमैन्ट की जो हमारी टैक्नोलोजी है वह आउट आफ डेट हो गयी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितना वाटर एवेलेबल है उस वाटर का इम्पलेशन करने लिए हमने जिस तरह से गंगानगर के अन्दर भी इनपुट दिया है, जिस तरह से हमने पंजाब के अन्दर इनपुट दिया है, यदि इसी आधार पर आगे आने वाले 35 साल में वाटर का हम मैनेजमैन्ट करना चाहेंगे तो यह मैनेजमैन्ट ठीक ढंग का नहीं होगा। रीजनल इम्बैलेंसेज पैदा होंगे, दूसरे कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम नये प्रोजेक्ट बनायें, नये प्रोजेक्ट बनाने के साथ-साथ हमको अपना कन्सैप्ट बदलना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में हमने 21.25 लाख हैक्टर जमीन में इर्रीगेशन का पोटेंशियल पैदा किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका पूरा डेटा यहां अवेलेबल नहीं है। कितनी जमीन ऐसी है जिसके अन्दर हम 'ए' क्लास का पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं, कितनी जमीन ऐसी है जो 'बी' कैटेगरी के अन्दर आती है और उसके अन्दर कितना पानी उपलब्ध है। यह जानकारी आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आज भरतपुर में जमीन अवेलेबल है उसका पोटेंशिल है लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा इस बात को कि राजस्थान में जितनी जमीन अवेलेबल है उसको हम ए. बी. सी. कैटेगरी में रखें और फिर इर्रीगेशन का जो मैनेजमेंट है उसको उसी तरीके से करें। बड़े-बड़े बांध वहां पर बनाएं जहां पर फर्टाइल जमीन है। उस पर अगर हम पानी की व्यवस्था कर पायेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारी स्टेट का जो प्रोडक्ट है वह बढ़ेगा। हमने यह काम नहीं किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हमने तो केवल मात्र यह काम किया कि बड़ी-बड़ी रीवर्स पर जो हमने बड़े-बड़े बांध बनाए उस पर हमने एक ऐसी सोसाइटी को डिप्राइव किया है जिनके पास जहां पर एश्योर्ड इर्रीगेशन का माध्यम था और आजादी के बाद हमने डिमाण्ड के आधार पर एक नया कास्तकार पैदा किया है, उस कास्तकार को मार कर। जिसके पास एश्योर्ड इर्रीगेशन था, जिसके पास कुछ कुए थे, जिसकी एश्योर्ड खेती थी, वहां पर कुए सूख गए। वहां के पानी का लेवल नीचे चला गया है। उसको खत्म करके नई क्लास डवलप कर दी है

(श्री सी. पी. जोशी)

हमने । राजस्थान केनाल को आप डवलप कर रहे हैं। राजस्थान में डेजर्ट डवलप करने के लिए, उसको डवलप करने के लिए हमने क्या किया है । जितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, पंजाब से हम पानी ला रहे हैं, उस पानी को लाकर हम क्या कर रहे हैं । अब यह तो माननीय मंत्री साहब बतायेंगे कि इन्दिरा गांधी केनाल को डवलप करके उसके लेफ्ट साइड में पानी एबजोर्व करना चाहते हैं या राइट साइड में एबजोर्व करना चाहते हैं । लेकिन पिछले 35 साल से जिस योजना की कास्ट थी 55 करोड़ रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उसकी कास्ट क्या है ? राजस्थान का इन्कम टैक्स पेयर अपना सारा पैसा खर्च करता रहा है और अपने तेइस सौ करोड़ में से थ्री फोर्थ रकम हम केवल मात्र राजस्थान कैनाल को पूरा करने में लगा दें और माइनर इर्रीगेशन के लिए बजट में रखा है केवल मात्र, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छः करोड़ रुपया । छः करोड़ रुपये के अन्दर राजस्थान के बाकी सब जिले जहां पर काश्तकार को पानी की आवश्यकता हो, जहां पर खेती करने की लोगों में भूख हो, जहां पर कुओं का वाटर लेवल नीचे चला जाय, उनके लिए हमने व्यवस्था की है छः करोड़ रुपयों की, बाकी सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं बड़े-बड़े डेम्स पर । मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाटर टेक्नोलोजी हमें बदलनी पड़ेगी । यहां जितनी टेक्नोलोजी और नो हाऊ हमारे पास अवेलेबल है वह आउट आफ डेट हो चुकी है । यह वैस्टर्न कण्ट्रीज में ठीक लागू हो सकेगी लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफिकल कण्डीशन हम देखें तो मेवाड़ में जहां कि पहाड़ी इलाका है वहां पर पर कैपिटा लैंड होल्डिंग लोगों के पास कम है वहां पर बड़े बांध की आवश्यकता नहीं है । वहां पर एनीकट की आवश्यकता है । एनीकट बनेंगे तो वाटर लेवल हाई होगा । तो लोग बाग अपने कुओं से खेती कर पायेंगे । लेकिन हम यह काम नहीं करते । केवल छः करोड़ रुपयों का प्रोवीजन रखा है लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्दिरा गांधी केनाल के अन्दर और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब भाषण देंगे तब कहेंगे कि 56 किलोमीटर नहर की बनी हुई है वह गलत बन गई । 56 किलोमीटर की जो हमारी बेस है वह गलत नहर बन गई । उस पर जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका रिजल्ट लोगों को नहीं मिलेगा । लेकिन राजस्थान के अन्य भागों को केवल मात्र छः करोड़ रुपयों का टोकन मात्र देकर हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का इर्रीगेशन डवलप हो तो यहां इस तरह से इर्रीगेशन डवलप नहीं हो पाएगा । और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का जो पहला सूत्र था, उसका कंसेप्ट यह था कि ऐसी जमीन को जो असिंचित जमीन है उसको सिंचित में लाने के लिए इन्वेस्टमेंट करें । लेकिन हमने पिछले पांच सालों में, छठी पंचवर्षीय योजना में केवल मात्र हमारे जो इनकम्पलीट हैं प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने के अन्दर अपना इर्रीगेशन पोटेंशियल बढ़ाया है । यह बीस सूत्री कार्यक्रम की मंशा नहीं थी ।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं आवश्यकता इस बात की है कि आज राजस्थान में पानी की कमी है, चाहे पीने के पानी की आवश्यकता हो, उस पानी का उपयोग पीने के पानी के लिए करें, उस पानी का उपयोग हमें

(श्री सी. पी. जोशी)

इण्डस्ट्रियल डवलमेंट के लिए लेना है, उस पानी का उपयोग हमें अपनी खेती के लिए लेना है। जहां पानी कम हो वहां पर वाटर टेक्नोलोजी अगर हमने नहीं बदली तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने बड़े प्रोजेक्ट हम बनायेंगे, जितना इर्रीगेशन के पम्प चलेंगे उतना लोअर लेवल पर लीकेज ज्यादा होगा। आज हालत क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक ए. ई एन, एस. ई. जो आज एडीशनल चीफ इंजीनियर बन गया इन्दिरा गांधी केनाल के अन्दर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह कोटा के अन्दर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था, आज एडीशनल चीफ इंजीनियर बन गया इन्दिरा गांधी केनाल के अन्दर, उनकी कोटा के अन्दर बहुत बड़ी एफिशियेंसी थी, आज इन्दिरा गांधी केनाल के अन्दर बहुत बडी एफीशियेंसी है। इससे राजस्थान का भला नहीं होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में पांच डी जे. और एस. ई. की आवश्यकता नहीं है। इस राजस्थान में आज अगर आवश्यकता है तो सिर्फ इन नियमों को बदलने की आवश्यकता है। पहला नियम इर्रीगेशन में और पी. डब्ल्यू. डी. में काम करने वाले इंजीनियरों की नौकरी इन-सिक्योर होनी चाहिए। जिस पर करप्शन के चार्जेज प्रूव होंगे उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जायगा। उसकी अपील नहीं होगी। जो प्रोजेक्ट हमने लिया है उस प्रोजेक्ट के अन्दर जब तक वह प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं होगा तब तक ए. ई. एन, एक्स-ई-एन. का ट्रांसफर नहीं किया जावे। यदि टाइम बाउण्ड प्रोग्राम में काम पूरा नहीं किया हो तो ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर, एक्स. ई. एन. पर एक्शन लिया जावे। लेकिन हम करते क्या हैं। हम भी पी. ए. सी. के मेम्बर हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम करते क्या हैं? सन् 1955 के अन्दर एक ए. ई. एन. का काम किया है या एक्स. ई. एन. का काम किया है और जब वह एडीशनल चीफ इंजीनियर बन जाता है तब लिखा आता है कि आपने सन् 1955 में जब आप ए. ई. एन. थे तब आपने यह कार्यवाही की इसलिए आपको फरदर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सन् 1955 में काम किया असिस्टेंट इंजीनियर का, 1985 में उसका पनिशमेंट देंगे। जब तक हम वह एक्शन लेंगे तब तक वह एस. ई. रहेगा। इससे राजस्थान का, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का भला नहीं हो सकेगा।

राजस्थान के रिसोर्सेज कम हैं। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब इस बात को जानते हैं कि रिसोर्सेज कम हैं उस रिसोर्सेज में नेशनल इर्रीगेशन का जो पोटेंशल है उसको डवलप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस बात की है कि हम इर्रीगेशन के अन्दर जितना हमारा एलोकेशन आफ फण्ड है उसका टोटल यूटिलाइजेशन हो। मुझे कहना नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आज हालत क्या है? आज एक रुपया देते हैं इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर, उसका केवल मात्र 25 पैसा लगता है। मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात के लिए लेकिन मैं चाहूंगा कि करेक्ट करें इस बात को कि अगर एक लाख रुपया किसी प्रोजेक्ट में दिया है, छोटे माइनर इर्रीगेशन में तो उस एक लाख में से

(श्री सी. पी. जोशी)

तीस हजार का उपयोग होता है । 70 हजार की व्यवस्था क्या होती है इससे आप और हम स्वयं परिचित हैं। मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के अन्दर ऐसे पुराने व्यक्ति भी हैं, माननीय भैरोंसिह जी शेखावत जैसे, नाथूरामजी मिर्धा जैसे, हरिदेवजी जोशी जैसे, ये एक ग्रुप बनालें । ये आइडेंटीफाई करें कि कौनसा आदमी ईमानदार है कौन सा ए. ई. एन. ईमानदार है, कौनसा एक्स. ई. एन. ईमानदार है, कौन सा एस. ई. ईमानदार है, उसकी प्रोजेक्ट के अन्दर नौकरी लगावें, तब यह प्रोजेक्ट कम्पलीट होगा। टाइम बाउण्ड कम्पलीट होगा । यदि वह एस. ई. ठीक ढंग से काम नहीं करें तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जावे । उसको नौकरी से बाहर निकाला जावे । लेकिन हम यह काम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट के अन्दर एस. ई. किस को बनायेंगे जो एडीशनल चीफ इंजीनियर बनने को आएगा तब माननीय भैरोंसिहजी साहब खड़े होकर कहेंगे कि वह एडीशनल चीफ इंजीनियर राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है। अभी तक वह पच्चीस साल से नौकरी पर था। वह ए. ई. एन. था, एक्स. ई. एन. था, एस. ई. था तब तक तो उसका भ्रष्टाचार नजर नहीं आया लेकिन आज जब एडीशनल चीफ इंजीनियर बन गया, वह चीफ इंजीनियर बन गया तब हमें सडनली मालूम पड़ गया कि वह इन्कोम्पीटेट है, उससे राजस्थान का भला नहीं होगा।

मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर जोब इन-सिक्योर नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट के अन्दर जो कोम्पीटेंट आदमी है उनका पूल बना लें, आइडेंटीफाई कर लें और जब तक प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं हो तब तक उनका वहां से और जगह पोस्टिंग नहीं किया जावे । उसके आधार पर, मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर छः एडीशनल चीफ इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है, आप उनको राजस्थान में छः चीफ इंजीनियर कर दीजिए इर्रीगेशन के तो भी नुकसान नहीं होगा। तनख्वाह लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन कम से कम पचास करोड़ में से बीस करोड़ का लीकेज तो बचेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में छः एडीशनल चीफ इंजीनियर इन्दिरा गांधी केनाल में काम करते हैं लेकिन यदि आपने छः चीफ इंजीनियर की व्यवस्था की ऐसे आदमी की जिसने टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के अनुसार प्रोजेक्ट को कम्पलीट किया है, जिसकी कोम्पीटेंस है, ऐसे आदमी को आउट आफ टर्न प्रमोशन दें। वह आदमी मन लगा करके काम करेगा। उसके रिजल्ट आयेंगे। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हम देखें कि जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उसका यदि हमको उपयोग करना है तो हमको अपना मानस बदला पड़ेगा। मैं जानता हूं कि यह कठिन काम है। यह कठिन इसलिये है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवीजन रखा है कि जोब इन-सिक्योर नहीं किया जा सकता है। जोब-इनसिक्योर नहीं किया जा

(सी. पी. जोशी)

सकता इसलिए जो ए. ई. एन. एक बार नौकरी में आ गया, जो जे. ई. एन. एक बार नौकरी में आ गया, उसने कम से कम एक बात जरूर की है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी राजस्थान से हटी हो या नहीं हटी हो, लेकिन जिसके घर में कोई जे. ई. एन., ए.ई.एन. या एक्स.ई.एन. बन गया है उसकी परिवार में इज्जत यह होती है कि उसने कोई काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में हमको सोचना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप स्वयं इस बात को देखेंगे कि यह सारा जो एक्सप्लेनेशन का क्लाज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोजेक्ट को हम एण्टीसिपेट करें, इन्दिरा गांधी कैनाल का एण्टीसिपेट किया हमने 54 करोड़ रुपयों का, आज कास्ट क्या हो गई। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इंटरेस्ट में इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें। माननीय मन्त्री महोदय आप में साहस हो तो निर्णय लें इस बात का कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हम ठेकेदारों से पूरा नहीं करायेंगे। आज हालत क्या हो रही है? ठेकेदार टेंडर देते हैं, 12 परसेंट नीचे, 14 परसेंट नीचे। नीचे क्यों हो रहे हैं। इसलिये कि एक काम के लिये चार सौ बोरी सीमेंट दी। वह सीमेंट जो आपकी है उसके लिये वह ठेकेदार 16 परसेंट से बीस परसेन्ट तक बिलो ओफर क्यों देता है। वह काम क्या कर रहा है? उस टेन्डर की कीमत वह उस सीमेंट पर देता है और वह सीमेंट रिप्लेस कर रहा है। सीमेंट से सारा प्रोफिट हो रहा है ठेकेदार को। आपकी खानापूर्ति पूरी हो रही है। सीमेंट का सीमेंट जा रहा है और वह प्रोफिट कमा रहा है। जब तक यह ठेकेदारी प्रथा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। खास तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको टाइमली पूरा करना है और एफिशियेंटली पूरा करना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे ए. ई. एन. कोम्पीटेंट हों। आज हमारे ए. ई. एन. इनकोम्पीटेंट हैं, हमारे एक्स. ई. एन. इनकोम्पीटेंट हैं। हमारे चीफ इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को देखने नहीं जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल में राजस्थान का चीफ इंजीनियर कितने प्रोजेक्ट देखने गया, बतायें। मुझे याद है, सन् 81 से लेकर अभी तक इर्रीगेशन मिनिस्टर एक भी प्रोजेक्ट देखने के लिये एक बार भी गये हों तो बहुत बड़ी बात है। आप प्रोजेक्ट को देखना नहीं चाहें आप सुपरविजन करना नहीं चाहें और आप चाहते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूव हो तो मैं समझता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्भव नहीं है। आज बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देने की आवश्यकता नहीं है। आपके इर्रीगेशन के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन्दिरा गांधी कैनाल को प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिये। टाइम बाउण्ड पूरा होगा तो उसके नेट रिजल्ट आयेंगे, उससे फायदा होगा। हम इन्दिरा गांधी केनाल को प्राइवेट सेक्टर में देना नहीं चाहते। हम तो बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। यदि

(श्री सी पी. जोशी)

हम चाहते हैं कि राजस्थान केनाल पूरी हो तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इन्दिरा गांधी केनाल को प्राइवेट सेक्टर में दे दें। फिर देखिये, काम पूरा होता है या नहीं होता है। और हिन्दुस्तान तो इस बात का साक्षी है कि चाहे टाटा बिजली पैदा कर रहा हो, चाहे बिड़ला कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा हो, जो भी बड़े काम प्राइवेट सेक्टर में हुए एफिशियेंटली हुए, टाइम बाउण्ड हुए, सक्सेसफुल हुये। हम चाहते हैं कि बिजली प्राइवेट सेक्टर में हो। 35 साल के बाद भी हम कहेंगे कि इन्दिरा गांधी केनाल प्राइवेट सेक्टर में हो तो इससे राजस्थान का भला होगा। इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम हिम्मत करके निर्णय लें। बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लेकर जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं इन्होंने उनकी ठेकेदारी प्रथा समाप्त की है। इस राजस्थान के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर पार्टी इस बात को जानती है कि एक सर्किल, एक क्षेत्र बना हुआ है पोलिटिशियन, कान्ट्रेक्टर, ए. ई. एन और एक्स. ई. एन. ये तीनों चीजें जुड़ी हैं जो राजस्थान को आगे नहीं बढ़ने देंगी। मैं चाहूंगा कि माननीय शक्तावत साहब, माननीय हरिदेव जी जोशी. आप हिम्मत करके इस सर्किल को तोड़ें जब तक यह नहीं तुड़ेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है इसलिए हिम्मत करने की आवश्यकता है इस बात की। काफी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठेकेदार इसका फायदा उठाते हैं। और कम से कम एक बात जरूर करें पालिटिकली मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने चाहे शोपत सिंह जी को गुस्सा आ गया हो लेकिन पंजाब में जो स्थिति बनी है वैसी की वैसी स्थिति राजस्थान के अन्दर बनेगी। कोटा के अन्दर कई आदमी राजस्थान के बाहर के आ गये, जमीन पर कब्जा कर लिया, गंगानगर के अन्दर कई आदमी बाहर से आ गये, आज जमीन पर कब्जा कर लिया. माही के अन्दर कई आदमी आ गये। आज जो आपने कान्ट्रेक्टर प्रथा की है, गुजरात के आदमी आने लग गये आपके नाम से जमीन कोई ले. उसको खरीद कर लोग बाग कब्जा करके बैठ जायें। आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। इस पोटेन्शियल का फायदा राजस्थान के आदमी को नहीं मिलेगा, पर कैपिटा राजस्थान की हैसियत बढ़ेगी ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में गम्भीरता से हम सोचें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति और इस बात की है। यह क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी कन्ट्रोल आज जो हमने सजा का माध्यम बना रखा है, एक एक्स. ई. एन. का क्वालिटी कन्ट्रोल, यह एक क्वालिटी कन्ट्रोल और पुलिस का एन्टीकरेप्शन डिपार्टमेंट दोनों एक ही चीज है। एन्टीकरेप्शन डिपार्टमेन्ट पुलिस और क्वालिटी कन्ट्रोल का पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेन्ट या पी. डब्ल्यू. डी. उनकी दोनों की एक तरह की नेचर है। जो काम कहीं नहीं हो सकता, कहीं चाहे पोस्टिंग नहीं हो सकती हो तो कहेंगे पोस्टिंग कर दो, क्वालिटी कन्ट्रोल में कोई काम दे दीजिये इनको यह। आवश्यकता इस बात की है कि इन्टीग्रेटिक आदमी हो, कॉम्पीटेन्ट आदमी है। ऐसे आदमी को हम

(श्री सी. पी. जोशी)

क्वालिटी कन्ट्रोल के अन्दर रखें। वे बतायें इस बात को कि जो मसाला उपयोग में ले रहे हैं, जो सीमेन्ट उपयोग में ले रहे हैं, जो आयरन उपयोग में ले रहे हैं, वह स्टेण्डर्ड क्वालिटी का है या नहीं, आप समझ गये होंगे माननीय मंत्री महोदय, यह चीज आप नोट करें। हाइपर जो प्रोजेक्ट हैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय शायद आपको भी मालूम होगा, माही के अन्दर एक कान्ट्रैक्टर ने कान्टेक्ट किया, काम स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने बैंक के अन्दर सिक्योरिटी दी। ट्रैक्टर आया, ट्रक आया डम्पर आया, काम नहीं किया और चला गया। ट्रक ले गया, डम्पर ले गया और सरकार को कम्पन्सेट करना पड़ा, काम हुआ नहीं। यह आपका नियम है, कानून में व्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था कैसे पैदा हो गयी। आप एक नये कान्ट्रैक्टर को एडवान्स भी देते हैं, एडवान्स देने के बाद बैंक की गारन्टी भी देते हैं और गारन्टी देने के बाद वह आदमी अपना ट्रक लाता है, डम्पर लाता है जिसकी सिक्योरिटी गवर्नमेन्ट की है, काम नहीं करता है, ट्रैक्टर भी ले जा रहा है, डम्पर ले जा रहा है और गवर्नमेन्ट कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बड़े प्रोजेक्ट को बन्द कर रखा है यह कौन से कानून में व्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बारे में हम गम्भीरता से सोचें तब जाकर हम यह बात कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है इस माइनर इर्रीगेशन की जो दुर्दशा हमने कर रखी है, 6 करोड़ रुपये यह माननीय भाटी साहब, जो इन्दिरा गांधी नहर मिनिस्टर हैं, यह बहुत तेज पोलिटिशयन हैं मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्दिरा गांधी केनाल के अन्दर लेकिन 6 करोड़ रुपये बचे हैं यह इन्दिरा गांधी कैनाल का फायदा किन आदमियों को मिलेगा, जोधपुर के आदमियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट होंगे। भ्रष्टाचार पर फिर एक रामसिंह आयोग बैठेगा, फिर एक इर्रीगेशन चीफ इंजीनियर बैठेगा। उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं लेकिन बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसमें केवल मात्र 6 करोड़ रुपयों का एलोकेशन माननीय मंत्री महोदय, यह पालिटिकली रीजनल इम्बेलेन्स हैं, उन लोगों के प्रति न्याय नहीं है, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, जिन लोगों की तकलीफें हैं। आप मेहरबानी करके इस 6 करोड़ की पूंजी को आगे बढ़ाइये। यदि आप 6 करोड़ की पूंजी को नहीं बढ़ा सकते हैं तो माननीय मंत्री महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इस माईनर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को अलग कर दें और माइनर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को आप ट्राई करें। आप एन. आर. ई. पी. के अन्दर, आई. आर. डी. पी. के अन्दर, जबकि एन. आर. ई. पी. के अन्दर रुपया गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मिल रहा है हमारा इन्वेस्टमेन्ट अगर 200 करोड़ रुपये का है, 6 करोड़ गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मिलेगा तब हम डवलप कर पायेंगे लेकिन माइनर इर्रीगेशन को आपने एक साथ ही कर रखा है।... एन. आर. ई. पी. का अलग से किसी

(श्री सी. पी. जोशी)

को काम दे रखा है। वे एक कागज लिखेंगे मंत्री जी को, दूसरा कागज लिखेंगे किसी और आफिस को। पिछले तीन सालों में क्या किया, कुछ एलोकेशन कराया रोड सेक्टर के अन्दर, अब क्या किया रोड सेक्टर बन्द। अब पहले हम एलोकेशन करेंगे इर्रीगेशन मद में। मैं समझता हूं यह व्यवस्था ठीक नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करें माइनर इर्रीगेशन का उसको ट्राई करें एन. आर. ई. पी. के साथ, आई. आर. डी. पी. के साथ। तब तो जितना भी पैसा हमारा बचा हुआ है उसका हम सही ढंग से उपयोग कर पायेंगे। मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता के साथ सबसे अच्छा न्याय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह जो प्रोजेक्ट प्लान है, यह इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट जो बी. सी. रेशो से बनते हैं क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि वाटर लागिंग हो जाता है। बी. सी. रेशों किस तरह से बनते हैं। बी. सी. रेशो भी बनाने के बारे में चीफ इंजीनियर साहब कहेंगे, जितने भी यहां बैठे हुए हैं, चाहे ललित जी बैठे हुए हों, चाहे नाथूराम जी बैठे हुये हों, बी. सी. रेशो किस तरह से बनता है, बी सी रेशों के इन्स्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, हर आदमी जानता है, हर पोलिटिशियन जानता है कि बी. सी. रेशो कैसे बनता है। इस बी. सी. रेशो के जस्टीफिकेशन से पॉलिटिकल न्याय हम क्या करना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने फिर कहा हम डेम को आइडेन्टीफाई करेंगे कि कौन से डेम ऐसे हैं जिसके अन्दर पाटेन्शियल एग्रीकल्चर का है, यदि उस के अन्दर हम इर्रीगेशन की व्यवस्था करें तो जो हमारा बी. सी. रेशो है उसमें हमको सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पालिटिकल, माननीय ललित जी कोटा से आ गये हैं, पांचवां एनुअल प्लान बनाया था, छठी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जब बांरा में सर्वे कराये थे। कोटा के अन्दर और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर स्कीम पास कर दी कोटा की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सातवीं में।

श्री सी. पी. जोशी: सातवीं में तो कहां से मिलेगा ललित जी आप कह रहे हैं। सातवीं में तो कोई चान्स नहीं मिलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (डीगोद) : हम सभी कहते हैं सारा उधर ही होता है...

(व्यवधान)

यह तो भगवान की कृपा है कि पानी का स्रोत हमारे ही पास है। जलदाता ही हम हैं, अन्न दाता ही हम हैं। उसको क्यों भूलते हैं आप।

श्री सी. पी. जोशी : आपको कहीं कोई गलतफहमी इस मामले में नहीं हो गयी?

श्री दाऊदयाल जोशी : हण्ड्रेड पर्सेन्ट। गंगानगर और कोटा जिला नहीं हो तो दाने-दाने को मोहताज हो जाओ आप।

श्री सी. पी जोशी : किसने कहा ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हम कह रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : जब कोटा गये थे तब हम और आप भूखे मर रहे थे, आप ही के कोई काम से गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमको गम्भीरता से इस बात पर सोचना है। आज जो इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट है इनकी सोशल इम्प्लीकेशन्स हैं, सोशल कन्फिलक्ट पैदा हो रहा है उससे स्थिति बिगड़ रही है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नया प्रोजेक्ट जो हमने लिया है, उस नये प्रोजेक्ट को केवल मात्र चीफ इंजीनियर के आधार पर नहीं लें सोशल इम्प्लीकेशन्स देखें हम। इस 32वीं साल में कानून की व्यवस्था बिगड़ी है, कोटा के अन्दर बिगड़ी है कानून की व्यवस्था, गंगानगर के अन्दर बिगड़ी है कानून की व्यवस्था, उदयपुर के अन्दर नहीं बिगड़ी, क्यों नहीं बिगड़ी हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम नये प्रोजेक्ट लेकर राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, हम नये प्रोजेक्ट लेकर कन्फरटेशन पैदा करना चाहते हैं, एक नयी स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो यह नयी स्थिति राजस्थान के प्रति न्याय नहीं कर पायेगी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री सी. पी. जोशी : क्या ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि ललित जी को उदयपुर से···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह जो स्कीम है पानी की वह तो अविलम्ब चालू हो। पता नहीं क्या किया····

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं भी यही चाहता हूं। उदयपुर से बड़ा प्यार है। गुजरात से जो पानी जा रहा था, इस पानी को रोकने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किये। आप में हिम्मत होती तो आप उसको रोकते जो पानी जा रहा है, कोई स्कीम बनाते, देवास की योजना बनाते। उस समय आपको उदयपुर से प्यार नहीं था और आज आपका उदयपुर का पानी जा रहा है गुजरात के अन्दर। माननीय मंत्री महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को देखें कि जो पानी इनके क्षेत्र से जा रहा है उस पानी को हम रोक सकें, उस पानी को रोकें हम। मैं तो, ललित जी, आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं आप इर्रीगेशन मिनिस्टर थे, जितना मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अन्दर किया है वह रिकार्ड भी आपके समय का है हमने नहीं बनाया है इसलिए वह भी याद करलें आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। कुछ जो रीवर्स हैं आप सोचते होंगे कि हमारे इलाके में बनास रीवर है उसका जो ड्रेन उसका भी जब विभाग बजट बनाता है तो उसका असेस नहीं होता है। मुझे लगता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर फण्ड को बढ़ा कर, 73 में फण्ड आया, 83 में फण्ड आया लेकिन हमने उस फण्ड को आधार मान कर हमने उस बनास से, पानी राजसमन्द के

(श्री सी. पी. जोशी)

अन्दर और आगे ले जाकर माही डैम बनाया और उस डैम का पानी हमने दिया मेजा के अन्दर, हमने लाखों रुपये खर्च किये हैं लेकिन 10 साल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र एक बार, 10 साल में एक बार उस कैनाल का पानी उस डेम में गया था। उससे मैजा हैड में पानी जाता है। आज 10 साल के अन्दर। उस रिवर का ड्रेन इस तरह का है उसको हमने आधार नहीं माना लेकिन जो मैजा प्रोजेक्ट है हमने उसको आधार बना लिया। किसी भी रिवर का जो करेक्टर है जब फ्लड आता है कैसे पानी बहता है उसको भी हम जाने नहीं देंगे. तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोगों के प्रति अन्याय होगा, पैसे का वेस्टेज होगा। यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर रहे हैं वह ठीक नहीं हो पायेगा।

माननीय मंत्री महोदय एक आवश्यकता और है, इसमें हम डवलप कर रहे हैं उसको हम पूरा कन्ट्रोल नहीं कर लें. मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में डेम हैं. 1957 के अन्दर बना आज 1985 आ गया, आज तक उससे पानी नहीं मिल रहा है। अभी यदि हम उसका माडर्नाइजेशन कर दें, पक्की कैनाल बना दें पानी की, नये डेम पर इतने इन्वेस्टमेन्ट की आवश्यकता नहीं है उसमें कैनाल को पक्का करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जो कैनाल है, ऐसे जो पुराने जितने भी डेम हैं उन कैनाल को हम पक्का कर देंगे तभी हम नया इर्रीगेशन का पोटेंशियल डवलप कर पायेंगे। इसके साथ ही माननीय मन्त्री महोदय जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, देवास योजना, वापन योजना, यह योजना आपने आज तक कम्पलीट नहीं की तो उदयपुर का कुछ भी इर्रीगेशन का एरिया डवलप नहीं होगा, उदयपुर में पीने के पानी की अव्यवस्था हो जायेगी और गुजरात में पानी जा रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा आप हिम्मत करके उसके लिए एलोकशन ऑफ फण्ड करें। एक मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं 45 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को देने के लिए उनका प्रोग्राम है, पिछले दो साल से टेकअप नहीं कर पाये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 45 करोड़ रुपये की रेवेन्यू उन कामों के लिए काम में लायी जा सकती है, उनकी अपनी रिक्वायरमेन्ट है, उनकी पानी की व्यवस्था की जाय और पानी की व्यवस्था के लिए आपने देवास की योजना आइडेन्टीफाई की है··

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की जे. के. फैक्टरी पर 16 लाख रुपया पानी का बकाया है। आप पानी दिलायें, आप पानी तो दिलायेंगे ही इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन कोटा के किसानों को जो पानी मिलता है वह खारा पानी दिया जाता है इस प्रकार के भेदभाव नहीं होने दीजिए और साथ ही···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सेठों की तो आप चिन्ता करते हैं लेकिन जो···· ··

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा था कि आपने जो टैक्स लगाए हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। आप जे. के. की बात कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत होती तो……

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : ढाई साल में जे. के फैक्ट्री से एक पैसा भी रिकवर नहीं कर पाए जनता पार्टी के राज में, किसकी बात कह रहे हैं खाली बातों से कुछ नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अन्त में कि जब तक हम यह कहते हैं कि मैनेजमेंट के हम भी पार्ट हैं, उसको बदलेंगे नहीं, जितने हमारे काम्पीटेंट इंजीनियर हैं उनको हम रिवार्ड और प्रमोशन की घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम इस विधान सभा में बैठ कर एस. ई. ठीक नहीं है या चीफ इंजीनियर ठीक नहीं है इससे राजस्थान के इरिगेशन का डवलपमेंट नहीं होने वाला है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सीनियर काम्पीटेन्ट आदमी जो लाइन से हट कर ए. ई. एन. कौन है, एक्स. ई. एन. कौन है उनको लगाया जाय। माननीय मन्त्री महोदय उनके साथ बैठ कर आइडेंटीफाई कर लें कि यह आफीसर ठीक है उसकी रेस्पांसिबिलिटी, एकाऊंटेबिलिटी फिक्स करके यदि हम काम करेंगे तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं……

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : उसका यदि हम 30 पर्सेन्ट आज ले रहे हैं उसको यदि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 45-50 पर्सेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संभाल लेंगे तो नया इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा। और इरिगेशन का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ तो बिजली की व्यवस्था होगी, एंप्लायमेंट की व्यवस्था होगी। हम इरिगेशन के बारे में ज्यादा ध्यान दें तो हमें विश्वास है कि राजस्थान में आने वाले वर्षों में इरिगेशन का डवलपमेंट ज्यादा कर पायेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशी लाल।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं……

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं, यह डिमाण्ड 46 पर अभी बहस हो रही है, हम कब तक बैठें, कब हमें समय मिलेगा कब नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको जरूर मिलेगा।

श्री शोपत सिंह : कब मिलेगा यह तो मालूम हो ना ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि हम सब को सुन लेंगे उसके बाद में आप बोलेंगे तो अच्छा है।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों पर क्रम से बोलने का अवसर

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, I raise a point of order. मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटमोशन्स दिए हैं और जिनके कटमोशन्स प्रायोरिटी में हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। किसी के कटमोशन्स बहुत पीछे थे उनको बोलने का पहले मौका दे दिया और जिन्होंने पहले कटमोशन्स दिए उनको क्या लाभ मिला।

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, यह पहले ही माननीय अध्यक्ष को बता दिया था। हमारे अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार लिस्ट देंगे उसको.........

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में व्यवस्था है कि जो मा. सदस्य कटमोशन्स पहले देंगे उनको पहले बोलने का मौका मिलेगा। इसमें आपकी व्यवस्था क्या काम आएगी ? I don't agree.

श्री उपाध्यक्ष : मा. सदस्य, अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दे चुके हैं उनकी व्यवस्था की आप पालना करें।

श्री भगराज चौधरी : साहब, आपकी व्यवस्था क्या काम आएगी ? आसन cannot make any व्यवस्था which is against the Rules. आसन को तो वही व्यवस्था करनी पड़ेगी और अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जो रूल्स के खिलाफ है तो हम मानने वाले नहीं है। मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। इसमें व्यवस्था हो चुकी है। व्यवस्था के अनुसार चलें।

श्री भगराज चौधरी : I have raise a point of order and I repuesd the chair for a व्यवस्था।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले मा. सदस्य ने फरमाया था कि आप यह तो तय कीजिए कि कौन से सदस्य किस के बाद में बोलेंगे और कब नम्बर आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अगर बीच में जैसे अभी घण्टे भर में या दो घण्टे बाद में समय आयेगा या लगभग पांच मिनट बाद या माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त कर दिया तो अभी नम्बर आ जाय और हमें लाइब्रेरी में किसी रेफरेंस के लिए जाना पड़े बट्टू करने के लिए जाना पड़े तो हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत आ जाती है इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए वर्ना हम जैसे ही बाहर जाएंगे और नाम पुकार लिया जाएगा और हम बोल नहीं पाएंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बट्टू क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : बट्टू यानि सू-सू।

श्री उपाध्यक्ष : मा. सदस्य, पार्टियों ने जो लिस्ट दी है उसके हिसाब से बोला जा

(श्री उपाध्यक्ष)

रहा है, उसके हिसाब से नाम आएंगे यह कहना मुश्किल है कि कब समय आएगा।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सूची आपको दी गई है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कृपया कम से कम आप सूचित करदें एडवांस में कि किन-किन पार्टी की तरफ.......

श्री उपाध्यक्ष : यह कृपया सम्भव नहीं है........

(व्यवधान)

माननीय सदस्य : यह सम्भव नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : तो हम लोग जिन्हें बोलने का मौका मिलेगा वह तो बैठे रहें और जिनको नहीं मिलेगा आसन की ओर से वह किसी काम में लग जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सभी साहिबान कोआपरेट करेंगे तो होगा। नहीं तो जाएंगे। अगर बीच-बीच में इस तरह से बोलेंगे तो एक का टाइम हो गया, आप बीच में बोलें तो एक का समय गया।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी तरह से व्यवधान नहीं करना चाहता, व्यवस्था वाली बात पर भी जोर नहीं देता.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं एग्जेक्ट समय नहीं दे सकता, माननीय सदस्य, कृपया बैठें, मुझे कोआपरेट करें। मैं कोआपरेट करूंगा।

श्री भगराज चौधरी : I am prepared to co-operate with the Chair, but my difficulty is there. You should listen to my problem.

श्री उपाध्यक्ष : जरा सुनिए, आप अपने सचेतक को प्रायोरिटी दे दें कि कौनसी प्रायोरिटी पर आप बोलेंगे।

श्री भगराज चौधरी : मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की ओर से किन-किन मा. सदस्यों को बोलने के लिए आपके पास लिस्ट दी गई है और दूसरी किन-किन पार्टिज के माननीय सदस्यों की बोलने के लिए लिस्ट दी गई है यह आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीलाल

मांग संख्या 46 व 38
पर विचार

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आजादी के पहले गांवों में रहने वाले छोटे-छोटे काश्तकार अपने स्वयं के साधनों से सिंचाई किया करते थे और आजादी मिलने के बाद गांव के छोटे-छोटे काश्तकारों को ऐसा लगने लगा था कि हमारे साधन बढ़ेंगे, उपज बढ़ेगी, हमारे परिवार खुशहाल होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के बाद निश्चित रूप से हमको यह मानना चाहिए कि हमारी सिंचाई के साधन बढ़े हैं लेकिन आज छोटे किसान की जो स्थिति है वह जो अपने साधनों के आधार पर जमीन की सिंचाई किया करता था, वहां आज जहां भी बांध बांधे गए हैं वह परेशान हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं और पराधीन होने का कारण यह है कि छोटे छोटे बांध बनने के बाद, बांध बंध जाते हैं सिंचाई

(श्री गणेशलाल बैरागी)

विभाग के द्वारा लेकिन समय पर पानी नहीं मिलता और जो 15-20-30 बीघा की जोत वाले काश्तकार हैं वे अपने साधन से खेती किया करते थे वे आज उस जमीन से अधिक परेशान हैं। आज मैं इस बात को मानता हूं कि जहां-जहां मेजर इरिगेशन के साधन उपलब्ध कराए गए, बड़े-बड़े बांध बांधे गये और उस जमाने में जो अधिक से अधिक जमीन बड़े-बड़े लोगों के पास थी, उस पर हो सकता है कि उनकी पूरी जमीन सिंचित नहीं होती थी, इसलिए नुकसान होता होगा। आज बड़े-बड़े बांधों से यह तो मान सकते हैं कि उन लोगों को लाभ हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बून्दी जिले की हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं। यह बहुत छोटा जिला है और इस जिले में चार पंचायत समितियां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी जिले में एक भी बड़ा बांध नहीं है। एक बान्ध जो कोटा में बंधा हुआ है उसकी दो नहरें निकलती हैं आर. एन. सी. और एल. एन. सी.। एल. एन. सी. जो चम्बल की नहर है उससे थोड़े से हिस्से को पानी मिलता है लेकिन आर. एन. सी. से बून्दी तहसील और पाटन तहसील को पानी मिलता है। वहां किसान बहुत परेशान हैं। इसका कारण यह है कि समय पर उनको पानी नहीं दिया जाता, समय पर व्यवस्थाएं नहीं की जातीं और जो व्यवस्थाएं हैं वह अभी-अभी जैसे मेरे पूर्व में जो जोशी जी ने कहा कि जे. ई. एन. और ए. ई. एन. उनकी योजना के आधार पर, उनकी कृपा पर उनको जिन्दा रहना पड़ता है। मान्यवर, आज समय कम होने की वजह से मुझे निर्देश मिला है, कम समय लूंगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं सिंचाई मन्त्रीजी नोट करेंगे कि आज पाटन तहसील में जो गांव हैं, कटारिया डिस्ट्रीब्यूटरी इस डिस्ट्रीब्यूटरी पर केवल मात्र उनकी 4 पर्सेन्ट सिंचाई होती है और पिलाई सारी की सारी जमीन की ली जाती है। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं इसके अलावा मायुंगा डिस्ट्रीब्यूटरी है वहां पर एक कमाणी वितरिका है, टेल के जितने गांव हैं वे आज बहुत परेशान हैं, हैड पर जो गांव हैं उनको पानी हो सकता है कि ठीक प्रकार से मिल रहा हो लेकिन इन गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस गांव में, जिस नहर से पानी पहुंचता है उनकी व्यवस्था ठीक की जाय और जहां पर पानी नहीं पहुंचा वहां अन्य साधन जुटाए जायं। इसी तरह से नैनवा तहसील है, नैनवा तहसील में कोई भी बड़ा बांध या मीडियम स्तर का बांध नहीं है, छोटे-छोटे बांध हैं जहां पर भी पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरे का पूरा इलाका ग्रामीण है। मान्यवर, आज किसान के लिए जाने का साधन जमीन है और राजस्थान का साधन जमीन है और राजस्थान की सरकार यदि गांव में सड़क बनाने में विलम्ब करती है तो उसे हम ठीक समझ सकते हैं और हम विचार कर सकते हैं, स्कूल खोलने में यदि थोड़े दिनों की बात करती है तो हम मान सकते हैं, लेकिन आज आजादी के 38 साल बाद, जो किसान पानी के लिए तरस रहा था उसे आज भी पानी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि

(श्री गणेशलाल वैरागी)

इन छोटे बांधों के लिए नैनवा तहसील, हिण्डोली तहसील हो चाहे बूंदी तहसील हो जहां-जहां पर माइनर इरिगेशन के और दूसरे जो बांध बनाये जा सकते हैं इन बांधों को बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डोली तहसील में जहां पर वर्षों से एक बांध नहीं बना, बूढ़ा डेम जो वर्षों पहले बनाया गया था उसकी स्थिति मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अभी 77–78 में उस बांध के मोर्डनाइजेशन की स्कीम बनाई गयी थी और जहां तक मेरी जानकारी है 32 करोड़ की यह योजना थी लेकिन उसके बाद जितना खर्चा हुआ उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं और कह भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन सिंचाई मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग से जानकारी ले लें कि इस मोर्डनाइजेशन में कितनी रकम खर्च कर दी गई है और कितनी सरप्लस लैण्ड में पानी दिया गया है। अगर आपको तसल्ली हो जाय कि आपका विभाग ईमानदारी से और निष्ठा से काम कर रहा है आप उसे प्रशंसा पत्र भेज दीजिए। और नहीं कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कि जहां करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं तो उससे सरप्लस जमीन को पानी क्यों नहीं दिया गया है ?

मान्यवर, पंचायत समिति हिण्डोली में आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आपके मन में दूसरी बात पैदा हो रही होगी लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीन साल के समय में, 77 से लेकर 80 तक उस पंचायत समिति में तीन बांध बांधे गये थे उनका सीतलबेड़ा भाग्याबांध और अभयपुर बांध। उसका सर्वे हो गया, उनका एस्टीमेट बन गया, बजट पास हो गया और तीन साल में बांध बनकर तैयार हो गये। इसके अलावा कई बांध ऐसे थे जिनका सर्वे आरम्भ किया गया था गजावाड़ के पास कोडी बांध के नाम से, अन्नपूर्ण बांध के नाम से और नारायणपुर बांध के नाम से इनका सर्वे आरम्भ हुआ था, सर्वे होकर के हो सकता है कि पूरे हुए या नहीं हुए अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी भी जानकारी लेकर के पूरा कराने के लिए पैसा भेजने की कृपा करें।

इसके अलावा जो छोटे-छोटे क्षेत्र हैं जिनमें आपका पैसा भी कम खर्च होगा और लाभ भी बहुत अधिक मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी पंचायत समिति में नगेढ़ के पास कुमारी का नाका है वहां भी आप मेहरबानी करके सर्वे करायें। कई और गांव हैं वहां पर भी सर्वे हो सकता है। सीतलामाता खेडा के पास, खैरडा के पास, खाजरिया गांव के पास हमारी पंचायत समिति में है वहां पर ऐसे कई छोटे-छोटे बांध बनाये जा सकते हैं, जिससे पैसा खर्च कम होगा और उससे लाभ ज्यादा होगा। मेहरबानी करके आप उसकी व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं सिंचाई मन्त्रीजी, आज हर क्षेत्र में यह बात कही जा रही है कि सिंचाई विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उसकी

(श्री गणेशलाल बैराग)

तुलना किसी विभाग से नहीं की जा सकती है। मैं तो इस बारे में कुछ निवेदन करना नहीं चहता हूं। एक बात अवश्य कहूंगा कि हमारा नर्मदा बांध, हमारे बूंदी से विधायक जीतकर आये हैं वे जागरूक हैं वह आपको उसके सम्बन्ध में बतायेंगे लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से बड़दा नहर, सिचाई मन्त्री महोदय एक नहर का उद्घाटन करने के लिए बांध नहीं बनाया गया केवल नहर का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान के राज्यपाल महोदय पधारे और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उद्घाटन में ? चाहे मन्त्रीजी आप अपने अधिकारियों से जानकारी ले लें और नहर से कितना पानी निकाला गया और कितनी जमीन को सिंचित किया गया इसकी मेहरबानी करके जानकारी ले लें। जड़ता बांध जिसका उद्घाटन करने के लिए तात्कालीन मुख्य मन्त्री, शिवचरणजी माथुर पधारे थे और कहा गया था कि करोड़ों की योजना है जिसमें हजारों किसानों को लाभ होगा लेकिन कुछ दिन पहले जब अखबार में पढ़ने को मिला कि यह कोई योजना नहीं है। सिंचाई मन्त्रीजी बूंदी जिले की योजना है, बूंदी की जनता इन्तजार कर रही है कि आप क्या करने वाले हैं। उस समय जो वित्त मन्त्री थे, शिवचरणजी माथुर जो मुख्य मन्त्री थे, उनको लेकर गये, उद्घाटन हो गया लाखों रुपये उद्घाटन के कार्यक्रम पर खर्च हो गये। अब आज अखबारों में आ रहा है कि यह कोई योजना नहीं है। आप ही बतायें।

एक माननीय सदस्य : शिलान्यास है। उद्घाटन नहीं।

श्री गणेशलाल बैरागी : शिलान्यास ही सही। वह हो तो गया। माफ करना।

उस शिलान्यास के बाद में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो आपसे माननीय हरिमोहन जी ले लेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि दो बातों में आप जानकारी आपके विभाग से ले लें। इसके अलावा मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं.......

एक माननीय सदस्य : शिलान्यास नहीं पैसे का सत्यानाश।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फर्स्ट स्पीच है।

श्री गणेश लाल बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा।

1977 के बजट में मरड्या बांध को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये सरकार ने दिये। और 79-80 में वह पांच लाख रुपये राज्य सरकार ने वापस ले लिये। आज 85 आ गया हर साल टेन्डर होते हैं, हर साल टेन्डर कैंसिल होते हैं लेकिन एक पैसा उस बांध पर नहीं लगाया गया है। सिंचाई मन्त्री मेहरबानी करके विचार करें और इस बांध को जल्दी से जल्दी बनवाने की व्यवस्था फरमायें।

इसके अलावा एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं. कि वह यह है कि

(श्री गणेशलाल बैरागी)

फिजूल खर्ची, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, कोटा डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं बूंदी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक सब डिवीजन की बात कर रहा हूं। जो आपका बूढ़ा डेम है मेहरबानी करके आप ठीक कर सकते हैं तो अब हमारे भूतपूर्व एक्स. ई. एन. के कार्यकाल की जांच करा सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। केवल एक सब डिविजन की मेहरबानी करके आप केवल उस सब डिविजन की जांच कर लें आपको पता चल जायेगा कि किसान का पैसा कहां जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गणेश लाल बैरागी; एक मिनट।

एक और निवेदन करना चाहता हूं अब एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. पी. में हमारे कई बांध लिये गये थे लेकिन कोई काम दो-दो बार, तीन-तीन बार निवेदन करने के बाद आरम्भ नहीं किये गये थे, अब आरम्भ कर दिये हैं। उनको भी आप योजना में लेकर पूरा करवाने की बात करेंगे तो हमारे पर बड़ा अहसान करेंगे।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वहां पर पानी की कमी है। पानी-बिजली जो है उसको खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें नहर के किनारे पर जहां-जहां आवश्यकता हो अगर वहां पर ड्रेनेज लगाने की व्यवस्था आप कर सकें तो उससे हमारे इलाके में फायदा हो सकता है।

एक सुझाव और मेरा है, आपके विभाग के जो खातेदार लोग हैं, जिनको पानी मिलने का हक है, जिनकी जमीन कमाण्ड में आती है उनको ठीक समय पर पानी नहीं देते हैं। लेकिन जो चारागाह पर ट्रेसपासर हैं, जो जंगल की भूमि पर ट्रेस-पासर लोग हैं उनको पानी दिया जा रहा है। आप रोक सकें तो रोक लें।

आज जो लोग अपने कुओं से सिंचाई कर रहे हैं लेकिन इरिगेशन के कमाण्ड क्षेत्र में उनका खेत आ रहा है उनसे पिलाई ले रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसे लोगों को छोड़ें ताकि लोगों को राहत मिल सके। दूसरी बात आपके बूढ़ा बांध में, अभयपुर बांध में, और कई बांध ऐसे हैं जहां पर जमीन तो आपने अवाप्त कर ली लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है इन किसानों को आप मुआवजा दिला सकें तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गणेशलाल बैरागी : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ओर भी देखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैंने सात कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनको एक साथ ही सदन के समक्ष प्रस्तुत करता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हूं और इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव, हालांकि वर्तमान मन्त्री जी को इसका ध्यान नहीं है अभी उनको वहां ले जाकर कराऊंगा। दो नदियों में वड़गांव जैतपुरा में बारहों माह पानी चलता है और इसका पानी गुजरात में जाता है। गुजरात में जाने के कारण गुजरात राज्य ने अन्नापुरा में एक बांध बनाने की योजना स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजी थी। उस समय सुखाड़िया साहब को मैंने इस मामले की जानकारी दी थी कि अगर गुजरात में नदियों के पानी के उपयोग के लिये गुजरात सरकार द्वारा बांध बांध दिया गया तो बाद में इसका कम्प्लकेशन होगा। सुखाड़िया साहब ने इस योजना का, जैतपुरा वड़गांव नदियों का सर्वेक्षण कराया, अपने स्टेट की नदियों का पानी उपयोग में लाने के लिये पूरा सर्वेक्षण कराया और करीब डेढ़-दो करोड़ की इसकी योजना बना करके आयोग को भेजी है। मुझे ऐसी जानकारी मिली थी परन्तु उसके बाद में यह योजना आज तक स्वीकृत नहीं हुई और बरसात के अन्दर इन दोनों नदियों का पानी काफी मात्रा में गुजरात में जाता है। दुबारा मैं राज्य सरकार को और मुख्य मन्त्रीजी को आपके जरिये आगाह करना चाहता हूं, दुबारा भी सर्वे करके अन्नापुर में गुजरात राज्य बांध बनाने की योजना बना रहा है और अगर उन्होंने योजना स्वीकृत कर दी तो बाद में इन नदियों का पानी अगर आप रोकेंगे तो फिर झगड़ा पड़ेगा। इसलिये मैं यह आगाह करता हूं कि नदियों का सरप्लस पानी जो गुजरात स्टेट में जाता है उन नदियों के पानी को टैप करके और नहर के जरिये इस पानी का सूखा क्षेत्र जो सांचौर का एरिया है जिसमें बहुत भयंकर आपके पीने की और सिंचाई के पानी की समस्या है वहां पानी की बहुत आवश्यकता है उस सूखी भूमि में इस नहर के जरिये दोनों नदियों का पानी टैप करके सांचौर की ओर ले जाकर के और लूनी के बेड तक दे दिया जाय तो एक तो कुओं का पानी ऊपर हो जायेगा, पीने के पानी की जो करोड़ों रुपये की रीजनल योजनाएं बनायी हैं वह रीजनल योजनाओं के निर्माण जो आपने बताया कि इतने वर्षों की योजना बनाने के बाद भी पानी नहीं जाता है और यही समस्या सांचौर में है। रीजनल योजनाओं के कारण पानी के सोर्सेज खत्म हो जाते हैं। 35-40 गांवों को रीजनल सोर्स से पानी पहुंचता है तो यह पानी जो नेचरल कोर्स में जाता है उस पानी को टैप करके और पीने के पानी के लिये सिंचाई के लिये क्यों नहीं उपयोग में लाय जाय। इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी को पुरजोर शब्दों में प्रेस करता हूं। नर्मदा नदी घाटी योजना तो न मालूम कितने वर्षों में सांचौर और जालौर के एरिये को सिंचित करेगी, परन्तु हमारा यह पानी जो गुजरात में जाता है और गुजरात सरकार इसको उपयोग में लाने की कोशिश कर रही है तो आप इसे पानी को नहीं रोक रहे हैं। इसलिये आप इसकी इंजीनियर्स को भेज करके शीघ्रता से इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि इस पानी का उपयोग, पानी को लाकर के हमारे इस एरिये में इस पानी को नहर के अन्दर डाल कर हमारा जो पानी है इसको आप उपयोग में लगाये, व्यवस्था

Page No.155

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करें और गुजरात सरकार को लिख दें कि इन नदियों के पानी के लिये हम योजना बना रहे हैं। जब अपना पानी है और हम योजना बना रहे हैं तभी अन्नापुर डैम को सुखाड़िया जी ने स्थगित करवाया था और अब वापस क्योंकि इतने वर्षों तक आपने पानी उपयोग में लाया ही नहीं इसलिये वापस उनका विचार बांध बनाने का हो गया है। इसलिये आप इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें और इन दोनों नदियों का पानी टैप करके नहर के जरिये इसमें काफी पानी है, सांचौर के एरिये में पानी आने पर क्षेत्र सरसब्ज हो जायेगा और पीने के पानी की समस्या मिट जायेगी। एक तो इस मुद्दे की ओर मैं कटमोशन के जरिये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दूसरा है, जब चार-पांच वर्ष पहले ज्यादा पानी इन नदियों में भर करके आपका वह बड़गांव बांध डिमालिश हो गया खराब हो गया और नदी से सिल्टिंग हो गयी एक जैतपुरा नदी का पानी अभी बंधा ही नहीं हुआ उन दोनों नदियों का पानी पी डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के जोइंट डिजाइन करके नदियों पर बांध बांधकर सरप्लस पानी को नहर के जरिये ले जाने की योजना बनी थी वह आज दिन तक जैतपुरा की तो मंजूर नहीं हुई और बड़गांव पुल तो बन गया पर पानी का थोड़ा सा उपयोग हुआ है कैनाल के जरिये। ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है तो इस पानी को उपयोग में लेने की आवश्यकता है। माननीय मन्त्रीजी का ध्यान मैं आपके जरिये इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें ज्यादा पानी आने से दो गांव सुरावा, दुआवा हैं वे बिल्कुल बर्बाद हो गये। ज्यादा पानी आने से बिल्कुल सुरावा गांव ही बह गया। इनको प्रोटेक्शन बांध के जरिये, जो इस नक्शे में आयेगा बांधे और पानी गुजरात में नहीं जावे इसको डायवर्ट करके और सांचौर में जो सरप्लस पानी है तो नदी के अन्दर डालने की योजना थी वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है। उसमें इस नदी के ऊपर एक नैनावे के अन्दर बांध बांधा गया। इन दो धरों के बीच में पानी को रोक दिया। हमने उस समय जब ये कहा कि यह गलत जगह बांध बांध रहे हो और इसका पानी मान लो गुजरात में चला गया तो मुश्किल हो जायेगी परन्तु इंजीनियर्स ने कहा कि हम केवल डायवर्ट करके और पानी को आगे से घुमा करके ले जायेंगे और नदी में डाल देंगे परन्तु उनका अनुमान और हमारे गांव वालों ने कहा ये इंजीनियर तो कागजों में काम करते हैं। पानी चला जायेगा गुजरात में। हुआ भी यही। 5–6 वर्षों की बात है पहले ये बांध बांधा तो था अकाल सहायता कार्य में और वो पानी धीरे धीरे जब ज्यादा आया तो गुजरात में चला गया। अब जा करके देख लीजिये जो हमें डर था वह पूरा हो गया। आगे के जितने पेड़ हैं वे सारे सूख गये और वह पानी गुजरात में जाने लगा और नैनावे उधर जा करके जो पानी गुजरात में चला गया तो इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि पानी गुजरात में आपने बांध बांधा अपने एरिये में बांधकर वापस गुजरात मे पानी भेज दिया उस पानी को वापस गुजरात के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बोर्डर पर बांध बांध करके इसको डायवर्ट करके वापस लाने का आप प्रबन्ध करें वरना ये जितने संकड़ों कुए हैं जो सुखाड़िया साहब के समय में बांध बांध करके इनको डायवर्ट किया था वो सारा का सारा पानी गुजरात में चला जायेगा, तो इसको पानी को रोक करके यूटिलाइज करने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव इसके बारे में है ये छोटे छोटे बांध लूनी में, सारी नदियां जो राजस्थान की हैं जवाई, सकूरी बांडी और लूनी सारी नदियों का पानी मिल करके सांचोर में इकट्ठा हो करके एक नदी बन करके और रख खाद में चला जाता है तो इसमें हमने ये योजना सरकार को ट्रेस की कि लूनी के नीचे बेड है इस के अन्दर का पानी खारा है। जब लूनी नदी आती है तो ऊपर 4-5 फीट का पानी मीठा और नीचे बिल्कुल खारा। तो इस पानी को किसी तरह से उपयोग में लाना है। ज्यादातर बाढ़ लूनी में आती है तब तो सारा क्षेत्र इननडेंट हो जाता है। इननडेंट का मतलब यह है कि पानी को नदी में से निकाल करके जाने दें, जमीन के ऊपर फैल जाय। एक बार अगर वह पानी फैल गया तो पानी को कजर्व करने की मिट्टी में इतनी पर्याप्त शक्ति है कि एक बार इतना पानी फैलने के बाद में बहुत बम्पर काप हो जायेगी और सिर्फ एक बार पानी फैलने के बाद में फसल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जायेगी। तो इस तरह से लूनी नदी पर जो बांध है पानी बहुत कम आता है। कोई चार या पांच या छः वर्षों में एक बार पानी ज्यादा आता है तो अब तो दूर-दूर पानी जमा होने लगा तो हमने ये योजना सरकार को पेश की कि आप दो-दो मील में इस पानी को, नदी को रोक करके इसकी जो नदी गहरी पड़ती है और गहराई में पानी जाता है, राणखाड़ में फालतू पानी चला जाता है तो झाब गांव से लेकर रणखाड़ तक इस लूनी इननडेशन स्कीम के जरिये 38 बांध बांधे गए। वे भी ज्यादातर बांध पेमीन वाले थोड़े से चार-पांच बांध तो एन. आर. ई. पी. में ले लिया और बाकी को यों के यों ही छोड़ दिये। पांच सात वर्ष पहले पानी जहां, शोपत सिंहजी आप भी वहां सांचोर आये थे, आपने देखा कि लूनी नदी में भयंकर बाढ़ आयी हुई थी। उस बाढ़ से जितने 38 बांध बांधे थे सब बिल्कुल समाप्त हो गये और सारा खत्म हो गया। उसके बाद में आज उन बांधों की न कोई मरम्मत हुई न कोई योजना को परस्यू किया गया और न उस पानी को वापस रोकने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि इधर तो लूनी नदी भर ही जाती है वहां बांध में कम हो गये तो सारी नदियों का पानी जो बांध ब्रिज के अन्दर से होकर के टैप करके निकलता है। वे सारे एक जगह पानी को बन्द करके निकालने की वजह से पानी एक तरफ नहीं जाता है। ईरिगेशन डिपार्टमेंट ने चीतलवाना बांध बांधा था उस पर एक फाटक भी लगाया था। क्या हुआ कि ईरिगेशन वालों से टाइम पर फाटक खुला ही नहीं। फाटक खोलने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट के रूप में। एक जगह फाटक लगाया था कि पानी आते ही हम खोल देंगे। परन्तु फाटक जाम हो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गया तो फिर ये हुआ कि पानी उल्टा डायवर्ट हो गया और सारी लूनी नदी का पानी उल्टी जगह ले गये। उसके बाद पांच साल से एक ही कोर्स से पानी चल रहा है। उसमें हमने ये कोशिश करके सरकार को कहा कि रामपुरा बांध को वापस इस पानी को डायवर्ट करके पुराने सोर्स में डालिये। उसमें सर्वेक्षण करके अब नई सरकार ने दो साल पहले बांध को मंजूर किया और अब तक दो, तीन, चार लाख का शायद काम हुआ है, खर्चा किया है। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी दशा में वापस पानी आयेगा ही नहीं क्योंकि ये बांध इतना कमजोर है कि यह ठहर नहीं सकेगा। इसमें पूरा का पूरा पानी जा करके आपके बांध से टकरायेगा।

(4.00 म. प.)

और बंधा पांच मिनट में स्वाहा हो जायेगा। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि इस बन्धे को आपने जो एक जगह बांधा है उसमें एक तो बीच में मोरी डाल दी थी, मोरी डालने से और भी गड़बड़ हो गई मोरी अब हालांकि बन्द कर दी है सब लोगों ने इसके लिए कहा था। अब जगह जगह, दो-तीन जगह इस पानी को रोककर अगर पुराने कोर्स में अगर आप नहीं डालोगे तो यह आपका ढाई-तीन लाख रुपए जो लगे हैं यह बरसात में वापस बिल्कुल पानी में चला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी पास में बैठे हैं।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग देने की जरूरत है माननीय मन्त्री जी को।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काहे की ट्रेनिंग देने की जरूरत है ?

श्री नवरंग सिंह : माननीय मन्त्री जी को ट्रेनिंग दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या, बोलिये वापस। ट्रेनिंग तो आपको दें हम। मैं दूंगा आपको, आप क्या देंगे।

तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि लूनी के इनन्डेशन के तहत पानी का जो रांग डायवर्शन हो गया था उसको वापस पुराने कोर्स में डालने की कार्यवाही कर रहे हैं तो शीघ्रता से उस बन्धे को पूरा करें। और पूरा करके उसमें लालपुरा और दो तीन जगह अभी और सर्वेक्षण हुआ उसका फेमिन में मैंने मंजूरी के लिए प्रेस किया था कि आप अब मंजूर करिये। वह नहीं किया। मान लो, नहीं किया तो कोई बात नहीं पर यह पानी बेकार नहीं जाय। आपका पानी वापस पुराने कोर्स में रणखार में नहीं पड़े। इस पानी को वापस डायवर्ट करके नदी के पुराने कोर्स में डाल दें वरना नेपड़ का जो सारा एरिया है, जो हजारों मन गेहूं इसमें होता था वह सारी नेपड़ बरबाद हो रही है। नदी का पानी बेकार चला गया है। उस पानी को वापस पुराने कोर्स में डालने की आवश्यकता है। लूणी के इनन्डेशन में जो 38 बांध बंधे थे उनका री-सेर्वेक्षण करके आपके नदी के अन्दर दो-दो मील में वापस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पानी को लाकर पानी को रेला ने, गहरी नदी पड़ गयी है उसमें वापस डालकर रेल करने की आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने आपको 2-3 कटौती प्रस्ताव पेश करके डानपुरा, मालासरा, नन्दरा, गलीफा सारे बंधों के जरिये मैंने इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया है कि टूटने के बाद आपने वापस बांधने की कोई कार्यवाही नहीं की है, अब इसके बारे में कार्यवाही करके सांचोर का एरिया जो बरबाद हो गया है, बहुत पहले नंपड़ होती बिलकुल खतम हो गया है उसको वापस ठीक करने की कोशिश करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा दूसरा सांचोर क्षेत्र में नर्मदा नदी और बाड़मेर और जालोर जिले में नर्मदा नदी के जरिये इस एरिये की काया पलट होने की हम और हमारे लोग स्वप्न देख रहे हैं। हालांकि स्वप्न तो साकार हो गया है क्योंकि यह प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के टाइम में ही उन्होंने तीनों स्टेट-मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र व राजस्थान को बैठाकर समझौता करा दिया था। समझौते के अन्दर जितना पानी आना चाहिए था, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि अब जो बांध नौगांव में बांधा जा रहा है, जो एग्रीमेण्ट किया था उस हिसाब से अगर राजस्थान को जो पानी मिलने की सम्भावना थी, यह बांध इतनी ऊंचाई पर बांधा जा रहा है कि वह पानी हमको पूरा मिलेगा नहीं, यह खतरा है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बांधते तो हमारे, जैसे राजस्थान या गंग कैनाल में आया, वैसा पानी पूरा का पूरा आ सकता था, अब गुजरात सरकार का मन पलट गया है और वह जितना पानी हम चाहते थे कि गडाणा, माही नदी का पानी गुजरात राज्य उपयोग कर रहा है वह तो बराबर उपयोग करते रहें, हमारा जो पानी है, जो एग्रीमेण्ट किया था उस हिसाब से यह पूरा पानी नहीं देंगे। बांध बहुत ऊंचा समझौते के अनुसार नहीं बांधा जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा गांव डूब में आते हैं। इसलिए अब वापस इसको सतर्कता से इस प्रश्न को टेक अप करें। यदि बांध बंधकर पूरा हो जायेगा तो पानी बहुत कम मिलेगा। जैसे अपने इन्दिरा गांधी नहर का हाल हो रहा है उधर से अपना पानी राजस्थान में लेने के लिए पंजाब इतनी गड़बड़ कर रहा है तो वह का वह गुजरात करेगा, हमको पानी पूरा मिलेगा नहीं, इसलिए आप अभी से जाकर, पहले अपने सिंचाई मन्त्री परसराम जी मदेरणा मुख्य मन्त्री गुजरात से एक बार तो वार्ता कर के आये हैं, मैं मेरे इस कटमोशन के जरिये आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप वापस जाकर देखें हमारा जो पुराना एग्रीमेण्ट था, उस ऊंचाई पर बांध बांधा जा रहा है कि नहीं, या उसको कम किया जा रहा है। बाद में अगर आपने ध्यान दिया तो राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिलेगा कि नहीं। इसके बारे में आपको जाकर के पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर वह गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे नोटिस में यह है कि बराबर गड़बड़ है, वह कहेंगे, हम इतने गांव डुबा नहीं सकते और राजस्थान को पूरा पानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं देंगे, पुराने समझौते से मुकर गये उस समझौते से तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह जाकर प्रधान मन्त्री जी से मिलें, नये जो मुख्य मन्त्री जी आये हैं उनसे मिले। हमारा जो पानी का एग्रीमैण्ट हुआ, वह पूरा का पूरा पानी लेने का प्रयास करें वरना बाड़मेर और जालोर का यह जो सूखा एरिया है फिर सूखा एरिया नहीं रह जाय। इसके बारे में हमारी शंका का आप समाधान करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जालोर जिले में एनीकट और नालों को बांधकर खेती-बाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे ज्यादा, पानी का उपयोग करें, इसमें सरसों भी होती है, जीरा भी सबसे ज्यादा, बेस्ट जीरा होता है और ईसबगोल, ईसबगोल जो हिन्दुस्तान में पैदा होती है उसका करीब 60 पर्सेन्ट इस सांचोर एरिया में होती है तो इस एरिया को सरसब्ज करने के लिए जितने नदी नाले वगैरह हैं, एनीकट के जरिए हैं उनका पानी उपयोग करके, उनको बांध करके ज्यादा से ज्यदा लघु सिंचाई, मीडियम टर्म योजना, सिन्दरा की योजना मीडियम टर्म योजना है, इस सारे पानी को उपयोग करके इस जिले में जहां-जहां पानी की कमी है, जो सूखा एरिया है उसमें उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा इस पानी को टेप किया जाय। इसके बारे मे माननीय मन्त्री जी और सबका एक ही साथ में ध्यान आकर्षित कर देता हूं कि विशेष रूप से ध्यान देवें।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी का एक दूसरा कट-मोशन इसके साथ-साथ, भू-संरक्षण का भी इसमें लगा देता हूं। अब कौन जवाब देगा पता नहीं मगर भू-संरक्षण के लिए जमीन का बड़ा भारी कटाव हो रहा है। जिले का न तो पूरा सर्वेक्षण किया गया है और मेड़बन्दी, भू-संरक्षण और खडीन कार्य के लिए इस जिले में सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। पहले तो पंचायत समिति में एक-एक सॉयल कन्जरवेशन असिस्टेंट हुआ करते थे, कुछ थोड़ा बहुत स्टाफ भी था अब माननीय मन्त्री जी सांचोर आयें और प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सॉयल कन्जरवेश की जो फारेस्ट की है। पहले वहां अधिकारियों ने यह कहा कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हम काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि मंत्री जी ने कहा, जितना सॉयल कन्जरवेशन का वर्क लाओ मैं अभी मंजूर कर देता हूं मेरे को कोई नहीं पूछेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है। परन्तु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि सॉयल कन्जरवेशन का वर्क सिर्फ जालोर और आहोर पंचायत समिति के अलावा बिलकुल नदारद है। सात पंचायत समितियों में से पांच पंचायत समितियों में कोई सॉयल कन्जरवेशन का वर्क नहीं है। तो इस बारे में आप पूरा स्टाफ लगायें और इस जिले का सॉयल कन्जरवेशन के लिए सर्वेक्षण करके प्रोजेक्ट तैयार किया जाय समिति वाइज, उसके अन्दर सालों साल वर्क हो और उसका फॉलो अप हो। इसके बारे में मैं आपका ध्यान इस एक कटमोशन के जरिये आकर्षित करता हूं कि आप कम से कम सर्वेक्षण कराके आवे किसानों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बना दें ताकि फेमिन वगैरह का टाइम आवे तो फटाफट मंजूर करके करावें, उसका जो थोड़ा बहुत कार्य पहले किय गए थे वह वर्षा से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बिलकुल वाइप आउट हो गये उसका कोई फॉलो-अप है नहीं, अब फॉलो-अप किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके बारे में सॉयल कन्जरवेशन का वर्क जालोर जिले में सिस्टेमैटिक नहीं है, उसको सिस्टेमैटिक करके, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाकर इस जिले के अन्दर कार्य करें। पानी कन्जर्व करने की जमीन की क्षमता बहुत ज्यादा है। एक बार भी पानी को कन्जर्व करके आप रख लो तो एक ही बरसात के अन्दर पानी और फसल पैदा हो सकती है। इसके बारे में जो कि यूटिलिटी वर्क है, आपको विशेष तौर पर सोचने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने सारे कटमोशन पेश किये हैं, समय कम है इसलिए मैं मेरी पार्टी का ज्यादा समय लेना उचित नहीं समझता, जितने भी मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं स्पेसिफिक, मान लो, उसका अभी आप अगर जवाब देने की स्थिति में नहीं हो तो मैंने कुल 14 कटमोशन पेश किये हैं उनके बारे में आप अधिकारियों से जवाब लेकर, मेरे कटमोशन सारे स्पेसिफिक हैं, अभी आप कृपया जवाब नहीं दे सकें तो मेरे घर वापस जवाब देने की कृपा करावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 के ऊपर बोलना चाहता हूं परन्तु बड़ा अफसोस है कि मन्त्री महोदय गायब हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर विश्व का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है परन्तु हम गत सालों से देखते आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं? कोई मंत्री आते हैं, जैसे वर्तमान मंत्री पूर्व में भी इसी नहर के मंत्री रह चुके हैं उन्होंने कुछ और ही योजना बनाई, नये मंत्री आये योजना बदल गई। फिर से उन्होंने विभाग संभाला फिर योजना बदली जा रही है। योजना किस प्रकार से बदली जाती है, किस अधिकार से प्रेस में स्टेटमैन्ट यह दे देते हैं कि हम सैकिण्ड स्टेज में जैसलमेर जिले में अनकमान्ड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसमें घास चारा लगाने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसमें पूर्व में प्लानिंग कमीशन की यह स्वीकृति ली जा चुकी है कि इस योजना का प्रारूप इस प्रकार होगा और यहां पर फिर मंत्री महोदय प्रेस में स्टेटमैन्ट दे देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में अभी अपनी कोई राय नहीं दी है और न योजना बदली जा सकती है। परन्तु सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो यह देख रहा हूं कि इन हालातों से, जैसा हम पढ़ा करते थे शेख चिल्ली की कहानियां, यह योजना भी शेख चिल्ली की योजना हो गई है।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इसके लिये चिन्तित है हालांकि

(श्री देवीसिंह भाटी)

मंत्री महोदय जरूर अपने उत्तर में गोलमाल बात कहेंगे ।

(4-12 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

लेकिन मैं जानता हूं कि उससे पूरा सदन संतुष्ट नहीं होगा । सभापति महोदय, इस इन्दिरा गांधी नहर के बारे में जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, मुख्य रूप से कि मूर्व में इसके अन्दर भ्रष्टचार विशेष रूप से होता रहा है । उसके लिये बार-बार आवाज उठाई गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । वर्तमान नहर मंत्री ने, जब ये पूर्व में भी नहर मंत्री थे तब हिम्मत करके इन्होंने रामसिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 193 इंजीनियर्स के खिलाफ यह घोषणा की कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही होगी । लेकिन नाममात्र के लिये, जो जे. ईएन. लेवल के इंजीनियर्स थे उनको सस्पेण्ड कर दिया गया । हालांकि उसके अन्दर एस. ई., चीफ इंजीनियर और चेयरमैन तक लिप्त पाये गये थे ! सनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । सभापति महोदय, यह हम मानते हैं कि इन्दिरा गांधी नहर बड़ी विकट स्थिति में, विकट परिस्थितियों में इंजीनियर्स मेहनत करके बनाते रहे हैं लेकिन इस स्थिति में हम यह भी चाहते हैं कि जो पैसा हमारा लग रहा है उसका दुरुपयोग नहीं हो, कोई निजी व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठाएं जिससे ऐसा गलत निर्माण हो और नहर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाय लेकिन उन इंजीनियर्स ने इस नहर का निर्माण दिनोंदिन इतना घटिया स्तर का कर दिया है कि जिसकी बार-बार जांच हुई और इसमें रिपोर्ट आई है कि मिट्टी के कार्य में बहुत बड़ा घपला हो रहा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । उन इंजीनियर्स को जो 193 की लिस्ट थी, यह विधान सभा के अन्दर घोषणा की गई थी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : याद दिलाओ मंत्री महोदय को ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह मैं मानता हूं कि अगर कोई इंजीनियर इसकी जांच करता तो किसी भी इंजीनियर को दोषी नहीं पाया जाता । यह हम जानते हैं, मैं भी पी. ए. सी. का मेम्बर रहा हूं । जांच 20 साल से, 15 साल से चल रही है आखिर में उसका फाइनल होता है कि फलां इंजीनियर की मृत्यु हो चुकी है, इसको फाइल कर दिया । यह स्थिति है । सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि पंचायत का अगर कोई सरपंच होता और उससे मामूली 4 रुपये की रसीद में कोई गड़बड़ हो जाती तो तुरन्त उसे सस्पेण्ड कर दिया जाता परन्तु लाखों रुपयों का गबन करने वाले ऐसे देशद्रोही कहूंगा मैं उन्हें, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं उनको सिर्फ बचाने का प्रयास करती है यह सरकार ।

रामसिंह आयोग का चेयरमैन इंजीनियर नहीं था, उसने यह रिपोर्ट दे दी उसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही हो

(श्री देवीसिंह भाटी)

जायेगी और इस नहर के निर्माण का स्तर बढ़िया होगा, हमें तो कतई उम्मीद नहीं है। सभापति महोदय, नहर का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले उसके अन्दर मिट्टी का कार्य होता है। इससे पूर्व में भी इस विधान सभा के अन्दर हर सत्र में इन घपलों के बारे में यह आवाज उठाई गई है, उनको तो छोड़ दीजिये लेकिन अभी हाल ही में सैकिण्ड स्टेज में एक बहुत बड़ा काण्ड लोगों की नजरों में आया, अखबारों में भी हाईलाइट हुआ, देवा गांव के अन्दर ऐसा गबन हुआ। सभापति महोदय, जो हम टाइल्स बनाते हैं, भट्टों के लिये चिकनी मिट्टी जहां मिलती है वहां से चिकनी मिट्टी ले जाकर उसमें लोकल मिट्टी मिक्स करके टाइल्स बनाते हैं लेकिन एक एस. ई. महोदय ने, एस. ई. लेविल के आदमी ने और एक्स. ईएन. ने मिलकर देवा गांव के अन्दर उन ठेकेदारों से मिलकर 20 लाख रुपये का गबन किया। गबन किस प्रकार से किया, सभापति महोदय, वहां पर खड्डे खोदे गये मिट्टी लाने के लिये लेकिन वहीं से ट्रकों से मिट्टी उठाकर पास में ही गांव में डाल दी और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज ले लिये। यह मसला कोई एक दिन में नहीं हुआ, सभापति महोदय, सब कहते हैं कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब यह मसला प्रेस में आया और वहां के सरपंच के नोटिस में आया, कलेक्टर के नोटिस में आया लेकिन बड़े दुःख की बात है, सभापति महोदय, आज तक उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब स्पष्ट हो गया जांच के अन्दर कि इस प्रकार से 20 लाख रुपये, ऑफिशियल रिपोर्ट है इसकी, जांच हुई, विजिलेंस ने सही रिपोर्ट दी कि 20 लाख रुपये का इसके अन्दर घपला हुआ है, डिपार्टमेंट को धोखा दिया गया है लेकिन आज तक उनके खिलाफ एफ. आई. आर. लॉज नहीं की गई, उन्हें सस्पेण्ड नहीं किया गया। 666 ट्रक तो, सभापति महोदय वहीं पर पास में पाये गये जो वहां से ट्रांसपोर्ट करके नजदीक डाल दिये गये। अब यह प्रयास किया जा रहा है, ठेकेदारों से मिलकर इस बात को ढकने लिये दूसरी जगह से मिट्टी उठाकर डाली जा रही है। सभापति महोदय, अगर देवा गांव जैसा काण्ड, ऐसे इंजीनियर्स जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं और लिप्त पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, छोटे-मोटे मामलों में कार्यवाही हो जायेगी। सभापति महोदय, देवा गांव के अन्दर वहां के एक्स. ईएन और एस. ई. ने मिलकर डेढ़ लाख रुपये का पूर्व में ओवर पेमेन्ट कर दिया और उसके बाद में जब यह मसला मंत्री महोदय के ध्यान में गया और विजिलेन्स वालों ने इसकी जांच की, जांच की कोई कार्यवाही नहीं हो तो मैं यह कैसे कह दूं कि इस सरकार के मंत्री ईमानदार हैं और यह किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि अपने जवाब में यह बतायें कि देवा गांव के अन्दर जो इंजीनियर्स लिप्त थे उनके खिलाफ आपने एफ. आई. आर. लॉज करने के लिये निर्देश दे दिये हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इनके डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है, वह यह बात कह रहे हैं।

सभापति महोदय, सिर्फ देवा ही नहीं आज इसी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के ऊपर आर. डी. 1125 से 1195 जहां पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

पीली टाइल्स उपयोग में ली गई है, पीली टाइल्स जिसकी मिट्टी के अन्दर कान्क्रीट मिली हुई थी, उससे टाइल्स बनाई गई जो फूल कर खराब हो गई वही टाइल्स बीड़ के अन्दर, जो कैनाल के बीड़ में लगी, कई जगह पर लगी. कई जगह पर लगाई भी नहीं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहता हूं कि क्वालिटी कन्ट्रोल आपका है, आपका डिविजन है, क्वालिटी कन्ट्रोल का सर्किल है वह क्या करता है ? जब इस प्रकार के मामले खुले आम हो रहे हैं, मैन कैनाल में, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज में तो पता नहीं, उसके अन्दर यह कार्यवाही नहीं होती है। मैं यह समझता हूं कि ईमानदारी से कार्य हो ऐसी संभावना नहीं लगती....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसी प्रकार सर्किल टू के अन्दर 1275 से 1340 आर. डी. में मिट्टी का सही कम्प्लेक्शन नहीं हुआ, जो मामला ध्यान में आ गया, जिसकी जांच के लिए कार्यवाही शुरू हुई तो वहां एस. ई. महोदय यह प्रयास कर रहे हैं जैसा मैंने इसके पूर्व में भी यह बात कही है कि वहां प्रयास चल रहा है कि जो मिट्टी का सही कम्प्लेक्शन नहीं हुआ उससे पूर्व ही वहां लाइनें शुरू होने से पूर्व ही पानी छोड़ दें जिससे यह चोरी पकड़ में न आवे, इसकी मन्त्री महोदय सही जांच करें, इस प्रकार के निर्देश दें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार राजस्थान मैन कैनाल के अन्दर 102 आर. डी. से 1254 तक तीस लाख करीब टाइलें लगाई गई और जिसकी जांच चल रही है, काफी अर्सा हो गया लेकिन उसमें डिले क्यों हो रही है। इस प्रकार जो भी सम्बन्धित दोषी अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है वो इसका जवाब तक नहीं देते, आखिर इसका हल क्या होगा, मन्त्री महोदय इसके लिए भी जांच करें।

श्री शोपतसिंह : रिटायरमेन्ट के बाद जवाब देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, इसके अन्दर यह जो सारा प्रोटक्शन इन्जीनियर्स को मिल रहा है, बहुत बड़े इस विभाग के इन्जीनियर बहरोड़ में एक सीमेन्ट का मिनि प्लान्ट लगाने जा रहे हैं उनके लिए यह सारा कलेक्शन हो रहा है कि जैसे भी हो यह मिनि प्लान्ट जल्दी चालू हो जाय और कलेक्शन कहां हो, राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में। तो इसलिए जो ऐसे इन्जीनियर्स भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनके खिलाफ आप तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाम तो बताओ।

एक माननीय सदस्य : कोन लगा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह मन्त्री महोदय के ध्यान में आया हुआ है और आज वह चाहें तो कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आपको बताते डर लगता है क्या ?

श्री शोपत सिंह : रामसिंह कमीशन ने बता दिये, करो कुछ करना है तो।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार से जगह-जगह इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्दर मेरे क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, मैंने जगह-जगह यह देखा है, जो सीनियर इन्जीनियर्स हैं उनके नोटिस में लाया हूं और यह किस प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, सभापति महोदय, जहां कटिंग की रीच है और फीलिंग की रीच पास में है और दोनों मिलाकर यह ठेकेदार जो कार्य करते है कि फिलिंग वाली रीच है वहां कटिंग करके वहीं पास में उसकी रेट ले ली और साथ में पिलिंग कर दी इसके लिये आप विशेष तौर से अलग से कोई अधिकारी लगायें। ऐसे एक नहीं हैं, सैंकड़ों रीचों के हैं। आप अपनी योजना में चाहे माइनर की हो पास में ही कटिंग की रीच होगी, वहीं से टीबा काटा और पास में फिलिंग कर दी वहां से वो रेट ले ली और डबल रेट आ गई। इसके लिए तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कोई ऐसे अधिकारी नियुक्त करें जो इसकी जांच करें। साथ में मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं कि मिट्टी का कम्पेक्शन जब तक आप सही नहीं करोगे यह कैनाल चलने वाली नहीं है। पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन किया कि जगह-जगह जो वाटर लोगिंग हो रही है जहां-जहां ये बैंक स्लोप हो रहे हैं, नहर डेमेज हो रही है इसका कारण यही है कि सही कम्पेक्शन नहीं होता मिट्टी के ऊपर जब तक सही दाब नहीं पड़ेगा आपकी लाइनिंग सही नहीं रहेगी और निश्चित तौर से उससे सीपेज होगा और वाटर लोगिंग होगी और वाटर लोगिंग होगी तो आपकी नहर को भी खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

सभापति महोदय, इस राजस्थान नहर प्रोजेक्ट में जितने घपले हुए यह तो रोजाना अखबारों में ही पढ़ लीजिये, ज्यादा नहीं दूसरे तीसरे दिन यह खबर आ जाती है चाहे आप सीमेन्ट का मसला लीजिए, चोरी के मसले में, कोयले की चोरी में, जब आप यह मानते हैं कोयले की चोरी होती है, जिस मात्रा में यह होती है और कोयला उपयोग में आना चाहिए और इसी प्रकार से पूरी मात्रा में उपयोग में नहीं आता इसका मतलब सही मोर्टाज नहीं होगा और अगर कोयला पूरा नहीं है तो सही टाइल आपकी पकेगी नहीं और जब इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप क्यों नहीं मानते हैं कि गड़बड़ी होती है, घपला होता है। इसके लिए भी आप तुरन्त कार्यवाही करें, एक नहीं सैंकड़ों आपके यहां ऐसे मसले आये हैं जिनके खिलाफ आपने नाम मात्र को एक. आई. आर. लौज की है बाकी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रिश्तेदार हैं एम. एल. ए. के।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसी प्रकार राजस्थान मेन कैनाल के आर. डी. 730, 739, 755 (1), 755 आर. डी. के चारों भट्टों के ऊपर कोयला, पानी

(श्री देवीसिंह भाटी)

का ओवर पेमेन्ट, मन्त्री महोदय, 6 लाख का कर दिया। और ठेकेदार के खिलाफ तो पी. डी. आर. की कार्यवाही चल रही है लेकिन जिस अधिकारी ने यह ओवर पेमेन्ट किया, किन हालत में किया क्यों किया और 6 लाख का ओवर पेमेन्ट कर दिया लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी. उस ठेकेदार के खिलाफ पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही कर दी जिसका कोई अता-पता नहीं, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार का जो ओवर पेमेन्ट होता है, जान-बूझकर किया जाता है उसके अन्दर भी कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में बातचीत नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसी प्रकार जो नया एक एक्सपेरिमेण्ट हो रहा है सीमेण्ट ब्लाक्स का। इस सीमेण्ट ब्लाक्स के लिए आप एक्सपेरीमेन्ट जरूर कीजिए लेकिन इसके अन्दर आपने टूट-फूट के लिए 5 प्रतिशत रखा हुआ है

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सक्सेसफुल है या नहीं ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो पानी छोड़ने के बाद में पता लगेगा।

श्री सी. पी. जोशी : अपेरेन्टली क्या है ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो यह कह रहा हूं यह कामयाब नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में बातचीत नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इस सीमेन्ट ब्लाक्स के अन्दर जो छूट दे रखी है पांच प्रतिशत की टूट-फूट की जबकि इसके अन्दर 20 प्रतिशत टूट-फूट आ रही है और वह आपके बेड लेवल के पास में, स्लोप के नीचे, वहां उपयोग में ला रहे हैं, और जिस दिन आप पानी छोड़ेंगे, प्रेशर पड़ेगा वो नीचे से खिसकेगी और पूरी की पूरी आपकी सीमेन्ट ब्लाक्स नीचे आ जायगी। इसके लिए भी आप टेक्निकली भी इसको दिखवाइये परन्तु इस प्रकार के ज्यादा टूट-फूट वाले ब्लाक्स हैं वो उपयोग में क्यों आ रहे हैं कौन ले रहे हैं, इसको भी आप रोकने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक मसले के ऊपर से जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान मेन कैनाल की वाटर सप्लाई चेनल जो कि 1200 ढाई से निकलती है उसकी आर. डी. साढ़े तेरह से 16 आर. डी. में पहले मशीन से काम हुआ और लॉग बुक में मशीनों से काम करना दर्शाया गया लेकिन उसके बदले में साथ में ठेकेदारों का भी कार्य दिखा दिया गया और ठेकेदारों को दो लाख 29 हजार का पेमेन्ट भी कर दिया और बाद में डिपार्टमैन्टली भी साथ में काम करवाया गया जिसकी मस्टर रोल आपके यहां मौजूद है उसकी जांच करेंगे तो सामने आ जायगा। इसी प्रकार, सभापति महोदय, बरवाड़ नाम की एक जगह है जहां पूर्व में यह जगह सलेक्ट की कि

(श्री देवीसिंह भाटी)

यहां से मिट्टी ले जाकर आप टाइल बनायेंगे और वह मिट्टी बाद में यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि इस मिट्टी के अन्दर कान्करीट हैं यह फैल जायेगी। वह आपने जगह खोद दी और आपने गड्ढे खुदवा दिये और वहां जो खर्चा हुआ वह किसके नाम लगा, जबकि यह टैक्निकली सारा होता है, लेबोरेटरी में इसकी जांच होती है कि यह मिट्टी उपयोग में आ सकती है कि नहीं, यह फिर बाद में वहां किया गया और उससे आपके यहां जितनी भी टाइल बनी वह सारी बेकार हो गई। इसी प्रकार राजस्थान मुख्य नहर की 1200 ढाई, आर. डी.-1207, 1212, 1227, 1222, 1277, 1231, पर ये टाइल भट्टों की रिजेक्ट की गई लेकिन रिजेक्ट करने के उपरान्त भी इन्जीनियर ने मिली-भगत करके वो वापिस उपयोग में ली और जिसके लिये विजिलेन्स वालों ने लिखित में भी भेजा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं पूर्व में आपके सामने कई मामले ला चुका हूं इस विधान सभा से पहले भी लेकिन कार्यवाही नहीं होती जब हमें बड़ा दुख होता है कि यहां सिर्फ अपनी बात कह दो, कार्यवाही कुछ होती नहीं है। इसके लिए मैं चाहूंगा पीछे वाले को छोड़िये, फर्स्ट फेज का तो आप ने जो कुछ भी किया, गड़बड़ी हुई कैनाल फुल तेजी से नहीं चल रही लेकिन आज जो सैकिण्ड स्टेज है उनको तो संभालो जिससे कोई गलत कार्यवाही नहीं हो। इन्जीनियर्स ने भी यह सोच रखा है कि कार्यवाही तो उनके खिलाफ में होनी नहीं है और जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर इन्जीनियर के पास पक्का मकान है और उनके खिलाफ में कुछ कार्यवाही होती नहीं, और कार्यवाही क्यों नहीं होती है वह हमारी समझ में नहीं आता। और हम सीधा कहेंगे तो वह कहेंगे कि आपने बिना नोटिस दिये चार्ज लगा दिया। इसलिये वह अपने आप समझ जायेंगे कि यह कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि एक नहर आप बना रहे हैं और साथ में ही आपने यह एक घोषणा कर दी कि हम पांच लिफ्ट योजनायें और बनायेंगे। मैंने जो सारे क्वेश्चन्स विधान सभा में पूर्व में किये हैं उसमें लूणकरणसर के बारे में आपसे मैंने बार-बार पूछा और आपका उत्तर यही आता है कि बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाने से लूणकरणसर की लिफ्ट कैनाल पूरी केपेसिटी में नहीं चला पाते हैं और टैल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अब बिजली आपके पास है नहीं और आपने पांच और नई लिफ्ट योजनायें सैक्शन कर दी हैं अब यह लिफ्ट योजनायें आप कब जाकर पूरी करेंगे। खैर, आपने वैसे शुरू तो कर दी है मात्र, पर कब इसका अन्त होगा और कितना पैसा इसमें खर्चा आयेगा। पूर्व में भी यही स्थिति रही है। मेरी समझ में नहीं आता मन्त्री महोदय इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। आपको बिजली कहां से मिलेगी, संसाधन कहां से आप जुटा पायेंगे और आपका इसमें प्रारूप क्या होगा? कभी तो आप कहते हैं

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि 20 किलो मीटर गजनेर तक चलेगी और कभी आप कोलायत तक बता देते हैं कि 40 किलो मीटर तक चलेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय सदस्य संक्षिप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, लिफ्ट योजना के बारे में जो गड़बड़ी हुई है वह 85-86 में जो खाका पेश किया गया है जिसके अन्दर गजनेर लिफ्ट योजना के अन्दर आप लिफ्ट चालू कर भी दें तो क्या आपके पास बिजली उपलब्ध हो जायेगी और अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो आपको गजनेर लिफ्ट योजना को चालू करना चाहिये, क्योंकि वहां पर एरिया फ्लैट है और वहां वह कैनाल कम्पलीट हो जायेगी। जब एक सिस्टम चालू हो जायेगा तो उस क्षेत्र की आबादी बढ़ेगी और वह योजना पूरी तरह से चल सकेगी। लेकिन आपने प्रोविजन किया है मात्र 40 लाख का और उसमें दस लाख रुपये रखे हैं आपने बिल्डिंग के खर्चे के लिये और 23 लाख रुपये रखे हैं आपने कैनाल के लिये। इस प्रकार आपने कोलायत के लिए दस लाख रुपये रखे हैं आपने बिल्डिंग के लिये और 13 लाख रुपये रखे हैं कैनाल के लिए इस प्रकार से 25 लाख रुपये आपने रखे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शार्ट करें। कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : शॉर्ट में ही कह रहा हूं और अब जोधपुर से आने वाले नहर मन्त्री हैं वह क्योंकि वह जोधपुर डिविजन से आते हैं उन्होंने वहां जोधपुर के अन्दर आपने 9 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। सभापति महोदय, इनके पूर्व जो मन्त्री थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की यह नहर जल्दी से जल्दी नोहर तला होती हुई चूरू जिले में पहुंच जाये क्योंकि वह चूरू जिले के रहने वाले थे। वह चूरू जिले में उसे ले जाने की कोशिश में थे और जैसा कि अभी माननीय सदस्य तारानगर से आने वाले बतायेंगे किस प्रकार की स्थिति नोहर और तला की थी वह कह रहे थे कि कैनाल शुरू ही नहीं हुई पर पूर्व मन्त्री का यह प्रयास था कि मुझे बताना है कि चूरू के अन्दर पानी ले जा रहा हूं। इसके बारे में सोचिये तो सही कि आप इसको कम्पलीट करने की स्थिति है या नहीं। मात्र चूरू से वो आ गये और चले गये और उनकी छुट्टी हो गयी और सारा काम-काज ठप्प हो गया। अब आप कितने दिन हैं यह मैं कह नहीं सकता हूं लेकिन आपने अभी तो प्रोविजन आगे कर दिया और आगे जाकर वह घुमा फिरा कर कहां जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपका तो यह रिकार्ड है कि आप डेढ़ साल से ज्यादा रहते नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अब आप कोई खुद ही सी. एम. बन जायें वह बात अलग है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मन्त्री पद का कह रहे हैं या मेरी लाइफ का कह रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : लाइफ का तो आप ज्योतिषियों को पूछें वह आपको बता सकते हैं मैं तो मन्त्री पद का ही कह सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप जो सिस्टम डवलप करने जा रहे हैं उसमें आपने नई लिफ्ट योजनाओं की घोषणा कर दी यह मेन कैनाल आपकी साढ़े अठारह हजार क्यूसेक्स की बनेगी इसकी केपेसिटी साढ़े अठ्ठारह हजार क्यूसेक्स की होगी लेकिन आज जो पानी आपको पंजाब से मिलना चाहिये वह भी आपको पंजाब से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह स्थिति वर्षों से चली आ रही है। आप किस ख्याल में बात कर रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि हम टेल तक पानी पहुंचा देंगे। आप कहते हैं कि हम बाड़मेर तक पानी पहुंचायेंगे, कच्छ की खाड़ी में पानी पहुंचा देंगे आपके पास पेशाब करने के लिये तो आपकी हस्ती नहीं है आप पानी क्या बाड़मेर और कच्छ की खाड़ी में पहुंचा पायेंगे। सभापति महोदय, अगर आपके मुख्य मन्त्रीजी में हिम्मत हो, तो आपके नहर मन्त्रीजी में हिम्मत हो तो, सिंचाई मन्त्रीजी में हिम्मत हो तो, वह पंजाब से अपने हिस्से का जो पी. एम. बी. का पानी है वह पानी आप ले आओ। आप अपने क्षेत्र के हिस्से का पानी जो फर्स्ट स्टेज का सिस्टम जो कम्पलीट हो चुका है उसका पानी भी आपके हाथ में नहीं आ रहा है, वहां पर लोग प्यासे मर रहे हैं खेती तो दूर वह लोग कर्जों से दब चुके हैं। पर यह पापी और जुल्मी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने हिस्से का पानी तो यह ले नहीं पा रहे हैं इसलिये मैं यह चाहूंगा कि आप उतने ही पांव पसारिये जितने लम्बी ठौर वरना यह फालतू की बातें आपको नहीं करनी चाहिये। एक अर्से से आपका हिस्सा जो आपको मिलना चाहिये वह शेयर आपको लेना चाहिये। एक सिस्टम जो बनना चाहिये उसमे कितना पानी हमारा बनता है और कितना पानी हम लेते हैं नहीं तो वो पानी आने नहीं देते हैं और वो पानी तब देते हैं जब उनके पास पानी ओवर फ्लो होता है। वह लोग आपको जबरदस्ती पानी देते हैं, तब आपको पानी मजबूरी से लेना पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप सिस्टम को डवलप करे और सबसे पहले जो पानी आपका है उसको आप लें और उस सिस्टम को डवलप करके पूरा का पूरा पानी आप अपने शेयर का ज्यादा से ज्यादा ले सकें वह लें। लेकिन वह आप कर नहीं पा रहे हैं। और आप कभी तो यह कहते हैं कि पूर्व में जो मेन कैनाल थी वह पूरी करेंगे। उसको डवलप तो कर

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं पा रहे हैं जबकि पूर्व में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष मैकनमारा साहब आये थे तब उन्होंने छत्रगढ़ का दौरा किया था तब उन्होंने कहा था कि यह किस प्रकार का आप डवलपमेंट कर रहे हैं टीबों के बीच में एक नाली निकाल दी क्या यह कैनाल है। आप क्या सिस्टम डवलप कर रहे हैं। सिर्फ नाली निकाल देना ही कोई मतलब नहीं है। अब आपने तय कर लिया है कि हम मैन कैनाल के आस-पास लिफ्ट कैनाल को पूरा करेंगे। उसकी तरफ तवज्जोह देंगे। हम तो यह चाहते हैं कि पूर्व में जो काम चालू किया गया था उसको आप प्रभावी ढंग से, पूरी कोशिश के साथ पूरा करने में केन्द्र के अन्दर आप अपना प्रभाव इस्तेमाल करें। और अपने हिस्से का पानी पंजाब से लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। शार्ट में करें। कृपया माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं शार्ट में ही कह रहा हूं, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, मैं इस सरकार को बहुत ही कमजोर मानता हूं क्योंकि हमारी जो फीडर इन्दिरा गांधी कैनाल की है वह फीडर पंजाब के हिस्से में बनी हुई है। उसमें अक्सर रोजाना चोरियां होती हैं। वहां पर पम्प लगाकर लोग पानी निकालते हैं वहां के साइफन से पानी निकालते हैं और आपके इंजीनियर्स की हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की, आपके इंजीनियर वहां जाने को तैयार नहीं होते हैं, कौन मौत के मुंह में जावें और कौन झगड़ा मोल लेवे, कौन मुकदमे बाजी में फंसेगा चाहे तो आखिर क्या हाल होगा ? आपके इन्जीनियर जाने को तैयार नहीं आपकी सरकार की हिम्मत नहीं और पानी सारा पंजाब में चोरी हो जाता है और इस हालत में यह चोरियां कैसे रूकेंगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) अगली बार आपको साथ ले चलूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : सारे मीटर खींच डालूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप बिलकुल तैयार हो जायें मैं विधान सभा के सत्र के समाप्त होने के बाद आपको अपने साथ ले चलूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : Thank you.

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I want to take advantage of is experience.

श्री देवीसिंह भाटी : साथ में मैं मन्त्री महोदय के यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि जैसलमेर में पूर्व में भी कोलोनाइजेशन के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज पाकिस्तान को बेच दिये थे। इस प्रकार से कुछ अधिकारियों ने जैसलमेर क्षेत्र में जो कि उस एस. ई. का क्षेत्र नहीं है गत 5-6-7 अप्रेल को जैसलमेर के दौरे पर गया उसका क्षेत्र नहीं था फिर भी कुछ पंजाबी सरदार

(श्री देवीसिंह भाटी)

लोगों को साथ लेकर गया और वहां पर उस क्षेत्र का दौरा किया इसका क्या मतलब था जबकि उसका सर्किल ही नहीं था. उसका क्षेत्र ही नहीं था और सभापति महोदय, पूर्व में उस इलाके में ऐसा हुआ है उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसकी गृह विभाग से जांच करावें और इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावे पहले भी कोलोनाइजेशन के अधिकारी पकड़े गये थे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कागजात पाकिस्तान पहुंचा दिए थे इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करने वालों के खिलाफ में तुरन्त कार्यवाही करावें और इस की गृह विभाग से निश्चित तौर पर जांच करावें। सभापति महोदय, अब थोड़ा काश्तकारों के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य शार्ट में शार्ट में, समाप्त करे।

श्री देवीसिंह भाटी : शार्ट में ही समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, गत पांच सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर या वित्त मंत्री के हर बजट भाषण के वक्त यही बात कही जाती है कि प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब की बार के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और अभी जो सन् 1985-86 का बजट पेश किया गया उसमें भी यही बात कही गयी है और अपने प्रगति विवरण में भी यही बात कही गयी कि प्रथम चरण लगभग पूरा हो गया है या लगभग पूर्ण होने वाला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक आप प्रथम चरण पर ही लगे हुए हैं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, कृपया शार्ट करें।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका प्रथम चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है आप सैकिंड स्टेज की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में आपकी स्थिति क्या है। जो आपने उसमें सिस्टम विकसित कर लिया है जिसके अन्दर आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं उनके साथ में छत्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, प्रथम चरण का आपका जो क्षेत्रफल है वह आपने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम में बताया है कि वहां काश्तकार पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। सभापति महोदय, जरा मुझ आप समय दें तो मैं....

श्री सभापति : कृपया शार्ट करें, बहुत समय ले लिया है, काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों से ही....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, काफी समय हो गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं समाप्त करने जा रहा हूं।

श्री सभापति : आप समाप्ति की परिभाषा बता दें, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, उदाहरण के रूप में बता दूं कि उन्होंने लूणकरणसर से लिफ्ट का क्षेत्र बताया है जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी का, यह इन्होंने 1979-80 में पूर्ण कर लिया था, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार के ऊपर विपणन जे. एम. टी. के इन्होंने टोटल सी. सी. ए. 15 हजार 109 एकड़ कहा है। इसके विरूद्ध रबी के अन्दर 464 एकड़ की काश्त हुई है और खरीफ के अन्दर 251 एकड़, यह अलग-अलग है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन इसका कारण तो बतायें, एक कारण तो आप बताते हैं, कोई काश्तकार पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। वहां मौके के ऊपर देखें. मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं जो माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी हैं बिलकुल लेवल्ड क्षेत्र है, लेकिन आप कहते हैं कि काश्तकार पानी लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब देंगे, कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसी प्रकार पूगल ब्रांच के ऊपर, जो डिस्ट्रीब्यूटरी से, गुट्टा वाला डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर जहां लगभग दो हजार पाक विस्थापित बैठे हैं, दूसरी बात कहूंगा तो यह कह देंगे कि साहब विस्थापित नहीं, चुरू के हैं, नागौर के हैं, लेकिन पाक विस्थापित वहां बैठे हैं। पीछे जगह कोई नहीं है वह आपकी जगह पर बैठे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके अधिकारी और सरकार उत्तर देते हैं कि काश्तकार पानी लेने को तैयार नहीं है। वह नहर के ऊपर तरसते हैं पानी के लिए आप पानी नहीं दे पाते, आप घोषणायें करते हैं बड़ी-बड़ी। जैसलमेर में जिस दिन राजीव गांधी ने आकर 18 अक्तूबर, 1988 को उद्घाटन किया उस दिन यह कहा कि हमने जैसलमेर के अन्दर पचास हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

श्री सभापति : एक मिनट हो गया है, आपने एक मिनट का समय मांगा था, कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उस जिले में आपने 1983 में घोषणा की और उसी प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि वहां पचास हजार एकड़ के अगेंस्ट में कुल 16 एकड़ में काश्त हुई। उसमें भी फसल हुई चार बीघा में यह स्थिति आपकी है, सिर्फ घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता। मैं यह चाहता हूं कि पूर्व में फर्स्ट स्टेज में पानी का सिस्टम है, उसको पहले कम से कम वना दीजिए जो लोग वहां बैठे हैं जो भूमिहीन की श्रेणी के हैं, जिनका कोई सहारा नहीं उनको पानी नहीं दे पाते तो मैं यह कहूंगा कि आपको सरकार में रहने का कोई धर्म नहीं है, आपका कोई ईमान नहीं है। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेज को सम्भालिये, सेकण्ड स्टेज में बहुत समय लगेगा। सभापति महोदय, नहर मिट्टी से भरी पड़ी है उसका कोई लेवल सही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। यह आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : पूगल सिस्टम की यह हालत है, छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की यह हालत है।

श्री सभापति : आप वापिस रिपीट कर रहे हैं। समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं आपने वाटर कोर्स के लिए....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आपने एक मिनट का समय मांगा था, आप पांच मिनट ले चुके हैं, अब समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मेरे दल से ही बोलने वाला हू और कोई नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सचेतक महोदय से पूछ लीजिये, और लोग भी बोलेंगे। कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : वाटर कोर्स के लिए किसानों को लूट रहे हैं। मैं कहता हूं एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया है कि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के ऊपर वाटर कोर्स की कीमत नहीं ले रहे, यह कोटा के अन्दर कीमत नहीं ले रहे हैं, दूसरे राज्यों हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के अन्दर काश्तकारों से कीमत नहीं ली जाती, वहां लूट रहे हैं सिर्फ पांच बीघा लाइन के ऊपर जो खाला निकलता है जिसके दोनों तरफ काश्तकार हैं उनसे यह नौ से दस हजार लेते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं कहता हूं कीमत किस बात की लेते हैं। जब आपने वाटर कोर्स पक्के बनाये हैं तो आपका जो सरप्लस पानी हुआ उसका लाभ भी आप उठायेंगे और किसान को भी आप लूटेंगे। यह कौन-सा तरीका हुआ। ऐसे कई मामले उलझे पड़े हैं इनको और उलझाने से कोई हल होने वाला नहीं है, न काश्तकार को फायदा होने वाला है और न ही सरकार को एक धेला मिलने वाला है। सिर्फ आपके छोटे अधिकारी, पटवारी ए. ई. एन. होंगे वह लूटेंगे, नोटिस जायेगा किसानों के पास कि क्यों न आपका पानी काट दिया जाए आपने वाटर कोर्स के पैसे नहीं जमा कराये।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिए आप एक पालिसी तय करें कि काश्तकार से वाटर कोर्स का पैसा नहीं लिया जायेगा। इसके लिए बार-बार रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिये जा चुके हैं विभाग को भी लिखा है.......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री सभापति : काफी समय हो गया है और सदस्य बोलेंगे कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : यह इस प्रकार की लूट मचा रहे हैं इरिगेशन वाले....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप समय सीमा तय नहीं करेंगे तब तक ये यूं ही बोलते रहेंगे, यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, लास्ट में कहना चाहता हूं इरिगेशन वालों ने काश्तकारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रखी है । इरिगेशन विभाग ने कोलोनाइजेशन विभाग को चकनाम भेज दिये हैं कि यह क्षेत्र विकसित हो चुका है, पर हमारे यहां विकसित हो रहे हैं । मैं आपको 20 माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी बता सकता हूं जहां आपका सिस्टम नहीं बना और आपने चकनाम भेज दिए इसलिए इरिगेशन वाले कोलोनाइजेशन वालों को कहते हैं वह जो कमांड वाली पेनल्टी है वह लगाते हैं इसलिए काश्तकारों के ऊपर नौ से सात हजार के नोटिस पड़े हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, विधान सभा में कंट्रोल नहीं हो रही है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह चाहूंगा कि··········

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें । काफी लम्बा समय हो गया है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक-एक मिनट करके एक घण्टा बोल चुके हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही पाइण्ट पर बोलना चाहता हूं । आप इस स्थिति को देखें जिस क्षेत्र में उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया उसके लिए कैसे उन्होंने चकनाम भेज दिये । यह किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है । जो आपके साथ में लाइट-लूम और हैंडलूम हैं इसके लिए भी आप देखें कि सरकार सूरतगढ़ ब्रांच को और पूगल ब्रांच को सारे एरिया पर हैंडलूम लेना चाहिए लेकिन लाइट लूम चार्ज लगा रही है इसलिए मैं चाहूंगा·······

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अन्य सदस्यों को मौका दें ।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके लिए भी कुछ करें । आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बोलना तो बहुत चाहता था··········

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, धन्यवाद आपको कि आपने समाप्त कर दिया । श्री नारायण सिंह । माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, कुछ मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और उनमें खास तौर से मेरे क्षेत्र और सीकर क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के साधन निकट भविष्य में और लम्बे समय बड़े साधन नहीं हो सकेंगे । हमारे यहां सिवाय कुओं से सिंचाई के अलावा दूसरा साधन नहीं है और जितनी वारिश कम हो उससे कुओं में पानी बिलकुल कम हो जाता है, इस साल बारिश की कमी के कारण बहुत सारे कुएं ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी रही, उनसे सिंचाई नहीं हो सकेगी । अभी कुछ दिन पहले सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में उन्होंने कहा कि

(श्री नारायण सिंह)

बांध बनाने के लिए कई रोज पहले सर्वे हुआ उसको महज इसलिये नहीं किया जा रहा है कि वह इनके बी. सी रेशो के अन्दर नहीं आता । तो बी. सी. रेशो का जो सिंचाई विभाग का मानदण्ड है उसको अगर समाप्त नहीं किया गया तो मैं सोचता हूं सीकर, झुंझूनूं, नागौर, जयपुर इनके अन्दर कभी भी बांध जैसी चीज बनने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती । हमारे यहां छोटे-छोटे बांध बन सकते हैं और उनसे सिंचाई हो सकती है, उनसे पीने के जो कुए हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है और जब तक इन बांधों को नहीं लिया जाकर पानी को नहीं रोका जायेगा तो मेरी मान्यता है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि पीने के पानी की भी समस्या पैदा होगी और जहां सिंचाई का साधन सिर्फ कुए हैं, क्योंकि बिजली की रेट बढ़ रही हैं और किसान के साधन और जो दूसरे इम्पलीमेन्टस् हैं, खेती के जो सामान हैं वह मंहगे होते जा रहे हैं और उसकी जो पैदावार की इनकम है वह घटती जा रही है । ऐसी सूरत के अन्दर हमको निश्चित रूप से इस विभाग को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं । कि वह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता । यदि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो क्या जो बी. सी. रेशो है उसको किसी तरह से कम नहीं कर सकते हैं । हम उनको दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो पीने के पानी की जो समस्या है, कुओं के अन्दर पानी कम हुआ है निश्चित रूप से इन छोटे-छोटे बांधों को यदि लिया जायेगा तो कुओं के अन्दर पानी बढ़ेगा, जमीन का जो कटाव है वह रुकेगा और उसके रुकने से निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी । हम चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी योजनायें, बड़ी-बड़ी वृहद् परियोजनायें लें-इसमें मैं ना नहीं करता वह भी ली जानी चाहिए लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि 125 करोड़ रुपये में से माइनर इरिगेशन के लिए 1 करोड़ रुपया रखा है और सारे राजस्थान में एक करोड़ रुपया माइनर इरिगेशन के लिए रखा जा रहा है यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

एन. आर. ई. पी. के अन्दर चाहे छोटे बांधों को लें क्योंकि एन. आर. ई. पी. के अन्दर कुछ बांध हमारे यहां लिये जा रहे हैं उनमें कुछ काम भी हुआ है लेकिन उनसे मान लें कि इतना पैसा नहीं है जिसके कारण से वह काम पूरे हो सकेंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 5-6 बांधों का सर्वे होकर रखा हुआ है, विभाग को भेजा हुआ है उसमें से कुछ दो-तीन बांध एन. आर. ई. पी. के अन्दर लिए गए । एन. आर. ई. पी. के अन्दर इतना ही पैसा आता है कि कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, कभी चलता है इसलिये मिट्टी जो इकट्ठी की है वह वापिस चली जाती है तो इससे उन बांधों का काम न तो कभी पूरा हो सकता है और न कभी पूरा होने की उम्मीद है । इसलिए निश्चित रूप से इरिगेशन का पैसा विभाग अपने हाथ में ले और यह जो राक और बी. सी. रेशो का मापदण्ड बना रखा है इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन करें ।

(श्री नारायण सिंह)

हमारे यहां एक सरोवती का बांध है उसमें, सभापति महोदय, जितना रुपया उस बांध के बनाने में लगता उससे कहीं बहुत अधिक.........

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की अनुमति से दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री नारायण सिंह : उस बांध के बनने में जितना पैसा उस पर खर्च होता उतना पैसा उसके बाढ़ के कारण से उस पर रोक-थाम के लिए उस पर खर्च हो गया है। उसके साथ ही साथ काफी लोगों का नुकसान हुआ है, काफी गांवों का नुकसान हुआ है, काफी सिंचाई और बारानी जमीन बरबाद हुई है लेकिन क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन के जवाब में मन्त्री महोदय ने यह कहा कि यह हमारा बी. सी. रेश्यो में नहीं आता इसलिए चाहे पानी कितना ही आये, चाहे घास बरबाद हो, चाहे बाढ़ आये या कुओं में पानी बढ़ जाये उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा जो रेश्यो हमने तय कर रखा है उसके अन्दर आना चाहिए नहीं तो हम उसको नहीं लेते। तो मैं निश्चित रूप से इतना ही कहूंगा, इतना ही आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है, कुछ जिलों की समस्या है वह मूलभूत समस्या है और उस ओर ध्यान आप देंगे तब निश्चित रूप से हमारे यहां के लोगों का और हमारे यहां के किसानों का भला होगा, हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति इससे सुधर सकती है और यदि राजस्थान कैनाल से, चम्बल से अनाज तो राजस्थान को मिल सकता है लेकिन किसानों की पैदावार नहीं बढ़ सकती, उसकी- आमदनी नहीं बढ़ सकती। यदि यहां कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो निश्चित रूप से यह इलाका पिछड़ जायेगा और जहां-जहां, बड़े-बड़े बांध हैं, बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर ही बांध बनते जायेंगे, उन लोगों को ही फायदा देते जायेंगे तो कुछ लोग तो निश्चित रूप से पिछड़ जायेंगे और जिनको ज्यादा फायदा मिलेगा इस बजट के पैसे का और इन योजनाओं का वह आगे बढ़ेंगे मेरा इतना ही निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और गम्भीरता से लेकर जो बी. सी. रेश्यो की एक रेखा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री डूंगरराम पंवार।

श्री गोपर्तसिह : सभापति महोदय हमारे दल को समय नहीं दिया ।

श्री सभापति : आपके दल को भी समय मिलेगा । सदन का समय बढ़ा दिया गया है आपको भी समय मिलेगा । श्री डूंगरराम पंवार ।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.वी.) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई योजनाओं के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान स्टेट के अन्दर प्रथम योजना गंग कैनाल, उसके बाद भाखरा और चम्बल प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल। यह प्रोजेक्ट सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। राजस्थान कैनाल एशिया में ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है । इसमें इन्जीनियर लोगों ने जब से इसका निर्माण शुरू हुआ तो बहुत ही लापरवाही से काम किया है जिसकी वजह से मैन फीडर के पास नहर पूर्ण होने से पहले ही ब्रेक हो गयी है । इसका यह सबूत है । इसकी बेंड में और साइड़ों में जो मेटेरियल गलत लगा है, कम लगा है उसकी वजह से यह ब्रेक हुआ और बड़ी मुश्किल से रोक पाये हैं। आज यह हालत है इस नहर को, कि यदि वहां से खाली कर दी जाये, खाली करके देख लें बाहर से इतना प्रेशर है सेम की कि आज भी वह लाइनिंग ब्रेक हो सकती है और आगे इसका क्या हाल होगा सब को पता है। इस नहर का निर्माण इतनी धीरे गति से हुआ तो यह पूर्ण होने से पहले ही जर्जर होती जा रही है और इसके मेटेरियल में अनाप-शनाप चोरी हुई है और टाइल्स इसमें एक नम्बर की लगनी चाहिए और जितनी बजरी और सीमेण्ट लगनी चाहिए उस अनुपात में नहीं लगी-इसका सबूत यह है कि नहर कमजोर पड़ी है। यह सीमेण्ट कहां गयी ? चोरी हुई है और उसका पैसा अधिकारियों और दलालों की जेब में जिन दिनों सीमेन्ट के दर्शन नहीं होते थे प्राइवेट, चीनी तो इतनी कम जाती थी गांव में कोटे की वह तो परहैड 200 ग्राम मिल सकती थी लेकिन सीमेन्ट इतना कम आता था कि जिस गांव के किसान को जरूरत है, अपने पीने के पानी का कुंड बनाने के लिए उनको भी नहीं मिल सकती थी। सीमेण्ट इतना कम आता था कि परहैड 50 ग्राम नहीं मिलती की, पुड़िया में ले जाओ तो मिल सकती थी लेकिन उन दिनों आलीशान और सार्वजनिक निर्माण में वह काम आ रही थी। जब उनसे कहा गया कि सीमेण्ट कहां गयी तो तो कहने लगे कि यह तो आपका वहम है. सीमेण्ट कहीं नहीं जा रही है। तो यह तो हुआ इनकी वफादारी का सबूत कि जिस तरह से नहर बनाई है और जब इनके पक्के वाटर कोर्सेज हैं वह किस तरह के बने हैं। घटिया किस्म का निर्माण है उनका ।

(5.00 म. प.)

सीमेन्ट पूरी लगी नहीं, बजरी पूरी लगनी नहीं, लेबर का ध्यान नहीं रखा गया जिसकी वजह से खालें आज टूटे पड़े हैं जिसकी रिकवरी चक्रवर्ती ब्याज सहित किसानों से वसूली की जा रही है और वसूली का नोटिस जारी है और यही नहीं सख्ती से वसूली का आदेश जारी है और और वसूली नहीं आये तो पानी की बारी, काट दी जाय तो पानी की बारी काट देंगे तो फिर किसान से क्या लेंगे, जब उसकी आप ही खतम हो जायगी तो फिर वह अधिक

(श्री डूंगरराम पंवार)

अन्न उपजाओ की नीति कहां गई ? अध्यक्ष महोदय, यह तो एक राष्ट्रीय अपराध है, पानी की बारी काट करके अन्न-उपजाऊ होने वाले उत्पादन को नुकसान पहुंचाया जाय, यह कोई नीति नहीं है।

जिस प्रकार से सख्ती कर रहे हैं और खालों का यह हाल है कि वे टूट चुके हैं और अब इसमें पानी की क्षमता, टोटल क्षमता है 18 हजार 500 क्यूसेक्स। यह कब चलेगी जब इसकी शाखायें सब कम्पलीट हो जायेगी तब चलेगी। और इतने तक पानी कहां जायगा तो इस बात का आपको पता होगा कि जो एक्सेस इसका पानी था वह कौन लें। यह माथुर साहब के जमाने में फैसला हुआ है। फालतू पानी पंजाब को गया है। फालतू पानी को पंजाब सम्भाले और पंजाब ने यह कन्डीशन लगाई है कि हम पानी इस तरह से नहीं सम्भालेंगे जो पानी आप दे रहे हैं. इसका प्रयोग करेंगे और फिर जब आपको आवश्यकता होगी. जब पानी वापिस लेवोगे, वह पानी इस प्रकार से नहीं ले सकोगे। हमारी कन्डीशन यह है कि हम इस पानी का जो उपयोग करेंगे उसका कोई दूसरा सोर्स तैयार न कर लें तब तक पानी आप वापिस नहीं ले सकते हैं। इस शर्त पर साइन हो चुके हैं हमारी सरकार के। वे पानी का दूसरा सोर्स क्यों बनायेंगे। यह नहर का 18 हजार क्यूसेकस पानी कहां जायेगा, यह सोचने की बात है।

अब दूसरी हमारी योजना जो है गंग कैनाल वह सब दल-दल हो चुकी है जिसका विस्तार 2700 क्यूसेक्स था, अब तो नहीं रहा। अब टोटल है दो हजार क्यूसेक्स। नहर रो रही है उसकी हालत यह है कि दूसरा जरिया जो उस नहर का लिंक करने का है उसका कोई कार्य नहीं चलता, बन्द पड़ा है और गंगानगर जिले की जो पुरानी सिंचाई थी उसमें वहां जो सर-सब्ज एरिया था आज वह बरबाद हो रहा है जिसमें फलदार बाग थे, ये सब बाग नष्ट हो चुके हैं।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारे सिंचाई मन्त्री जी कहां है, बहुत महत्वपूर्ण बहस हो रही है, उनका पता नहीं है ? उनको इसका जवाब देना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री जी मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रिमण्डल के दो सदस्य मौजूद हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री शोपतसिंह : मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। जिनको रिप्लाई देना है ··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई आवश्यक नहीं है। माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं।

श्री शोपतसिंह : डिमान्ड के रोज ही आवश्यक नहीं है तो आवश्यक कब है, बता दें। बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। या तो फिर बहस ही बन्द कर दें।

श्री सभापति : मन्त्री जी मौजूद हैं। कृपया चालू रखें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ज्वाइन्ट रेसपान्सबिलिटि है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री शोपतसिंह : यह कोई तरीका है, गलत है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : स्तुति भी अच्छे ढंग से करो भाई।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, यह ध्यान से सुन लें इस राजस्थान नहर का हर एक्स. इ. एन. करोड़पति हो गया है और एस. ई. का तो कहना ही क्या है, उससे आगे है और इसका सबूत देख लें। बीकानेर में सार्दुलगंज में इनकी बिल्डिंग देखिये–आलीशान और अनोखी डिजाइन की हैं। इन सबकी जांच कराई जाय कि इनके सोर्स क्या थे। जब सर्विस में लगे, जब अपाइन्टमेंट हुई तब क्या था और अब क्या है। ये सब कहां से आई। जमीनें खरीदी, बिल्डिंगें बनाई हैं और एक कस्बे में नहीं कई शहरों में हैं। आज वे सब बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हैं। इनके नाम से नहीं मिलेगी लेकिन वे पकड़े जा सकते हैं अच्छी तरह से। एक और ज्यादती है कि जो सरकारी राजस्थान कैनाल का मेटेरियल्स था ८५को मार्केट नहीं बेचा क्योंकि उन मटेरियल्स में मार्का था, आर. सी. पी. का नम्बर लिखा था इसलिये उसको बिल्डिंगों में लगाया है। इस प्रकार जो पैसा था उसको आधा-आधा डकारा। नहर का निर्माण घटिया किस्म का इसलिये हुआ है और यह भोगना किसको पड़ेगा राजस्थान की जनता को।

आज ये सब अमीर बन रहे हैं, आलीशान मकानों में बैठे हुए हैं। सरकारी मशीनरी में इतना सरकार को गोल बनाया है जिनकी ड्यूटी कहां है और बैठे कहां है। एक एक्स. ई. एन. की ड्यूटी नाचना में है, बैठा कहां है—बीकानेर में। एक एक्स. ई. एन. की ड्यूटी मोहनगढ़ में है बैठा कहां है, बीकानेर में। तो इनके हैड्क्वार्टर कहां है और बैठे हैं तीन-तीन सौ किलोमीटर दूर। कोई हरियाणा में तो कोई लुधियाना में बैठा है, कोई अमृतसर में है तो कोई पंजाब में। गाड़ियां तो है ही क्योंकि उनके भाई, रिश्तेदार वगैरह वहां बैठे हैं इसलिये वे भी वहीं बैठे रहते हैं। इनका जुरिस्डिक्शन कहां है और बैठे कहां है। यह सब सरकार को पता है लेकिन सरकार इनको छेड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इनका मनोबल गिर जायगा। इनका मनोबल ऊचा रखना चाहती है सरकार। हम कोई एक्शन लेने की बात करते हैं तो सरकार डरती है औरकहती है मनोबल गिर जायगा। इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं चोरी करा करा करके। मेरा कहना है यदि ईमानदारी से इस कैनाल की जांच कराई जाय तो जो रामसिंह आयोग में दोषी ठहराये गये, 196 इंजीनियर्स हैं उसमें से एक नहीं बच सकता है। सबके सब दोषी पाये जायेंगे लेकिन इतना

(श्री डूंगरराम पंवार)

खर्चा करके सरकार ने रामसिंह आयोग बैठाया और फिर वही सरकार इनकी वकालत करने लग गई और कहने लगी कि रामसिंह आयोग को तकनीकी ज्ञान नहीं है। तकनीकी ज्ञान नहीं है तो फिर आयोग बैठाया ही क्यों। उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मानी गई।

यह सही है कि इस कैनाल का जिस प्रकार से अफसरों ने और इंजीनियरों ने सत्यानाश किया है, ऐसा किसी नहर का हो नहीं सकता और दूसरी बात यह है कि जो तैयार होने वाली शाखायें हैं, इनको तो बात छोड़ो उनका क्या होगा, जहां तक कम्पलीट है। उन नहरों का हाल यह है कि वे सिल्ट से भरी हुई हैं—आधी से ज्यादा सिल्ट से भरी है चाहे वह माइनर है और चाहे डिस्टिब्यूटरी–सबकी सब सिल्ट से भरी हुई हैं। अन्दर मिट्टी की पर्तें पड़ी हुई हैं पक्की लाइन के अन्दर, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। इंजीनियर लोग पेन्ट टाई लगा करके जा रहे हैं और बाहर से ही उनको देखकर आ जाते हैं। सिल्ट को देखते ही नहीं है क्योंकि उनको अपना पर्सनल ध्यान रहता है, उनको अपने कपड़ों का ध्यान रहता है कि कहीं खराब न हो जाय।

श्री सभापति : शार्ट करें, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : जब इंजीनियर साहब आते हैं तो उनको यह भी ध्यान रहता है कि कहीं रेत उड कर के न लग जाय, उनकी कार के रेत न लग जाय। इस प्रकार के वे इंजीनियर जेन्टिलमेन बने हुए हैं। उनकी सर्विस यही है कि आना-जाना बना रहे, जिनकी जीपें दौड़ती रहती हैं और नहर का काम कुछ नहीं करते हैं। और नहर का कुछ नहीं करती, जहां से टूटने वाली है चाहे वह ब्रीच हो जाय, ब्रीच हो जाने के बाद इत्तला मिलती है कि ब्रीच हो गया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शार्ट करें।

एक माननीय सदस्य : समाप्त करें, हुजूर।

श्री डूंगरराम पंवार : मैंने ज्यादा कह दिया और आगे का उदाहरण दे दिया। आप कहते हैं अब आइये साहब नहरों के चार विभाग हैं आर. सी. पी., सी. ए. डी., फ्लड टैस्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल और सिंचाई। क्वालिटी है ही नहीं कण्ट्रोल किस बात का किया। खालों की क्वालिटी तो ऐसी है कि बनाते गये हैं, पानी छोड़ते हैं और टूटते गये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें। काफी लम्बा बोल चुके हैं आप।

श्री डूंगरराम पंवार : एक मिनट।

श्री सभापति : हां, एक मिनट आप ले लें। एक मिनट आपको दिया जाता है बोल लें।

श्री डूंगरराम पंवार : सभापति महोदय,

(श्री डूंगरराम पंवार)

जिस प्रकार से इस नहर का निर्माण किया है इस नहर का भविष्य खतरे में है और इसके जो काश्तकार हैं उनको इसका खामियाना भोगना होगा इसलिए क्यों नहीं इसकी समय रहते हुए जांच करायी जाकर जो घटिया किस्म का निर्माण करने वाले लोहा, सीमेण्ट, बजरी खाने वाले उन लोगों को दण्डित किया जाय और किसानों को राहत दी जाय क्योंकि यह खालों में इतना घोटाला हुआ है यह किसान ही भुगतेगा। इस अपने लाडले इंजीनियरों को ले लो तो मैं यह कहता हूं कि इतनी इनकी पाचन क्रिया बड़ी मजबूत है सीमेंट, लोहा, बजरी, ईंट सब खा गये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। रिपीट नहीं करें उसी बात को।

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिए...... रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं सही बात कह रहा हूं...

श्री सभापति : नहीं, सही बात आप कहते होंगे लेकिन रिपीट हो रही है कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : बाकी सिंचाई योजना नयी बनाने की तो बात बाद में है लेकिन जो पहले से है इसको खतरा है इसकी जांच करायी जाकर के और इसको सही रूप में इस नहर को बनाया जाय और इसका बाकी कार्य जो युद्ध स्तर पर चालू किया जाकर पूरा किया जाय। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री रतनलाल ताम्बी। आपका नम्बर भी आयेगा। श्री रतनलाल ताम्बी। मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से कि 5 से 7 मिनट का समय मिलेगा। अधिक समय नहीं लें क्योंकि अभी कई सदस्यों को बोलना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं क्योंकि निर्दलीय हूं...

श्री सभापति : हां, आप भी बोलेंगे। आपका भी नम्बर आयेगा। हां आप भी बोलेंगे आप का इसके बाद आयेगा। कृपया चालू रखें।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : इनका कहना यह है कि इधर वाले बोल लिये उधर वाले बोल लिये ये निर्दलीय हैं इसलिए इनका नम्बर आना चाहिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) ; माननीय सभापति महोदय, हम आज उस महत्वपूर्ण मांग पर विचार करने जा रहे हैं...

श्री सभापति : हां, पक्ष, ना पक्ष दोनों तरफ से आयेगा। आपका भी आयेगा। कृपया चालू रखें, श्री रतनलाल ताम्बी। आपका नम्बर अब आयेगा। आप कृपया बैठें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, इनकी बात पर ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें 75 प्रतिशत किसानों का आदमियों का सीधा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय, ने इस विभाग से सम्बन्धित चाहे इन्दिरा गांधी नहर हो, चाहे सिंचाई विभाग हो दोनों योग्यतम मन्त्रियों के हाथों राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का भार सौंपा है। मैं इस बात को इस आधार पर कहना चाहता हूं""

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : कि इन दोनों योजनाओं को आज आधुनिक तकनीक के साथ इसमें मितव्ययता और अपव्यय को रोककर राजस्थान की प्यासी भूखी धरती पर इन योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करके राजस्थान को किसानों की समृद्धि की ओर योगदान देंगे। सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में हमारी विधान सभा की कमेटी के माध्यम से पिछले दो वर्ष पहले लगभग 7 दिन तक हमने अध्ययन किया था जिन विकट परिस्थितियों के बीच में इस राजस्थान की सूखी प्यासी धरती पर, उन धोरों की धरती पर पानी पहुंचाने के लिए जो प्रयास किये गये है वह इसलिए स्तुत्य हैं। मैं यह नहीं कह सकता इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें घोटाला नहीं हुआ हो पर इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इंजीनियरों ने जिन प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण काम को हाथ में लिया, व्यास और सतलज के उस स्थान से लगाकर जहां से इसका उद्गम हुआ है बराबर से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस समय के इंजीनियरों ने और प्रशासकों ने मिलकर राजस्थान की कायाकल्प की जो कल्पना की थी उसका साकार स्वरूप आज हमारे सामने है। करीब 659 किलोमीटर की लम्बी नहर राजस्थान की जीवन रेखा को एक तरह से बदलने वाली नहर है या इस जीवन रेखा भी कह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री महोदय से कि आपकी इस मामले में काफी रुचि है, आपने इस पर पिछले वर्ष में ध्यान दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र से आने वाले लोग चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों इस बारे में सुझाव देते हैं और भ्रष्टाचार की बात भी कहते आये हैं तो इस बारे में आप जितने भी प्रयास कर सकें वह कर और यह योजना बहुत जल्दी पूरी होनी चाहिए। प्रथम चरण भी पूरा नहीं हुआ और दूसरा चरण में काफी काम बाकी है। तो जितनी योजनाएं देर से पूरी होती हैं उतनी ही अधिक धन की आवश्यकता होती है उससे राजस्थान के अन्य हिस्सों की जनता को इससे बहुत भारी नुकसान होता है क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय आपकी योग्यता और कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसको आप कितनी जल्दी समाप्त करते हैं।

इसके साथ-साथ अब मैं दूसरी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान के ऐसे हिस्से हैं आज भी जहां लगभग 46 प्रतिशत पानी बेकार जा रहा है इसका किसी तरह उपयोग नहीं हो रहा है। आज राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वह सिंचाई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का काम है। राजस्थान की जनता सबसे पहले काम चाहती है तो सिंचाई योजनाओं को पूरा करानी चाहती है मन्त्री महोदय दोनों इस बात पर दृष्टिपात करें। यह पुस्तिका मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूं इन योजनाओं के नाम मैं बराबर देखता आ रहा हूं यह कभी पूरी नहीं होतीं। इसलिए आप उतनी ही योजनाओं को अपने हाथ में लें जितनी आप उसको समय पर पूरा कर सकें ताकि इनकी लागत बढ़कर के राजस्थान का इससे बहुत भारी नुकसान होता है वह आगे जाकर के नहीं हो। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि 51 से जहां 4 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होती थी आज लगभग 21.52 लाख हैक्टेयर की सिंचाई हुई है और इससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हमारे बहुत सारे भाई विपक्ष से आने वाले कहते हैं कि राजस्थान में इन 37-38 सालों में इस कांग्रेस सरकार ने क्या किया। जहां 4 लाख हैक्टेयर जमीन पता नहीं कितनी सदियों से राज करने वाले लोग, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे अंग्रेज हों उनके जमाने में जहां हुआ वहां 37 साल में मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम हुआ इस बात का उदाहरण है। मेवाड़ में हमारे पीढ़ी में एक तालाब बनाया था, कभी राजसमन्द जी की पीढ़ी ने बनाया, कभी जयसमन्द जी की पीढ़ी ने बनाया। गोपाल सागर एक पीढ़ी ने बनाया और यहां 37 साल में सैंकड़ों बड़ी-बड़ी योजनायें इस प्रदेश में लागू हुईं····

श्री यदुनाथ सिंह : आज तक नहीं टूटे हैं वह जिन्दा हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में बातचीत नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो देश में क्षेत्रफल के हिसाब से संभवत: दूसरा प्रदेश है जहां 3 लाख 42 हजार 214 वर्ग किलोमीटर में यह प्रदेश फैला हुआ है और देश की 11 प्रतिशत भूमि राजस्थान में है और जहां 72 प्रतिशत से अधिक किसान राजस्थान में हैं उनके लिए योजनाबद्ध सिंचाई का मास्टर प्लान बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आंकड़ेबाजी तो बहुत तैयार की है पर समय को देखते हुए मैं ज्यादा कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत पुराना है और उस सिस्टम के आधार पर बहुत पानी हमारा बेकार जा रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं यह चाहूंगा जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कैनाल है उनकी लाइनिंग का काम पहले फर्स्ट स्थान देकर के पूरा करायें तो वर्तमान योजनाओं से ही आपकी सिंचाई की क्षमता सवाई से ड्योढ़ी के बीच में हो सकती है। इस तरफ आपका ध्यान जायेगा और वोराबन्दी का मामला और इसी तरह आपकी नयी तकनीक के आधार पर किस तरह आप नहरों को ठीक कर सकते हैं, रखरखाव ठीक कर सकते हैं इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विभाग के पुनर्गठन के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय कि आपके विभाग में कई जगह फिजूल खर्ची है, कई जगह आपके फिजूल आफिसर लगे हुए हैं, एक एक्स. ई. एन. के साथ तीन सब डिवीजन हैं, कहीं 8 हैं और कहीं 5 हैं। इसमें भी बड़ी विषमता है इसको आप एक बार देखकर के सही ढंग से इसका पुनर्गठन करें। उदाहरण के तौर पर मैं भीलवाड़ा जिले के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर डिवीजन है सिंचाई विभाग का प्रथम उसमें 6 सहायक अभियन्ता काम करते हैं और दूसरा डिवीजन है उसमें केवल 3 सहायक अभियन्ता काम करते हैं। ऐसे ही मैं समझता हूं कि राजस्थान में कई हिस्सों में व्यवस्था होगी। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि प्राथमिकता के हिसाब से आपको क्षेत्रों का चयन करना पड़ेगा। राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई योजनायें न वर्तमान में ज्यादा हैं न भविष्य में बनने की गुंजाइश है वहां पर सहायक अभियन्ता लगे हुए हैं। मेरा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र से मैं आता हूं। आज उदयपुर डिवीजन में और खास तौर पर भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक सरप्लस पानी जहाजपुर क्षेत्र में मौजूद है। जहां पर 18 सिंचाई की योजनायें सर्वे शुदा कम्पलीट तैयार पड़ी हैं। धनाभाव के कारण, कभी एन. आर. ई. पी के नाम से, कभी अकाल के नाम से हजारों रुपया उसमें लगाते हैं योजनायें पूरी नहीं होती हैं मैं बार-बार मांग करता आ रहा हूं। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र में पिछले चार पांच वर्षों में काफी उपेक्षा हुई है। मैं नये सिंचाई मंत्री महोदय से जो कि स्वयं उस क्षेत्र से परिचत हैं, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप सहायक अभियन्ता और सर्वे कार्यालय यह दोनों दफ्तर जहाजपुर क्षेत्र में जहां पानी सर्वाधिक फालतू जाता है उसकी कई योजनायें पड़ी हुई हैं उस पर आपका ध्यान जायेगा तो हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

यहां एक खास तौर से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपका रख-रखाव की तरफ ध्यान बिलकुल नहीं है। आज ऐसा मेरा अन्दाजा है, मेरी अपनी सूचना के आधार पर 20 रुपये प्रति एकड़ का जो रख-रखाव पर खर्चा करते हैं जब कि 15 से 18 रुपया प्रति एकड़ आपके स्टाफ पर आज भी खर्चा होता है। दो रुपया, तीन रुपया एकड़ में क्या रख-रखाव होता होगा और इसमें आप जानते होंगे कितना पैसा पूरा लगता होगा। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान प्रति एकड़ पर जब तक करीब 35 या 40 प्रतिशत के बीच में नहीं जायेगा तब तक तालाबों की जो हालत है सुधारी नहीं जा सकती। चूना, सीमेंट, मैटीरियल, मजदूरी सबके, भाव बढ़ गये हैं उस स्थिति में किस प्रकार से रख-रखाव होगा। आपके तालाबों से सीपेज बहुत होता है और नहरों से बहुत सीपेज होता है और हालत बहुत खराब है। आज आपके वित्त आयोग ने जहां 70 रुपये प्रति एकड़ इसमें रख-रखाव पर खर्चा प्रस्तावित किया है। और आज राजस्थान में 15 करोड़ की आय और 17.50 करोड़ व्यय जो कुछ होता है इसके आधार पर कह सकता हूं कि इस तरह की स्थिति में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यह

(श्री रतनलाल ताम्बी)

निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा नुकसान होना है।

मैं इस अवसर पर माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से ध्यान करलें, मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव हैं। आज आपके सिंचाई विभाग में वर्क चार्ज स्टाफ के नाम से और मस्टर रोल के नाम पर बहुत बड़ी तादाद में स्टाफ भर्ती है। मैं यह चाहता हूं कि आप उन पूरे स्टाफ को मुन्शियों का दर्जा देकर, मुन्शी भी आपके यहां कहते हैं उनको आप थोडा प्रशिक्षण दे दें और जितने तालाब आपके हैं उन पर डिमाण्ड का सर्वे और सिंचाई जितनी होती है उसको मौके पर जाकर दर्ज करने का काम उन मुन्शियों से करवा सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं मैंने जहाजपुर में तालावों को देखा है उसमें पिलाई की जो कुछ आमदनी है उससे दुगुनी, ढाई गुनी जरूर आपकी आमदनी वढ़ जायेगी। यह जो आपका दुनिया भर का वर्क चार्ज के नाम से स्टाफ भरा पड़ा है उसी स्टाफ को, मुन्शियों का आप इनको प्रशिक्षण दे दें। पटवारी और अमीन के काम को आप समझा दें तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी बचत होगी।

एक वात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मैं पंचायत समिति का प्रधान भी रहा और प्रधान बनने के बाद मैंने अनुभव किया। मैंने वड़ी कोशिश की कि अपने नियम-कायदे बनाकर जिस तरह सिंचाई विभाग के इरिगेशन ड्रेनेज रूल्स और एक्ट हैं वह मैंने बनाये थे, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन तालाबों की हालत बहुत खराब है उनका रख-रखाव नहीं होता है। इसलिये मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, मुझे पंचायत समिति या पंचायती राज से कोई नाराजगी नहीं है। मैं स्वयं उसकी उपज हूं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनकी हालत बहुत खराब होने के कारण और खराब होती चली जा रही है, इनका रख-रखाव ठीक नहीं हो रहा है। इनके वर्क्स सब लावारिस हैं। मटेरियल लोग ले जाते हैं। इसलिये इन तालाबों का रख-खराव सिंचाई विभाग वहन करे, चाहे उससे जो आमदनी होती हो उसका कुछ प्रतिशत आप उसका 50 एकड़ तक या 100 एकड़ तक तालाबों का भी पचायतों को वांटते हों तो देवें। वरना इस हिसाब से इन तालावों की हालत बड़ी खराव हो रही है आगे जाकर पंचायत समिति के अन्दर और समाप्त हो जायेगी। ऐसी मेरी मान्यता बनी हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। एक मास्टर प्लान सिंचाई विभाग का आप पूरे जिले का निश्चित रूप से योजना बनादें वह योजना समग्र होने के बाद जितना आपके पास पैसा हो अपने आप आगे बढ़ते चले जायें निर्माण के काम स्वीकृत हो जायें। इस तरफ आपका ध्यान जायेगा।

इसी तरह से एनीकट, लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई 300–350 किलोमीटर बनास नदी का पानी नाथद्वारा के पास बहकर चला आता है। मेरी कान्स्टीटुऐन्सी में 40-50 किलोमीटर तक बनास नदी बहती है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उसके आस पास पानी हम देखते हैं। हमारे किसान जो इस बात से बड़े नाराज हैं कि जो सरकार किसानों की भलाई की बात करती है, करोड़ों रुपया योजनाओं में लगाती है और हमारे सामने से पानी बहकर चला जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं मेरे यहां लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई जा सकती है। हमारे यहां पर बनास नदी से तालाब फीडर बनाकर भरे जा सकते हैं। आज वह इलाका जिसमें 40 या 50 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें इस बनास का दर्शन लाभ जरूर हो जाता है इसके अलावा कोई लाभ नहीं हो रहा है। सिंचाई मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बनास नदी पर एनिकटस बनायें, कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनायें उस नाथद्वारा के साथ लगे जगह-जगह जो पानी बेकार जाता है, अभी आप कुछ लोग कहेंगे कि बीसलपुर प्रोजेक्ट इसके बीच में आता है। बीसलपुर प्रोजेक्ट की भी मेरे पास सारी स्थिति मौजूद है। पी. एच. ई. डी से पानी पिलाने की बात और सिंचाइ विभाग की बात इन बातों के सुझाव दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि बनास पर जगह-जगह इस तरह एनिकट्स बनायें ताकि इलाके के लोगों को लाभ मिल सके।

मैं इस मौके पर एक बात खास तौर से और निवेदन करना चाहता हूं और वह बात यह है कि आपने लघु सिंचाई योजनाओं पर 630 लाख का प्रावधान किया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थान में लघु सिंचाइ योजनाओं का जाल बिछा हुआ है। अनेक योजनायें विभाग के पास सर्वेक्षण हुई पड़ी हैं। कोई एन. आर. ई. पी. के नाम से, कोई अकाल के नाम से आपने बनाई हैं। यह 630 लाख सारे राजस्थान की साढ़े 3 करोड़ जनता के लिये लघु सिंचाई योजनाओं में आप किस तरह से पूरा करेंगे। इस संबंध में आपका जो प्रावधान है वह मैं समझता हूं कि बहुत ही कम है। लघु सिंचाई योजनाओं में मैं चाहता हूं चाहे अकाल राहत के अन्तर्गत ली गई हो चाहे एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत ली गई हो उसको सर्वोच्च स्थान देकर आप ध्यान उसकी तरफ दें यह मेरी निश्चित रूप से मांग है।

इसके साथ-साथ क्वालिटी कन्ट्रोल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो काम होते हैं उसके हिसाब से मेरा सुझाव है कि क्वालिटी कन्ट्रोल को आप पूरी सख्ती से देखें और उसमें ठीक तरह से काम हो ताकि वर्षों तक उसमें सुधार की आवश्यकता न पड़े। कोई नहर बनाते हैं, दो साल बाद रिपेयर मांग लेती है। कोई पांच साल बाद रिपेयर मांगती है। इसमें क्वालिटी कन्ट्रोल और सतर्कता, विजिलेंस का कार्यक्रम आप हर जिले में शुरू करें तो निश्चित रूप से यह काम ठीक प्रकार से होगा और जो आम तौर से शिकायतें रहती हैं वह भी कम होंगी और जनता को सन्तोष भी पूरा हो जायेगा।

अन्त में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। अभी सिंचाई की दर कम है। हमारे कुछ भाई इसका विरोध करेंगे और रख-रखाव के खर्चों को देखते हुए उन सब को देखते हुए, अन्य राज्यों को देखते हुए आप

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इस बात की परवाह न करें कुछ लोग यहां बैठकर किसानों की बात जरूर करते हैं, पर उनके हितों की तरफ ध्यान नहीं रखते। रख-रखाव से सिंचाई ठीक प्रकार से होगी, किसान पैसे देना पसन्द करेंगे। इस लिहाज से आप इस प्रकार कार्यवाही करें कि किसानों पर बोझा नहीं पड़े और रख-रखाव ठीक हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को नई तकनीक को आधार पर अन्य राज्यों में जिस प्रकार सिंचाई विभाग का पुनर्गठन हुआ है राजस्थान में सन् 70,71 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री जिनका नाम लेते हुए मुझे खुशी होगी, श्रीराम प्रसाद लड्ढा थे जिन्होने सिंचाई विभाग का विस्तार किया और सिंचाई विभाग को आधुनिक स्वरूप दिया। उसके बावजूद अभी तक इस विभाग का न तो कोई विस्तार हो रहा है और न इसका पुनर्गठन हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप विभाग को नई कुछ ऐसी परम्परायें नई योजनायें नये तरीके से इसको संचालित करने की व्यवस्था राजस्थान में करें तेज गति से आप विभाग को आगे बढ़ायें। मेरा विश्वास है कि योजना में इस तरफ आपका ध्यान जायेगा। मैं दोनों मंत्री महोदयों से जैसी मैंने प्रार्थना की, वह राजस्थान में सिंचाई के माध्यम से 3।। करोड़ जनता के भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। जो मैंने सुझाव दिये हैं उस तरफ आपका ध्यान जायेगा। एक बात जो मैंने निवेदन कि सिंचाई विभाग एनिकटस् और छोटे-छोटे गांवों में जो तालाब हैं उनमें किसी भी मद से योजनाबद्ध तरीके से अधिक से अधिक अधिक पैसा खर्च करने के लिये आप प्रयत्न करेंगे तो राजस्थान की जनता को सन्तोष होगा और जो निराशा का वातावरण बना हुआ है उसका विस्तार और संचार होगा।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान नहर के लिए जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा और जोशी और मेरे अन्य मित्रों ने कहा कि राजस्थान नहर के अन्दर जितना भ्रष्टाचार है और माननीय सभापति जी, यह सारा भ्रष्टाचार आफिसर्स का ही नहीं है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। क्योंकि इन इंजीनियरों की सिफारिशें करते हैं हम लोग।

श्री शोपतसिंह : चन्दा लेते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : चन्दा नहीं लेते हैं। उसके लिए हम सिफारिश करते हैं, उनको बचाते हैं और उनको पनपाते हैं और अपने कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, भाईबन्द हो सकते हैं, अपने लड़के भी हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा भ्रष्टाचार होता, है माननीय सभापतिजी। और मैं आपसे यह और कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी के अन्दर वही लोग हैं जिन ठेकेदारों को हम विधान सभा के सदस्य प्रोत्साहन देते हैं। एक सदस्य मत दो, दो मत दो, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं, परन्तु सदस्य जरूर उनको पनपाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठेकेदारी सिस्टम आल राजस्थान में खतम कर दें, राजस्थान के अन्दर ठेका नहीं दिया जाएगा माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज जो बेकारी

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है, आज इंजीनियर्स जो निकलते हैं कॉलेज से वह दर-दर फिरते रहते हैं। ओवरसियर निकलते हैं वह दर दर फिरते रहते हैं। आपके विभाग के अन्दर काफी संख्या ऐसी है जो इन्जीनियर आज सर्विस के अन्दर हैं उनको डिपार्टमेंटल काम कराना चाहिए सरकार को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं पहली विधान सभा का सदस्य था, जब डिपार्टमेंटल काम करवाया तो उस डिपार्टमेंटल काम में इंजीनियरों ने बाधा डाली। दूसरे जो ठेकेदार थे उन्होंने बाधा डाली। परन्तु जो डिपार्टमेंटल काम हुआ, माननीय सदस्य जो उधर नहर के पास रहने वाले हैं वह इस बात की मेहनत करें, परिश्रम करें और वह चाहते हैं कि हमारे इलाके के अन्दर पानी पीने को मिले और खेती को पानी मिले तो डिपार्टमेंटल काम में खुद दिलचस्पी लें और उससे डिपार्टमेंटल काम को करवायें तो इंजीनियरों की हिम्मत नहीं है जो भ्रष्टाचार करेंगे। अकाउण्टेंट की हिम्मत नहीं है, ओवरसियर की हिम्मत नहीं है।

मैं माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि आज डिपार्टमेंटल काम होगा, राजस्थान के अन्दर आज तो जयपुर का आदमी वहां पर जाने के लिए तैयार है। सड़कों पर डोलता है, उसको सर्विस नहीं मिलती है। अगर डिपार्टमेंटली काम होगा तो काम मजबूत होगा, अच्छा होगा। अकाउण्टेंट के ऊपर आफत आएगी, अकाउण्ट्स आफिसर के ऊपर आफत आएगी और इंजीनियर, ओवरसियर नीचे से लेकर ऊपर तक यह सोचेंगे कि अगर हमने खराब काम कर दिया तो हमको जेल भेजा जाएगा, उनकी इंक्वायरी होगी। मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के अन्दर साल में जितना भी काम हो उसकी हर साल रिपोर्ट दूसरे आफिसरों से, दूसरे लोगों से या माननीय सदस्य जो कहने वाले हैं, वह भी जायं और बतावें कमी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर साल उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। जो आज कहते हैं कि ईंट खराब है, सीमेंट खराब है, टाइल्स खराब हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, आज डिपार्टमेंटल काम होगा तो न सीमेंट कम लगेगी। क्योंकि उनको यह भय होगा कि भाई दो-चार-पांच वर्ष की सर्विस तो है नहीं। आप एक साल तक उसका काम देखिये, उसके बाद दूसरे साल में दूसरे इंजीनियर को, तीसरे साल में तीसरे को बदल दीजिए। क्योंकि सर्विस तो बीस पच्चीस वर्ष तक वह करेगा ही, 58 वर्ष की उम्र आपने और कर दी। इसलिए बीस-तीस वर्ष तो एक आदमी सर्विस करेगा ही। जायेगा कहां? अगर गलती करेगा तो फंसेगा। ठेकेदार को इसलिए ठेका देते हैं, माननीय सभापतिजी, वह खुद तो पैसा खा जावेंगे, दो पर्सेन्ट, तीन पर्सेंट, चार पर्सेंट, बीस पर्सेन्ट तक खाते हैं। खुद ठेकेदार कहते हैं कि साहब क्या करें, 15–20 पर्सेन्ट तो रिश्वत में ही चला जाता है हमारा। अकाउण्टेंट लेता है, कैशियर लेता है, अकाउण्ट्स आफिसर लेता है। सारे बंधे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इंजीनियर तो लेते ही हैं।

(व्यवधान)

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो श्रौर सब हो।

माननीय सभापतिजी, मैं श्रापको यह विश्वास दिलाता हूं कि श्राज दूसरी कण्ट्रीज के श्रन्दर, मैंने जा करके खुद श्रपनी श्रांखों से देखा है, बांधों को देखा है, काम करते हैं उनको देखा है। वहां ठेकेदारी सिस्टम बिलकुल भी नहीं है। ठेकेदारी से कोई काम नहीं होता है। मैं रशिया गया, जर्मनी गया, चैकोस्लोवाकिया गया, फिनलैंड गया, चार-पांच देशों में गया। वहां पर मैंने देखा कि ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। वहां मकान भी बनाते हैं तो भी बिना ठेकेदारी के बनाते है श्रौर तालाब भी बनाते हैं तो बगैर ठेकेदारी सिस्टम के। ठेकेदारी सिस्टम बिलकुल नहीं है। तो मेरा तो यह कहना है कि वहां न तो इतना श्रसेम्बली में हाय गोड़ा मचता है कि साहब ईंट खराब है, टाइल्स खराब है। मिट्टी है, यह भी जरूरी है, जो माननीय सदस्य कहते हैं, मैंने देखा नहीं, जो माननीय सदस्य कहते हैं उसके श्राधार पर कहता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार है इसलिए ज्यादा कहते हैं, नहीं तो कहते ही काहे को। उसके श्रन्दर भ्रष्टाचार तो जरूरत से ज्यादा होगा।

दूसरी बात यह है, माननीय सभापतिजी, राजस्थान सरकार ने दूसरे बांधों के लिए जो पैसा देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान कैनाल में तो काफी रुपया दे दिया श्रौर फिर राजस्थान तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े राजस्थान के श्रन्दर मामूली पैसा दिया है बांधों के श्रन्दर। श्राप देखिये कि यह सब माननीय सदस्य जो बात करते हैं, राजाश्रों के जमाने में इतनी भूमि थी लेकिन राजाश्रों के जमाने में पापुलेशन कितनी थी, यह देखो ना श्राज। श्राज पॉपुलेशन कितनी है तो यह भी देखो कि राजाश्रों के जमाने में पॉपुलेशन कितनी थी श्रौर श्राज की पॉपुलेशन कितनी है। एक श्रादमी है उसके 70 श्रादमी पैदा हो गए, बताश्रो। श्रापको यह बताऊं एक श्रादमी के 70 श्रादमी, बताश्रो। 70 लड़के-पोते, पड़पोते, उसके-उसके, दुनियां भर दी। श्राज जो पॉपुलेशन को देखोगे तो फिर पीछे उसको सिंचाई के लिए बांध भी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : श्रजी साहब, देखिये निर्दलीय सदस्यों को जितना समय दिया, माननीय सभापतिजी, दूसरे निर्दलीय सदस्य कोई नहीं हैं इसलिए मेरा हक है बोलने का।

श्री सभापति : दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है, माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट तो सारे ही हुए हैं, माननीय सभापतिजी।

श्री सभापति : श्राप को दस मिनट हो गए हैं।

(व्यवधान)

श्रार्डर-श्रार्डर, श्रापस में बातचीत नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मेरा यह कहना है कि....

श्री जयकिशन तोसावड़ा : आपने कितने पैदा किये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो जेल में पड़ा रहा तो बच गया, नहीं तो मैं भी फंस जाता।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : टी. वी. पर अड़ौस-पड़ौस सीरियल आ रहा है।

श्री मुक्तीलाल मोदी : भला करो, मैं तो 69-70 का हो गया हूं। छोड़ो××

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, राजस्थान के अन्दर जितने बांध बनने चाहिए राजस्थान के अन्दर उतने बांध नहीं बने और जितने सिंचाई के साधन होने चाहिए उतने साधन नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, आप जैसे दूसरे दूसरे मदों के अन्दर रुपया देते हैं और उस रुपये का सदुपयोग नहीं होता है। जैसे अनाज की स्कीम है उसमें 11 रु. रोज है उसका यह कोई पता नहीं है सरकार को कि 11 रुपये में वह ग्यारह पैसे का काम भी किया है या नहीं किया। झूठी हाजरी करली ओवरसियर या इंजीनियर ने। मैं आपको विश्वास से कहता हूं जब तक राजस्थान सरकार यह तय नहीं करेगी कि हमने पचास हजार रुपया इस बांध पर लगाया या साठ हजार रुपया अनाज में सेंक्शन किया है तो साठ हजार रुपयों की मिट्टी कितनी डलेगी पत्थर कितना डलेगा, रोड़ी कितनी डलेगी, यह जब तक राजस्थान सरकार एस्टीमेट बना करके उनके हिसाब से तय नहीं करेगी तब तक राजस्थान के अन्दर आज जो पैसा टैक्सों से या और से वसूल किया जा रहा है, दिन पर दिन मंहगाई बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अन्दर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : भारत सरकार जो टैक्स लगाती है और राजस्थान सरकार जो टैक्स लगाती है उससे महंगाई बढ़ती जा रही है। माननीय सभापति जी, इससे दिन पर दिन महंगाई बढ़ेगी तो दिन पर दिन जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे आपकी सरकार के अन्दर जो लोग बैठे हैं वह यह कहेंगे कि हमारा भी पैसा बढ़ाओ और जब महंगाई बढ़ेगी तो जनता भी कहेगी कि ऐसी सरकार क्या है। उस पैसे का सदुपयोग करो तो आप टैक्स लगाइए कितना ही टैक्स लगाओ उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, पैसों के सदुपयोग का मैंने पहले ही कहा कि पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि जो सरकारी

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मुलाजिम दो चीजें देखते हैं और माननीय मंत्री जी भी दो चीजें देख रहे हैं कि सरकार और पैसा अलग-अलग चीज है अगर वह यह समझ कर कि सरकार भी हमारी है और पैसा भी हमारे खून से है तो आज यदि पैसे का सदुपयोग न हो····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखिए, माननीय सभापति जी, जितने मिनट दिए हैं निर्दलियों को उतने मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री सभापति : काफी सदस्यों को बोलना है कृपया व्यवस्था में सहयोग करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : काफी सदस्यों को बोलना है वह तो ठीक है लेकिन जितना समय आपने कांग्रेस पार्टी को दिया या जनता पार्टी को दिया है —

श्री सभापति : आप कोई दल नहीं हैं आप तो निर्दलीय सदस्य हैं सब सदस्यों की तरफ से थोड़े ही बोल लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : सब सदस्यों की तरफ से थोड़े ही बोलेंगे, आप कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे दो तरह के कटमोशन हैं एक तो उद्योग पर है और दूसरा ग्राउण्ड वाटर बोर्ड पर है।

श्री सभापति : आप दो मिनट और बोल लें उसके बाद में····

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनट नहीं सभापति महोदय, मैं रोला मचाऊंगा कम से कम 10 मिनट और बोलने दीजिए।

श्री सभापति : रोला तो मत मचाओ, आप जैसे सीनियर सदस्य से यह उम्मीद नहीं की जाती, दो मिनट और बोल लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक तो हमारे इलाके में साबी नदी है, आप देखिए बैराठ तहसील में साबी नदी निकलती है और हरियाणा ने उसका बांध बना लिया और राजस्थान सरकार ने अभी तक उस पर बांध का काम शुरू ही नहीं किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर यह बांध बनता तो ठीक है कि जयपुर जिले के लोगों को फायदा होता या नहीं होता परन्तु अलवर जिले के लोगों की काफी भूमि सिंचित हो सकती थी परन्तु उस साबी नदी का पानी हरियाणा में जाता है और हरियाणा के लोगों ने बांध बना लिया है। हम पहले भी चिल्लाए थे कि इस साबी के पानी का राजस्थान में बांध बनाओ तो नहीं बनाया।

दूसरा यह, सभापति जी, ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने राजस्थान में करोड़ों रुपए लगाए और उन्होंने सर्वे किया और सर्वे कराकर गांव के अन्दर नल कूप लगाए और आज मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि उन नल कूपों में जहां मीठा पानी है उनसे पीने का पानी दे सकते हैं····

एक माननीय सदस्य : यह आज की डिमाण्ड में है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : है, डिमाण्ड में है, उन नल कूपों के अन्दर सरकार के लाखों रुपए लगे हैं और वे आज 5-5, 7-7 साल से बन्द पड़े हैं।

श्री सभापति : यह आप सिंचाई पर और राजस्थान कैनाल के वक्त बोलना।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरा भी है, माननीय सभापति जी, आप देख लें, कटमोशन मेरा, मैं कोई गलत नहीं बोलता हूं।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है, कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए मेरा कहना है, सभापति जी, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने सर्वे किया था राजस्थान में और उन्होंने राजस्थान के अन्दर नल-कूप लगाए थे और उसके अन्दर एक-एक नल कूप के अन्दर कम-से-कम 80-80 हजार, कहीं-कहीं डेढ़ लाख एक लाख कहीं दो लाख खर्च हुए थे और मेरे कोटपूतली के अन्दर भी कई जगह नल कूप लगे हुए हैं। मैं आपको, सभापतिजी, कहना चाहता हू, आज किसान पैसा देने के लिए तैयार हैं उन नल-कूपों का कि हमसे पैसा ले लो थोड़ी थोड़ी मात्रा में और हम मोटर लगाकर हमारी खेती में पानी ले जायेंगे वह सरकार नहीं दे रही है। मैं सरकार को फायदे की बात बताता हूं, घाटे की नहीं और पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स वालों ने कोशिश करी कि इन नल-कूपों को हमको दे दो और हमसे पैसे ले लो, हम गांव में पानी दे देंगे तो वह नहीं दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार के अन्दर वह नल कूपों में जो करोड़ों रुपए लगाए सरकार ने उनका सदुपयोग क्यों नहीं करती या तो वाटर वर्क्स वालों को दे दें, या काश्तकारों को दे दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखिए माननीय सभापतिजी, किसी सदस्य ने यह बात नहीं बोली है जो मैं बता रहा हूं....

श्री सभापति : वह तो आप सही कह रहे हैं परन्तु अन्य सदस्यों को भी बोलना है, आप कृपया जल्दी समाप्त कर सदन की व्यवस्था में मदद करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें तो इस बात का एलान करें कि यह जो वाटर वर्क्स वालों के जो आज करोड़ों रुपये सरकार के खर्च हो रहे हैं....

श्री सभापति : पर यह आज विषय ही नहीं है जिस विषय पर बोल रहे हैं आज यह विषय नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं, सभापतिजी, यह बताना चाहता हूं ...

श्री सभापति : आप से मेरा निवेदन है माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपके कटमोशन इस विषय पर आयें हो तो बोल लीजिए....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कटमोशन हैं देख लीजिए।

श्री सभापति : सिंचाई पर बहस होगी,

(श्री सभापति)

इंदिरा गांधी कैनाल पर बहस में आप बोल लीजिए....

(व्यवधान)

वह जब विषय आए तो आप बोल लें उस पर।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए मेरा कहना है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी जवाब दें तो राजस्थान का सर्वे करके ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने जो नल कूप लगाए थे उनको या तो किसानों को दे दें, उनका पैसा हम किसानों से दिलाने के लिए तैयार हैं वह मोटर लगाकर पानी अपने खेतों में ले जायेंगे ताकि हमारे गांवों में पानी की सप्लाई होगी यही मेरा कहना है। माननीय सभापति जी, दूसरी बात माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये आज जोशीजी ने एलान किया है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक राजस्थान की उन्नति नहीं होगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय श्री भैंरूलाल भारद्वाज।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): आज सिंचाई की मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापतिजी, सिंचाई एक ऐसा विषय है कि जो राज के कर्त्तव्यों में सबसे प्रथम नंबर का कर्त्तव्य उसको मानना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में उसको प्रथम नंबर दिया और वह प्रथम नंबर सोच समझ कर दिया है कि अगर हिन्दुस्तान में सिंचाई की व्यवस्था होगी तो यह देश आगे तरक्की करेगा, मजबूत होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम आम आदमी को रोजी-रोटी देना चाहते हैं और रोजी-रोटी ढाबे में बैठाकर नहीं दी जा सकती इसके लिये हमें उसके लिये रोजगार के प्रयास करने पड़ेंगे और रोजगार हिन्दुस्तान की जनता का कृषि पर निर्भर करता है। आज भी 72 से 78 परसेंट के बीच में गांवों में खेती करने वाले लोग इस देश में रहते हैं और बाकी बचे हुए लोग भी एक दिन भी खेती के बिना जिन्दा नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में खेती का असली मूल सिंचाई है इस विषय को हमने इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना कि उसको लेना चाहिए था। अच्छा तो यह होता कि भारत की आजादी के बाद तुरन्त ही इस पाइन्ट को इतनी अहमियत दी जाती कि आज यह विषय विचारणीय नहीं होता।

मैं आपको इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इजराइल ने जब विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए तो सर्वाधिक उसने इस बात को मद्दे नजर रखा और वह देश ऐसा देश है जिसमें न 500 फुट से नीचे पानी है न 500 मोल तक पानी है इसलिये इतनी उसने अहमियत दी कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था की और उस देश का चप्पा-चप्पा जमीन पर जहां बटन दबाओ वहां नल का फव्वारा, फव्वारे से खेती को पानी मिलेगा। हमारे देश में तो जगह-जगह स्रोत है न केवल नदी नालों से, न केवल वर्षा से न केवल भूमि के अन्दर के पानी से, कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में पानी के अनेक स्रोत होते हुये भी आज देश की अधिकांश

(श्री मेहरलाल भारद्वाज)

धरती बिना पानी के यों ही पड़ी हुई है। आपने भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया चम्बल और राजस्थान नहर बनाई परन्तु उसके बावजूद भी आज देश की 23-24 पर्सेन्ट जमीन ही सिंचित हो पाती है और अभी भी अधिकांश हिस्सा यों ही असिंचित पड़ा है तो प्रश्न यह उठता है कि एक तो रूटीन में और काम है उन्हीं के साथ सिंचाई भी ले लें उसका नतीजा यह होगा जैसा कि अब तक हो रहा है उस हिसाब से आने वाले 100 वर्षों में भी हिन्दुस्तान की जमीन को पानी नहीं दे पायेंगे इसलिए उचित यह है कि सर्वाधिक प्राथमिकता देकर अपनी योजनाओं को सिंचाई उन्मुख कर देना चाहिए इसमें यद्यपि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा रखा है उसका 52.2 प्रतिशत सिंचाई और विद्युत के ऊपर रखा है। पहले के हिसाब से तो मैं उसको ठीक कह सकता हूं और उसके जरिये 4.38 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस साल के बजट में भी सिंचाई के मद में 125.34 करोड़ रुपया रखा है। जिसमें यह बताया गया है कि 77 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी पर, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत नाकाफी व्यवस्थायें हैं। सच बात यह है कि हमको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यदि हमने लोगों की सिंचाई के जरिये कृषि की और कृषि के जरिये लोगों की रोजगार की व्यवस्था कर दी होती तो आज हमको बहुत से डिपार्टमेण्ट सरकार की ओर से चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या जरूरत है शिक्षा विभाग चलाने के लिए, अगर लोगों की जेबों में पैसा है तो वह अपने बच्चों की अच्छे ढंग से पढ़ाई का काम खुद कर लेते हैं। आज भी जिनके जेब में पैसा है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते, वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, अपने ढंग के स्कूल में भेजते हैं। क्या जरूरत थी यह आपके स्वास्थ्य विभाग की जगह-जगह डिस्पेन्सरीज, हास्पिटल खोलने की। आज भी जिन लोगों के पास पैसा है वह अपने प्राइवेट ढंग से इलाज कराते हैं, सरकारी हास्पिटल की उन्हें कभी कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह कि जो सामाजिक सेवायें हैं सरकार की ओर से करोड़ों-अरबों रुपयों की, हम लोग बनाते हैं इसकी जरूरत इसलिए है कि आम आदमी के पास पैसा हम दे नहीं पाये। अगर हमने सिंचाई की व्यवस्था कर दी होती शुरू-शुरू के 15-20 साल के अन्दर, पैसा लगाकर सारे देश को सिंचित कर दिया होता तो कोई जरूरत नहीं होती इन सरकारी सेवाओं की और आज आम आदमी इतना खुशहाल होता कि उल्टा सरकार को इस बात के लिए जब जरूरत पड़ती तो अपने पास से पैसा देकर सरकार की मदद करते, दूसरी योजनाओं में बाहर से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।

जिस परिस्थिति में मौजूदा स्थिति है उस सम्बन्ध में कुछ अपना निवेदन करना चाहूंगा। आज हम जो भी कुछ इस बजट के हिसाब से सिंचाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसका वितरण न तो न्यायप्रद मानता हूं और न ही व्यावहारिक मानता हूं। इसमें से अधिकांश पैसा कुछ इनीगिनी योजनाओं पर, यह ठीक है कि कुछ बड़ी योजनाएं भी इस प्रान्त के लिए आवश्यक हैं, माननीय सभापति महोदय, बड़ी योज-

(श्री भैरू'लाल भारद्वाज)

नाम्रों से कुछ सीमित इलाकों को लाभ पहुँचता है और हमको अधिक से अधिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं के प्रदेश अन्दर असन्तुलन कायम न हो जाये पिछले कई वर्षों के बजटों को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण एक नया असन्तुलन पैदा कर रही है। पूर्वी राजस्थान और उसमें खास तौर से जयपुर जिला और दूसरे जिले के भी जो भी बहुत-थोड़े खेती के इलाके थे उनको स्थिति बिलकुल बंद से बदतर होती जा रही है क्योंकि सरकार ने यह मान लिया कि यहां तो जरूरी ही नहीं है। सिंचाई आजादी के बहुत वर्ष पहले, लगभग 72-78 साल पहले की बात है, इतना पुराना जमाना जिसको हम राजशाही कहते थे, उन्होंने भी यह महसूस किया था कि जयपुर के नजदीक जमवारामगढ़ बांध सिंचाई के लिए बनाया जाय, उन्होंने बनाया और उससे सिंचाई की जो व्यवस्था हुई उससे न केवल जमवारामगढ़ तहसील, बल्कि बस्सी और दौसा तहसील में भी उससे सिंचाई की व्यवस्था की गयी। उस जमाने की बात कह रहा हूं जो आज बहुत पुराना है। न केवल उस समय यह ध्यान रखा जाता था कि कोई सार्वजनिक या जनहित का कार्य करना है और न ही इस बात की कोई जिम्मेदारी राजा पर थी कि वह कोई सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। मगर फिर भी उन्होंने सिंचाई को इतनी अहमियत दी। मैं केवल कहना चाहता हूं कि इन तीन सालों के अन्दर वह जो बनी-बनाई व्यवस्था थी वह हाथ में ली ही नहीं गयी, तीन साल तक पीने के पानी के लिए, अफसोस यह है कि उसके एवज में कुछ नहीं सोचा गया। मैं तो यह कहता हूं सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारी इसके लिये हैं, जिम्मेदार लोगों की एक बहुत बड़ी कमी आने वाली है दुनिया में, आज ही जवाब तलब करना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी कि अगर हम किसी से छोटी-सी खेती लेते हैं, किसी का छोटा-सा सामान लेते हैं तो उसको हर्जाना देते हैं, आज भी अगर सरकार कोई बंधे या नहर के लिए जमीन लेती हैं या किसी का मकान लेती हैं, उसका अधिग्रहण करती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है इतने बड़े इलाके में सिंचाई करने वाले बांध पर आपने अधिग्रहण कर लिया और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आखिर इसके ऊपर पलने वाले, खेती कर खाने वाले लोगों का क्या हाल होगा ? यह बात कई बार बताई गयी और उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। सिंचाई मंत्री जी मेहरबानी करके इस बात का ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपसी बातचीत नहीं।

श्री शोपत सिंह : इधर आ जाओ।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : आज हमारे राजीव गांधी ने ऐसा कानून बना दिया कि आपके मन में कोई लार ही टपक रही हो तो बस की नहीं, न हमारी वहां आने की स्थिति है और न आपकी यहां आने की····

श्री शोपत सिंह : नहीं आपकी × × × में नहीं आयेंगे ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तो मैं यह निवेदन करता हूं मैं × × × काहें को आवेंगे, गंगानगर में तो भैंसों का मामला चलता है, आप तो भैंस का दूध पीने वाले हो, × × × का मामला है वहां तो....

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं इतना निवेदन करता हूं, इस तरह के उदाहरण की बात मैं इसलिए दे रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर हमने सिंचाई संसाधनों पर बिलकुल आंख मिचौनी की है और उसका नतीजा यह है कि पहले से जो परम्परागत स्रोत थे कुओं के, उन सब कुओं का पानी सूख गया है । काफी कटाव जो जमवारामगढ़ तहसील, जयपुर जिले की बांदीकुई तहसील कुछ बस्सी का इलाका और कुछ ऐसी कुछ तहसीलों के इलाके हैं जहां इतना अधिक कटाव हो रहा है, इसकी वजह से अच्छी-अच्छी जमीन कटती जा रही है, नदी-नालें गहरे होते जा रहे हैं, पानी बिलकुल नहीं है । स्थिति यह है कि दो घंटे तक कुओं में पम्प नहीं चल पाता । आखिर इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने क्या सोचा ? और अगर उसके लिए सरकार नहीं सोचती है तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है । इसलिए सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह राजस्थान के सिंचाई बजट का, ईमानदारी की बात तो यह है कि हम मनुष्यों के लिए सारा बजट बनाते हैं, आप गिनती कर लीजिये आदमियों के हिसाब से, कितने आदमियों के कल्याण के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी बचा हुआ कितने करोड़ मनुष्यों के लिए सिंचाई के मद में कितने पैसे खर्च करते हैं । आपकी खुद की आत्मा यह कह देगी कि हम करोड़ों रुपये आदमियों की आंख मिचौनी लिए खर्च करते हैं । सिंचाई के मामले को लेकर हम लोगों की स्थिति खराब कर रखी है । इसलिए सन्तुलित सिंचाई का मद किया जाना चाहिये और इसका वितरण न्यायप्रद होना चाहिए ।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : और न्याय की बात यह है कि जहां पर बड़ी योजनाएं बनना हजारों साल बाद भी सम्भव नहीं है वहां पर एक नयी समस्या पैदा हो गयी पीने के पानी तक की । मैं, माननीय, अपने गांव की बात बता दूं, मेरा गांव धौलपुरतला है जिसमें एक गांव में हर मौहल्ले में 2–2, 4–4 जहां पहले के कुएं हैं उनमें किसी भी कुएं में इतना पानी नहीं रहा, जमीन के नीचे पानी बहता हुआ निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है, वर्षा कम होती है । पंचायत समिति ने छोटे-छोटे एनिकट बनाये थे....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ तो वह भैरोंसिंह जी वहां बैठे थे तो वह बहा ले गये और थोड़े बहुत बचे हैं वह अभी दो

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

साल पहले जो बरसात हुई उसमें कट कर सब साफ हो गये। सारी पहाड़ी पर छोटे-छोटे नदी-नाले पर जो हमने एनीकट्स बनाये थे, तालाब बनाये थे उनमें एक बूंद ही पानी नहीं, उससे सारे कुएं सूख गये....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : हमें आज सिंचाई योजना पर ध्यान देना होगा यदि राजस्थान के अधिकांश पानी को बचाना है तो....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : उसका तरीका यह है। उसके लिए किसी बी. सी. रेशों वाली वाली बात बीच में अभी श्री सी. पी. जोशी साहब ने भी कही थी। मैं यह कहना चाहता हूँ तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने तो शाहपुरा के अन्दर पब्लिक मीटिंग में घोषणा की थी लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने हमको यह बताया था कि हमने मंत्रिमण्डल के अन्दर निर्णय लेकर इस बी. सी. रेशों के कायदे को हटा दिया है राजस्थान में....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें। बी. सी. रेशों के बारे में कई सदस्य बोल चुके हैं। कृपया संक्षेप में।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अब यह माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा, कहीं जुबानी रह गया हो मंत्रिमण्डल में कोई मंत्रीमण्डल की प्रोसिडिंग में है कि नहीं। अगर पास हो गया तो आप लोग उसको कहीं दबे हुए पन्ने को उधेड़ना भी चाहते हैं या नहीं।

(6.00 सायं)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बी. सी. रेशो पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : बात ही कौन सी मानी है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूँ कि पहले निर्णय हो गया और जिसके लिए हम से धन्यवाद भी ले लिया उन्होंने तो अब तो उन दबे हुए पन्नों को निकाल लो इसमें बी. सी. रेशा वाला बारबार झंझट आता है और अगर नहीं हुआ हो तो आप खुद ही समझ लें न्याय के हक में, राजस्थान के हक में बी. सी. रेशो का कायदा बिलकुल बेकार और बेहूदा कायदा है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इसको आज ही खत्म किया जाना चाहिए और आज आप जब जवाब दें तो अपने जवाब में शामिल करना चाहिए क्योंकि इस कायदे से राजस्थान बरबाद हो रहा है इसलिए आप यह कहें कि हम इसको हटा देंगे और जब बी. सी. रेशो का इश्यू हट जाता है....

श्री सभापति : कृपया आप बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति जी, अब आप किसी महिला सदस्या को बुलायेंगे ?

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : तो फिर आपको यह बात कहने की गुंजाइश रहती है कि कुओं में पानी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : हां बोलेंगी।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : और कुओं में पानी के लिए हर दो किलोमीटर में पानी को आपको बांधना होगा।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। टाइम खराब मत करो।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : सचेतक जी से जो नाम आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : इसको आप आगे पीछे कर रहे हैं।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : प्रत्येक नदी नाले पर दो-दो किलोमीटर पर एनीकट्स बनाये जाने चाहिए इससे एक तो भूमि का कटाव है वह रुकेगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : कुओं में पानी बढ़ेगा, पीने के पानी की समस्या का हल होगा और सिंचाई की समस्या का भी हल होगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : नदी-नाले पास होने से, ज्यादा पानी होने से पेड़ लगेंगे और हरा जंगल तैयार होगा। वृक्षा रोपण की बात करते हैं हम ने जहां पर एनीकट्स बनाये हैं चाहे मांडा योजना की तरफ से या ग्राम पचायत की तरफ से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : वहां काफी पेड़ खड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी सिंचाई योजना पर आपको बहुत ज्याद ध्यान देकर के—

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : इसके संबंध में नाम लेकर मैं समय नहीं लगाऊंगा कि कितने प्रतिशत है। एक ही कान्सीट्यूएन्सी के अन्दर हमारे यहां पर कितने नदी-नाले है मैं एक और दूसरा छोटा सा सुझाव रखकर अपनी बात कहूंगा। गहरे ट्यूबवैल बनाने की बात है। जयपुर जिले के पूर्वी हिस्से में जमवा रामगढ़ के पूर्वी हिस्से में जहां पर काली-चिकनी धरती है वहां पर नीचे पत्थर है साधारण बोरिंग मशीनें वहां पर काम नहीं दे सकती हैं अगर 500-700 मीटर नीचे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : मशीनों के द्वारा यदि आप ट्यूब वैल लगाते हैं और नीचे पानी मिलता है तो यह भी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको खेतों के पानी को रोकने की एक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, इतनी देर में तो मैं बोल ही देता। दो तीन मिनट की बात है।

श्री सभापति : ठीक है, एक मिनट और लीजिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : खेत का पानी खेत में रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए हम को किसान की मदद करनी चाहिए यह नहीं कि किसान पर छोड़ दें और खेत के बचे हुए पानी को, गांव में गांव के पानी को गांव के पास रोकना चाहिए और गांव के बाद बचे हुए पानी को तहसील से बाहर नहीं जाने देना चाहिए याने बरसात के पानी को....

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : स्थानीय जगह रोकने सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके स्थानीय पानी को रोकने की व्यवस्था करिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : जहां तक आपके बड़े-बड़े महारथी हैं इंदिरा नहर पर बोलने वाले हैं। इसलिए मैं तो इसमें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : एक ही कहता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : इसमें कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : इसलिए राजस्थान नहर मंत्री से इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे पास ऐसे कुछ भले लोगों के नाम भी आये हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : परन्तु आप समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए नाम लेने की....

Page No.199

श्री सभापति : काफी बोल लिये हैं आप अच्छे बोल लिये है।

श्री भैरुंलाल भारद्वाज : मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोककर उस पैसे का सदुपयोग करने की कृपा कीजिये और पूर्वी राजस्थान में सिंचाई योजना बनाकर लोगों को पानी की व्यवस्था करेंगे इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री हरिश कुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : पहले हीरालाल आर्य बोलेंगे।

श्री सभापति : श्रीमती बीना काक।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, हीरालाल आर्य का नाम है, उनकी जगह यह बोलेंगे।

श्री सभापति : वह आ जायेंगी तब, श्रीमती बीना काक के बाद सुश्री पुष्पा जैन बोलेंगी। अगर वह आ जायेंगी तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुष्पा जैन की जगह हीरालाल आर्य बोलेंगे।

श्री सभापति : सचेतक ने नाम दिया है, उनका।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वहीं तो कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप दो मिनट ठहर जायं। आप कृपया उनको बोलने दें। बाद में हीरालाल जी बोल लेंगे। पहले श्रीमती बीना काक बोल लें।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, लेडीज फर्स्ट।

एक माननीय सदस्य : यह तो पांच मिनट ही बोलेंगे।

श्रीमती हमीदा बेगम : हमेशा लेडीज फर्स्ट होती हैं।

श्री सभापति : हां, हां बोलिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : लेकिन आप तो नहीं हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री शोपत सिंह : न तो जिस हिसाब से कटमोशन दिये हैं उस बात का ध्यान रखा जा रहा है और न जिस हिसाब से सचेतक ने नाम दिये हैं उस बात का ध्यान रखा जा रहा है, सब पार्टी के सदस्य बोल चुके हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आयेगा जिस प्रपोरशन से पार्टियों के सदस्यों की संख्या है उसी पार्टी के अनुपात से सब बोल रहे हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : शोपतसिंह जी विराजें हमारी महिला सदस्या बोलेंगी।

श्री शोपतसिंह : महिला।

श्रीमती हमीदा बेगम : हां, बहुत देर हो गयी आपको सुनते-सुनते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्रीमती बीना काक।

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत अच्छा बोलती हैं।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : बहुत-बहुत शुक्रिया।

मैं मांग संख्या 38 और 46 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं और जो भी मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं वह यहां सदन के अन्दर रखना चाहती हूं। जो कुछ भी हमारी सरकार कर रही है वह तो हमारे पास लिखित में काफी आ गया है। प्रगति प्रतिवेदन सिचाई विभाग और राजस्थान कैनाल का लेकिन मैं सिर्फ जो मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं खास तौर से उन पर आज मैं जोर देना चाहती हूं। एक बात और निवेदन करूं वैसे वह कई माननीय सदस्य उन बातों को कह चुके हैं और मैं भी कहना चाहती हूं कि जो सिचाई के साधन हैं उनका लाभ गरीब तबके के लोगों को लोगों को दिलाये जाने के लिए जो बड़े बांध हैं उनके साथ-साथ छोटे-छोटे बांधों और एनिकट्स की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा जो क्षेत्र है वह कृषि प्रधान क्षेत्र है–सुमेरपुर आज वहां की जो समस्यायें हैं वह यहां पर रखना चाहूंगी। ज्यादा बात तो नहीं कहना चाहूंगी पर लघु सिचाई योजनाओं के माध्यम से वहा पर गरीब तबके के लोगों को मदद मिले, जहां जल वितरण की कमेटियां बनायी गयी हैं जिला लेबल पर लेकिन यह जो निर्णय लेती हैं, मैं मेरे क्षेत्र की बात करती हूं कि उससे गरीब तबके के लोगों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। बड़े-बड़े डेम बनाये जाते हैं उनके अन्तर्गत जो कमाण्ड एरिया लिया जाता है उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें इन्क्लयूड कम किया जाता है, बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। 1980 के अन्त में जो सिचित योजनायें हैं जो टोटल पोटेंशियल है वह 17.73 लाख और अब वह बढ़कर 21.25 लाख हैक्टेयर हो गया है। तो 21.25 से 17.73 में साढे तीन लाख इन्क्रीज हुआ है और इस योजना के अन्तर्गत जो मीडियम तबके की योजनायें हैं उनसे 10.83 लाख हैक्टेयर की सिचाई सुविधा उपलब्ध है। केवल 2.8 लाख हैक्टेयर नीचे के तबके को दिया गया है तो 21.25 लाख के आगे जो गरीब तबके के लिए जो छोटे तबके के लिए जो प्रतिशत रखा गया है वह 1/10 है। मैं समझती हूं कि वह बहुत कम है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूं कि कुछ फायदा गरीब तबके के लोगों को हो पायेगा।

मैं राजस्थान कैनाल के लिए खुशी जाहिर करती हूं और बहुत ही उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान कैनाल है वह जोधपुर तक आये……

श्री सभापति : इन्दिरा गांधी कैनाल कहिये। कृपया संशोधन करें।

श्रीमती बीना काक : हां इन्दिरा गांधी कैनाल है।

मेरे क्षेत्र में जवाई बांध सुमेरपुर में आता है और जवाई बांध का पानी जोधपुर में आता है मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में इन्दिरा गांधी नहर को जोधपुर तक लाया जायेगा जिससे कि जो जवाई का पानी है वह सुमेरपुर के एरिया को मिले और उसके बाद अगर कुछ बचता

Page No.201

(श्रीमती बीना काक)

है तो दूसरे एरिया को भी दिया जाय। तो मुझे बहुत उम्मीद है और मैं सुनहरे भविष्य की सुमेरपुर की जनता के लिये बहुत कामना करती हूँ और मुझे हमारी सरकार से काफी उम्मीद है, फिर मैं कहना चाहूँगी......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्रीमती बीना काक : पहले जो कास्ट रेशो है उसको एक ब्राड परस्पेक्टिव में लिया जाना चाहिये। अक्सर ऐसा होता है कि जो कास्ट है किसी डेम की, किसी प्रोजेक्ट की, कास्ट तो ज्यादा बता दी जाती है और जो बेनिफिट है वह कम बताया जाता है। जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स किसी डेम से या छोटे एनिकट से होते हैं वे बहुत कम बताये जाते हैं। जितने भी बेनिफिट्स हैं जैसे प्रोडक्टिव अच्छा होता है और उसके बाद में जो डेम्स होते हैं डेम्स बनने से जो वाटर टेबुल है वह भी इन्क्रीज होता है। ये सब जो बातें देखी जाती हैं तो छोटे-छोटे एनीकट्स है, डेम्स हैं उन्हें अगर बढ़ावा मिले तो ये छोटे तबकों के लोगों के लिये और जो माइनर इर्रिगेशन के अन्दर जो आते हैं उनको बहुत लाभ होगा। फिर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसके अन्दर 565.74 करोड़ इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के लिये दिये गये हैं लेकिन 85-86 में 125 करोड़ का प्रावधान है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि उसके अन्दर 50 करोड़ को तो कम्यूटेड इन्दिरा कैनाल के लिये रख दिया गया है। 15 करोड़ माही प्रोजेक्ट को दिया जायेगा और 15 मिडियम तबके के लोग हैं उनके लिये रखा जायेगा तो छोटे तबके के जो लोग हैं उनके लिये क्या बचेगा? यही और आप सुन रहे हैं......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया सुनें। उनको बोलने दें।

श्रीमती बीना काक : इसमें हमारी जो छोटी डिमांड है, रीजनल डिमांड हैं उनके लिये आने वाले समय में बहुत प्रावधान हो जिससे हम हमारे एरिये का सुधार कर सकें और जनता का लाभ कर सकें। फिर जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी ने कहा था कि आइडेंटिफिकशन जो जमीन के होते हैं वह भी सही तरह से नहीं हो पाता है कि कौन सी जमीन अच्छी है, प्रोडक्टिविटी किस जमीन की ज्यादा है। उस जमीन को ज्यादा पानी मिलना चाहिये। बंजर जमीन को कई बार पानी दे दिया जाता है जो प्रोडक्टिविटी की जो जमीन है उसको पानी नहीं मिलता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वह अगर जमीन का सही तरह से हो पाये और उसके बाद में पानी की व्यवस्था की जाय तो यह बेहतर होगा। यही कुछ सुझाव मेरे हैं। मैं आपको यह मौका नहीं दूँगी कि बार-बार मुझे कहें कि माननीय सदस्या बैठ जाइये......

श्री सभापति : कोई नहीं कहेगा।

श्रीमती बीना काक : इतना ही कहकर के आपके जरिये सरकार से मैं कहना चाहूंगी कि गरीब तबके के जो लोग हैं छोटे तबके के लोग हैं छोटेतबके के हैं और जो माइनर इर्रिगेशन है इसको बढ़ावा

(श्रीमती वीना काक)

मिले जिससे कि गरीबों का लाभ हो सके । बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या को धन्यवाद । श्री हीरालाल ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे कोटा में हाड़ौती की एक मात्र विकास परियोजना है सी. ए. डी. इस इलाके में सिंचाई के साथ-साथ विकास के कई काम होते थे सिंचाई के अलावा । सिंचाई आने से ड्रेनेज, सड़कों, कृषि विस्तार तथा विभिन्न प्रकार के काम थे लेकिन किसान विरोधी सरकार ने हमारे हाड़ौती की इस महत्वपूर्ण परियोजना को तोड़ दिया है । कहने के नाम पर यह सरकार साफ तौर पर कहना नहीं चाहती है कि हमने सी. ए. डी को तोड़ दिया है लेकिन हालात सी. ए. डी. की यह कर दी है कि न तो वह जीती है न मरती है और सांसे ले रही है । सी. ए. डी. में कई करोड़ों रुपये का बजट आता है जिससे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किये जाते थे लेकिन इस वर्ष केवल मात्र तीन करोड़ चवालीस लाख रुपये का ही प्रावधान है जो नहीं के बराबर है । ये पैसा केवल वेतन चुकाने में ही, या वेतन ही चुकाने में नहीं तो मात्र केवल इतने काम चल हैं उन कामों की ठीक तरह से मरम्मत करता रहे इतना भी यह पैसा पर्याप्त नहीं हैं अर्थात् यह पैसा नहीं के बराबर है ।

चम्बल की जो कोटा बैराज है उसके दायें और बायें मध्य नहर से हमारे क्षेत्र में और सिंचाई होती है । सी. ए. डी. जब थी तब इसमें बहुत सारे काम होते थे लेकिन सी. ए. डी. तोड़ने से उस क्षेत्र में एक अन्धकार सा छा गया है । सी. ए. डी. के तोड़ने से विकास कार्य तो रुका ही है लेकिन सैंकड़ों कर्मचारियों को छंटनी के नाम पर निकाल दिया गया है जो रोजी रोटी को मोहताज हैं । जब हमने कई बार यहां विधान सभा में प्रश्न किया कि छंटनी कर के कर्मचारियों को आप क्यों हटाते हैं तो सरकार यह कहती है, अभी भी इसकी हठधर्मी है कि हमने किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया है लेकिन हजारों कर्मचारियों को छंटनी के नाम पर हटा दिया है । केवल नहीं के बराबर कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित किया है जो भी परेशान हो रहे हैं । इस काम पर बने हुए जो बहुत सारे दफ्तर थे वह आज सूने पड़े हैं और उनकी कोई देख-भाल करने वाला नहीं है । वे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग आज वीरान हो रही हैं जो इस सरकार के वीरानेपन की याद दिलाती हैं । हमारे चम्बल बैराज के दायीं और बायीं मुख्य नहर से हमारे कोटा और बूंदी जिले की सिंचाई होती है, मेरे क्षेत्र में दायें मुख्य नहर की इटावा ब्रांच कैनाल और अमाना ब्रांच कैनाल से सिंचाई होती है ; मेरा इलाका इस क्षेत्र में टेल पर पड़ता है । टेल पर पड़ने की वजह से हमारे क्षेत्र के किसानों की हमेशा मांग रही है कि इन दोनों नहरों में जितना पानी छोड़ा जाना चाहिये, क्षमता के अनुसार इन नहरों में उतना पानी नहीं छोड़ा जाता । फलस्वरूप एक तो हमारा इलाका टेल पर है दूसरा कम पानी छोड़ने से किसानों की सैंकड़ों बीघा फसल बर्बाद होती है और यही नहीं

(श्री हीरालाल आर्य)

सिंचाई वाले कर्मचारी उनसे झूठे सिंचाई के पैसे वसूल करते हैं। हमारे किसान कहते हैं कि हमारी फसल बर्बाद हो गयी है, सिंचाई होती नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद भी सिंचाई विभाग की हठधर्मिता से किसान बर्बाद हो रहे हैं यही नहीं इन नहरों की हालत यह है कि जिनकी न तो वर्षों से मरम्मत हुई है, फलस्वरूप ये स्थान-स्थान पर टूटी हुई है, झाड़-झंझाड़ पड़ी हुई हैं, आउटलेट वगैरह लोग बाग ले गये और ये मरम्मत नहीं होने की वजह से जो पानी किसानों को मिलना चाहिये वह तो मिलता नही है और इधर-उधर ड्रेनेज में बहता रहता है और किसानों के ऊपर झूठ मुकदमे चलाये गये हैं। मुकदमे ही नहीं उनके ऊपर सैकड़ों रुपये का जुर्माना किया जा रहा है और वे सैकड़ों किसान अन्ता से दूर जाकर आते हैं उनकी समस्याएं सुनने के लिए वहां पर कभी कोई अधिकारी पहुचता ही नहीं है। इसलिये भारी समस्या रहती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में तीन सब डिवीजन आते हैं, इटावा, मांगरोल और अन्ता सबडिविजन के कुछ क्षेत्र। लेकिन एक हैडक्वार्टर इटावा में नहीं होकर अन्ता में है जहां पर केवल नहीं के बराबर सिंचाई होती है। राज्य सरकार से यही मांग करूंगा कि जब मेरे ही सिंचाई अधिक क्षेत्र उसमें आता है और इटावा में एक हैडक्वाटर कायम करने का सरकार ने निर्णय भी लिया हुआ है, व वहां पर भवन बने हुए हैं तो एक्स. ई. एन. हैडक्वार्टर को अन्ता की बजाय इटावा क्षेत्र में कायम किया जाय ताकि किसानों को अपनी समस्या हल करने के लिये यहां पर अधिकारी उपलब्ध हो सकें और उनकी समस्यायें दूर की जा सकें। इस क्षेत्र में बायें और दायें मुख्य नहर से लिफ्ट द्वारा सिंचाई किये जाने की करीब 11 करोड़ की योजनायें बनाकर जब केन्द्रीय ऋण आयोग को भेजा हुआ है। मेरे खुद के क्षेत्र की जो आर. एल. सी. हैं उसमें बंटवारा और हिंगोनिया पंचायत की लिफ्ट सिंचाई योजना भी इनमें है वहां का किसान, जिनकी कि सिंचाई होती है, बार-बार मांग करते हैं कि उस योजना को स्वीकृत कराया जाय। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इस लिफ्ट सिंचाई योजना, जो केन्द्र में जाकर अटकी पड़ी है उसको शीघ्र स्वीकृत कराके काम कराया जाय। जो योजना स्वीकृत हुई है उसमें दीगोद की नहरें बनकर तैयार हो गयी हैं। दो-तीन साल हो गये हैं लेकिन उनको पम्प से नहीं जोड़ा गया है। इसलिए उनमें पानी नहीं चल रहा है। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि जब नहर तैयार हो गयी है तो गणेशगंज लिफ्ट स्कीम में शीघ्र पानी छोड़ा जाय। मेरे इस इलाके के साथ, सभापति महोदय, बड़ा अन्याय हो रहा है। कहने के नाम पर यह एरिया सिंचित क्षेत्र है लेकिन मेरे इलाके के बहुत कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। आधे से अधिक एरिया ऐसा है जिसमें अभी भी सिंचाई नहीं होती है। राजस्थान में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों की बहुत बड़ी कमी है लेकिन मेरे क्षेत्र में यह कमी नही है। मेरा इलाका-पीपल्दा क्षेत्र एक छोटा पंजाब है। पंजाब केवल डिस्टरबेन्स के हिसाब से नहीं, पंजाब में केवल पांच नदियां बहती हैं लेकिन मेरे

(श्री हीरालाल आर्य)

यहां पर सात नदियां बहती हैं जिनमें बारहों महीने पानी रहता है। उस पानी का सर्वे कराया था। उन नदियों में अतिरिक्त पानी है जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे इलाके में सूंसोद, नोनेरा और 18 वें के लिए बालूदा, चकरावदा और उधर चाणदाखोस और पंचायतों में चम्बल, पार्वती और काली सिंध नदियों से पानी लिफ्ट किया जाकर इस इलाके की हजारों बीघा जमीन को सिंचित किया जा सकता है। इस मांग को मैं कई बार यहां पर विधान सभा में भी उठाता रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि पानी उपलब्ध नहीं है, हम राजस्थान में सिंचाई के ठीक तरह से साधन मुहैया नहीं करा सकते लेकिन जब मेरे यहां पानी है, सभापति महोदय, वहां पर अतिरिक्त पानी है उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है तो क्यों नहीं राज्य सरकार उस पानी का उपयोग जहां किसानों की सिंचाई नहीं होती है, उस क्षत्र के किसानों को लिफ्ट द्वारा सिंचाई की योजनायें बनाई जाकर उस इलाके में सिंचाई कराई जाय।

सभापति महोदय, इस इलाके में नहरें आने से कई स्थानों में सीपेज और कई स्थानों में पानी भरा हुआ है। पश्चिम की ओर सूगरी नाम स्थान पर सैंकड़ों बीघा जमीन पर पानी भरा हुआ है जिससे इस इलाके की सबसे उपजाऊ जमीन बरबाद हो गयी है। इस स्थान पर ड्रेनेज बनाकर इस पानी को निकाला जाय और इस क्षेत्र के जो सैंकड़ों किसान हैं जिनकी जमीन खराब हो गयी वे बरबाद हो गये हैं उनको राहत पहुंचाई जाय। इस मांग को भी मैं विधान सभा में बार-बार उठाता रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस बात को मान नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित में इस इलाके की सबसे उपजाऊ जमीन जो हजारों बीघा जमीन बरबाद हो रही है पानी भरा रहने से रनोदिया, धाड़ोल आदि गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है उनको रास्ता भी सुलभ हो जाय और किसानों के खेत भी उपलब्ध हो जायें अतः इस स्थान पर शीघ्र ड्रेन बनाकर इस पानी को निकालें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : नहरें और ड्रेन बनाने से किसानों की सैंकड़ों बीघा जमीन को सरकार ने अवाप्त किया है लेकिन किसानों के बार-बार कहने के बावजूद सैंकड़ों बीघा जमीन का लाखों रुपये का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इन ड्रेन और नहरों की खुदाई में किसानों की जिस जमीन को अवाप्त किया गया है उन किसानों की अपनी जमीन का मुआवजा शीघ्र चुकाया जाय।

सभापति महोदय, जब सी. ए. डी को तोड़ने की चर्चा आयी तो राज्य सरकार ने यह कहा कि कैचमैण्ट में किसान नाराज़ हैं लेकिन कैचमैण्ट वास्तव में उस इलाके की आवश्यकता है। इस कैचमैण्ट के कार्य में बरती गयी अनियमिततायें और भ्रष्टाचार

(श्री हीरालाल आर्य)

के कारण ही इस काम की मांग होने से इस इलाके का किसान नाराज था। राज्य सरकार से मांग करते आये थे कि कंचमैण्ट के काम में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार को दूर किया जाय और इसमें जो मांगा है इसको कम किया जाय। कंचमैण्ट उस इलाके की आवश्यकता थी लेकिन राज्य सरकार की अदूरदर्शिता और नासमझी के कारण उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया, उसमें बहुत भारी मांग है उसको कम नहीं किया गया और सी. ए. डी. को ही समाप्त कर दिया जो इस इलाके का दुर्भाग्य है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि कंचमैण्ट का खर्चा इतना है किसानों पर कि यदि किसान जिन्दगी भर उस पैसे को चुकाता रहे तब भी उस इलाके का किसान कभी भी कंचमैण्ट का पैसा नहीं चुका सकता....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : अब की आठ तारीख को कंचमैण्ट के खिलाफ मेरे इलाके के पांच हजार किसानों ने एकत्रित हो कर इटावा में प्रदर्शन किया था कि यदि सरकार कंचमैण्ट का पैसा माफ नहीं करती है तो उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि हम एक भी पैसा कंचमैण्ट का नहीं देंगे और यदि सरकार उस पैसे को जबरन वसूल करने का प्रयत्न करेगी तो उसी तरह का जवाब भी किसान देंगे। अतः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कंचमैण्ट जो होता है उसका पैसा किसानों से वसूल नहीं किया जाय और उस पैसे को माफ किया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, यह जो चम्बल बैराज हैं, अणु बिजली घर में जो बिजली पैदा होती है उसका अतिरिक्त पानी बहकर चम्बल में आता है लेकिन चम्बल बैराज में उस पानी को स्टोर करने की व्यवस्था न होने से वह पानी बेकार जाता है। इसको कई बार हमने यहां विधान सभा में भी कहा है कि यदि चम्बल बैराज को ऊंचा किया जाता है तो यह पानी जो बेकार जाता है बेकार नहीं जायेगा और उस पानी को स्टोर किया जाकर उसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ने तय तो किया है कि चम्बल बैराज को हम ऊंचा उठायेंगे। पहले चार फुट ऊंचा उठाने की योजना थी अब दो फुट ऊंचा उठाना चाहते हैं। पिछले साल इस पर काम होने वाला था लेकिन आश्चर्य है कि पिछले साल चम्बल बैराज को ऊपर उठाने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा और पुरजोर मांग करूंगा कि चम्बल बैराज को शीघ्र ऊपर उठाया जाय क्योंकि जो पानी बेकार जाता है उसको वहां रोका जा सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में एक निवेदन और करूंगा

(श्री हीरालाल आर्य)

सिंचाई की जो वसूलियां होती है वसूलियों के वक्त अभी बिजावत, विजयपुर गांव में वसूली करने वाले अधिकारियों ने वहां के नागरिकों के साथ, किसानों के साथ भारी ज्यादती की, उनके साथ शराब पीकर मारपीट की। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और एस. पी. को रिपोर्ट की थी कि वहां के किसान सिंचाई का पैसा देने को तैयार हैं लेकिन जो वसूल करने के लिए जाते हैं वह शराब पीकर गांवों में जिस तरह से आतंक मचाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। संक्षिप्त।

श्री हीरालाल आर्य : जो लोग नहीं दे पाते हैं उन पर पहले तो ब्याज नहीं था अब सरकार ब्याज लगाकर उस पैसे को वसूल करना चाहती है, वह भी अनियमित है। कई स्थानों पर, मेरे यहां रनोदिया....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : किसानों ने इस प्रकार की शिकायत की है कि पैसा किसान तो दे देते हैं लेकिन सम्बन्धित पटवारी उस पैसे को कम लिखते हैं और उन अनपढ़ किसानों को फर्जी रसीद बुक की पर्चियां देते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाय। मैंने अधिकारियों को लिखा भी है लेकिन उसकी जांच नहीं की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मेरे इलाके में एक इन्द्राणी बांध है-इन्द्राणी बांध नायब तहसील के लिए और इन्द्रगढ़ के लिए एकमात्र सिंचाई का साधन है लेकिन उसको अधूरा ही छोड़ा गया है। नहर निकाली है, एक साइड से तो नहरें निकाल लीं लेकिन दूसरी साइड में उसका बहुत सारा हिस्सा पड़ता है जिसमें अभी नहरों का काम नहीं हो रहा है। मैं मांग करूंगा कि उसका जो अधूरा काम है, उसको पूरा किया जाय। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जय किशन।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई सम्बन्धी मांगों के ऊपर सदन के अन्दर बहस हो रही है उसके उपलक्ष में मैं मेरे विचार इस प्रकार रख देना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में रखने का कष्ट करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ यहां का हर व्यक्ति कृषि के ऊपर निर्भर करता है। यहां की 80% जनता गांवों में रहती है। गांवों के अन्दर सब प्रकार के साधन यदि साधारण गरीब, अमीर और किसान के लिए है तो वह सिंचाई का साधन है। कृषि जब ही पैदा हो सकती है जब सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से हों। जब तक सिंचाई के साधन नहीं होते तब तक कृषि का हम उत्पादन ठीक ढंग से नहीं कर सकते।

(श्री जयकिशन तोसावड़ा)

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से हमारी सरकार से यह है कि देश और प्रान्त का उत्थान यदि हम करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमैण्ट ही नहीं बलिक केन्द्र सरकार भी यदि हमारे देश का उत्थान करना चाहती है हमारे प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान चाहती है, हर व्यक्ति को सब प्रकार से मदद देना चाहती है तो हमें कृषि का उत्पादन तो करना ही है लेकिन साथ ही साथ इसको विकसित करने के लिए सिचाई के साधन पूर्ण रूप से विकसित करने पड़ेंगे। हमारे देश के अन्दर सिचाई के साधन न होने के कारणवश यहां पर अकाल की बड़ी भयंकर विभीषिका जब आती है तो हमारे यहां की जनता को उसका सामना बड़ी कठिनाई से करना पड़ता है। पंजाब में चले जाइये, हरियाणा में चले जाइये, उत्तर प्रदेश में चले जाइये वहां पर सिचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण वहां पर किसी प्रकार से जनता के ऊपर कोई भार नहीं पड़ सकता, साधारण जनता वहां पर किसी प्रकार से दुःखी नहीं हो सकती। क्योंकि अकाल पड़ने के पश्चात् भी वहां पर सिचाई के साधन होने के कारणवश वहां पर साधारण लोग अपनी रोजी-रोटी कमा कर खा सकते हैं।

इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जब तक सिचाई के साधन पूर्ण रूप से प्रदेश के अन्दर विकसित नहीं हों तब तक यहां की जनता पूर्ण रूप से विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, किसी भी प्रकार का वर्ग हो यदि सिचाई के साधन पूर्ण रूप से विकसित कर दिये जाय तो वास्तव में हमारे देश की उन्नति हो सकती है। हमारे देश के अन्दर बड़ी-बड़ी योजनायें बनती हैं और योजनायें बनने के पश्चात् उनको एक प्रकार से धीमी गति से चलाया जाता है जिससे जो फायदा हमारे देश को, हमारे यहां की जनता को, हमारे प्रान्त को होने वाला है और समय पर होने वाला है उसमें बड़ी भारी देरी हो जाती है और उस देरी का खामयाजा हम पूर्ण रूप से उठाते हैं।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार से माननीय मुख्य मन्त्री से और हमारे देश की सरकार से कि सबसे पहले हमारे देश और प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की योजनायें बनाई जायं, जिन योजनाओं के तहत चाहे किसी भी प्रकार की अन्य योजनाओं में कटौती करते हुये उन पैसों को सिचाई के साधनों के अन्दर लगाया जाय जिससे वह योजना पूरी हो जाय, उस योजना को पूरी कर देने से हमें सब प्रकार की सुविधायें मिल सकती है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार से निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर राजस्थान के अन्दर कई वर्षों से चल रही है और कई वर्षों से चालू होने के कारण हर पंचवर्षीय योजना में कुछ न कुछ पैसा उसको विकसित करने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि विभिन्न प्रकार की योजनायें हमारे यहां चलाई जाती हैं, कई प्रकार के विभाग

(श्री जयकिशन तोसावड़ा)

सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे यहां पर पैसा है, सेन्ट्रल बजट भी मिलता है उस बजट को ग्रौर हर उन योजनाग्रों में कटौती कर इस नहर को पूर्ण करने के लिये यदि उन पैसों को इसके मद में जोड़ दिया जाय ग्रौर यह एक योजना पूरी कर दी जाय तो वास्तव में राजस्थान की जनता को, राजस्थान के वह लोग जो पानी के लिये तरसते हैं, राजस्थान के वेध लोग जो सिचाई के ग्रभाव में ग्रपनी खेती को लहलहाते हुये नहीं देख सकते ग्रौर पश्चिमी राजस्थान के वह लोग यदि इन्दिरा गांधी नहर पूरी हो जाय तो वास्तव में पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कई प्रकार के मदों का पैसा रख रखकर यदि इसमें जोड़ दिया जाय तो वास्तव में हम विकास की ग्रोर बढ़ सकते हैं।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बनाई जाय, हमारे प्रान्त के ग्रन्दर, इस प्रकार की समिति बनाई जाय उस समिति में चाहे विरोधी दल के सदस्य हों, चाहे हमारी पार्टी के उसमें सदस्य हों, कुछ कर्मचारी भी उसमें होने चाहिये, मुख्य मंत्री ग्रवश्य होने चाहिये, सिचाई मंत्री ग्रवश्य होने चाहिये ग्रौर चीफ इन्जीनियर भी ग्रवश्य होने चाहिये ग्रौर पूरे प्रान्त की जमीन का सर्वेक्षण करवाया जाय ग्रौर सर्वेक्षण कराने के पश्चात् यह योजना बनाई जाय कि कौन सी तहसील की, कौन से क्षेत्र को, कौन से जिले की भूमि ग्रौर जमीन उपजाऊ है। सबसे पहले उस कमेटी का यह कार्य होना चाहिये कि इसका सर्वेक्षण करने के बाद वह रिपोर्ट हमारी सरकार को तो दे ही दे लेकिन भारत सरकार को भी दे दे जिससे उस क्षेत्र का विकास हो ग्रौर सिचाई के साधन उसमें पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिये जायं तो वास्तव में धीरे-धीरे एक हिस्से के रूप में, टुकड़ों के रूप में हमारे प्रान्त का भला हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैं ग्रापको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जयपुर जिले के ग्रन्दर कई ऐसी तहसीलें है जैसी मेरी दूदू तहसील है, फागी तहसील है, मालपुरा तहसील है, किशनगढ़ तहसील है, चाकसू तहसील है, बस्सी तहसील है, जयपुर तहसील है, ये 4–5 तहसीलें हैं जिनकी जमीन इतनी उपजाऊ है, दुमट मिट्टी है। यह भी मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब पहले मैं इस सदन का सदस्य था तब इन तहसीलों का सर्वेक्षण करवाया था ग्रौर उस सर्वेक्षण की इस प्रकार की रिपोर्ट ग्राई है कि यदि इन तहसीलों के ग्रन्दर सिचाई के साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिये जायं तो यहां की जमीन पैदावार में गंगानगर से फर्स्ट नम्बर की जमीन है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : हम हर समय यह कहा करते है कि गंगानगर के ग्रन्दर गेहूं पैदा होता है, हर प्रकार की फसल पैदा होती है लेकिन मैं ग्रापको दावे के साथ कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ग्रपनी सरकार को भी ग्रागाह कर देना चाहता हूं कि यदि सिचाई के साधन हमारी इन 2-4 5 तहसीलों के ग्रन्दर उपलब्ध करा दिये जाय तो हमारे यहां के किसान किसी भी प्रकार से भूखे नहीं रह सकते हैं,

(श्री जयकिशन तोसावड़ा)

किसी प्रकार से दुःखी नहीं हो सकते हैं हर प्रकार की फसल यहां पर पैदा हो सकती है।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बनाई जाय, हर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के पश्चात् ऐसी योजना बनाई जाय तो हमारे सिंचाई के साधन उपेक्षित नहीं रहेंगे और हर समय, हर हालत के अन्दर प्रदेश की दशा सुधर सकती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : दूसरा निवेदन करना चाहता हूं करीब 13 साल पहले, सन् 1971-72 में राजस्थान के अन्दर बाढ़ आ गई थी और उसके बाद में अकाल पड़ गया था पूरे राजस्थान के अन्दर उस समय भू संरक्षण की योजना चालू की थी और अब पता नहीं वह योजना कहां गई ? हमारे जयपुर जिले के अन्दर तो ऐसी योजना ही नहीं है। हां, हो सकता है बांसवाड़ा में हो, डूंगरपुर में हो, जोधपुर में हो, बीकानेर में हो, जैसलमेर में हो या और कहीं हो सकता है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : लेकिन जयपुर जिला ऐसा उपेक्षित जिला है और उपेक्षित होने का कारण यह है कि यहां की जितनी योजनायें बनती है वह पता नहीं कहां खटाई में पड़ जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि जयपुर जिला ऐसा जिला है जहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है, किसी भी प्रकार के भू-संरक्षण के कार्य यहां पर चलाये जाते है तो एक बड़ा भारी काम हो सकता है। क्योंकि हमारे जिले के अन्दर वास्तव में किसान है जो खेती पर अधिक निर्भर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट—

श्री जगदीश तिवाड़ी : आपके चित्तौड़ का नाम नहीं लिया है।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : चित्तौड़ का नाम भी ले लेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शार्ट में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, या तो आप कृपा कर यह मत कहा करो कि समाप्त करिये और यदि कहते हैं तो फिर समाप्त कराया करो। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य आपके आदेशों की बिलकुल अवहेलना करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : हर सदस्य सम्माननीय है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय तिवाड़ी जी की बीच-बीच में टोका-टोकी करने की आदत है।

इसलिये, माननीय सभापति, मेरा निवेदन यह है कि हमारा जयपुर जिला जो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर है लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर कोई सिंचाई के साधन नहीं है। जमुवा रामगढ़ जो है, जैसा माननीय सदस्य श्री भारद्वाज जी ने अभी कहा था कि इस सिंचाई के साधन को काट कर उससे केवल जयपुर शहर को पानी पिलाया जा रहा है। हां, बीसलपुर बान्ध से अगर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय पानी ला सकते हैं तो हमारे यहां की पानी की समस्या दूर हो जायेगी।

साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की बात भी कह देना चाहता हूं, सभापति महोदय, केवल 3 बान्ध हैं छापरबाड़ा....

श्री सभापति : दो मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य दो मिनट से अधिक समय हो गया है।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में तीन बांध है—एक छापरवाड़ा, दूसरा कालक है और तीसरा हिंगोनिया। मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय, छापरवाड़ा के बान्ध में जो पानी आता है वह बहुत कम मात्रा में आता है। यदि आगे का साधन और उपलब्ध कराकर इसको 4 फुट और ऊंचा करवा दिया जाय। 1972 में भी मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। 1972 में केवल 2 फुट ऊंचा किये जाने का निर्णय किया गया था। ऊंचा किया गया है या नहीं किया गया है मुझे मालूम नहीं है। मैंने 4 फुट ऊंचा करने का सदन में प्रस्ताव रखा था। यदि इसको 4 फुट ऊंचा करवा दिया जाय तो इसके नीचे आने वाले किसानों की जमीन है वह पूर्ण रूप से सिंचित हो सकती है, निश्चित रूप से उनको फायदा मिल सकता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : साथ ही, सभापति महोदय, एक कालका बान्ध है सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा बान्ध में पानी कहां से लाया जाय इसका सर्वेक्षण हो चुका है। एक माड़ा नदी है और माड़ा नदी को यदि वहां से रोककर, जिसका कि पानी सांभर की झील में जाता है—

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : झील में नमक बनता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि माड़ा नदी को वहां से रोक कर यदि किसी प्रकार से वह पानी कालका बन्धे में डाल दिया जाय तो, सांभर झील में जाने से रोक दिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : सारी जमीन खराब हो जायेगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट....

श्री सभापति : कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : हमारे क्षेत्र के अन्दर माड़ी नदी है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : यदि एनिकट्स बना दिये जाय तो पानी रुक जायगा जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे और किसानों के जो कुए हैं वे भरे रहेंगे —

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य कई और सदस्य बोलेंगे, आसन को सहयोग करें कृपया।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : एक मिनट।

मेरे क्षेत्र के अन्दर एक हिंगोनिया बांध है उसके पेटे के अन्दर, पहले भी सर्वेक्षण कराया था सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से जुटाने के लिये, यदि पाताल तोड़ कुए चार-पांच खुदवादें तो वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। पहले भी जब मैं 1972 में सदस्य था इसका सर्वेक्षण कराया था। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका सर्वेक्षण कराया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। एक मिनट हो गया माननीय सदस्य।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : राजस्थान ही नहीं हमारा देश भी सिंचाई के साधनों से उपेक्षित न होते हुए बहबूदी की ओर बढ़ेगा और यहां का प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण लोग है उनके लिये भी सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध होने में वास्तविकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे और सिंचाई के साधन होने से हमारा प्रान्त, हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित होगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शोपत सिंह।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत, हमारे दोनों सिंचाई मन्त्री, इन्दिरा गांधी केनाल और सिंचाई विभाग....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बात तो कृपया जरूर कहें पर पांच-सात मिनट का समय ही लें।

श्री शोपतसिंह : मैं पांच सात मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : हां, आप हमेशा सहयोग करते हैं, सहयोग करेंगे।

श्री शोपतसिंह : यह तो बहुत बड़ी रामायण है, मैं तो जानता हूं कि इस पर क्या कुछ बोलेंगे, मैं तो दो-चार बात ही कहूंगा आपसे। ज्यादा बिन्दुओं पर नहीं कहूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री शोपतसिंह : एक तो यह कि बोलने के लिए कुछ थोड़ा ही नहीं है इसमें। इन्दिरा गांधी कैनाल को और भाखरा को भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और राजनेताओं का चरागाह बना दिया आपने। भुगतेंगे हम, भुगतेगा किसान उस इलाके का और फिर आपने क्या किया, अभी दो-दो मन्त्री बैठे हैं, रामसिंह कमीशन की चर्चा नहीं करूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है किसी में भी, यह तो टेम्परेरी माल है सारा का सारा, कोई परमानेन्ट होता, किसी की जिम्मेदारी होती वह तो शायद एक्शन लेता। मगर यह तो लॉटरी का माल है आता है और जाता है, कभी इन्दिरा गांधी जी के नाम पर आया कभी राजीव बाबू के नाम से आ गया इनमें हिम्मत नहीं है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करना या कुछ और कहना, यह निश्चित रूप से—सी. पी. जोशी साहब कह रहे थे कि इतनी बड़ी यह योजना, यह इन्दिरा गांधी की इतनी बड़ी योजना और दूसरी योजनाएं गंगानगर में क्यों हैं! यह तो गंगनहर हमारे नजदीक है, पड़ौस में ही है, वर्ना सारी की सारी उदयपुर में ले जाते तुम एग्रीकल्चर कॉलेज ले गये ना उदयपुर में, पत्थर के ऊपर, उस पठारी इलाके के अन्दर क्या मतलब है इसका, यह कुदरत ने हमको देन दी है उसका फायदा हमको मिला है....

श्री सभापति : कृपया सिंचाई पर बोलें।

श्री शोपतसिंह : किसी की मेहरबानी पर नहीं। हां, सिंचाई पर बोल रहा हूं। यह सिंचाई के जो साधन मिले हैं गंगानगर में यह राजनेताओं की मेहरबानी से नहीं मिले हैं, वह कुदरत ने दिये हैं, हमको और यह चोर नहीं हैं सारे भ्रष्ट अधिकारी, सारे राजनेता देख रहे हैं उनको, मैं उन ईमानदार अधिकारियों की कद्र करता हूं मैं सबके सबको नहीं कहता कि सब लोग भ्रष्ट हैं, ऐसे माहौल में जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमको उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीन चार बिन्दुओं पर सवाल उठाना चाहता हूं—भाखरा की हमारी जो नहर है वो कुछ नहरें पंजाब में से फीड होती हैं और कुछ नहरें हरियाणा में से आती हैं। पंजाब में तो जा नहीं सकता, हमारा कोई मन्त्री, मुंह नहीं करता। यह माननीय सिंचाई मन्त्री हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां लोगों की क्या हालत हो रही है वो कल स्टेटमेन्ट देंगे, तब बताऊंगा मैं। ये इधर मुंह नहीं करते पंजाब की तरफ। इनके तो उग्रवाद का ऐसा हौवा घुसा हुआ है कि कौन जावे, हमारी नहर में पानी है या नहीं है, न इनके अधिकारी जा सकते हैं वहां पर न इनके मन्त्री, कौन जाय, इसलिए इस हालत में उसको छोड़ दिया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : शोपतसिंह को भेजेंगे।

श्री शोपतसिंह : हम तो वहीं रहते हैं, भेजेंगे क्या ?

इसके साथ हरियाणा, हमको पंजाब का भी बाप मिल गया, भूखा है बिलकुल, वह हमको पानी नहीं देता। भजनलाल डिक्टेटर है हरियाणा का और उसके पास कहां से लायेंगे पानी। इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है....

श्री सभापति : कृपया राजस्थान की बात करें।

श्री शोपतसिंह : कि हमारे यहां की कुछ नहरें भाखरा की कुछ नहरें हरियाणा में से होकर आती हैं, मेहरबानी करके आप हरियाणा में जो एन. जी. सी. नहर है अभी भाखरा के अन्दर, उसको तो हम कहां ले जायेंगे, कैसे ले जायेंगे उस पानी को, मगर जो एन. जी. सी. नहर है भाखरा के अन्दर उसका दक्षिणी हिस्सा घग्घर नदी का, उस हिस्से के अन्दर जितना पानी आता है उसका हरीके पतन पर ले जाकर राजस्थान कैनाल में हमको दीजिये वहां पर लिन्क बना हुआ है, उसके उपर बना हुआ हैं, हमको क्यों मार रहे हैं, थोड़ी सी बात के लिये उस इलाके के किसानों को वह भयंकर मुसीबत में हैं, पानी क्यों नहीं मिलता। सिचाई की बात कर रहे हैं आप नखलिस्तान दुवारा बना रहे हैं उस आबाद इलाके को उजाड़ रहें है, आप में क्षमता नहीं है पानी लाने की, आपमें क्षमता नहीं है वहां पर बात करने की, राजनीति तौर पर उसका कोई असर यूज करो, आपमें वह ताकत नहीं है। माननीय मन्त्री जी की सेहत भी ठीक है, और दिलचस्पी भी ठीक ले रहे हैं मेरे ख्याल से और जरूर वह इस बात का ख्याल रखेंगे, मेहरबानी करके आप उदयपुर का दौरा कम करके यह दौरा थोड़ा-सा इधर भी करो, कोई बात नहीं हम जिम्मेदारी लेंगे, वहां आपके साथ रहेंगे, उग्रवाद से आपको कोई खतरा नहीं होने देंगे। तो मेहरबानी करके जो हिस्सा पानी का हमको हरियाणा से मिलता है...

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी डरने वाले नहीं हैं।

श्री शोपतसिंह : आपकी इस बात से क्या होगा, अभी आप मेरी सेहत को देखें, कोई मुर्दा शरीर या कमजोर शरीर क्रान्तिकारी होता है—

श्री सभापति : कृपया आपस में बात नहीं, कृपया अपनी बात कहें। आपस में बात नहीं करें।

श्री शोपतसिंह : कमजोर शरीर का आदमी कोई क्रान्तिकारी नहीं होता यह उसके लिए कोई मापदण्ड नहीं है, आपकी भी यही हालत है।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कम्युनिष्ट होने से...

श्री शोपतसिंह : यह दाढ़ी, शक्ल भद्दी बनाने से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शोपतसिंह : कोई क्रान्तिकारी नहीं होता।

श्री सभापति : कृपया सिंचाई पर बोलें।

श्री शोपतसिंह : माननीय जोशी जी, दाढ़ी रखने से कोई क्रान्तिकारी नहीं होता है, मेहरबानी करें।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा एक इश्यू है कि आप यह जो पक्के खालें बना रहे हैं, मेहरबानी करके इनसे हमारा पीछा छुड़ावें और भाखरा की नहरों को अगर आप पक्का करा सकते हैं तो पक्का करा दीजिये और उस पानी को बचा कर हमारे इलाके में दीजिये। भाखरा की नहरें हैं उनको आप पक्की बनाइये ताकि उनसे जो पानी की सेविंग होगी वह हमारे खेतों में काम आ जायेगा आप खालों की बात छोड़।

नम्बर 3, सिंचाई कर माननीय सभापति महोदय, ये सिंचाई कर में बारी काटते हैं किसानों की, क्योंकि आपने दो साल का टैक्स नहीं दिया। मन्त्री जी, मैं एक सवाल पूछता हूं कि किसान कोई टैक्स चोर नहीं है, उसकी तबीयत नहीं है, यह बात नहीं है कि उसके खेतों में अनाज है। सबसे पहली फिक्र किसान को इस बात की रहती है कि अगर उसके खेतों में फसल हो तो वह सिंचाई कर दे, उस लगन को देवे। कभी कोई भी दुनिया का, हिन्दुस्तान का कोई भी किसान चोर नहीं हो सकता बाकी लोग हो सकते हैं, बाकी भ्रष्ट हो सकते हैं, आप किसानों के बारे में नहीं कह सकते।

माननीय सभापति महोदय, आप इस कानून में अमण्डमेन्ट कीजिये, अगर दो साल का या दो फसल का सिंचाई कर नहीं दे सकता तो उसकी बारी काट रहे हैं—It is a national loss. कोई बात नहीं, मेरे खेत में जो किसान फसल पैदा करता है वह किसान की फसल नहीं है वह नेशनल प्रोडक्शन है, उसमें जो भी सरप्लस पैदा करता है उसे वह मार्केट में ले जाता है। आप खाते हैं और आप उसकी बारी काट कर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेशन को, प्रोडक्शन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेहरबानी करके इससे पहले भी, इस कानून के बनने से पहले भी गंगा कैनाल के अन्दर सिंचाई टैक्स वसूल किया जाता था, यह जरूरत क्यों पड़ी, आपके अधिकारी सोचते होंगे सब ही आपको दिया जाय सारा का सारा, इस बात की फिक्र नहीं कि उसकी दो साल पहले, सारी की सारी फसल तबाह हो गई।

सेन्टर की सरकार ने दिया हमारी सरकार हैं। यह योग्यता नहीं है कि वह केन्द्र की सरकार ने पैसे लावे। आज उस हालत में जब कि किसान की चने की और गेहूं की फसल तबाह हो गयी आज उसको जरूरत है आपकी हमदर्दी की। अगर वह पैसा समय पर नहीं दे पाता है तो आप उसकी पारी काट देते है। यह किसका नुकसान होता है, आप मेहरबानी करके उसकी पारी नहीं काटें। क्योंकि आज देरी हो जाती है तो आप उस किसान से ब्याज लेते हैं और आप जब किसान से ब्याज लेते हैं तो उसकी पारी क्यों काट देते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो गयी या किसी कारण नष्ट हो गयी, चाहे गिड़ा पड़ने से

(श्री शोपतसिंह)

फसल खराब हो गयी तो आप मेहरबानी करके उसका पानी मत काटो। आप अपने कानून में अमेण्डमेण्ट कीजिये। अगर आप कहते हैं कि जनता की सरकार है, जनता के लिये है तो आप इस बात को साबित करो कि यह जनता की सरकार है। आप ऐसे काम करो ताकि जनता को एहसास हो कि जनता की सरकार है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री): आपका मतलब है कि पैसे नहीं लो।

श्री शोपत सिंह : यह हमारी आदत नहीं है यह तो आपकी आदत है अकाल के नाम पर सारा का सारा पैसा डकार जावो, अकाल के नाम से खुल कर पैसा खा जावो। मन्त्रीजी यह हमारी आदत नहीं है हम तो देते हैं हम दान में नहीं लेते हैं। हम दान में नहीं लेना चाहते हैं। आपने नोन पेमेण्ट पर यह पारी काटने की बात की है वह मत काटो। अगर आपको इस बात से खुशी होती है, इस बात में मजा आता है तो आप पारी काटो। खुशी से काटो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पानी काटने में मजा नहीं आता है हमको पर आप भी किसानों को यह सलाह दें कि वह सरकार का पैसा समय पर चुका दें।

श्री शोपत सिंह : पैसा हो तो समय पर दें नहीं हो तो कहां से दें। हमारे पास पैसा ही नहीं है तो कहां से दें। यह आपके करोड़ों रुपये आज जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों में बकाया हैं उसके लिये आपके कानून बन्द हो जाते हैं। वहां आपके सब कानून खतम हो जाते हैं। पर अगर आपके आज कोई किसान में सौ रुपया या 50 रुपया या दो सौ रुपया या चार सौ रुपया बकाया है और अगर वह नहीं दे सकता है तो आप उसकी पारी मत काटो। क्योंकि किसान ने आज तक किसी का पैसा खाया नहीं है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें, जोश नहीं खायें। आप अपनी बात शान्ति से कहें।

श्री शोपत सिंह : जोश तो आता है।

श्री सभापति : आप अपनी बात शान्ति से कहें।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह बहुत परेशान कर रहे हैं।

श्री सभापति : कोई परेशान नहीं कर रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, इनको ब्लड प्रेशर हो जायेगा।

सदन के समय में वृद्धि

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय और साढ़े सात बजे तक सिंचाई विभाग की मांगों पर विचार होगा और उसके बाद सिंचाई मन्त्री जी द्वारा उत्तर दिया जायेगा।

श्री सभापति : सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक जी ने रखा है क्या सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह बार-बार सदन का समय बढ़ाना खराब है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है इस मांग में तीन अरब और 83 करोड़ रुपये का लेखा-जोखा जो जुड़ा हुआ है उसके लिये आप 12 बजे से एक बजे तक के लिये बैठिये।

श्री सभापति : इनका अभिप्राय यह है कि लम्बी बात नहीं हो, शार्ट में हो, काफी लम्बी चर्चा नहीं करें।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री शोपत सिंह : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

थोड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है गंग कैनाल के बारे में, इसकी लिन्क है इसके लिये मैं पूछना चाहता हूं कि आपके इरादे क्या हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने सन् 62 में और 58 में कहा था कि इसका एस्टीमेंट इतने करोड़ होगा और अब आपने इसको एक हजार करोड़ तक बिल. बना दिया है आपको पता है कि इसमें कितना क्यूसेक्स पानी आयेगा ? आप ने अन्दाजा किया या नहीं और आप कीडी की चाल से चल रहे हैं। मेहरबानी करके इस लिन्क को जल्दी से जल्दी बनाये लेकिन आपको इसकी फिकर नहीं है क्योंकि वह पैसा हमको देना पड़ेगा, यह तो हमारी चमड़ी उधेड़ेंगे। इसलिये आपको फिकर नहीं है मेहरबानी करके यह राजस्थान कैनाल को सारे राजस्थान के हित में और सारे राजस्थान के ही नहीं बल्कि सारे देश के हित में इसकी लिन्क कैनाल को जल्दी से जल्दी बनायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, समाप्त करने की चेष्टा करें। काफी लम्बा बोलते हैं आप। काफी समय ले लिया आपने।

श्री शोपत सिंह : अब लास्ट पाइन्ट, सभापति महोदय एक बात मैं सी. ए. डी. के बारे में कर रहा हूं। सी. ए. डी. की आपकी जो राजस्थान कैनाल के अन्दर नहरें जहां पहुंच गयी हैं वहां पर मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जो प्रोड्यूस किसान का होगा उसे वह कहां ले जायेगा यह तो किसान के लिये एक बबाल हो गया कि वह अपनी प्रोड्यूस को जो उसने पैदा की है उस इलाके में, जहां राजस्थान कैनाल है वहां पर सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर रेल की व्यवस्था नहीं है आपकी रेलवे लाइन की व्यवस्था उस इलाके में नहीं है वह अपने इलाके से इन्टीरियर में अपनी प्रोड्यूस जो उसने पैदा की है वह उसे कहां ले जाये, उसका मार्केट नहीं है तो, अगर उसका मार्केट नहीं है तो उसका सोना भी लोहा बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है इसका। आपका सी. ए. डी. विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। वह गोलियां बनाता है और फिर उनको केन्सल कर देता है यह सारी की सारी आपकी आबादी भूमि छोड़ी थी वहां पर मण्डियां नहीं बनायी गयी हैं और लोग वहां पर एनक्रोचमैन्ट कर रहे हैं, वहां पर

(श्री शोपत सिंह)

लोग धक्के मार रहे हैं और धक्के मारकर वहां पर बस रहे हैं और किसानों को परेशानी हो रही है। सिंचाई मन्त्री जी किसानों की जो पैदावार है उस पैदावार की खूब लुटाई हो रही है। आज उसकी सरसों की फसल की स्थिति यह है कि उसके लिये कोई मार्केट नहीं है। कपास के लिये कोई मार्केट नहीं है, कोई साधन नहीं है। उसके पास, उसका इन्टीरियर में कोई मार्केट नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये, आप समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री शोपत सिंह : अभी समाप्त कर रहा हूं।

इसलिये मेहरबानी करके भाटी साहब यह लिफ्ट योजना का जो आपको भूत सवार हो गया है उसको आप हटावें। आप उस इलाके में जाकर देखें आप लूणकरणसर के इलाके में जाकर मेहरबानी करके वहां पर देखें। आपको पता चलेगा कि वहां पर पीने का पानी नहीं है। हमारे वहां पर राजस्थान कैनाल के एरिया में पीने के पानी की व्यवस्था करें। वहां पर जमीन समतल है। आप वहां राजस्थान कैनल में देखें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री शोपत सिंह : आप मेहरबानी करके देखें आप इस लिफ्ट योजना को समाप्त करें। क्योंकि साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स पानी आयेगा साढ़े अठारह हजार क्यूसेक्स पानी का एक दरिया है, वह दरिया क्या राजस्थान की प्यास बुझा सकता है। राजस्थान को सारे पानी की समस्या क्या हल हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के लिये आप मेहरबानी करके यह इस तरह की उटपटांग योजनायें नहीं बनायें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप दिमाग की बात तो करना नहीं चाहते हैं सारा का सारा एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके रियेलिस्टिक प्लान बनायेंगे तो कुछ काम आयेगा वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल पारीक।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, वास्तव में मैं बड़ी इन्तजार में था कि मुझे मौका मिले ताकि मैं अपनी एक बात कह सकूं। सभापति महोदय, मैं शोपत सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सुझाव तो बढ़िया दिया, बाकी तो आपने गालियां ही गालियां दीं। पर मैं उनका उत्तर नहीं दे रहा हूं।

श्री सभापति : उत्तर तो उसका मन्त्री महोदय देंगे। आप तो अपनी बात कहें।

श्री बिहारीलाल पारीक : वास्तव में सभापति महोदय, अगर राजा भागीरथ नहीं होता तो आज हमारे देश में गंगा और गंग नहर नहीं आती और नेहरूजी नहीं होते तो इन्दिराजी नहीं होती और इन्दिराजी

(श्री बिहारीलाल पारीक)

नहीं होती तो सभापति महोदय हमारी महान् नेता इन्दिराजी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला थी ...

श्री शोपतसिंह : वह नहीं होती तो आप यहां नहीं होते।

एक माननीय सदस्य : वह होती तो आप कहां होते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, हमारे सिचाई मन्त्री जी बहुत ही योग्य हैं और हमारे जोशीजी जो मुख्य मन्त्री हैं और इस सदन के नेता हैं उनके ही भागीरथ प्रयास के कारण हमारे यहां पर विकास का कार्य हो रहा है वरना जनता शासन के ढाई साल में सारा का सारा सत्यानाश हो गया था उसको इन्दिराजी हमारे देश की महान् नेता वापिस लाइन पर लाईं। जोशीजी जो हमारे सदन के नेता हैं उन्होंने एक तरफ किसानों की राहत के लिये, अभी हमारे विरोधी सदस्य कह रहे थे पर उनको ऐसा सोचना चाहिये कि जोशी जी के ही भागीरथ प्रयास से राजा भागीरथ की तरह प्रयास किये हैं आज हमारे देश के आजाद होने के बाद से राजा और महाराजाओं के हाथ से काम अपने हाथ में लिया। मैं, सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की बात तो करता नहीं मुझे अन्य क्षेत्र का ज्ञान नहीं है मुझे तो केवल माण्डल का ज्ञान है मैं तो केवल मेरे माण्डल क्षेत्र के बारे में ही बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : दुबारा कहो।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, वास्तव में यह बुद्धिमता है हमारे सिचाई मन्त्रीजी की, और मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं अपने क्षेत्र के लिये मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं हालांकि पूरे राजस्थान की बात भी मैं कर सकता था पर मैं वह नहीं करके मेरी जानकारी के अनुसार आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे माण्डल क्षेत्र के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट मुख्य रूप से सिंचाई के लिये राज्य सरकार ने 1985-86 में 125.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसमें इन्दिरा नहर पर पचास करोड़ का किया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्दिरा नहर में और माही प्रोजेक्ट में करोड़ों की व्यवस्था है मेरे क्षेत्र में भी मेजा डेम है आप देखें। इस समय माननीय सिचाई मंत्री जी मौजूद हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे क्षेत्र में एक बार आयें ताकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, आप उसको देख सकें। पहले समय नहीं मिला, मुझे आशा है कि आप पधारेंगे, राजस्थान की जनता और सिचाई विभाग की आप सेवा करना चाहते हैं, मुझे इससे उम्मीद है कि पचास करोड़ रुपये इंदिरा नहर के लिए प्रावधान किया गया है उससे किसानों को लाभ होगा, लेकिन, सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र तो उसमें आता ही नहीं है। माण्डल क्षेत्र में स्थिति क्या है, कोठारी नदी में बांध बना हुआ है और मेजा डेम है उससे मेजा फीडर

(श्री बिहारीलाल पारीक)

बनाई जा चुकी है और प्रकृति का बड़ा प्रकोप है इसमें कोई दो राय नहीं, राम जब रूठ जाता है तो उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमें जनता ने इसलिये चुनकर भेजा है कि सरकार से लड़ाई करनी पड़े, चाहे सिंचाई मंत्री से लड़ाई लड़नी पड़े और यह पचास करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है उसमें से करोड़ रुपया हमें दिया जाय तो कोई बात नहीं।

मैं चाहूंगा इसी तरीके से मांडल क्षेत्र में पानी का सवाल है, कई गांव ऐसे हैं जहां लोग देखते रहते रहते हैं और पानी उनके पास से होकर चला जाता है और हम उनको पानी नहीं दे सकते। वहां पर एनीकट बनाने की बात हुई थी वह स्वीकृत भी हो गया और उसका नाम है बेलाज एनीकट जो 1980 से लगातार हम राजस्थान सरकार से, हमारी सरकार से बराबर कई माध्यमों से उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और एन. आर. ई. पी. के तहत सेंक्शन भी हो गया। मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि स्वीकृति हो जाने के बाद भी आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ। पहले बताया गया कि एक लाख रुपया स्वीकृत हुआ उसके बाद कह दिया गया कि चार लाख में बनेगा, मैं चाहूंगा कि क्या कारण थे जिससे इसे सिंचाई विभाग को न देकर पंचायत समिति को देकर इसकी स्वीकृति दी जाकर आज तक काम चालू नहीं हुआ, वहां पर बड़ी तकलीफ है लोगों को, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, मुझे लोगों ने वोट इसलिये दिये हैं कि मैं इस बात को कहूं कि जिससे वह चालू हो सके। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जवाब दें तो मुझे बतायें, चाहे लिखित में बतायें या घोषणा करें ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि मैंने आपकी पैरवी की है। 1980 से लेकर 1985 तक मैं इसको यदि सेंक्शन नहीं कराकर काम चालू नहीं करा सका तो मेरे लिये क्या बात होगी। सभी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, अपने क्षेत्रों में, जब उनके यहां प्रोजेक्ट चालू नहीं हो तो क्या स्थिति रहती है। माण्डल, जो वास्तव में ध्यान रखने वाली बात है, में यह स्कीम चालू करो, आज भी काम चालू हो सकता है, उस एनीकट के लिये आज भी स्वीकृति है, मैं चाहता हूं कि कल ही काम चालू हो जावे, मस्टर रोल इश्यू कर दें। माण्डल में बिलक नामक जो तालाब हैं उसके बारे में 1980 से लगातार कह रहा हूं हर बजट में कटौती प्रस्ताव के जरिये, बजट पर चर्चा के समय बराबर कहता आया हूं और आज तक वह चालू नहीं हुआ।

(7.00 सायं)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज सुना है, आज ही मुझे खबर मिली वहां पर उदयपुर की तरफ एक छोटा सा एनीकट स्वीकृत किया जा रहा है, वह शुरू किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस बजट में प्रावधान दें कि पचास करोड़ गंग कैनाल पर जो खर्च कर रहे हैं वहां पर भी कम से कम इस साल पांच लाख रुपये देकर

(श्री बिहारीलाल पारीक)

इस काम को चालू करायें और धीरे-धीरे इन पांच सालों तक इसको पूरा कर सकें, ऐसी मैं आशा रखता हूं ।

माण्डल में लिफ्ट योजना चालू थी हमने लिफ्ट योजना के लिये कई प्रपोजल्स दिये, कभी कहते हैं उसके लिए चालीस लाख स्वीकृत हैं, कभी कहते हैं बीस लाख स्वीकृत हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का और सिचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आज वहां पर सिर्फ बीस आदमी काम करते हैं । मैं अभी परसों गया था वहां पर पता लगाकर आया हूं वहां पर चालीस लाख की योजना स्वीकृत है लेकिन वहां पर 20 आदमी काम कर रहे हैं । यह क्या कारण है ? मेजा डैम मिट्टी से भरा हुआ है । मेरे क्षेत्र में दो गांवों में जिनका झगड़ा हर वार होता है, तत्कालीन मुख्य मंत्री, माथुरजी ने वहां फैसला कराया । वहां पर झगड़ा होता रहता है, पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ती है, अभी भी झगड़े हैं । मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं, मैं ऐसे सुझाव देता हूं जिससे सारे अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि हम सब मिलकर अच्छा काम करें तो निश्चित तरीके से वहां विकास होगा । हम ऐसा काम नहीं करते जिससे झगड़ा बढ़े ।

श्री शोपत सिंह : इनके भाषण की कापी छपवाकर बांट दीजिए ।

श्री बिहारीलाल पारीक : मांडल में लिफ्ट योजना अगर चालू रहती है, वहां पर एक लिफ्ट योजना शुरू की गई है जैसे सीमेलिया गांव है, मेजा डेम नीचे है वहां पर पानी की बूंद नहीं है, पीने का पानी नहीं है । सूखी जगह रहती है । अगर यह लिफ्ट योजना पूरी की जा सकती, मैंने सरकारी अधिकारियों का, हमारे भीलवाड़ा के ए. ई. एन., एक्स. ई. सबका ध्यान आकर्षित किया है वहां पर चालीस लाख रुपये स्वीकृत हैं वहां पर बिजली की मोटर लगाकर जो कुएं खुद रहे हैं नदी में, वहां जहां पानी अथाह है वहां पर टैंक बनाये जा रहे हैं और केवल मैं समझता हूं मामूली व्यवस्था के साथ काम इस साल पूरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ । मैं यह सच्ची कह रहा हूं सिचाई मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि आपका प्रोग्राम वहां जल्दी इसलिये रखने जा रहा था कि उस योजना को आप देखते तो किसानों को लाभ हो सकता है, जिसमें नवलपुरा का झगड़ा है जो बराबर 25 साल से चल रहा है वह मिट सकता था । मैं अभी चाहूंगा कि आप चलिये, अभी भी समय बाकी है, इस साल स्थिति बड़ी भयंकर है, वहां पर पानी की बूंद नहीं है, अकाल की स्थिति है । अगर वहां के किसान खेतों में गेहूं बोयें, एक बार नवलपुरा में पानी दिया हजारों बीघा जमीन बेकार न होती, उनका कितना बीज बेकार गया वह न गया होता । अगर उनके इस हिसाब को जान लिया जाता तो निश्चित रूप से यह लिफ्ट योजना पूरी हो सकती थी । मैं चाहूंगा कि इस लिफ्ट योजना पर किस कारण से बीस आदमी लगाये हुए हैं, चालीस लाख रुपये की योजना है, वह रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है । माण्डल में कई ऐसे तालाब हैं, एक बेमानी तालाब है हर साल जागीरदार उसको तोड़ देते हैं । मैं सिचाई विभाग के अधिकारियों को बराबर कहता हूं, पाल तो हमारी है, जगह जागीर-

(श्री बिहारीलाल पारीक)

की है, यह भूमि सुधार वाली बात है। उसमें तालाब के लिए पैसा दिया जाता है, हम स्वीकार करते हैं, मैं जानता हूं कि अब तक भी यह जागीरदारी चलती है इसका क्या कारण है, जिनकी बेजन है उनका कब्जा है और पाल में धुला चलाने के लिए उसके पेटे में ली जाती है, वह जमीन सीलिंग की जमीन वह स्टे ले आये हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट हार चुके हैं, फिर भी इसको सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं लेते। मेरे क्षेत्र में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं, यह सब छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं और इनका सारा पैसा जागीरदार ले लेते थे पहले पता नहीं था, धीरे-धीरे हमें पता लगा तो हमने कब्जा लेना शुरू किया, पालें हमने ली। मैं चाहूंगा कि ऐसे तालाब जिनसे अच्छी सिंचाई हो सकती थी, थोड़ा खर्चा हो सकता था उन पर सिंचाई विभाग को देना चाहिए, अधिकारी कहते हैं हमारा काम नहीं है, पंचायत समिति कहती है हमारा नहीं और जिनकी जमीन होती है वह कहते हैं तालाब हमारा है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, वह बेमानी धरोहर हो जाती है। उनको ठीक करने की स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उनकी आवक बनाई जा रही है, पाल नहीं बनी है भगवान की कृपा से बारिश आयी तो सारे तालाब टूट जायेंगे। अधिकारी भी नोट कर रहे हैं, सिंचाई मंत्रीजी उनको बुलाकर कहें कि सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ है। पांच साल के लिए उनको पैसा दिया जाता है, वह किसानों के काम नहीं आता, अधिकारी खा जाते हैं, पानी एक बूंद उसमें नहीं रहने देते।

श्री शोपतसिंह : सी. पी. × × ×

श्री बिहारीलाल पारीक : इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर जो भी व्यवस्था करनी पड़े वह करें।

एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने इसमें कटमोशन में भी लिखा चावंडिया के पास बराबर में 80 से कोठारी नदी पर एनीकट की मांग कर रहा हूं। वह एनीकट बनाया जाकर उस एनीकट का पानी चांदराम का जो एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके अन्दर किसी की जमीन नहीं आती है, तालाब का पाल बड़ा बनता है और चावंडिया का पानी उसमें केसर सागर में डाला जाये और केसर सागर का पानी नवलपुरा के तालाब में डाला जाये और नवलपुरा का जो वेस्टवेयर है उसको ऊंची की जाकर जोरापुरा के तालाब में पानी दिया जाये, मैं समझता हूं कि इसमें करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा। यह मुश्किल से 20-25 लाख की स्कीम है। तालाब बना हुआ है, केवल एनीकट ही स्वीकृत हुआ। पता नहीं किस कारण से वापिस उसको रिजेक्ट कर दिया। इस साल भी एनीकट की स्वीकृति हुई, हर साल स्वीकृति होती है फिर पता नहीं किस कारण से बारबार स्वीकृति में, एन.आर.ई.पी. में कम बजट देकर यह अधिकारी कहते हैं एक लाख में नहीं बनेगा फिर क्यों नहीं इसका एस्टीमेट पहले ही 10 लाख का बनाकर स्वीकृति ली

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

जाये और स्वीकृति लेकर इस काम को चालू किया जाये। एक साल में पूरा नहीं हो, दो साल में हो सकता है, तीन साल में हो सकता है, चार साल में हो सकता है लेकिन पांच साल बराबर पैरवी करने पर भी उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इसकी स्वीकृति नहीं हो सकी और इस साल स्वीकृति हुई। मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि किन कारणों से उसकी स्वीकृति कैंसिल कर दी गयी और स्वीकृति जब कैंसिल कर दी गयी तो इसका क्या कारण था। यह अधिकारी से जवाब लें और मुझे भी इत्तला दें कि क्या कारण था कि इतना अच्छा प्राजेक्ट है इसकी सर्वे भी की होगी और सर्वे करके पैसा भी लगा होगा। उसमें इतना पैसा लगने के बाद भी और स्वीकृति देने के बाद भी इस काम को आज तक चालू नहीं किया गया। और, चालू नहीं किया गया इसका क्या कारण है। जब गंग कैनाल पर आप 50 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए आप और ज्यादा दीजिए मैं उसका आब्जेक्शन नहीं करूंगा लेकिन उस इलाके में समतल जमीन है, अच्छी उपजाऊ जमीन है वहां पर कई किसानों का भला हो सकता है और इतना अच्छा सुझाव है जिसके लिए विधानसभा में 80 से लेकर 85 तक मेरी आवाज उठाने के बाद भी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, मैं चाहूंगा सिंचाई मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तरीके से अगर चावंडिया का एनीकट बनकर केसर सागर में पानी आकर नवलपुरा का तालाब बड़ा बनाया जाकर अगर इसका पानी नीचे दिया जाता है तो माण्डल के इलाके तक जहां नीचे बांध और ऊपर का इलाका सरसब्ज होगा और हरियाणा की तरह होगा, इससे सारे किसान आपकी जय करेंगे।

मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : लोरखेड़ा का तालाब, चडस का तालाब, बोखली का तालाब, घोड़ामीना की नहर, मलकानी नहर उपाध्यक्ष महोदय, लोरखेड़ा का तालाब दो साल पहले टूट गया। मैंने यहां पर आपकी मार्फत विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया। गया-भैंसें बह गयीं और कई प्रकार का नुकसान हुआ। इस साल बड़ी मुश्किल से एक महीने पहले ही स्वीकृति हुआ है। यह तालाब कभी तो सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि हमारे नहीं हैं, पंचायत समिति कहती हमारे नहीं हैं और इसका बड़ा डिस्प्यूट है-मैं चाहूंगा सिंचाई मंत्री जी माण्डल तहसील के जितने भी तालाब जिसमें आज सिंचाई विभाग का काम चालू है, अकाल की मार्फत या एन. आर. ई. पी. की मार्फत, वह सारे-के सारे सिंचाई विभाग में लिये जायें ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। मलखानी और घोड़ा का खेड़ा की नहर पर मैं समझता हूं कि एक-एक नहर में दस-दस लाख रुपया खर्च हो चुका है और थोड़ा-सा 2 लाख या 1।। लाख रुपया लगना बाकी है काम है और मैं लिस्ट और बताऊंगा तो देर लग जायेगी। जो-जो अकाल राहत में कार्य स्वीकृत होते हैं, उनमें किसी में 25 हजार का काम रह जाता है, किसी में 50 हजार का काम रह जाता है और कई जगह यह काम तत्काल

(श्री बिहारीलाल पारीक)

बन्द कर दिये जाते हैं इससे वहां के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि नया तालाब घोरीमदर का बना, कई वर्षों पहले बना लाखों रुपया उसमें लगा। उसकी अ ज तक नहर नहीं निकली। एक भी पानी की बूंद उसके बाहर नहीं जाती है और सिंचाई विभाग वालों को उसका मालूम भी नहीं है कि नया तालाब कहां पर है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। हर एक पाइन्ट पर संक्षेप में कह दें। बहुत टाइम हो गया।

श्री बिहारीलाल पारीक : यह एनीकट वाली बात कह दूं। मैं एनीकट वाली बात की इस लिए मांग कर रहा हू कि दरअसल पानी का स्रोत बहुत नीचे चला गया। अगर नदी पर एनीकट बनते हैं तो वहां के जो सेजा सूख गया उसमें जागदरी, सूपरा, कोठारी नदी पर बेलास, बागोर, चावंडिया और मिलन की बांध-यह जो मैंने प्राजेक्ट आपके सामने रखे हैं यह अगर बनते हैं तो निश्चित तरीके से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और हम जो यहां आये हैं हम समझेंगे कि निश्चित तरीके से हमने पैरवी करके आपने जो बजट दिया, उसका उपयोग किया। यह किसानों को आशा है।

मैं आपकी मार्फत एक बात कहना चाह रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी अच्छे होते हैं, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं तो बहुत बातें कहना चाहता था, लेकिन डिस्टर्ब होने से भूल जाता हूं। सरकारी अधिकारी जो अच्छे होते हैं उन को तो बदल दिया जाता है और जो बदमाश और अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं होते हैं-एक मैं आपकी मार्फत सुझाव रख रहा हूं कि जो अधीक्षण अभियन्ता या एडीशनल चीफ या चीफ इन्जीनियर होते हैं, यह कोई नीचे के लोग नहीं होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छा खर्च करके राजस्थान लेवल का काम इनके पास होता है और हम केवल भ्रष्टाचार का नारा देकर जो अच्छे आफिसर हैं, उनकी कद्र उनके साथ बिगाड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि जो अच्छे आफिसर हैं उनकी कद्र होनी चाहिए और उनको तत्काल सजा दी जाती है। मैं चाहूंगा आपकी मार्फत कि जो अच्छे आफिसर हैं, आपको भी ध्यान होगा और हमारे सिंचाई मंत्री जी जिला प्रमुख भी हैं, यह प्रधान भी रहे होंगे, यह पहले के सत्र में मिनिस्टर भी थे और इनको खुद को जानकारी है। मैं चाहूंगा कि किसी एम. एल. ए. के दबाव में नहीं आइयेगा और हमारा कोई रिश्तेदार है उसकी परवाह मत कीजिए और जो अच्छे आफिसर हैं और जो चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में स्थिति अच्छी बने उन आफिसर्स को ठीक जगह लगा रहने दीजिए जिससे किसानों को जो चाहते हैं कि इनके कामों से, इनके माइण्ड से और अकल से अच्छी दिशा मिल सके जिससे हमारा जो बजट है उसका सदुपयोग हो सके और अच्छा काम हो सके, यही आपसे कामना करता हूं। मुझे बहुत बातें कहनी थीं लेकिन मैं कह नहीं सका। मैं यही चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी ने जो यह मांग रखी है, इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये और मेरे क्षेत्र में जो इन्दिरा गांधी नहर

(श्री बिहारीलाल पारीक)

है इस पर तो आपने 50 करोड़ दिये हैं और एक करोड़ मुझे दे दिये जायें ताकि मेरे क्षेत्र का ज्यादा विकास हो सके। यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े लम्बे समय के बाद मुझे मौका, मिला खैर कोई बात नहीं। मैं कोई लम्बे भाषण में नहीं जाना चाहता हूं जैसी पारीक साहब ने लम्बी बातें कहीं। मैं बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र की ही बात करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुरा जिला सारा एक पहाड़ी और पथरीला इलाका है। जहां समतल भूमि है वहां काश्तकार खेती करते हैं। ऐसा सूखा एरिया शायद उपाध्यक्ष महोदय आपने देखा भी नहीं होगा, कई माननीय सदस्यों ने भी नहीं देखा होगा और कइयों ने देखा भी होगा। ऐसे एरिया को सुधारने के लिए गत बजट सत्र में मैंने इसी सिंचाई की डिमाण्ड पर मास्टर प्लान की बात कही थी। माननीय मदेरणा साहब ने उस पर गोर विचार किया और दो महीने के बाद उन्होंने एक आदेश जारी किये। अभी तो शायद करें या नहीं करें लेकिन जो बात पहले हो चुकी उसकी याद करा देता हूं ताकि उनको आसानी रहेगी। तो मास्टर प्लान की बात जब कही गयी और यहां से आदेश भी जारी हुए। आदेश होने के बावजूद जिला लेवल पर कमेटी बुलाई गयी और सभी अधिकारीगणों को विचार करने का और जन प्रतिनिधियों को विचार करने का मौका मिला। तो आज दिन तक मास्टर प्लान की न तो सर्वे हुई, न कोई कागजात तैयार हुए और न कुछ काम हुआ। अभी पुराने जनता पार्टी के वक्त में जितने भी प्लानिंग में लिए हुए तालाब अधूरे थे और कुछ बन गये थे उसमें लीकेज हो रहा है, किसी में नहर के ऊपर एनीकट बन रहे हैं ऐसे छोटे-छोटे काम रिफील के रूप में संक्शन हुये जिनके ऊपर काम चल रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान उस ओर खींचना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, आप उस हिसाब से न गिनिये कि माही बांध बहुत बड़ा बना हुआ है और सारे बांसवाड़ा के गरीब काश्तकारों को पानी मिलेगा और वह सब सक्षम हो जायेंगे, इस बात को भुला करके आप अपने दिमाग से नक्शे के आधार पर जो एरिया सूखा है और माही डैम के ऊपरी भाग का है, उस एरिया में हमको क्या करना है? छोटे नदी-नालों पर बांध बनाने हैं, छोटे एनीकट बनाने हैं या क्या करना है क्या नहीं करना है। इस हिसाब वहां के इर्रीगेशन विभाग से दुबारा आदेश जारी कराके उस क्षेत्र के नालों का सर्वे कराया जाये और जो सर्वे में सही बैठ जाते हैं उस जगह पर बांध बनाये जायें, एनीकट बनाये जायें तो प्रत्येक आदिवासी को नहीं, बल्कि रुपये में 12 आने आदिवासियों को पानी का लाभ मिल सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि माही का जितना भी पानी जिन काश्तकारों को मिलता है उसमें बहुत बडी गलती यह है कि माही डैम की राइट कैनाल पर जो भी छोटी माइनर नहरें निकली है, नहरों को पक्की नहीं बनाया गया है। जो धीरे निकले हैं, वे भी कच्चे हैं और वे भी पक्के नहीं बनाये गये हैं और छोटी-छोटी माइनर

(श्री बहादुर सिंह)

नहरों से जो लीकेज होता है, उससे तमाम छोटे-छोटे काश्तकारों के खेत बिगड़ रहे हैं। तो जब तक इन नहरों को और घोरों को पक्का नहीं बनाया जायगा तब उन छोटे-छोटे काश्तकारों की मौत है। आज केहरा घास उन खेतों में पैदा हो रही है और छोटे-छोटे नालों में पानी भरा रहता है, लोगों के आने जाने के रास्ते रुक जाते है, कच्ची जमीन है पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उससे पानी का नुकसान होता है। खेतों में पानी काम में आयें ऐसी सूरत में उन छोटे नालों को और घोरों को पक्का बनायें तो ठीक रहेगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि माही डैम मे बांसवाड़ा जिले को राजस्थान के हिस्से का पानी 80 हजार एकड़ जमीन को मिलने वाला था। इस साल में 25 हजार हेक्टर जमीन को पानी मिला है। तो जो धीमी गति से काम चल रहा है उससे बांसवाडा जिले के लोगों को किस प्रकार जल्दी पानी मिल सकता है, इस पर भी आप विचार करें। यह धीमी गति होने का कारण क्या है। ये नये मंत्री महोदय हैं, आपको मालूम नहीं होगा। अब आप देखिये कि यह अधिकी गलती है या राज्य सरकार की गलती है, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, यह आपके विचार करने की बात है।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि माही की राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल दोनों भागों में, एक नीचे के भाग में तो पानी मिल रहा है और भविष्य में भी दो-चार साल काश्तकारों को पानी मिलेगा। बाकी राइट और लेफ्ट कैनाल के ऊपरी भाग में भी माही कमान्ड एरिया घोषित कर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि या तो माही कमान्ड एरिया हटाया जाय या उसका लिफ्ट इरिगेशन के लिये सर्वे कराया जाय। और, लिफ्ट इरिगेशन कराई जाय, तो मैं समझता हूं अन्दाजन 50 हजार हेक्टर जमीन की और पिलाई हो सकती है। इतना पानी भी है और जमीन भी है। जैसा कुशलगढ़ पंचायत समिति, सज्जनगढ़ पंचायत समिति, पीपलखूंट पंचायत समिति और मुखिया पंचायत समिति को पानी मिल सकता है। वह सर्वे अगर आप करें तो 50 हजार एकड़ से कम हो नहीं सकती है। इतनीजमीन बाकी है आज के युग में अधिकारी गण, टेक्निकल आफिसर छोटे-छोटे मामले में टेक्निकल अड़चनें पैदा कर देते हैं। कभी कहते हैं इतने मीटर ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंच सकता है, कभी कहते है इतना लम्बा मीटर नहीं खींच सकते हैं, कभी कहते हैं नदी-नाले पड़ते हैं, कभी कहते हैं नहर गहरी जाती है, हाई ड्राप है, कभी कहते हैं जमीन हल्की है कई प्रकार की अड़चने पैदा कर देते हैं। इस हिसाब से आप बांसवाड़ा को पीछे रख सकते हैं। मेरा निवेदन है बांसवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिये टेक्निकल मामलों में इन टेक्निकल अधिकारियों को साथ बैठाकर माननीय मंत्री महोदय आप खुद दो घंटे बांसवाड़ा पधार करके इन माही डैम के अधिकारियों से और इरिगेशन के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब टेक्निकल अधिकारियों से बातचीत करके और इस पर पुर्नविचार करके इन दोनों कैनालों पर लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई करा सकते हैं, ऐसी मैं आपसे आशा चहता हूं।

(श्री बहादुरसिंह)

दूसरी बात है लघु सिंचाई योजना की तरफ, एक तो तालाब छापड़िया में बना, छापरिया तालाब में करीब-करीब तीन साल हो गये, पानी रोका जा रहा है। पर पहले सैंक्शन जो थी वह 13 लाख की आई भी और 13 लाख की सैंक्शन से बढ़ा कर मैंने सुना है, आँकडे तो सही नहीं देखे है, पर कहते हैं कि 26 लाख तक रुपया खर्च कर दिया गया है। आज उस तालाब की नहर पक्की नहीं हुई है और उसमें अमुक-अमुक जगह पानी लीकेज होता है। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी नहर पक्की नहीं हो और पानी लीकेज होता है तो किस हिसाब से इन टेक्निकल अधिकारियों ने और इंजीनियरों ने यह तालाब बनाया है, इस पर भी आप गौर से विचार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि एक एनीकट भाखरी बान्ध में बना है। जब विकास अधिकरण की मीटिंग हुई, उसमें पूछा गया कि भाखरी बान्ध के नालों पर जो एनीकट बनने की स्वीकृति मिली थी क्या वह बन गया तो उन्होंने साफ शब्दों बताया कि सारा पैसा उसमें खर्च किया गया है और उस नाले पर एनीकट बन गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, उस नाले की तरफ, उस एनीकट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे गांव से केवल तीन किलोमीटर दूरी पर है और मैं हफ्ते में एक-दो बार जाता हूं, मेरे रास्ते में पड़ता है तो केवल उस पर खाई खोदी गई है और बजरी व पत्थर इकट्ठे किये गये हैं और कोई काम नहीं हुआ और लोगों में बता दिया गया कि एनीकट बन गया है, और काम चालू है। इस प्रकार के काम होने से तो आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। राजस्थान सरकार की तरफ से इतना पैसा खर्च करते हैं और काम बिलकुल नहीं होता है। बांसवाड़ा में आदिवासियों के हित के लिये वे करते ही होंगे पर बाकी केन्द्र सरकार का जितना भी बजट आता है ट्राइबल फन्ड का, वह ट्राइबल फन्ड का पैसा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के आदिवासियों के एरिया में खर्च करने के लिये तो हिसाब से अधिकारी लोग लापरवाही करें, भ्रष्टाचार करें। इस हिसाब से कागजों में एनीकट बता दें, तालाब पूरा बता दें, अनेक प्रकार के काम पूरा बता दें और कह दें कि अमुक-अमुक काम पूरा कर दिया। इस प्रकार करके सारा पैसा ऐंठ लेना, उन गरीब आदमियों के लिये, उन गरीब आदिवासियों के लिये गला घोंटने जैसी बात है। आदिवासी पहाड़ों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति इन अधिकारियों तक पहुंच नहीं सकते हैं, न अपने राजनेताओं के पास पहुंच सकते हैं, न शिकायत करने की उनके पास हिम्मत है। ऐसे लोगों के पेट पर लात मारना उन अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है। उन अधिकारियों पर राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं रखा जाता है, इसलिये बांसवाड़ा में कोई भी अधिकारी पहुंचेगा, तो वहां रहने की कोशिश करेगा, वहां जमीन लेने की कोशिश करेगा, वहां मकान बनाने की कोशिश करेगा और कोई वहां से वापिस नहीं आना चाहता है। मेरा निवेदन है कि अगर माही के अधिकारियों को इन्दिरा नहर कैनाल पर भेज दो तो जाने की तैयारी नहीं करेगा। वहां से किसी तरफ जाना पसन्द नहीं करेगा। वह बांसवाड़ा में ही रहना पसन्द

(श्री बहादुर सिंह)

करेगा और उसे छोड़ने को किसी प्रकार राजी नहीं होगा। अगर आप बाड़मेर भेज दो तो वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसका कारण यही है कि अगर एक अधिकारी छोटी-सी अटेची लेकर पहुंचता है तो वहां से जब ट्रान्सफर होता है तो ट्रक भर करके, चाहे वह जयपुर का रहने वाला हो, चाहे कोटा का रहने वाला हो कहीं का भी रहने वाला हो, वह ट्रक भर कर सामान लाता है। अब आप स्वयं देख लीजिए कि कोई अमेरिका का धन तो वहां बांसवाड़ा में गड़ा हुआ नहीं है सिर्फ माही का ट्राइबल सब-प्लान का पैसा गरीबों के लिए आया है--सिचाई के साधनों को जोड़ने के लिए, बिजली के साधनों को जोड़ने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ट्राइबल सब प्लान का आया है। वह सारा पैसा ये अधिकारी लोग, नेता लोग सब मिलकर के खाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि खाली अधिकारी ही करते हैं, नेताओं की तरफ भी मेरा इशारा है।

आज बांसवाड़ा में मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि कितने और कौन बाकी जो लोग अफसरों के बन्धे हुए रहते हैं उसमें चाहे विरोधी लोग हो, चाहे दूसरे कोई लोग हों उनका यही कहना है कि मेरी बात माननी पड़ेगी। जब अफसरों के बन्धे हुए रहते हैं। हर महीने उन नेताओं के पास पहुंचना जरूरी हो गया है। मैं शिकायत जैसी कोई बात नहीं कहूंगा। बाकी मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, मैंने मांगी थी अगर वह आती है तो मैं उसे सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मांग के सम्बन्ध में ही बोलें, भाषण नहीं। मांग पर ही प्रश्न उठायें।

श्री बहादुर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रिलीफ का काम चल रहा है। जिन इरिगेशन के तालाबों पर और एनीकट पर जितने मस्टर रोल काम के लिए इश्यू होते हैं उन मस्टररोलों को पूरी मजदूरी का पूरा लेखा-जोखा नहीं लिखा जाता है। केवल दो-तीन मस्टररोलों को भर दिया जाता है, बाकी के मस्टरोलों को नहीं भरते हैं। सप्ताह पूरा होने पर सबके नाम झूठे अंगूठे, दस्तखत करके पेमेन्ट उठा लेते हैं, यह भी शिकायत है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में जितने भी इरिगेशन के तालाब हैं, जितने भी एनीकट के तालाब हैं, जितने भी इरिगेशन के काम हैं, उन सबकी जांच करने के लिए आप नोट करिये। सक्षम अधिकारी और होशियार अधिकारी और इस डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी अधिकारी की नियुक्ति करके या कलक्टर के द्वारा जांच करायेंगे तो आपको सही रिपोर्ट मिल जायेगी। कई अधिकारियों ने ऐसे केसेज पकड़े हैं। अगर आप वहां के जन-प्रतिनिधि की कमेटी बना कर भेज दें तो वह भी रिपोर्ट सही आंकड़ों में आपको पेश करेगी। यह नहीं होगा कि हम आपको झूठी रिपोर्ट दे दें।

इस हिसाब से यह नेताओं में भ्रष्टाचार चल रहा है। आप इस पर कड़ी नजर रख कर जो छोटी लघु सिंचाई योजनायें हों, उन पर पूरी नजर रखकर बांसवाड़ा जिले, डूंगरपुर जिले के लोगों को राहत पहुंचाने

(श्री बहादुर सिंह)

के हिसाब से आप देखेंगे तो कृपा होगी, अन्यथा अगर ढिलाई के साथ लेंगे तो नुकसान होगा। तो यह आप पूरी स्कीम तैयार करके, राजस्थान सरकार, भारत सरकार…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह : दो मिनट। अन्यथा यह सारी स्कीम फेल और व्यर्थ हो जायेगी। राजस्थान या केन्द्र का रेडियो बोलता है कि हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए हम यह कह रहे हैं। उत्थान के लिए जो भी स्कीम बनावें सब-की-सब फेल करने के लिए टेक्निकल अधिकारी और वहां के स्थानीय नेता…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह : वेस्ट चला जाता है। यह आपका ट्राईबल सब-प्लान का बजट अगर डूंगरपुर एरिया में सही-सही खर्चा किया जाये तो आदिवासियों का उत्थान पांच साल में, एक पंचवर्षीय योजना में पूरा हो सकता है। सभी प्रकार के सभी डिपार्टमेंट अगर कन्ट्रोल किये जाये तो काम हो सकता है अन्यथा इनके भरोसे कोई काम होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरचन्द।

श्री भगराज चौधरी : आज हमारी पार्टी को बहुत कम समय दिया है, बिल्कुल ही समय नहीं दिया,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी बैठ जायें। इसके बाद। श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में हाउस के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और कई सुन्दर सुझाव भी दिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े तालाब हैं जो सोमी और ओडवारिया हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 10 साल के अन्दर प्लान वर्क के अन्दर पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो इस वर्ष यह ओडवारिया और सोमी यह प्लान वर्क में लेकर और इसके ऊपर कन्टीन्यू काम चलाकर इनको पूरा किया जाये। सोमी तालाब के लिए 58 लाख 85 हजार रुपये की राशि स्वीकृति हुई और अकाल राहत के तहत जो कार्य चला है उससे इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता। इस मद के अन्दर इस राशि को खर्च करवा करके इस काम को पूरा कराया जाये, ताकि वहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके। यह योजना काफी समय से बनी हुई है। पूर्व में भी इस प्रकार वहां पर काम चलाया गया। तो मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सोमा तालाब का काम पूरी तरह से ध्यान देकर पूरा कराया जाये, ताकि किसानों की उपज से फायदा मिल सके।

दूसरा, ओडवारिया बांध जिसकी चर्चा मैं निवेदन के रूप में करना चाहूंगा कि पादास के पास वह बिल्कुल सूखा क्षेत्र है और वहां पर पानी का कोई साधन नहीं है बल्कि हमारी सरकार ने एक हैण्डपम्प की योजना चालू करके वहां पर पीने का पानी मुहैया कराने के लिए साधन जुटाया है। तीन-चार किलोमीटर से पानी लाकर वे लोग वहां पानी पीते थे। उस जगह पर

(श्री अमरचन्द)

अकाल राहत के तहत वहां पर ओडवारिया बांध का काम चालू किया गया वह अभी भी प्लान वर्क में नहीं लिया गया। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि प्लान वर्क में लेकर उसके लिए धनराशि स्वीकृत करवाकर उसका कार्य चालू किया जाये ताकि ज्यादा लोग इस काम से प्रभावित होकर अपने कृषि उपज के अन्दर फायदा उठा सकें।

मैं खास करके यह भी निवेदन करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़े हुए इलाके के साधारण किसान वहां रहते हैं। उनकी आजीविका का साधन कृषि है। यदि उन पर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया तो इस अकाल की विभीषिका के अन्दर उनका निर्वाह होना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा, छोटे-छोटे एनीकट और साथ में जो तालाब बने हुए हैं उन तालाबों की तरफ अगर ध्यान दिया जाये और उनको ठीक करवाकर उनमें पानी रोका जाये तो भी किसानों के लिए बहुत फायदा होगा। मैं अपनी लम्बी बात न कहते हुए खास कर यही निवेदन करूंगा कि हमारे गंगरार के अन्दर सारे किसानों के लिए कृषि ही उनके जीवन का आधार है, मंत्री महोदय इस ओर आप पूर्ण रूप से ध्यान देकर इसको पूरा कराने के लिए कृपा करेंगे।

साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्दर मेजा फीडर बनाए गई, मातृकुण्डा बांध बनाया गया भीलवाड़ा को सरसब्ज करने के लिये। पर नुकसान हुआ यहां के किसानों का और फायदा हुआ भीलवाड़ा के किसानों को। खैर, कोई बात नहीं, जहां पर पर भी किसान हैं हमारे यहां रहने वाले भी किसान है। लेकिन उससे हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका भी थोड़ा-बहुत बैनिफिट उन लोगों को मिलना चाहिये। मैंने पूर्व में वहां पर नहर निकालने के लिये निवेदन किया था और उस निवेदन के आधार पर वहां सर्वेक्षण भी कराया। लेकिन सर्वेक्षण सर्वे के अन्दर ही रह गया उसका कार्य अभी पूरा नहीं कराया गया और चालू भी नहीं कराया गया तो मैं निवेदन करूंगा कि मातृकुण्डा बांध से नहर का जो प्रपोजल रखा है उसका सर्वे होगा तो माननीय मंत्री महोदय उसको भी आप चालू करवायें और उन किसानों को लाभ पहुंचायें।

साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि मातृकुण्डा बान्ध जो अभी तक भरा हुआ नहीं है, गत वर्ष थोड़ा बहुत पानी आया था। उसके पिछोड़ में हमारे किसानों की जमीन है। अभी सीपेज होने लग गया। मुझे तो इस बात का डर है, किसान लोगों को भी इस प्रकार से डर है। वहां पर अभी सीपेज हो रहा है तो आगे यह पूरा भर जाने के बाद वहां के किसनों की क्या हालत होगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार यह बांध अभी तो भरा नहीं, सीपेज हो रहा है, उसके पूरा भर जाने के बाद में क्या दशा होगी। इसके लिये आप थोड़ा बहुत चिन्तन और मनन करके, मौका देखकर उसके बारे में आगे का विचार करेंगे। मैं निवेदन

(श्री अमरचन्द)

करूंगा कि हमारी सरकार किसानों के लिये जो काम कर रही है वह काफी सराहनीय है और उस काम के लिये मैं जितनी तारीफ करूं वह बिल्कुल कम है। हाऊस के अन्दर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की आलोचनायें तो कीं लेकिन आलोचना करने से काम नहीं चल सकता। मेरा तो उनको यह सुझाव है कि आप आलोचना के साथ-साथ सुन्दर सुझाव दीजिये, ताकि उन पर सुधार किया जा सके और आप के अन्दर जो बुद्धि है उसका सही उपयोग हो सके। मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आलोचना के साथ-साथ अच्छे सुझाव भी दें ताकि इसका सुधार किया जा सके। केवल गलती निकालने से काम नहीं चलता। वैसे तो हमारी सरकार बड़ी सजग है जो यह नौबत पहले तो उठाने नहीं देती है, आपके बिना कहे ही हमारी सरकार उन कामों को, हर तरह से हल करने के लिये पूरी तरह से कोशिश करती है। मैं आज इस मौके पर जो सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में, हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी ने बजट में जो प्रावधान किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार से किसानों की समस्यायें हल कर के चिन्तन-मनन कर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे जो समय दिया मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द!

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण पूनिया।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र जाट।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई और भू-संरक्षण के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने लघु सिंचाई के माध्यम से छोटा एनीकट और तालाब बनाने की बहुत पुरजोर वकालत की है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या छोटे एनीकट बनाया जाना सिंचाई के सीमित साधनों को देखते हुए हितकर है। इस प्रश्न पर शायद पहले भी काफी चर्चा हुई होगी और इस पर चिन्तन और मनन हुआ होगा कि जो सिल्टेज की प्राब्लम रहती है उसके आधार पर छोटे एनीकट की उपयोगिता कहां तक रहेगी, किस सीमा तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी? इस बात को देखते हुए आज जब एन. आर. ई. पी. के माध्यम से और दूसरे विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से बराबर सब जनप्रतिनिधि यह मांग करते हैं कि जगह-जगह एनीकट बनाये जायें मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उसके बारे में जांच कराये और अगर यह एनीकट की उपयोगिता उसमें लगने वाली लागत को देखते हुए उपयोगी रहती है तो इसके बारे में सरकार को अपना मंतव्य प्रकट करना चाहिए ताकि इन एनीकट के मारफत ज्यादा-से-ज्यादा सिंचाई के साधन बन सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई की इस मांग में करीब 22 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि को पारित करने का प्रस्ताव है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से

(श्री रामचन्द्र जाट)

कि सिंचाई के बहुत से बांध हैं जिनसे किसानों की काफी भूमि सिंचित होती है लेकिन धीरे-धीरे हमारी जो एक मांग बढ़ रही है पीने के पानी की उस पीने के पानी की मांग को देखते हुए जो इण्डस्ट्रियल डवलपमैन्ट हो रहा है, आबादी बढ़ रही है उसके आधार पर यह किसानों की जमीनों को सिंचित करने वाले बांध धीरे-धीरे पीने के पानी की आपूर्ति के साधन बनते जा रहे हैं और कुछ दिनों पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो मुख्य अभियन्ता थे उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य दिया था और यह कहा था कि भीलवाड़ा जिले का मेजा बांध, जवाई बांध और पाली जिले का हेमावास बांध इन सब बांधों में जितनी भी जल आपूर्ति होगी उसको हम ज्यादा-से-ज्यादा पीने के पानी के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे।

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रयास अगर किसानों की सिंचाई के जो छोटे-मोटे उपलब्ध साधन हैं उनको अगर सीमित करने का प्रयास किया गया तो यह किसानों के हित में नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज ज्यादा-से-ज्यादा सेफ किये जायें और उन सोर्सेज से ज्यादा-से-ज्यादा पीने के पानी की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाय। और जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है उसको इरिगेशन के लिए कम से कम काम में लिया जाय। ज्यादा-से-ज्यादा बांध बनाये जायें छोटे-मोटे तालाब बनाये जायें क्योंकि अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो है उसको हमको पूरा संभालकर के रखना है। भावी पीढ़ी के लिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर एक सीमित साधन है ज्यादा-से-ज्यादा पीने के पानी के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है कि जो रिवर बेसिन के आस-पास के जितने भी गांव थे आज बड़े बांध बनने से उनमें भारी समस्या हो गयी है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, सिंचाई के साधन तो समाप्त हो गये। इसका बड़ा कारण यह रहा है कि जितनी भी हमने मध्यम सिंचाई योजना या उससे बड़ी वृहत सिंचाई योजनाएँ आरम्भ कीं, आसपास के जितने भी छोटे-मोटे सिंचाई के साधन थे, छोटे-मोटे तालाब थे, कुएं थे वे आज सब सूख गये हैं। सरकार को इस बात के लिए गम्भीर चिन्तन करना पड़ेगा कि उन बड़े बांधों को सिंचाई के आधार पर छोटे सिंचाई के साधन हैं वह कहां तक उनकी पूर्ति कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र हीरा-नगर का। अजमेर जिले में जालिया गांव के पास एक नारायण सागर बांध बनाया गया। यह नारायण सागर बांध खारी नदी के ऊपर बना है। इस खारी नदी से मेवाड़ राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो शाहपुरा और हुरड़ा तहसील का था, रिवर बेसिन का था उसके आसपास बहुत अच्छा छेजा था। उससे हजारों बीघा जमीन पानी पीती थी कुओं से और दूसरे छोटे-मोटे तालाबों से लेकिन इस नारायण सागर बांध के बांधने से अजमेर जिले को बहुत बड़ा लाभ मिला हो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हुरड़ा और शाहपुरा तहसील का बहुत बड़ा भाग, जो

(श्री रामचन्द्र जाट)

बहुत सरसब्ज था, खूब पानी था वह सूख गया है और उसका कारण यही रहा है कि ऊपर बांध बांधने से नीचे के पानी के सब सोर्सेज समाप्त हो गये हैं। वहां के क्षेत्र की जनता काफी दिनों से मांग कर रही है कि हमारा जो रिवर बेसिन था जो आज सूखा हो गया है, उसको वापस किसी तरह से जल से प्लावित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की शाहपुरा तहसील की बहुत बड़ी समस्या है जिसके निराकरण के लिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष, जो पहले कृषि मंत्री रहे थे, उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर थे उनको इस बात के लिए पुरजोर आग्रह करके तैयार किया था कि बारिश के पहले कम-से-कम नारायण सागर के बांध में जो गेट्स हैं, वे खुले रखे जायें जिससे कम-से-कम जो पानी का बहाव है वह नदी के माध्यम से उस पुराने छेजे में वापस प्लावित हो जिसके कारण छोटे-मोटे जो कुएं सूख गये हैं और जिनमें पीने का पानी भी नहीं रहा है ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस बारे में वह जो इस बात की पुरानी समस्या रही है और जिसके निराकरण करने के लिए प्रयास किया गया है, उसका अपने स्तर पर निदान करें और कम-से-कम हमारे क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करें, जो पहले 1979 तय किया गया था कि बांध भरने के पहले पहली बारिश में गेट्स खुले रखे जायें ताकि खारी नदी से बहने वाले उस पानी को छेजे में फिर पहुंचाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेजा बांध हमारे भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा बांध है और इस पर मेजा फीडर के जरिये काफी पैसा खर्च किया गया है, इसके आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास चल रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने जो 4 करोड़ रुपया रखा है वह कहां-कहां खर्च किया जायेगा। चित्तौड़ के आधुनिकीकरण का एक अलग से खण्ड बना हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा मेजा बांध से लेने की योजना है लेकिन मेजा बांध जैसा बांध जिस पर कि करीबन 28 करोड़ रुपये तो इस मेजा फीडर पर खर्च कर दिये गये हैं उसकी अगर आधुनिकीकरण की योजना को महत्व नहीं दिया गया तो करोड़ों रुपये जो इस मेजा फीडर पर खर्च किये गये वह व्यर्थ हो जायेंगे। आज जो भी थोड़ा-बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और पहले से जो सिंचाई के साधन थे उससे भी कम हो पा रहा है। हमारे इस क्षेत्र के एक जालिया गांव के अन्दर अभी गये साल नया बांध बनाने का काम शुरू किया गया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इसी विधान सभा सत्र में जब पहला बजट पेश हुआ था, चालू बजट जिसको हम कह सकते हैं, उस बजट में 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। लेकिन जब यह परिवर्तित बजट पेश हुआ तब मैंने पृष्ठ टटोल लिये उस जालिया गांव के तालाब बनाने के बारे में जो 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था वह प्रावधान मुझे कहीं नजर नहीं आया। आज भी मैंने सिंचाई मन्त्री महोदय से इस बात की जानकारी ली कि दरअसल में जो वह 5 लाख रुपये का जो प्रावधान इससे

(श्री रामचन्द्र जाट)

पहले के बजट में रखा गया था, चालू बजट में वह कहां लुप्त हो गया ? सिंचाई मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये के बजाय रखे गये हैं लेकिन यह जो सिंचाई विभाग का एक निष्पादन आय-व्ययक है उसका हर पृष्ठ और हर अक्षर मैंने देखा। मुझे जालिया गांव में तालाब बनाने के लिए जो 5 लाख का प्रावधान रखा गया था वह कहीं नजर नहीं आया। माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा क्या ऐसे कारण थे कि जालिया गांव का तालाब बनाने के लिए जब श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री महोदय ने जो पहले का बजट रखा था उसमें 5 लाख का प्रावधान रखा। वह पांच लाख का प्रावधान क्यों नदारद हो गया और आपके कहने के अनुसार 2 लाख का प्रावधान जो आप बताते हैं वह किस कारण से 5 लाख से कम करके 2 लाख कर दिया गया ? क्या सरकार यह चाहती है कि जहां से विरोधी दल के लोग जीते हैं वहां जल और सिंचाई के साधनों और पहले बजट के जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया जायेगा, अगर सरकार की यही मंशा है तो हमें इसमें कोई आलोचना नहीं करनी है। सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर दे कि जहां से विरोधी दल के लोग जीत कर आये हैं वहां पर सिंचाई के या अन्य मदों में जो विकास के लिए खर्चे के प्रावधान रखे थे हम उन पर पुनर्विचार करके उसमें कटौती करना चाहते हैं। सरकार सक्षम है उस पर हमको कोई गिला नहीं। कम से कम सदन के माध्यम से स्पष्ट घोषणा कर दे जिससे राजस्थान के लोग यह समझ सकें कि यह सरकार कितना राजनैतिक भेदभाव और पक्षपात बरतती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया संक्षिप्त करें, और भी बोलने वाले बहुत हैं।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लघु सिंचाई के जो पचास एकड़ से अधिक और मध्यम सिंचाई से जल पहुंचाने वाली जो योजनायें हैं उसे मैं समझता हूं कि मध्यम सिंचाई या लघु सिंचाई कह सकते हैं लघु सिंचाई के लिए जो बजट का प्रावधान रखा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इससे इन लघु सिंचाइयों से जो रेट रेवेन्यू बताई गई है वह 5 करोड़ 22 लाख है। यह 5 करोड़ 22 लाख की जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा लघु सिंचाई पर ही व्यय किया जाना चाहिए प्राथमिकता से। जो रेट रेवेन्यू से प्राप्त होती है आय, उस आय के लिए मेरा सुझाव यह है कि ज्यादा से ज्यादा, पूरी की पूरी लघु सिंचाई की योजनाओं पर खर्च करने के लिए रखी जाय। इसमें विशेष सहायता उन छोटे-मोटे तालाबों पर दी जावे। सिंचाई विभाग के माध्यम से हो या एन.आर.ई.पी. के माध्यम से हो या और किन्हीं विभागीय खर्चों के माध्यम से हो, जो छोटे-छोटे तालाब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के अधीन हैं उनसे काफी सिंचाई हो सकती है। लेकिन पंचायत समितियां सक्षम नहीं हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे तालाबों के रख-रखाव, देख-रेख और उनकी मरम्मत पर भी सिंचाई विभाग ज्यादा ध्यान दे, जिनको सिंचाई विभाग अपने अधीन ले करके जो पिलाई के साधन हैं उनका विस्तार और कर सकती है।

(श्री रामचन्द्र जाट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी पंचायत समिति के अधीन ऐसे तालाब हैं और खास तौर से हुरड़ा तहसील का परासिया तालाब, बनेड़ा तहसील का दांता निदावरी, या रूपाली खुर्द का तालाब, जिनसे सैकड़ों बीघा जमीन की पिलाई हो सकती है। काफी काम अभी एन.आर.ई.पी. के माध्यम से हुए हैं और भी काम हो सकते हैं विभाग के माध्यम से। हमने यह प्रयास किया है कि इन तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लिया जावें। परन्तु पता नहीं किन लालफीताशाही के कारणों के आधार पर या सरकार के क्या नियम हैं कि पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने इन तालाबों को सिंचाई विभाग के अधीन नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी और जगह भी हैं जहां सिंचाई विभाग को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं बहुत जल्दी संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि लघु सिंचाई की...

(व्यवधान)

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय से सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय. मैं सुझाव देता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर कम से कम सवा आठ बजे से शुरू हो जावे। पूर्व में काफी छः-सात घण्टे की बहस हो चुकी है।

श्री भगराज चौधरी : यह नहीं बैठेगा।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, हम सवेरे से बैठे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह विचार किया करो कि कम से कम डिमाण्ड पर दो दिन का समय बहस के लिए रखें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों से कार्य सलाहकार समिति में विचार करके यह तय किया गया कि एक ही दिन रखा जावे।

श्री देवीसिंह भाटी : अभी तो बहुत बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य सहयोग करेंगे तो सभी बोल सकेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष)

जो खड़े होते हैं वे यही सोचते हैं कि शायद सारा समय मेरा ही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप तो सभी को बुलाइये। हम सभी सहयोग करेंगे, आप हमको पांच-पांच मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सभी पांच मिनट के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि उनके पास कौन सी घड़ी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मेरे पास भी घड़ी है। लेकिन सदस्य सहयोग नहीं करें तो क्या हो।

माननीय सदस्य, जल्दी करिये।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री रामचन्द्र जाट : मैं बहुत जल्दी संक्षेप में ही कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

वास्तव में सिंचाई विभाग जो मेंटीनेंस का बजट देता है वह मेंटीनेंस बजट इतना नाकाफी और इतना कम है कि सारा-का सारा मेंटीनेंस बजट उनके वर्क चार्ज स्टाफ की तनख्वाह चुकाने में ही समाप्त हो जाता है। मुझे यह जानकारी है कि भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष अधिक-से-अधिक पचास लाख रुपया ही मेंटीनेंस बजट में दिया जा रहा है और कम-से-कम 45 लाख रुपये तनख्वाह के रूप में वर्क चार्ज स्टाफ और दूसरे स्टाफ को हर साल चुकाये जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस मेंटीनेंस बजट की क्या उपयोगिता है जब उसमें से मुश्किल से तीन-चार पर्सेंट पैसा ही मरम्मत पर लगे और बाकी सारा पैसा वर्क चार्ज स्टाफ की तनख्वाहों पर ही खर्च हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो फालतू स्टाफ, वर्क चार्ज स्टाफ के रूप में लगा हुआ है, कृपया उसकी छंटनी करें और ज्यादा-से-ज्यादा पैसा जो मेंटीनेंस फण्ड में प्रोवाइड किया हुआ है उसको मरम्मत के कार्य पर लगाया जाय और सैलरी और तनख्वाहों के रूप में ज्यादा-से-ज्यादा खर्च न हो उसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है....माननीय सदस्य हमारी और आपकी घड़ी एक ही है।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत चिंतन का विषय है कि स्वयं सिंचाई विभाग अपनी सम्पत्ति और अपने फण्ड से तालाबों की रक्षा नहीं कर सकता। सिंचाई विभाग को स्वयं को यह जानकारी नहीं है कि उनके विभाग के नियंत्रण में कौन-कौन से तालाब हैं। मैं चाहूंगा कि हर जिले में एक सिंचाई के तालाबों की लिस्ट जन-प्रतिनिधियों को, सभी सरपंचों को जारी की जावे क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से तालाब हैं जिन पर जागीरदारी उन्मूलन एक्ट के लागू होने के बावजूद जागीरदारों ने इन तालाबों को अपने अधिकार में, नियंत्रण में ले रखा है जब कि वे तालाब सिंचाई विभाग के नियंत्रण में होने चाहिएं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री रामचन्द्र जाट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजाकर मुझे बैठने के लिए आगाह किया है, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री भूदरमल।

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं सिंचाई के बारे में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बोला है लेकिन मैं दौसा सब–डिविजन के बारे में बोलना चाहूंगा। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट का दौसा सब-डिविजन बहुत बड़ा सब डिविजन है। आज से 35 साल पहले के जो सिंचाई के साधन थे····

(व्यवधान)

आपको क्या परेशानी हो रही है नाथूसिंहजी।

श्री नाथूसिंह : भाटीजी को कह रहा हूं कि आपके बारे में कह रहे हैं।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, जी आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से करीब सौ साल पहले की जो योजनायें सिंचाई की थीं, उन योजनाओं को जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो जमुवारामगढ़ बांध है उसको पेयजल के अन्दर ले लिया गया। मेरे पूर्व वक्ता, श्री भैरूलाल जी भारद्वाज, विधायक जमुवारामगढ़ ने निवेदन किया कि उसके बदले में जयपुर डिस्ट्रिक्ट के दौसा सब-डिविजन के लिए काफी दिनों बाद में एक छोटे-से बांध के रूप में तालाब के रूप में दिया गया।

(8.00 रात्रि)

चांदराणा का बांध है उसके मुकाबले में नहीं के बराबर है। दूसरा कारण छोटे-छोटे जो तालाब, थे चांदराणा के बांध का जिस ऊंचाई से निर्माण किया जाना चाहिए था, वह उतना नहीं हुआ और बाणगंगा के ऊपर बांध बन गया जिसकी वजह से मिट्टी भर गई। जिस सतह पर पानी की ऊंचाई रहनी चाहिए थी वह नहीं के बराबर है। उससे बड़ी-बड़ी नहरें निकली हुई थीं जो सारे सब-डिवीजन की सिंचाई करती थीं। वह नहरें जगह-जगह से टूट गईं और बेकार हो गई हैं।

मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 85-86 के बजट में जो बहुत बड़ी राशि रखी है बड़ी योजनाओं के लिए उसमें से कुछ प्रतिशत लघु सिंचाई के साधन के लिए रखी जाय, खास तौर से पूर्वी राजस्थान में जयपुर के सब डिवीजन दौसा के लिए। इसकी वजह से दौसा क्षेत्र के इलाके की हजारों एकड़ भूमि आज बिलकुल सिंचाई से वंचित रह जाती है और जो एक-एक खेत में जहां सैंकड़ों मन अनाज पैदा होता था वहां सैंकड़ों मन भूसा भी नहीं रहता है और उसकी वजह से लोग बेघर होकर प्रान्त व प्रदेश में मजदूरी की तलाश में घूमते रहते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज से 100 वर्ष पहले जिस दौसा सब-डिवीजन का खेती में

Page No.237

(श्री भूदरमल वर्मा)

आगे नाम था वह आज सबसे पीछे है। सिर्फ इसका कारण है कि वहां के इलाके में जहां उसमें पानी के कुए खोदे जायें तो पठारी इलाका होने की वजह से उसमें कुए खुद नहीं सकते। और जो ऊपरी सतह मे पानी है वह तालाब नहीं होने की वजह से सूख जाता है और पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वह कितना बड़ा क्षेत्रफल है? यह देश के दूसरे नम्बर पर है और उसमें से भी जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो खेती के लिए सबसे आगे था। आज राजस्थान की जो जयपुर जिले की सिचाई योजना है उस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण और इलाके आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर जिला पीछे होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जगह-जगह छोटे-छोटे तालाब दौसा सब डिविजन में हैं, लालसोट के पास में है सिकराय, जगह-जगह से नहरें टूटी हुई हैं, 81 में बाढ़ आई थी उससे सारी जगह पर ओवर फ्लो से टूट गई और आज तक उनकी मरम्मत नहीं हुई। दौसा में जो इरिगेशन का स्टाफ है वह सोया हुआ है वह कतई आज तक मेरे ख्याल से 35 साल में योजना की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो दौसा तहसील के जो तालाब हैं उनकी मरम्मत कराई जाय, खुदाई कराई जाय या पानी की सतह नीचे जा रही है उसके रोक थाम के लिए कोई योजना बनाई जाय। बड़े दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा क्षेत्र में जहां पानी की नदियां बहती थीं, नहरें बहती थीं। जब हम बच्चे थे तो नहरों में डूब जाया करते थे और हमें निकाला करते थे। आज हम उस इलाके में पानी के लिए तरसते हैं. इसका महज बड़ा कारण है वहां जो सिंचाई के साधन थे उन्हें भी खत्म के बराबर कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार राजस्थान सरकार बड़ी-बड़ी योजनायें बना रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद की पात्र है। हमारी सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है लेकिन हमारे इलाके को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे इलाके में दुर्दशा हुई है उसको देखते हुए जो संतुलित बजट है उसके अन्दर हमारा हिस्सा हमें दिया जाय ताकि हमारे इलाके की जो उजड़ी हुई जमीन है उससे हम लोग लाभान्वित हों। हमारे इलाके के किसान पर आज भी नहरी जमीन का लगान वसूल किया जाता है। यह लोग इस आशा में बैठे हैं कि हमसे लगान तो ले लिया जाता है लेकिन कभी हमारा मोका आएगा कि हमको नहर दी जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जितने भी छोटे-छोटे तालाब हैं, उनकी खुदाई करवाई जाय और खास तौर से जो चांदराणा बांध जो जमवारामगढ़ बांध के पिछवाड़े है, जिससे सारी नहरो को जोड़ा हुआ है वह नहरें जब तक चालू नहीं की जाती तब तक चांदराणा बांध को कम से कम 10 और फीट ऊंचा नही किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नौजवान सदस्यगण, कृपया आपस में बात न करें।

श्री भूदरमल वर्मा : तो जो उससे निकलने वाली नहरें हैं वे आगे बढ़ेंगी और उनसे हमारे जो तालाब हैं, गटेलाव बांध जो बहुत पुराना बांध है मेरे ख्याल से 100 वर्ष पुराना बांध है उसके अन्दर पानी पहुंचेगा। उससे आगे जाने वाली नहरें आगे के इलाके को सरसब्ज करती हुई कालों को चली जाएगी सिकराय होते हुए। लेकिन वहां की नहरें सब सूखी हुई हैं। इधर जो दूसरी नहर सिडोली बांध में जाती थी, बोरदा बांध में जाती थी वह उधर से होती हुई बांदीकुई के इलाके में जाती थी। इस तरह से खेती के जो सिंचाई के साधन थे वह खत्म से हो गये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त चांदराणा बांध बनाया गया था। उसमें जो गांव और खेत आये थे वहां के गरीब किसानों को मुआवजा दिया गया था। लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत लोगों को मुआवजा मिला है। आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को जल्दी मुआवजा दिलवाया जाय और उनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उनमें से एक दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को पास के इलाके में बसाया गया और वहां से नहर निकलने के कारण वहां लोगों की खेती और रहवास के बीच में रास्ता है वह नहर में आ गया और उसको पार नहीं कर सकते। जब थोड़े समय के लिए नहर चलती है या थोड़ा पानी बीच में आ जाता है तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर पुलिया बनाई जाय, दौसा सब डिविजन में। खास तौर से एनीकट नहीं के बराबर हैं। बाणगंगा नदी पर अगर कोई एनीकट बना दिया जाय तो उससे पानी की जो सतह है वहां कुओं की ऊपरी सतह से पानी चढ़ जाएगा और पेय जल की समस्या काफी गांवों में आ चुकी है वह पूरी हो सकती है। यदि यह एनीकट नहीं बनाया गया तो यह पानी बेकार ही मध्य-प्रदेश में चला जाता है चंबल में मिल कर आगे चला जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बाणगंगा का पानी जो हमारी धरती में से निकलता है वह हमारे बीच में से चला जाय और हम उस पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बाणगंगा नदी पर एनीकट बनाया जाय। महसरा कलां गांव जो दौसा के नजदीक है उसके ऊपर एक एनीकट बनाया जाय जिससे वह एरिया भी काफी बड़ा हो जाएगा और वहां हरियाली भी रहेगी। एक फायदा और होगा कि इससे नदी को पार करके बांदीकुई की तरफ जाती है उसके लिए रास्ता खुल जाएगा और जो बरसात में अवरुद्ध हो जाता है वह अवरुद्ध नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : धन्यवाद।

श्री भूदरमल वर्मा : आपको तो धन्यवाद की तकलीफ नहीं करनी चाहिए माननीय नाथूसिंह जी। आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, आप भी उससे दुखी हैं। लेकिन आपकी आदत है कि आप किसी के भाषण को रोक दें या किसी की बात को नहीं सुनें।

(श्री भूदरमल वर्मा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई और बिजली पर आपने 52 पर्सेन्ट का जो प्रावधान रखा गया है बजट का उसके सम्बन्ध में मैं खास तौर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले और पूर्वी राजस्थान पर भी आप 80 पर्सेन्ट धनराशि की योजना हमें दें। इसके साथ ही मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा क्षेत्र में जो नदी नाले हैं जो जगह-जगह जमीन को खराब कर रहे हैं उन पर छोटे-छोटे तालाब बनाये जायं जिससे गांवों में पेय जल की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। कुओं में पानी की सतह भी बढ़ेगी। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा जो नदी वाणगंगा है उसके ऊपर बांध बनाया जाय, उस बांध से इलाका लाभान्वित हो सकता है, उसके लिए आप ध्यान दें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः निवेदन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं,

धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खंगारसिंह।

श्री भेरूलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था।

(व्यवधान)

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में कई तहसीलें ऐसी हैं जो कि पहाड़ के नजदीक आयी हुयी हैं वहां पर पानी बहुत ही कम है। इस पहाड़ के अन्दर एनीकट और बांध बनाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। कई बार सर्वे हो चुका है जैसे सुमेर का बांध है, कोडा का बांध है, पातेला की नाल और गढवाली नाल इन पर कई दफा थोड़ा बहुत अकाल में काम हुआ है वह अधूरा हुआ है क्योंकि वह अकाल राहत में हुआ था वह थोड़ी बरसात होने के बाद बह गया है और वह कार्य अब अधूरा है। इस प्रकार यहां पर कई जगहों पर एनीकटों का सर्वे हुआ है। कई जगह एनीकट जो अकाल राहत के अन्दर या दूसरे कार्यों में बनवाये गए हैं और अधूरे हैं उनको पूरा नहीं किया गया है न उस पानी का आज तक उपयोग ही हुआ है।

इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इन बांधों की योजनाओं को हाथ में लें और यहां पर दोनों तहसीलों में करीब 9 हजार कुए सिंचित हैं आज 80 प्रतिशत बिना पानी के हैं। और वहां पर कुओं पर पशुओं को पानी पिलाने तक की समस्या पैदा हो गयी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पहाड़ के अन्दर और आसपास के एरिया में जहां नदी-नाले बहते हैं इनसे बरसात का जो पानी बहकर चला जाता है उसमें जगह-जगह एनीकट बनाये जायें। तीन-चार बांधों का सर्वे हो चुका है उसको पूरा कराया जाय। और उस पर बजट सैंक्शन किया जाना जरूरी है जिससे कुओं का पानी ऊंचा आ जायेगा और काश्तकारों की माली हालत सुधर सकती है। अगर कुओं का जल ऊंचा नहीं हुआ तो दो चार साल के अन्दर काश्त तो

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

दूर रही पीने-के-पानी की समस्या को भी आप हल नहीं कर सकेंगे । ऐसा मेरा अनुभव है ।

इसके अलावा नदियों के कटाव की बहुत बड़ी समस्या है और जो नदी-नाले बहते हैं उससे जमीन भी बहुत कटती है और भू-संरक्षण के आधार पर कई गांव जो उन नदियों के किनारे हैं उन गांवों की योजना हाथ में लेकर जमीन का कटाव रोका जाय । कई जगह ऐसे कटाव हैं जिससे छोटे एनीकट बनाकर वहां का वाटर लेवल अपर लाया जा सकता है और जो 80% कुओं का पानी आज पीने जितना भी कुओं में नहीं है उसका एकमात्र यही एनीकट और बांध इलाज हैं ।

मेरी तहसील में एक फोलाद बांध बना हुआ है जिसके नीचे से होकर के सड़क निकलती है और फोलाद बांध के नीचे की सड़क पर एक नदी है नदी पर पुल पी. डब्ल्यू डी द्वारा बनाया हुआ है उस पुल को बनाने से 10-12 गांवों में कुओं का पानी बिलकुल सूख गया है उसका कारण यह है कि वहां नीचे से पानी जो जमीन में सीपेज होकर बहता है उसका बहाव पलट गया है और 10-12 गांवों के कुए सूख गये हैं । इसलिए किसी टेक्निकल योजना के आधार पर उस सड़क के नीचे के पानी के बहाव को वापस चालू करने की योजना बनायें । जिससे 10-12 गांवों के कुओं में पानी नहीं है वहां के गांवों की पानी की समस्या हल हो सके ।

मेरे यहां पर 50-60 लोगों ने ट्यूब-वेल भी कराये हैं लेकिन वह 100-150 फीट नीचे हैं । चूंकि जमीन के नीचे पानी का बहाव नहीं है इसलिए ये ट्यूब वेल आज की तारीख में सूखे हैं क्योंकि पानी नहीं है और जमीन के नीचे पानी आने का कोई सोर्स नहीं है तो वे सूखे ही रहते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस योजना के तहत जहां पाल में पानी नहीं रहता है । जब तक जमीन के नीचे पानी नहीं आयेगा यह खेती दिनों-दिन बर्बाद होती जायेगी । सरकार उसके लिए योजना बनाती है वह ऊपर से योजना बनाती है वह ऊपर से नहीं बनाकर के नीचे के जो अनुभवी लोग हैं उनसे बनवायें और थोड़े पैसों के अन्दर जो नीचे से योजना बनेगी उसका काम भी पक्का हो सकता है, थोड़े से पैसों में ज्यादा काम हो सकता है पर सरकार का नियम यह है कि ऊपर से योजना थोप दी जाती है उनको किताबी ज्ञान है उनको एरिया का ज्ञान नहीं है । कहां सीपेज से कुओं का पानी ऊपर आ सकता है । उन्होंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है अतः एरिये के अनुभवी लोगों के आधार पर योजनायें नीचे से बनायी जायं और वहां के अनुभवी लोगों को साथ में लेकर के बनायी जायें तो मेरा अनुभव है कि वह योजना कभी फेल नहीं हो सकती है । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेश शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री अश्क अली ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा ।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 38 और 46 सिंचाई की मांग पर चर्चा हो रही है मैंने भी उस पर कटौती प्रस्ताव दिया है । चूंकि बहुत से सदस्यों ने सारी जानकारी राजस्थान की जितनी थी वह दे दी है, सिंचाई मंत्री जी हमारे क्षेत्र के हैं और उनको अच्छी तरह से जानकारी है मैं एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते उनको यह याद दिलाना चाहूंगा और सभी सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कभी अवसर मिले तो आपकी जो आदिवासियों के प्रति अच्छी भावना है, आदिवासियों की दशा अच्छी करने की भावना है. आप लोग उदयपुर जिले में आयें और इन आदिवासियों की दशा को देखें ।

(व्यवधान)

आप मजाक कर रहे हैं लेकिन वास्तव में देखें तो आपको मालूम होगा कि आदिवासियों की क्या हालत है ? शोपत सिंह जी किसी कार्यकर्ता ने आपको बता दिया होगा लेकिन आपने जो कहा वास्तव में सही बात है मैं उसको गलत नहीं मानता हूं । हालत बिगड़ी हुयी है, वह क्यों बिगड़ी है ? पिछले कई वर्षों से यहां योजनायें बनायी जाती हैं कि उनको सही रूप से क्या साधन जुटाये जायें । उसके अनुसार कई तरह की योजनायें बनायीं । 1977 से 84 तक जन जाति योजना के तहत भी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है किन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि—मुझे इस हां पक्ष में बैठकर भी कुछ ऐसे शब्दों को कहना पड़ रहा है कि हमारे एरिये के सिंचाई मंत्री होने के बावजूद भी मैं पिछले दो तीन विधान सभाओं से बजट भाषण सुनता आ रहा हूं उसमें बराबर यह कहा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान का सर्वे कराया जायेगा, वहां सिंचाई के साधन जुटाये जायेंगे लेकिन इस बजट भाषण में उस क्षेत्र का नाम भी नहीं है । बड़ी-बड़ी योजनाओं के नाम दिये हैं इसमें, इन्दिरा गांधी नहर का नाम है, माही का नाम है, दूसरी जो छोटी-मोटी और योजनाओं के नाम दिये हैं पर उसमें उदयपुर जिले का नाम नहीं है ।

मुझे मन में थोड़ा दुख हुआ कि एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासियों की हालत सुधारी जाये और दूसरी तरफ हम उस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते हैं । मैं 78–79 में जनजाति उपयोजना में आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि जन जाति उपयोजना के तहत जो बहुसंख्यक आदिवासियों का क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण करके मास्टर प्लान बनाकर, उनको सिंचाई के साधन दिलाये जायं जिससे उन लोगों की जो भी छोटी-मोटी जमीन है, बीघा, डेढ़ बीघा आप तो हमारी बात को सुनकर बडा ताज्जुब करते हैं आपको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आप उस क्षेत्र में जायेंगे और उनकी जमीनों को देखेंगे तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें सब के पास तो नहीं लेकिन किसी किसी के पास 200 बीघा है, किसी के पास 100 बीघा है किसी के पास 50 बीघा है, 10 बीघा अच्छी सिंचित भूमि

(श्री भेरूंलाल मीणा)

आपके पास है लेकिन उस क्षेत्र के आदिवासियों के पास आधा बीघा, डेढ़ बीघा है, वह भी बिलकुल ढालू है जिसके ऊपर पानी रोकने की कोई गुंजाइश नहीं होती है जो भी बरसात होती है पानी बहकर चला जाता है। जो खाद वह डालता है वह भी बहकर चला जाता है, मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो आदिवासियों की जमीन दूसरा कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकें यह निर्णय लिया है। उससे उनकी जमीन थोड़ी बहुत बची रही है, उनको जमीन से लाभान्वित किया है। अगर उन्हें दूसरों को बेच सकने की यह छूट होती तो आदिवासी अपनी जमीन को बेच कर मेरे ख्याल से भटते रहते, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा यह रोक लगाकर आदिवासियों की जमीन को बेचने से बचाया। फिर भी उनकी सर्दी के मारे हालत यह है जैसे शोपत सिंह जी कह रहे थे, उनका कब्जा किस तरह से हैं उसके दोष देखें। उधर सरकार पैसे देती है उनकी वसूली में परेशानी आती हैं। हम एक तरफ कहते है उसका पैसा नहीं आयेगा तो उसको आगे कर्जा नहीं देंगे। जो पैसा जमा होता है और आवश्यकता वाले लोगों को पैसे की आवश्यकता होती हैं तो वे तंग करते हैं तुम पैसा जमा नहीं करते हो इस वजह से हमको भी लोन नहीं मिलता हम भी अपनी खेती करते हैं। वहां पर सामाजिक दबाव भी आता है इसलिए वे कभी-कभी छुपे रहते हैं और किसी टाइम एक आध को पकड़ लिया होगा तो शोपत सिंह जी को मौका मिल गया होगा, जोर से कह दिया। मैं भी उदयपुर भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रहा हूं। अकाल की स्थिति में भी वसूली की है, आज तो अकाल घोषित नहीं किया लेकिन वास्तविक स्थिति देखें तो वहां अकाल है लेकिन अकाल घोषित नहीं किया इसलिए थोड़ी परेशानी है उस क्षेत्र में। मैंने अकाल के समय बहुत सा पैसा बांटा और वसूली भी की और किसी को परेशान भी नहीं किया। तो वसूली करने का तरीका मानवता का अपनाया था अफवाह फैलाने की बात और होती है और वास्तविकता अलग होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर नहीं हों।

श्री भेरूंलाल मीणा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को सिंचाई के जरिये, सिंचाई मंत्री को उस क्षेत्र के जो छोटे बड़े तालाब हैं, इनको बनाने की लिस्ट भी दी थी, मैंने खुद कुछ जानकारी की सलुम्बर क्षेत्र की, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी तहसीलें हैं प्लानिंग में कोई नहीं ली गयीं और जहां भी पुराने तालाब बने हुए हैं उन तालाबों से नहरें निकाल कर पानी लिया जा सकता है। उदयपुर में जो भी ऐसे तालाब हैं, पुराने तालाब हैं उनसे ही पानी लेकर काम में लेते हैं। देवास योजना के पहले चरण के अलावा दूसरा कोई ऐसा तालाब नहीं है उस क्षेत्र में इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र की प्लानिंग की जाय। हमारे अधिकारी कहते हैं, मिनिस्टर साहब बोलते हैं आप कौन सा तालाब, एनीकट बनाना चाहते हैं ? वह तो जमेगा

(श्री भैरूंलाल मीणा)

नहीं क्योंकि हम लिस्ट दे देंगे 100-50 की और वे कह देंगे कि इतना पैसा नहीं। आप अपनी मंशा से 5 साल की या साल भर की प्लानिंग बनाकर उस क्षेत्र का सर्वे करवायें और जो पानी उस एरिये से मिल सकता है, उसके नीचे के लोगों को लाभ मिल सकता है, उसका सर्वे करायें। उस क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्य चालू करेंगे तो मैं समझूंगा कि आदिवासियों को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा, अन्यथा हम भले ही भाषण दे देंगे या उनको आश्वासन दे देंगे उनकी कोई पूर्ति होने वाली नहीं है।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उदयपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन वह स्थिति बता दूंगा, जो पहले बीकानेर-जोधपुर साइड में रेगिस्तान की थी। मैंने अभी बरसात का औसत मांगा था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले बरसात ज्यादा होती थी, आज उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बरसात कम हो गयी है और बीकानेर जिले में ज्यादा हो गयी है। इसलिए हुई कि वह एरिया थोड़ा धीरे-धीरे चमन होता जा रहा है, यहां वृक्ष काटे नहीं जाते हैं और हमारे एरिये में वृक्ष काट कर, बिलकुल जंगल को साफ कर दिया। आपके बीकानेर एरिये में जो रेगिस्तान है, उसमें जिस तरह से राजस्थान कैनाल आयी है, वहां की जमीन समतल करके उपयोगी बनायी जा रही है। लेकिन उदयपुर एरिया में समतल करेंगे कैसे? वहां पहाड़ी इलाका है, पत्थर के अलावा कोई चीज नजर नहीं आयेगी। आज वहां ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी। वहां अच्छी उपलब्धि रही बीकानेर की, मतलब पश्चिमी राजस्थान को....

श्री देवीसिंह भाटी : आपको इन्वाइट करते हैं, बीकानेर आ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा : यह तो अच्छी बात है। राजस्थान कैनाल निकलेगी तो बड़ी परेशानी होगी, उधर चम्बल बांध बांधेंगे तो परेशानी होगी। लेकिन हम भी, चाहते हैं इधर कुछ ऐसी बड़ी योजना बनायेंगे तो हमको भी थोड़ा बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन पहाड़ी इलाका है इसलिए उसका कुछ हो ही नहीं सकता। अंत में मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि आपके उत्तर के टाइम में क्योंकि इस बजट भाषण में या आज की जो पत्रिका मिली है सिंचाई वाली उसमें कहीं अंकित नहीं है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई कार्य किया जायेगा तो मैं चाहूंगा आपने अपने उत्तर में हमें सेटिसफाई करेंगे कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे भीलवाड़ा के साथी ने मांग की थी कि राजस्थान नहर से एक करोड़ रुपया हमको दिया जाय, उससे हमारे सारे क्षेत्र को लाभ पहुंच जायेगा, मैं भी चाहूंगा उसमें से जैसे एक एरिया में ले लिया गया, एक और दे दीजियेगा, 48 रह जायेगा और हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को फायदा हो जायेगा। मैं चाहूंगा उसमें से काट कर दें या चाहे और किसी में से काट कर दें, चाहे माही से काट कर दें। उदयपुर

(श्री मंरूलाल मीणा)

डिस्ट्रिक्ट को ग्राप जरूर पैसा दीजिये ग्रौर इस योजना में लेकर उन ग्रादिवासियों के क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुँचाने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रापने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सम्पत सिंह : सिंचाई के मुद्दे पर हमारे खास तौर से भरतपुर में ग्रौर भरतपुर में भी नगर क्षेत्र में छोटी सिंचाई योजनाग्रों का भविष्य, बड़ी कोई योजना वहां नहीं है ग्रौर नहीं भविष्य में दिखती है। इस बाबत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि हम ग्रलवर से जुड़े हुए हैं ग्रौर ग्रलवर हमसे ऊपर है ग्रौर ढलान हमारी तरफ है तो वहां की योजना से हमारा भविष्य जुड़ा हुग्रा है ग्रौर एक मुहायदा हुग्रा था रियासत के जमाने में घाटखुटेटा ग्रलवर ग्रौर भरतपुर के बोर्डर पर, उन्होंने यह तय किया था कि ग्राधा पानी भरतपुर के लिए मिलेगा ग्रौर ग्राधा पानी ग्रलवर के लिए मिलेगा। ग्राज हालत यह है कि पूरा पानी ग्रलवर के लिए रह जायेगा ग्रौर जो सीकरी सिस्टम के लिए पानी ग्राना चाहिए था वह बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो, मैं यह निवेदन करूं कि सिंचाई मंत्री जी तहसील में जायें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ग्रपने क्षेत्र की समस्या उनको बतायें।

श्री सम्पत सिंह : ग्रगर ग्राप सिंचाई मन्त्री होते तो बहुत ग्रच्छी बात होती, लेकिन क्या करें ग्राप भी हमारी तरह माननीय सदस्य ही हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जो रियासत के जमाने में हमदर्दी थी ग्राज प्रजातान्त्रिक युग में वह हमदर्दी नहीं है। तो, जो सिंचाई मंत्री महोदय बहुत ही काबिल हैं इस मामले में वे देखें, हमारा हिस्सा मिले।

दूसरी बात ग्रर्ज करना चाहता था कि सीकरी में कम-से-कम 10 हजार नलकूप जो हर गरीब किसान ने लगा रखे हैं वहां पर इतना ग्रण्डर ग्राउंड पानी है हम ग्रगर, राज्य सरकार वहां ग्रपने नलकूप लगाये, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय शिवचरण जी माथुर गये थे उन्होने वहां गुलपाड़ा में उद्घाटन भी किया था, पता नहीं किन हालात की वजह से वह ग्राज भी चालू नहीं है। जरूर उस इलाके की मांग को देखते हुए उन्होंने सोचा होगा, मगर ग्राज वह चालू नहीं है। मैं निवेदन करूं ग्रब भी चालू कर दिया जाय तो उस इलाके का बहुत बड़ा फायदा होगा। वरना वहां कोई बड़ी नदी नहीं है, वहां कोई बड़ी नहर नहीं चलती है सिर्फ नलकूप ही एक ऐसा सुझाव है जिससे वहां किसानों के लिए कोई कामयाबी खेती के मार्फत मिल सकती है वरना वहां की जमीन बड़ी जरखेज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के किसान बड़े मेहनती हैं। गांव में ग्रगर पानी खर्चे से पाइप लगा कर वे थोड़ा है तो दो मील में जाकर ग्रपने

(श्री सम्पत सिंह)

बहुत जमीन में पानी ले जाते हैं। अगर इस वेल्फेयर स्टेट में हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, हम इतना भी नहीं मान सकते कि हमारी जमीन को पानी मिल जाय, तो फिर वेल्फेयर स्टेट में बड़ी अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं. माने चाहे न मानें माननीय मन्त्री जी, कि वहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर पर अगर आप जोर दें, वहां नलकूप लगाने की बात करें तो वाटर लेवल भी ऊंचा होगा और वहां पानी की समस्या बहुत कम हो जायेगी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं सीकरी बांध है, उसमें बहुत पुराने तरीके से सिंचाई का सिस्टम चल रहा है। प्रीमिटिव स्टेज में जैसे कभी कोई सिंचाई करता होगा वैसे कर रहे हैं। अब कोई वैज्ञानिक ईजाद होनी चाहिए। इससे खेत आधे रह जाते हैं और आधी तरफ पानी चला जाता है। यहां अधिकारीगण भी बैठे होंगे। सिंचाई के लिये किसानों के डेपुटेशन पर डेपुटेशन जाते हैं और कितना मलाल उस वक्त होता है गरीब इन्सान को जब उसकी खड़ी फसल सूख गयी हुई होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो कोई वैज्ञानिक तरीका माननीय मन्त्रीजी तलाश करें। तभी उस पानी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और वहां के सिंचाई साधन भी वैज्ञानिक हो जायं जिससे हर खेत को पानी मिले।

पांचवां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़गांवा नहर यानी राजस्थान की सिंचाई का जब भी कोई मुद्दा होता है तो या तो इन्दिरा गांधी नहर की चर्चा होती है या माही बांध की होती है या कोटा की होती है। पूरे राजस्थान के बारे में गुड़गांवा नहर की कहीं चर्चा नहीं होती है। अव्वल तो यह नाम ही हमारे लिये कोई बहुत अच्छा नहीं है। अधिकारीगण जब निवेदन करते हैं बाहर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से या कहीं भी तो उनको ब्रैकेट में यह लिखना पड़ता है कि गुड़गांवा नहर राजस्थान के लिये। यह भ्रांति मिटे। क्या वजह है कि गुड़गांवा नहर चल रही है जब से मुरहरा में यह नहर आती है तो कम से कम चाहे उसका नाम संजय गांधी नहर रख दीजिए। मेरा सुझाव यह है कि वह ब्रज प्रदेश पूरा पड़ता है।

(व्यवधान)

नहीं कोई बात नहीं। वे जब जूतियां उठाया करते थे जो नाम रख देंगे तो कोई बात हो जायेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उससे डर लगता है तो वह ब्रज प्रदेश है, राधिका नहर नाम रख दें या जो भी आपकी बुद्धि सुझाव दे वही नाम रख दें। कम-से-कम इस नाम से न तो किसी राजस्थानी साथी को हमदर्दी होती है और न ही दूसरे प्रांतों में इस बात की जरा भी फिक्र है। अगर हम उनका भी नाम लेकर चलें। ऐसा लगता है कि हम भरतपुर के लोग तो पूरे यू. पी. का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। या तो गोवर्धन ड्रेन नाम है या भरतपुर फीडर के आगे के जे. पी. ड्रेन है।

इन सारी चीजों को देखते हुए न तो हम उधर के रहे न हम इधर के रहे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नाम

(श्री सम्पत सिंह)

बदले न बदले लेकिन जो बजट है उसके ऊपर आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, पहले ही बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, यह गुड़गांवा नहर बननी 1965–66 में चालू हुई और 1983 तक पूरा हो जानी चाहिये थी क्या वजह है, उपाध्यक्ष महोदय; जो आज तक उसमें पानी नहीं है। पानी ही नहीं बारिश का पानी होता है और वह भी बाढ़ के रूप में जब आ जाता है उसमें आबियाना और लगाया जाता है। यानी जले पर नमक। अव्वल तो उनको खाने को दाने पैदा नहीं होते और फिर डंडे के जोर से वह आबियाना वसूल किया जाता है। मैं निवेदन करूं ऐसा सलूक तो राजा-महाराजा और अंग्रेजों ने भी हमारे साथ नहीं किया था जो आज प्रजातन्त्र के युग में हो रहा है। ऐसी बातें अगर आज भी होंगी तो उन लोगों से आप कैसे अलग होंगे। राजस्थान की सरकार कैसे अलग होगी। तो मैं निवेदन करूं कि उसमें जितने भी हैं आबियाना की तरफ से हमदर्दी में चले जायं और बारहमासी इस नहर को किया जाय। उसका बजट बनाया जाय। उसको दुगुना नहीं तो कम से कम डेढ़ गुणा किया जाय। आज की तारीख में तो वह बिल्कुल इनसफिशियेंट है। उससे हमारा कोई काम नहीं चलता। सूखी नहर पड़ी है।

किसानों की जमीन दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले उन्होंने ले ली और मुआवजा आज तक नहीं मिला है। तो यह भी अधूरी है। इसमें देरी का कारण मेरी छोटी बुद्धि में यह आता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं कोई व्यक्ति-परक बात नहीं कहना चाहता। कोई भी माननीय सदस्य बुरा न मानें। मैं व्यवस्था की वजह से अर्ज कर रहा हूं। मेरी जो भावना है उसी भावना से देखें। अगर ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार होता है किसी दूसरे मुल्क में तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को गोली से उड़ा दिया जाता है। यहां तो उस पर कभी विभागीय जांच नहीं होती, कोई ताड़ना भी नहीं होती। तो जो सरकार चुनी हुई है, जो समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में आती है, गांधी और नेहरू के वे भी वारिस हैं, हम भी वारिस हैं। उनको कम से कम इतनी तड़फ होनी चाहिये कि सार्वजनिक सम्पदा में जो भ्रष्टाचार करे उसको कड़े से कड़े दण्ड का एक प्रावधान होना चाहिये। हम रोज देखते हैं, नन्दगांव बरसाने की होली देखने के लिये सिंचाई विभाग की जीप जा सकती है लेकिन बाढ़ से अगर किसी खेत को नुकसान हो रहा है, अगर बिना पानी की वजह से किसी ठेके पर पानी आ रहा है तो वहां विशेषज्ञ की राय जानने के लिये कोई अधिकारी मौके पर नहीं जा सकता।

इन सारी चीजों को देखते हुए न मैं किसी ठेकेदार का नाम लेना चाहता, न मैं किसी बिजनेसमैन का नाम लेना चाहता, न मैं किसी राजनेता का नाम लेना चाहता हूं, एक व्यवस्था हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सार्वजनिक सम्पदाओं में अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिये वर्ना इन चीजों के कोई मायने नहीं होंगे। आप करोड़ों करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते चले जाइये, एक तरफ कोठियां बनती चली

(श्री सम्पत सिंह)

जायं दूसरी तरफ खाने को दाना भी नहीं होगा । मैं निवेदन करूं.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य......

श्री सम्पत सिंह : मैं दो मिनट में खतम किये दे रहा हूं ताकि......

श्री बुलाकी दास कल्ला : इस चीज के ऊपर अपने विचार रख चुके हैं। अब सरकार की ओर से उत्तर देना है। सुनने की कृपा करें।

श्री सम्पत सिंह : कल्ला साहब, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम किये दे रहा हूं और उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आप मुझे अलाउ कर रहे हैं।

मैं उस वातावरण की बात कर रहा था कि सार्वजनिक सम्पदाओं में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस पर आपकी नजर पैनी होनी चाहिये। उसे रोकें। चुनाव के वक्त में कैसे-कैसे वायदे होते हैं। आप भी कहते हैं कि ये विरोधी लोग हैं इनको मत जिताइये। अगर विकास की बात करनी है तो हमको जिताइये। तीन करोड़ जनता ने जब आपको राज सौंपा है तो फिर क्यों कोताही बर्ती जा रही है। उन वायदों को निभाइये। उस वक्त तो हमारे कान फट गये "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,, ढूंढ़ा तो एक कतराये खूं देखा"। आज तो कोई चीज ही नजर नहीं आती। इसलिये समाजवाद और विकास के नाम पर आपसे न सिर्फ निवेदन कर रहा हूं बल्कि आगाह करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जो जनरेशन, अब जो नयी पीढ़ी आ रही है वह राजा-महाराजाओं की तरह उस ताड़ना को नहीं झेलेगी। अब आपसे हम लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। और आप से मनवायेंगे इस सदन में, नहीं तो सड़क पर मनवायेंगे। इतना आप हमारी विनम्रता के निवेदन को सुन लीजिये वर्ना ऐसी हालत में.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.......

श्री सम्पत सिंह : आपको इस चीज का उत्तर नहीं देगा। आप परिस्थिति पार्टी हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं। सुझाव दीजिए आप।

श्री सम्पत सिंह : एक मिनट में खतम कर रहा हूं वर्ना आप अंकित नहीं करने दें अगर एक मिनट से ज्यादा हो जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एक आम चीज है जिसको सप्लिमेन्ट करना चाहते हैं। आप सुझाव दे दें।

श्री सम्पत सिंह : पानी से ज्यादा बहुमूल्य दुनिया में हमारे लिये कोई चीज नहीं है हवा के बाद। मैं एक बात अर्ज करके अपनी बात खतम करूंगा कि इतने समाजवाद के वातावरण में अगर हम पूंजीवाद की तरह बिहैव करें, अगर हम बिहैव करें राजा-महाराजा की तरह, अगर हम बिहैव करें अंग्रेज की तरह, तो आपको, राजस्थान सरकार को इस बात की कोई बधाई नहीं देगा......

(श्री सम्पत सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यही कहेंगे, सारे भोले-भाले नागरिक यही कहेंगे—

"अगर तूफां डुबो देता तो कोई गम नहीं होता, किनारों ने डुबोया है किनारे बेवफा निकले।"

जयहिन्द।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : एक व्यवस्था का सवाल है। हमारा व्यवस्था का सवाल यह है उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला राजस्थान में है कि नहीं? सदन में किसी भी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि ने धौलपुर जिले से सम्बन्धित बजट पर न कुछ कहा न आप कोई इस पर अवसर देना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप रोज बोलते हैं······

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, नहीं। मैं नहीं बोलना चाहता। आप अपनी पार्टी के आदमी से बुलवा दीजिये। हमारी भावना आ जायेगी। बी. जे. पी. से या अपनी पार्टी के आदमी को बुलवा दीजिये, हमारी भावना आ जायेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो कटौती प्रस्ताव देते हैं उनको समय मिलता है। आपने कटौती प्रस्ताव दिया नहीं होगा इसलिये आपको मिला नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सचेतकजी ने जिस तरह से लिस्ट दी है वह हुई है·······

श्री मोहन प्रकाश : मैं अपना चाहता हो नहीं था क्योंकि यहां पर मैं बोलूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : धौलपुर जिला तो राजस्थान का मशहूर जिला है।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूंगा। यहां पर बोलने वाले बैठे हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी प्रतिनिधि को तो आप बुलवाइये······

श्री उपाध्यक्ष : मशहूर जिला है, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि माननीय मोहन प्रकाश जी, नाथूसिंह जी, हरिकुमार जी और प्रोफेसर केदार, चारों ने मिलकर एक गोष्ठी की है कि हाउस को जितनी देर चलाया जाय उतनी देर चलाया जाय। क्योंकि ये कुंवारे आदमी चलाते रहेंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब सरकार का जवाब दिलाया जाय ताकि कुछ बात बने।

श्री मोहन प्रकाश : किसी पार्टी के प्रतिनिधि को बुला दीजिये। अगर हम को सम्भव नहीं तो कांग्रेस को ही बुलवा दीजिये······

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (मन्त्री इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी अच्छे सुझाव आये। इस डिबेट में

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

और जो कटौती प्रस्ताव आये उसके साथ कुछ सदस्यों के जो बिन्दु थे.......

श्री यदुनाथ सिंह : यहां हों तो जवाब दीजिये और जो सदस्य यहां बैठे नहीं हैं उनको लिखकर भेज दीजिये.......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इतनी जल्दी थक गये हो क्या, या कहीं जाने का समय आ गया है, यदुनाथ सिंह जी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह आपकी चिन्ता ज्यादा कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं मेरा उत्तर सिर्फ इन्दिरा गांधी नहर तक ही सीमित रखूंगा। मेरे बड़े साथी सिंचाई मन्त्री जी दूसरे बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे। आज सबसे ज्यादा कटौती प्रस्ताव आये थे, वे माननीय सदस्य यहीं विराजमान हैं। थोड़ी रिक्लाइनिंग पोजीशन में हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : कुछ सुलह हो गयी है क्या दोनों भाटी सरदारों की, पिछली बार जैसा रुख नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : थोड़ा डिसकम्फर्ट यह हो रहा है कि इन्दिरा गांधी नहर पर ज्यादातर चर्चा घनश्याम जी तिवाड़ी के नेता महोदय और मेरे बीच में होती है. आज वह यहां विराजमान नहीं हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लेकिन उनको पता है। आपके विचारों से वह अवगत हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो मैं उन विचारों को ज्यादा दोहराऊंगा तो नहीं। सहमति अभी तक नहीं है। हो जायेगी धीरे-धीरे। उस गुट के कुछ सदस्यगण लगे हुए हैं उनको मनाने में लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय. गौरव की बात तो यह है कि इन्दिरा गांधी नहर पर पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा हुई है, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। लेकिन राजस्थान का एक नागरिक होने के नाते मैं यह एलान करना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संसार में शायद कम ही होगा। बावजूद बहुत गलतियों के, बावजूद बहुत कमियों के जो सक्सेस हमने प्राप्त की है वह एक यूनिक सक्सेस है और उसको मैं पाइन्ट वाइज दोहराना भी चाहूंगा बाद में। उस प्राप्ति के बनिस्पत कि हम हर समय क्रिटिसिज्म ही करते जायं सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए, मैं चाहूंगा कि इस महान सदन के सदस्यगण एक बार अपने राजनीतिक डिफरेंसेज छोड़कर न मौका दें बाहर के प्रदेशों को, न मौका दें उन अवसरवादियों को जो अपने स्टेट की प्रोग्रेस को कम करना चाहते हैं वरन् एकजुट होकर जितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन पर ला सकें एक सहमति से. मेरे ख्याल से उस से ज्यादा सहयोग इस सरकार को नहीं मिल सकेगा। आज इन्दिरा गांधी नहर पर हमारे देवीसिंह जी ने काफी कुछ कहा। उधर माननीय शेखावत साहब ने भी यहां पर और बाहर काफी कुछ कहा. और अनेक सदस्यों ने फरमाया। लेकिन आज 25-30 साल के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे पहलू आते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे पास चॉइस क्या रहती है। आज सिंचाई पर जितने भाषण हुए हैं, उसके पहले जब बजट

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

पर बहस हुई थी तो आप अगर एक कॉमन लिंक लें, वह कॉमन लिंक है, जितने भी अण्डरग्राउण्ड सोर्सेज हैं, एक्वापरस सोर्सेज हैं वह सब जगह भले ही वह साउथ में बांसवाड़ा हो, ईस्ट में आपके इधर हो, उपाध्यक्ष महोदय, या जयपुर में हो, आज समस्या यह आ गयी है कि पानी कहां है पीने के लिए ? मैं इसको मिसफॉरचून तो नहीं कहूंगा, उस समय की जो प्राथमिकता थी उसी हिसाब से यह प्लान बना था। लेकिन आज की सिचुएशन में मैं सोचता हूं कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रह गयी है कि इस इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्युएबल पानी को प्रायोरिटीज पर हमें लेना पड़ेगा। और इस प्रायोरिटी को देखते हुए मैं पॉलिटिकल टिक-टेक में नहीं जाऊंगा लेकिन प्रायोरिटी को देखते हुए और कुछ मेजर स्टडीज के बेसिस पर 1976 में एक डिसीजन हुआ था, जोशी जी जब मुख्य मन्त्री थे। 1978 में एक उसके बिलकुल विपरित डिसीजन हो गया जब माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री थे। 1983 में बहुत ही डेलिबरेशन के बाद में और बहुत ही कन्ट्रोवर्सीज के बाद में जिस कन्ट्रोवर्सी में बार-बार मुझे सौभाग्य मिला बीच में पड़ने का.........

श्री शोपत सिंह : टारगेट बनने का।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक पार्टी बनने का कि बीच में.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : टारगेट शूटिंग तो नॉर्मली.........

श्री केदारनाथ : टारगेट नहीं केजुअल्टी का.........

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब यह तो तो माननीय शोपत सिंह जी फरमाना कुछ और चाह रहे थे, और कहते कुछ और हैं।

1983 में जो डिसीजन हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, और मई, 1985 में जो निर्णय हुआ–मैं सोचता हूं कि बहुत ही इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश की एक करोड जनता के हित में जो कि पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ. मेरे को एक्यूज किया गया था, कोलायत से पधारे हुए सदस्य ने मुझे कहा था कि वह जोधपुर से आते हैं इसलिए उन्होंने दस लाख का प्रावधान रखा है लिफ्ट में। लेकिन राजस्थान मेरे हिसाब से......

श्री देवी सिंह भाटी : 10 लाख नहीं 10 करोड़।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो दस लाख ही चाहते थे लेकिन हमने 10 करोड किया।

पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल एरिया है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं और हम सब मानते हैं, यह स्टडीज मानती है जिन पर लाखों-करोडों रुपये खर्च हुए हैं, वेस्ट ऑफ द अरावलीज जितना भी एरिया है भले ही वह सीकर, झुंझुनूं हो, चुरू हो, ठेठ आपका बाडमेर, जोधपुर तक, इस एरिया में पेयजल की समस्या है। आज हमारे सिंचाई मन्त्री जी अकाल राहत मन्त्री भी हैं और पिछले आठ-दस दिन में आपने भी सुना होगा, उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में क्या-क्या उत्तर देने पड़े, आज

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

भी आप देखें तो हमारे साथी श्रीमती कमला जी, रामसिंह जी के क्षेत्र की इन्सिडेण्ट, बहुत ही सेड इन्सिडेण्ट की जब चर्चा हो रही थी वह भी पेयजल से सम्बन्धित थी। आज सिचुएशन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पूरे एरिया, इस विशाल एरिया के लिए एक लाख पैंतालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर के लिए, स्टडीज बताती हैं कि न तो अण्डरग्राउण्ड वाटर हैं, थोड़ा बहुत है वह भी ज्यादा पम्पिंग से फेल हो जाता है। तो इस एरिया के लिए सिर्फ एक ही अपने पास सोर्स रह गया है, लाइफ लाइन रह गयी है और वह इन्दिरा गांधी नहर का प्रेशस वाटर है। अब अगर इस बिन्दु को अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तब नम्बर वन प्रायोरिटी जो मैं बार-बार दोहरा रहा हूं, पेयजल है तो इस पेयजल को आपको मोस्ट इकॉनामिक वे में पहुंचाना पड़ेगा। बड़े-बड़े नगरों तक भले ही वह जोधपुर हो, बीकानेर हो, भले ही चूरू, लाडनूं हो, भले ही जैसलमेर के आगे तक हो, बाड़मेर तक हो, पोकरण तक हो ...

एक माननीय सदस्य : कोलायत।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इन्होंने तो सबको राजी कर रखा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना पड़ेगा और हमें फैक्ट्स और फिगर्स पर जाना पड़ेगा। आज माननीय सदस्य, प्रोफेसर केदारजी ने जो बिन्दु उठाया था इन्टेंसिटी पर, तो उस इन्टेंसिटी के रिडक्शन्स के लेशन जो हमें इस वर्ष के प्राप्त हुये उनसे भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जो यह कमीशन रिपोर्ट कहती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य यहां नहीं है, श्री सी. पी. जोशी जिन्होंने आज की डिबेट की शुरूआत की थी। उन्होने सोशल डवलपमेन्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की सोशल डवलपमेन्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी युटिलाइजेशन हो, तो, उपाध्यक्ष महोदय; सन् 1948 में, शायद देवीसिंहजी साहब इन किताबों को कम ही पढ़ते हैं। सन् 1948 में इन्हीं की बीकानेर स्टेट के एक महान् इंजीनियर, श्री कंवर सैन ने लिफ्ट योजनाओं पर टिप्पणी की थी। जब भारत वर्ष का फर्स्ट प्लान, उपाध्यक्ष महोदय, आया तब उसमें डेजर्ट कंट्रोल के बारे में इतनी विस्तार में चर्चा हुई और उसका सुझाव माखरा के पानी के लाने का था, उसका जिक्र हुआ है और सन् 1972 में, उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन कमीशन की जो रिकमण्डेशन्स थीं वह भी यही थी कि साहब लिफ्ट योजनाओं के अ. भले ही वह हरियाणा में ही क्यों न हों, उन लोगों ने तो कर ली, उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा गवर्नमेन्ट ने, बंशीलाल जी के समय, न तो वह प्लानिंग कमीशन के पास गये और उन्होंने अपनी जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट योजना जिसको कि आप जब दिल्ली पधारते हैं, तो क्रोस भी करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 500 फीट की लिफ्ट योजना उन्होंने पूरी तैयार करके और ऐसे इलाके में पानी लाने में वह सक्सेस हुए एग्रीकल्चरली एन्ड अदरवाइज जो एरिया बिलकुल अपने लगता हुआ है और अपने जितना ही पास था, 1974 में, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ही बुजुर्ग सदस्यों और इस प्रदेश के माननीय नेता नाथूरामजी की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट आई, मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने करोड़ रुपये

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

से ज्यादा खर्च किये होंगे, उपाध्यक्ष महोदय। और इसके जितने भी निर्णय हैं अगर आप सुनना चाहें और आप पेशेंस हो....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कापी भेज दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि इसमें जो निर्णय लिये गये, डेजर्ट की प्रॉबलम्स को देखते हुए जो लिफ्ट योजनायें इन्होंने रिकमण्ड की वह रिकमण्डेशन्स सब सरवन्ट हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, टोपोग्राफिकल सर्वे हुये हो, सोइल सर्वे हुये, इंजीनियरिंग स्टेडीज हुई, इकोनोमिक स्टेडीज हुई, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सर्वे के एक डाक्टर श्रीवास्तव थे उन्होंने किया, सैटलमेन्ट प्लानिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट की स्टडी हुई, उपाध्यक्ष महोदय, और इकोनोमिक एनेलेसिस हुई। उस टॉप सर्वेज के बाद में जो इनकी महत्वपूर्ण रिकमण्डेशन्स हैं, आज ये सिर्फ राजस्थान के लिये नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। I is for the entire western Indian area. जहां-जहां डेजर्ट की सिचुएशन हो, भले ही वह गुजरात में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो। मैं सोचता हूं कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल डाकुमेन्ट है, उपाध्यक्ष महोदय। आज वह भले ही वहां बिराजते हों। But the credit goes to him that इनकी चेयरमेनशिप के नीचे जो बहुत ही जाने-माने साइन्टिस्ट, आप शायद डॉ. स्वामीनाथन् के नाम से परिचित है सो वैल नोन, अपने प्लानिंग कमीशन में थे लेकिन आज वर्ल्ड राइज रिसर्च इन्स्टीट्यूट फिलिपिन्स मनीला में वह बिराजें हैं। अब उन निर्णयों को लेते हुए, 1976 में उपाध्यक्ष महोदय, हमने, हमारी सरकार ने एक कैबिनेट निर्णय से 30 लाख रुपये खर्च करके और वैप-कोस, जो कि एक गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की अन्डर टेकिंग है उनको आथराइज्ड किया कि आप इन बिन्दुओं को मानते हुए एक रिसर्च करिये और हमें सुझाव दीजिये कि हम लिफ्ट योजनायें और इस पूरे एरिया में जो समस्यायें फर्स्ट स्टेज पर आई हैं वह मिस्टेक्स हम सैकिण्ड स्टेज में नहीं करें उसके लिये बहुत ही हिस्टोरिकल डाकुमेन्ट है, उपाध्यक्ष महोदय। यह वैपकोस की रिपोर्ट है....

(व्यवधान)

एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 38 लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण की मांग पारित न हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

मांग संख्या 46 का पारण भी आज ही है, वह पारित हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और वेपकोस की रिपोर्ट को आधार बनाते हुये, उपाध्यक्ष महोदय, वेपकोस की रिपोर्ट में ब्रीफ में अर्ज कर दूं। रिपोर्ट में कहा है कि फर्स्ट स्टेज में जो सब सोइल की समस्या आपके यहां आ रही है वैसा का वैसा टोपोग्राफिकल एरिया, सिमिलर एरिया आपके सैकिण्ड स्टेज में है। अन्दाजन करीब 2 लाख 50 हजार तीन लाख हेक्टेयर उस एरिया को उन्होंने कहा कि आप इरिगेट मत करियेगा। वेपकोस ने यह भी कहा कि साहब 100. 10 पर्सेन्ट ईंटेसिटी, जिसका बिन्दु माननीय केदारजी ने उठाया था, कम करके आप 80 पर पधारिये और वेपकोस ने यह भी कहा कि जो पश्चिम कैनाल के एरियाज हैं भले ही वह फलोदी ही क्यों नहीं हो, भले ही जोधपुर क्यों नहीं हो, कोलायत क्यों नहीं हो गजनेर क्यों नहीं हो, नागौर क्यों नहीं हो इन एरियाज तक आप....

(व्यवधान)

सदन के समय में वृद्धि सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यजी, आप समय बढ़ा दीजिये। समय बढ़ाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ा दिया गया। सदन का समय बढ़ाया जाता है। मांग संख्या 46 और मांग संख्या 38 ये दोनों के पारित होने के समय तक सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सो उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, इस कैनाल का पानी आप इधर ले जाइये और उसी के बेसिस पर 1976 में निर्णय हुआ और 1978 में मैं सोचता हूं, एक्यूजेशन तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया कि बिलकुल राजनैतिक दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। यह एक टोटल नेसिसिटी है आपके स्टेट की उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा, आप को पार्टी लाइन्स तो करनी ही पड़ेगी और आपको यह रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा कि जो समस्यायें यहां पर है, उनको आपको सुलझाना पड़ेगा। वह समस्यायें भले ही ग्रासलैण्ड की हो। शेखावतसिंहजी ने ग्रासलैण्ड का थोड़ा जिक्र किया था। आज मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ग्रासलैण्ड का इन रिपोर्टस में भी जिक्र है लेकिन जो ग्रासलैण्ड आपके पश्चिमी राजस्थान एग्जिस्ट कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय देवीसिंहजी साहब से आप हृदय से पूछें, मन से पूछेंगे तो एडमिट करेंगे कि इनके एरिया में ग्रासलैण्ड कम्प्रोमाइज हुये हैं उसके बाद में उनको खुद को व्यक्तिगत नुकसान कितना हुआ है? बहुत ही बड़े भारी एनिमल हस्बैण्डरी वाले हैं, उपाध्यक्ष महोदय। कम से कम 10–15 हजार भेड़-बकरी रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्यायें, यह रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको मेरी एक जो करस्पोन्डेस हुई थी very famous scientist of America. आज अमेरिका की क्या

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सीच्युएशन है, उपाध्यक्ष महोदय। आप मानेंगे नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मानेंगे क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कि पश्चिमी राजस्थान में जैसे सेवण घास पहले खूब चलती थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेरीज एग्जिस्ट करती थी। उपाध्यक्ष महोदय, पेरी ग्रास लैण्ड अर्जेन्टीना में है, रशिया में है, चाइना में थोड़ी बहुत हैं और उपाध्यक्ष महोदय, प्रेरी जब अमेरिकन कान्टीनेन्ट में ये यूरोपियन्स गये, सैटल हुये तो वाल्ट विहटमैन ने और मार्क ट्वेन आपकी नेसिसिटी को कैपचर करके ये ऊपर चलने लगे। मैं 18वीं सैन्चुअरी की अर्ज कर रहा हूं। उस समय प्रेरी का एरिया था,

(9.00 रात्रि)

250 मिलियन एकड़ उपाध्यक्ष महोदय, और वैसे डवलपमेन्ट के नाम पर उस 250 मिलियन एकड़ को कम्प्रोमाइज करते-करते आज स्थिति यह आ गई है कि प्रेरीग्रास लैण्ड In a country like United States of America. उनके पास 74 थाउजेण्ड एकड़ रह गई है। आज वहां से एक्च्युअल फैक्ट है, कि केन्स सिटी के पास में, उपाध्यक्ष महोदय, तीन सौ एकड़ का एक फार्म था। प्रेरी फार्म ग्रास लैण्ड फार्म, इण्डिविज्युअल था और वह हिस्सा डवलपमेन्ट प्रोजक्ट के रूप में आ रहा था। उस केन्स सिटी में क ग्रासलैण्ड हेरीटेज फाउण्डेशन विथ नीड विथ द गवर्नमेन्ट एस्टेब्लिश हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, और उन्होंने यह 300 एकड़ फार्म लैण्ड, 670 डालर में खरीदा है जबकि वह प्रिजव्ड है एज ग्रास लैण्ड। अब आप 670 डालर, 300 से भाग दें उपाध्यक्ष महोदय, you come to about twenty or twenty two thousand dollar arcse अच्छा, आज ग्रासलैण्ड की सिच्युएशन क्या है, आज it is scientifically astarlished. उपाध्यक्ष महोदय, भले ही सेवन ग्रासलैण्ड हो, भले ही प्रेरी ग्रास लैण्ड हो, कोई भी हो, इनमें ऐसा केमिकल नेचुरल धातु है जिससे कि वहां दूसरा बीज होने नहीं देता।

इसलिए मेरा यह कहना है, हमारा यह सुझाव है कि आपके पास एक असेट एग्जिस्ट कर रही है। आप कहते हैं कि आपके पास धन उपलब्ध नहीं है तो आप उस असेट को डेस्ट्राय क्यों करना चाहते हैं ? आज इकानामिकली इट इज ग्रोथ। देवीसिंहजी खुद एग्री करेंगे मेरे से, आज उनसे आप पूछ लीजिये कि बावजूद मोरटेलिटी, बावजूद माइग्रेशन के जब ये भेड़-बकरी वाले चराने जाते हैं ठेठ यू. पी. गुजरात और भरतपुर और भीलवाड़ा में, उपाध्यक्ष महोदय, 71 में तो, हमारे मुख्य मन्त्रीजी उस एजीटेशन में शरीक थे।

एक माननीय सदस्य : अब बांसवाड़ा जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, बांसवाड़ा तो पहले भी माइग्रेशन रूट था।

श्री रामसिंह विश्नोई ने उधर आ जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब आप बन्द करेंगे, अब हम बन्द इसलिए करेंगे कि जब उस पास्चर लैण्ड में हम पानी दे सकते हैं और पीने के लिए पानी उपलब्ध करा सकते हैं, अब आप लोगों को उधर आना पड़ेगा और यों भी सम्पतसिंह जी तो कह रहे हैं, जब थोड़ी बहुत चर्चा की थी, भई वहां पर जो लोग हैं, वैसे भी नॉन एण्टिटीज हैं जो यू. पी. की तरफ, आप लोग कहते हैं कि हम लोग करते हैं,

श्री मोहन प्रकाश : फैसला कर लेंगे, यू. पी. में चले जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, यू. पी. में दुख पाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करने का मतलब है आपके पास जमीन है जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और 1 लाख 45 हजार में ही आपका डेढ़ मिलियन हैक्टर का पास्चर लैण्ड। यदि आपके इधर फलोदी में, जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, चूरू में अगर जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि साहब आप इसको कम्प्रोमाइज करिये लेकिन आपके पास लाखों करोड़ों हैक्टेयर जमीन पड़ी है जो उपजाऊ जमीन है, स्टीडी जमीन है आपको सी. ए. डी. में लाने के लिए इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फैसिलिटीज अवेलेबल है, मण्डी अवेलेबल है, रोड्स अवेलेबल है, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो आप उस पानी को लाकर पधारें और ग्रास लैण्ड को डवलप करावें।

श्री शोपतसिंह : जिनकी जमीनें हैं वे लोग कहां जायेंगे। They are more important.

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, यही तो अर्ज कर रहा हूं रुकिये, शोपतसिंहजी, सी. ए. डी., सी. सी. ए. मैं नहीं कहता कि ग्रास लैंड को प्रिजर्व करने के लिए या पानी उपलब्ध कराने के लिए सी. सी. ए. कम्प्रोमाइज करायें, 110 पर्सेन्ट से 80 पर्सेन्ट पर पधारेंगे तो आपका कल्चरल, कमाण्ड एरिया फ्रोम देट ग्रास कमाण्ड एरिया वहाँ कल्चरल कमाण्ड एरिया एक्च्युअली बढ़ेगा। आप जो बार-बार फरमा रहे हैं यूटिलाईजेशन का आस्पेक्ट, उपाध्यक्ष महोदय, हर समय ये ही बिन्दु आते हैं। पिछले पाँच साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं और मेरा खयाल है मेरे से पहले यहां विराजमान, रामसिंहजी इत्यादि, राजस्थान कैनाल जो मानी जाती है और अब इन्दिरा कैनाल, जितनी बार इस पर चर्चा होती है भले ही दिल्ली में हो, राजस्थान में हो या इण्टरनेशनली हो, आता है कि साहब यूटिलाइजेशन तो पूरा है, कहां पूरा है ? साहब सेकिण्ड फेज और फर्स्ट फेज, या सेकिण्ड फेज में। आज माननीय देवीसिंहजी साहब ने भी इसका जिक्र किया। जब जनता पार्टी का पीरीयड था ढाई-तीन साल का, तो उस पीरीयड में पोल की या पैसे की कमी थी, कुछ भी हो 0·01 यूटिलाइजेशन हम लोग आये तो करीब भाग-दौड़ करके और उसको डेढ़ दो में ला दिया लेकिन फिर भी डेढ़ दो जो, माननीय सी. पी. जोशी पहले बता रहे थे तो आज किसी प्रकार से वहां एक प्रोग्राम बना दें या प्रोजक्ट बना दें Do he have to continue to bang our heads agacinst walls ? उपाध्यक्ष महोदय, it is a fact of known कि आप नेचर

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

को चैलेन्ज नहीं कर सकते, जहां कहीं आपने किया, भले ही आपने जयपुर में किया, सन् 81 में जो फ्लड आया था वो फ्लड वाटर वहीं रहा जहां अमानीशाह का नाला पहले पूरा खुला हुआ था। देअरफॉर, इस सरकार के तीन सुझाव हैं कि.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी डिमाण्ड पर तो बहस का जवाब देते माननीय मन्त्री महोदय,

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी तक भूमिका दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन मुद्दों पर जवाब देते कि जो मुद्दे सरकार ने तय कर लिये हैं, जिनके लिए बजट प्रावधान किया गया है उस पर बहस होती। राजस्थान नहर योजना में परिवर्तन करने का न तो अभी मन्त्रिमण्डल ने कोई निश्चय किया है, न सरकार ने इस बारे में जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उनके बारे में कहा, तो जो बात अभी सरकार ने तय नहीं की और जिसके बारे में चर्चा यहां नहीं आती है, या तो मन्त्री महोदय यह कहें कि सरकार ने नीति परिवर्तन कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन बिन्दुओं पर बोलें माननीय भाटी साहब।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब तो वो देंगे ना अपने तरीके से।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को तो बीच में बोलने की आदत है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय घनश्यामजी, मैं अभी तक तो उन मुद्दों पर बोला हूं जिन पर 83 में केबिनेट का डिसीजन हो गया.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो बदल गये ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, माफ करिये और वो. सी. डब्लू. डी. से पास भी हो गया। और उसमें ये सब बिन्दु आये जो माननीय केदारजी ने फरमाये और उसमें इन टर्म्स का जिक्र हुआ।

श्री शोपतसिंह : yes sir carry on.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हार्ड पेन का जिक्र हुआ, आप सीकर में विराजते हैं, या तो आप बहुत खुश हैं कि सीकर में हम पानी पहुंचायेंगे.......

एक माननीय सदस्य : तीन आदमी तो बैठे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसके आधार पर आप यह बोल रहे हैं कि जो चीज यहां पर डेवलप की जा रही है अमेरिका में ग्रास लैण्ड और देखने से जिस ढंग से जैसलमेर में उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, नेचर से लड़ना मुश्किल है। यह सारी बात क्या

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सरकार ने तय कर ली है ? आप जैसलमेर में ग्रास लैण्ड को ही डवलप करेंगे वहां पर इरिगेशन नहीं होगा वहां पर पीने का पानी ही देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले उत्तर सुन लें। पहले जवाब देने दें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं यह बात नहीं है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं you will permit me.

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे फोर्ड की 76वीं रिपोर्ट में

"It is proposed to exclude about 250000 hectares owing to high and closely spaced sand dunes from the Rajasthan Canal gravity flow, stage II, project 75, as these areas connot be made productive without very substantial. Investments over a long period of time".

श्री हरिशंकर भाभड़ा : It is a different point.

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No, No I am coming to your point.

Where there is not a hard pan, and the hard pan is where the grasslands do not exist.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जैसलमेर में भी कुछ एरिया है जहां कि आपकी नहर जा रही है उसके दोनों तरफ ग्रास लैंड का एरिया नहीं है। कुछ अर्थ वर्क हुए हैं जैसे आपके यह तूंगा के पास जो एरिया है यह आपके जैसलमेर के नीचे हिस्से में जहां यह जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहां पर हार्ड बैल्ट एरिया नहीं है पर वहां पर इरिगेशन भी काफी ज्यादा तादाद में होगा। सरकार का कोई मन नहीं है कि बिलकुल ही ब्लैन्कट छोड़ दिया जाय यह आर्डर कर दिया है। We don't want people of Jaisalmer to be deprived of their share.

श्री केदारनाथ : तो आपके यह ओब्जेक्शन हैं इन्दिरा गांधी नहर के बारे में। जो प्रायोरिटीज बदलने के बारे में' जो ट्रडीशनल प्रायोरिटी जो थी उनको बदलने के लिए यह आपके खुद के डिसीजन्स हैं या.......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह डिसीजन्स तो केदारजी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि 83 में ही हो गये थे। इसके अन्दर थोड़ा बहुत होगा तो उसके लिए केबीनेट निर्णय करके पास करेगी। मैं तो आपको एक मुद्दा है वह बता रहा हूं। इसमें I am talking about Indira Gandhi Canal, 1983, जो कि पहली बार प्लानिंग कमीशन में एक नोट भेजा गया था उसके हिसाब से तय हो गया।

(व्यवधान)

जी। तो आप उस एरिया का दौरा करें, उस एरिया से परिचित होइये।

श्री शोपत सिंह : आप ऐसी व्यवस्था कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : With pleasure.

श्री शोपत सिंह : It is very serious.

हम लोगों ने इस एरिया को देखा ही नहीं है यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एरिया है। उस एरिया में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं जो माननीय सदस्य जाना चाहें वह लोग उस एरिया को देख सकें उसकी व्यवस्था आप करायें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एग्रीड।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शोपतसिंह जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करते हुए.......

श्री शोपतसिंह : जो लोग देखना चाहें उस एरिया को।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो खुद आपको इन्वाइट कर रहा हूं मैं तो कहता हूं कि आप पधारो।

श्री शोपतसिंह : आप तो पांच चार जायेंगे मोटर कार में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह दो-तीन पॉइन्ट ऐसे कॉमन आये जिसको काफी माननीय सदस्यों ने काफी एन्यूटी का जिक्र किया था जैसे लूणकरणसर का जिक्र किया। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं और मैं एग्री करता हूं कि कुछ लूणकरणसर के मामले में डिफेक्ट रह गये हैं वह डिफेक्ट हमें सुधारने की व्यवस्था करनी है, करनी चाहिये और हम उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : कब तक ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्ज किया कि लूणकरणसर अगर जैसा हुआ देवीसिंह जी you are a cultivator,

जितना शार्टकमिंग्ज हुए उसमें एक बिन्दु पर जिक्र हुआ उस पोइन्ट पर जिक्र करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवा नो बजे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह तो आप आज ही फसे हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर लूणकरणसर में जो क्वान्टम आफ पेयजल है वह लूणकरणसर में ठेठ आफ टेल से लेकर बीकानेर को जितनी पेयजल की सप्लाई होती है वह सप्लाई अगर नहीं होती तो वहां पर लूणकरणसर अकेले एरिया में जो :0 प्रसेंट आफ क्वान्टम पानी जनता के लिए पहुंचाने के लिए आपको कम से कम 1250 करोड़ या 1300 करोड़ रुपये एन्युअली खर्च करना पड़ता।

श्री केदारनाथ : तो इस कास्ट पर आप कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

तो मैं मानता हूं कि रामसर और एक दूसरा पाइन्ट जो खालो के लिए उठाया गया यहां पर, तो खालों की क्या हालत हो हो रही है? वहां पर सेल्टर बेल्ट्स नहीं हैं। अब सेल्टर बेल्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो यह कहते हैं कि यह आप कौनसा रचनात्मक कार्य करने जा रहे हैं, यह चीज नहीं है, यह नई बात नहीं है। यह रिकार्ड पर है आप सेल्टर बेल्ट नहीं रखेंगे तो आपके खाले कुछ काम के नहीं रहेंगे और you please take into consideration, आपको पता है कि वहां पर कैसे आंधियां चलती हैं, किस हिसाब से रेत चलती है। अभी आपके विपक्ष के नेता महोदय वहां जैसलमेर गये थे तो जैसलमेर में उन्हें कम-से कम 20 जगह तो रुकना पड़ा क्योंकि वहां पर बड़े-बड़े सनड्यूज हैं, वह इस एरिया में बड़े भयानक हैं। तो अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो जो माननीय सदस्यों ने कटमोशन्स भेजे हैं उनके रिप्लाई में सेटिसफैक्ट्रीली भेज दूंगा और चूंकि मेरे दूसरे साथी यहां पर विराजमान हैं और he is waiting impatiently and he must start.

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पर, उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे हमने उठाये हैं उनका कोई जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : तो आपके इन्टेनशनस ठीक हैं। Your intentions are right ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एबसोल्यूटली ठीक है।

श्री यदुनाथसिंह : तो फिर खत्म करते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद अर्ज करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को जिन्होंने बड़े पेसेन्टली मेरी बात को आपने सुना।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इसमें आपने जो उत्तर में कहा इसमें यह बात सही है कि तीन क्यूसेक पानी.......

(व्यवधान)

यह जैसलमेर की लैण्ड जो कि बहुत सैण्डी है उसमें सफिशियन्टली इरिगेशन नहीं हो सकता है यह मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय प्रोफेसर साहब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं

श्री केदारनाथ : आप डिटेल में नहीं जावें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें एक्चुअली मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में क्रोपिंग पेटर्न में or the research carried out by the Research Institute, यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। और जब आपने जैसलमेर में करना शुरू

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कर दिया तो It is inevitable. but it was done in the first stage, लेकिन सेकण्ड और फर्स्ट फेज से लैस न मिलेगा वह यह है कि बड़ा रिविलिंग है उसको, हम रिपीट नहीं करना चाहते है because they were very indicative, आज पंजाब में 50 प्रतिशत हालत सब सोइल कि वहां फर्स्ट स्टेज में ही हो गयी ।

श्री यदुनाथसिंह : इंटेसिटी पचास-साठ प्रतिशत रहनी चाहिए वर्ना जमीन बेकार हो जायेगी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Based on the recommendations that we have received, we will look to raies of in tensity. 1983 का यह निर्णय था और उसी के मुताबिक से क्राप पैटर्न होगा। भले ही वह आयल सीड पर हो, टोपोग्राफीकल हो, उस क्राप पैटर्न में वही इटेसिटी थी···

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ-एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने स्पेसिफिक चार्ज लगाये करप्शन के बारे में जो कोई छोटे-मोटे नहीं, लाख-दो लाख के नहीं, बीस-बीस लाख के। यह स्पष्ट हो गया है और प्रेस के अन्दर और कई दफा यहां चर्चा भी हो चुकी है। जैसे देवा कांड हुआ, उसके बारे में स्पष्ट नहीं बताते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने पूर्व में फर्स्ट स्टेज के सिस्टम डवलप किया है उसके अन्दर भी आप पानी नहीं दे रहे, पहले भी नहीं दिया। जहां सिस्टम विकसित हो चुका है। जहां पर भूमिहीन किसान बस चुके हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिले, उनके लिए क्या करने जा रहे हैं ? जहां-जहां आपने जो कैनाल का सिस्टम बनाना चालू किया है, सेकंड स्टेज के अन्दर, उसके अन्दर आपका पूरा सिस्टम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि पांच साल पूर्व उसका अर्थ वर्क हो चुका था। उसमें लाइनिंग नहीं हुई और पैसा वेस्ट गया है उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया है। वह करोड़ों रुपया जो अर्थ वर्क में खतम हो चुका है उसको सिक्योर लाइनिंग करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। उसको डवलप करने के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं जो सिस्टम डवलप नहीं हुआ उस क्षेत्र की रिपोर्ट आपने कालोनाइजेशन को दे दी। यह क्षेत्र तैयार है, यह सिस्टम हमारा डवलप हो चुका है और मौके पर कैनाल ही नहीं बनी, यह काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके साथ इरिगेशन के चार्जेज और पेनल्टीज़ लगाई जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा कि आपके विभाग की गलती है। उसके उपरान्त भी सी. ए. डी. कमिश्नर ने कई बार मीटिंग बुलाई, पूर्व के मन्त्री ने भी मीटिंग बुलाई थी। जिसमें चीफ इंजीनियर सी. ए. डी. के कमिश्नर थे। उसमें कई बार चर्चा होने के उपरान्त आप तय नहीं कर रहे हैं कि आपका सिस्टम बनाया जो चुका है या नहीं ? सिर्फ पेपर वालों को रिपोर्ट भेज देते हैं, हमारा सिस्टम बनाया जा चुका है, जबकि मौके पर कैनाल बनाई जानी है, उसके लिए भी आप पेनल्टी इरिगेशन चार्ज लगाते हैं। उसके लिए कृपया स्पष्ट करें और अपने अधिकारियों को निर्देश

(श्री देवीसिंह भाटी)

दें कि जो सिस्टम नहीं बना है, गलती हो चुकी है तो उसको सुधारें, काश्तकारों को नहीं मारें। जिन्हें पीने का पानी नसीब नहीं है। सिस्टम आपका डवलप नहीं हुआ, यह स्पष्ट नहीं किया।

आप जो वाटर कोर्स बना रहे हैं उसके लिए भी स्पष्ट नहीं किया। उसके लिए अलग-अलग, जैसे लूणकरणसर की रिपोर्ट में में बताया है, हम कोई चार्ज नहीं लगायेंगे। दूसरी तरफ आपने कोटा में चम्बल एरिया में भी नहीं लगाया, जो अन्य राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र हैं, वहां पर भी काश्तकारों से वाटर कोर्स की कीमत नहीं ली जाती। एक तरफ आप वाटर इंटेसिटी कम करने जा रहे हैं, पानी आपका सरप्लस होगा, काश्तकार वहां रहते है, वही काश्तकार जिनके दो मुरब्बे बीच में निकलते हैं। तो वाटर कोर्स एक-सा होना चाहिए जबकि आप दोनों से डबल कास्ट लेते हैं और जो काश्तकारों से सीधे सम्बन्धित पानी की समस्या है उसके बारे में स्पष्ट करें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भाटी साहब यू. तो मैंने अर्ज किया था कि बिल्कुल डिटेल्स में उत्तर दे रहा था, लेकिन करप्शन का अर्ज करूं...

श्री शोपतसिंह : आप भ्रष्टाचार वाली बता दो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने 1983 आफिसर का जिक्र किया था, मैं भी उससे उतना ही फैमिलियर हूं जितने आप हैं, उसके बाद में अर्ज करूं.......

श्री शोपतसिंह : उसके बाद जो प्रोग्रेस की गई उसके बारे में कहें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : रामसिंह आयोग ने जो सजेशन दिया था मैं अर्ज करूं आप आफिसर के बारे में नहीं सुनना चाहते तो मत सुनियेगा। रामसिंह आयोग ने सजेशन दिया था कि एक आफिसर चीफ इंजीनियर रैंक का या चीफ सेक्रेटरी के रैंक का आप नियुक्त कीजिए जिसका काम यही हो he is vigi'antl technically sound etc. वह उस पर ध्यान देगा वह एडीशनल चीफ इंजीनियर के रैंक का आफिसर not at the canal zone but with Board here in Jaipur,, वह आदमी आज भी बैठा है उससे कुछ फायदा भी हुआ है और जैसा आपने 1126 और 1195 का जिक्र किया, आज वह रिपोर्ट माननीय ललित जी ने पेश की थी। वह रिपोर्ट उनके पास है। जैसे वह रिपोर्ट देंगे, मैंने परसों आदेश दिया है, मुख्य मन्त्री जी के पास रिपोर्ट गई थी, हमने आदेश दिया कि 14 दिन के अन्दर-अन्दर आखिर जांच कमीशन बैठा है, तीन सदस्यों का बैठा है वह जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं देगा, शोपतसिंह जी आप जानते हैं भाभड़ा साहब भी जानते हैं.... What action can I take ? फलो रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट बनायेंगे, You will have to produce actual charges कि साहब यह-यह फाल्ट्स हैं।

श्री शोपतसिंह : What is this Deva ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देवा की बात आई, वहां गलतियां हुई हैं। आज की तारीख में भी वह बोर्ड बैठा है और जैसे

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

ही इन्क्वायरी रिपोर्ट हमारे पास आयेगी I will defintely take action against those officers. There is no hesitaion. आप खालों का फरमा रहे हैं, कुछ फर्स्ट स्टेज में और कुछ सेकंड स्टेज में भी दिक्कत आई है। आपका डेपुटेशन मुख्य मन्त्रीजी से मिला था। शायद इन्दौरा जी और अश्क अली जी लेकर गये थे, उन पर भी कुछ निर्णय लेंगे, सी. ए. डी. वाले भी बैठेंगे। सरकार की ऐसी कोई इंटेशन नहीं है। देवीसिंह जी, आपकी ड्यूटी है आपने तीस-चालीस बिन्दु उठाये। आखिर हमारी यह एजुकेशन है It is humanly impossible even for a Minister to see every foot and every point and find out कि क्या इर्रेगुलर्टीज हुई हैं। You are chosen by the people, आप मुद्दे उठायेंगे उससे हम एजुकेट होंगे. हम एक्शन लेंगे। आप मानकर चलिये डिटेल्स में·······

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि आपकी फर्स्ट स्टेज में····

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बहुत जरूरी है, आपके ध्यान में नहीं है। आपकी सेकंड स्टेज में आपका सिस्टम डवलप नहीं हुआ यह मेरा मुख्य मुद्दा है. आपका भरलालपुर ब्रांच और छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्दर जैसा आपने कहा था 1980 में पूरा हो जायेगा, उसकी लाइनिंग नहीं हुई······

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : डिसक्शन कर लेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने रिपोर्ट नहीं देखी, चक प्लान हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं आप इसके लिए स्पष्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लिखित में आ जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : लिखित में क्या आ जायेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसी विभाग से उत्तर आया हुआ है कि आपके विभाग की रिपोर्ट है

(व्यवधान)

Do't disturb me. मैं यह स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि इस प्रकार की जानकारी आपने दी है उसके लिए आप निर्देश दें कि अगर विभाग से गलती हुई है, मैं यह नहीं मानता कि गलती नहीं होती, तो उसे पूर्ण करने के निर्देश दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अगर गलती हुई है तो हम सुधारेंगे।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, एक विनती हमारी सुन लीजिये, आपने हमको बोलने नहीं दिया। सिंचाई मन्त्री जवाब देंगे। सिर्फ एक चीज का जवाब चाहता हूं······

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले सिंचाई मन्त्री का जवाब शुरू हो जाये, जब जवाब आ जाये तब आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो वह दे दिया जायेगा। आप उत्तर सुन लीजिये, जवाब बाद में हम दिलवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : जो धौलपुर में लिफ्ट सिंचाई योजना है जिसका सर्वे हो चुका है उसके बारे··· ··

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्रीजी जवाब दे देंगे, आप तब प्रश्न कर लेना।

श्री मोहन प्रकाश : हम तो बोल ही नहीं पाये। आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया तो जवाब क्या देंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं बोलें······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय सिंचाई मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बजट की मांगों पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार रखे, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं राज्य सरकार उन सुझावों के अनुरूप अपने-आपको उनकी दिशा में, सिंचाई को सक्रिय करने के लिए कदम उठायेगी। आप सब जानते हैं कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक तक या यह कहूं कि 1951 से लेकर 1980 तक हमने लगभग 1000 लघु सिंचाई परियोजनायें पूर्ण कीं, जिनके द्वारा 1 लाख 40 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 204 लघु सिंचाई योजनाओं पर काम चल रहा था और छठीं पंचवर्षीय योजना में 88 नयी परियोजनाओं को लिया गया जिनसे 263 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। इन परियोजनाओं से लगभग 53 हजार हैक्टर सिंचाई की नयी क्षमता हमने बढ़ाई है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे, और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि सिंचाई पर राजस्थान सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं गया। मैंने उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए 1951 से 1985 तक राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में जो कार्य किये हैं उनकी जानकारी अभी उपलब्ध कराई है। छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में चम्बल क्षेत्र की परियोजनाओं, चम्बल लिफ्ट की योजनाओं, 14 मध्यम परियोजनाओं, 30 आधुनिकीकरण योजनाओं एवं 92 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा था और इस पर हमने लगभग 164·40 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि गुड़गांव का कार्य काफी लम्बे समय पूर्व शुरू कर दिया, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़गांव नहर का कार्य 83–84 में पूर्ण कर लिया गया है। केवल सिंचित क्षेत्र विकास का कार्य शेष है, जो प्रगति पर है। इस नहर के द्वारा 28 हजार हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई करने की क्षमता है किन्तु उत्तर-प्रदेश में यमुना नदी पर ओखला बेराज बनने के उपरान्त ही पूरा पानी हमें उपलब्ध हो सकेगा······

श्री यदुनाथसिंह : शेयर्ड वाटर तो है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नोट कर लीजिए। बाद में शंका समाधान कर लें। बीच में नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सातवीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में योजना आयोग ने चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने के लिए हमें सलाह दी है ताकि शीघ्र फल हमें प्राप्त हो सके, उसके अनुसार माही योजना के लिए 15 करोड़ रुपया, चम्बल के लिए 2 करोड़ रुपया, वृहद् परियोजनाओं के लिए 6 करोड़, मध्यम परियोजनाओं के लिए लगभग 15 करोड़ रुपया, आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए करीब 4·70 करोड़ रुपया, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 6·30 करोड़ रुपया, बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 1·75 करोड़ रुपया तथा अन्य विविध कार्यों के लिए 1·65 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है। इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर में भी 47 हजार हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई सृजित किये जाने का हमने लक्ष्य रखा है। यही नहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना में बीसलपुर, दरदहा, कानोता, सूकली, चोली एवं बाड़ी इन 6 योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। गत 6 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत काफी संख्या में सिंचाई साधनों का निर्माण हुआ है परन्तु निर्मित क्षमता का अभी तक हम उपयोग नहीं कर पाये हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो क्षमता हमने निर्माण की है उसका वास्तविक उपयोग हो। इसके लिए इस बार विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों की चिन्ता इस बात पर थी कि सरकार लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जमुवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि राज्य सरकार की यह नीति बी. सी. रेशो के आधार पर जो लघु सिंचाई योजनाओं के प्रोजेक्ट स्वीकार किये जाते हैं उससे पूर्वी राजस्थान के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह फैसला किया है कि लगातार कुओं के पानी के स्तर को गिरते हुए देखकर एनीकट्स और लघु सिंचाई के काम हाथ में लिये जायें और उसमें जो बी. सी. रेशो का प्रतिबन्ध है उसमें रिलेक्शन कर दिया जाये और ऐसे कामों को हाथ में लिया जाकर लघु सिंचाई क्षेत्रों को विकसित किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब से लागू करेंगे ? परसों ही आपने कहा था कि बी. सी. रेशो में नहीं बैठता तो नहीं होगा और आज यह कह रहे हैं। ऐसी घोषणा कई बार हुई है। इसको इसी वित्त वर्ष से लागू करेंगे या अगले वित्तीय वर्ष से ? स्पष्ट घोषणा कीजिये आप। तीन वर्षों से तो माथुर साहब ऐसी घोषणा कर रहे थे। इसी वित्त वर्ष से लागू करेंगे या अगले वित्त वर्ष से-आप तो यह बता दीजिए। शिवचरण जी यह कहते कहते चले गए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न यह है कि यह योजना कब से लागू की जाये ? यह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे प्लान में हमको कितनी धनराशि उपलब्ध होती है……

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह है बात।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ……लेकिन जहां तक नीति का प्रश्न है, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने नीति बनाई है कि कुओं के जल स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से एनीकट के निर्माण कार्यों का वह चाहे एन. आर. ई. पी. के तहत हों, चाहे आर. एल. ई. जी. पी. के तहत हों या किसी और योजना के तहत हो, ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी और अधिक से अधिक इस बात पर ध्यान दिया जायेगा।

राजस्थान सरकार ने इन सारे कामों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है और ऐसे कामों को 1667 काम हैं जिनको मास्टर प्लान के अन्तर्गत इन्क्लयूड किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 16,0815 लाख रुपया है और हम उम्मीद करते हैं कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 1,32,514 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया कि जलाई डेम का जो पहले बजट पेश किया था, मार्च में उसमें 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था और अभी जो परिवर्तित बजट है, उसमें उसको एन्टर नहीं किया गया है उन्होंने यह आरोप लगाया कि शायद वे विपक्ष से जीतकर आये हैं इसलिए विपक्ष के सदस्य होने के नाते इनकी इस योजना को छोड़ दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार विकास के काम में भेदभाव नहीं करना चाहती है और सरकार अपनी नीति के आधार पर और उसूलों के आधार पर चलना चाहती है………

(व्यवधान)

मैं आ रहा हूं जरा तसल्ली रखिये। आपको जल्दी है मुझे मालुम है लेकिन दो चार मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं… मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था। जहां तक विकास का सवाल है बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि भीलवाड़ा जिले में वापिस अकाल की स्थिति है और अकाल-ग्रस्त क्षेत्र का जिस तरह से माननीय सदस्य रामपाल जी मन्त्रि-मण्डल के सदस्य है, के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है उसी अनुपात में आपके क्षेत्र में लाभ पहुंचाया जायेगा। हमारी नीति रहेगी कि विकास के जो काम हों उनको माननीय दृष्टिकोण से देखेंगे उसमें भेदभाव की नीति नहीं बरतेंगे….

एक माननीय सदस्य : प्रोविजन कितना था?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस समय 5 लाख का इसमें प्रावधान किया गया था जब हम प्लानिंग कमीशन में गये हुए थे और वर्किंग ग्रुप के सामने हमारा 14 करोड़ रुपये की लघु सिंचाई योजना के लिये प्रस्ताव था। वह प्रस्ताव लघु सिंचाई योजना का प्लानिंग कमीशन ने कम कर के 6 करोड़ 30 लाख कर दिया। उससे मजबूर होकर अन्य योजनाओं में कटौती करने के साथ-साथ इस योजना में भी कटौती करनी पड़ी और दो लाख की अन्य योजनाओं के साथ इसको रखा गया। इसलिये भेद-भाव का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है………

श्री शोपत सिंह : हरियाणा से पीछा कब छुड़ाओगे हमारा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हरियाणा तो ऊपर है, रहेगा ही। गंगानगर को वहां से हटा नहीं सकते हैं। आपके पास कोई उपाय हो, सुझाव हो तो आप दीजिये····

एक माननीय सदस्य : यह तो आपके पास जाना चाहते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहाजपुर से आने वाल माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। मैं जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के इलाके के काम-काज की बात कही है, उनके सम्बन्ध में उनके कटमोशन्स के आधार पर लिखित रूप से उत्तर तो भेज दूंगा। केवल नीति के सम्बन्ध में कुछ बातें यहां कही गई हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बार उन योजनाओं को पूरा करेगी जो पोटेंन्शियल हमने क्रियेट किया है उसका पूरा उपयोग करेंगे। हनुमानगढ़ से जाने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता है······

श्री शोपत सिंह : आपके घर में रोटियां वाली हैं हमारे तो होटल बन्द हो जायेंगे, सुबह से बैठे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करूं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का पुन: आभार प्रदर्शिद करता हूं।

श्री केदार नाथ : जो इन्टर स्टेट एग्रीमेंट हुआ है·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक कर के, कृपया।

श्री सी. पी. जोशी : All deemen to be replied.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर केदार जी।

श्री केदार नाथ : जो इन्टर स्टेट एग्रीमेंट्स हो गये हैं रावी व्यास के बारे में, चम्बल के बारे में और और गुजरात के साथ हमारी नर्मदा के बारे में। आप थोड़ा इनका खुलासा कीजिये। जो फैसले आप के खिलाफ हैं जैसे रावी व्यास का फैसला हुआ है, पंजाब को आपने पानी दे दिया कब वापिस आ जायेगा और फिजिकल कन्ट्रोल हैड वर्क्स का व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड को कब मिल जायेगा ? जब भी आप मीटिंग करो।

श्री मोहन प्रकाज : गंगा-जमुना के पानी के बारे में भी थोड़ा साफ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो कह दिया। एक लाइन पढ़ कर अर्ज करना चाहता हूं। आपका जो गुड़गांवा कैनाल का प्रोजेक्ट था, उस पर एक हजार एक सौ चौहतर लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। उसमें से कुल 35 लाख रुपये खर्च हुये हैं और आपका लक्ष्य 28,200 हैक्टेयर भूमि सिंचाई करने का रखा गया, 24000 हैक्टेयर खरीफ में।

(श्री सम्पतसिंह)

खरीफ में बारिश का पानी होता है और वह भी हरियाणा का सरप्लस पानी है। वहां की फैक्ट्रियों का गन्दा पानी है। यदि वह नहर में डाला जाता है उससे भला कोई सिंचाई करेगा अपनी जमीन की? खरीफ में तो बारिश का पानी आता है। रवी में आपने रखा है 4000 हैक्टेयर यह सिंचाई होगी। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा यह सिंचाई, हमारी अगर जानकारी के लिये फरमा रहे हैं इस सदन में तो इससे बदतर कोई हालत हो ही नहीं सकती। इतना रुपया लगाया आपने सिर्फ खरीफ की सिंचाई के लिये। एक भी बीघा जमीन में गुड़गांवा नहर से सिंचाई हो रही हो, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, तो मैं स्तीफा दे दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने यह नहीं कहा, सिंचाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे पुस्तिका मिली है। बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये जो लिखा गया है वह केवल यह कहते हैं कि घग्घर बाढ़ नियन्त्रण कार्य और जयपुर बाढ़ नियन्त्रण कार्य.......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। समय बहुत हो गया। कृपया एक-एक मिनट

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं जयपुर में बाढ़ बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इसमें कोई बाढ़ नियन्त्रण कार्य जयपुर में किया हो उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आप आश्वस्त करेंगे जयपुर में बाढ़ नियन्त्रण कार्य है उसमें इस वर्ष में काम किया जायेगा या नहीं किया जायेगा? नं. दो. जहां-जहां जयपुर जिले में पहाड़ी इलाका है उसके सहारे भूमि गई है। मेरे यहां एक-एक गांव के दो-दो हिस्से हो गये हैं ऐसे इलाकों में भूमि कट संरक्षण का कार्य किया जायेगा या नहीं किया जायेगा या केवल यहां मरु विकास कार्य चल रहा है वही कार्य होगा? यह मेरी दोनों शंकायें हैं, इनका आप निवारण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन यह कर रहा था कि वास्तव में मन्त्री महोदय ने जो सारी बातें कहीं, ठीक कहीं। माण्डल पर ध्यान बिल्कुल नहीं गया। मेरा विचार माण्डल पर ही है। मैं तो वही सुनना चाह रहा था इसलिये बैठा हुआ था। माण्डल का मैंने एक निवेदन किया, बीसल एनीकट स्वीकृत है उसमें बजट दिया हुआ है और मन्त्री जी और सरकार यह चाहते हैं कि एनीकट बने, बनाने की तो स्वीकृति है। एक लाख रुपया स्वीकृत हो गया और वह चालू नहीं है। चावडिया एनीकट स्वीकृत हुआ और वह चालू नहीं किया गया और संक्शन उसकी समाप्त कर दी गई तो मेरा यह निवेदन है कि आप चालू कर रहे हैं या हमारे भीलवाड़ा जिले के अधिकारियों ने आपको सूचना नहीं दी?

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह ।

श्री विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट सबस पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और जो पुरानी योजनायें हैं, सारे बांध टूट गये और नदी-नाले ये सब बराबर होते चले जा रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट वास्तव में पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है । पश्चिमी राजस्थान के लिये महत्व दिया जाता है। पूर्व राजस्थान के लिये महत्व नहीं दिया जाता है। मदवार ऐसा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में उसमें पानी सीपेज होता है और उसको रोका जाये। जो नाले हैं उनको सीमेंटेड किया जाये जिससे पास का जो क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है, पानी भरा रहता है उसको पक्का किया जावे। तीसरा हमारे यहां पर पानी बंधवा से सरसवर के लिये सप्लाई होता है और उसमें नलों को रोका जाय, उसमें पानी रोका जाये क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं हो पायेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं ……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य……

श्री विजय सिंह : एक मिनट । इसमें एनीकट बनाया जाये । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं……

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री विजय सिंह : मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हू, अजान बांध को थोड़ा चौड़ा किया जाये। अभी रास्ते पर कुछ दिनों पहले ही ट्राली आ रही थी और सुविधा पूर्वक निकल नहीं पा रही थी, मतलब पत्थर टूट गया। बड़ी मुश्किल से व्यक्ति बच पाये हैं। इसलिए इसको चौड़ा किया जाना चाहिये। तीसरा मैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विजय सिंह जी, प्रश्न किये जाते हैं। भाषण नहीं देंगे। मना किया है। आप सिंचाई मन्त्री जी से अलग से बात कर लें। भाषण नहीं। बैठें।

श्री हंसराज मिड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगा कैनाल से लगातार बन्दी आने से फसलें नष्ट हो गई, क्या व्यवस्था हो रही है और पशुओं के लिये चारा भी नहीं है। पंजाब से पानी नहीं आने का कारण क्या है ? पंजाब से जो पानी राजस्थान को आता था वहां उन्होंने नहर तोड़ दी। घग्घर नदी से बाढ़ का जितना पानी आया करता था वह भी कम हो रहा है गंगा-जमुना में जो पानी आया उससे तो कभी फसल पक ही नहीं सकती है। राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे वह, आपने प्रश्न कर दिया, जवाब देंगे। माननीय सदस्य कृपया बिराज जायें।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्दिरा नहर मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा।

(व्यवधान)

समय खतम नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंह जी, वह हो गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय ये तो बोलने के बाद ही बोल सकते हैं। One by one.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ने जवाब दे दिया। अब उसके बाद आप पूछ रहे हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग वाइजर्सिचाई की सुविधा की जायगी, वह मुझे जवाब नहीं मिला है। वह जवाब दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्री जी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अलग से बात कर लीजिये। इसका कोई अन्त नहीं है। भाषण का कोई अन्त नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय रामसिंह जी बैठिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना विचार चेन्ज कर दिया है। सिंचाई मन्त्री जी से पूछ रहा हू।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। बहुत बहस हो चुकी है। बहुत शंका समाधान हो गया है। आप तो बहुत सीनियर सदस्य हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : तभी तो उपाध्यक्ष महोदय, तजुर्बे का फायदा उठा रहा हूं। भाखड़ा नहर और इन्दिरा गांधी नहर पंजाब से गुजरती है। पंजाब सरकार ने हैड वर्क्स पर कन्ट्रोल कर रखा है। मैनेजमेंट बोर्ड का कोई कन्ट्रोल नहीं है। राजस्थान सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कई बार मैनेजमेंट बोर्ड को कन्ट्रोल देने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को निवेदन किया है लेकिन अभी तक राजस्थान को इसमें सफलता नहीं मिली है। क्या आप इस बारे में कोई विचार कर रहे हैं? आपको यह भी मालूम है कि इस साल में दो-तीन महीने तक राजस्थान नहर में पानी नहीं आया। किसानो की फसल नष्ट हो चुकी है और गढ़रा रोड तक आप इस नहर को ले जाना चाहते हैं, तो क्या आप सक्षम होंगे की इस नहर के अन्दर कितना पर्सन्टेज, कितना पानी का हिस्सा मिलना चाहिये? उस पानी को लेने में जब तक पंजाब सरकार का कन्ट्रोल हैड वर्क्स पर रहेगा, आप क्या उस पानी को लेने की स्थिति में हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश जी।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैंने सिर्फ पाइन्ट रखा है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो चम्बल का जल है, गंगा जमुना के जल के बाबत·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपय भाषण नहीं, संक्षेप में रखें।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में रखें।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं गंगा-नगर के जल के

(श्री मोहन प्रकाश)

बाबत 79 के बाद आपने कोई कार्यवाही नहीं की और अब रीसेन्ट रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिसिजन लिया है कि क्योंकि आगरा में पेयजल की समस्या है इसलिये राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो बोर्डर है वहां से वो पाइप लाइन ले जाकर चम्बल के जल से आगरा की जल समस्या को दूर करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी और आज आप अगर चम्बल के जल का उपयोग नहीं करेंगे और उनकी योजना मंजूर हो गई....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री मोहनप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटा यह हाउस चलेगा।

(व्यवधान)

मैं आपसे इस बात का निवेदन कर रहा हूं। कि आप अपने पद की गरिमा को बनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई सूचना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें।

श्री मोहन प्रकाश : मैं वह सूचना दे रहा हूं जो पूरे राजस्थान के हित में है। मैं उन डाकूमेण्ट्स को ला सकता हूं। हम ऊपर रहते हैं नीचे चम्बल वह रही है। हम प्यासे मर रहे हैं, हमारे खेत सूखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो बोर्डर है वह एक नहर है। इधर के लोग भूखें-प्यासे हैं, खेत सूखे हैं और उधर के खेत हरे-भरे हैं। सिर्फ इस राजस्थान सरकार की नीतियों की वजह से मैं आज सूचना देने खड़ा हो रहा हूं और इधर सचेतक महोदय को एतराज हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरा तो मुंह बन्द कर सकते हैं लेकिन अक्टूबर के बाद ये इलाके राजस्थान में रहने वाले नहीं है सिंचाई मंत्री जी मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ये सारे लोग वल्लभनगर जाकर पद यात्रा करेंगे। यह न सोच लीजियेगा आप कि इस तरीके से अगर लगातार बोलने नहीं देंगे, सूचना भी नहीं देंगे और जब कभी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हू, आपने सूचना दे दी।

(व्यवधान)

श्री मोहनप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई धौलपुर के इरिगेशन के बारे में भाषण नहीं दिया। मै पूरे राजस्थान के हित के बारे में एक सूचना देना चाहता था उसमें भी मुख्य सचेतक महोदय बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे कह दिया, आप सूचना दे दें।

श्री मोहनप्र.ाश : हम लोगों से यह

Page No.271

(श्री मोहन प्रकाश)

हथकण्डाबाजी नहीं होगी । हम लोग जिस अनुशासन को बना रहे हैं, जिस धैर्य का परिचय दे रहे हैं उसकी और ज्यादा परीक्षा न ली जाय, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्याय : आप सूचना दे दीजिये।

श्री मोहनप्रकाश : अब मुझे कुछ नहीं देना है । इसका जवाब तो मैं कल से चलने वाली कार्यवाही में दूंगा लेकिन ये दो चीजें हैं, आपने गंगा-जमुना का जल अभी लेटेस्ट डा. सुब्रामण्यम हैफ्लड कन्ट्रोल के मामले में उन्होंने यह कहा है कि उत्तर-प्रदेश राजस्थान को या अन्य प्रान्तों को यह गंगा-जमुना के जल में हिस्सा नहीं देगा क्योंकि उसने अपने चैनल बना लिये है। गंगा और जमुना का जो सरप्लस वाटर है, फ्लड वाटर है, उसके अगर चैनल्स निकाल लिये जायं तो उसमें राजस्थान को पानी मिल जायगा । तो भी एक ही रास्ता बचता है जिससे कि राजस्थान का फायदा हो सकता है । यह तकनीकी लोगों को देखना होगा गन्टूर्स के मामले में तभी राजस्थान का हिस्सा बन सकता है । में बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो 1978 में 1976 में यह गंगा-जमुना के पानी को लेने के लिये योजनायें बनीं उसमें भी चूरू है, सीकर है, झूंझुनूं है लेकिन उसमें भरतपुर और धौलपुर नहीं है ।

(व्यवधान)

बहुत थोड़ा सा हिस्सा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस हिस्से का अगर आप उपयोग करेंगे तो बिना किसी खर्चे के जिस बात के लिये उत्तर प्रदेश और बिहार में अरबों रूपयों की प्रति वर्ष तबाही होती है, केन्द्रीय सरकार पर जिसका वजन पड़ता है और यह एक मौलिक सवाल है । राजस्को यह उठाना चाहिये कि कोई भी प्रदेश अपनी कोई भी बड़ी सिंचाई योजना को उस सेन्ट्रल वाटर बोर्ड के मंजूरी कराये बिना नहीं कर सकती है । यह राज्यों को गुलाम बनाने की साजिश है और मैं आपसे कहना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : आप सूचना दे दीजिये। सूचना मिल गई ।

श्री मोहन प्रकाश : मुख्य मंत्री जी आप इस सदन के नेता हैं आप अपने मुख्य सचेतक महोदय को अनुशासन में रखने का काम करें वरना अनुशासन का ठेका केवल हम लोगों का ही इस सदन में नहीं है....

(व्यवधान)

श्री बी डी. कल्ला : नियमों में ऐसा प्रावधान है कि बहस का उत्तर देने के बाद कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है । इस तरह से भाषण कभी अलाऊ नहीं किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : इस सदन से निकाल कर फेंके जाना हमें मंजूर है लेकिन इस तरह से ये हमारी जबान को बन्द नहीं करा सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया विराजें ।

Page No.272

श्री मोहन प्रकाश : अगर आइन्दा अनुशासन इस तरह से तोड़ने का प्रयास किया मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सदन को चलाना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, ऐतराज कोई कर सकता मैंने आपको आज्ञा दी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, मोहन जी। इस प्रकार की धमकी दे करके सारे सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं अनुशासन क्या होता है। हम भी अपने अनुशासन में रहना जानते हैं।

(व्यवधान)

कम-से-कम आप भी इस सदन के सम्मानीय सदस्य हैं। आपको चाहिये कि आप भी अपने-आपको....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजें।

श्री मोहन प्रकाश : अगर मुख्य सचेतक महोदय इस तरह की हरकत करेगा तो इस तरह की हरकत सदन में बर्दाश्त नहीं की जायगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रासन ने आपको स्वीकृति दी है। अब आप कृपया विराजें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो-तीन मुद्दे उठाये थे उनका उत्तर नहीं मिला।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया सहयोग करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने सरकार का उत्तर प्रारम्भ करने से पूर्व निवेदन किया था यदि सब माननीय सदस्य बैठना चाहते हैं और प्रत्येक अपने उत्तर सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य का उत्तर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

रात्रि 10 बजे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक मांडल से आने वाले माननीय सदस्य के तीन प्रश्नों का सवाल है, उसके उत्तर भी मेरे पास मौजूद हैं। मुझे कहीं से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि प्रारम्भ में यह तय हुआ था कि इनको लिखित उत्तर भेज दिया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष : अलग से भेज दें कृपया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यदि आप चाहते हैं तो लिखित में भेज दें नहीं तो अभी बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से कृपया लिखित उत्तर भेज दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो गये। सूचना आप देना चाहते हैं, सरकार आपकी सूचना से लाभान्वित होना चाहती है। कहां प्रश्न है उत्तेजित होने का ? मैं आपकी जानकारी के लिए जो प्रश्न आपने इस सदन में उठाया उसको यहां रखना चाहता हूं। गंगा और जमना के पानी का सवाल आपने उठाया। आपको अच्छी तरह से मालूम है गंगा का कोई सरप्लस वाटर नहीं है····सुनिये····

श्री मोहन प्रकाश : 20.18 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट मैं बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप उत्तर सुन लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा उपकार होगा राजस्थान का। इस शब्द को एक्सपंज किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस शब्द को एक्सपंज किया जाय कि गंगा में सरप्लस वाटर नहीं है।

श्री मोहन प्रकाश : मैं रिपोर्ट बता सकता हूं। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी में राजस्थान का हिस्सा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया उत्तर सुन लीजिए। अगर वह जो उत्तर दे रहे हैं गलत हो तो भी चैलेन्ज करने का दूसरा तरीका है। यह नहीं है। चेलेन्ज करने का दूसरा तरीका है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं यह निवेदन कर रहा था गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है। गंगा सुनिये : एक मिनट के लिए आप। ज्यादा उचक-उचक करने से तो कोई बात नहीं है आपकी बात को हम शांति से सुनते हैं।

श्री मोहन प्रकाश : क्या उचक रहे हैं ? बैठना भी गुनाह है क्या हुजूर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है और गंगा फ्लड कन्ट्रोल पर राजस्थान में फ्लड के सरप्लस वाटर में अपना हिस्सा कायम करने के लिए इस सवाल को गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड के सामने रखा है और····

श्री यदुनाथ सिंह : कब ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब पिछली मीटिंग हुई थी एक साल पहले, तब रखा था और इस सारे मामले को एक टेक्निकल कमेटी बनी है उस टेक्निकल कमेटी में वह मामला भेज दिया गया जिसमें राजस्थान भी उस कमेटी का मेम्बर है। उस टेक्निकल कमेटी की मीटिंग आज होने वाली है और उस मीटिंग की टेक्निकल कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, फिर जो गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड है उसमें वह मेटर रेफर किया जायेगा और उसके बाद निर्णय किया जायेगा कि कितना पानी सरप्लस है और उसमें से राजस्थान को कितना पानी दिया जायेगा। न केवल राजस्थान को बल्कि हरियाणा का भी फैसला उसमें होना है कि हरियाणा को कितना पानी उसमें दिया जायेगा, उसका फैसला भी उसी में होने वाला है। इसी तरह से यमुना के बारे में भी, यमुना के पानी के बारे में भी, राजस्थान ने अपना पक्ष रखा है। वह मामला

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

भी टेक्निकल कमेटी को सुपुर्द किया गया और टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट जो दी है उसमें केवल यह कहा है कि सीकर और झुंझुनूं जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा 0.1 मिलियन। वह फैसला भी अभी अन्तिम नहीं है। वह फैसला, उस टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट फिर जायेगी और उसको अन्तिम रूप से स्वीकार होना है। इसलिए माननीय सदस्य यह जानते हों कि उनकी जानकारी है और सरकार सो रही है ऐसी बात नहीं है। जितनी जानकारी आपको है उससे ज्यादा जानकारी सरकार को है और मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं माननीय सदस्य को....

श्री मोहनप्रकाश : जानकारी तो है लेकिन आप पश्चिमी राजस्थान के लिए....

श्री सी. पी जोशी : आप सुनिये, आपकी बात हम सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 38 की बहस समाप्त होती है, जवाब हो चुका है।

मांग संख्या 46 व 38 का पारण

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,32,22,000 रुपये (तीन अरब आठ करोड़ बत्तीस लाख बाईस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,74,51,000 रुपये (बाईस करोड़ चौहत्तर लाख इक्यावन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नो।

श्री उपाध्यक्ष : मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 1985 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बजकर 6 मिनट पर बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1985 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 150 का विवरण

राजस्व कार्यवाही का विवरण

दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 को चम्बल कालोनी में ग्राम उडोला एवं पंचायत घाट का बराना के ग्रामों को कृषि योग्य भूमि के आवंटन हेतु बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें श्री सन्तुलाल तत्कालीन उप जिलाधीश, बूंदी एवं श्री कल्याणसिंह तहसीलदार के. पाटन ने बैठक में भाग लिया। सरपंच घाट का बराना अनुपस्थित रहे। चम्बल कालोनी में किए गए भू-आवंटन में कुल 12 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी। जिनमें से 11 व्यक्ति अडोला पटवार क्षेत्र के थे। उक्त आवंटन में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों सर्वश्री रामकरण बलाई, रामचन्द्र बलाई पटवार क्षेत्र अडोला एवं श्री छीतर कापरेन को भूमि आवंटित की गई थी। श्री रामकरण बलाई को खसरा न. 944 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा एवं श्री रामचन्द्र बलाई को खसरा नं. 931/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। दिनांक 29-12-82 को हल्का पटवारी द्वारा इन्हें कब्जा भी दिया जा चुका है। श्री छीतर का कब्जा पूर्व में ही था जो बरकरार रहा। आवंटियों के रकबे की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम आवंटो	खसरा नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	ग्राम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धन्ना पुत्र शंकर माली	685	1		बड़ोला
2.	श्री रामेश्वरदास पुत्र पटूदास	855	2	19	,,
8.	श्री लटूर छोटु पुत्र कालु मीना	850	–	16	,,
4.	श्री परमानन्द पुत्र जगन्नाथ मीना	368	9	8	,,
5.	श्री गोपाल पुत्र मोती मीना	582, 303, 304	3	6	,,
6.	श्री मांगीलाल पुत्र काशीराम	275/2	4	—	,,
7.	श्री पन्ना पुत्र मांगीलाल मीना	144, 145, 153	5	8	,,
8.	श्री जगन्नाथ पुत्र हीरालाल	91	3	4	,,

1	2	3	4	5	6
9.	श्री बालूसिंह पुत्र सोगासिंह	319/2	4	15	बड़ोला
10.	श्री रामचन्द्र पुत्र कजोड़ बलाई	931/3	5	6	,,
11.	श्री रामकरण पुत्र गोबरिया बलाई	944	4	8	,,
12.	श्री छीतर लाल पुत्र गेंदीलाल चमार	212	6	11	कापरेत

उपरोक्त के अलावा एक प्रार्थना पत्र श्री पुरुषोतम सिंह सिक्ख का खारिज किया गया। पंचायत घाट के बनाने के किसी व्यक्ति द्वारा भूमि आवंटन हेतु दरखास्त पेश नहीं की गई। ग्रामवासी उपस्थित भी नहीं हुए। बाद कार्य बैठक समाप्त हो गई।

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट 'अ'

तारांकित प्रश्न संख्या 152 की निविदा सूचना

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 13 ( ) पी. । लेखा । सकवि । 83-84/2570 जयपुर–दिनांक 20-2-84

अल्पकालीन निविदा सूचना

विभाग द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु निम्न सामग्री वर्ष 1983-84 के लिये क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदायें दिनांक 6-3-84 को दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं—

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा फार्म का मूल्य
1.	स्लेटें	2,00 लाख	5.000	1000)–	50.00
2.	लालटेन	7000	5.25	4500)–	50.00
3.	कैंची	8000	0.80	1600)–	25.00
4.	गिनती फ्रेम	16000	4.00	8000)–	50.00
5.	साईन बोर्ड	4000	2.25	4500)–	50 00
6.	ढोलक	4600	2 50	5000)–	50.00
7.	अल्युमिनियम बर्तन	—	12.00	2400)–	50.00

उपरोक्त वस्तुओं हेतु निविदा फार्म शर्तों सहित कालम नं. 6 में अंकित राशि का पोस्टल आर्डर अतिरिक्त निदेशक (आई. सी. डी. एस.) के नाम से भेजकर दिनांक 5-3-1984 तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित समय में प्राप्त निविदायें दिनांक 6-3-1984 को अपरान्ह 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। दरें एफ. ओ. आर गन्तव्य स्थान अंकित की जावें।

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदायें रद्द समझी जायेंगी। उपरोक्त सामान की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। आईटम संख्या 3, 5 एवं 7 के लिये उद्योग इकाइयां द्वारा ही निविदा प्रस्तुत की जावें। अन्य फर्मों से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदायें बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरस्त की जा सकती हैं। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि डिमान्ड ड्राफ्ट एफ. ओ. आर. चालान द्वारा जमा कराई जावेगी। नकद या चैक द्वारा प्राप्त धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। कोम्पीटेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म का मूल्य आधा वसूल किया जायेगा।

ह०
निदेशक
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि—

1. निदेशक/जन सम्पर्क विभाग राजस्थान को 8 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन तीन मुख्य समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय एवं राज्य से बाहर) इन्डियन ट्रेड जरनल कलकत्ता तथा पाली एवं सोजत प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में निर्धारित तिथि से पूर्व प्रकाशन कराने का कष्ट करें। साथ ही यह योजना केन्द्रीय प्रवृतित योजना है। अतः भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. निदेशक/उद्योग विभाग को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ प्रेषित है।

3. क्षेत्रीय उप निदेशक (आई.सी.डी.एस.), समाज कल्याण विभाग, डूंगरपुर, उदयपुर।

4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग.......................... को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सामान का अपने स्तर से क्रय नहीं किया जावे तथा आईटम संख्या 5 की कितनी आवश्यकता होगी, सात दिन में सूचित करें। यदि पूर्व में आपने अपने स्तर से आंगनवाडी केन्द्रों से साईनबोर्ड क्रय किये हैं तो क्रय का वर्ष एवं मात्रा से भी सूचित करें।

5. सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग..........—

Page No.279

6. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी..................जिला..........

7. स्टोर कीपर (आई.सी.डी.एस.) को प्रेषित कर लेख है कि निविदादाताओं से निविदा के साथ सेम्पल प्राप्त होने पर सेम्पलों का रजिस्टर में इन्द्राज कर रेकार्ड संधारित करें।

8. केशियर (आई.सी.डी.एस.), मुख्यावास।

ह०
अतिरिक्त निदेशक (आई.सी.डी.एस.)
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 'ब'

दिनांक 4-4-84 को सभी फर्मों को सूचित कर दिया गया था कि वे अब और माल सप्लाई न करें।
अत: दिनांक 4-4-84 तक प्राप्त सामान का विवरण

क्र.सं.	नाम फर्म	वस्तु का नाम	आदेश के अनुसार संख्या	प्राप्त किये गये सामान की संख्या	प्राप्ति दिनांक	भुगतान की गई राशि	बकाया राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान प्रकाशन जयपुर	लालटेन	7000	7000	28-3-84	70001,48	—	7000 लालटेन में से 6599 लालटेन नमूने के अनुसार थीं अत: उनका भुगतान किया गया। कुल आदेश 74, 390.40 रुपये के थे।
2.	गुड ऐज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर	साईन बोर्ड	2000	2000	28-3-84	95,040 00	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	कट्टर-मेटन्स वर्क्स, जयपुर	एल्यूनियम बर्तन	3000	350	31-3-84			अनुबन्ध की शर्त के अनुसार आदेश राशि का 10 प्रति शत सशर्त क्षति-पूर्ति हुई।
		भगोने		600	3-4-84			
		चम्मच	2000	200	3-4-84	106053.87		
		प्लेट्स	15000	1500	31-3-84			
		गिलास	2000	—	—			
		लोटे	4000	3000	3-4-84			
4.	मैं. एम.एल. ट्रेडर्स, जयपुर	स्लेट	277700	45072	31-3-84		81129.60	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति जिसमें 4-4-84 तक प्राप्त।
5.	जयपुर स्टील प्रोडक्ट्स जयपुर	गिनती फ्रेम	24600	4000	31-3-84		65000 00	सामान के बारे में टिप्पणी दी उसके अनुसार सामान नमूने के अनुसार न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न सं. 153 की सूची

जिलेवार सूची

1	2	3	4
जिला जयपुर			
1.	डॉ. वी के. सिंघवी	सी. ए. एस.	अमर जैन रीलिफ सोसाइटी, जयपुर
2.	डॉ. आर. के. सुरेखा	सी. ए. एस.	अमर जैन रीलिफ सोसाइटी, जयपुर
3.	डॉ. सुभाष कुमार गोयल	सी. ए. एस.	मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर
4.	डॉ. (श्रीमती) निर्मला मिगलानी	प्रोफेसर, शिशु औषध	सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल, जयपुर
5.	डॉ. रमेश (श्रीमती) शशि	स्त्री व प्रसूति रोग	,, ,,
6.	डॉ. एम. जी. काबरा,	प्रोफेसर एनाटोमी	,, ,,
जिला कोटा			
1.	डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता	क. वि.	श्री जैन दिवाकर, ट्रस्ट, कोटा
2.	डॉ. श्रीमती तृप्ता किशन चौहान	क. वि.	लॉयन्स क्लब, कोटा
3.	डॉ. अशोक कुमार	सी. ए. एस.	राज. चिकि. रावतभाटा (आ. एस. ई. बी.) कोटा
4.	ईफ्तार उल हक	सी. ए. एस.	थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चिकित्सालय, कोटा
जिला अजमेर			
1.	डॉ. राधेश्याम मित्तल	सी. ए. एस.	क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर

1	2	3	4
जिला चूरु			
1.	डॉ. वी. के. दावड़ा	सी. ए. एस.	विवेकानन्द स्वास्थ्य सेवाये समिति, सादुलशहर
2.	डॉ. महेश अग्रवाल	सी. ए. एस.	सेठ सूरजमल गौरीदत्त धामरिया आई अस्पताल सरदारशहर
जिला पाली			
1.	डा. के. के. व्यास	सी. ए. एस.	जतथु देवी मेलचन्द राणावत चैरेटेबिल ट्रस्ट
2.	डॉ. श्रीमती किरण व्यास		कुण्डाला, फालना (पाली)
जिला जोधपुर			
1.	डॉ. एच. एस. नागपाल	क. वि.	रिसर्च सेन्टर, जोधपुर
2.	डॉ. लक्ष्मीमल मेहता	सी. ए. एस	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
3.	डॉ. गणेश भार्गव	सी. ए. एस.	श्रीमती ताराबाई आई ट्रस्ट, जोधपुर
जिला झुन्झुनुं			
1.	डॉ. कैलाश चन्द गुप्ता	सी. ए. एस.	कानोड़िया सेवा केन्द्र, मुकन्दगढ़
जिला उदयपुर			
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सी. ए. एस.	नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा
जिला बून्दी			
	डा. देवेन्द्र कुमार शर्मा	सी. ए. एस.	जवाहर सागर डेम, बून्दी

———

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में शिक्षा का प्रतिशत

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

156 श्री दाउदयाल जोशी (छीगोद) : क्याशिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में शिक्षा का प्रतिशत क्या है ? अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का महिला शिक्षा सहित प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान का शिक्षा का यह निम्न प्रतिशत प्रान्त के विकास में बहुत बड़ा बाधक है ? राज्य सरकार इस कमी को दूर करने हेतु क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में 1981 की जनगणना के आधार पर शिक्षा का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
कुल	24.38	10.27	14.04
पुरुष	36.30	18 85	24.40
महिला	11.42	1.20.	2.69

(2) जी हां, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है।

(3) जी हां, साक्षरता को बढ़ाने के लिये विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से नामांकन वृद्धि अभियान चलाकर सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निगम द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण/अनुदान की व्यवस्था

15 श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण निगम ने किस तारीख से अपना कार्य शुरू किया ?

(2) क्या यह निगम राजस्थान में ईंट भट्टा सहकारी समितियों के नाम पर ऋण व अनुदान दे रहा है ? यदि हां, तो किस-किस ईंट भट्टा सहकरी समिति को कितनी-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कितनी धनराशि कब-कब दी गई ? कृपया समिति पदाधिकारियों का नाम, गांव, तहसील व जिले सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह निगम बस, ट्रक, जीप व टेक्सी पर भी ऋण व अनुदान देता है ? यदि हां, तो कृपया जिलेवार व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति तथा वस्तु का नाम तथा कल धनराशि जो ऋण व अनुदान के रूप में दी गई थी, की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम दिनांक 29-3-80 को पंजीकृत किया गया था। तब से ही इसने अपना कार्य शुरू किया।

(2) निगम की एक योजना ईंट भट्टा सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने की है किन्तु अभी तक किसी ऐसी सहकारी समिति को ऋण व अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) जी नहीं। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की बस, ट्रक, जीप व टेक्सी के लिये कोई ऋण या अनुदान उपलब्ध कराने की योजना अभी नहीं है।

खेड़ली चिकित्सालय की रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नति

158 श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रेफरल अस्पताल खोलने के लिए क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या जिला अलवर का खेड़ली चिकित्सालय उक्त मापदण्डों की पूर्ति करता है ? यदि हां तो वहाँ सरकार कब तक रेफरल अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामान्य : चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने का मापदण्ड रहा है।

(2) जी नहीं, क्यों कि खेड़ली लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के क्षेत्र में स्थित है और उसी क्षेत्र में गोविन्दगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल अस्पताल में मोन्नत किया जा चुका है।

मछली के ठेकों से आय

159 श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) गत पांच वर्षों में गंगानगर जिले में मछली के ठेके से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि मछली पालन के लिए घग्घर नदी का बेल्ट बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके विकास हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

(3) राज्य में मछली के ठेकों से प्रति

Page No.286

(श्री शोपत सिंह)

वर्ष कितनी आय होती है ? कृपया विगत पांच वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में मछली के ठेके से गत पांच वर्षों में प्राप्त राशि निम्नानुसार हैं :—

वर्ष 80-81	24,02,000/- रु.
वर्ष 81-82	25,01,000/- रु.
वर्ष 82-83	24,51,000/- रु.
वर्ष 83-84	25,21,000/- रु.
वर्ष 84-85	28,11,551/- रु.

इस प्रकार गत पांच वर्षों की आय 1,26,86,5541/– रु. हुई है ।

जी, हां

(2) राज्य सरकार द्वारा घग्घर नदी के बेल्ट को मछली पालन हेतु और उपयोगी बनाने के लिये मछुआरों एवं बेरोजगार व्यक्तियों के लिये मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ. एफ. डी. ए.) की स्थापना करने जा रही है । मछलियों बीज लखुवाली, एवं तलवाडा मत्स्य फार्म में छुड़वाये जा रहे हैं, मत्स्य बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये परिवहन की विशेष व्यवस्था की जा रही है । बारोपिट् के एरिये में विकास की योजना बनाई गई है । इन सब कार्यों को देखते हुये वर्तमान में सहायक निदेशक, मत्स्य के पद को क्रमोन्नत किया जा चुका हैं । इन प्रयत्नों से क्षेत्र का न केवल उत्पादन बढ़ेगा वरन राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी ।

(3) राज्य में मछली के ठेकों से विगत पांच वर्षों से हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

————

राज्य में मछली के ठेकों से गत पांच वर्षों में आय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष 80-81	वर्ष 81-82	वर्ष 82-83	वर्ष 83-84	वर्ष 84-85
1.13 करोड़	97.51 करोड़	1.12 करोड़	1.42 करोड़	1.31 करोड़

राज्य में मछली के ठेकों से गत पांच वर्षों का जिलेवार आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

1	2	3	4	5	6	7
1.	सवाई माधोपुर	10,15,700	4,99,047	6,70,700	14,39,358	10,20,998
2.	टोंक	5,65,700	3,07,900	5,69,700	6,09,700	2,80,886
3.	जयपुर	6,99,800	8,26,000	8,71,055	10,23,860	12,66,600
4.	अलवर	2,06,900	34,100	3,78,086	2,72,586	2,87,707
5.	भरतपुर	40,300	3,60,100	4,06,886	4,48,800	3,76,300
6.	धौलपुर	–	5,89,500	6,71,400	8,40, 500	8,01,100
7.	अजमेर	11, 300	–	1,500	57,800	–
8.	उदयपुर	10,05,500	12,53,005	15,71,680	17,52,076	11,96,200
9.	चित्तौड़गढ़	1,28,100	7,03,000	2,11,811	7,78,886	2,02,088

		वर्ष 80-81	वर्ष 81-82	वर्ष 82-83	वर्ष 83-84	वर्ष 84-85
1	2	3	4	5	6	7
10.	भीलवाड़ा	6,37,800	4,03,800	3, 100	4,89,000	3,68,786
11.	कोटा	17,10,500	2,04,500	16,98,322	18,34,300	24 82,400
12.	बून्दी	9,44,100	4,69,760	9,44,586	5,35,100	6,46,086
13.	झालावाड़	1,000	32,300	13,600	–	35,500
14.	डूंगरपुर	60,415	1,500	18,300	13,100	–
15.	बांसवाड़ा	3,33,612	5,50,000	5,7,500	6,06,375	6,36,693
16.	पाली	4,28,200	3,80,600	34,00	1,44,900	3,25,386
17.	नागौर	9,250	35,100	16, 00	19,300	–
18.	जालौर	–	–	–	34,400	–
19.	जोधपुर	–	–	–	–	–
20.	सीरोही	57,800	45,300	37,700	70,100	78,000
21.	सीकर	–	5,000	32,200	–	34,400
22.	श्री गंगानगर एवं बीकानेर	24,02,000	25,01,000	24,51,000	25,21,000	28,11,551

नागौर जिले में जलप्रदाय योजनायें

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर में मार्च 1982 से अब तक कुल कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं बनाई गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन योजनाओं में से कितनी योजनायें क्रियान्वित कर दी गई हैं ? कृपया सूची तहसीलवार सदन पटल पर रखें।

(3) जो कार्य करवाये गये उस में से कौन-कौन से कार्य विभाग द्वारा करवाये गये तथा उनकी क्या स्थिति है ?

(4) इनमें से कौन-कौन से कार्य ठेकेदारों को दिये गये ? कृपया ठेकेदारों की सूची एवं कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) ठेकेदारों को दिये कार्यों में से कितने अधूरे पड़े हैं ? क्या ठेकेदारों को 50% या इससे ऊपर का भुगतान कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की मार्च 1982 से अब तक 91 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) 34 क्षेत्रीय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विभाग द्वारा नलकूप बनाने एवं पाइप लाइन का कार्य करवाया गया इनमें से अधिकांश कार्य पूर्ण हो गये हैं।

(4) जो कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाये गये है उनका विवरण एवं ठेकेदारों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(5) ठेकेदारों को दिये गये कार्यों में से 73 कार्य अधूरे है, जिनमें से अधिकांश पर कार्य प्रगति पर है और इनमें से अधिकांश कार्यों का 50% से कम भुगतान हुआ है, तथा एक कार्य जो अधूरा है, जिसके किए गए कार्य के अनुसार 50% से अधिक का भुगतान कर दिया गया है।

भाग संख्या 1 की सूची

मार्च 1982 से अब तक बनाई गई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं की सूची

क्र. सं.	क्षेत्रीय योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष
1	2	3
1.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना काकडाई	1981–82
2.	विस्तार योजना वींठवाल	,,
3.	क्षेत्रीय योजना सेनडीफेज I	,,
4.	क्षेत्रीय योजना बुरडी कमेडिया फेज I	,,
5.	क्षेत्रीय योजना फागली बांसडा फेज I	,,
6.	क्षेत्रीय योजना सुपरपालिया	,,
7.	क्षेत्रीय योजना सुखादिया बुगररडा	1982–83
8.	क्षेत्रीय योजना सेवडी फेज II	,,
9.	विस्तार जल योजना खारी कमर स	,,
10.	विस्तार योजना पोटलिया मांजरा	,,
11.	क्षेत्रीय योजना भूडेल	,,
12.	क्षेत्रीय योजना जोशियाद राघनू	,,
13.	क्षेत्रीय योजना हरीमा मालगांव	,,
14.	क्षेत्रीय योजना बोडिन्दकला-खुर्द	,,
15.	विस्तार जल योजना तोलानेश	,,
16.	विस्तार योजना जेसास अखे राज	,,
17.	विस्तार योजना सुखदण्ड	,,
18.	विस्तार योजना चकरानी गांव	,,
19.	विस्तार योजना गिगालिया	,,

1	2	3
20.	विस्तार योजना गुडाखेरी	1982-83
21.	विस्तार योजना परबतसर ग्रामीण	,,
22.	क्षेत्रीय योजना राबडियाद किटिया	,,
23.	क्षेत्रीय योजना सिरसूना लांडोली	,,
24.	क्षेत्रीय योजना सबलपुर	,,
25.	क्षेत्रीय योजना बिचारा हरनावा तोशीना	,,
26.	क्षेत्रीय योजना होसियास लाई	,,
27.	क्षेत्रीय योजना सिरला की ढाणी	,,
28.	विस्तार योजना जोखडा	,,
29.	क्षेत्रीय योजना सन्दरी इडवा	,,
30.	क्षेत्रीय योजना आकेली खियास	,,
31.	क्षेत्रीय जल योजना हुडास मालगांव	,,
32.	क्षेत्रीय योजना कुचेटिया बडावरा	,,
33.	क्षेत्रीय जल योजना बलाया पालडीव्यास	83-84
34.	क्षेत्रीय योजना तीतरी फेज I	83-84
35.	क्षेत्रीय योजना कवलीसर की तलसर	,,
36.	क्षेत्रीय योजना गोलासनी	,,
37.	क्षेत्रीय योजना कालियास-भदोरा	,,
38.	क्षेत्रीय योजना बूडी बसवानी	83-84
39.	क्षेत्रीय योजना फिरोजपुर गजू	,,
40.	क्षेत्रीय योजना रोजा सिलनवाद	,,
41.	क्षेत्रीय योजना डिगरिया गावडी	,,
42.	क्षेत्रीय योजना निनावता पावटा	,,
43.	क्षेत्रीय योजना मिठडी मडावरा	,,
44.	क्षेत्रीय योजना थथला माग लोदी	,,
45.	क्षेत्रीय योजना भूणी गोगर	,,

Page No.292

1	2	3
46.	क्षेत्रीय योजना फागली नागौर ग्रामीण	84-85
47.	क्षेत्रीय योजना दातीना बामनियाला	,,
48.	विस्तार योजना पिथोलाव	,,
49.	क्षेत्रीय योजना चरडा चिन्दडी	,,
50.	विस्तार योजना जारेडा	,,
51.	विस्तार योजना जाखन	,,
52.	विस्तार योजना खारिया	,,
53.	क्षेत्रीय योजना कठोती जानी	,,
54.	क्षेत्रीय योजना थावरा कला खुर्द	,,
55.	क्षेत्रीय योजना आंवलिया सर बोसेरी	,,
56.	क्षेत्रीय योजना भिनियाद नूरियास	,,
57.	क्षेत्रीय योजना एवाद खेडा हिरावास	,,
58.	क्षेत्रीय योजना सटिका खटोडा	,,
59.	विस्तार योजना मटेरा	,,
60.	क्षेत्रीय योजना जालनियासर आकाडा	,,
61.	क्षेत्रीय योजना जालनियासर कमेडिया	,,
62.	विस्तार योजना महेशपुरा	,,
63.	क्षेत्रीय योजना लूणावास बरवठा	,,
64.	क्षेत्रीय योजना बेरवा थलाजू	,,
65.	क्षेत्रीय योजना सरसडा निम्बोसा	,,
66.	क्षेत्रीय योजना हुबचर	,,
67.	क्षेत्रीय योजना जावा थाना	,,
68.	क्षेत्रीय योजना कलवाल डाबेली	,,
69.	क्षेत्रीय योजना गार्नोडी गोना रह्माछोजाड	,,
70.	क्षेत्रीय योजना मिठारिया	,,
71.	क्षेत्रीय योजना वासनीतियाचरण	,,

Page No.293

1	2	3
72.	क्षेत्रीय योजना बेदारी पो सास	84-85
73.	विस्तार योजना वासनी कछावा	,,
74.	विस्तार योजना बासनी रामचरण	,,
75.	क्षेत्रीय योजना दासोलाई (दोदोती)	,,
76.	क्षेत्रीय योजना तिवाली	,,
77.	क्षेत्रीय योजना माधवा	,,
78.	क्षेत्रीय योजना नादोली चन्दावता	,,
79.	क्षेत्रीय योजना पालडीराजा/मेचा	,,
80.	क्षेत्रीय योजना कजाना कालवा छोटावास	,,
81.	क्षेत्रीय योजना चकमेडास पीठवा खिचिया	,,
82.	क्षेत्रीय योजना सार्फड सिसली देवडा	,,
83.	विस्तार योजना नोसरियां	,,
84.	क्षेत्रीय योजना नेहवा रोड़ू	,,
85.	क्षेत्रीय योजना भिण्डासरी राठी	,,
86.	क्षेत्रीय योजना सारडी खराजोडसर	,,
87.	क्षेत्रीय योजना आकोदा अजरोली	,,
88.	क्षेत्रीय योजना कानियारा कोडिया	,,
89.	क्षेत्रीय योजना बेरी डावरा	,,
90.	क्षेत्रीय योजना तिरसिंगिया चनवाडी	,,
91.	क्षेत्रीय योजना धूतों की ढाणी	,,

भाग संख्या 2 की सूची

क्रियान्वित की गई योजनाओं की सूची

नागौर

क्र. सं	योजना का नाम		तहसील का नाम
1	2		3
1.	विस्तार जल योजना	विठवाल	नागौर
2.	क्षेत्रीय जल योजना	सेवड़ी फेज II	,,
3.	विस्तार जल योजना	खारीकरन सोता	,,
4.	,,	पोटलिया मांजरा	,,
5.	क्षेत्रीय जल योजना	मुण्डेल	,,
6.	,,	जोसियाद रायधनु	,,
7.	,,	सेनडी फेज–I	,,
8.	,,	फागली बासुणा	,,
9.	विस्तार योजना	पिथोलाव	जायला
10.	क्षेत्रीय जल योजना	सूवाड़िया सूमरठा	,,
11.	,,	मूड़ी कमेडिया फेज I	,,
12.	,,	बोडिन्द कलां एवं खुर्द	,,
13.	विस्तार जल योजना	सिलानेरा	डेगाना
14.	,,	जाखेड़ा	,,
15.	रीजनल जल योजना	आकेली खियाला	,,
16.	विस्तार जल योजना	खूबदण्ड	मेड़ता शहर
17.	रीजनल जल योजना	हासियासलाई	,,
18.	,,	सिरला की ढाणी	,,
19.	,,	राबडियाद किटियां	परबतसर

Page No.295

1		2	3
	शजनल जल योजना		
20.	,,	सिरसून लाडोली	परबतरसर
21.	,,	बिछावा हरनावा तोशीना	,,
22.	क्षेत्रीय जल योजना	हुडात मालगांव	लाडनूं
23.	,,	रोजा सिलनवाद	,,
24.	,,	नेछवा रोड़ू	,,
25.	,,	सारड़ी संवरा	,,
26.	,,	आकोदा अजरोली	डीडवाना
27.	,,	डिकारिया गांवडी	,,
28.	,,	कोनियारा कोटिया	,,
29.	,,	तिरसिंगिया पनवाडी	मांवां
30.	,,	थथाना मांगलोद	,,
31.	,,	भूणी गोगर	,,
32.	,,	घूतो की ढाणी	,,
33.	,,	निनावदा पावटा	डीडवाना
34.	,,	कूचेटिया बडाबरा	,,

भाग संख्या 4 की सूची

ठेकेदारों से करवाये गये कार्य का विवरण :—

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
1	2	3
1.	20,000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. बिठवास	श्री चन्द वर्मा
2.	10,000 ली. क्षमता जी. एल. आर. बोहिन्द खुर्द	,,
3.	10,000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. बोहिन्द कलां	,,
4.	नल शृंखला जोड़ना व बिछाना ग्राम बांसड़ा फागली	मांगीलाल लोनरेड़
5.	,, आलनिवासर से कमेडिया	रामलाल बिश्नोई
6.	निर्माण कार्य जनरेटिंग गांव सेनाणी	कमल कन्सट्रक्सन कं.
7.	निर्माण कार्य फुल सेंट जे-2 टाईप क्वाटर सेनणी	,,
8.	निर्माण कार्य स्वीच रूप सेनणी	,,
9.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. जी. एल. आर. 20,000 ले. दियावड़ी	सैनी कान्टेक्टर
10.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. जी. एल. आर. 20,000 लीछ दियावडी	,,
11.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. जी. एल. आर 25,000 सी. कांकडाई	,,
		,,
12.	निर्माण कार्य 1/2 सेंट जे-2 टाईप क्वार्टर सेनणी	मै. नाथाराम
13.	वाउण्ड्री वाल ग्राम सेनणी	,,
14.	पाईप लाईन हिलोड़ी से कांकडाई	गुर्जर कान्स्ट्रक्सं कं.
15.	स्वीच जोसिवाद	बंशीलाल

1	2	3
16.	निर्माण कार्य फुल सेट क्वार्टर मुण्डेल	बंशीलाल बिश्नोई अलाय
17.	स्वीच रूप रायधनु	बंशीलाल
18.	स्वीच रूप मुण्डेल	बंशीलाल बिश्नोई अलाय
19.	आफ सेट जे–2 टाईप क्वार्टर वासड़ा	माधोसिंह नागोर
20.	पाईप लाईन सेवडी से निरमसर	एन. के. गहलोत श्रीबालाजी
21.	,, सेवडी से पीपासर	,,
22.	,, सेवडी से लाड़िया	,,
23.	2 नं. स्वीच रूप रोल	हरिश मिर्धा,
24.	फुल सेट क्वार्टर रोल	,,
25.	बावण्ड़री बाल मुण्ड़ेल	बंशीलाल बिश्नोई
26.	1/2 से क्वार्टर रामधनु	हरिराम बोड़ा
27.	,, जोसिवाद	कलाराम
28.	फुल सेट क्वाटर सेवडी खानपुर	बंशीलाल विश्नोई
29.	सैक्टर हट सुवादिया, बुगरड़ा, खानपुर नाजरा	कालू खां
30.	2 नं स्वीच रूप सेवडी	हीराराम
31.	नल श्रृंखला चीलों से बुकरम सोता	बी. एल जोशी एण्ड कं.
32.	पाईप लाईन खानपुर माजरा से सुवादिया	मांगीलाल लोमरोड़
33.	पाईप लाईन बुगरड़ा से खानपुर	,,
34.	पाईप लाईन रोल से बगरडा	जीतमल सांखाल
35.	2·50 लाख ली. क्षमता 20 मी. ऊंचाई उच्च जलाशय रोल	महेश्वरी कंस्ट्रक्शन कं. श्रीबालाजी
36.	35000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. बार. जोसिवाद	सोनी कान्टेक्टर्स
37.	30000 ली. क्षमता रायध	मै. सूरजमल तापड़िया
38.	नल श्रृंखला 90. सी. सी. आर. गलनी	सोनी कोन्ट्रक्सन
39.	60,000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर खारी सोता	जोशी कंस्ट्रक्शन कं.

1	2	3
40.	50,000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. पीपासर	सोनी कस्ट्रशन अलाय
41.	पाईप लाईन सेवडी से चीलो	बंशीलाल विश्नोई
42.	15000 ली क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. बांसड़ा	बी. एल. जांगीड़ जसवन्तगढ़
43.	50000 ली. क्षमता ,, पोटेलिया मांजरा	जोशी कन्सट्रक्शन कं.
44.	12500 ली. क्षमता ,, गलनी	सोनी कन्स्ट्रक्सन कं.
45.	स्वीच रूप धुधीयाडी ,,	कनल कन्स्ट्रक्शन
46.	40000 ली क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. चूंटीसरा	मै. सोनी कन्सट्रक्सन अलाय
47.	1/2 सेट क्वाटर जालनियासर	मै. एस. एस. गहलोत
48.	निर्माण कार्य जनेरेटिंग रूप जालनियासर	,,
49.	आर. सी. सी. जी. आर. 35000 लीटर सुवादिया	जोशी कन्ट्रक्शन कम्पनी
50.	,, 65000 बुगरड़ी	,,
51.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 3.5 ला. रोल	महेश्वरी कन्ट्रक्शन कम्पनी
52.	,, 80000 ली. चोलो	जोशी कन्ट्रक्शन कम्पनी
53.	60000 लीटर क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. अनेतिया	भंवर लाल जांगीड़
54.	35000 लीटर क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. सुखवासी	सोनी कन्ट्रक्टर्स अलाय
55.	पाईप लाईन चूंटिसरा से मालगांव	मेगाराम मांगीलाल नागौर
56.	20000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. हरिमा	भंवर लाल जांगीड़
57.	35000 लीटर क्षमता ,, माजावास	जोशी कन्ट्रक्शन
58.	पाईप लाईन निदास से मांजावास	कालू खां
59	पाईप लाईन मांजवास से झाड़ीसरा	मांगीराम लोमरोड
60.	पाईप लाईन हरीमा से जिन्दास	हरीश मिर्धा

1	2	3
61.	स्वीच रुम निर्माण कार्य, जायल	मांगीलाल लोमरोड
62.	क्वाटर, जायल	जीतमल सांखला
63.	45000 ली. क्षमता, गांव मालगांव	मै. सोनी कन्ट्रक्टर्स
64.	हाफ सैट क्वाटर का कार्य पोटलिया मांजरा	हीराराम मकोड़ी
65.	जनरेटिंगरुम का निर्माण कार्य पोटलिया मांजरा	,,
66.	30000 ली. क्षमता जी. एल. आर. मंवाद	सोनी कन्ट्रक्टर्स अलाय
67.	30000 ली. क्षमता बुकरम सोता	,,
68.	25000 ली. क्षमता लाड़िया	,,
69.	60000 ली., झाड़ीसरा	,,
70.	20000 ली. क्षमता	भंवर लाल जांगीड़
71.	जनरेटिंगरम चूंटिसरा	हरीश मिर्धा
72.	फुल सैट क्वाटर चूटिसरा	,,
73.	पाईप लाईन गुडा भगवानदास से खारी करम सोता	सोनी कन्ट्रक्टर्स
74.	आर. सी. सी. आर. 1.00 लाख ली. 20 मीटर ऊंचाई सेवड़ी	अशोका बिल्डर्स
75.	जनरेटिंग रुम सेवड़ी	हरीश मिर्धा
76.	65000 ली. क्षमता जी. एल. आर. सेवड़ी	जोशी कन्टक्टर्स
77.	80000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. मुण्डेल	,,
78.	30000 ली. ,, निम्बोला	बी. एल. जोशी
79.	पाईप लाईन हरीमा से सोमड़ा	मांगीलाल लोमरोड़
80.	15000 ली. क्षमता आर. सी. सी. जी. एल. आर. फागली	योनी कन्ट्रक्टर्स
81.	स्वीच रूम फिरोजपुर	विश्व कर्मा कुवेरा
82.	पाईप लाईन फिरोजपुर गाजु	,,
83.	पाईप लाईन मुण्डेल से निम्बोड़ा जी. एल. आर.	जे. के. इन्टर प्राईजेज

Page No.300

1	2	3
84.	1000 ली. जी. एल. आर. खेडा धाणकान	हरीश मिर्धा
85.	20000 ली. जी. एल. आर. लाडिया	सोनी कन्ट्रक्टर्स
86.	20000 ली. विरमसर	,,
87.	25000 ली. जी. एल. आर. खलील वासनी	जोशी कन्टक्टसन श्री बालाजी
88.	10000 ली. जी. एल. आर. जबगसी	हरीश मिर्धा
89.	पाईप लाईन बुरडी बसवानी	नाथाराम छाबड़ा
90.	10000 ली. जी. एल. आर. मोलासर	हरीश मिर्धा
91.	10,000 ली. जी. एल. आर. कीतलसर	विश्वकर्मा इन्जीनियरिंग
92.	40000 लीटर तीतरी	सोनी कान्ट्रेक्टर्स
93.	50000 लीटर क्षमता जी. एल. आर. भदोरा	सूरजमल तापड़िया
94.	25000 लीटर क्षमता मांजरा	जोशी कन्स्ट्रक्शन
95.	40000 लीटर क्षमता बूडी	सोनी कन्सट्क्शन
96.	30000 लीटर बसवानी	जोशी कन्सट्क्शन
97.	पाईप लाईन कातिवास भदोरा	गुरजिवा कान्ट्क्टर्स
98.	45000 लीटर फिरोजपुरा	सोनी कान्ट्रेक्टर्स
99.	15000 लीटर गिरवास	बी. एल. जोशी
100.	25000 लीटर कासीवास	एन. के. गहलोत
101.	50000 लीटर ढींगसरा	,,
102.	15000 लीटर ढूंढिया	विश्वकर्मा कं. कुचेरा
103.	पाईप लाईन आलनिवासर कनेड़िया	हनुमान प्रसाद सिखवाल
104.	पाईप लाईन कठोती विधोलाव	माधोसिंह जी गौर
105.	पाईप लाईन कठोती ज्वाणी	नाथूराम घायल
106.	लेट 1/2 क्वार्टर कठोती	कालू खां
107.	स्वीच रूम कटौती	,,
108.	पाईप लाईन बलाया पालडी ब्याल	नाथुराम घायल

1	2	3
109.	1/2 सेट क्वार्टर कटोती दातिणा	जालाराम
110.	स्वीच रूप दातिणा	,, ,,
111.	पाईप लाईन डोरोली बरसूना	नाथूराम घायल
112.	पाईप लाईन अबलियासर वोतेरी	मांगीलाल लोमरोड
113.	स्वीच रूप खटोडा	बंशीलाल विश्नोई
114.	1/2 सेट क्वार्टर्स खटोडा	,,
115.	स्वीच रूप सोगणा	माधोसिंह ठेकेदार
116.	पाईप लाईन अटेरा छांजोलाई	हरीश मिर्धा
117.	,, जालनिवासर श्राकोडा	,,
118.	10000 लीटर जी. एल. आर. दाता	,,
119.	20000 ली. जी. एल. आर. मन्साली	जे. के. ईन्टरप्राईजेज
120.	10000 लीटर चिन्दडी	अशोक बिल्डर्स
121.	25000 ली. जी. एल. आर. बोरोली	,,
122.	स्वीच रूप मंवाद	जलाराम
123.	,, रायधनु	गुरलिया टेडर्स
124.	पाईप लाईन वाटिका खटोडा	जोशी कन्सट्क्शन
125.	,, छावटा कलां-छांवटा खुर्द	एस. एल. कन्सट्क्शन
126.	जेनेरेटर रूप छाजो को	तेजाराम
127.	1/2 सेक क्वार्टर छुजोडी	,,
128.	पाईप लाईन ऐबाद खेडा हीरावास	कमलकिशोर
129.	पाईप लाईन भिनियाद टीटरडा	मांगीलाल लोमरोड
130.	700 लीटर क्षमता जी. एल. आर. डागरासर	जोशी कन्स्ट्रक्शन
131.	20,000 लीटर चरडा	बी. एल. जोशी
132.	पाईप लाईन दातिणा बानणीवाला	जे. के. ईन्टरप्राईजेज
133.	75000 लीटर जी. एल. आर. दातिणा	हरीश मिर्धा
134.	71000 लीटर ,, सिलारिया	बंशीलाल विश्नोई

Page No.302

1	2	3
135. 60000 लीटर ,,	बुडी	जे. के. एन्ट र
136. स्वीच रूम पीथोलाव		माधोसिंह
137. 25000 ली. जी. एल. आर.		सोनी कन्टक्टर्स
138. 45000 ली. जी. एल. आर.	थलागनू	हरीश मिर्घा
139. 35000 ,,	डेरवा	जे. के. ईन्टरप्राईजेज
140. 15000 ,,	नूरीयास	,,
141. 10000 ,,	खेड़ा हीरावास	अशोक मिर्घा
142. 15000 ली. ,,	खेराट	भंवरलाल जांगीड़
143. 40000 ,,	निम्बोसा	हरीश मिर्घा
144. 11000 ,,	थिथोलाव	वंशीलाल बिश्नोई
145. 1.00 लाख ली. ,,	आकोड़ा	अशोक मिर्घा
146. 45000 ली. ,,	वरसुना	सुरजमल तापड़िया
147. 1.00 ली. ,,	बोसेरी	महेश्वरी
148. 75000 ली. ,,	जासनियासर	एन. के. गहलोत
149. 45000 ली. बामणियाला		,,
150. 20000 ली. जी. एल. आर.	नासरिया	महेश्वरी
151. 60000 ली. टासनियांर्ड		एन. के. गहलोत
152. 50000 ली. जी. एल. आर.	सुरपालिया	,,
153. 20000 ली. जी. एल. आर.	कंवलीसर	सोनी कोन्टक्टर्स
154. 50000 ली. जी. एल. आर.	टांगड़ा	विश्वकर्मा
155. 60000 ली. जी. एल. आर.	जाणी	सोनी कोन्टक्टर्स
156. 50000 ली. एस. आर.	बलाया	,,
157. 35000 ली. जी. एल. आर.	मिनियाद	,,
158. 90000 ली. जी. एल. आर.	खटोड़ा	,,
159. 20000 ली. ,,	लुणावास	,,

Page No.303

1	2	3
160	1/2 सेट क्वाटर मीठा मांजरा	मांगीलाल लोमरोड
161.	स्वीच रूम मीठा मांजरा	,,
162.	फुलसेट क्वाटर जालनियासर	,,
163.	50000 ली. जी. एल. आर. रणिया	महेश्वरी बिल्डर्स
164.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 9000 लीटर क्षमता ग्राम लाडोली	मै. ओमप्रकाश गहलोत ठेकेदार बीकानेर।
165.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 40,000 लीटर माय सी. डब्ल्यू. टी. पी. एस. पी. ग्राम सिरसून	,,
166.	जे–2 टाईप क्वाटर 1/2 सेट ग्राम बड़ू	मै. श्यामसुन्दर वर्माबड़ू
167.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 11,500 लीटर 15 मीटर ऊंचाई ग्राम बड़ू	मैसर्स मायाराम सांखला एण्ड कम्पनी, जोधपुर।
168.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 45,000 लीटर 15 मीटर ऊंचाई ग्राम राबडियाद	मै. जे एम. जोशी एण्ड कम्पनी श्री बालाजी
169.	चमर दिवारी कार्य राबडियाद	मै. मोहनलाल ठेकेदार, परबतसर
170.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य बड़ू से सिरसून	मै. बी. एम. जोशी एण्ड कम्पनी, श्री बालाजी
171.	पाईप लाईन बिछाने का कार्य बड़ू से ट्यूब वैल	,,
172.	साईट सिरसून व लाडोली	,,
173.	स्वीचरुम 8"×10" ग्राम बड़ू	मै. मोहनलाल ठेकेदार, ठेकेदार परबतसर
174.	....2 नग परबतसर	,,
175.	स्वीचरम 8"×10" ग्राम लूनियास	मै. पादूकला श्र. ठे. लि. पादूकलां
176.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 15000 मीटर सी. डब्लू टी ग्राम टीवली	मै. एन. के. गहलोत एण्ड कम्पनी, श्री बालाजी

Page No.304

1	2	3
177.	ग्रार. सी. सी जी. एल. ग्रार, 15000 लीटर सी. पी.एल, पी, मांडया	हरिश मिर्जा नागौर
178.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 15000 लीटर पी. एल. पी. ग्राम डाबोली खारी	जे. एम. जोशी एण्ड कं.
179.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार 22500 लीटर क्षमता मय सी. डब्लू टी पी. एल. पी. ग्राम कंवल	जे. एम. ,, श्री बालाजी
180.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 20000 ली. क्षमता मय सी. डब्लू टी. टी. एस. पी. ग्राम दूधडाल	जे. एन. जोशी एण्ड कं, श्री बालाजी
181.	ग्रार. सी. सी जी. एल. ग्रार. 15000 लीटर क्षमता का ग्राम नैनाल मय सी. डब्लू टी. पी. एस. पी.	,, ,,
182.	ग्रार. सी.सी. पी. जी. एल. ग्रार. 16000 ली. मय सी. डब्लू टी. टी. एल. पी. ग्राम डूंगोर	,, ,,
183.	ग्रार. सी. पी. जी. एल. ग्रार. 50000 लीटर क्षमता मय सी. डब्लू टी. व पी. एस. पी. ग्राम लाई	शिव इलेक्ट्रीक वर्क्स कुचामन सिटी
184.	ग्रार. सी. पी. जी एल. ग्रार. 60000 लीटर क्षमता मय सी डब्लू. टी. व पी एल. पी. ग्राम कुलीबासनी	शिव इलेक्ट्रीक वर्क्स कुचामन सिटी
185.	ग्रार. सी. पी. जी. एल. ग्रार. 50000 लीटर क्षमता ग्राम बलवारी मय सी डब्लू. टी. व पी. एस. पी.	शिव इलेक्ट्रीक वर्क्स कुचामन सिटी
186.	ग्रार. सी. पी. जी. एल. ग्रार. 45000 ली. क्षमता का मय सी. डब्लू. टी. व पी. एस. पी. गांव से बोरी मीठी	ग्रोमप्रकाश गहलोत बीकानेर
187.	ग्रार. सी. पी. जी. एल. ग्रार. 20000 ली. क्षमता मय सी. डब्लू. टी. पी. एस. पी. ग्राम दुगोर दाता	जे. एन. जोशी एण्ड कं. श्री बालाजी
188.	पाईप लाईन बिछाने व जोड़ने का कार्य डेरा की ढाणी से ग्रोपन वैल	इन्सानियत से श्र. ठेकेदार स. लि. मेड़ताशहर
189.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य जाखेड़ा से जंक्शन पाईन्ट (पी. रोदा)	जक्शन ठेकेदार मेडताशहर

Page No.305

1	2	3
190.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य ग्राम ग्रावेली से सिदलास बछवारी से ग्राकेली	पादू बलां श्र. ठे. स. स. कलां
191.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य ग्राम जाखेड़ फिरोदा लाईन से कूतियासनी	पादू खुर्द श्र. ठे. स. स. पादू खुर्द
192.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य ग्राम जाखेड़ा फिरोदा लाईन से कूतियासनी	जयराम ठेकेदार मेडता शहर
193.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने व बिछाने का पूर्ण कार्य फिरोदा से माडी	,,
194.	पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य खियास से नेनाल	पादू कलां श्र. ठे. सं. लि. पादू कलां
195.	जे–2 टाईप क्वार्टर 1 नं. फुल सेट ग्राम जखेड़ा	रामदेव पुत्र धन्नाराम कुचामनसिटी
196.	जे–2 पाईप क्वार्टर/2 सेट ग्राम सिरला की ढाणी माईदा	रवीन्द्र इलेक्ट्रीकल्स कुचामन सिटी
197.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 60000 ली. क्षमता ग्राम गुंगवली	शिव इलेक्ट्रीकल्स कुचामन सिटी
198	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 20000 ली. क्षमतामय सी. डब्लू टी. पी.एस. पी. सुन्दरी	जे. एम. जोशी एण्ड कं. श्री बालाजी
199.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 40000, ली. क्षमता ग्राम मदवासी	मै. ग्रोमप्रकाश गहलोत बीकानेर
200.	ग्रार. सी. सी. एस. ग्रार. 2.00 लाख लीटर क्षमता 20 मीटर ऊंचाई ग्राम मोडरिया	मै. मायाराम सांवल एण्ड कं. जोधपुर।
201.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 40,000 ली. क्षमता सिधलास	मै. ग्रोमप्रकाश गेहलोत बीकानेर
202.	निर्माण कार्य जे–2 टाईप क्वार्टर एक नल ग्राम डेगाना	मै. श्यामसुन्दर शर्मा ठेकेदार बड

1	2	3
203.	ग्रार. सी. सी. एस. ग्रार. 20,000 ली. क्षमता 18 मी. ऊंचाई ग्राम जाखेडा	मै. ग्रजीत कुमार वर्मा लाडनू
204.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 20000 ली. क्षमता ग्राम मोडरिया	मै. (ए.) जे. एम. जोशी एण्ड कं. श्री बालाजी
205.	ग्रार. सी. सी. एस. ग्रार. 20000 ली. क्षमता 20 मी. ऊंचाई ग्राम हेडवा।	मै. माया राम सांखला एण्ड कं. जोधपुर
206.	स्वीच रूप 8"×10" ग्रोवर ट्यूब वैल ग्राम जखेड़ा	मै. रविन्द्र इलेक्ट्रिकल्स मेडता
207.	ग्रार. सी. सी. एस. ग्रार. 29000 ली. क्षमता 18 मी. ऊंचाई ग्राम चियास	मै. ग्रशोक बिल्डर्स श्री बालाजी
208.	मै. ग्रार. सी. सी. डब्लू ग्रार. 29000 ली. मय पम्प हाउस ग्राम खीयांस	,, ,,
209.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 5000 ली. क्षमता मय सी. डब्लू. टी. व पी. एस. पी. ग्राम ग्राकेंली	मै. गजेन्द्रसिंह एण्ड कम्पनी
210.	स्वीच रूप 8"×10" साईज ग्राम खेरा की ढाणी	मै. एम. के. गहलोत एण्ड कं. श्री बालाजी
211.	निर्माण कार्य जे–2 टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम होसियास	मै. मेड़तारोड़ कोपरेटीव ले. कोनेट्रेक्ट लि. मेड़तारोड़
212	पाईप लाईन कार्य सुन्दरी से चारीयास	मै. जयराम, ठेकेदार मेडताशहर
213.	स्वीच रूम 8"×10" ग्राम कितलसर	मै. विजयकुमार, डेगाना
214.	ग्रार. सी. जी. एल. ग्रार. 40000 ली. क्षमता मय सी. डब्लू. टी. व पी. एस. पी. ग्राम बूंदीसर	मै. गजेन्द्रसिंह एण्ड कं. जोधपुर
215.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 3500 ली. क्षमता ग्राम बरेनी	,, ,,
216.	ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 10500 ली. क्षमता ग्राम मांजी	,, ,,

Page No.307

1	2	3
217.	निर्माण कार्य स्वीच रूम 8"×10" साईज ग्राम जाखेड़ा	मै. रविन्द्र इलेक्ट्रिकल्स मेड़ताशहर
218.	निर्माण कार्य सी. डब्लू. टी. व पी. एस. पी. ग्राम होशियास	मै. मेड़तारोड़ कोपरेटिव लेबर कोनट्रेक्ट सोसायटी लि. मेड़तारोड़
219.	पाईप लाईन कार्य मोटर्स माई दण्ड़ कला	मै. ओमप्रकाश सिखवाल मेड़ताशहर
220.	स्वीच रूम 8"×10" ग्राम खलियास	मै. सरोज एन्टर प्राईजेज मेड़ताशहर
221.	पाईप लाईन कार्य जखेड़ा से राजपुरा	मै. एम. के. गहलोत एण्ड क. श्री बालाजी
222.	चारदिवारी कार्य ग्राम होसियास	मै. मेड़तारोड़ कोपरेटिव लेबर कोन्टक्ट लि. होसियास
223.	पाईप लाईन कार्य लेगोड से जक्शन पाइन्ट से गन्दीसर	मै. एन. के. गहलोत एण्ड क. श्री बालाजी
224.	पाईप लाईन कार्य लेगोड़ से जंक्शन प्लाईन्ट नून्द	,, ,,
225.	अधूरे छोटे कार्य को पूर्ण करने का कार्य । जे-2 टाईप क्वाटर । नग डेगाना	,, ,,
226.	पाईप लाईन कार्य ग्राम होसियार से लाई गंगारड़ी	मै. मेड़ता रोड़ कोपरेटिव लेबर कोन्टक्ट सो. लि. मेड़तारोड़
227.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 10,000 लीटर क्षमता ग्राम गंगारडी	मै. जे. एम. जोशी एण्ड क. श्री बालाजी
228.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 50,000 लीटर क्षमता ग्राम राजपुरा जे.—2 टाईप क्वार्टर एक सेट ग्राम जाखेड़ा	,,
229.	जे-2 टाईप क्वार्टर एक सेट ग्राम जाखेड़ा	मै. पादूकलां खुर्द अ. ठे. स. स. लि. पादूखुर्द

1	2	3
230.	जे-2 टाईप क्वार्टर फूल सेट ग्राम खियास	मै. लतीफ मो. ठेकेदार मेड़ताशहर
231.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 10,000 लीटर क्षमता विथ सी. डब्लू. टी. ग्राम सिरलाकी ढाणी	मै. जे. एम. जोशी एण्ड क. श्री बालाजी
232.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 15,000 लीटर क्षमता मय सी. डब्ल्यू. टी. पी. एस. पी. ग्राम माइदड कलाँ	,, ,,
233.	आर. सी. सी. जी. एल. आर. 15,000 लीटर क्षमता मय सी. डब्ल्यू. टी. पी. एस. पी. माईदंड खुर्द	,, ,,
234.	जे-2 टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम चान्दारुण	मै. पादू खुर्द अ. ठे. स. स. लि. पादूखुर्द
235.	स्विच रूम 8" × 10" साईज ग्राम चान्दारुण	,, ,,
236.	जे-2 टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम सुन्दरी	मै. रविन्द्र इलेक्टीकल्स मेडताशहर
237.	स्विच रूम 8" × 10" साईज ग्राम सुन्दरी	,, ,,
238.	स्विच रूम 8" × 10" साईज ग्राम सुन्दरी	,, ,,
239.	निर्माण कार्य जे-2 टाईप क्वार्टर आधा सेट ग्राम वेदावडी जलयोजना वेड़ावडी पोलास	मै. लतीफ ठेकेदार मेडता-शहर
240.	निर्माण कार्य जे-2 टाईप क्वार्टर आधा सेट ग्राम मोकाला की योजना (बेदावडी पोलास)	,, ,,
241.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. जी. एस. आर. 15,000 लीटर क्षमता शुभदंड	मै. जे. एम. जोशी एण्ड क. श्री बालाजी
242.	निर्माण कार्य जे-2 टाईप क्वार्टर आधा सेट ग्राम मोरेरा जल योजना खेटोलाई	मै. मेडतारोड़ का. लेबर को. सो. लि. मेड़तारोड़
243.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. जी. एल. आर. 60,000 लीटर क्षमता मय पी. एस. पी. एवं. सी. डब्ल्यू. टी. ग्राम खेटोलाई	मै. जे. एम. जोशी एण्ड क. श्री बालाजी
244.	निर्माण कार्य आर. सी. सी. एस. आर. 1.60 लाख लीटर क्षमता 20 मीटर ऊंचाई ग्राम बिछावा	मै. मोतीलाल कनक्टेक्टर अलवर

1	2	3
245.	निर्माण कार्य स्वीच रूम 8" × 10" ग्राम बिछावा	मै. इन्सानियत श्र. ठे. स. स. लि. मेड़ताशहर
246.	,, ,,	,,
247	निर्माण कार्य प्लेट फार्म का ग्रार. सी. सी. एस ग्रार. ग्राम हरनावा	मै. मोहन लालबोहरा पर्वतसर
248.	5 ढाया पाईप लाईन जोड़ने व बिछाने का कार्य ग्राम कोलाडूंगरी से सबलपुरा	मै. बी. एल. जोशी एण्ड कं. श्री बालाजी
249.	ग्रार. सी. सी. एस. ग्रार. हरनावा के स्नो सेम कार्य	,, ,,
250.	पाईप लाईन बिछाने व जोड़ने का कार्य ग्राम सबल-पुरा से मामडोली	,, ,,
251.	निर्माण कार्य जे—2टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम कार्य चक मेडास	मै. ग्रानन्द श्र. ठे. स. स. ग्रजमेर
252.	निर्माण कार्य जे-2 टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम सफेड़	मै. ग्रहमद निजामुदीन शेरानी मेड़ताशहर
253.	निर्माण कार्य स्वीच रूम 8" × 10" ग्राम कोला-डूंगरी	मै. रविन्द्र इलेक्ट्रीकल्स मेडताशहर
254.	निर्माण कार्य जे–2 टाईप क्वार्टर 1/2 सेट ग्राम कोलाडूंगरी	मै. मोहनलाल कोनटैक्टर पर्वतसर
255.	निर्माण कार्य ग्रार. सी. सी. जी. एल. ग्रार. 45000 क्षमता मय पी. एस. पी. एण्ड सी. डब्लू. टी. ग्राम हरनावा	मै. जे. एम. जोशी एण्ड कं. मेडताशहर
256.	उच्च जलाशय सांडास (क्षेत्रीय हुडास-मालगांव)	मै. श्री चन्द वर्मा लाडनू
257.	ग्रार. सी. सी. होज हुडास	मै. श्री जीतमल जांगीड लाडनू
258.	ग्रार. सी. सी. होद सिकराली	मै. ,, ,,
259.	ग्रार. सी. सी.गहोदमाल गांव	श्री चन्द वर्मा लाडनू
260.	ग्रार. सी. सी. सी. डब्लू टी. विथ पम्प हाउस	श्री सूरजमल तापड़िया श्री बालाजी

1	2	3
261.	2 नं. 1/2 सेट जनता पाईप क्वार्टर बरनावा व भरड़िया	श्री कमल कन्सट्रक्शन कं. नागौर
262.	योजना का पाईप लाईन बिछाने व जोड़ने का कार्य	श्रीजीतमल जांगीड़ लाड़नू
263.	आर. सी. सी. उच्च जलाशय शीलनवाद	मै. स्टैक्वर बिल्डिंग जोधपुर
264.	आर. सी. सी. होदरोड	मै. श्रीचन्द वर्मा लाडनू
265.	आर. सी. सी. होद खगार	मै. सूरजमल तापड़िया श्रीबालाजी
266.	आर. सी. सी. होद ढींगसरी	,, ,, ,,
267.	आर. सी. सी. होद खामीयाद	,, ,, ,,
268.	आर. सी. सी. होद तीतरी	मै. सत्यम आर. चीटीक्टर्स
269.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर	मै. गुजर कानस्ट्रैक्शन क, हरसोल
270.	स्वीच रूम सिलनवाज	मै. सेख सरिया ठेकेदार सेखसर
271.	आर. सी. सी. डब्लू. आर. नेच्छवा	मै. सूरजमल तापड़िया, श्री बालाजी
272.	आर. सी. सी. होद रायधाना	मै. सूरजमल तापड़िया श्री बालाजी
273.	आर. सी. सी. होद रायधाना	मै. श्रीचन्द वर्मा ठेकेदार
274.	आर. सी. होद कुशलपुरा	,, ,,
275.	फूल सेट जनता टाईप क्वार्टर रायधना	भंवरलाल नागपुरिया, लाडनू
276.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर कुशलपुरा	,,
277.	पाईप लाईन का कार्य	मै. जीतमल जांगिड लाडनू
278.	आर. सी. सी. होद तंवरा	श्री चन्द वर्मा, लाडनू
279.	आर. सी. सी. होद सारडी	,, ,,
280.	आर. सी. सी. होद अनेसरिया	श्री चन्द वर्मा, लाडनू
281.	आर. सी. सी. होद धोलिया	,, ,,
282.	आर. सी. सी. होद लोडसर	,, ,,

1	2	3
283.	पाईप लाईन का कार्य	मै. जीतमल जाडिय जसवन्तगढ़
284.	आर. सी. सी. होद गिडोदामीठा	मै. भंवरलाल जाडिग जसवन्तगढ़
285.	आर. सी. सी. होद गिरडोदा खारा	मै. भंवरलाल जाडिग जसवन्गढ़
286.	आर. सी. सी. होद भिण्डासरी	सुरजमल तापडिया
287.	फूल सेट जनता टाईप क्वार्टर बावंलिया	गोरधनलाल भवागनपुरा
288.	1/2 सेट जनता टाईप क्वार्टर बांकलिया	आशाराम भिण्डासरी
289.	4 नम्बव स्विच रूम	,, ,,
290.	पाईप लाईन का कार्य	मै. जीतमल जाखिड
291.	आर. सी. सी. होद खोजस	मै. सत्यम आर्चिटेक्ट सुजनगढ़
292.	आधासेट जनता टाईप क्वार्टर खोजास	मै. मोतीराम हेत ग्राम खुनखुना
293.	आधासेट जनता टाईप क्वार्टर आकोदा आजरोली	मै. आशाराम रुपाराम भिण्डासरी
294.	फूल सेट जनता टाईप क्वार्टर घेदड़ी	मै. हरीश मिर्धा नागौर
295.	स्विच रूम आकोदा	मै. हमीद खां सेरानियों की ढाणी
296.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर गांवडी	मै. मोतीराम हेतराम खुनखुना
297.	आधासेट जनता टाईप क्वार्टर डिगालिया	,, ,,
298.	स्विच बोर्ड रूम डिगालिया	,, ,,
299.	आर. सी. सी. होद गांवडि	मै. सुरजमल तापडिया
300.	आर. सी. सी. होद कोनियारा	मै. सुरजमल तापडिया श्री बालाजी

Page No.312

1	2	3
301.	आर. सी. सी. होद कोडिया	मै. सुरजमल तापडिया श्री बालाजी
302.	आर. सी. सी. होद पावा	मै. सत्यं आर्चिटेक्ट सुजानगढ़
303.	आर. सी. सी. होद कोडिया	मै. सुरजमल तापडिया श्री बालाजी
304.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर इन्द्रपुरा	मै. मोतीराम हेतराम खुनखुना
305.	आर. सी. सी. होद बावलिया गुडा	मै. भंवरलाला जाखिड जसवन्तगढ़
306.	आर. सी. सी. होद हरियाजून	मै. सुरजमल तापडिया
307.	आर. सी. सी. होद कसारी	मै. मांगीलाल भटमोडा
308.	आर. सी. सी. डब्ल्यू. आर. मोठडी	लाहोटी बिल्डर्स
309.	आर. सी. सी. होद मंडावरा	श्री चन्द वर्मा
310.	आर. सी. सी. होद सिडिया	बी. एल. जोशी
311.	2 1/2 सेट जनता टाईप क्वार्टर बावलिगुडा	गोवर्धनलाल भगवानपुरा
312.	फूल सेट जनता टाईप क्वार्टर मोठडी	हरिश मिर्धा
313.	स्विच रूम मिठडी	,, ,,
314.	स्विच रूम बावली गुडा	गोवर्धनलाल भगवानपुरा
315.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर ठठाना	,, ,,
316.	आर. सी. सी. होद मोंगलोडी	मै. जोशी कंटेक्शन क. श्री बालाजी
317.	आर. सी. सी. होद भूणी	रणवीर सिंह शेखावत
318.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर भूणी	,, ,,
319.	पम्प हाऊस भूणी	,, ,,
320	पाईप लाईन भूणी गोगर	गोवर्धन लाल ठेकेदार
321.	आर. सी. सी. तिरसिंगया	सत्यम् आर्चिटेक्ट सुजानगढ़

1	2	3
322.	आधा सेट जनता टाईप क्वार्टर तीरसिंगया	रणवीरसिंह शेखावत
323.	स्विच रुम तीरसिंगया	गोवर्धनलाल भगवानपुरा
224.	आर. सी. सी. हौद बनवाडी	जोशी कन्टेशन कम्पनी श्री बालाजी
325.	आर. सी. सी. हौद तरसिंगपुरा	जोशी कन्टेक्शन कम्पनी श्री बालाजी

निर्वाचन क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव

161. श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) निर्वाचन क्षेत्र दूदू में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, तथा कहां-कहां स्थित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इस क्षेत्र की उक्त सभी प्रकार के किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों की कमी है, तथा इसका क्या कारण है ?

(3) ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में विद्यालय निम्नानुसार हैं जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी है—

क्र. सं.	विद्यालय	उ.मा. वि.	मा.वि.	उ.प्रा. वि.
1.	छात्र विद्यालय	4	8	35
2.	छात्रा विद्यालय	–	1	7
	योग	4	9	42

(2) दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है। विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी है। अध्यापकों की वरीयता सूची समाप्त होने के कारण नियुक्ति न होना एवं विद्यालयों की क्रमोन्नति के कारण हुए स्थानान्तरण से इन विद्यालयों में पद रिक्त हो गये हैं।

विद्यालय	उ.मा. वि.			मा.वि.			उ.प्रा. वि.	
श्रेणी	I	II	III	I	II	III	I	II
छात्र	4	7	—	—	7	1	1	23
छात्रा	–	–	–	–	–	–	–	4
योग	4	7	–	–	7	1	1	27

(3) इन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय		रिक्त पद I	II	III	योग
1.	रा. उ. मा. वि.	मोजमाबाद	2	2	—	4
2.	,,	बिचून	—	1	—	1
3.	,,	नरैना	—	1	—	1
4.	,,	दूदू	2	3	—	5
5.	रा. मा. वि.	झाग	—	2	—	2
6.	,,	साखून	—	2	—	2
7.	,,	साली	—	2	—	2
8.	,,	मरवा	—	1	1	2
9.	,,	महला	—	—	—	—
10.	,,	बोगज	—	—	—	—
11.	,,	काचरोदा	—	—	—	—
12.	,,	बोबास	—	—	—	—
13.	,,	नारायण (कन्या)	—	—	—	—
14.	रा. उ. मा. वि.	ओकादा	—	—	1	1
15.		उरसेवा	—	—	1	1
16.	,,	कोरसीना	—	—	2	2
17.	,,	खुडियाला	—	—	2	2
18.	,,	गहलोता	—	1	2	3
19.	,,	गांगरडू	—	—	3	3
20.	,,	दांतरी	—	—	1	1
21.	,,	पड़ासोली	—	—	2	2

1	2	3	4	5	6	7
22.	रा. उ. मा. वि.	मम्माणा	—	—	1	1
23.	,,	रहजाना	—	—	1	1
24.	,,	रेटा	—	—	3	3
25.	,,	रोजड़ी	—	—	1	1
26.	,,	लोरड़ी	—	—	1	1
27.	,,	सावरदा	—	—	2(2)	2
28.	,,	सावली	—	—	—	—
29.	,,	हरसोली	—	—	—	—
30.	,,	हिरनोदा	—	—	—	—
31.	,,	घाघोली	—	—	—	—
32.	,,	विहारीपुरा	—	—	—	—
33.	,,	गाडोता	—	—	—	—
34.	,,	उग्रास	—	—	—	—
35.	,,	गुढ़ा बेरसल	—	—	—	—
36.	,,	बरखौती	—	—	—	—
37.	,,	हुवसपुरा	—	—	—	—
38.	,,	ढाणी बोराज	—	—	—	—
39.	,,	गंगाती कला	—	—	—	—
40.	,,	सेवा	—	—	—	—
41.	,,	मांगलवाड़ा	—	—	—	—
42.	,,	सुनाडिया	—	—	—	—
43.	,,	रामपुरा ढाका	—	—	—	—
44.	,,	भगतपुरा	—	—	—	—
45.	,,	गिदाणी	—	—	—	—

Page No.317

1	3	3	4	5	6	7
46.	रा. उ. मा. वि.	असेंपुरा	—	—	—	—
47.	,,	शाईदान का वास	—	—	—	—
48.	,,	आसलपुर	—	—	—	—
49.	,, कन्या	दूदू	—	—	—	—
50.	,,	आसलपुर	—	—	3	3
51.	,,	महला	—	—	—	—
52.	,,	साखून	—	—	—	—
53.	,,	बिचून	—	—	1	1
54.	,,	मौजमाबाद	—	—	—	—
55.	,,	छाग	—	—	—	—
		योग	4	15	28	47

रेगिस्तानी क्षेत्र में फ्लोराइड तत्व युक्त जल से अशक्तता रोग

162. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में कितने गांवों में इस वर्ष पेयजल में फ्लोराइड तत्व की अधिकता से कितने व्यक्ति अंग की अशक्तता (फ्लोराइड) रोग से पीड़ित हुए और उनके उपचार हेतु विभाग ने स्वच्छ जल प्रदाय हेतु जलदायविभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार बाड़मेर जिले के दो गांवों में सर्वेक्षण करने पर ग्राम लूणावत जागीर में 79 तथा भेडाना ग्राम में 11 व्यक्तियों के शरीर के अंगों में आशक्तता पाई गई। अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जो जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक

(चिकित्सा मन्त्री)

विभाग तथा इस विभाग द्वारा फ्लोराइड को पीने के पानी में अधिकता वाले. गांवों की सूची संकलित करने पर करना सम्भव होगा। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एन. आर. ई. पी. के तहत धनराशि का आवंटन

163. श्री सम्पत सिंह (नगर)—क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विगत पांच वर्षों में जिलेवार एन. आर. ई. पी. के तहत धनराशि किस अनुपात से एवं कितनी-कितनी बांटी गई ?

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिलेवार वितरण हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी एवं कितनी धनराशि अगले वर्ष देय होगी ?

(3) भरतपुर जिले में पंचायत समिति वार क्या व्यवस्था होगी एवं एन. आर. ई. पी. राशि कितनी होगी ?

उत्तर

(1) 1980–81 व 1981–82 में एन. आर. ई. पी. के तहत जिलेवार धनराशि का वितरण अकाल की स्थिति को देखते हुए किया गया। 1982–83, 1983–84 एवं 1984–85 में सामान्यता 72 प्रतिशत राशि जनसंख्या के आधार पर एवं 28 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर वितरण की जानी थी परन्तु इसमें जिलों के गत वर्षों के खर्च को देखते हुए संशोधन कर जिलों को राशि दी गई। विगत पांच वर्षों में जिला स्तर पर बांटी गई राशि का परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सामान्यतया 7वीं पंचवर्षीय योजना में जिलेवार वितरण हेतु जिले की कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषकों एवं सीमांत कर्मियों की सख्या एवं अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को ध्यान में रख कर राशि के वितरण की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिले में पूर्व दायित्वों की राशि व व्यय को देखते हुए संशोधन किया जा सकता है। वर्ष 1985–86 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को 11.00 करोड़ (अकें ग्यारह करोड़) रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन करने की सम्भावना है, जिसका विवरण जिलावार परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) 1985–86 के लिए भरतपुर जिले के लिए इकत्तीस लाख इकसठ हजार (31.61 लाख) रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत समितियों में राशि का वितरण जिला स्तर पर किया जाता है।

परिशिष्ट "क"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 से 85 तक जिलेवार राशि का आबंटन

(लाखों में)

क. सं.	नाम जिला	80–81	81–82	82–83	83–84	84–85
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	17.8250	98.50	22.197	28.07	44.00
2.	अलवर	9.7375	4.00	47.925	36.00	25.00
3.	बांसवाड़ा	5.9625	13.87	22.487	31.00	28.00
4.	बाड़मेर	11.3750	40.00	28.898	62.50	50.50
5.	भरतपुर	7.3750	3.18	33.009	31.55	5.00
6.	भीलवाड़ा	16.8500	69.47	33.741	52.25	40.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	बीकानेर	16.3000	120.68	13.107	40.00	25.00
8.	बून्दी	5.8375	2.57	13.951	14.143	29.00
9.	चित्तौड़गढ़	7.2715	24.93	35.266	28.08	50.00
10.	चूरू	14.9125	100.09	21.336	29.35	40.00
11.	धौलपुर	—	—	14.057	15.86	18.00
12.	डूंगरपुर	14.2410	31.50	17.211	13.00	25.50
13.	गंगानगर	10.2375	6.50	33.318	19.25	--
14.	जयपुर	15.0500	25.00	60.772	66.50	70.00
15.	जैसलमेर	5.5500	45.00	6.608	8.00	30.00
16.	जालौर	3.5750	32.27	24.224	25.96	27.00
17.	झालावाड़	4.8250	36.46	22.001	19.47	18.50

1	2	3	4	5	6	7
18.	झुन्झुनू	14.9625	46.23	29.204	27.32	45.00
19.	जोधपुर	12.1000	68.11	31.076	31.00	50.00
20.	कोटा	8.1000	4.00	33.161	30.37	60.00
21.	नागौर	12.6000	95.00	39.370	34.00	45.00
22.	पाली	20.8000	23.20	31.065	41.50	17.50
23.	सवाईमाधोपुर	23.0500	12.00	37.920	38.00	64.00
24.	सीकर	12.3000	16.50	30.595	29.00	8.00
25.	सिरोही	11.0375	6.66	14.071	13.00	22.00
26.	टोंक	5.3250	78.28	19.046	18.80	22.00
27.	उदयपुर	34.6050	110.00	54.581	56.00	70.00
28.	वन विभाग	8.3950	53.90	132.00	147.75	165.00
29.	सार्वजनिक नि. वि.	—	468.00	—	—	200.39

1	2	3	4	5	6	7
30.	कृषि विपणन बोर्ड	—	—	—	—	78.44
31.	सिंचाई विभाग	—	—	—	—	161.93
32.	कन्टीन्जेंसी	—	—	—	5.64	17.74
	योग—	330.2000	1636.00	902.20	993.65	1550.00
				– 8.65	+ 8.56	

वर्ष 1982–83 में रु. 8.65 लाख की कीमत का खाद्यान्न अभिकरण द्वारा नहीं उठाया गया था जिसको वर्ष 83–84 में सम्मिलित किया गया ।

परिशिष्ट "ख"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1985-86 में राशि का सम्भावित आवंटन

क्र. सं.	नाम जिला	85–86 (लाख रु.)
1	2	3
1.	अजमेर	27.35
2.	अलवर	53.04
3.	बांसवाड़ा	44.74
4.	बाड़मेर	25-26
5.	भरतपुर	31.61
6.	भीलवाड़ा	33.84
7.	बीकानेर	9.27
8.	बून्दी	13.97
9.	चित्तौड़गढ़	39.76
10.	चूरू	15.97
11.	धौलपुर	13.86
12.	डूंगरपुर	39.28
13.	गंगानगर	34.71
14.	जयपुर	51.99
15.	जैसलमेर	2.60
16.	जालौर	20.14
17.	झालावाड़	19.93
18.	झुंझुनूं	26.17
19.	जोधपुर	22.86
20.	कोटा	33.71
21.	नागौर	33.27
22.	पाली	36.30

1	2	3
23.	सवाईमाधोपुर	43.19
24.	सीकर	21.84
25.	सिरोही	15.82
26.	टोंक	21.06
27.	उदयपुर	92.43
28.	वन विभाग	220.00
29.	कन्टेन्जेन्सी	55.00
	योग :	1100.00

कृषि उपज मण्डियों के चुनाव

164. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)
श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर)— क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि उपज मण्डियों के चुनाव अन्तिम बार किस वर्ष में हुए तथा उसके पश्चात् अब तक नहीं करवाये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती हैं ?

(3) यदि हां, तो कब तक चुनाव सम्पन्न करवा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराने हेतु मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है ?

(5) क्या प्रत्येक कृषि उपज मण्डी में एक सदस्य क्रय-विक्रय समितियों का तथा एक केन्द्रीय सहकारी बैंक का चुना जाने का प्रावधान है ?

(6) यदि हां, तो उक्त दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि को चुनने के लिये किस प्रकार मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है जबकि वर्तमान में इन दोनों के संचालक मण्डल भंग हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार इन दोनों संस्थाओं में पहले चुनाव करवाकर जन

Page No.325

(श्री गंगाराम चौधरी)

प्रतिनिधियों को कृषि उपज मण्डी के चुनाव में भाग लेने हेतु अधिकार देने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनावों की सूची मण्डी समितिवार संलग्न है। मण्डी समितियों के गठन पर पुनर्विचार करने के कारण निर्वाचन नहीं हो सका।

(2) जी हां।

(3) चुनाव कराने की तिथि निश्चित करने का मामला विचाराधीन है।

(4) जी हां। कृषक एवं व्यापारी चुनाव क्षेत्रों की सूचियां तैयार कराई जा रही हैं।

(5) नियमों में सहकारी क्रय-विक्रय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा प्रावधान है परन्तु सहकारी बैंक में निर्वाचित न कराकर बैंक द्वारा अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का प्रावधान है।

(6) सहकारी संस्थाओं के जहां-जहां संचालक मण्डल भंग किये जाने पर प्रशासक नियुक्त हैं उनमें इन संस्थाओं के समस्त अधिकार निहित हैं।

(7) जहां तक सहकारी संस्थाओं के चुनाव का प्रश्न है चुनाव शीघ्र ही करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन संस्थाओं के चुनावों के बाद प्रशासकों के पृथक होने पर इन रिक्त स्थानों पर सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मण्डी समितियों में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

Page No.326

चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

क्र. स.	नाम मण्डी समिति	अन्तिम चुनाव का दिनांक
1	2	3
1.	बून्दी	13.4.71
2.	पाली	19.9.70
3.	कपासन	19.8.78
4.	चिड़ावा	25.8.81
5.	नाथद्वारा	चुनाव नहीं हुए।
6.	सूरजगढ़	24.2.72
7.	बांसवाड़ा	26.5.67
8.	केकडी	24.6.71
9.	प्रतापगढ़	28.6.71
10.	जोधपुर	28.6.71
11.	मालपुरा	13.7.71
12.	हनुमानगढ़	2.8.71
13.	बाड़ी	1.88.71
14.	उदयपुर	19.8.71
15.	बीकानेर	20.8.71
16.	टोंक	5.4.71
17.	निवाई	चुनाव नहीं हुए।
18.	सादुलपुर	चुनाव नहीं हुए।
19.	सांगरिया	30.6.68
20.	नोहर	3.9.68
21.	सीकर	चुनाव नहीं हुए।
22.	खैरथल	,,
23.	खेडली	16.3.73

1	2	3
24.	भीलवाड़ा	15.1.72
25.	बाड़मेर	18.4.72
26.	भिण्डर	चुनाव नहीं हुए।
27.	बालोतरा	19.5.73
28.	श्रीकरनपुर	30.6.72
29.	गजसिंहपुर	4.7.76
30.	जयपुर (फल सब्जी)	28.2.73
31.	श्रीगंगानगर	15.5.74
32.	विजयनगर	23.5.72
33.	रायसिंहनगर	30.7.74
34.	नीमकाथाना	31.5.64
35.	गुलाबपुरा	21.9.72
36.	श्रीविजयनगर	4.9.68
37.	सादूलशहर	13.6.68
38.	भरतपुर	4.6.73
39.	केकड़ी	13.12.72
40.	मदनगंज—किशनगढ़	12.4.73
41.	बयाना	19.4.73
42.	जयपुर (अनाज)	24.3.73
43.	ब्यावर	21.5.73
44.	चौमू	24.5.73
45.	कोटपूतली	28.5.73
46.	निम्बाहेड़ा	18.6.74
47.	आबूरोड़	14.6.74

1	2	3
48.	नागौर	15.6.73
49.	बारां	1.7.72
50.	अलवर	16.1.74
51.	फतेहनगर	18.1.74
52.	भीनमाल	19.7.74
53.	नरायना	19.10.74
54.	अजमेर	22.7.74
55.	धौलपुर	14.6.74
56.	चौमहला	17.6.74
57.	माण्डलगढ़	चुनाव नहीं हुए ।
58.	नदवई	5.6.74
59.	श्रीमाधोपुर	15.6.74
60.	सवाईमाधोपुर	29.6.74
61.	हिण्डौन	15.6.74
62.	कोटा	25.7.74
63.	सुमेरपुर	5.11.73
64.	मेड़तासिटी	8.6.74
65.	पदमपुर	22.6.74
66.	केसरीसिंहपुर	8.1.74
67.	पीलीबंगा	5.7.74
68.	भादरा	5.8.74
69.	रामगंजमण्डी	6.8.74
70.	कांमा	10.2.74
71.	कुचामनसिटी	26.8.74

Page No.329

1	2	3
72.	गंगापुरसिटी	1.3.74
73.	पीपाड़सिटी	12.9.74
74.	हीग	26.3.74
75.	जैतारण	25.9.74
76.	चाकसू	26.9.73
77.	बान्दीकुई	10.4.74
78.	बैंगू	8.10.74
79.	विलाडा	8.4.74
80.	आसिन्द	चुनाव नहीं हुए ।
81.	अन्ता	30.10.74
82.	इटावा	30.10.75
83.	खानपुर	चुनाव नहीं हुए ।
84.	महुआमण्डावर	18 5.74
85.	नोखा	7.7.74
86.	शिवगंज	15.4.74
87.	रानी	17.12.74
88.	सुमेरगंज	31.12.74
89.	सोजतरोड़	30.12.74
90.	नगर	चुनाव नहीं हुए ।
91.	मुसावर	चुनाव नहीं हुए ।
92.	छबड़ा	,,
93.	केशवरायपाटन	,,
94.	झुन्झुनू	,,

Page No.330

1	2	3
95.	झालरापाटन	,,
96.	चित्तौड़गढ़	,,
97.	शाहपुरा	,,
98.	जहाजपुर	,,
99.	डूंगरपुर	,,
100.	डीडवाना	,,
101.	चूरू	,,
102.	तारानगर	,,
103.	सरदारशहर	5.8.76
104.	सुजानगढ़	चुनाव नहीं हुए ।
105.	डूंगरगढ़	,,
106.	दौसा	1.2.75
107.	नवलगढ़	चुनाव नहीं हुए ।
108.	भवानीमण्डी	22.8.75
109.	फतेहपुर	5.11.75
110.	सांगोद	चुनाव नहीं हुए ।
111.	उनियारा	,,
112.	टोडारायसिंह	,,
113.	आमेट	,,
114.	रावतभाटा	,,
115.	बनेडा	,,
116.	डेगाना	,,
117.	सांचोर	,,

Page No.331

1	2	3
118.	लूणकरणसर	चुनाव नहीं हुए ।
119.	रावतसर	,,
120.	अनूपगढ़	,,
121.	जालोर	,,
122.	राजगढ़	,,
123.	लालसोट	,,
124.	देवगढ़	,,
125.	बड़ीसादड़ी	,,
126.	सूरतगढ़	,,
127.	गोविन्दगढ़	,,
128.	रतनगढ़	,,
129.	किशनगढ़–रेनवाल	,,
130.	इकलेरा	,,
131.	जैसलमेर	,,
132.	घड़साना	,,
133.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	,,

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्राप्त राशि

165. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर)–क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई है ?

उत्तर

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1985–86 में माह जून, 1985 तक केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से के रूप में 67·31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर गये डाक्टर्स

166. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़)—क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की स्वीकृति से विदेशों में डेपूटेशन पर भेजे गये कई डॉक्टर उनकी समयावधि गुजर जाने पर भी नहीं लौटे हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने डॉक्टर कब-कब भेजे गये, उनकी समयावधि कब-कब समाप्त हुई और नहीं लौटने के कारण सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समयावधि गुजर जाने के बाद भी वापस आने पर कई डॉक्टरों को पुन: राज्य सेवा में रख लिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन डॉक्टर समयावधि गुजर जाने के बाद कब-कब लौटे और उनको पुन: राज्य सेवा में क्यों लिया गया व उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रतिनियुक्ति पर विदेश में भेजे गये चिकित्सक समायावधि गुजर जाने के बाद वापस आने पर उनको पुन: राज्य सेवा में रखा गया उनकी सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है। जिन-जिन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। वह प्रत्येक चिकित्सक के नाम के सामने अंकित है तथा शेष के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार की स्वीकृति से विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये चिकित्सक जो समयावधि पूर्ण हो जाने पर भी नहीं लौटे उनकी सूची—

क्र. सं.	नाम	विदेश का नाम	निर्धारित अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
1.	डॉ. सुरेश टी राय	लीबिया	1–8–75 को कार्य मुक्त किया अवधि 27–2–81 तक बढ़ाई	राज्य सरकार के पत्र सं. 1(101) चि. स्वा./73/ग्रुप–2/दिनांक 24–7–81 द्वारा डा. राय को वापस बुलाने हेतु पत्र लिखा गया लेकिन नहीं लौटे। उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।
2.	डॉ. एस. सीसुखानी	जाम्बीया	19–4–75 को कार्यमुक्त किया	वापस नहीं लौटे। उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
3.	डा. एस. के. सचदेव	लीबिया	4–3–81 से 2 वर्ष	वापस नहीं लौटे । उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।
4.	डॉ. सुदामा	लीबिया	5–11–75 से 2 वर्ष अवधि वृद्धि 19–11–79 तक	अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु मामला विचाराधीन है ।
5.	डॉ. बी. एन हर्ष	लीबिया	6–3–77 को कार्यमुक्त किया गया	निदेशालय के पत्र सं. ई/सी. ए. एस./बी–157/8 दिनांक 6–1–84 द्वारा मामला राज्य सरकार को निर्णय हेतु भेजा गया । उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।
6.	डॉ. सी. एम. भण्डारी	लीबिया	24–9–77 को कार्यमुक्त किया गया	निदेशालय के पत्र सं. ई/सी. ए. एस/सी.–33/330 दिनांक 24–4–83 द्वारा मामला राज्य को प्राप्त हो गया है । अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मामला विचाराधीन है ।
7.	डॉ. महेश उपाध्याय	लीबिया	21–12–80 से 2 वर्ष	राज्य सरकार के पत्र क्र. प. 17 (604) चि. स्वा/ग्रुप–2/64 दिनांक 3–5–85

1	2	3	4	5
				द्वारा लीबिया सरकार के भारतीय दूतावास के माध्यम से डॉ. उपाध्याय को कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किया गया है।
8.	डॉ. मुरारी लाल चूड़िवाल	ईरान	25–8–75 से 1 वर्ष	डॉ. चूड़ीवाल के विदेश से वापस नहीं लौटने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र चाहे गये हैं।
9.	डॉ. आई. डी. कच्छावा	लीबिया	10–2–81 से 2 वर्ष अवधि वृद्धि 9–2–85 तक	अवधि वृद्धि दिनांक 9–2–86 तक की कार्यवाही विचाराधीन है।
10.	डॉ. के. एम. वर्मा	अल्जीरिया	25–2–81 से 2 वर्ष	वापस नहीं लौटे कार्यवाही विचाराधीन है।
11.	डॉ. भगवती लाल सोमानी	लीबिया	31–10–79 से 1 वर्ष	वापस नहीं लौटे। कार्यवाही विचाराधीन है।
12.	डॉ. अब्दुल शकूर	ईरान	13–6–75	अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर गये। वापस नहीं लौटे। कार्यवाही विचाराधीन है।
13.	डॉ. रामकुमार सिंह चौहान	ईरान	16–7–75	अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर गये। वापस नहीं लौटे। कार्यवाही विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
14.	डॉ. विजय सिंह	लीबिया	31–8–80	वापस नहीं लौटे। कार्यवाही विचाराधीन है।
15.	डॉ. एल. के. ताम्बी रीडर फार्माकोलोजी	साऊदी अरब	6–5–83 से 6–6–84 तक एक वर्ष के लिए	एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पश्चात वापस नहीं लौटे। विभागीय जांच की जा रही है।
16.	डॉ. एन.के. सेन रीडर, पैथोलोजी	लीबिया	दो वर्ष 20-10-77 से 20-10-79	विभागीय जांच की जाकर कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 2 को सेवा से पृथक् किया गया।
17.	डॉ. वी. के. चौधरी रीडर, पैथोलोजी	लीबिया	पांच वर्ष 16-11-75 से 15-11-80	9 माह अधिक विदेश में रहे विभागीय जांच विचाराधीन है।
18.	डॉ. सुबोध कुमार सक्सेना व्याख्याता, पैथोलोजी	गुयाना	दो वर्ष 12-3-83 से 11-3 85	भारत सरकार से अवधि वृद्धि हेतु सहमति प्राप्त की जा रही है।
19.	डॉ. एम. पी. सरीन वरिष्ट प्रदर्श, पैथोलोजी	नाईजीरिया	दो वर्ष 12-3-83 से 11-3-85	यथा
20.	डॉ. वी. के. पेण्डसे रीडर, फार्मोकोलोजी	लीबिया	एक वर्ष 4-7-84 से 3-2-85	यथा

1	2	3	4	5
21.	डॉ. के. सी. राय प्रोफेसर. ई. एन. टी.	लीबिया	एक वर्ष 19-12-83 से 18-12-84	कार्यमुक्त होकर स्वदेश लौटने हेतु लिखा गया है।
22.	डॉ. (श्रीमती) विमला कच्छावा व्याख्याता, गायनों,	लीबिया	दो वर्ष 6-2-81 से 5-2-83 तक	यथा
23.	डॉ. बी. एल. तम्बोली प्रवक्ता, पी. एण्ड एस. एम.	ईराक	दो वर्ष 21-5-82 से 20-5-85	यथा
24.	डॉ. विनोद शहा प्रवक्ता, रेडियोलोजी	लीबिया	एक वर्ष 30-11-81 से 30-11-84 तक	अवधि वृद्धि का प्रकरण विचाराधीन है।
25.	डॉ. डी. के. सांखला रीडर, रेडियोलोजी	सउदी अरब	एक वर्ष 9 माह 2-6-83 से 1-3-85	यथा

1	2	3	4	5
26.	डॉ. बी. वी. सुब्बाराव व्याख्याता, फिजियोलोजी	लीबिया	एक वर्ष 30-8-75 से 31-8-79	विदेश से नहीं लौटने के कारण। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र कार्मिक विभाग को भेजे जा चुके हैं।
27.	डॉ. एम. एस. व्यास, रीडर, नेत्र रोग	यमन अरब रिपब्लिक	एक वर्ष 19-11-83 से 18-11-84	अवधि वृद्धि का प्रकरण विचाराधीन है।
28.	डॉ. बी. ए. गौड व्याख्याता, एनॉटोमी	लीबिया	एक वर्ष 30-8-78 से 30-8-79	वापस बुलाने हेतु विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार एवं भारत के लीबिया में राजदूत को लिखा गया।
29.	डॉ. हेमराम शर्मा रीडर, एनेस्थेसियां	लीबिया	एक वर्ष 10-9-74 से 9-9-75	सेवा निवृत किया गया। दिनांक 31-9-84 विभागीय कार्यवाही चालू है।
30.	डॉ. के. सी. कोटिया प्रोफेसर, मेडिसिन	लीबिया	दो वर्ष 27-9-78 से 26-9-80	सेवा निवृत।
31.	डॉ. एस. पी. गोयल, व्याख्याता, सर्जरी	यू. एस. ए.	दो वर्ष 16-6-73 से 15-6-75	विभागीय जांच होकर एवं सेवा समाप्ति के कार्मिक विभाग के आदेश सं. 1 (182) का/क-3/78 दिनांक 27-2-80 द्वारा।

1	2	3	4	5
32.	डॉ. डी. सी. शारदा रीडर, पेड्रेटिकस मेडिसिन	ईरान	एक वर्ष 18-7-75 से 17-3-76	सेवा समाप्त कर दी गई। आज्ञा सं 1(122) का/क-3/83 दिनांक 15-3-85
33.	डॉ. वी. एल. चौधरी व्याख्याता, मेडिसिन	यू. एस. ए.	दो वर्ष 27-12-73 से 26-12-75	विभागीय जांच चल रही है।
34.	डॉ. आर. एस. चौधरी व्याख्याता, एनेस्थेसिया	लीबिया	एक वर्ष 31-3-84 से 30-3-85	अवधि में वृद्धि का प्रकरण विचाराधीन है।
35.	डॉ. डी. एस. चौधरी व्याख्याता, एनॉटोमी	नाइजीरिया	एक वर्ष 16-9-82 से 15-3-83	वापस आने हेतु लिखा गया है।

परिशिष्ट "ख"

प्रतिनियुक्ति पर विदेश में गये चिकित्सक समयावधि गुजर जाने के बाद वापिस आने पर उनको पुनः राज्य सेवा में रखा गया उनकी सूची—

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	विदेश का नाम	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
1.	डॉ. आर. सी. थानवी	लीबिया	15-11-77 से 14-11-81	राज्य सरकार के पत्र सं. प. 1 (413) चि.स्वा./69/ग्रुप-2/ दिनांक 23-4-84 द्वारा डॉ. आर. सी. थानवी के दिनांक 15-11-81 से 3-2-84 तक सेवाओं से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी उक्त अवधि को सेवाओं में व्यवधान मानते हुए राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के अन्तर्गत दिनांक 4-2-84 से पूर्व की सेवाओं को जब्त किये जाने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 4-2-84 से सी. ए. एस. के पद पर नई नियुक्ति मानी गई।

1	2	3	4	5
2. डॉ. गुलाम सिवटान		ईरान	16-7-75 से 30-7-78	राज्य सरकार के पत्र सं. प. 1 (177) चि. स्वा./ग्रुप–2/ दिनांक 22–11–84 के द्वारा डॉ. गुलाम सिवटान के दिनांक 31–7–78 से 19–3–82 तक स्वेच्छा से विदेश में रहने के कारण उक्त अवधि की सेवाओं में व्यवधान मानते हुए राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के अन्तर्गत दिनांक 20–3–82 से पूर्व की सेवाओं को जब्त किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 20–3–82 से सी. ए. एस. के पद पर नई नियुक्ति मानी गई है ।
3. डॉ. जी. सी. जावा		ईरान	17-2-78 से 24-2-82 तक समयावधि में वृद्धि 24-2-83	डॉ. जावा के दिनांक 15–3–85 को वापसी पर राज्य सरकार के आदेश क्र. प. 1 (68) चि. स्वा. '77 ग्रुप–2/ दिनांक 15–3–85 द्वारा वारिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर भरतपुर में पदस्थापना किया गया । डॉ. जावा बिना स्वीकृति के दिनांक 25–2–83 से 15–3–85 तक ईरान में रहे । इसके लिए कार्यवाही विचाराधीन है ।
4. डॉ एच. एस. चन्डावत		ईरान	23-7-78 से 23-7-85	विदेश से वापस नहीं लौटाने पर राज्य सरकार के पत्र सं. प. 17 (326) चि. स्वा./65/ग्रुप–2/दिनांक 3–2–84

1	2	3	4	5
				द्वारा डॉ. चन्डावत को वापिस बुलाने हेतु पत्र लिखा गया एवं तार दिया गया। जिसके अनुपालना में डॉ. चन्डावत 1–3–84 को पदस्थापन हेतु उपस्थित हुए। डॉ. चन्डावत की बिना पूर्व स्वीकृति के दिनांक 24–7–83 से 28–2–84 तक विदेश में रहने के समय भारत सरकार की सहमति से नियमित कर दिया गया है।
5. डॉ. मूलचन्द व्यास		ईरान	दो वर्ष 25–8–79 तक समयावधि वृद्धि अक्टुबर, 82 तक	डा. व्यास के ईरान से वापसी पर आदेश सं. 594 दिनांक 1–11–83 तक राजकीय चिकित्सालय, गांधीनगर में इनका दिनांक 1–11–82 से 30–10–83 तक का समय नियमित करने के बारे में बिना विपरीत प्रभाव डाले, की शर्त पर पदस्थापन किया गया। जिसके लिए कार्यवाही विचाराधीन है।
6. डॉ. मोहन हीरानन्दानी		लीबिया	31-3-77 से 1-6-82 तक	राज्य सरकार ने अपने पत्र क्र. एफ. 17 (219) एम. पी. एच./60 दिनांक 17–12–83 के द्वारा सचिव मिनीस्ट्री आफ होम एफेयरस नई दिल्ली को डॉ. मोहन हीरानण्दानी का पीरियड नियमित करने हेतु लिखा गया है। स्थाई होने के कारण पुनः सेवा में लिया गया।

1	2	3	4	5
7.	डॉ. (श्रीमती) कंचन गट्टानी	ईरान	1-4-78 से 27-2-81	राज्य सरकार ने ईरान जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया दिनांक 24–6–76 को। डॉ. (श्रीमती) गट्टानी विदेश में 1–4–78 से 27–2–81 में बिना किसी अवकाश स्वीकृत कराये रहीं। विदेश से वापस आने पर राज्य सरकार ने उक्त चिकित्सक की राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अन्तर्गत इनकी पिछली सेवायें जब्त (फॅराफिट) करके दिनांक 28–2–81 से नई नियुक्ति मानी तथा इनका पदस्थापन ब्यावर में किया गया।
8.	डॉ. (श्रीमती) कुसुम अरोड़ा	लीबीया	14-11-79 से 19-12-82	राज्य सरकार के पत्र सं. प. 1 (370) चि. स्वा./70 ग्रुप–2 दिनांक 27–11–78 के द्वारा डॉक्टर को छ: माह के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया था। लीबिया में डा. श्रीमती अरोड़ा 14–11–79 से 19–12–82 तक बिना अनुमति रही। राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम 86 के अन्तर्गत दिनांक 20–12–82 से पूर्व की सेवायें जब्त कर सी. ए. एस. के पद पर नई नियुक्ति देकर जनाना अस्पताल जयपुर में पदस्थापन किया गया।

Page No.344

1	2	3	4	5
9.	डॉ. महेन्द्र बाघ	ओमान	1 वर्ष समयावधि वृद्धि 28-4-85	राज्य सरकार के पत्र सं. प. 1 (487) चि. स्वा./79/ग्रुप–2, दिनांक 8–4–85 द्वारा डॉ. बाघ को वापस बुलाने हेतु पत्र लिखा गया जिसके अनुसरण में डा. बाघ ने दिनांक 1–5–85 को कार्यग्रहण कर लिया है।
10.	डॉ. (श्रीमती) मासूमा अख्तर	अल्जीरिया	5-10-77 से 26-4-83	राज्य सरकार ने अल्जीरिया जाने के लिए अपने पत्र क्र. एफ. 1 (330) एम. पी. एच./70/ग्रुप–2/दिनांक 11–1–78 द्वारा दि. 5–8–77 से 4–10–80 तक के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। लेकिन डाक्टर दिनांक 5–10–80 से 26–4–83 तक निर्धारित अवधि के पश्चात् स्वेच्छा से विदेश में रहीं। स्थाई होने के कारण पुनः सेवा में लिया गया।
11.	डॉ. वी. पी. कालानी व्याख्याता पैड्रेंटिक्स सर्जरी	ईरान	30-3-77 से 28-4-84	कार्मिक विभाग में विभागीय जांच चल रही है। स्थाई होने के कारण पुनः राज्य सेवा में लिया गया।
12.	डॉ. आर. के. भार्गव प्रोफेसर, मेडिसिन	लीबिया	5–10–78 से 13–4–82	इनकी अवधि को नियमित करने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है। एवं इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। स्थाई होने के कारण पुनः राज्य सेवा में लिया गया।

1	2	3	4	5
13.	डॉ. एस० पी० सुधारानिया रीडर, पैड्रेटक्स, मेडिसिन	लीबिया	27–5–77 से 29–8–83	इनकी अवधि को नियमित करने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।
14.	डॉ० सैयद अजमल हुसैन, रीडर, मेडिसिन	ईरान	17–11–75 फरवरी, 88	विभागीय जांच की जा रही है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।
15.	डॉ० अब्दुल हकीम व्याख्याता, मेडिसिन	ईरान	29–8–75 से 2–4–83	भारत सरकार की सहमति से अवधि नियमित की जा चुकी है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।
16.	डॉ० यू० वी० जैन व्याख्याता, मेडिसिन		1–4–81	भारत सरकार से अवधि नियमित हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।

1	2	3	4	5
17.	डॉ० वी० एस० गुप्ता, रीडर, पी० एण्ड एस० एम०		25-11-77 से 27-10-83	भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।
18.	डॉ० वी० के० चौधरी, रीडर, पैथोलोजी	लीबिया	16-11-75 से 31-8-81	विभागीय जांच चल रही है। स्थाई होने के कारण पुन: राज्य सेवा में लिया गया।

रणथम्भोर बाघ अभयारण्य में अवैध फोटोग्राफी

167. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है सवाई माधोपुर में रणथम्भोर बाघ अभयारण्य में किसी भी व्यक्ति को फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं दी जाती है ? इस सम्बन्ध में क्या कोई वन्य-जीव अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह विभाग की जानकारी में है कि एक श्री वाल्मीकि थापर, पिछले कई वर्षों से इस अभ्यारण्य में रह रहे हैं और वहां पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह किस स्वीकृति के अन्तर्गत कर रहे हैं।

(3) क्या क्षेत्रीय निदेशक ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा है, और उनकी जानकारी भी है ? यदि हां, तो यह अवैध कार्यवाही क्यों चल रही है ?

(4) श्री थापर अभयारण्य के डाक बंगला में रहते हैं, या कहीं अन्यत्र ?

(5) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय निदेशक ने श्री थापर को राज्य में वाहन का उपयोग करने की पूरी छूट दी हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि थापर व केन्द्रीय निदेशक की सांठ-गांठ से वन्य-जीव पर फिल्म बनाकर विदेशों को भेजी जा चुकी है, और एक और तैयार कर भेजी जावेगी ?

(7) क्या सरकार इन सारे मामले डी. आई. जी., विजीलेन्स से जांच करवायेगी, और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सम्बन्धित नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार की सिफारिश अनुसार मुख्य वन संरक्षक द्वारा 27 मई, 1977 को स्वीकृति दी गई।

(3) जी नहीं। कोई अवैध कार्यवाही नहीं चल रही है।

(4) कभी डाक बंगले में रहते हैं व कभी क्षेत्र निदेशक के निवास स्थान पर।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्यों में प्रवेश व फोटोग्राफी सम्बन्धी नियम

Rule 23 Permit and entry fee for Sanctuary:—

(1) A person desiring to enter a Sanctuary for any of the purpose mentioned in sub-section (1) of section 28 of the Act shall obtain a permit authorise by him in this behalf.

(2) A permit issued under sub-rule (1) shall specify the period for which it is valid.

(3) Every person to whom a permit has been issued under sub-rule (1) shall, before entering the Sanctuary, pay—

(a) S.No.	Name of Sanctuary, National Parks	Entrance fee citizen of India.	Non-citizen of India
1.	Keoladeo& Ranthambore National Parks and Sariska and Desert National Park Sanctuary.	Rs. 2/ per visit or per day if he stays with in the precinate of the National park or Sanctuary over night.	Rs. 10/–Per visit or per day if he stays within the precinate of the National park or Sanctuary overnight.
2.	All other Sanctuaries	Rs.1/– per visit per day if he stays within the precinate of the National park and Sanctuary overnight.	Rs. 5/–per visit or per day if he stays within the precinate of the National park or Sanctuary overnight.

(b) an additional fee for vehicles entering a Sanctuary or National park at the following rates:—

S. No. Entrance fee per vehicle per visit.

S. No.	Bus	Mini-bus capacity less than 21 perus.	Car/ jeep	Scooter/ Moter Cycle	Tonga	Hand drawn Rikshaw	Cycle
1. Keoladeo and Ranthambore National park and Sariska and Desert National Park/Sanctuaries.	50/-	30/-	10/-	3/-	8/-	3/-	2-/

Additional fees for retention of vehicles overnight, if permissible, within the National Park/Sanctuary. will be eharged at the same rates as specifed above for the initial entrance fees.

S. No.	Bus	Mini-bus	Car/ jeep	Scooter/ Moter Cycle	Tonga	Hand drawn Rikshaw	Cycle
2. All other Sanctuaries—	25/-	15/-	5/-	2/-	4/-	2/-	1/-

Additional fees for Retention of vehicles overnight if permssible, within the Nationa[Prak/Sanctuary, will be charged at the same rates as specified above for the initial entrance fees.

Provided that no fee shall be payable by a Government Servent who enters the sanctuary on duty and the fees for groups of students sponsored by educational institutions shall be 50% of the above rates,

Provided further that the State Government, may by notification in the official gazettee, restrict entry into the National Park or Sanctuary for all or any of the purposes mentioned in sub Section (1) of section 28 of the Act·

(4) Every person or group of persons not exceeding five utilizing the following facilities will pay the charges indicates against them.:—

(i)	Rowing boat of different types:	a) Rs. 6/– to Rs. 20/– for one hour or less, as fixed by the Chief wild Life warden for different categories of boats from time to time. b) Rs. 30/– for whole day.
(ii)	Service of the forest guide.	Rs- 5/– Per trip
(iii)	Use of search light for spotting.	Rs. 5/– per trip

(5) The fee for operating a camera within a National Park or Sanctuary shall be payable as indicates in the following Table

TABLE

	Type of Camera	Amount of fees per Camera per day.
(1)	Still Camera	Rs. 2/–
(2)	Movie (cine) Camera	
	(a) 8 MM Camera if used by an ammature photographer	Rs. 10/–
	(b) 16 MM Camera if used by an ammature photographer	Rs. 25/–
	(c) 8MM or 16 MM Camara if used by a professional photographer	Rs. 100/–
	(d) All 35 MM Cameras	Rs. 200/–

रायपुर तहसील के गांवों में पेयजल व्यवस्था

168 श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील के गांव कलालिया, चांग, चितौड़, सेन्दड़ा में सरकार द्वारा पेयजज की सुविधा के लिए पानी की बनाई गई टंकी से चारों गांवों के लोगों को आज दिन तक पानी की सप्लाई नहीं जा रही है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक प्रदाय चालू कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि रायपुर तहसील के ही गांव गिरी में टी. सी. एस. के अन्तर्गत बनाई गई अपूर्ण पानी की टंकी ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी गई? यदि हां, तो कब तक उक्त टंकी को पूर्ण कर जल प्रदाय की व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, योजनाओं के अन्य कार्य प्रगति पर है। धन उपलब्धि के अनुसार कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर टंकी से पेयजल वितरित किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्ष 1985–86 तक जलप्रदाय कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

राज्य में केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय

169 श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य केन्द्रीय योजनाओं पर कितना कितना व्यय गत पांच वर्षों में हुआ है, और चालू वर्ष में कितना व्यय होने की आशा है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजनाओं पर खर्चा कम हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये? भारत के सारे राज्यों में प्रति व्यक्ति कितना-कितना खर्चा किस-किस वर्ष में हुआ है? कृपया पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्रीय योजनाओं पर राज्यों में किस आधार पर खर्चा किया जाता है? इसके लिये जनसंख्या या क्षेत्रफल इनमें से कोई आधार है अन्य कोई आधार? इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज हों तो कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्रीय योजनाओं पर राज्य में ज्यादा खर्चा हो इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किये कब कब किये और उनका क्या नतीजा रहा? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) भविष्य में इन योजनाओं पर ज्यादा खर्चा हो, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) यह सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(वित्त मंत्री)

(3) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) केन्द्रीय योजनाओं पर राज्य में खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने समय-समय पर भारत सरकार से संपर्क किया है व विभिन्न स्तरों पर राज्य में केन्द्रीय विनियोजन बढ़ाने के मुद्दों को उठाया है।

(5) राज्य में अधिक विनियोजन हेतु केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों के माध्यम से व अन्य स्तरों पर निवेदन किया जाता रहा है।

बूंदी जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

170 श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी जिले में वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं सी. ए. एस. डाक्टर के कितने पद किस-किस अस्पताल में रिक्त हैं ?

(2) राज्य सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का इरादा रखती है ?

(3) पी. ए. सी., तालेड़ा में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त है, और अब तक क्यों नहीं भरा गया है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिलें में वरिष्ठ, कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं सी. ए. एस. डाक्टरों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:–

रिक्त पद

1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	सामान्य चिकित्सालय बूंदी।
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	सामान्य चिकित्सालय बूंदी।
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	केशवरायपाटन
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	नैनवा
5.	सी. ए. एस. डाक्टर	1	सामान्य चि.कि. बूंदी
6.	,,	1	पी. पी. सैन्टर नैनवा
7.		2	रैफरल अस्पताल नैनवा
8.	,,	1	राजकीय चिकि. हाबी
9.	,,	1	प्रा. स्वा. केन्द्र तलवास
10.	,,	1	प्रा. स्वा. केन्द्र, लाम्बोखो
11.	,,	1	प्रा. स्वा. केन्द्र डवलाना
12.	,,	2	प्रा. स्वा. केन्द्र कापरेन

(2) क्रम संख्या (1) व (2) पर अंकित पदों पर पदस्थापन आदेश दिनांक

(चिकित्सा मंत्री)

13-6-85 को जारी कर दिये गये है। शेष पद शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा में कोई महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, तालेड़ा में महिला चिकित्सक के पद पर पुरुष चिकित्सक कार्य कर रहा था और अब इस पद पर डा. (श्रीमती) कमला गुरवानी को दिनांक 28-6-85 से पदस्थापित कर दिया गया है।

जयपुर नगर में प्रदूषण प्रभाव

171 श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने यह सर्वे कराया है कि जयपुर शहर में वायु, ध्वनि, रोशनी तथा जल प्रदूषण किस मात्रा में है तथा यह किस गति से बढ़ रहा है? इसके रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

(2) प्रदूषण की रोकथाम के लिए लोक चेतना के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाये हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में जल एवं वायु प्रदूषण संबंधित सर्वे करवाया जा चुका है। ध्वनि व रोशनी के प्रदूषण से संबंधित सर्वे नहीं करवाया गया है। सर्वे के अनुसार जयपुर में बड़ी व मझोली जल प्रदूषण करने वाली 20 औद्योगिक इकाइयां तथा वायु प्रदूषण करने वाली 18 इकाइयां है। राज्य सरकार प्रदूषण की रोकथाम हेतु सबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है। इसके फलस्वरूप शहर में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ने की गति रुक गयी है। शहर के सीवेज एवं घरेलू दूषित जल से भी जल प्रदूषण तथा नगर में डीजल एवं पेट्रोल के हल्केपन भारी वाहनों की बढ़ती हुई संख्या से भी वायु प्रदूषण हो रहा है जिसके लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

(2) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम हेतु लोक चेतना के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालायें एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं समाचार पत्रों द्वारा समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता एवं रोकथाम के उपयों की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनो, सिनेमा, स्लाईड्स, स्टीकर्स एवं डोकूमेन्टरी फिल्मो के माध्यम से भी जन साधारण में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण के बारे में लोक चेतना जागृत की जाती है।

पर्यावरणीय शिक्षा एवं जन चेतना हेतु कार्यरत अधिकारियों का प्रशिक्षण, युवा छात्र-छात्राओं के लिए पर्यावरण सुधार शिविर तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयजित की जा रही है।

झाबरमाल पंचायत सिगठवाड़ा की मारबल की खाने

172 श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भैरूंलालमीणा)

(1) क्या यह सही है कि बावरमाल की खानें हैं? यदि हां तो क्या वहां के निवासी मारबल खान का पट्टा लेना भी चाहते हैं लेकिन विभाग पट्टा नहीं देता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मारबल की खानों पर कार्यरत श्रमिकों को समय मजदूरी नहीं दी जाती है और न ही श्रम विभाग इस ओर ध्यान देता है जिसके कारण यहां काम करने वाले श्रमिकों को हर स्तर पर परेशानियां उठानी पड़ती है? राहत मिल सके?

(3) क्या सरकार श्रम विभाग पर अपना प्रभाव डालेगी, जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील सराड़ा बाबरमाल ग्राम के निकट मारबल के खनन पट्टे स्वीकृत हैं। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार गत तीन वर्षों में किसी बाबरमाल निवासी ने मार्बल खनन पट्टे के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया आवेदन नियमानुसार प्राप्त होने पर क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर खनन पट्टा आवंटित किया जा सकता है।

(2) इस प्रश्न का जवाब खनिज विभाग से संबंध नहीं रखता है श्रम विभाग से सूचना प्राप्त की गई है। श्रम विभाग ने बताया है कि इस क्षेत्र में खनन कार्य करने वाले मजदूरों से मजदूरी नहीं चुकाये जाने बाबत पहले किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्रम विभाग इस ओर ध्यान दे रहा हैं हैं।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर श्रम विभाग को उचित कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका है। श्रम विभाग ने उदयपुर में अपने सहायक श्रम आयुक्त को आदेश दिये है कि वह श्रम कानून के प्रावधान के अनुसार पुनः निरीक्षण करें।

पचायत समिति, तिजारा व कोटकासिम में देशी सुरा की दुकानें

173 श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, तिजारा व पंचायत समिति, कोटकासिम, जिला अलवर में देशी शराब की कहां-कहां पर कितनी अधिकृत दुकानें हैं?

(2) ग्राम भौंकर,, टपूकड़ा तथा एस. बी. बी. जे. के पास तिजारा तथा जोड़िया नसोपुर आदि में जो देशी शराब की दुकानें हैं वे वैध हैं, अथवा नहीं?

(3) क्या कस्बा तिजारा, टपूकड़ा व कोटकासिम, जिला अलवर में जो देशी शराब की दुकानें बस स्टेण्ड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर से शराब के ठेकें उठवाने की व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्या जन स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है?

Page No.355

(आबकारी मंत्री)

उत्तर

(1) पंचायत समिति तिजारा व पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर में देशी शराब की चार अधिकृत दुकानें तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम तथा टपूकड़ा में है।

(2) टपूकड़ा व तिजारा से चल रही दुकानें वैध है मैंकर, जोडिया एवं नसोपुर में कोई दुकान नहीं चल रही है।

(3) दुकानें नियमानुसार स्वीकृत स्थानों पर ही है। अतः इन्हे हटाने का प्रश्न ही नही उठता है।

बालोतरा कस्बे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की व्यवस्था

174 श्री चम्पा लाल बांठिया (पचपदरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन चिकित्सा मंत्री द्वारा बालोतरा कस्बे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि एक दानदाता द्वारा उक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाने की अनुमति राज्य सरकार से चाही गई थी? यदि हां, तो क्या उसे स्वीकृति दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक उक्त हॉस्पिटल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

(2) जी हां, एक दान दाता द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृति चाही गई थी, परन्तु उनका प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई।

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु भवन निर्माण कार्य ठोस दान प्रस्ताव के अभाव में प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(3) दानदाता द्वारा ठोस प्रस्ताव आने पर इस सम्बन्ध में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

बीकानेर जिले के गोबर गैस संयंत्र

175 श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर में मई, 1985 तक किस-किस स्थान पर कितने गोबर संयंत्र स्थापित किये गये हैं? गोबर गैस संयंत्र की लागत, अनुदान, अनुदानित व व लाभान्वित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, पता सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त संयंत्र कब-कब लगाये गये, व कितने वर्तमान में कहां-कहां चालू हैं? कृपया लाभान्वित व्यक्ति के नाम, पता सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में चालू संयंत्रों का क्या प्रतिशत है? राज्य सरकार उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

(विशिष्ट योजना मंत्री)

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में मई, 85 तक 476 गोबर गैस संयन्त्र स्थापित किये गये हैं। संयन्त्रों से सम्बधित विस्तृत सूचनाएँ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला बीकानेर में वर्ष 1982-82 से गोबर गैस संयन्त्र स्थापित किये जा रहें हैं इनको विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रदेश में मई, 1985 तक 15449 संयन्त्र स्थापित किये गये जिनमें से 7661 संयन्त्र वर्तमान में चालू हैं। जिलेवार सूचि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) भारत सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। राज्य सरकार बायो गैस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु गई कदम उठा रही है। (ग्रामीण कारीगर प्रशिक्षण, महिला प्रशिक्षण आदि)

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(भाग (2) की सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में अब तक स्थापित गोबर गैस संयन्त्रों की सूची

क्र. सं.	जिला	स्थापित संयन्त्रों की संख्या	चालू संयन्त्रों की संख्या
1.	अजमेर	706	224
2.	अलवर	495	350
3.	बांसवाड़ा	197	85
4.	बाडमेर	90	65
5.	भरतपुर	456	174
6.	भीलवाड़ा	902	415
7.	बीकानेर	476	508
8.	बून्दी	359	52
9.	चित्तौडगढ़	375	217
10.	चूरू	412	206
11.	धोलपुर	105	57
12.	डूंगरपुर	285	173
13.	गंगानगर	1767	897
14.	जैसलमेर	79	74
15.	जयपुर	589	124
16.	जालोर	325	167
17.	झालावाड	213	131
18.	झुंझूनूं	441	295
19.	जोधपुर	780	750
20.	कोटा	525	107
21.	नागौर	422	278
22.	पाली	581	397
23.	सीकर	240	127
24.	सिरोही	237	87
25.	सवाईमाधोपुर	840	361
26.	टोंक	245	26
27.	उदयपुर	3308	1864
	योग	15449	7661

बायो गैस योजना के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि की जिलेवार सूचना

(वर्ष 81-82 से 84-85)

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	81-82	82-83	83-84	84-85	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	3.28	5.50	3.50	3.50	15.78
2.	अलवर	4.28	–	2.09	5.30	11.58
3.	बांसवाड़ा	–	0.75	1.25	2.50	4.50
4.	बाड़मेर	–	–	0.50	2.00	2.50
5.	भरतपुर	1.12	1.80	5.50	4.50	12.92
6.	भीलवाड़ा	1.67	5.00	4.00	3.50	14.17
7.	बीकानेर	1.12	5.25	1.50	2.50	10.37
8.	बून्दी	0.83	0.20	2.25	0.50	3.78
9.	चित्तौड़गढ़	1.12	1.75	2.50	1.00	6.37
10.	चूरू	1.12	1.40	2.50	7.00	12.02
11.	धौलपुर	–	0.75	0.50	2.20	3.45
12.	डूंगरपुर	–	1.00	0.50	3.75	5.25

1	2	3	4	5	6	7
13.	गंगानगर	3.73	7.27	5.33	27 00	43.33
14.	जैसलमेर	–	–	0.50	2.50	3.00
15.	जयपुर	4.67	1.00	0.50	8.00	14.17
16.	जालोर	0.44	1.50	0.75	6.00	8.69
17.	झालावाड़	0.44	0.75	1.25	1.90	4.34
18.	झुन्झुनूं	1.12	–	2.25	8.50	11.87
19.	जोधपुर	0.87	2.45	6.00	7.50	16.82
20.	कोटा	3.47	1.00	7.50	2.00	13.97
21.	नागौर	0.87	0.55	1.25	6.50	9.17
22.	पाली	2.06	1.75	2.50	6.25	12.56
23.	सीकर	1.12	0.50	0.50	3.50	5.62
24.	सिरोही	–	1.50	2.50	5.50	9.50
25.	सवाईमाधोपुर	2.78	0.50	8.50	12.60	24.38
26.	टौंक	0.44	1.50	0.75	2.00	4.69
27.	उदयपुर	1.67	9.00	10.25	41.00	61.92
	योग	38.22	52.67	76.83	179.00	346.72

खारची क्षेत्र में जल प्रदाय योजनाएं

176. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) के कौन-कौन से गांवों की किस-किस प्रकार की जलदाय योजनाएं स्वीकृत हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से गांवों में जलदाय योजना चालू है, तथा कौन-कौन से गांवों की योजना स्वीकृत है ? शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र खारची के ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां की जलदाय योजना स्वीकृत नहीं हैं ? उनमें से किन गांवों की योजना नहीं बनी है ? तथा इन गांव को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली के 125 ग्रामो की स्वीकृत योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची के 125 स्वीकृत ग्रामों में से 122 ग्रामों की पेयजल योजना चालू है व शेष 3 ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं पर कोई कार्य नहीं किया गया है। धन उपलब्धि के अनुसार योजनाएं शीघ्र ही पूर्ण की जा सकेगी। वितरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खारची के जिन गांवों की योजना स्वीकृत नहीं है एवं जिन ग्रामों के लिए योजनायें बनाई गई है उनका विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। धन उपलब्धि के अनुसार योजनाओं को स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी।

भाग—1 की सूची

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों की सूची जिनको पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

क्र. सं.	स्वीकृत गांव का नाम	कोड संख्या	योजना का प्रकार
1.	धनला	97	पाईप्ड योजना
2.	गुडारामसिंह	77	,,
3.	जोजावर	99	,,
4.	सिरीयारी	83	,,
5.	देवली	72	पम्प एण्ड टैंक स्कीम
6.	पाचेटिया	68	,,
7.	बिछोड़ाकल	21	,,
8.	धामली	65	,,
9.	नीमली माढा	55	,,
10.	ढीलाना कला	54	,,
11.	खोनवाड़ा	11	,,
12.	राणावास	58	क्षेत्रीय जल योजना
13.	गाधाना	59	,,
14.	चेलावास	60	,,
15.	हेमालियावास कलां	11	,,
16.	खारची बाजार	13	,,
17.	खारची गांव	14	,,
18.	राजकीयावास	16	,,
19.	खिचियावास	48	,,
20.	जाणुदा	74	,,

1	2	3	4
21.	गुडा केसरसिंह	76	क्षेत्रीय जल योजना
22.	ठाकरवास	56	,,
23.	कराडी	63	,,
24.	रडावास	79	,,
25.	जैतपुरा	73	,,
26.	सारन	52	,,
27.	भगोडा	105	,,
28.	बाडिया	71	,,
29.	बोरोमाता	49	,,
30.	बासनी जोजावर	96	क्षेत्रीय विस्तार जल योजना
31.	गुडानावा	94	,,
32.	अंगदोष	61	,,
33.	हिंगोला कलां	18	,,
34.	भिजवालिया	67	,,
35.	हिंगोला खुर्द	66	,,
36.	सुगालिया	19	,,
37.	बाइसा	20	,,
38.	बीठोड़ा खुर्द	22	,,
39.	गोदावास	17	,,
40.	ईसाली	75	टी.एस.एस.
41.	बान्देर	9	,,
42.	बाजनीपुरा	12	,,
43.	बनारी	17	,,
44.	बागोले	23	,,
45.	कोलार	25	,,
46.	पीलावानी	29	,,

1	2	3	4
47.	गुडादोरा मेडतियान	57	टी.एस.एस.
48.	मगर तालाव	58	"
49.	तीपल	67	"
50.	धानड़ी	49	"
51.	माताजी का गुडा	13	"
52.	मेवी कला	14	"
53.	पानोता	15	"
54.	सांवलता	33	"
55.	रामजी का गुडा	50	"
56.	टोकरिया	53	"
57.	चाक वाडिया	59	"
58.	बाडी	46	"
59.	बोगला	102	हैड पम्प योजना
60.	खारडी	5	"
61.	ढाल	89	"
62.	चावडिया	15	"
63.	सिचाना	82	"
64.	जाडन खालसा	2	"
65.	आसन जोधवान	93	"
66.	आसन डाकनिया	92	"
67.	गुडा गंगा	104	"
68.	करमाल	103	"
69.	गुडा हिम्मता	98	"
70.	गुडा महकरान	80	"
71.	बासोर	111	"
72.	हलावट	109	"

1	2	3	4
73.	गुडा भोपत	107	हैड पम्प योजना
74.	तालका	1	,,
75.	रडमलरा	50	,,
76.	चोकडिया	91	,,
77.	करवाडा	106	,,
78.	उमली निमली	51	,,
79.	गुडा सूरत	84	,,
80.	सिमला	4	,,
81.	लोलावास	12	,,
82.	गुडा हिन्दु	69	,,
83.	खोरा कल्याणपुरा	110	,,
84.	बेराडी	26	,,
85.	सिवास	28	,,
86.	धारिया	36	,,
87.	अकरावास	43	,,
88.	गुडा रुपसिंह	71	,,
89.	दुदावाड़	80	,,
90.	कोडवाड़िया	2	,,
91.	सप्तवा	4	,,
92.	इन्द्रवाड़ा	6	,,
93.	आशापुरा	16	,,
94.	गुडा कीतियान	21	,,
95.	गुडा ठाकुरजी	27	,,
96.	खारारला	35	,,
97.	रुबाड़ियावास	37	,,
98.	सलारिया	38	,,

1	2	3	4
99.	गुडागंगा	40	हैण्ड पम्प योजना
100.	जीवनकला	45	,,
101	गवाड़ा	51	,,
102	केरला	62	,,
103	टेकड़ी	62	,,
104	कासूली	64	,,
105	जीवन खुर्द	69	,,
106	गुडा खोरयाज	68	,,
107	लम्पी	98	,,
108	गुडा गोपीनाथ	19	,,
109	कोडसोलंकीयान	20	,,
110	टगुड़ा दौरा सोलंकीयान	22	,,
111	गुडा कला	24	,,
112	रुनगन	30	,,
113	इलामी	31	,,
114	गुडा भीमसिंह	32	,,
115	घोली	34	,,
116	गुडा मेहराम	42	,,
117	गुडा जेतवान	55	,,
118	घाटी	60	,,
119	गुडा हंसकरण	61	,,
120	मंदपुरा	63	,,
121	गुडा केसरसिंह	70	,,
122	सुमेर	97	,,
123	गुडा भोपसिंह	115	,,
124	गुडा मेघसिंह	48	,,
125	गुडा दुर्जन	18	,,

भाग संख्या 2 की सूची

क्र. सं.	पेयजल से लाभान्वित गांव का नाम	कोड संख्या
1	2	3
1.	घनला	97
2.	गुडा रामसिंह	77
3.	जोजावर	99
4.	सिरीयारी	83
5.	देवली	72
6.	पांथीटिया	60
7.	बिठाड़ा कलां	21
8.	घामली	65
9.	नीमली माड़ा	55
10.	दीलाना कलां	54
11.	खीन बाड़ा	11
12.	राणावास	58
13.	गाधाणा	59
14.	चेतावास	60
15.	हेमालियावास कलां	11
16.	खारची बाजार	13
17.	खारची गांव	14
18.	राजकीय भावास कल्स	16
19.	सिचियावास	48
20.	जाणूदा	74

1	2	3
21.	गुडा केसरसिंह	76
22.	ठाकरवास	56
23.	कराड़ी	73
24.	रड़ावास	79
25.	जेतपुरा	73
26.	सारन	52
27.	मगोड़ा	105
28.	वाडिया	71
29.	बारी माता	49
30.	वासनी जोजावर	96
31.	गुडा नावा	94
32.	अंगदोष	61
33.	हिंगोलाका	10
34.	भिनवालिया	76
35.	हिंगोला खुर्द	66
36.	गालिया	19
37.	बाड़सा	28
38.	बिठोड़ा खुर्द	22
39.	गोदावास	17
40.	वान्देरा	9
41.	बाजनीपुरा	12
42.	सनारी	17
43.	वागोले	23
44.	जोलार	25
45.	पीलोवानी	29

1	2	3
46.	गड़ादौरा मेड़तीयान	57
47.	मगर तालाव	68
48.	नीवल	67
49.	घानड़ी	49
50.	माताजी का गुड़ा	13
51.	मेवी कला	14
52.	पानोता	15
53.	सांवलता	33
54.	रामजी का गुड़ा	50
55.	सोकारिया	52
56.	चाकवाड़िया	59
57.	बाड़ी	46
58.	बागला	102
59.	खारडी	5
60.	ढाल	89
61.	चावड़िया	15
62.	सिचाना	82
63.	जाडन खालसा	2
64.	आसन जोधवान	93
65.	आसन आकनियां	92
66.	गुडा गंगा	104
67.	करमाल	103
68.	गुडा हिम्मत	98
69.	गुडा महकरान	88
70.	बासौर	111
71.	हुलावट	109

1	2	3
72.	गुडा मोपत	107
73.	तालका	1
74.	रड भालरा	50
75.	चौकड़िया	91
76.	करवाड़ा	106
77.	अंमली निमली	51
78.	गुडा सूरसिंह	84
79.	सिनला	4
80.	लोलावास	12
81.	गुडा दुर्जन	18
82.	बराड़ी	26
83.	सिवास	28
84.	घारिया	36
85.	अकरावास	43
86.	गुडा रुपसिंह	71
87.	दुदावाड़ा	80
88.	कोडवाड़िया	2
89.	सप्तवा	4
90.	इन्द्रवाड़ा	6
91,	आसापुरा	16
92.	गुडा कीतियान	21
93.	गुडा ठाकुर जी	27
94.	खारला	35
95.	रूबाड़िया बास	37
96.	सलारिया	38
97.	गुड़ा गंगा	40

Page No.370

1	2	3
98.	जीवन कलां	45
99.	गड़वा	51
100.	केरला	52
101.	टेकाही	62
102.	कासुली	64
103.	जीवन खुर्द	69
104.	गुडा खेरमांज	68
105.	लम्पी	98
106.	गुडा गोपीनाथ	19
107.	कोट सोलंकीयान	20
108.	गुडा देश सोलंकियान	22
109.	गुडा कलां	24
110.	रूनगन	30
111.	इलानी	31
112.	गुडा भीमसिंह	32
113.	घोली	34
114.	गुडा मेहरम	42
115.	गुडा जेठवास	55
116.	घाटी	60
117.	गुडा हंसकरण	61
118.	मन्दपुरा	63
119.	गुडा केसरसिंह	70
120.	सुमेर	97
121.	गुडा भोपसिंह	115
122.	गुडा मेघसिंह	48

Page No.371

भाग—3 की सूची

गांवों का विवरण जहां की पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	विवरण
1	2	3	4
1.	डायलाना कलां	56	योजना नहीं बनाई गयी है।
2.	सुजापुरा	94	,,
3.	राजकीया वास खुर्द	6	,,
4.	जोगड़ावास	7	,,
5.	नया गांव	64	,,
6.	डिगार	87	,,
7.	गुडा दुर्जन	78	,,
8.	गुडा अजवा	95	,,
9.	सोदो की ढाणी	100	,,
10.	गुडा भोपा	101	,,
11.	घालपुरा	108	,,
12.	आसनमलरा	90	,,
13.	बनियामाली	85	,,
13.	गुडा घमावतान	86	,,
15.	जाडन जांगीर	3	,,

1	2	3	4
16.	मालसा बोरी	81	,,
17.	प्राखावास	8	योजनाएं प्रस्तावित है ।
18,	बातां	70	,,
19.	फुलाद	88	,,
20.	प्राउवा	62	,,

उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरीमन्ना, सिणधरी, गुडामालानी एवं बायतू में अध्यापकों की कमी

177 श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरीमन्ना, सिणधरी, गुडामालानी एवं बायतू में कुल कितने स्टाफ की सरकार की नीति के अनुसार आवश्यकता है, एवं कितना स्टाफ कार्यरत है और कितने-कितने पद, पदवार रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्टाफ की कमी के कारण उक्त विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरी मन्ना, सिणधरी, गुडा मालानी एवं बायतू में नीति, के अनुसार स्टाफ की आवश्यकता, कार्यरत स्टाफ एवं रिक्त पदों की पदवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) जी नहीं ।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र सं.	पदनाम	नीति के अनुसार आवश्यकता घोरी मन्ना	सिणा घरी	गुड़ा मलानी	बायत्	स्वीकृत घोरी मन्न	सिणा घरी	गुड़ा मलानी	बायत्	कार्यरत घोरी मन्ना	सिणा घरी	गुड़ा मलानी	बायत्	रिक्त घोरी मन्ना	सिणा घरी	गुड़ा मलानी	बायत्
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	प्रधानाध्यापक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
2.	व्याख्याता	14	5	5	11	14	5	5	11	9	3	2	11	5	2	3	—
3.	व. अध्यापक	6	6	4	5	6	6	4	5	6	6	3	5	—	—	1	—
4.	द्वि. श्रे. शा. शि.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
5.	द्वि. श्रे. उद्योग अध्यापक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—
6.	दि. श्रे. पुस्त. अध्यापक	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—
7.	तृतीय श्रेणी अध्यापक	3	4	3	6	3	4	3	6	3	4	3	6	—	—	—	—
8.	तृतीय श्रेणी पुस्त. अध्यापक	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
10.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
11.	प्रयोगशाला सहायक	4	—	2	3	4	—	2	3	3	—	—	3	1	—	2	—
12.	प्रयोगशाला सेवक	4	—	2	3	4	—	2	3	1	—	—	3	3	—	2	—
13.	च. श्रे. क.	5	5	4	6	5	5	4	6	4	5	4	6	1	—	—	—
		42	27	26	40	42	27	26	40	30	24	17	39	12	3	9	1

	आवश्यकता	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
कुल योग :—	135	135	110	25

होम्योपैथिक महाविद्यालयों को आर्थिक सहायता

178. श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर)—क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने होम्योपैथिक महाविद्यालयों को गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की ? कृपया विद्यालयवार प्रतिवर्ष दी गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त आर्थिक सहायता देने का क्या आधार है ? उक्त महाविद्यालयों में कौन-कौन प्रिंसिपल कार्यरत हैं, तथा वे किस-किस राज्य के मूल निवासी हैं ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) विभागीय अनुदान नियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। गत पांच वर्षों में सहायता अनुदान प्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालयों में कार्यरत प्रिन्सिपल एवं उनके मूल निवास सम्बन्धी सूचना (परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

गत पांच वर्षों में होम्योपैथिक महाविद्यालयों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुदान राशि			विशेष विवरण
	राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जयपुर	युवराज प्रतापसिंह स्मारक होम्योपैथिक कॉलेज, अलवर।	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अजमेर।	
1	2	3	4	5
1980-81	17835.00 आवर्तक 67165.00 अनावर्तक योग 85000.00	7500.00	—	
1981-82	5000.00	7500.00	—	
1982-83	14680.00	6000.00	—	
1983-84	18350.00 आवर्तक 40000.00 आतुरालय हेतु योग 58350.00	7500.00	6000.00	
1984-85	18000.00	7500.00		इस वर्ष होम्योपैथिक कालेज, अजमेर का आवेदन पत्र अपूर्ण होने से अमान्य।

Page No.378

परिशिष्ट 'ब'

होम्योपैथिक महाविद्यालयों में कार्यरत प्रिन्सिपल एवं मूल निवासी का विवरण

क्र.सं.	नाम होम्योपैथिक कालेज	नाम प्रिन्सिपल	मूल निवासी
1	2	3	4
1.	राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जयपुर	डा. गिरेन्द्रपाल	करौली (सवाई माधोपुर) राजस्थान
2.	युवराज प्रतापसिंह स्मारक होम्योपैथिक कालेज, अलवर	डॉ. हरिप्रसाद त्यागी	उत्तर प्रदेश
3.	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अजमेर	डा. उदयवीरसिंह	वर्ष 1973 से भरतपुर (राजस्थान एवं इससे पूर्व महावतपुर (मथुरा) उत्तर प्रदेश।

पंचायत पचेवर की सहकारी समिति की राशि का दुरुपयोग

179. श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मालपुरा में पंचायत पचेवर की सहकारी समिति के विरुद्ध लाखों रुपये का गबन साबित हो चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सोसायटी के वर्षों से ताला लगा हुआ है ? यदि हां तो इसे पुनः कब तक क्रियाशील करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सोसायटी की राशि के दुरुपयोग एवं गबन में लिप्त पाये गये सदस्यों आदि के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पचेवर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. तहसील मालपुरा में व्यवस्थापक के विरुद्ध 5,135·85 पैसे के गबन के मामले साबित हो चुके हैं तथा 1,77,795·91 पैसे के गबन के मामलों में अभी जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं। ताला नहीं लगा है। सोसाइटी कार्य कर रही है।

(2) गबन एवं दुरुपयोग में लिप्त पाये गये सदस्यों आदि के विरुद्ध सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची

पंचायत समिति श्री माधोपुर में वन विकास हेतु गत 4 वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पचायत	नाम कार्य स्थल	कार्य वर्ष	क्षेत्रफल	नाम योजना
1.	रींगस	रींगस	81-82	25 हैं	ग्रामीण ईंधन एवं चारागाह विकास योजना
2.	सरगोठ	सरगोठ	81-82	15 हैं	,,
3.	टीकरीया	टीकरीया बावडी	81-82	40 प.	कि. मी. शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
4.	जयरामपुरा	जयरामपुरा	82-83	15 है	ग्रामीण ईंधन एवं चारागाह विकास योजना
5.	चौकडी	चौकडी चारणवास	82-83	50 है	परिभाषित वनों का पुनरारोपण।
6.	जालपाली	जालपाली	82-83	14 प.	कि.मी. शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण।
7.	रलावता	रलावता	83-84	14 है	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना।
8.	महरोली	महरोली	84-85	50 है	सील्वीपेस्टोरल वृक्षारोपण।
9.	मुन्डरु	मुन्डरु	84-85	12.5 है	ग्रामीण ईंधन एवं चारागाह विकास योजना

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची

तालिका 'अ'

विगत 5 वर्षों में डेयरी संयंत्र बीकानेर में घी व पाउडर का उत्पादन, विक्रय एवं दरों सम्बन्धी विवरण।

उत्पादन व विक्रय	1979–80	80–81	81–82	82–83	83–84
1. घी					
उत्पादन कि. ग्रा.	76071.5	29698	92232	54553	49092
विक्रय ,, ,,	130742.5	33375.5	61848	86352	7849.5
2. वसा रहित दुग्ध पाउडर					
उत्पादन कि. ग्रा.	35191	18371	17590	11405	2750
विक्रय कि. ग्रा.	36375	10000	16305	—	—
वसा युक्त दुग्ध पाउडर					
उत्पादन कि. ग्रा.	—	—	1840	89290	—
विक्रय कि. ग्रा.	—	—	—	19000	1(000

दर

उपरोक्त उत्पादित दुग्ध पदार्थों की विक्रय दरें विभिन्न वर्षों में निम्न प्रकार रही :—

1. घी की दरें—

दिनांक व वर्ष	पोलीपैक रु.	17/16/15 कि. कि.ग्रा. टिन रु.	4 कि.ग्रा. रु.	2 कि.ग्रा. रु.	1 कि.ग्रा. रु.	खुला घी रु.
1	2	3	4	5	6	7
2.4.79	निल	24.00	—	—	—	23.00
18.5.79	—	—	—	—	—	22.00
1.6.79	23.00	23.00	—	—	—	—
7.9.79	24.00	23.72	—	—	—	23.00
15.9.80	26.00	—	—	—	—	25.00
6.5.81	29.00	28.50	—	—	—	28.00
6.6.81	30.00	29.00	128.00	65.00	33.00	29.00
29.7.81	32.00	32.00	140.00	71.00	36.00	31.00
13.8.81	35.00	35.00	148.00	75.00	38.00	34.00
29.9.81	40.00	40.00	168.00	85.00	43.00	39.00
6.11.81	36.00	36.00	156.00	79.00	40.00	35.00
8.12.81	—	—	153.00	79.00	40.00	—
22.1.82	—	—	160.00	81.00	41.00	—
12.4.82	38.00	—	—	—	—	—
2.4.82	—	—	—	55.00	—	—
20.10.84	—	—	—	13.00	70.00	—
22.4.82	—	36.00	164.00	83.00	42.00	—
28.5.82	—	—	152.00	77.00	39.00	—
25.8.82	—	31.00 टैक्स				रा.गो.से. सं.
27.8.82	34.00	34.00	144.00	73.00	37.00	33.00
27.10.83	37.00	37.00	156.00	79.00	40.00	36.00
2.11.83	40.00	40.00	168.00	85.00	43.00	39.00

Page No.383

1	2	3	4	5	6	7
7.2.84	40.00	42.00	176.00	89.00	45.00	39.00
15.2.84	—	40.00	—	—	—	—
16.5.84	42.00	42.00	184.00	93.00	47.00	41.00
7.7.84	45.00	45.00	198.00	99.00	50.00	44.00
4.9.84	47.00	47.00	200.00	10.00	51.00	—
1.9.84	47.00	42.00	100.00	93.00	47.00	41.00
1.12.84	43.00	43.00	182.00	93.00	47.00	42.00
28.2.85	40.00	40.00	170.00	87.00	44.00	—
28.3.85	38.00	38.00	162.00	83.00	42.00	—
6.4.85	—	33.00				रा.गो.से. सं.
21.5.85		31.13 टैक्स	—			अग्रवाल किराणा भंडार
31.5.85		31.50 (ग्राल टैक्स)				,, ,,
12.6.85		30.00 (ग्राल टैक्स)				ग्रारसीडीएफ हनुमानगढ़

2. वसा रहित दुग्ध पाउडर (एस. एम.पी.) की दरें

19.5.79	13.50 प्रति कि.ग्रा.	
16.6.80	14.25 ,, ,,	
16.9.83	22.00 ,, ,,	
9.4.84	30 90 ,, ,,	17.50 (500 ग्राम)
20.4.84	33.10 ,, ,,	18.60 (500 ग्राम)
16.5.84	35.30 ,, ,,	19.70 (500 ग्राम)

3. वसा युक्त दूध पाउडर (डब्ल्यू. एम. पी.) की दरें

सितम्बर, 80	17.50 प्रति कि.ग्रा.
8.10.83	17.00 प्रति कि.ग्रा.

तालिका 'ब'

पिछले 5 वर्षों में बीकानेर डेयरी संयंत्र द्वारा अर्जित लाभ
एवं हानि का विवरण

वर्ष	लाभ (रुपयों में)	हानि (रुपयों में)
1979-80	—	(–) 18,14,302
1980-81	—	(–) 20,29,990
1981-82	(+) 20,77,200	—
1982-83	—	(–) 33,54,500
1983-84	(+) 69 22,700	—

नोट—उपरोक्त वर्षों के लेखों का अंकेक्षण होना अभी बाकी है ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 184 की सूची व विवरण

जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक पौधारोपण
एवं रख-रखाव पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

(व्यय लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	बांसवाड़ वन मण्डल द्वारा किया गया व्यय	विभागीय कार्य मण्डल द्वारा किया गया व्यय	योग
1.	1980–81	8.44	1.88	10.32
2.	1981–82	12.11	3.15	15.26
3.	1982–83	9.21	3.28	12.49
4.	1983–84	19.29	3.32	22.61
5.	1984–85	30.61	2.37	32.98
	योग :	79.66	14.00	93.66

बांसवाड़ा जिला में वन विभाग की विभागीय योजना के माध्यम
से वर्ष 1980 से 1984 तक वर्षवार वन खण्डवार लगाये
गये पौधों का विवरण

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	2	3	4
वर्ष 1980			
1.	वनखण्ड भूतखोरा नं. 1	10,000	7,330
2.	वनखण्ड भूतखोरा नं. 2	10,000	6,290
3.	वनखण्ड जगमेर जोगीमाल नं. 12	15,000	11,170
4.	वनखण्ड सूरजकुण्ड नं. 7	5,000	4,230
	योग :–	40,000	29,020
वर्ष 1981			
1.	सूरजकुण्ड नं. 9	17,000	13,650
2.	हुडावावजी–1	10,000	7,610
3.	जगमेर जोगीलाल नं. 21	8,000	5,820
4.	जगमेर जोगीमाल नं. 22	10,000	8,220
5.	जगमेर जोगीमाल नं. 12	20,000	16,880
6.	भूतखोरा नं. 1	2,500	2,030

1	2	3	4
7.	भूतखोरा नं. 2	2,500	1,970
	योग :--	70,000	56,180

वर्ष 1982

1.	कोठारिया नं. 5	26,000	25,500
2.	पानडिया नं. 12	25,000	22,000
3.	हुडावावजी–21	22,000	18,000
	योग:--	73,000	65,500

वर्ष 1983

1.	पानडिया नं. 10	28,000	27,860
2.	रोहाल उण्डवेला–7	25,500	24,730
3.	भूतखोरा नं.–7	26,500	25,170
	योग :—	80,000	77,760

वर्ष 1984

1.	पानडिया नं. 2	36,174	33,150
2.	वडिताहिलेज नं. 3	31,430	28,390
	योग :--	67,604	61,540

बांसवाड़ा वन मण्डल में वर्ष 1980 से 1984 तक लगाये गये एवं
जीवित पौधों की वन खण्डवार सूची

क्र. सं.	वर्ष वृक्षारोपण	नाम रेंज	नाम कार्य	लगाये गये पौधे की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	1980	घाटोल	वरिठा हिलेज	20000	15800
2.	,,	,,	जगमेर जोगीमाल	20000	16000
3.	,,	,,	,,	40000	28000
4.	,,	,,	उमरझालापठार	15000	10250
5.	,,	,,	भोयरवोरठा	55000	45650
6.	,,	,,	भागतोल	45400	31780
7.	,,	पीपलखूट	हुडियामाल	50000	23750
8.	,,	,,	हुडाबावजी	6000	2700
9.	,,	,,	पूनापठार	50000	5000
10.	,,	बागीढोरा	महादेव खरोडी	41000	26650
11.	,,	,,	,,	10000	6500
12.	,,	,,	पन्डवाल	41000	22280
13.	,,	,,	राखोदेवी (लिलिवानी)	46029	42000
14.	,,	डूंगर	काचला	30647	18380
15.	,,	,,	चकनी करमदिया	6000	3500
16.	,,	,,	रतनमाल	10000	5500
17.	,,	,,	खजूरा	37334	22400
18.	,,	कुशलगढ़	कदवाली जोटलिया	40000	28000

Page No.389

1	2	3	4	5	6
19.	1980	कुशलगढ़	वालधर	20000	13200
20.	,,	,,	बडलाकीरेल	15075	10040
21.	,,	,,	खून्टाकुन्डिया	23511	14110
22.	,,	,,	चेखड बस्ती	15000	10800
23.	,,	,,	भवरकोट	14000	6600
24.	,,	बांसवाड़ा	माल रगावाव	41111	33200
25.	,,	,,	धनखेया कोटडा	42667	26000
26.	,,	,,	मेडीमाल भण्डार	40000	34700
27.	,,	गढी	जाटीखान	40000	30000
28.	,,	,,	,,	67124	40270
29.	,,	,,	बावाकुआवाला	15000	8550
30.	,,	सा. वा. बांसवाड़ा	राखो	11000	10450
31.	,,	,,	सेमालिया	10000	9490
32.	,,	सा. वा. बांसवाड़ा	बांसवाडा/ सागवाडा मार्ग	28000	26000
			योग :—80-81	973898	653550
33.	1981	डूंगरा	भीमपुरा	34200	21000
34.	,,	,,	पाटडिया ए	9830	6680
35.	,,	,,	,, (बी)	15750	11990
36.	,,	बांसवाडा	बालढ़ेबरी	34800	28300

1	2	3	4	5	6
37.	1981	बांसवाडा	मेडीमाल भण्डार	35000	29300
38.	,,	,,	आनन्द सागर	9000	44000
39.	,,	,,	नाल रगावाल	25000	19100
40.	,,	बागीडोरा	राखोदेवी लिलवानी	35600	30260
41.	,,	,,	कोवाडाबरी	28590	17230
42.	,,	पीपलाखूट	हडियामाल	35000	24500
43.	,,	गढी	रोहलापरडाखी	45000	31500
44.	,,	,,	,,	24500	18370
45.	,,	,,	,,	10000	6500
46.	,,	घाटोल	चित्तलिया मडेलिया	35000	26600
47.	,,	,,	भागतोल	35000	27300
48.	,,	,,	वरिठा हिलेज	32800	29050
49.	,,	,,	भागतोल	4500	3150
50.	,,	,,	वतलिया मेडेलिया	15000	12000
51.	,,	,,	वरिठा हिलेज	20000	14400
52.	,,	कुशलगढ़	फोटडी बगायचा	18200	11830
53.	,,	,,	गलघर	12500	8250
54.	,,	,,	मिर्चघाटी	10000	7000
55.	,,	पीपलखूट	नायन वडलीखेडा	26150	12150
56.	,,	सा. वा.			
		बांसवाड़ा	राखो–II	4807	3280
57.	,,	,,	,,–III	6020	4650
58.	,,	,,	गमानिया–I	8300	4400

Page No.391

1	2	3	4	5	6
59.	1981	सा.वा. बांसवाडा	गमानिया–II	12750	5100
60.	,,	,,	नायपादर	16000	15300
61.	,,	,,	भटवाडा	20500	18000
62.	,,	,,	सागवाडिया	11200	8000
63.	,,	,,	बागीदोरा	4900	4000
64.	,,	,,	टिम्बी	44510	19000
65.	,,	,,	साबांवाडा/सागवाडा मार्ग	24860	21050
66.	,,	,,	,, ,,	8830	7900
			योग—81–82	686097	524140
67.	1982	घाटोल	गरजियामगरा	35000	31150
68.	,,	,,	संतबोडिया	35000	31500
69.	,,	,,	वडियाहिलेज	5000	3550
70.	,,	पीपलखूट	नायन वडिलिखेडा	35000	14100
71.	,,	,,	हुडियामाल	17000	11400
72.	,,	गढी	रोहलापन्नासी	35000	28000
73.	,,	,,	लोहरिया	5000	3010
74.	,,	बागीडोरा	तलवाडा	37000	34490
75.	,,	,,	देवकातरा	20000	9700
76.	,,	,,	भूराकुआईटाला	10000	4840
77.	,,	बांसवाड़ा	मेडीमाल भण्डार	35000	25600

1	2	3	4	5	6
78.	1982	इनाल	नालढेबरी	24000	13900
79.	,,	कुशलगढ़	पाडला वसुली	35000	21060
80.	,,	,,	बड़लाकीरेल	10000	7720
81.	,,	डूंगरा	भीमपुरा	18000	13000
82.	,,	,,	सूरजकुण्ड	24000	15000
83.	,,	,,	अन्देश्वर	30000	26400
84.	,,	पीपलखूंट	पूनापठार	10000	5875
85.	,,	सा. वा. बांसवाड़ा	भीमपुरा	17950	14960
86.	,,	,,	रामटिया	27250	22050
87.	,,	,,	जोलाना	22350	21650
88.	,,	,,	मेथावाड़–I	4900	3820
89.	,,	,,	बांसवाड़ा–उदयपुर मार्ग	7150	6660
90.	,,	,,	बांसवाड़ा सागवाड़ा मार्ग	26140	21640
91.	,,	,,	सरेडी	37800	31450
92.	,,	,,	वेडवा	41650	34000
93.	,,	,,	भटवाड़ा–II	11250	7000
94.	,,	,,	बागखोरा	40000	17900
			योग:— 82—83	656440	481405

1	2	3	4	5	6
95.	1983	बांसवाड़ा	हिन्डोलामाल	10000	72100
96.	,,	,,	बडामान्दराखो	40000	30800
97.	,,	पीपलखूंट	भूतखोरा	10000	67000
98.	,,	बागीडोरा	उम्मेदगढ़	50000	41000
99.	,,	,,	,,	40000	30000
100.	,,	कुशलगढ़	मीचंघाटी	10000	7300
101.	,,	,,	हल्दूपाडा	50000	26000
102.	,,	डूंगरा	काचला	40000	28000
103.	,,	गढी	राहलपन्नासी	32000	25600
104.	,,	घाटोल	गरजियामगरा	40000	32000
105.	,,	,,	सतबिडिया	40000	32800
106.	,,	,,	भागतोल	50000	46500
107.	,,	सा. वा. बांसवाड़ा	मादलदा वादिया	11000	98500
108.	,,	,,	चन्दुजीकागढा	12000	10620
109.	,,	,,	अचलपुरा	17820	13250
110.	,,	,,	सेजपुर	17125	3740
111.	,,	,,	चोगासाग	20000	16500
112.	,,	,,	भगोरा	11000	10600
113.	,,	,,	गोपीनाथ का गढा	24000	18600
114.	,,	,,	वजवाना	23050	19000
115.	,,	,,	अमरीपाडा	25301	16910
116.	,,	,,	मीयावासा II	13200	9900

1	2	3	4	5	6
117.	1983	सा. वा.बांसवाड़ा	मातामगरी	5000	3500
118	,,	,,	रोडसाईल प्लान्टेशन बांसवाड़ा	35000	29750
119.	,,	,,	उदयपुर मार्ग		
		योग 83–84		905996	675230
120.	1984	बागीडोरा	सागवाईटाला	40288	30260
121.	,,	बांसवाड़ा	बारीघाटा दानपुर	40500	30300
122.	,,	डूंगरा	कारमी	20000	19500
123.	,,	बांसवाड़ा	बन्दोरमाता	23650	15550
124.	,,	गढी	रोहूलापनासी	20000	17000
125.	,,	घाटोल	मोयरवेरदा	40000	28000
126.	,,	सा. वा. बांसवाड़ा	टान्ही	9200	5520
127.	,,	,,	उम्मेदगढी I	16000	13400
128.	,,	,,	रिगनिया	12400	9350
129.	,,	लवकाई	लवकाई जामुड़ी	22400	9100
130.	,,	,,	मोरऊटी	12000	7300
131.	,,	,,	ओजरिया	8000	6100
132.	,,	,,	डूडका	22000	16600
133.	,,	,,	नारावाडा	5500	4300
134.	,,	,,	मुन्नाखेडा	44000	35030
135.	,,	,,	उम्मेदगढ II	22000	16550
136.	,,	,,	मादलदा III	16500	11450

Page No.395

1	2	3	4	5	6
137.	1984	लवकाई	बांसवाडा/उदयपुर	34500	27950
138.	,,	,,	बांसवाडा बेढा दोहद मार्ग	18000	11780
139.	,,	,,	बांसवाड़ा माही डेम मार्ग	15200	86000
140.	,,	घाटोल	मांगतोल	82000	73800
141.	,,	,,	जगमेर जात्रीमाल	118000	105020
142.	,,	पीपलखूंट	नायनवडलीखेडा	50000	30000
143.	,,	बांसवाड़ा	हिन्डोमाल	50000	40000
144.	,,	बागीडोरा	उम्मेदगढ़	50000	45700
145.	,,	,,	थापडविलावडा	70000	59500
146.	,,	कुशलगढ	शिकारवाडी	200000	100820
147.	,,	सा. वानिकी बांसवाड़ा	विलोदा	160000	121200
148.	,,	सा. वानिकी बांसवाड़ा	मांदला	40000	28700
			योग 84-85 :	1268138	928380
			महायोग :—	4490564	3262705

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची

राजस्थान मुख्य मन्त्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 80-81 में चिकित्सा-लयों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र ।

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई है ।	राशि
1	2	3	4
1.	टोंक	जिला स्तरीय अस्पताल टोंक में अधुरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिये ।	27,000·00
2.	चूरू	1–भरतिया अस्पताल चूरू में प्रयोगशाला एवं अधुरे निर्माण कार्यों के लिये ।	15,000·00
		2–रतननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्यों के लिये ।	50,000·00
3.	बाड़मेर	ग्राम धोरोमना में राजकीय अस्पताल (डिस्पेन्सरी) तथा आवासों के निर्माण के लिये ।	75,000·00
4.	सिरोही	सिरोही में टी. बी. वार्ड के निर्माण के लिये ।	15,000·00
5.	उदयपुर	ग्राम पंचायत रेलमगरा में आयुर्वेदिक औषद्यालय के निर्माण कार्यों के लिये ।	10,000·00

1	2	3	4
6.	डूंगरपुर	डूंगरपुर अस्पताल में विभिन्न विकास/निर्माण कार्यों के लिये।	50,000·00
7.	जोधपुर	1-कोबाल्ट टेलोथ्यरेपी यूनिट के भवन निर्माण के लिये	50,000·00
		2-पीपाड़ लहर में निर्माणाधीन रेफरल अस्पताल के लिये।	1,00,000·00
8.	पाली	बागड़ अस्पताल के भवन निर्माण के के लिये।	25,000·00
9.	चित्तौड़गढ़	अस्पताल भवन बस्सी एवं प्राथमिक स्वा. केन्द्र पारसौली के भवन निर्माण कार्यों के लिये।	65,000·00
10.	बीकानेर	पी. बी. एम. अस्पताल के ई. एन. टी. विभाग के निर्माण कार्यों के लिये।	36,500·00
11.	भीलवाड़ा	जिला स्तरीय महात्मा गांधी अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिये।	1,00,000·00
		कुल योग—	6,18,500·00

Page No.398

राजस्थन मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1981–82 में अस्पतालों के भवन/निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र ।

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई है ।	राशि
1	2	3	4
1.	चित्तौड़गढ़	1–भादसोड़ा डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	20,000·00
		2–बेगू अस्पताल के भवन निर्माण के लिये ।	20,000·00
		3–ग्राम रावत भांटा में अस्पताल भवन के निर्माण के लिये ।	25,000·00
		4–जनरल अस्पताल प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	50,000·00
2.	उदयपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड़ में वार्ड्स एवं आउटडोर भवन के निर्माण के लिये ।	10,000·00
3.	जोधपुर	कोबाल्ट टेलोथ्यरेपी यूनिट के भवन निर्माण के लिये ।	1,00,000·00
4.	बाड़मेर	बाड़मेर टी. बी. क्लिनिक भवन के निर्माण कार्यों के लिये ।	65,000·00
5.	टोंक	जिला स्तरीय अस्पताल टोंक को परिधि में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ।	48,000·00
6.	सिरोही	जनाना अस्पताल सिरोही के परिसर में एक 10 रोगी शैयाओं के शिशु वार्ड के निर्माण के लिये ।	27,000·00

1	2	3	4
7.	अजमेर	1–खरवा राजकीय डिसपेन्सरी हेतु चोरघर के निर्माण कार्यों के लिये ।	3,500·00
		2–राजकीय अमृत कौर अस्पताल ब्यावर के निर्माण कार्यों के लिये ।	1,00,000·00
8.	डूंगरपुर	डूंगरपुर अस्पताल के विभिन्न विकास /निर्माण कार्यों के लिये ।	50,000·00
9.	अलवर	जनरल अस्पताल अलवर में आपरेशन थियेटर आउटडोर, वार्ड्स के निर्माण के लिये ।	1,00,000·00
		कुल योग—	6,18,500·00

भाग एक से सम्बन्धित सूचना

राजकीय मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1982-83 में अस्पतालों के भवन निर्माण /विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई है ।	राशि
1	2	3	4
1.	पाली	पाली में सिटी डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	77,500·00
2.	अलवर	खेडलीगंज, अलवर में वर्तमान डिस्पेन्सरी भवन के साथ 10 शैयाओं का मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाने के लिए ।	20,000·00

1	2	3	4
3.	डूंगरपुर	रैफरल अस्पताल सागवाड़ा में अतिरिक्त भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	1,50000·00
4.	चित्तौड़गढ़	रैफरल अस्पताल चित्तौड़गढ़ के निर्माण/विकास कार्यों के लिये ।	50,000·00
5.	भीलवाड़ा	1-जिला स्तरीय महात्मा गांधी अस्पताल में नवीन वार्डों के लिये ।	2,00,000·00
		2-जिला भीलवाड़ा के अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये ।	4,61,000·00
		3-जहाजपुर अस्पताल के भवन निर्माण के लिये ।	40,000·00
		3-ग्राम वड़लिया, पंचायत समिति कोटड़ी में अस्पताल के वार्ड निर्माण के लिये ।	21,000·00
		5-राजकीय अस्पताल रूपहेली खुद के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	33,000·00
6.	उदयपुर	1-उदयपुर के कैन्सर प्लान्ट के निर्माण के लिये ।	2,00,000·00
		2-भोण्डर अस्पताल भवन के निर्माण कार्यों के लिये ।	50,000·00
7.	कोटा	जिला स्तरीय अस्पताल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये ।	2,00,000·00
8.	बीकानेर	प्रिन्स विजयसिंह मैमोरियल जनाना अस्पताल बीकानेर में प्रसूती वार्डों के निर्माण कार्यों के लिये ।	50,000·00
9.	जैसलमेर	राजकीय जवाहर अस्पताल जैसलमेर में 12 बैड्स का एक वार्ड एवं इन से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के लिये ।	75,000·00

Page No.401

1	2	3	4
10.	जयपुर	एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर में बागड़ रिसर्च सेन्टर के निर्माण कार्यों के लिये ।	5,00,000·00
		कुल योग—	21,27,500·00

भाग एक से सम्बन्धित सूचना

राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1983-84 में चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई ।	राशि
1	2	3	4
1.	सिरोही	राजकीय चिकित्सालय आबू पर्वत पर प्रसूति एवं शिशु, कल्याण, ब्लाक के निर्माण कार्यों के लिये ।	1,000,00,00
2.	भीलवाडा	1–महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाडा के नवीन वार्ड के निर्माण कार्यों हेतु	67,000·00
		2–बिजौलिया अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिये ।	1,00,000·00
		3–गुलाबपुरा अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	1,00,000·00

Page No.402

1	2	3	4
		4-चिकित्सालय भवन ग्राम सलावटिया के निर्माण कार्यों हेतु ।	1,00,000·00
		5-माण्डलगढ़ अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिये ।	1,00,000·00
		6-होम्योपैथिक अस्पताल भीलावाडा के निर्माण कार्यों हेतु ।	50,000·00
3.	पाली	बांगड अस्पताल, पाली के प्रागण में दो वार्ड (बच्चा वार्ड एवं आंख कान वार्ड के निर्माण कार्यों के लिये ।)	50,000·00
4.	चूरू	भरतिया अस्पताल चूरू के प्रयोगशाला आदि के निर्माण एवं अधूरे पड़े कार्यों के लिये ।	25,000·00
5.	श्रीगंगानगर	राजकीय चिकित्सालय भवन श्रीगंगानगर के आपरेशन थियेटर प्रसूति वार्ड एवं सार्वजनिक वार्ड एवं रसोई घर के समिति विकास एवं मरम्मत के लिये ।	1,00,000·00
6.	भीलवाडा	1-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ी के भवन निर्माण कार्यों हेतु ।	30,000·00
		2-बांदनोर अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों हेतु ।	30,000·00
7.	कोटा	महाराव भीमसिंह अस्पताल में रिहेबीलिशन कम रिसर्च सेन्टर के लिये ।	50,000·00
8.	अजमेर	यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ़ के भवन निर्माण कार्यों के लिये ।	2,00,000·00
9.	बून्दी	सामान्य चिकित्सालय बून्दी के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों हेतु ।	1,90,000·00

1	2	3	4
10.	उदयपुर	कमला नेहरू अस्पताल में अधूरे निर्माण कार्यों हेतु।	40,000·00
		कुल योग—	13,32,000·00

भाग एक से सम्बन्धित सूचना

राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1984–85 में चिकित्सालयों के भवन निर्माण /विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई है।	राशि
1	2	3	4
1.	भीलवाडा	1–ग्रामपुर में महिला वार्ड तथा प्रसूति गृह निर्माण कार्य हेतु।	10.000·00
		2–कोटडी अस्पताल में महिला वार्ड में निर्माण कार्य हेतु।	10,000·00
		3–ग्राम फुलियाकलां अस्पताल के निर्माण /विकास कार्यों के लिये।	40,000·00
		4–माण्डलगढ रैफरल अस्पताल से आपरेशन थियेटर के निर्माण कार्यों के लिये।	1,50,000·00
		5–महात्मा गांधी अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिये।	40,000·00

1	2	3	4
2.	नागौर	मेड़ता चिकित्सालय में भवन निर्माण कार्यों हेतु।	75,00000
3.	जैसलमेर	श्री जवाहर चिकित्सालय में इन्डोर वार्ड बनवाने के लिये।	10,000·00
4.	पाली	बागड़ अस्पताल पाली के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु।	
5.	कोटा	महाराव भीमसिंह चिकित्सालाय के अहाते में बन रहे रिहेबिटेसन कम रिसर्च सेन्टर के निर्माण कार्यों के लिये।	1,00,000·00
6.	जोधपुर	उम्मेद हास्पिटल फार वीमेन एण्ड चिल्ड्रन के निर्माण कार्य हेतु।	1,00,000·00
7.	झालावाड	झालावाड जिला स्तरीय अस्पताल में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु।	1,00,000·00
8.	उदयपुर	कोबाल्ट कैन्सर प्लान्ट हेतु।	1,00,000·00
9.	बूंदी	1–टी. बी. क्लिनिक बिल्डिंग के निर्माण कार्यों के लिये।	50,000·00
		2–सामान्य चिकित्सालय बूंदी के निर्माण कार्यों के लिये।	1,50,000·00
		कुल योग:—	10,35,000·00

राजस्थान सरकार

मुख्यमन्त्री कार्यालय

क्र. एफ. 42 (1) अ. स. को., मु. म./78/ जयपुर, दिनांक 21 मार्च, 78

अधिसूचना

राज्यपाल महोदय ने राज्य में अस्पतालों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों के समुचित विकास में गैर-शासकीय सहायता के स्थाई स्रोत की स्थापना के उद्देश्य से राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष के गठन को तथा कोष के शासनार्थ निम्न-लिखित नियमों को स्वीकृति प्रदान की हैं:—

1. ये नियम राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष नियम 1977 कहलायेंगें तथा ये एक जनवरी, 1978 से प्रभावशील माने जावेंगें।

2. राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष में सहायता व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों से नकद में अथवा चैक्स/बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा उपकरण एवं संयत्र में प्राप्त की जा सकेगी।

3. इस कोष का निर्माण 3·00 करोड़ रुपये की पूंजी से किया जावेगा जिसमें से 75.00 लाख रुपये राजस्थान राज्य नागरिक परिषद कोष से इस कोष में स्थानान्तरित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस कोष में 75·00 लाख को अनावर्तक सहायता दो किस्तों में दी जावेगी। इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 50·00 लाख रुपया स्वीकृत किया जावेगा, शेष 25·00 लाख रुपये आगामी वर्ष (78–79 में) स्वीकृत किया जावेगा। इसके अतिरिक्त 1·50 करोड़ की सहायता को नकद में तथा उपकरण सन्यंत्रों के रूप में जनता से अपेक्षा की जाती है।

4. यह एक स्याई कोष होगा जिसमें किसी भी सीमा तक पूंजी जमा की जा सकेगी। स्थायी कोष से अर्जित ब्याज से ही कोष से सहायता दी जायेगी।

5. राजस्थान मुख्यमन्त्री अस्पताल विकास कोष से सहायता, निम्नांकित उद्देश्यों के लिये, अनावर्तक रूप में (एक मुश्त) दी जावेगी, अर्थात्:—

(क) राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय एवं गैर-राजकीय अस्पताल चिकित्सा औषधालय/ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं जैसे–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि तथा इन सब से संलग्न धर्मशाला एवं विश्रामालयों आदि, जो केवल रोगियों तथा उनके साथ आये हुये सहायकों के उपयोग में

ही आ सकें। के समुचित विकास एवं जन-सुविधा की दृष्टि से अधिकतम उपयोग के लिये किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु।

(ख) उपरोक्त संस्थाओं में नितान्त आवश्यक उप-करणों एवं संयत्रों आदि की खरीद के लिये।

(ग) उपरोक्त संस्थाओं नितान्त आवश्यक ऐसी औषधियों की खरीद के लिये जो सामान्य राजकीय बजट से उपलब्ध न कराई जा सकें।

(घ) प्रदेश में महामारी, अकाल अतिवृष्टि एवं अन्य देवी प्रकोप के समय, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जीवन रक्षा हेतु औषधियों तथा कार्यों के लिये।

उपरोक्त अंकित सभी प्रकार की सहायता राजकीय अथवा गैर-राजकीय एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथी/प्राकृतिक/चिकित्सा/ यौगिक केन्द्रों के लिये दी जा सकेगी।

6. कोष का नियन्त्रक पूर्णत: मुख्यमन्त्री महोदय के अधीन रहेगी तथा कोष से सहायता की स्वीकृति भी, किसी भी सीमा तक, मुख्यमन्त्री द्वारा चिकित्सा विभाग अथवा आयुर्वेदिक विभाग अथवा सम्धित जिलाधीश द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर, या सीधे ही, उनके विवेकानुसार दी जा सकेगी।

7. इस कोष में प्राप्त होने वाली धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षित ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक में, मुख्यमन्त्री महोदय के आदेशों से जमा कराई जावेगी। राशि आहरित करने के लिये चैक्स पर हस्ताक्षर सचिव, मुख्यमन्त्री करने के लिये प्राधिकृत होंगें। कोष से धनराशियों का विनियोजन तथा राजकीय निगम संस्थाओं को ऋण देने एवं उसके लिये स्थाई जमा राशियों के पेटे बैंकों को ऋण लेने के लिये भी सचिव, मुख्यमन्त्री सक्षम होंगें।

8. कोष नियमानुसार पूर्ण लेखा मुख्यमन्त्री कार्यालय (लेखा एवं कोष प्रकोष्ठ) में रखा जावेगा और लेखों का अंकेक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा। आवश्यक होने पर कोष से व्यय के पृथक से भी नियम बनाये जा सकेगें।

9. इस कोष के लिये धनराशियां सामग्री जिला स्तरों पर भी एकत्रित की जावेगी। कोष के संग्रह के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा गत वर्ष प्रसारित मुख्यमन्त्री राजस्थान द्वारा नियन्त्रित कोषों के निर्माण एवं संग्रह सम्बन्धी सामान्य निर्देश उसी प्रकार लागू होंगें जिस प्रकार अन्य कोषों पर लागू है।

Page No.407

यह अधिसूचना वित्त विभाग की सम्मति क्रमांक (व्यय–1) 1602 दिनांक 17–2–78 से प्रसारित की जाती है।

आज्ञा से,
एस. डी
उप सचिव, मुख्यमन्त्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. महालेखाकार राज. जयपुर।
2. वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय राज., जयपुर।
3. आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
5. परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग., जयपुर।
6. समस्त शासन सचिव।
7. समस्त जिलाधीश।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. कोषाधिकारी, सचिवालय कोषागार, जयपुर।

उप सचिव मुख्यमन्त्री

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

पी. बी. एम. चिकित्सालय वर्ग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूची :—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	कहाँ कार्यरत है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भूराराम पुत्र श्री कालूराम	हरिजन	15.5.34	14.5.52	क्षय चिकित्सा.
2.	श्री रामदेव पुत्र श्री विसनाराम	,,	1.7.47	11.8.68	,,
3.	श्री पूनमचन्द पुत्र श्री आत्माराम	,,	1.12.44	24.1.56	,,
4.	श्री आज्ञाराम पुत्र श्री मंगलचन्द	,,	15.8.59	31.8.78	,,
5.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री गोपीराम	,,	15.7.45	28.9.65	,,
6.	श्री श्यामलाल पुत्र श्री सुखाराम	,,	1.7.57	9.7.77	,,
7.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामेश्वर	,,	11.2.62	4.5.80	,,
8.	श्री मनोहर पुत्र छोटू	,,	15.1.50	24.1.75	,,
9.	श्री प्रताप पुत्र मोडाराम	,,	1.7.37	1.7.57	एच. वार्ड
10.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बनवारी	,,	16.11.47	15.5.70	क्षय चिकित्सा.
11.	" नैनी पत्नी शंकरलाल	,,	10.10.56	1.9.78	,,
12.	" विद्या पत्नी भवरलाल	,,	15.3.59	25.4.79	,,
13.	" बूली पत्नी शंकरलाल	,,	20.10.43	1.9.78	,,
14.	" लक्ष्मी पत्नी बुधाराम	,,	24.5.59	25.5.79	,,
15.	श्री ज्ञानचन्द पुत्र मेलाराम	रेंगर	24.6.62	28.3.84	डी. वार्ड
16.	श्री खेमाराम पुत्र मोडाराम	मेघवाल	3.10.62	12.3.84	ए. वार्ड
17.	श्रीमती मैना पत्नी राजेन्द्र	हरिजन	22.12.62	12.3.84	पी. "

1	2	3	4	5	6
18.	श्री राजेन्द्र पुत्र बिरजलाल	हरिजन	1.3.65	12.3.84	एफ. वार्ड
19.	श्री श्रवण पुत्र सुन्दर	,,	12.3.64	12.3.84	जेड. ,,
20.	श्रीमती कालूदेवी पत्नी सुखाराम	,,	10.12.58	12.3.84	के. ,,
21.	श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल	,,	1.7.62	12.3.84	बी. ,,
22.	श्री ओमप्रकाश पुत्र जुगलाल	धानक	7.5.57	15.3.84	ओ. पी. डी.
23.	श्रीमती सरला पत्नी दशरथ	हरिजन	9.2.62	12.3.84	थियेटर
24.	श्री कालूराम पुत्र दाउलाल	,,	16.8.65	14.8.84	सी. वार्ड
25.	श्रीमती विमला पत्नी भंवरलाल	,,	12.8.65	16.8.84	होस्टल
26.	श्री सत्तुराम पुत्र सागरराम	,,	17.2.63	25.8.84	इ. एम. डी.
27.	श्री द्वारका पुत्र सुगनाराम	,,	8.10.46	13.6.70	ओ. पी. डी.
28.	श्री शंकर पुत्र सुगनाराम	,,	1.7.47	16.11.72	जे. वार्ड
29.	पूनमचन्द पुत्र मंगतू	,,	1.7.51	16.12.72	ओ. पी. डी.
30.	श्री बुलाकी पुत्र अल्लादीन	,,	15.7.54	10.8.74	,,
31.	श्री भंवरलाल पुत्र बाबुलाल	,,	15.3.39	1.8.58	,,
32.	श्रीमती चिड़िया पत्नी हंसराज	,,	15.7.45	17.12.66	लीव रिजर्व
33.	,, जाया पत्नी लालाराम	,,	15.7.48	15.5.70	ओ. पी. डी.
34.	,, कमला पत्नी मनोहरलाल	,,	5.5.53	7.7.77	जे. वार्ड
35.	,, किसनी/पदमाराम	,,	1.4.49	10.8.74	के. ,,
36.	,, काली झूमर	,,	1.7.42	1.11.68	एन. काटेज
37.	,, लक्ष्मी/रामप्रसाद	,,	1.7.51	18.5.77	एल. वार्ड
38.	,, मोहनी/रामूराम	,,	1.7.48	5.9.69	आर. ,,
39.	,, मोहनी/घोकुलराम	,,	1.7.50	10.8.74	आर. ,,
40	,, मनसुखी/सुरजाराम	,,	15.7.44	9.9.63	के. ,,
41.	,, पाना/हरदा	,,	15.7.39	18.1.67	आर. ,,

Page No.410

1	2	3	4	5	6
42.	,, रामप्यारी/सून्डाराम	हरिजन	20.2.37	9.3.57	एम. वार्ड
43.	,, सीरिया, घूबाराम	,,	1.7.43	20.9.53	डब्ल्यू. कोटेज
44.	,, सुन्दर/दुल्लाराम	,,	13.6.49	10.8.74	पी. वार्ड
45.	,, सान्ती, रामरखा	,,	1.7.43	1.11.68	ओ. पी. डी.
46.	,, छोटी/जोगाराम	,,	12.3.56	5.7.81	रिजर्व
47.	,, झनकारी/राधाकिशन	,,	15.7.44	17.12.66	एम. वार्ड
48.	,, झंवरी/झोपरराम	,,	1.7.43	21.2.59	एम. ,,
49.	,, विद्या/लक्ष्मण	,,	6.7.47	16.9.72	क्यू. ,,
50.	,, विद्या, हरनारायण	,,	11.6.57	5.7.81	के. ,,
51.	,, राधा/ओमप्रकाश	,,	1.7.43	1.11.68	ओ. पी. डी
52.	,, जमना/भंवरलाल	,,	14.3.61	16.11.79	पी. वार्ड
53.	,, अरूणा/ओमप्रकाश	,,	26.1.59	16.11.79	लेबर एम.
54.	श्री दौलतराम, बाबुलाल	,,	5.10.57	7.7.77	थियेटर
55.	श्री ओमप्रकाश, जेठाराम	,,	21.6.58	25.5.79	,,
56.	श्रीमती रामी/वस्तीराम	,,	1.7.43	21.2.69	,,
57.	श्रीमती नानूडी/रामदास	,,	23.7.50	5.7.81	ओ. पी. डी.
58.	श्री बंसी/मिसरु	,,	1.7.36	23.2.56	सी. वार्ड
59.	श्री छोटू/चोरूराम	,,	15.1.44	1.1.64	ज्यूरिस्ट
60.	श्री हीरालाल, सीताराम	,,	11.10.44	11.9.62	जेड वार्ड
61.	श्री रामलाल/सुन्डाराम	,,	1.7.44	11.9.62	वाई ,,
62.	श्री तेजमाल, गोपीराम	,,	15.7.42	11.9.62	कार्यालय
63.	श्री बद्री/तारू	,,	3.8.41	3.9.59	रिजर्व
64.	श्री मोहन/बंशी	,,	12.11.46	27.11.64	एफ. वार्ड
65.	श्री बाबूलाल/मूलाराम	,,	1.7.46	1.9.68	एक्स. वार्ड

Page No.411

1	2	3	4	5	6
66.	श्री बाबूलाल/बस्तीराम	,,	15.7.42	5.4.61	एक्सरे
67.	श्री तારाराम/सुखाराम	,,	1.7.44	1.11.68	ए. वार्ड
68.	श्री शिवलाल/बिन्जाराम	,,	1.6.54	10.6.74	ए. "
69.	श्री शिवलाल/हरीराम	,,	20.7.57	30.7.77	ए. "
70.	श्री मोहनलाल/कानाराम	,,	1.7.37	18.11.55	ई. ,,
71.	श्री ओमप्रकाश/बिरजूराम	,,	15.7.45	2.2.64	रिजर्व
72.	श्री पूनमचन्द/अकूड़ाराम	,,	5.8.44	15.8.74	,,
73.	श्री ओमप्रकाश/दल्लाराम	,,	5.8.54	10.8.74	लेबोरेटरी
74.	श्री शंकर/झूमर	,,	21.8.43	3.9.63	ओ. पी. डी.
75.	श्री बजरंग/भूराराम	,,	25.6.55	10.8.74	एच. वार्ड
76.	श्री सागर/बिरदाराम	,,	1.7.50	24.1.75	"
77.	श्री चेतनराम/मूलाराम	,,	28.8.45	1.9.68	ए. वार्ड
78.	श्री शांती/घूडिया	,,	1.7.39	1.10.62	केन्सर वार्ड
79.	श्री सानु/प्रताप	,,	1.7.43	6.11.68	वार्ड वाई
80.	श्री छोटा/पूनमचन्द	,,	1.7.46	27.10.70	वाई. वार्ड
81.	श्री रातड़की/हीरालाल	,,	14.11.42	16.11.72	एक्स. "
82.	श्री मंगती	,,	15.7.50	18.10.74	"
83.	शांति/घूडिया	,,	15.7.56	23.11.75	वाई. वार्ड
84.	सीता/माणकचन्द	,,	15.7.46	30.1.67	केन्सर "
85.	श्री नान्दाराम/उदाराम	,,	11.7.64	28.9.77	एक्स. "
86.	कमला/बद्री	,,	20.8.58	31.8.78	रिजर्व
87.	झमकू/जगमोहन	,,	23.3.56	25.5.79	होस्टल
88.	विमला/गोपाल	,,	5.5.59	25.5.79	आई. वार्ड
89.	बिशनलाल/बाबूलाल	,,	1.7.52	24.1.75	पोस्ट वार्ड

Page No.412

1	2	3	4	5	6
90.	श्रवण/झंवरलाल	हरिजन	1.7.55	24.1.75	जेड वार्ड
91.	रावत/गोपीराम	,,	1.7.47	1.11.68	ओ. पी. डी.
92.	श्री दशरथ/कानाराम	,,	22.10.59	1.11.77	थियेटर
93.	श्री घनश्याम/चम्पालाल	,,	15.7.56	2.10.75	जेड वार्ड
94.	श्री जयकिशन/मालाराम	,,	15.7.56	2.10.75	वी. ,,
95.	श्री उदाराम/हनुमानप्रसाद	,,	16.11.55	17.12.75	थियेटर ए.
96.	श्री नत्थूराम/अल्लादीन	,,	1.7.47	14.5.70	स्टोर
97.	श्री किसनलाल/लालूराम	,,	17.3.32	28.1.56	काटेज वार्ड
98.	मानक/छगनलाल	,,	2.6.55	7.7.77	रिजर्व
99.	श्री सांवरिया/सुखदेव	,,	5.7.57	7.7.77	पोस्ट आपरेटिव/
100.	श्री काशीराम/माणुराम	,,	15.7.56	30.7.77	सी. वार्ड
101.	श्री लालचन्द/लूणाराम	,,	16.7.40	25.9.63	ई. ,,
102.	श्री शंकर/मेमदाराम	,,	15.1.57	10.2.79	ओ. पी. डी.
103.	श्री मुन्नालाल/मूलचन्द	,,	15.3.61	25.5.79	वाईटल केयर
104.	श्री रामेश्वर/चौरू	,,	29.5.59	25.5.79	एच. वार्ड
105.	श्री मेघराज/मंगतू	,,	11.5.60	11.12.78	डी. ,,
106.	श्री मंगलाराम/उदाराम	,,	10.10.60	16.11.79	थियेटर
107.	श्री मोहनलाल/सोहनलाल	,,	15.7.57	2.10.75	वाईटल केयर
108.	श्री रामेश्वर/अक्खाराम	,,	1.2.37	1.9.61	थियेटर
109.	श्री प्रयागदास/रामचन्द्र	,,	12.2.44	17.5.62	,,
110.	श्री प्रेमप्रकाश/बुधाराम	,,	1.7.58	2.10.75	आई. वाई
111.	श्री पांचीलाल/बिश्वाराम	,,	13.6.48	10.8.74	काटेज वार्ड
112.	श्री लालचन्द/टोड़ाराम	,,	1.7.50	16.12.72	रिजर्व
113.	श्री बनवारी/नागजी	,,	1.7.49	1.12.70	अनुपस्थित
114.	श्री श्यामलाल/शंकर	,,	15.7.46	20.1.67	ई. वार्ड

Page No.413

1	2	3	4	5	6
115.	श्री ताराचन्द/रामदेव	हरिजन	11.8.62	23.10.81	जेड वार्ड
116.	श्री हजारी/सत्ताराम	,,	15.6.57	7.7.77	डी. वार्ड
117.	श्री परशराम/रामूजी	,,	1.7.63	4.7.81	ई. वार्ड
118.	श्री शान्तीलाल/हीरालाल	,,	4.7.62	4.7.81	थियेटर
119.	श्री प्रहलाद/जोगाराम	,,	24.3.62	4.7.81	पोस्ट आपरेटिव
120.	श्री ताराचन्द/आसू	,,	23.2.61	4.7.81	ओ. पी. डी.
121.	श्री किसनलाल/पांचीलाल	,,	15.6.62	6.7.81	अनुपस्थित
122.	श्री पुखराज/नैनाराम	,,	20.5.57	7.7.77	थियेटर ए.
123.	श्री तुलसीराम/चौरूराम	,,	20.6.57	30.7.77	जेड वार्ड

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न सं. 191 की सूचना

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदन का दिनांक	सब डिविजन की भूमि का स्थान व क्षेत्रफल	स्वीकृत। अस्वीकृत। विचाराधीन	नियम 30 के अन्तर्गत जमा विकास राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती श्यामकुमारी, लक्ष्मीदासानी जी. एस. कुलकधाणियां व चैनाराम विश्नोई	9.7.81	रातानाडा स्टेट होटल के सामने भू. सं. 340 वर्ग मीटर	स्वीकृत 16.4.82	भूखण्ड का फरदर सब-डिवीजन किया गया क्षेत्र पहले से ही विकसित है।
2.	श्री केवल किशन पुत्र श्री हंसराज वगैरहा	27.7.81	सेंट्रल स्कूल के पीछे प्लोट न. आई एवं एच 222.96 वर्ग मीटर	विचाराधीन	विकास राशि जमा नहीं कराने के कारण पेन्डिंग है।।
3.	श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी श्री तेजसिंह	24.7.81	चामी मैदान पावटा, 585 27 वर्गमीटर	स्वीकृत 18.9.81	भूखण्ड सं. 15/2 का

1	2	3	4	5	6
					फरदर सब डिवीजन किया गया पहिले से ही विकसित है।
4.	श्री खुसाल चन्द पुत्र श्री शिवशंकर बाबूलाल पुत्र श्री हेमराज	8.7.81	प्लॉट नं 3 कर्नल मोहनसिंह का हत्थाराई का बाग 159.84 वर्गमीटर	अस्वीकृत	———
5.	श्री बिकसोर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह वगैरहा	7.8.81	जी-2 लक्ष्मीनगर के पास झालम विलास जोधपुर 283.62 वर्ग मीटर	अस्वीकृत	———
6.	पं. जयनारायण जोशी अध्यक्ष अमृत गृह निर्माण सहकारी समिति	11.8.81	पांच बत्ती चौराहा रातानाडा, 9352.3 वर्ग गज	अस्वीकृत	डवलपमेन्ट चार्जेज जमा नहीं कराने के कारण अस्वीकृत
7.	मदनसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह	12.8.81	नाथ पुरा महामन्दिर, 167.20 वर्ग मीटर	स्वीकृत	महामन्दिर क्षेत्र विकसित होने के कारण राशि जमा नहीं की गयी भूखण्ड का फरदर सब-डिविजन किया गया।
8.	पुखराज पुत्र श्री छाड़मजी	16.8.81	भगत की कोठी पोस्ट आफिस के पास भू. सं. 9-334.44 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन होने एवं एरिया विकसित होने से विकास राशि जमा नहीं की गई।

1	2	3	4	5	6
9.	श्रीमती उच्छवकंवर पत्नि श्री बदरीचंद	4.9.81	चूने की भटियां सरदारपुरा 75. 76 व. मी.	अस्वीकृत	———
10.	प्रतापसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह	10.9.81	लक्ष्मीनगर पावटा प्लाट नं. 350-बी 116.12 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन हुआ है अतः विकास शुल्क जमा नहीं हुआ है।
11.	श्रीमती मनिलादेवी पत्नी श्री राणाराम वगैराह	10.9.81	सतीमाता के थान के पास रातानाडा	अस्वीकृत	नियमानुसार नहीं होने से।
12.	ईश्वरचन्द पुत्र श्री बालचन्द	14.9.81	राई का बाग पुराना पब्लिक बाग 92.90 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड सं. 37 का फरदर सब-डिवीजन हुआ है।
13.	श्री हजारीसिंह पुत्र श्री मानसिंह	22.9.81	सरदार क्लब, 35-ए भेरू विलास 273.35 व. मी.	अस्वीकृत	———
14.	समाजीतसिंह पुत्र श्री प्रेमराजसिंह	22.9.81	प्लाट नं. 33, सरदार क्लब भेरू विलास	अस्वीकृत	———
15.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप	22.9.81	प्लाट नं. 33-बी भेरू विलास	अस्वीकृत	———
16.	सत्यनारायण पुत्र श्री भंवरलाल	23.9.81	लक्ष्मीनगर सी-1. 86.24 व. मी.	अस्वीकृत	———

1	2	3	4	5	6
17.	कमलेशदत्त पुत्र श्री वजरंगदत्त	28.9.81	प्लाट नं. 11 नागोरी गेट के बाहर 142.13 व. मी.	स्वीकृत	———
18.	बालकिशन पुत्र श्री फूलचन्द	28.9.81	प्लाट नं. 10 नागोरी गेट के बाहर 92.90 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब-डिवीजन हुआ है अतः विकास शुल्क जमा नहीं हुआ है।
19.	सत्यनाम पुत्र श्री अमलदास	14.10.81	जालिम विकास पांवटा, 149.10 व. मी.	अस्वीकृत	———
20.	गोपालकृष्ण पुत्र श्री मोहनलाल	14.10.81	जी—3 लक्ष्मीनगर के पास 283.62 व. मी.	अस्वीकृत	———
21.	अम्बालाल पुत्र श्रीकिस्तूरचन्द	19.10.81	15—महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पास 173.72 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन हुआ है अतः विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
22.	श्रीमती सितारादेवी पत्नि श्री नागर मल	19.10.81	रावराजा अभयसिंह सम्पत्ति 505.44	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन हुआ है अतः विकास शुल्क जमा नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6
23.	विक्रमदास पुत्र श्री नथमल	19.10.81	घर्मपुरा के पास सिवान्चीगेट के पास 270.77 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन हुग्रा है ग्रतः विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
24.	जोहरीलाल पुत्र श्री सोहनराज	30.10.81	13–ए घर्मनारायण का हत्था 289.84 व. मी.	स्वीकृत	भूखण्ड का फरदर सब डिवीजन है ग्रतः विकास शुल्क जमा नही किया गया है।
25.	केशवेन्दरसिह पुत्र श्री ठाकुरसिंह	10.11.81	मानजी का हत्था के पास महामंदिर	ग्रस्वीकृत	————
26.	जीवन बीमा निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकरी समिति, जो.	17.11.81	राईका बाग सैण्ट्रल हाऊस के पास 4971.84 व. मी.	स्वीकृत	विकास राशि 25,023.60 जरिये रसीद सं. 366/88 दिनांक 29.5.82
27.	हरिशचन्द्र पुत्र श्री राजाराम	21.11.81	5-ए जालिम विलास के बाहर 217.38 व. मी.	स्वीकृत	फरदर सब-डिवीजन होने से विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
28.	सुनीलकुमार पुत्र श्री कुन्दनमल	21.11.81	4–चामी मैदान सी–रोड 209.02 व. मी.	स्वीकृत	फरदर सब-डिवीजन होने से विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
29.	प्रेमसिंह पुत्र श्री चेतनसिंह	28.11.81	ग्रभयसिंह का हत्था 167.72 व. मी.	ग्रस्वीकृत	————

1	2	3	4	5	6
30.	नवरतन मेड़तियां पुत्र श्री सुमेरमल	2.12.81	3-बी व्यास जी का नोहरा शनिचर जी का थान 108.67	अस्वीकृत	————
31.	शिवराम पुत्र श्री नाथुजी टांक	24.12.81	डी-2हरियां ढाणा एवं साधी बंगला के पास पावटा 755.79 व. मी.	स्वीकृत	फरदर सब डिवीजन होने से विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
32.	रमेशचन्द्र पुत्र श्री बद्रीदास	4.1.82	सी-4 महामंदिर नाथजी का आसन 557.05 व. मी.	स्वीकृत	फरदर सब-डिवीजन होने से राशि विकास शुल्क की जमा नहीं की गई है।
33.	आशाराम पुत्र श्री अचलाराम	4.1.82	पुरानी पाली रोड़ आफिसर मेस के पास	अस्वीकृत	————
34.	मूलचन्द पुत्र श्री चन्दराम	1.20.82	रातानाडा भाटी चोराया के पास	अस्वीकृत	————
35.	मुरलीधर पुत्र श्री घनजी	19.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————
36.	रामेश्वरलाल पुत्र श्री प्रेमराज	19.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————
37.	जमनालाल पुत्र श्री मूलचन्द	19.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————
38.	डूगरसिंह पुत्र श्री भीकाराम	19.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————
39.	बुद्धाराम पुत्र श्री गुलाब जी	19.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————
40.	रामपाल पुत्र श्री हीराम	19,1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	————

1	2	3	4	5	6
41.	श्री डीरासिंह पुत्र दाऊलाल	19.1.82	माटिया चौराया	अस्वीकृत	
42.	,, कल्याणमल पुत्र प्रभुराम	21.1.82	उपरोक्त	अस्वीकृत	
43.	,, भीमराज देवराज	28.1.82	महामन्दिर बागर	अस्वीकृत	
44.	,, लालचन्द पुत्र गोरधन	14.1.82	माहेश्वरी बगीची 85.28 व.मी.	अस्वीकृत	
45.	,, वेगचन्द पुत्र पन्नालाल	21.1.82	आफीसमेस के सामने	अस्वीकृत	
46.	,, प्रेमचन्द पुत्र धनपतचन्द	4.2.82	पोलोग्राऊन्ड पावटा	अस्वीकृत	
47.	,, मंगलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह महाराजा रणबहादुरसिंह जी की सम्पत्ति पावटा	21.2.82	रणबहादुरसिंह की समपत्ति	अस्वीकृत	
48.	,, ओमप्रसाद पुत्र शारदाप्रसाद	8.2.82	44 लद्दा कालोनी रातानाड़ा 100.33 व.मी.	स्वीकृत	फरदर सबडिविजन होने से विकास राशि नहीं ली गई

1	2	3	4	5	6
49.	कालुराम आदि 114 पी.डब्ल्यू कालोनी	9.2.82	114 पी.डब्ल्यू कालोनी 306.57 व.मी.	उपरोक्त स्वीकृत	
50.	,, राधाकृष्ण पुत्र बंशीलाल टाक	12.2.82	पुरानी पुलिस लाइन 135 व.मी.	अस्वीकृत	
51.	,, चोथाराम पुत्र पूनमचन्द	15.2.82	महामन्दिर मण्डोररिया दरवाजा	अस्वीकृत	
52.	,, ताराचन्द पुत्र अम्बालाल	19.2.82	4/1 पुरानी पाली रोड	अस्वीकृत	
53.	,, ओम प्रकाश पुत्र काशीराम बी. रोड पावटा	3.3.82	बी. रोड पावटा	अस्वीकृत	
54.	,, सुरेन्द्रचन्द भण्डारी इन्दुचन्दजी पोकरण बंगला	5.3.82	पोकरण हाऊस 125.42	अस्वीकृत	
55.	भगवानलाल पुत्र हीरालाल	17.3.82	11 निम्बाड़ा हाऊस	अस्वीकृत	
56.	,, रामनारायण काशीराम	17.3.82	8/9 निम्बाड़ा हाऊस	अस्वीकृत	
57.	,, आनन्दप्रकाश किस्तुरचन्द पावटा जालिम विलास	24.3.82	5बी पावटा बी रोड 137.31 व.मी.	स्वीकृत	फरदर सबडिवीजन होने से विकास राशि नहीं ली गई।

२

1	2	3	4	5	6
58.	भंवरलाल पुत्र मोहनलाल	28.4.82	जालिमविलास सेजड़ा हाउस	अस्वीकृत	
59.	श्री गुरुदयाल पुत्र शंकरलाल ई.पी.डब्ल्यू कालोनी	5.5.82	पी.डब्ल्यू कालोनी	अस्वीकृत	
60.	,, सुरेशकुमार पुत्र विठलदास	20.5.82	सैन्ट्रल स्कूल के पीछे 50.66 व.मी.	स्वीकृत	फरदर सब डिवीजन होने से विकास राशि नहीं ली गई।
61.	भंवरलाल पुत्र शंकरलाल राईका बाग।	25.5.82	15/राई का बाग कर्नल मोहनसिंह जी का हत्या 73.03 व मी.	अस्वीकृत	
62.	श्री महेन्द्र वोड़ा पुत्र उत्तमचन्द धर्मनारायण जी का हत्था।	3.6.82	13 जी धर्मनारायण जी का हत्था।	स्वीकृत	
63.	प्रदीपकुमार पुत्र उदयराज 3 नेहरू कालोनी	3.6.82	3 नेहरू कालोनी	अस्वीकृत	
64.	ओमप्रकाश किशोरीलाल 289 लक्ष्मीनगर पावटा	16.6.82	289 लक्ष्मीनगरपावटा 185.80 व.मी.	स्वीकृत	

Page No.423

1	2	3	4	5	6
65.	सूरजमल कश्यप पुत्र रामजी स्टेट होटल के पास।	13.7.82	19 स्टेट होटल के पास	अस्वीकृत	
66.	हरीशचन्द्र पुत्र मुन्नीलाल	17.7.82	240 एल. आई. जी. एल। 501.66 व.मी.	स्वीकृत	
67.	हनुमानसिंह पुत्र भीमसिंह	18.8.82	रातानाडा एरोड्रम के पास 186.80मी.	स्वीकृत	फरदर सब. डिवीजन होने से विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है।
68.	गोदाराम पुत्र श्री गेनाराम	21.8.82	भगत की कोठी	अस्वीकृत	,, ,,
69.	ओमप्रकाश पुत्र श्री गोविन्दालाल	1.9.82	47/2 पी.डब्लू.डी. कालोनी 616.59 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
70.	तेजराज पुत्र श्री भजनाराम	2.9.82	165डी शास्त्रीनगर 752.49 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
71.	मोहनदास पुत्र श्री प्रेमदान	27.9.82	308-बी-लक्ष्मीनगर 371.60 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6	
72.	रामलाल पुत्र छीनाराम	28.9.82	334/1 बी लक्ष्मी नगर पावटा 111.11 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त	
73.	दयालसिंह पुत्र श्री विक्रमसिंह	5.10.82	44-बी सरदारकलब के पास 241.54 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त	
74.	राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास	7.10.82	4-गोकरण हाउस	स्वीकृत	....	—
75.	श्यामलाल पुत्र श्री नतनलाल	2.11.82	76-कमला नेहरू नगर 473.09व.मी.	स्वीकृत	फरदर सब डिवीजन होने से विकास शुल्क की राशि जमा नहीं की गई है।	
76.	नथमल पुत्र श्री गणपतलाल	23.1.82	भाटिया चौराया	अस्वीकृत	....	—
77.	गोविन्दलाल पुत्र श्री पोकरराम	7.12.82	2/1 नेहरू कालोनी	अस्वीकृत	—	....
78.	नेक मोहम्मद पुत्र श्री नजीर मोहम्मद	24.10 82	86-कमला नेहरू नगर 501.66 व.मी.	स्वीकृत	....	....
79.	अध्यक्ष, लक्ष्मीनारायण छंगाणी, फलोदी शिक्षा विकास समिति, सी-2 रातानाड़ा रोड़, जोधपुर	3.1.83	सी-2, रातानाड़ा लोको, रोड़, 5317.31 व.मी.	स्वीकृत	विकास राशि हेतु अण्डर टेकिंग लिया गया विकास स्वयं करवायेंगे।	

1	2	3	4	5	6
80.	गोपालराम इत्यादि	3.1,83	7-सैन्ट्रल स्कूल के सामने 752.22 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
81.	लीलादेवी पत्नि श्री	3.1.83	ब्लाक 13 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 756.67 व.मी.	स्वीकृत	फरदर सब डिवीजन होने से विकास शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई।
82.	चन्द्रप्रकाश इत्यादि	3.1.83	ब्लाक 5 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1077.64 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
83.	रामकिशन इत्यादि	3.1.83	1 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1406.56 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
84.	गोपालदास	3.1.83	15 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 967.88 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
85.	चन्द्रप्रकाश इत्यादि	3.1.83	8 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 752.59 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6
86.	सागरमल इत्यादि	3.1.83	2 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1268.09 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
87.	चन्द्रप्रकाश इत्यादि	3.1.83	10 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1003.32 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
88.	नन्दकिशोर इत्यादि	3.1.83	3 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1086.93	स्वीकृत	उपरोक्त
89.	गोपालदास इत्यादि	3.1.83	ब्लाक 12 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1003.32	स्वीकृत	उपरोक्त
90.	चन्द्रप्रकाश इत्यादि	3.1.83	ब्लाक 14 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 881.80 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
91.	श्यामलाल इत्यादि	3.1.83	ब्लाक 11 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1003.32 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6
92.	नन्दकिशोर इत्यादि	3.1.83	ब्लाक 4 सेन्ट्रल स्कूल के सामने 1272.73 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
93,	विद्यादेवी	27.1.83	125-बी लक्ष्मी-नगर पावटा 371.60 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
94,	सुधीरचन्द्र कुमार	24.2.83	20 पी.डब्लूडी कालोनी 502व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
95.	ओमप्रकाश पुत्र श्री हनुमानसिंह	16.2.83	मण्डोरिया दरवाजा महामन्दिर 92.90 व.मी.	अस्वीकृत	....
96.	आसकरण	17.2.83	125-अ लक्ष्मी-नगर पावटा 185.80 व.मी.	अस्वीकृत	....
97.	सचिव मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	19.2.83	लिकपाल रोड़ 1525 व.मी.	स्वीकृत	....

1	2	3	4	5	6
98.	सत्यकुमारसिंह पुत्र श्री ग्रमृतराज	8.4.83	123 बख्तसागर 501.66 व.मी.	स्वीकृत	फरदर सब डिवीजन होने से विकास राशि जमा नहीं करवाई गयी है।
99.	नसीरखां बीकानेर व जयपुर एम्पलोय कापरोटिव सोसायटी 25 जालिम विलास	18.5.83	25 जालिम विलास 643.80 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
100.	ईश्वरचन्द पुत्र श्री लच्छीराम	1.6.83	22 लक्ष्मीनगर पावटा 333.27 व.मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
101.	जोधपुर ग्रादर्श गृह निर्माण सहकारी समिति ग्राम सुथला	1.3.83	ग्राम सुथला	ग्रस्वीकृत	,, ,,
102.	बसंतराज मेहता, ग्रध्यक्ष नवभारत सहकारी समिति	24.2.84	ग्राम मण्डोर 1866/1525व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
103.	कुमरानी पत्नि श्री कमलकुमार	7.3.84	पंचवटी कालोनी 2424.69 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
104.	पवांर लक्ष्मणसिंह	7.3.84	पंचवटी कालोनी 2073.52 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,

1	2	3	4	5	6
105.	लक्ष्मणसिंह	25.4.84	मान महल एयर-फोर्स के सामने 24316 व.मी	स्वीकृत	,, ,,
106.	गेन्दा कुमारी	28.4.84	8 रेजीडेन्सी रोड 710.69 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
107.	नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति	23.8.84	लिकपाल रोड 1050 व.मी.	स्वीकृत	,, ,,
108.	सुमेर कंवर पत्नि श्री कन्हैयालाल	9.3.83	1/2 सेन्ट्रल स्कूल के पास 206.23	स्वीकृत	फरदर.सब डिवीजन होने से विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गयी।
109.	मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति	15.3.83	कुड़ी गांव ख. 61 से 65 12765मी.	स्वीकृत	उपरोक्त
110. 115	नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति	1.3.83	हनवन्त नगर 16675 व.मी.	अस्वीकृत	,, ,,
111. I	मदनमोहनलाल पुत्र श्री काशमीरीलाल	21.2.83	ब्लाक एक सेन्ट्रल स्कल के पास 360 व.मी.	स्वीकृत	विकास राशि जमा नहीं कराई गई।

Page No.430

1	2	3	4	5	6	
112.	उम्मेदचन्द जैन इत्यादि	1.6.83	महाराजा हरिसिंह जी 1271.36व.मी.	स्वीकृत	„	„
113.	अरुण भट्ट	1.6.83	महाराजा हरिसिंहजी सम्पत्ति 1393.00 व.मी.	स्वीकृत	„	„
114.	पहलादसिंह इत्यादि	28.1.84	जालिम विलास के पास 10433.97	स्वीकृत	„	„
115.	आलोक गोयल	10.1.85	सेन्ट्रल के पास 1325.22 व.मी	स्वीकृत	„	„
116.	शान्तीलाल	30.4.85	162-अ पोलो द्वितीय 249.82 व.मी.	स्वीकृत	„	„
17.	गोतमचन्द	30.4.85	162-बी पोलो द्वितीय 211.82	स्वीकृत	„	„
18.	श्रवणकंवर पत्नि भंवरसिंह	16.5.85	ब्लाक 13 सेन्ट्रल स्कूल 55.74 व.मी.	स्वीकृत	„	„

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न सं. 197 का आडिट आक्षेप

(22) सरस्वती नगर योजना में भूखण्डों के आवंटन को रद्दकरण पश्चात पुन: उन्हीं व्यक्तियों को आवंटन करने से न्यास को रु. 70,095/60 की हानि :—

न्यास के भूखण्ड आवंटन शाखा ने सरस्वती नगर योजना की कुछ पत्रा-वलीयां अंकेक्षण दल को प्रस्तुत की है। निम्न सभी पत्रावलियां रि-आक्यूपाईंग कमेटी को प्रस्तुत की गयी है जिस पर उक्त गठित समिति न्यास द्वारा निरस्त भू-खण्डों को पुन: जीवित किया है।

राजस्थान अरबन इम्प्रूमेन्ट (डिस्पोजल लैण्ड आफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 17/5/9 के अनुसार भूखण्ड आवंटन के पश्चात 30 दिन में राशि जमा कराना चाहिये व नियम 17/5/8 के अनुसार भूखण्ड की राशि निर्धारित होने पर समय पर जमा कराने में असमर्थ रहने पर भूखण्ड पुन: न्यास का होगा। अत: आखरी भविष्य में भूखण्ड के आवंटन हेतु अधिकृत नहीं होगा। इस प्रकार नगर सुधार न्यास, जोधपुर में ही अलाटमेन्ट कमेटी का गठन व उसके द्वारा रद्द किये गये भूखण्डों के स्वत: पुन: आवंटन करना नियमो के विपरीत होने के कारण पूर्णतया अनियमित है। सरस्वती नगर में निम्न भूखण्डों को स्वत: निरस्त आवंटनों को पुन: जीवित कर 1800 वर्ग गज भूमि का उनके समक्ष अंकित राशि वसूल कर निष्पादन किया गया :—

ग्रावटन भू. सं.	ग्रावंटनधारी का नाम	तिथि	ग्रावटी द्वारा पूर्व में जमाराशि	भूखण्ड की कीमत	भूखण्ड निरस्त करने की ग्रादेश तिथि	भू. पुनः बहाल करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1. 139 (ए)	ग्रात्माराम	15.7.79	300/—	3000/— (+596 ब्याज)	245/30-9-80	16-11-81
2. 13 (बी)	ग्रानन्दी देवी	,,	300/—	3000/— (+685 ब्याज)	326/6.10.80	—,,—
3. 81 (ए)	जोगाराम	,,	300/—	4000/— (+2000/ब्याज)	202/30.9.80	—,,—
4. 64 (ए)	कल्याणचन्द	,,	300/—	4000/— (+1015/ब्याज)	80/79/15.9.80	20-8-82
5. 228/(डी)	श्रीमति मरियम	,,	150/—	3000/— +1872/—	1162/16-10-80	15-12-82
6. 81/ (सी)	श्रीमति लीलादेवी	,,	150/—	3000/— +1586/—	11/77/11 6.80	2.8.82
7. 14 (सी)	श्री भूरेदास	,,	150/—	2000/— +728.40	764/9.10.80	20.8.82

1	2	3	4	5	6	7
8. 41	(डी) श्रीमति रहमतबानू	,,	150	3000/— +1224/—	1091/6.10.80	15.12.82
9. 15	(सी) गणेशदास	15.7.79	150	2000/— +1198/—	—	21.1.83
			योग—	37,904/40		

सरस्वती नगर में वर्ष 1982–83 में किये गये भूखण्डों की निलामी में न्यूनतम दर रु. 60/ और अधिकतम 192/—प्रपव. रही है। इस तरह 1800 की न्यूनतम रु. 1,08,000/—बनती है। जबकि उक्तानुसार रु. 37.940/40 की ही वास्तविक प्राप्ति हुई है। जिससे रु. 70,095/60 की हानि होना पाया जाता है।

(क) अतः भूखण्ड धारियों से वसूली कर उक्त हानि रु. 70,095/60 की प्रतिपूर्ति की जावें। भूखण्ड धारियों से वसूली संभव न होने पाने की दशा में इस हानि के लिए उत्तरदायित्व को निर्धारित कर धारा 93–ए अन्तर्गत पूर्ति की कार्यवाही की जावें।

(ख) स्वत/निरस्तीकरण पश्चात पुर्नजीवित करने की यह प्रणाली नियमों के प्रतिकूल है। अतः राज्य सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त कर इन प्रकरणों को नियमित कराया जावें।

परिशिष्ट- 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची

वर्ष 1983–84 व वर्ष 1984–85 में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीणों को आवासीय भूखण्डों के नि:शुल्क पट्टे दिये गये, उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम ग्रा. पं.	नाम ग्राम	वर्ष 1983–84 में वितरित पट्टे सं.	वर्ष 1984–85 में वितरित पट्टे सं.
1		2	3	4
1.	सरानी बेडा	नदन का पुरा	10	14
		घीमरी	–	4
		मिर्जापुर	–	1
			–	–
2.	पुरानी छावनी	पुरानी छावनी	31	12
3.	रजोरा कलां	रजोरांकला	2	3
		कोटपुरा	2	–
		सलेमपुर	1	–
		सुधपुरा	1	–
4.	करीमपुर	उमरारा	20	4
		विलासीपुरा	–	5
		किरारपुरा	–	5
		करीमपुर	–	8
		जायो	–	1
5.	चितोरा	चितोरा	6	8
		पुरा चितारा	–	1
		राजपुर	–	1
6.	सेंपऊ	सेंपऊ	13	21

क्र. सं.	नाम ग्रा. पं.	नाम ग्राम	वर्ष 1983–84 में वितरित पट्टे सं.	वर्ष 1984–85 में वितरित पट्टे सं.
1	2		3	4
		चन्दू का नगला	–	1
7.	रजोराखुर्द	रजोराखुर्द	20	8
8.	पंचगांव	पंचगांव	14	3
		बंजरपुरा	7	4
9.	दी	ओदी	[illegible]	1
		दरियापुर	–	1
		अल्हापुरा	15	–
10.	विपरपुर	विपरपुर	–	1
		चमरपुरा	8	–
		कल्यानपुरा	–	1
11.	कुकरामांकरा	कुकरा	14	10
		राजाका नगला	1	–
		कन्दई का नगला	4	–
		मांकरा	3	–
12.	सहरोली	सहरोली	4	10
		पूंठ का नगला	1	–
13.	दुवाटी	दुवाटी	1	–
		नयापुरा	6	8
		रूपकापुरा	5	–
14.	केंथरी	केंथरी	1	5
		रूपकापुरा	–	1
15.	मेडोकोकोंजी	मेढा	–	5
16.	विशनोदा	खोर का पुरा	8	
		विशनोदा	7	
17.	टघरा	नेकपुर खोर	2	

क्र. सं. नाम ग्रा. पं.	नाम ग्राम	वर्ष 1983–84 में वितरित पट्टे सं.	वर्ष 1984–85 में वितरित पट्टे सं.
1	2	3	4
18. कोटरा	सहरीन	54	–
19. सखवारा	सखवारा-चुन्ना कापुरा	27	
20. पुरेनो	भ्ररखेडा	–	6
21. कोलुआ	कोलुग्रा	–	1
	नगला दानि	–	7
22. कोलारी	हरियापुर-कोलारी	–	10
23. ठहरी	ठहरी	–	3
	नोरंगाबाद	–	2
	घोरावेडा	–	1
24. मरोजी	मोरोजी	–	5
25. मालोनीखुर्द	मालोनीखुर्द	–	5
26. कासिमपुर	कासिमपुर	130	–
	योग	418	191

परिशिष्ट-13 ग्र

ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 208 का विवरण

Rate of Royalty on Major Minerals as applicable an 1-4-77 and 31.1.83

Rate of royalty Rs. per tonne

S.No.	Minerals	Applicable on 1.4.77	Applicable on 31.1.83
1	2	3	4
1.	MICA		
	(a) Crude-mica	8.00 Rs. per 100 Kg.	
	(b) Trimmed mica of qualites other than heavy stained dense stained or spotted second quality.	16.00 Rs. ,, ,,	
	(c) Trimmed mica of heavy stained or danse stained spotted second quality.	8.40 Rs. ,, ,,	
	(d) Waste and scrap mica.	2.08 Rs. ,, ,,	
	(e) Waste rounds	3.50 Rs. ,, ,,	
2.	a. Gold	Rs. 1.60 per one gram of gold per tonne of ore and on prorate basis.	2.00 Rs. per one gram of gold per tonne of ore and on prorate basis.

1	2	3	4
	b. Silver	Rs. 50.00 per Kg of metal.	Rs. 100.00 per Kg. of metal.
3.	(a) All precious and semi-precious stones (Except diamond)	20% of the sale price at the pit's mouth	
4.	Limestone	Rs. 2.50	Rs. 4.50
5.	Dolomite	Rs. 3.00	Rs. 5.00
6.	GRAPHIER		
	(a) With 80% or more carbon	Rs. 16.00	Rs. 50.00
	(b) With 40% of more carbon but less than 80% carbon	Rs. 11.00	Rs. 30.00
	(c) With less than 40% carbon	Rs. 3.50	Rs. 12.00
7.	CHINACLAY INCLUDING BALL CLAY		
	(a) Crude	Rs. 2.00	Rs. 4.00
	(b) Washed	Rs. 8.00	Rs. 18.00
8.	KYANITE		
	(a) 60% A 1203 and above	Rs. 30.00	Rs. 30.00
	(b) below 60% Al 203 and above 50% Al 203	Rs. 10 00	
	(c) 50% Al 203 and below	Rs. 4.50	
9.	GYPSUM		
	(a) Fertilizer grade (Gypsum supplied to fertilizer factories)	Rs. 2.00	Rs. 4.00
	(b) Other grades	Rs. 3.00	

Page No.439

1	2	3	4
10.	FIRECLAY (including Plastic pipe, lithographic and natural pazzolanic)	Rs. 2 00	Rs.4.00
11.	COPPER ORE	3.25 per unit percent of copper metal per tonne of ore and on prorate basis.	Rs.4.00 W.E F. 12.6.78
12.	LEAD ORE	1.50 per unit percent of metal per tonne of ore and on prorate basis	3.00 per unit percent of matel per tonne of ore and on prorata basis
13.	ZINC ORE	3.00 per unit percent of zinc metal contained per tonne of ore and on prorata basis.	4.00 Rs. per unit percent of zinc matel contained per tonne of ore and on prorata basis.
14.	GARNET (Abrasive)	7.00	10.00
15.	SILLIMANITE		
	(a) 58% Al 203 ore more	35.00	40.00
	(b) Below 50% Al 203	20.00	
16.	BARYTES		
	(a) White (including snowhite)	10.00	15.00
	(b) Buff	6.50	8.00
17.	(a) Quartz and Quartzite	1.25	2.50
18.	GLASS SAND AND MOULDING SAND	1.50	2.50

1	2	3	4
19.	Corundum	50.00	65.00
20.	OCHRE	2.00	5.00
21.	STEATITE (Soap stone & talc)		
	(a) All grades except the inferior grade used in insecticide industry)	4.50	6.00
	(b) Inferior grade used in insecticide industry	2.25	
22.	APATITE (ROCK PHOSPHATE)		
	(a) Ores with 25% ore more P 205	5.00	15.00
	(b) Ores with less than 25% P 205	4.00	10.00
23.	ASBESTOS		
	(a) Chrysotile of superior quality i, e. As,B and C	250.00	250.00
	(b) Chrysotile of inferior quality i, e. other than AS, AB and C	60.00	
	(c) Amphibole	12.00	15.00
24.	CADMIUM	8.00 per unit per-cent of cadmium metal per tonne of ore and prorata basis.	16.00 per unit percent of ca-bmium metal per tonne of ore and on prorata basis.
25.	CALCITE	3.00	6.00
26.	Felspar	2.00	4.00
27.	FLUORSPAR		

Page No.441

1	2	3	4
	(a) Containing 85% CaF_2 or more	35.00	75.00
	(b) Containing 70% CaF_2 but less 85% CaF_2	30.00	50.00
	(c) Containing 30% CaF_2 but less than 70% CaF_2.	20.00	35.00
	(d) Containing 30% CaF_2 or less	10.00	15.00
26.	MAGNESITE		
	(a) Superior quality with less than 2.5% silica	3.000	6.00 w.e.f. K.2.79
	(b) Inferior quality, with 2.5% or more silica.	2.50	2.50
29.	PYROPHYLIITE		
	(a) For all grades except the Inferior grade use in insecticide industry	3.00	5.00
	(b) Inferior grade used in insecticide industry	1.50	
30.	VERMUCULITE	2.00	4.00
31.	WOLERAMITE	5.00 per tonne of ore with one% wo3 and on prorata basis.	10.00 per unit percent of wo 3 per tonne and on prorata basis.
38.	All other minerals not here in before specified.	10% of sale price at the pit mouth.	..
33.	WOLLASTONITE		10.00

Page No.442

परिशिष्ट ब

Rate of Royalty on Minor Minerals as applicable on 1.4.77 and 31.1 83

Rs. per tonne

S.N.	Name of Mineral	Quality/shape & size of the mineral		Rate of Royalty Applicable on 1 4.77	Applicable on 31.1.83
				(3 9 to 6.59)	
1.	Sandstone	1. Dimensional stone (Pattikatla, Milli-stone, Ashlata flooring stone	Distt. Bharatpur	5 94	7.00
			Sawaimadhopur	5.00	6 50
			Kota	4.00	5.00
			Bundi	4.00	5.00
			Jhalawar	4.00	5 00
			Other in stt.	3.00	4.00
		2. Masonary stone (Khanda ballast Road, Metal, Fechare, Citti, and Grit and crusher dust)		0.50	1.00
2.	Limestone	1. Dimensional stone	Kota	5.00	7.50
		(For use as roofing, facing stone and for making stone pillars)	All other area	3.00	4.50
		payable		3.00	4.50
				9.50	1.00